


प्रकाशक
गौतम बुक डिपो
नई सड़क, दिल्ली



मुद्रक
न्यू इण्डिया प्रेस
नई दिल्ली

जिनके श्रीचरणों में बैठ कर
विविध शास्त्रों के अध्ययन
एवं सूक्ष्म विवेचन का
सौभाग्य प्राप्त हुआ

जिनके शुभ आशीर्वाद ने
इस दुरूह ग्रन्थ के परिष्कार
की क्षमता प्रदान की

उन प्रातःस्मरणीय गुरुजनों के
कर-कमलों में,
या पुण्य स्मृति में,
गुरु पूर्णिमा सं० २००६ की
यह विनम्र भेंट
सादर समर्पित।

दो शब्द

राष्ट्र-भाषा हिन्दी की गौरव-वृद्धि के लिए जहाँ आधुनिक विषयो पर उच्च कोटि के नवीन ग्रन्थों के प्रकाशन की आवश्यकता है, वहाँ प्राचीन साहित्य, दर्शन आदि के सर्वोत्तम ग्रन्थों की हिन्दी-पाठक तक पहुँचाना भी आवश्यक है। इसी दृष्टि से सस्कृत साहित्य शास्त्र के इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' की यह विस्तृत हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। 'ध्वन्यालोक' काव्य-दर्शन का ग्रन्थ है अतएव उसका शब्दानुवादमात्र यथेष्ट नहीं है—विषय के स्पष्टीकरण के लिए सर्वत्र ही व्याख्या भी अनिवार्य है। अतः 'हिन्दी ध्वन्यालोक' में शब्दानुवाद के अतिरिक्त प्रत्येक पारिभाषिक प्रसङ्ग की साङ्गोपाङ्ग व्याख्या भी कर दी गई है। स्वभावतः अनुवाद-भाग से व्याख्या-भाग का कलेवर कई गुणा होगया है और 'ध्वन्यालोक' की 'आलोक-दीपिका' एक प्रकार से एक मौलिक ग्रन्थ ही बन गई है।

यद्यपि 'हिन्दी ध्वन्यालोक' की रचना मुख्यतः हिन्दी के विद्वानों के लिए ही हुई है, फिर भी क्योंकि यह सस्कृत साहित्य का एक प्रौढ ग्रन्थ है इसलिए कठिन दार्शनिक विषयों की चर्चा भी अनेक स्थलों पर अनायास आ ही गई है। यह चर्चा, सम्भव है, हिन्दी के विद्वानों के लिए विशेष उपयोगी भयवा रुचिकर न हो, परन्तु हिन्दी व्याख्या के उपलब्ध होने पर सस्कृतज्ञ विद्वान् और सस्कृत के अधिकांश विद्यार्थी भी इससे लाभ उठाने का यत्न करेंगे ही—इस विचार से उनकी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए पत्किञ्चित् कठिन शास्त्रीय मीमांसा को भी स्थान दे दिया गया है। वस्तुतः सस्कृत के इस युग प्रवर्तक ग्रन्थ की व्याख्या में सस्कृत की मीमांसा-पद्धति का पूर्ण बहिष्कार सम्भव भी नहीं था।

ग्रन्थ के मुद्रण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो लोग सरल रूप से केवल मूल ग्रन्थ का शब्दानुवाद पढ़ना चाहें उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके लिए शब्दानुवाद तथा व्याख्या भाग में अलग अलग प्रकार के टाइपों का प्रयोग किया गया है। शब्दानुवाद को काले और शेष व्याख्या भाग को सफेद टाइप में छपा गया है। जो लोग केवल अनुवाद पढ़ना चाहें वह सफेद टाइप को छोड़ कर केवल काले टाइप में छपे अनुवाद भाग को पढ़ सकते हैं।

ग्रन्थ में आए हुए प्राकृत भाषा के उदाहरणों का छायानुवाद मुविधा की दृष्टि से उसके साथ ही दे दिया गया है। परन्तु सर्वत्र वह मूल ग्रन्थ का भाग नहीं है इसलिए उसे भिन्न प्रकार के इटैलिक टाइप में छापा गया है।

पुस्तक के प्रारम्भ में विषय-सूची एक विशेष त्रम के अनुसार दी गई है। मूल 'ध्वन्यालोक' और 'श्रालोकदीपिका' दोनों की विषय सूची उसमें सम्मिलित है। उसमें पृष्ठ सरया के अतिरिक्त कारिका सख्या का भी निर्देश किया गया है। एक कारिका के अन्तर्गत मूल तथा व्याख्या में जिन-जिन विषयों का प्रतिपादन हुआ है उनको पाठक सरलतापूर्वक जान सकेंगे। ग्रन्थ के अन्त में दो परिशिष्ट दिए हैं जिनमें से पहिले परिशिष्ट में अकारादि क्रम से कारिकाओं के आधे भागों की सूची है और दूसरे में ध्वन्यालोक में आए उदाहरण आदि की अकारादि क्रम से सूची है। उदाहरणों की सूची में उनके मूल ग्रन्थों का संकेत भी यथासम्भव कर दिया गया है।

इस ग्रन्थ के निर्माण की प्रेरणा का श्रेय मुख्यतः श्री डा० नगन्द्र, साहित्याचार्य श्री० विद्वम्भरप्रसाद जी डबराल एम ए, तथा मेरे स्नेह भाजन प्रो० विजयेन्द्र स्नातक को है। इनकी प्रबल प्रेरणा एवं अनवरत आग्रह के वशीभूत होकर मुझे सन १९५१ के ग्रीष्मावकाश में ही अहर्निश परिश्रम कर इस ग्रन्थ को पूर्ण करना पडा। उनकी इस प्रेरणा ने न केवल इस ग्रन्थ की रचना के लिए ही मुझे उत्साहित किया अपितु मेरी चिरप्रमुक्त लेखन प्रवृत्ति को भी फिर से उद्बोधित कर दिया जिसके फलस्वरूप मैं लगभग एक वर्ष के स्वल्प काल में ही १. 'ध्वन्यालोक', २ 'न्यायकुसुमाञ्जलि', ३ 'तर्कभाषा', ४. 'नीति-शास्त्रम्, तथा ५ 'मनो-विज्ञान शास्त्रम्' इन पांच ग्रन्थों के निर्माण में समर्थ हो सका। इसके लिए इन बन्धुओं का जितना आभार माना जाय थोडा है।

इन के साथ ही ध्वन्यवाद के पात्र 'गौतम बूक डिपो, दिल्ली' के अध्यक्ष श्री दिलावरसिंह शर्मा हैं, जिन्होंने इस चिर-विक्रेय ग्रन्थ को प्रचुर धन-स्यप करके इस सुन्दर रूप में प्रकाशित करने का साहस किया है। इस सुन्दर रूप में ग्रन्थ को प्रकाशित करने में शर्मा जी ने जो दलायनीय साहस किया है उसके लिए वह हम सबकी वधाई के पात्र हैं।

श्री नगेंद्र जी का आभार तो और भी अधिक है क्योंकि उन्होंने इस ग्रन्थ के प्रणयन और प्रकाशन में इतनी अधिक दिलचस्पी दिखाई है मानों यह उनकी ही अपनी कोई वृत्ति हो। उन्होंने अत्यन्त अध्यवसायपूर्वक

इस ग्रन्थ की विस्तृत भूमिका लिखी है जिसमें पौरस्त्य और पाश्चात्य दोनों प्रकार की आलोचना-पद्धतियों का समन्वय करते हुए प्राचीन ध्वनि-सिद्धान्त का आधुनिक ढंग से व्याख्यान किया है। मुझे विश्वास है कि उन जैसे मर्मज्ञ आलोचक की भूमिका के साथ आज के पाठक को 'हिन्दी ध्वन्यालोक' और भी ग्राह्य हो सकेगा।

गुरुवर श्री काशीनाथ जी महाराज, श्री प० हरिनाथ जी शास्त्री, श्री पं० राममुख जी साहित्याचार्य एवं पूज्य श्री गोस्वामी दामोदरलाल जी महाराज जिन के चरणों में बैठ कर मुझे विविध शास्त्रों का अभ्यास एवं इस ग्रन्थ के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आज इस संसार में नहीं है। यदि वे होते तो इस कृति को देखकर अत्यन्त प्रसन्न होते। आज गुरु-पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर उनके चरणों में न सही उनकी पुण्य स्मृति में ही इस ग्रन्थ को विद्वज्जनों के करकमलो में समर्पित करके—

“जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा ॥”

ग्रन्थ में सम्भवतः कुछ त्रुटियाँ रह गई हों, विद्वान् पाठक यदि उनका निर्देश करेंगे तो मुझ पर आभार होगा और भ्रगले सस्करण में उनको दूर करने का यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा।

गुरु-पूर्णिमा
स० २००६

विश्वेश्वर
गुरुकुल विश्वविद्यालय, बुन्दावन

ध्वन्यालोक

तथा श्रालोकदीपिका की

विषय-सूची

प्रथम उद्योत

(पृ० १-६५ तक)

(अ) मङ्गलाचरण

३

मङ्गलाचरण की उपयोगिता । मङ्गलाचरण के तीन भेद ।
मङ्गल का कर्ता व्याख्याता श्रोता मे मग्ध्व ।

३. ध्वनि विषयक त्रिविध विप्रतिपत्ति तथा प्रन्यारम्भ का प्रयोजन
[का० १]

५

ध्वनि विरोधी तीनों पक्षों का प्राचीन आधार । उन तीनों पक्षों
का विपर्यय, सन्देह तथा अज्ञानमूलकत्व तथा उपादेयता तारतम्य ।

अभाववादी (प्रथम) पक्ष के तीन भेद

६

(अ) गुणालङ्कारा ध्यतिरिक्तत्व । (ब) प्रवादमानत्व ।

(स) गुणालङ्कारान्तर्भाव । अभाववादी पक्ष का श्लोक
द्वारा उपसंहार ।

भक्तिवादी (द्वितीय) पक्ष का निरूपण

१२

'भक्ति' पद की चतुर्विध व्याख्या । लक्षणा और गुण-
वृत्ति विषयक भीमासक मन । 'गुणवृत्ति' पद की शब्द,
अर्थ तथा व्यापार परक त्रिविध व्याख्या । 'भावतमाहुस्ममन्ये'
का सामानाधिकरण्य और उममे सूचित तादात्म्य का
प्रयोजन ।

अतलक्षणीयतावादी (तृतीय) पक्ष

१४

ध्वनि निरूपण का प्रयोजन

१४

प्रथम कारिका के पदों का पदकृत्य । रसध्वनि के आधान्य तथा ग्रन्थकार की प्रतिष्ठा की सूचना । 'लक्षयता' पद की लोचन व्याख्या की आलोचना । अनुबन्ध चतुष्टय और उनका आधार । ध्वन्यालोक के अनुबन्ध चतुष्टय ।

२. ध्वनि सिद्धान्त की भूमिका [का० २]

१७

द्वितीय कारिका की व्याख्या में साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ की भ्रान्ति, उसका वीज और कारिका की व्याख्या का वैशिष्ट्य । प्रतीयमान अर्थ की अनपह्लवनीयता ।

३. ग्रन्थ में वाच्य [अलङ्कारादि] के प्रतिपादन का अभाव [का० ३]

१८

वाच्य पद की अलङ्कारवोधकता ।

४. प्रतीयमान अर्थ का वाच्यव्यतिरिक्तत्व [का० ४]

१९

प्रतीयमान अर्थ के वस्तु, अलङ्कार और रसादि रूप तीन भेद

२०

(प्रथम भेद) वस्तु ध्वनि की वाच्यभिन्नता के छोटक पांच उदाहरण

२०

वाच्य और व्यङ्ग्य के स्वरूप भेद प्रदर्शक चार उदाहरण । प्रथम उदाहरण में विध्यर्थ निरूपण । मीमांसकों की शाब्दी तथा आर्थी भावना । मीमांसक मत में प्रवर्तना का विध्यर्थत्व । प्रकृत में प्रतिप्रसव की विध्यर्थता । चतुर्थ उदाहरण की त्रिविध व्याख्या । विषय भेद परक पञ्चम उदाहरण । पञ्चम उदाहरण में वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थों के विषय भेद का निरूपण ।

(द्वितीय भेद) अलङ्कार ध्वनि की वाच्यभिन्नता का सकेत

२६

(तृतीय भेद) रसादि ध्वनि का वाच्यभिन्नत्व

२६

,अभिधा शक्ति से व्यङ्ग्यबोध का निराकरण । अभिहितान्वयवाद में अभिमत तात्पर्याश्वा शक्ति में व्यङ्ग्यबोध का निराकरण । अन्विताभिधानवाद और व्यङ्ग्यार्थवाद । अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद का भेद । व्यङ्ग्यबोधक में उन दोनों की अक्षमता । अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद के प्रवर्तक भट्ट तथा प्रभाकर का परिचय । भट्ट सोल्लट का रस सिद्धान्त और उसकी आलोचना । धनञ्जय का प्रतीयमान अर्थ विषय सिद्धान्त

और उसकी आलोचना । लक्षणा से प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति का निराकरण । विशिष्ट लक्षणावाद का निराकरण । अखण्डार्थतावादी वेदान्तमत । अखण्डार्थतावादी बंधाकरण-
मत । वाच्यार्थ व्यङ्ग्यार्थ का भेद । महिम भट्ट का अनु-
मितिवाद और उसका निराकरण ।

- ४ इतिहास द्वारा रस के काव्यात्मत्व का उपपादन [का० ५] ४३
आदि कवि वाल्मीकि के श्लोक की ध्वन्यालोक तथा लोचन कृत
व्याख्या में असद्गति और उसने निराकरणार्थ विशेष व्याख्या ।
६. महाकवियों की प्रतिभा का श्रोतक [का० ६] ४५
- ७ प्रतीयमान अर्थ का सहृदयसवेष्टत्व [का० ७] ४६
स्वर ध्रुति आदि के लक्षण । प्रत्यभिज्ञा का लक्षण । श्री उत्पल-
पादाचार्य का प्रत्यभिज्ञादर्शन ।
८. व्यङ्ग्य-व्यञ्जक की पहिचान आवश्यक [का० ८] ४७
९. व्यङ्ग्य का प्राधान्य होने पर भी वाचक के प्रथम उपादान करने
का सहेतुक सदृष्टान्त उपपादन [का० ९] ५०
१०. व्यङ्ग्यार्थ का वाच्यार्थ प्रतीतिपूर्वकत्व [का० १०] ५१
रस ध्वनि की असलक्षणमव्यङ्ग्यता
- ११, १२ वाच्य की प्रथम प्रतीति होने पर भी व्यङ्ग्यार्थ के प्राधान्य का
उपपादन [का० ११, १२] ५२
योग्यता, आभाशा, आसक्ति के लक्षण
१३. ध्वनि काव्य का लक्षण [का० १३] ५३
ध्वनि की गुणानुसाररूपता का खण्डन । ध्वनि के अलङ्कारान्तर्भाव
का निराकरण । समासोक्ति, आशेष आदि अलङ्कार में व्यङ्ग्य
की प्रतीति होने पर भी उनका प्राधान्य न होने से उन अलङ्कार
में ध्वनि के अन्तर्भाव का उदाहरण महिम निराकरा । इसके
उपपादनार्थ उन अलङ्कारों का उदाहरण विवेचन ।
- समासोक्ति में व्यङ्ग्य की अपेक्षा वाच्य के प्राधान्य का उपपादन ५६
समासोक्ति का भासह कृत महत्त्व ।
- आशेष अलङ्कार में भी व्यङ्ग्य की अपेक्षा वाच्य के आदत्त का
उपपादन । ५९
आशेष अलङ्कार का भासत्त्व लक्षण । भासह तथा वामन
के आशेष अलङ्कार की गुणता । वामन के आशेषालङ्कार और

नवीन आचार्यों के प्रतीपालङ्कार की तुलना । वामन के आक्षेपालङ्कार की भामह के समासोक्ति अलङ्कार से तुलना । दीपक अपन्हृति आदि में व्यङ्ग्य प्रतीत होने पर भी अशिवक्षित होने से उसका अप्राधान्य

६१

भामह कृत दीपक के तीन भेद । अपन्हृति का भामहोक्त लक्षण ।

अनुवतनिमित्तक विशेषोक्ति अलङ्कार में व्यङ्ग्यकृत चारत्व-प्रतीति का अभाव

६३

विशेषोक्ति का लक्षण और उसके तीन भेद ।

पर्यायोक्त अलङ्कार में यदि व्यङ्ग्य का प्राधान्य भी हो तो उसका ध्वनि में अन्तर्भाव हो सकता है । ध्वनि का उस अलङ्कार में अन्तर्भाव नहीं हो सकता

६५

पर्यायोक्त अलङ्कार का भामह कृत लक्षण उदाहरण और उसके व्यङ्ग्य की अप्रधानता ।

अपन्हृति तथा दीपक अलङ्कारों में वाच्य के प्राधान्य का उपपादन

६५

सङ्करालङ्कार में उसका सङ्कर नाम ही व्यङ्ग्य की प्रधानता का निराकरण कर देता है फिर भी यदि कहीं प्राधान्य हो तो उसका ध्वनि में अन्तर्भाव हो सकता है । ध्वनि के महा विषय होने पर उसका अन्तर्भाव अलङ्कार में नहीं हो सकता है । इसका उपपादन

६८

सङ्करालङ्कार का लक्षण और नवीन आचार्यों द्वारा कृत तीन भेद । भामह एव भट्टोज्झट कृत सङ्करालङ्कार के चार भेद और उनके उदाहरण । सङ्करालङ्कार में व्यङ्ग्य के सम्भावित प्राधान्य का उदाहरण ।

अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार में ध्वनि के अन्तर्भाव का खण्डन

७२

अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार का लक्षण और उसके पाँच भेद । उनमें से पञ्चम भेद के तीन अर्थान्तर भेद । भामह कृत

अप्रस्तुतप्रशसा का लक्षण तथा उदाहरण । ध्वनि को अलङ्कारों में अन्तर्भाव मानने वाले पूर्वपक्ष के निराकरण का

उपमहार । ध्वनि के अभाववादी प्रथम पक्ष के तीनों अर्थान्तर

पूर्वपक्षों के निराकरण का उपमहार । ध्वनि शब्द के प्रयोग का ऐतिहासिक विवेचन । शब्द की उत्पत्ति और

प्रक्रिया । वीचि-तरङ्ग-न्याय और कदम्ब-मुकुल-न्याय । स्फोट-
वाद का परिचय । वैयाकरणों के ध्वनि शब्द का साहित्य-
शास्त्र में प्रयोग का आधार । ध्वनि के अविवक्षितवाच्य
तथा विवक्षितान्यपरवाच्य रूप दो भेद और उन दोनों
के उदाहरण । ध्वनि विरोधी तीनों पक्षों का खण्डन किए
बिना पहिले ही उसके विभाग करने लगने का उपपादन ।

१४. ध्वनि विरोधी द्वितीय पक्ष भक्तिवाद का निराकरण [का० १४] ८१
भक्तिवाद के तीन विकल्प—(अ) भक्ति तथा ध्वनि की पर्याय-
रूपता, (ब) भक्ति का ध्वनि लक्षणत्व, (स) भक्ति ध्वनि का
उपलक्षण । लक्षण, उपलक्षण, विशेषण का भेद । भक्ति को
ध्वनि का लक्षण मानने में अतिव्याप्ति दोष के उपपादनार्थं ध्वनि
के अभाव में भी भाक्त व्यवहार प्रदर्शक पाँच उदाहरण ।
१५. उक्त उदाहरणों में भाक्त व्यवहार के होते हुए भी ध्वनि के अभाव
के उपपादनार्थं ध्वनि विषय का निर्देश [का० १५] ८६
१६. रुडि लक्षणास्यल में भक्ति या लक्षणा के होते हुए भी व्यङ्ग्य
प्रयोजन का अभाव प्रदर्शन [का० १६] ८६
१७. प्रयोजनवती लक्षणा में व्यङ्ग्य प्रयोजन होने पर भी उस फल का
लक्षणा से अगम्यत्व प्रदर्शन [का० १७] ८७
रुडिलक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा अथवा विशिष्ट लक्षणा द्वारा
प्रयोजन का बोध असंभव होने से उसकी व्यङ्ग्यता अनिवार्य ।
१८. भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अतिव्याप्ति दोष [का० १८] ९१
लक्षणा तथा गौणी का भेद । अतिव्याप्ति दोष के समाधान का
प्रयत्न और उसका निराकरण । रस ध्वनि के अनुमानगम्यत्व का
निराकरण ।
१९. भक्ति के कहीं उपलक्षण होने पर भी ध्वनि उसके अन्तर्गत नहा
[का० १९] ९४
ध्वनि विरोधी तृतीय अलक्षणीयता पक्ष का निराकरण ।

द्वितीय उद्योत

[पृ० ६६—२१० तक]

१. अविकसितवाच्य (लक्षणामूल) ध्वनि के अर्थान्तरसन्नमित-
वाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दो भेद [का० १] ६६
अर्थान्तरसन्नमितत्व तथा अत्यन्ततिरस्कृतत्व का आधार। अर्था-
न्तरसन्नमित के दो उदाहरण। अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य के दो
उदाहरण।
२. विकसितवाच्य (अभिधामूल) ध्वनि के असलक्ष्यक्य और सलक्ष्य-
क्यम व्यङ्ग्य दो भेद [का० २] १०३
३. असलक्ष्यक्य व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि [का० ३] १०४
रस प्रक्रिया। स्थायी भाव और उनके वर्गीकरण का आधार।
आलम्बन और उद्दीपन विभाव। अनुभाव। अभिचारी भाव।
रसास्वाद और रस सग्या। शान्त रस की स्थिति। रसानुभव-
कालीन चतुर्विध चित्तवृत्ति। रस-चतुष्टयवाद। भट्ट लोल्लट की
आलोचना। श्री शङ्कुक का अनुमितिवाद। शङ्कुक के अनुमिति-
वाद की आलोचना। भट्ट नामक का भोजकत्ववाद और उसकी
आलोचना। श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य का अभिव्यक्तिवाद।
अन्य मत। वाच्य रस। काव्य रस। भाव। रसाभास तथा
भावाभास।
४. रसबदलद्वार से ध्वनि के भेद प्रदर्शनाय ध्वनि विषय का निर्देश
[का० ४] ११८
५. रसबदलद्वार और ध्वनि के भेद प्रदर्शनाय रसबदलद्वार का विषय
निर्देश [का० ५] ११९
शुद्ध रसबदलद्वार का उदाहरण। सङ्कीर्ण रसबदलद्वार का
उदाहरण। ध्वनि तथा रसबदलद्वार का विषय भेद। रसा का
परस्पर विरोधाविरोध। विरोधी रसा के अविरोध सम्पादन का
उपाय। सप्टरस या सञ्चारी रस। रसबदलद्वार विषयक मत-
भेद। रसबदलद्वार तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य। ध्वनि, उपमादि तथा
रसबदलद्वार। ग्रन्थों के मत में चेतन व्यापार में ही रसबद-
लद्वार मानने पर अचेतन वरुण परक काव्य की नीरसत्व
प्रमक्ति। इस प्रकार के तीन उदाहरण जिनमें रसानुभूति होने

हुए भी अचेतन वस्तु वर्णन परक होने से नीरसत्व प्राप्त होता है ।
अतएव रसादि की अङ्गता में रसवदलङ्कारत्व तथा उनकी प्रधानता में ध्वनित्व का सिद्धान्त ।

- ✓ ६. गुण तथा अलङ्कारों का अलङ्कार्य ध्वनि से तथा परस्पर भेद प्रदर्शन [का० ६] १३०
सिद्धान्त पक्ष । वामन मत । भामह मत । नव्य मत ।
७. माधुर्य गुण का प्रधान विषय शृङ्गार [का० ७] १३२
एवकारस्निघा मत ।
- ✓ ८. सम्भोग, विप्रलम्भ शृङ्गार और करुण रस में माधुर्य का उत्तरोत्तर उत्कर्ष [का० ८] १३४
प्राचीन दश गुणा का तीन गुणों में अन्तर्भाव प्रदर्शक चित्र ।
- ✓ ९. रीतिरसों में श्लोक की स्थिति [का० ९] १३६
दीर्घ समास वाली रचना से युक्त श्लोक प्रकाशक उदाहरण । दीर्घ समासादि रहित श्लोक प्रकाशक उदाहरण ।
१०. प्रसाद गुण का सर्वरससाधारणत्व [का० १०] १३८
- ✓ ११. श्रुतिदुष्टादि अनित्य दोषों का शृङ्गार में हेयत्व प्रतिपादन [का० ११] १३९
१२. रसादि ध्वनि के भेदों का आनन्द्य [का० १२] १४०
सम्भोग शृङ्गार तथा विप्रलम्भ शृङ्गार के अन्तर्गत भेदों का प्रतिपादन ।
१३. दिङ्मान प्रदर्शन [का० १३] १४१
१४. शृङ्गार में अनुप्रास का व्यञ्जकत्वाभाव [का० १४] १४२
१५. शृङ्गार में और विशेषतः विप्रलम्भ शृङ्गार में यमकादि का प्रतिषेध [का० १५] १४२
आदि शब्द के चार अर्थ । आदि पद से ग्राह्य सम्भङ्ग, अम्भङ्ग श्लेष ।
१६. शृङ्गारादि में अप्रयत्नसम्पाद्य अलङ्कार ही प्रयुक्त होना चाहिए [का० १६] १४५
अप्रयत्ननिर्वर्त्य अलङ्कार का उदाहरण । इसी विषय के सप्रह श्लोक ।
१७. शृङ्गारादि में समीक्ष्य विनिवेशित रूपकादि ही वस्तुतः अलङ्कार होते हैं [का० १७] १४९

१६. अलङ्कारों के सन्निवेश की समीक्षा का प्रकार [का० १८, १९] ११
 तत्परत्वेन विवक्षा का उदाहरण । नाङ्गित्वेन का उदाहरण ।
 अवसर पर ग्रहण का उदाहरण । अवसर पर परित्याग का उदा-
 हरण । सङ्कर तथा ससृष्टि का विषय-भेद । नातिनिर्वहणंपिता
 का उदाहरण । अत्यन्त निर्वाह होने पर यत्नपूर्वक अलङ्कार
 के अङ्गत्व का उदाहरण ।
२०. सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के शब्दशक्त्युत्थ तथा अर्थशक्त्युत्थ भेद [का० २०] १६
- २१ शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि [का० २१] १६
 शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि तथा श्लेष । अलङ्कार की विषय-व्यवस्था ।
 अलङ्कारान्तर की वाच्यता में श्लेष और व्यङ्ग्यता में ध्वनि
 व्यवस्था । शब्द शक्ति से अलङ्कारान्तर की वाच्यता के ४ उदा-
 हरण जिनमें द्वितीयार्थ के अभिधा से बोध होने का साधक
 प्रमाण है । अभिधा नियामक हेतु के, प्रबलतर बाधकवशा अकि-
 ञ्चित्कर हो जाने से अर्थान्तर की वाच्यता का १ उदाहरण ।
 शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि के उदाहरण । द्वितीयार्थ प्रतीति के विषय
 में तीन मिदान्त । शब्दशक्तिमूल उपमा ध्वनि का १ और
 उदाहरण । शब्दशक्तिमूल विरोधालङ्कार ध्वनि के ३ उदा-
 हरण । शब्दशक्तिमूल व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि का उदाहरण ।
२२. अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि [का० २२] १८
 अर्थशक्त्युद्भव सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का उदाहरण । असलक्ष्यक्रम
 व्यङ्ग्य से इसका भेद । उक्ति निवेदित वाच्य सिद्धव्यङ्ग्य व्यङ्ग्य ।
 इस ध्वनि का विषय नहीं होता इसका उदाहरण ।
२३. स्व शब्द से निवेदित अर्थ, शब्दशक्त्युद्भव अथवा अर्थशक्त्युद्भव
 ध्वनि नहीं रहता, वाच्य सिद्धव्यङ्ग्य गुणीभूत व्यङ्ग्य हो जाता है [का० २३] १८
 शब्दशक्त्युद्भव का उदाहरण । अर्थशक्त्युद्भव का उदाहरण ।
२४. अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के स्वतःसम्भवी तथा प्रौढोक्ति सिद्ध
 भेद [का० २४] १८
 कविप्रौढोक्तिमिद्ध वन्धुध्वनि का उदाहरण । कविनिवृद्ध-
 प्रौढोक्तिमिद्ध वन्धुध्वनि के उदाहरण का भवेन । स्वतःसम्भवी
 वन्धुध्वनि के २ उदाहरण ।

२५. अर्थशक्त्युद्भव अलङ्कार ध्वनि [का० २५] १६०
२६. अलङ्कार ध्वनि की बहुविधता [का० २६] १६१
- २७ अलङ्कार के व्यङ्ग्य होने पर भी, वाच्य के व्यङ्ग्यपरक होने पर ध्वनि नहीं [का० २७] १६१
- इसका उदाहरण । वाच्य अलङ्कार के व्यङ्ग्यपर होने पर ही ध्वनि व्यवहार के रूपक ध्वनि के २ उदाहरण । उपमा ध्वनि के २ उदाहरण । आशेष ध्वनि का उदाहरण । शब्दशक्तिमूल अर्थान्तरन्यास ध्वनि का उदाहरण । अर्थशक्तिमूल अर्थान्तरन्यास ध्वनि का उदाहरण । शब्दशक्तिमूल व्यतिरेक ध्वनि का उदाहरण । उत्प्रेक्षा ध्वनि का उदाहरण । उत्प्रेक्षा वाचक शब्दों के अभाव में भी उत्प्रेक्षा के समर्थक दो उदाहरण । अर्थशक्त्युद्भव श्लेष ध्वनि का उदाहरण ।
२८. ध्वन्यङ्गता से अलङ्कारों का चादत्वोत्कर्ष [का० २८] २०४
- २९ वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य होने पर ध्वनित्व [का० २९] २०४
३०. अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य होने पर ध्वनित्व [का० ३०] २०५
३१. ध्वन्याभास या गुणीभूतव्यङ्ग्य [का० ३१] २०६
- ध्वन्याभास के दो उदाहरण । वाच्यार्थ के पुनः प्रतीयमान का अङ्ग होने पर ध्वनित्व ही होता है इसका, उदाहरण ।
३२. अविवक्षित वाच्य [लक्षणामूल] ध्वनि का [गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व] आभासत्व [का० ३२] २०६
३३. केवल व्यङ्ग्य प्राधान्य ही ध्वनि का लक्षण [का० ३३] २१०

तृतीय उद्योत

[पृ० २११—३४०]

- १ अविवक्षित वाच्य [२ भेद] और विवक्षित वाच्य के सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [१५ भेद] की पदप्रकाशता तथा वाक्यप्रकाशता रूप दो भेद [का० १] २११
- अविवक्षित वाच्य के अत्यन्त निरम्बृत वाच्य भेद की पद प्रकाशता के ३ उदाहरण । अविवक्षित वाच्य के अर्थान्तर सप्रमित वाच्य भेद की पद प्रकाशता के २ उदाहरण । अविवक्षित के अत्यन्त-

तिरस्कृत वाच्य भेद की वाक्यप्रकाशता का एक उदाहरण । अवि-
वक्षित व अर्थान्तरसनमितवाच्य की वाक्यप्रकाशता का उदा-
हरण । विवक्षितवाच्य के शब्दशक्त्युद्भव भेद में पदप्रकाशता
का उदाहरण । विवक्षितवाच्य के शब्दशक्त्युद्भव भेद में वाक्य-
प्रकाशता का उदाहरण । विवक्षितवाच्य के अर्थशक्त्युद्भव भेद
के अन्तर्गत कविप्रौढोक्तिसिद्ध प्रभेद की पदप्रकाशता का उदा-
हरण । विवक्षितवाच्य के अर्थशक्त्युद्भव भेद के अन्तर्गत कवि-
प्रौढोक्तिसिद्ध भेद की वाक्यप्रकाशता का उदाहरण । विवक्षित-
वाच्य के अर्थशक्त्युद्भव भेद के अन्तर्गत स्वत सम्भवी की पद-
प्रकाशता का उदाहरण । विवक्षितवाच्य के अर्थशक्त्युद्भव भेद
के अन्तर्गत स्वत सम्भवी की वाक्यप्रकाशता का उदाहरण ।
ध्वनि की पदप्रकाशता का उपपादन ।

२. असलक्ष्यनम व्यङ्ग्य के प्रकाशक के चार भेद [का० २] २२
- ३-४ वर्यों की रसद्योतकता [का० ३-४] २६
पदों की असलक्ष्यनम रसद्योतकता का उदाहरण । पदावयव की
रसद्योतकता का उदाहरण । वाक्यप्रकाश असलक्ष्यनम व्यङ्ग्य
के शुद्ध तथा सङ्कीर्ण भेदों के उदाहरण ।
५. त्रिविध सङ्घटना [का० ५] २२६
रीति, सङ्घटना, मार्ग शैली का ऐतिहासिक विश्लेषण ।
६. सङ्घटना की रसव्यञ्जकता [का० ६] २३१-२४३
सङ्घटना तथा गुणों के साम्य विषयक तीन मत । गुण तथा
सङ्घटना का अभेदवादी वामन मत । गुण तथा सङ्घटना के भेद-
वादी पक्ष में गुणों को सङ्घटनाश्रित मानने वाला भट्टोद्भट मत ।
सङ्घटना को गुणाश्रित मानने वाला सिद्धान्त पक्ष । वामन तथा
उद्भट के प्रथम तथा द्वितीय मत में गुणों के विषय नियम का
व्यभिचार दोष । उसके उपपादन के लिए शृङ्गार में दीर्घसमासा
रचना के दो उदाहरण । तथा रौद्र में असमासा रचना के दो
उदाहरण । गुणों के सङ्घटनास्वरूप तथा सङ्घटनाश्रयत्व का
खण्डन तथा रसाश्रितत्व का समर्थन । गुणों के शब्दाश्रितत्व का
वैकल्पिक समाधान और शब्दालङ्कारों में गुणों का भेद । श्लोक
गुण का अनियत सङ्घटनाश्रितत्व । अव्युत्पत्तिवृत्त दोष कवि की

प्रतिभा के बल से दब जाना है। सङ्घटना का नियामक वक्ता, वाच्य आदि का औचित्य। कवि या कविनिबद्ध वक्ता के रसभाव-रहित होने पर रचना का बीमाचार, रसभाव समन्वित होने पर सङ्घटना का नियम। प्रमाद गुण का सर्वरससाधारणत्व।

७. रचना का नियामक विषयाश्रित औचित्य [का० ७] २४८
 वाच्य के प्रबन्ध, मुक्तक, आदि भेद। पर्यायबन्ध आदि भेदा में रचना के नियम।
८. पद्यात्मक काव्यों के नियामक औचित्य ही, गद्य रचना के भी नियामक [का० ८] २५४
९. रसबन्धोक्त औचित्य में, विषय भेद से किञ्चित् परिवर्तन [का० ९] २५४
- १०-१४. प्रबन्ध में असलश्यक्रम रसादि ध्वनि के व्यञ्जकत्व के पांच प्रकार [का० १०-१४] २५६-२५७
- दिव्य, मानुष्य, उत्तम, मध्यम प्रकृति के पात्रों के अनुरूप स्थायी-भावों का वर्णन ही विभावादि का औचित्य है। उत्तम प्रकृति के नायक आदि के श्रेष्ठ शृङ्गार वर्णन का निषेध। ऐतिहासिक कथा में भी रस के अनुरूप परिवर्तन करने की अनुमति। नाटक आदि में भी केवल शास्त्रीय मर्यादा के पालन के लिए सन्ध्यङ्गादि रचना का निषेध। भवसर पर रसा का उचित उद्दीपन और प्रकाशन तथा अनङ्कारा के अनिश्चय प्रयोग का निषेध।
१५. सलश्यक्रम व्यञ्जक ध्वनि से भी असलश्यक्रम व्यञ्जक रसादि ध्वनि अभिव्यक्त होती हैं [का० १५] २६७
 इसके चार उदाहरण।
१६. मुप, तिड्, यचन, कृत्, तद्धित, समास, कारक आदि से रसादि की प्रकाशता [का० १६] २७०
 मुवादि के व्यञ्जकत्व के १६ उदाहरण। शब्दों के रग व्यञ्जकत्व का उदाहरण। प्रबन्ध तथा मुक्तकों में रसबन्धायं।
१७. रस विरोधियों के परिहार की आवश्यकता [का० १७] २८८
- १८-१९. पांच प्रकार के रस विरोधी तत्त्व [का० १८-१९] २८९
२०. विरोधी रसों अथवा रसाङ्गों के सहसन्निवेश के दो नियम [का० २०] २९६
 विदग्ध शृङ्गार में दुःख की अङ्गता का निषेध। वाच्यरसने

विरोधी रस के सह समावेश के २ उदाहरण । स्वाभाविक और समारोपित अङ्गभाव प्राप्ति के उदाहरण । दो विरोधी रसाङ्गो की तीसरे प्रधान रस के अङ्ग रूप में वर्णन की अदोपता । अनुवादास में विरोध की अदापता । नाटक में विरुद्ध रसाङ्गो के अभिनय का प्रकार । स्मर्यमाण विरोधी रसाङ्गो की अदोपता ।

२१. एक रस की प्रधानता अविरोध का मुख्य उपाय [का० २१] ३१२
२२. अनेक रसों में एक की अङ्गिता का उपपादन [का० २२] ३१३
२३. प्रधान रस का अन्य रसो द्वारा पोषण [का० २३] ३१३
२४. रस विरोध के परिहार का द्वितीय उपाय, विरोधी रस के परिपोषण का अभाव [का० २४] ३१६
२५. रस विरोध परिहार का तृतीय उपाय एकाध्य विरोधी का भिन्नाश्रयत्व [का० २५] ३२१
२६. विरोधी रसों के बीच में दोनो के अविरोधी रस से व्यवधान चतुर्थ प्रकार [का० २६] ३२३
२७. रसान्तर से व्यवधान होने पर विरोधी रसों का अविरोध [का० २७] ३२६
२८. रसो के विरोधाविरोध का उपहार [का० २८] ३२७
२९. शृङ्गार में विरोध परिहार अनिवार्य [का० २९] ३२८
३०. विरोधी रसों में भी शृङ्गार का पुट सम्भव [का० ३०] ३२८
३१. विरोधाविरोध के ज्ञान से व्यामोहनाश [का० ३१] ३३१
३२. रसानुगुण अर्थार्थ योजना कवि का मुख्य कर्म [का० ३२] ३३१
३३. द्विविध वृत्तिया [का० ३३] ३३२
- वाच्य और व्यङ्ग्य की सहप्रतीति का पूर्वपक्ष और उगवा समाधान । वाच्य और व्यङ्ग्य प्रतीति में श्रम का उपपादन । व्यञ्जकत्व के निपरीत मीमांसक आदि का पूर्वपक्ष और उगवा समाधान । अभिधा और व्यञ्जना का वाच्यभेद । अभिधा और व्यञ्जना का रूप भेद । पदार्थान्वयान्वय के अर्थन द्वारा तात्पर्यागति से व्यञ्जना का भेद निश्चय । गुण प्रधान भेद तथा आध्यय भेद से वाच्य और व्यङ्ग्य का भेद । 'अभिधा' और गुणवृत्ति लक्षणा का रूप भेद से भेद । अभिधा और लक्षणा का विषय भेद । अभिधा, लक्षणा व्यञ्जना तीन अभिधा को स्थापना । अविशिष्ट वाच्य ध्वनि का गुणवृत्ति लक्षणा में

अभेद का पूर्वपक्ष । इसका समाधान । गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का भेद । वाचकत्व व्यञ्जकत्व का स्वाभाविकत्व तथा औपाधिकत्व कृत भेद । लिङ्गत्व न्याय से अभिधा व्यञ्जना का भेद । शब्दार्थ का नित्य सम्बन्ध मानने वाले मीमांसक के मत में भी व्यञ्जकत्व रूप औपाधिक सम्बन्ध का उपपादन । मीमांसक मत में व्यञ्जकत्व का अविरोध । वैयाकरण तथा नैयायिक मत में व्यञ्जकत्व का अविरोध । व्यङ्ग्य की अनुमेयता विषयक पूर्वपक्ष । उसका १ प्रौढिवाद से और २ यथार्थ उत्तर । शब्दों का अनुमेय तथा प्रतिपाद्य द्विविध विषय । प्रतिपाद्य विषय के वाच्य और व्यङ्ग्य दो भेद । व्यङ्ग्यार्थ का शब्द सम्बन्धित्व । व्यञ्जकत्व का लिङ्गत्व अनावश्यक । स्वतः परतः प्रामाण्य वाद ।

३४. अनुमेय अभिप्राय आदि व्यङ्ग्य ध्वनि नहीं । ध्वनि का उपसंहार [का० ३४] ३८८
३५. गुणीभूत व्यङ्ग्य [का० ३५] ३८६
३६. गुणीभूत व्यङ्ग्य की उपादेयता [का० ३६] ३६२
३७. व्यङ्ग्य के संस्पर्श से वाच्य का चाक्षर्य [का० ३७] ३६३
अतिशयोक्ति से वाच्यालङ्कार वास्तव । अलङ्कारों की गुणीभूत व्यङ्ग्यता के नियम ।
३८. प्रतीयमान काव्य का भूषण [का० ३८] ४०३
३९. काकु से प्रकाशित गुणीभूत व्यङ्ग्य [का० ३९] ४०४
४०. गुणीभूत व्यङ्ग्य में ध्वनि योजना का निषेध [का० ४०] ४०७
४१. गुणीभूत व्यङ्ग्य की भी रसादि की आलोचना से ध्वनिरूपता सम्भव [का० ४१] ४०६
प्राधान्याप्राधान्य विवेक के अभाव में भ्रान्ति के उदाहरण । अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्य के विवक्षित, अविवक्षित, विवक्षिता-विवक्षित होने के उदाहरण ।
- ४२-४३. चित्र काव्य का लक्षण [का० ४२-४३] ४१८
चित्र काव्य की स्थिति और उसके अधिकारी की व्यवस्था ।
४४. सङ्कर संसृष्टि में ध्वनि के भेद [का० ४४] ४२६
लोचनकार के अनुसार ३५ ध्वनि भेद । काव्यप्रकाशकृत ५१ ध्वनि भेद । लोचन तथा काव्यप्रकाश के भेदों की तुलना ।

अठारह

समृष्टि सङ्कर भेद से लोचन की गणना । लोचन की एक और चिन्त्य गणना । काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण की गणना । गुणन-प्रक्रिया । सङ्कलन-प्रक्रिया । साहित्यदर्पण की सङ्कलन प्रक्रिया की शैली । सङ्कलन की लघु प्रक्रिया । काव्यप्रकाश की द्विविध शैली का कारण । स्वप्रभेद सङ्कीर्ण, स्वप्रभेद समृष्ट, गुणीभूत व्यङ्ग्य सङ्कीर्ण, गुणीभूत व्यङ्ग्य समृष्ट, वाच्यलङ्कार सङ्कीर्ण, वाच्यलङ्कार समृष्ट, समृष्टलङ्कार सङ्कीर्ण, समृष्टलङ्कार समृष्ट ध्वनि के ८ उदाहरण ।

४५. ध्वनि के भेद-प्रभेदों की गणना अशक्य होने से यह विद्मन्त्र प्रदर्शन है [का० ४५] ४४७
४६. सत्काव्य के करने या समझने के लिए ध्वनितत्व का परिज्ञान आवश्यक है [का० ४६] ४४७
४७. ध्वनितत्व को स्पष्ट रूप में न समझने के कारण ही पूर्वाचार्यों ने 'रोतिषा' प्रवृत्त कीं [का० ४७] ४४७
४८. ध्वनि में ही वृत्तियों का अन्तर्भाव [का० ४८] ४४८
- वामनाभिमत उपनागरिका आदि शब्दाधित, तथा भरताभिमत वैशिक्वी आदि वृत्तियों का ध्वनि में अन्तर्भाव । ध्वनि के अलक्षणीयत्व या अनाध्ययत्व का निराकरण । ध्वनि लक्षण का उपसहार ।

चतुर्थ उद्योत

[पृ० ४५४ से ४६१ तक]

१. ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य से प्रतिभा का आनन्द [का० १] ४५४
२. ध्वनि सस्पन्ध से पुरातन विषयों में नूतनता का संचार [का० २] ४५५
- अविशिन वाच्य के अत्यन्त निरस्तुत वाच्य तथा अर्थान्तर सम्प्रमिन वाच्य ध्वनि भेदों के सम्पर्क से पुराने विषय में अपूर्वता संचार के नूतनात्मक दो उदाहरण । अमनश्य व्यङ्ग्य के मर्मदा में अपूर्वता संचार के दो उदाहरण ।
- ३ इसी प्रकार से रसादि का अनुकरण [का० ३] ४५६
४. रस के सस्पन्ध से अर्थों की अपूर्वता [का० ४] ४६१

शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि, अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि, कविप्रौढोक्तिसिद्ध तथा कवि निबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध के सस्पर्श से अपूर्वत्व के चार उदाहरण ।

५. अनेक प्रकार के व्यङ्ग्यो में से रस की प्रधानता [का० ५] ४६५
 प्रबन्ध काव्य में एक ही मुख्य रस होना चाहिए । रामायण में करुण रस की मुख्यता । महाभारत में शान्त रस तथा मोक्षरूप पुरुषार्थ की मुख्यता । इस विषय पर पूर्वपक्ष और उसका समाधान ।
- ६ ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य के सम्बन्ध से काव्यार्थ ढूँी अनन्तता [का० ६] ४७३
७. वाक्यार्थ से भी अर्थ का आनन्द्य [का० ७] ४७४
 अवस्थाभेद से एक ही अर्थ के नूतनत्व का उदाहरण । अचेतन में चेतनारोप से नूतनत्व । देशभेद तथा कालभेद पर ही अर्थ का नानात्व । इस विषय में पूर्वपक्ष और उसका समाधान ।
- ८-१० अवस्था, देश, कालादि भेद से रसानुकूल रचना का आनन्द्य [का० ८, ९, १०] ४८३
११. अर्थों के साथ विषयों का सादृश्य कवि के लिए बोधाधायक नहीं [का० ११] ४८४
१२. प्रतिबिम्बवत्, आलोक्ष्यवत्, तुल्यबेहिषत् त्रिविध सादृश्य [का० १२] ४८५
१३. प्रथम दो सादृश्य हेय, तृतीय उपादेय [का० १३] ४८५
१४. चन्द्र के सादृश्ययुक्त मुख के सौन्दर्य के समान सादृश्य होने पर भी काव्य सौन्दर्य सम्भव [का० १४] ४८६
१५. अक्षरयोजना से विविध षाड्मय के समान परिमित अर्थों से अपरिमित काव्य [का० १५] ४८७
१६. पूर्वच्छाया से अनुगत होने पर भी सुन्दर वस्तु की रचना अनुचित नहीं [का० १६] ४८८
१७. स्वयं सरस्वती कवि की सहायक [का० १७] ४८९
 उपसहार के दो श्लोक । ४९१

—भूमिका—

ध्वनि सिद्धान्त

ले० डा० नगेन्द्र

ध्वनि-सिद्धांत (भूमिका)

- १ पूर्ववृत्त [ध्वनि सम्प्रदाय का संक्षिप्त इतिहास]
- २ ध्वनि का अर्थ और परिभाषा
- ३ ध्वनि की प्रेरणा—स्फोट सिद्धांत
- ४ ध्वनि की स्थापना
[क] व्यञ्जना का आधार
[ख] ध्वनि के विरोधी
- ५ काव्यरस का अधिवास वाच्यार्थ में या व्यङ्ग्यार्थ में ?— आचार्य शुक्ल के मत की आलोचना ।
- ६ ध्वनि के भेद—ध्वनि की व्यापकता ।
- ७ ध्वनि और रस
- ८ ध्वनि के अनुसार काव्य के भेद
- ९ ध्वनि में अन्य सिद्धांतों का समाहार
- १० ध्वनि और पाश्चात्य साहित्य
[क] ध्वनि का मनोवैज्ञानिक विवेचन
[ख] पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ध्वनि की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वीकृति :
सद्विषयक संकेतों का विश्लेषण
[प्लेटो से लेकर अधुनातन आचार्यों तक]
- ११ हिन्दी में ध्वनि-सिद्धांत की मान्यता ।
[प्राचीन तथा नवीन काव्य एवं काव्य शास्त्रों में ध्वनि विषयक मन्तव्यों का विश्लेषण विवेचन]
- १२ उपसहार ध्वनि सिद्धांत की परीक्षा
[अ] ग्रथकार
[आ] ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य विषय

भूमिका

ध्वनि सिद्धान्त

G [लेखक—डा० नगेन्द्र एम्. ए., डी. लिट्]

पूर्ववृत्त—ग्रन्थ सम्प्रदायों की भांति ध्वनि सम्प्रदाय का जन्म भी उसके प्रतिष्ठापक के जन्म से बहुत पूर्व ही हुआ था। “काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधयः समाम्नातपूर्वः”। ध्वन्यालोक १, १। अर्थात् काव्य की आत्मा ध्वनि है ऐसा मेरे पूर्ववर्ती विद्वानों का भी मत है”। वास्तव में इस सिद्धान्त के मूल संकेत ध्वनिकार के समय से बहुत पहले बंध्याकरणों के सूत्रों में स्फोट आदि के विवेचन में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन में भी व्यञ्जना एवं अभिव्यक्ति [दीपक से घर] की चर्चा बहुत प्राचीन है। ध्वनिकार से पूर्व रस, अलङ्कार और रीतिवादी आचार्य अपने-अपने सिद्धान्तों का पुष्ट प्रतिपादन कर चुके थे, और यद्यपि वे ध्वनि सिद्धान्त से पूर्णतः परिचित नहीं थे, फिर भी आनन्दवर्धन का कहना है कि वे कम से कम उसके सीमान्त तक अवश्य पहुंच गये थे। अभिनवगुप्त ने पूर्ववर्ती आचार्यों में उद्भट और वामन को साक्षी माना है। उद्भट का ग्रन्थ भामह-विवरण आज उपलब्ध नहीं है, अतएव हमें सबसे प्रथम ध्वनि-संकेत वामन के वक्रोक्ति विवेचन में ही मिलता है। वहाँ “सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्ति.” लक्षणा म जहा सादृश्य गर्भित होता है, वहा वह वक्रोक्ति कहलाती है। सादृश्य की यह व्यञ्जना ध्वनि के अन्तर्गत आती है, इसीलिए वामन को साक्षी माना गया है।

ध्वन्यालोक एक युग-प्रवर्तक ग्रन्थ था। उसके रचयिता ने अपनी असाधारण मेधा के बल पर एक ऐसे सार्वभौम सिद्धान्त को प्रतिष्ठा की जो युग-युग तक सर्वमान्य रहा। अब तक जो सिद्धान्त प्रचलित थे वे प्रायः सभी एकाङ्गी थे। अलङ्कार और रीति तो काव्य के बहिरङ्ग को ही छूकर रह जाते थे, रस सिद्धान्त भी ऐन्द्रिय आनन्द को ही सर्वस्व मानता हुआ बुद्धि और कल्पना के आनन्द के प्रति उदासीन था। इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह

था कि प्रबन्ध काव्य के साथ तो उसका सम्बन्ध ठीक बैठ जाता था, परन्तु स्फुट छन्दों के विषय में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि का सङ्गठन सर्वत्र न हो सकने के कारण कठिनाई पड़ती थी और प्रायः अत्यन्त सुन्दर पदों को भी उचित गौरव न मिल पाता था। ध्वनिकार ने इन त्रुटियों को पहिचाना और सभी का उचित परिहार करते हुए शब्द की तीसरी शक्ति व्यञ्जना पर आश्रित ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया।

ध्वनिकार ने अपने सामने दो निश्चित लक्ष्य रखे हैं—१ ध्वनिसिद्धान्त की निर्भ्रान्त शब्दों में स्थापना करना, तथा यह सिद्ध करना कि पूर्ववर्ती किसी भी सिद्धान्त के अन्तर्गत उसका समाहार नहीं हो सकता। २—रस, अलङ्कार, रीति, गुण और दोष विषयक सिद्धान्तों का सम्यक् परीक्षण करते हुए ध्वनि के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित करना और इस प्रकार काव्य के एक सर्वाङ्गपूर्ण सिद्धान्त की एक रूप-रेखा बांधना। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में ध्वनिकार सर्वथा सफल हुए हैं। यह सब होते हुए भी ध्वनि सम्प्रदाय इतना लोकप्रिय न होता यदि अभिनवगुप्त की प्रतिभा का वरदान उसे न मिलता। उनके लोचन का वही गौरव है जो महाभाष्य का। अभिनव ने अपनी तल स्पशनी प्रता और प्रौढ़ विवेचन के द्वारा ध्वनि-विषयक समस्त भ्रान्तियों और आशेषों को निर्मूल कर दिया और उपर रस की प्रतिष्ठा को अकाट्य शब्दों में स्थिर किया।

ध्वनि का अर्थ और परिमाप

ध्वनि की व्याख्या के लिए निसर्गत सबसे उपयुक्त ध्वनिकार के ही शब्द हो सकते हैं।

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसजर्नोतृत्स्वार्थो ।

व्यंक्त काव्यविशेष स ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः ॥

जहाँ अर्थ स्वयं को तथा शब्द अपने अभिधेय अर्थ को गौण करके 'उस अर्थ को' प्रकाशित करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि कहा है।

उपयुक्त कारिका की स्वयं ध्वनिकार ने ही और भाग्य व्याख्या करते हुए लिखा है— यत्रार्थो वाच्यविशेषो वाचकविशेष शब्दो वा तमर्थं व्यञ्जयति, स वाच्यविशेषो ध्वनिरिति ।

अर्थात् जहा विशिष्ट वाच्य रूप अर्थ तथा विशिष्ट वाचक रूप शब्द 'उस अर्थ को' प्रकाशित करते हैं वह काव्य विशेष ध्वनि कहलाता है ।

यहा 'तमर्थम्' 'उस अर्थ' का वर्णन पूर्व कथित दो श्लोको में किया गया है .

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥

प्रतीयमान कुछ और ही चीज है जो रमणियों के प्रसिद्ध [भूल, नंत्र, श्रोत्र, नासिकादि] अवयवो से भिन्न [उनके] लावण्य के समान महाकवियों की सूक्तियो में [वाच्य अर्थ से अलग ही] भासित होता है ।

अर्थात् 'उस अर्थ' से तात्पर्य है उस प्रतीयमान स्वादु (चवणीय, सरस) अर्थ का जो प्रतिभा जन्म है, और जो महाकवियो की वाणी में वाच्याश्रित अलङ्कार आदि से भिन्न, स्त्रियो में अवयवो से अतिरिक्त लावण्य की भांति कुछ और ही वस्तु है । अतएव यह विशिष्ट अर्थ प्रतिभाजन्म है, स्वादु [सरस] है, वाच्य से अतिरिक्त कुछ दूसरी ही वस्तु है, और प्रतीयमान है ।

सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निप्यन्दमाना महता कवीनाम् ।
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥

उस स्वादु अर्थवस्तु को बिखेरती हुई बडे-बडे कवियो की सरस्वती अलौकिक तथा अतिभासमान प्रतिभा विशेष को प्रकट करती है ।

इस पर लोचनकार की टिप्पणी है .—

सर्वत्र शब्दार्थयोर्भवयोरपि ध्वननव्यापारः । . । स [काव्य विशेष]

इति । अर्थो वा शब्दो वा, व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति शब्दोऽप्येव व्यङ्ग्यो वा ध्वन्यत इति । व्यापारो वा शब्दार्थयोर्ध्वननमिति । कारिकाया तु प्राधान्येन समुदाय एव वाच्यरूपमुल्लेखयो ध्वनिरिति प्रतिपादितम् ।

अर्थात् सबत्र शब्द और अर्थ दोनों का ही ध्वनन व्यापार होता है । . . . 'वह काव्यविशेष' का अर्थ है . अर्थ, या शब्द या व्यापार । वाच्य अर्थ भी ध्वनन करता है और शब्द भी, इसी प्रकार व्यङ्ग्य [अर्थ] भी ध्वनित होता है । अथवा शब्द अर्थ का व्यापार भी ध्वनन है । इस प्रकार कारिका के द्वारा प्रधानतया समुदाय शब्द, अर्थ—वाच्य [व्यञ्जक] अथ और व्यङ्ग्य अर्थ तथा शब्द और अर्थ का व्यापार ही ध्वनि है ।

अभिनवगुप्त के कहने का तात्पर्य यह है कि कारिका के अनुसार ध्वनि सजा केवल काव्य को ही नहीं दी गई वरन् शब्द, अर्थ और शब्द अर्थ के व्यापार इन सब को ध्वनि कहते हैं ।

ध्वनि शब्द के व्युत्पत्ति-अर्थों से भी ये पाचो भेद सिद्ध हो जाते हैं :

१ ध्वनति य स व्यञ्जक शब्द ध्वनि—जो ध्वनित करे या कराये वह व्यञ्जक शब्द ध्वनि है ।

२ ध्वनति ध्वनयति वा य स व्यञ्जकोऽर्थं. ध्वनि—जो ध्वनित करे या कराये वह व्यञ्जक अर्थ ध्वनि है ।

३. ध्वन्यते इति ध्वनि.—जो ध्वनित किया जाये वह ध्वनि है । इसमें रस, अलङ्कार और वस्तु—व्यङ्ग्य अर्थ के ये तीनों रूप आ जाते हैं ।

४. ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि—जिसके द्वारा ध्वनित किया जाये वह ध्वनि है । इससे शब्द अर्थ के व्यापार—व्यञ्जना आदि शक्तियों का बोध होता है ।

५ ध्वयतेऽस्मिन्निति ध्वनि—जिसमें वस्तु, अलङ्कार रसादि ध्वनित हो उस वाच्य को ध्वनि कहते हैं ।

इस प्रकार ध्वनि का प्रयोग पाच भिन्न-भिन्न परन्तु परस्पर सम्बद्ध अर्थों में होता है . १ व्यञ्जक शब्द, २. व्यञ्जक अर्थ, ३ व्यङ्ग्य अर्थ, व्यञ्जना [व्यञ्जना व्यापार] और व्यङ्ग्य प्रधान काव्य ।

संक्षेप में ध्वनि का अर्थ है व्यङ्ग्य, परन्तु पारिभाषिक रूप में यह व्यङ्ग्य वाच्यतिशायी होना चाहिए वाच्यतिशायिनि व्यङ्ग्ये ध्वनि [साहित्य दर्पण] । इस आतिशय अथवा प्राधान्य का आधार है चाक्षुष अथवा रमणीयता का उक्त्य 'चाक्षुषोत्वय निबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग्ययो प्राधान्यविवक्षा' [ध्वन्या-लोक] । अतएव वाच्यतिशायी का अर्थ हुआ वाच्य से अधिक रमणीय—और ध्वनि का सशिक्षित लक्षण हुआ "वाच्य से अधिक रमणीय व्यङ्ग्य को ध्वनि कहते हैं ।"

ध्वनि की प्रेरणा—स्फोट मिद्वान्त

ध्वनि मिद्वान्त की प्रेरणा ध्वनिवार को संवाचरणों के स्फोट सिद्धांत से मिली है । उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'गुरिभि बधित' में

सूरिभि (विद्वानो द्वारा) से अभिप्राय वंयाकरणो से हैं क्योंकि वंयाकरण ही पहले विद्वान हैं और व्याकरण ही सब विद्याओ का मूल है। वे श्रूपमाण (सुने जाते हुए) वणों में ध्वनि का व्यवहार करते हैं।

लोचनकार ने इस प्रसंग को और स्पष्ट किया है। उन्होंने वंयाकरणो के स्फोट सिद्धान्त के साथ आलकारिको के इस ध्वनि सिद्धान्त का पूर्णत सामंजस्य स्थापित करते हुए तदविषयक पृष्ठाधार की साङ्गोपाङ्ग व्याख्या की है। ध्वनि के पाँचों रूप—व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ, व्यञ्ज्य अर्थ, व्यञ्जना व्यापार तथा व्यञ्ज्य काव्य—सभी के लिए व्याकरण में निश्चित एव स्पष्ट सकेत हैं।

लोचनकार की टिप्पणो का व्याख्यान करने के लिए मैं अपने मित्र श्री विश्वम्भरप्रसाद डबराल की ध्वन्या- लोक टीका से दो उद्धरण देता हूँ।

“जब मनुष्य किसी शब्द का उच्चारण करता है तो थोता उसी उच्चरित शब्द को नहीं सुनता। मान लीजिये मैं आप से १० गज की दूरी पर खड़ा हूँ। आपने किसी शब्द का उच्चारण किया। मैं उसी शब्द को नहीं सुन सकता जो आपने उच्चरित किया। आपका उच्चरित शब्द मुझ के पास ही अपने दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है। दूसरा शब्द तीसरे को, तीसरा चौथे को और इस प्रकार भ्रम चलता रहता है जब तक कि मेरे कान के पास शब्द उत्पन्न न हो जावे। इस प्रकार सतत रूप में श्राये हुए शब्दज शब्द ही को मैं सुन सकता हूँ। यह शब्दज शब्द ध्वनि कहलाता है। भगवान् भर्तृहरि ने भी कहा है “य सयोगविषोषाभ्या करणैरुपजन्वते। स स्फोट शब्दज शब्दो ध्वनिरित्युच्यते ब्रह्म ॥” करणों (Vocal organs) के सयोग और विषोष (क्योंकि उनके खुलने और बन्द होने से ही आवाज पैदा होती है) से जो स्फोट उपजन्त होता है वह शब्दज शब्द विद्वानों द्वारा ध्वनि कहलाता है। वक्ता के मुख से उच्चरित शब्दों से उत्पन्न शब्द हमारे मस्तिष्क में नित्य वर्तमान स्फोट को जगा देते हैं। यही वंयाकरणो की ध्वनि है। इसी प्रकार आलकारिकों के अनुसार भी घटा-नाद के समान अनुरणन रूप, शब्द से उत्पन्न, व्यञ्ज्य अर्थ ध्वनि है।

वंयाकरणों के अनुसार “गो” शब्द का उच्चारण होने पर हम “गु ओ और (विसर्ग)” इन की पुष्यक् पुष्यक् प्रतीति करते हैं। इनकी एक साथ तो स्थिति हो नहीं सकती। यदि ऐसा हो तो पौर्वापर्य का अवकाश ही नहीं

रहेगा। तीन भिन्न शब्द एक साथ हो ही नहीं सकते। "गौः" शब्द के सुनने पर हमारे भ्रष्टिष्क में नित्य वर्तमान स्फोट रूप "गौ." की प्रतीति होती है। किन्तु इसके पहले ही केवल "गू" शब्द को सुनते ही इस प्रतीति के साथ स्फोट रूप "गौ." की अस्पष्ट प्रतीति भी होती है जो "गौ" और "ः" तक आ जाने पर पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है।" (श्री विश्वम्भरप्रसाद डबराल)

इसको आचार्य मम्मट की व्याख्या के आधार पर और स्पष्ट रूप से समझ लीजिये : गौः शब्द में "गू", 'गौ', और "ः" ये तीन वर्ण हैं। इन तीन वर्णों में से गौः का अर्थ बोध किसके द्वारा होता है ? यदि यह कहे कि प्रत्येक के उच्चारण द्वारा तो एक वर्ण ही पर्याप्त होगा, शेष दो व्यर्थ हैं। और यदि यह कहे कि तीनों वर्णों के समुदाय के उच्चारण द्वारा तो वह असम्भाव्य है, क्योंकि कोई भी वर्ण-ध्वनि दो क्षण से अधिक नहीं ठहर सकती अर्थात् विसर्ग तक आते आते 'गू' की ध्वनि का लोप होजाएगा जिसके कारण तीनों वर्णों के समुदाय की ध्वनि का एक साथ होना सम्भव न हो सकेगा। अतएव अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन के उपरान्त व्याकरणों ने स्थिर किया कि अर्थ-बोध शब्द के 'स्फोट' द्वारा होता है अर्थात् पूर्व-पूर्व वर्णों के संस्कार अन्तिम वर्ण के उच्चारण के साथ संयुक्त होकर शब्द का अर्थ-बोध कराते हैं।

"भर्तृहरि भी यही कहते हैं : 'प्रत्ययेरनुवाह्येयंप्रहणानुग्रहस्तथा। ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधारयते।' प्रहण के लिए अनुगुण (अनुकूल), अनुवाह्येय (जिन्हें स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता) प्रत्ययों (Cognitions) द्वारा ध्वनि रूप में प्रकाशित शब्द (स्फोट) में स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यहाँ व्याकरणों के अनुसार, नाद बहलानेवाले, अन्तपट्टि से प्राप्त स्फोटव्यञ्जक वर्ण ध्वनि बहलाते हैं। इसके अनुसार व्यञ्जक शब्द और अर्थ भी ध्वनि बहलाते हैं—यह आलंकारिकों का मत है।

हम एक श्लोक को कई प्रकार से पढ़ सकते हैं। कभी धीरे-धीरे कभी बहुत शीघ्र, कभी मध्यम, कभी गाते हुए तथा कभी सीधे-सीधे। किन्तु सभी समय पर यद्यपि हम भिन्न भिन्न ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अर्थ केवल एक ही प्रतीत होता है। यह क्यों ? व्याकरणों का कहना है कि शब्द दो प्रकार का होता है। एक तो स्फोट रूप में वर्तमान प्राकृत शब्द दूसरा विवृत। हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे उस स्फोट-रूप प्राकृत की अनुवृत्ति मात्र हैं

प्राकृत शब्द का एक नित्य स्वरूप होता है, उसकी अनुकृतियों (models) में विभिन्नता हो सकती है। विकृत शब्दों का उच्चारण-रूप यह विभिन्न व्यापार भी वैयाकरणों के अनुसार ध्वनि है। आलंकारिकों के अनुसार भी प्रसिद्ध शब्द-व्यापारों से भिन्न व्यञ्जकत्व नाम का शब्द-व्यवहार ध्वनि है। इस प्रकार व्यञ्जक अर्थ, व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ और व्यञ्जकत्व व्यापार—यह चार तरह की ध्वनि हुई। इन चारों के साथ एक रहने पर समुदाय-रूप काव्य भी ध्वनि है। इस प्रकार लोचनकार ने वैयाकरणों का अनुसरण करके पाचों में ध्वनित्व सिद्ध कर दिया।” [श्री वि० प्र० डवराल]

इस विवेचन का सारांश यह है—

१. जिसके द्वारा अर्थ का प्रस्फुटन हो उसे स्फोट कहते हैं।

२. शब्द के दो रूप होते हैं—एक व्यक्त अर्थात् विकृत रूप। दूसरा अव्यक्त अर्थात् प्राकृत (नित्य) रूप। व्यक्त का सम्बन्ध वंखरी और अव्यक्त का सम्बन्ध मध्यमा वाणी से है जो वंखरी की अपेक्षा सूक्ष्मतर है। पहला स्थूल ऐंद्रिय रूप है, यह उच्चारण की विधि के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा सूक्ष्म मानस रूप है जो नित्य तथा अखण्ड है। यह हमारे मन में सदैव वर्तमान रहता है और शब्द अर्थात् वर्णों के सघात विशेष को सुनकर उद्बुद्ध हो जाता है। इसको शब्द का स्फोट कहते हैं। स्फोट का दूसरा नाम 'ध्वनि' भी है।

३. जिस प्रकार पथक्-पथक् वर्णों को सुनकर भी शब्द का बोध नहीं होता है वह केवल स्फोट या ध्वनि के द्वारा ही होता है, इसी तरह शब्दों का वाच्यायं ग्रहणकर भी काव्य के सौंदर्य की प्रतीति नहीं होती वह केवल व्यञ्जयार्थ या ध्वनि के द्वारा ही होती है।

४. व्याकरण में व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ, व्यञ्जक अर्थ, व्यञ्जकत्व-व्यापार तथा व्यञ्जक काव्य—ध्वनि के इन पाँचों रूपों के लिए निश्चित संकेत मिलते हैं। यह स्फोट शब्द, वाच्य और प्रबन्ध तक का होता है।

इस प्रकार शब्द-साम्य और व्यापार-साम्य के आधार पर ध्वनिकार ने व्याकरण के ध्वनि-सिद्धान्त से प्रेरणा प्राप्त कर अपने ध्वनिसिद्धान्त की उद्भावना की।

ध्वनि की स्थापना

आगे चलकर ध्वनि का सिद्धान्त यद्यपि सभ्यसामान्य सा ही गया परन्तु आरम्भ में इसे घोर विरोध का सामना करना पड़ा। एक तो ध्वनिकार ने ही पहले से बहुत कुछ विरोध का निराकरण कर दिया था, उसके उपरान्त मम्मट ने उसका अत्यन्त योग्यतापूर्वक समर्थन किया जिसके परिणामस्वरूप प्रायः सभी विरोध शांत हो गया।

ध्वनिकार ने तीन प्रकार के विरोधियों की कल्पना की थी—एक अभाववादी, दूसरे लक्षणा में ध्वनि (व्यञ्जना) का अन्तर्भाव करने वाले, और तीसरे वे जो ध्वनि का अनुभव तो करते हैं, परन्तु उसकी व्याख्या असम्भव मानते हैं।*

सबसे पहले अभाववादियों को लीजिए। अभाववादियों के विक्षेप इस प्रकार हैं—१ ध्वनि को आप काव्य की आत्मा (सौंदर्य) मानते हैं—पर काव्य शब्द और अर्थ का सम्बद्ध शरीर ही तो है। स्वयं शब्द और अर्थ तो ध्वनि ही नहीं सकते। अब यदि उनके सौंदर्य अथवा चारुत्व को आप ध्वनि मानते हैं, तो यह पुनरावृत्ति मात्र है, क्योंकि शब्द और अर्थ के चारुत्व के तो सभी प्रकार का विवेचन किया जा चुका है।

शब्द का चारुत्व तो शब्दानुसार तथा शब्द गुण के अन्तर्गत आजाता है, और अर्थ का चारुत्व अर्थानुसार तथा अर्थगुण में। इनके अतिरिक्त रसदूर्ण आदि रीतियाँ और इनसे अभिन्न उपनागरिका आदि वृत्तियाँ भी हैं जिनका सम्बन्ध शब्द अर्थ के साहित्य (मिश्र शरीर) से है। सभी प्रकार के शब्द और अर्थगत सौंदर्य का अन्तर्भाव इनमें हो जाता है। अतएव ध्वनि से आशय यदि शब्द और अर्थगत चारुत्व से है तो उसका तो सम्यक् विवेचन पहले ही किया जा चुका है—किर ध्वनि की क्या आवश्यकता है। यह या तो पुनरावृत्ति या अधिक् से अधिक् एक नवीन नामकरण मात्र है, जिसका कोई महत्व नहीं।

* काव्यम्यात्मा ध्वनिरिति सुधर्म्यं समाम्नातपूर्वं-
स्तस्याभाव जगदुरपरे भास्वमाऽन्तमये ।
केचिद वाचा न्यितमविषये तत्रभूषुम्तदीय,
तेन श्रुम महदयमनप्रीनये तत्स्वरूपम् ।

२. दूसरे विकल्प में परम्परा की दुहाई दी गई है। यदि प्रसिद्ध-परम्परा से आये हुए मार्ग से भिन्न काव्य-प्रकार माना जाय तो काव्यत्व की ही हानि होती है। इनकी युक्ति यह है कि आखिर ध्वनि की चर्चा से पहले भी तो काव्य का आस्वादन होता रहा है, यदि काव्य की आत्मा का अन्वेषण आप अब कर रहे हैं तो अब तक क्या लोग मूर्खों की भाँति अभाव में भाव की कल्पना करते रहे हैं। यदि ध्वनि प्रसिद्ध काव्य-परम्परा से भिन्न कोई मार्ग है तो अब तक के काव्य के काव्यत्व का क्या हुआ ? वह तो इस प्रकार रह ही नहीं जाता। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि ध्वनि से पूर्व भी तो काव्य था और सहृदय उसके काव्यत्व का आस्वादन करते थे। यदि काव्य की आत्मा ध्वनि आप ने अब ढूँढ निकाली है तो पूर्ववर्ती काव्य का काव्यत्व तो अस्ति हो जाता है।

कुछ लोग ध्वनि के अभाव को एक और रीति से प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं कि यदि ध्वनि कमनोयता का ही कोई रूप है तब तो वह कथित चारुत्व कारणों में ही अन्तर्भूत हो जाता है। हा, यह हो सकता है कि वाक् के भेद-प्रभेदों की अनन्तता के कारण लक्षणकारों ने किसी प्रभेद विशेष की समाख्या न की हो और उसी को आप खोज निकाल कर ध्वनि नाम दे रहे हों। परन्तु यह तो कोई बड़ी बात न हुई। यह तो भूठी सहृदयता मात्र है।

ध्वनि के अस्तित्व का निषेध करने वालों की युक्तियों का सारांश यही है। ये एक प्रकार से अभिधा या वाच्यार्थ में ही व्यञ्जना या ध्वनि का अन्तर्भाव करते हैं।

ध्वनि-विरोधियों का दूसरा वर्ग उसको लक्षणा के अन्तर्गत मानता है इन लोगों को भावतवादी कहा गया है।

तीसरा वर्ग ऐसे लोगों का है जो ध्वनि को सहृदय-सवेद्य मानते हुए भी उसे वाणी के लिए अगोचर मानते हैं, अर्थात् उसकी परिभाषा को असम्भव मानते हैं। इनको ध्वनिकार ने 'लक्षण करने में अप्रगल्भ' कहा है।

इन विरोधियों की कल्पना तो ध्वनिकार ने स्वयं कर ली थी—परन्तु उनके बाद भी तो इस सिद्धान्त का विरोध हुआ। परवर्ती विरोधियों में सबसे अधिक पराक्रमी ये—भट्ट नायक, महिम भट्ट तथा कुन्तक। भट्ट नायक ने रसास्वादन के हेतु-रूप शब्द की भावकत्व और भोजकत्व दो शक्तियों की

उदभावना की श्रौर व्यञ्जना का निषेध किया। महिम भट्ट ने ध्वनि को अनुमिति मात्र मानते हुए व्यञ्जना का निषेध किया और अभिधा को ही पर्याप्त माना। कुन्तक ने ध्वनि को वक्रोक्ति के अन्तर्गत माना। भट्ट नायक का उत्तर अभिनव गुप्त ने तथा अन्य का मम्मट ने दिया, और व्यञ्जना की अतर्व्यता सिद्ध करते हुए ध्वनि को अक्राट्य माना।

वास्तव में ध्वनि का विशाल भवन व्यञ्जना के आधार पर ही खड़ा हुआ है, और ध्वनि की स्थापना का अर्थ व्यञ्जना की ही स्थापना है।

सबसे पहले अभाववादियों के विकल्प लीजिए। उनका एक तर्क यह है कि ध्वनि-प्रतिपादन के पूर्व भी तो काव्य में काव्यत्व था, और सहृदय निर्बाध उसका आस्वादन करते थे। यदि ध्वनि काव्य की आत्मा है तो पूर्ववर्ती काव्य में काव्यत्व की हानि हो जाती है। इसका उत्तर ध्वनिकार ने ही दिया है—और वह यह है कि ध्वनि का नामकरण उस समय नहीं हुआ था, परन्तु उसकी स्थिति तो उस समय भी थी। उदाहरण के लिए पर्यायोक्त आदि अलङ्कारों में व्यङ्ग्य अर्थ अत्यन्त स्पष्ट रूप से वर्तमान रहता है—उसका महत्व गौण है, परन्तु उसका अस्तित्व तो असंदिग्ध है। इस व्यङ्ग्यार्थ के लिए केवल व्यञ्जना ही उत्तरदायी है। इसके प्रतिरिक्त रस आदि की स्वीकृति में भी स्पष्टत व्यङ्ग्य की स्वीकृति है क्योंकि रस आदि अभिधेय तो होते नहीं। उपर लक्ष्य प्रथों में भी काव्य के विधायक इस तत्व की प्रतीति निश्चित है, चाहे निरूपण न हो।

अभाववादियों की सबसे प्रबल युक्ति यह है कि व्यञ्जना का पृथक् अस्तित्व मानने की आवश्यकता नहीं है। वह अभिधा के या फिर लक्षणा के अन्तर्गत आ जाती है।

इसका एक अभावात्मक उत्तर तो यह है कि ध्वनि के जो दो प्रमुख भेद किये गये हैं उन दोनों का अन्तर्भाव अभिधा या लक्षणा में नहीं किया जा सकता। ध्वनि-वाच्य ध्वनि अभिधा के आश्रित नहीं है। अभिधा के विपत्त हो जाने के उपरान्त लक्षणा की सामर्थ्य पर ही उसका अस्तित्व अवलम्बित है। उपर विवक्षितान्यपरवाच्य में लक्षणा बीच में आती ही नहीं। अतएव यह सिद्ध हुआ कि ध्वनि का एक प्रमुख भेद तथा उसके उपभेद अभिधा के अन्तर्गत नहीं समा सकते, और दूसरा भेद तथा उसके अनेक प्रभेद लक्षणा से वर्हिगत है। अर्थात् ध्वनि अभिधा और लक्षणा में नहीं समा सकती। भावात्मक उत्तर यह है कि

अभिधाय्य और लक्षणार्थ का ध्वन्यर्थ से पार्थक्य प्रकट करने वाले अनेक अतक्य तथा स्वयसिद्ध प्रमाण है ।

अभिधाय्य और ध्वन्यर्थ का पार्थक्य :

बोद्धा, स्वरूप, संख्या, निमित्त, कार्य, काल, आश्रय और विषय आदि के अनुसार व्यङ्ग्यार्थ प्रायः वाच्यार्थ से भिन्न हो जाता है :-

बोद्धृस्वरूपसंख्यानिमित्तकार्यप्रतीतिकालानाम् ।

आश्रयविषयादीना भेदादिभन्नोऽभिधेयतो व्यङ्ग्यः ॥ सा० ६०

बोद्धा के अनुसार पार्थक्य :- वाच्यार्थ की प्रतीति कोश व्याकरणदि के प्रत्येक ज्ञाता को हो सकते हैं, परन्तु ध्वन्यर्थ की प्रतीति केवल सहृदय को ही हो सकती है ।

स्वरूप :- कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है तो व्यङ्ग्यार्थ निषेधरूप । कहीं वाच्यार्थ निषेधरूप है, पर व्यङ्ग्यार्थ विधिरूप । कहीं वाच्यार्थ विधिरूप है, या कहीं निषेध रूप है, पर व्यङ्ग्यार्थ अनुभयरूप है । कहीं वाच्यार्थ संशयात्मक है, पर व्यङ्ग्यार्थ निश्चयात्मक ।

संख्या :- संख्या के अन्तर्गत प्रकरण, यकता और श्रोता का भेद भी आ जाता है । उदाहरण के लिए 'सूखास्ति हो गया' इस वाक्य का वाच्यार्थ तो सभी के लिए एक है, पर व्यङ्ग्यार्थ यकता, श्रोता तथा प्रकरण के भेद से अनेक होंगे ।

निमित्त :- वाच्यार्थ का बोध साक्षरता मात्र से हो जाता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति प्रतिभा द्वारा ही सम्भव है । वास्तव में निमित्त और बोद्धा का पार्थक्य बहुत कुछ एक ही है ।

कार्य :- वाच्यार्थ से वस्तु-ज्ञान मात्र होता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ से घमत्कार—मानन्द का आस्वादन होता है ।

काल :- वाच्यार्थ की प्रतीति पहले और व्यङ्ग्यार्थ की उसके उपरान्त होती है । यह क्रम लक्षित हो या न हो, परन्तु इसका अस्तित्व असदिग्ध है ।

आश्रय :- वाच्यार्थ केवल शब्द या पद को आश्रित रहता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ शब्द में, शब्द के अर्थ में, शब्द के एक अक्षर में, वर्ण या वर्ण रचना आदि में भी रहता है ।

विषय :- कहीं वाच्य और व्यङ्ग्य का विषय ही भिन्न होता है :

वाच्यार्थ एक व्यक्ति के लिए अभिप्रेत होता है, और व्यङ्ग्यार्थ दूसरे के लिए।

पर्याय :— इसके अतिरिक्त, पर्याय शब्दों के भी व्यङ्ग्यार्थ में अन्तर होता है। स्पष्टतः सभी पर्यायों का वाच्यार्थ एकसा होता है, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ भिन्न हो सकता है। उपयुक्त विशेषण का चयन बहुत कुछ इसी पार्थक्य पर निर्भर रहता है।

आधुनिक हिन्दी काव्य में तथा विवेका के साहित्य-शास्त्र में विशेषण-चयन काध्य शिल्प का विशेष गुण माना गया है और उसका अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन भी किया गया है।

अनन्वित अर्थ की व्यञ्जना :— अभिधा केवल अन्वित अर्थ का ही बोध करा सकती है, परन्तु कहीं कहीं अन्वित अर्थ के अतिरिक्त किसी अनन्वित अर्थ की भी व्यञ्जना होती है। इस प्रकरण में मम्मट ने 'कुह रचि' और 'रचिकुह' का उदाहरण दिया है। अन्वित अर्थ की दृष्टि से 'रचिकुह' सर्वथा निर्दोष है, परन्तु इसमें 'चिकु' के द्वारा, जो सर्वथा अनन्वित है, अश्लील अर्थ का बोध होता है। चिकु काश्मीर की भाषा में अश्लील अर्थ का बोधक है। १० रामदहिन मिश्र ने पत की निम्नलिखित पक्तियों में भी यही उदाहरण पढाया है :—

'सरलपन ही था उसका मन' से 'सरल पनही (जूता) था उसका मन' इस अनन्वित अर्थ की व्यञ्जना भी हो जाती है।

यह अनन्वित अर्थ अभिधा का व्यापार तो हो नहीं सकता। वैसे भी यह वाच्य न होकर व्यङ्ग्य ही है, अतएव व्यञ्जना का ही व्यापार सिद्ध हुआ।

रसादि भी अभिधाभित ध्वनि भेद के अन्तर्गत आते हैं। ये विवक्षितान्यपरवाच्य के असलशयकम भेद के अन्तर्गत हैं। ये रसादि भी व्यञ्जना के अस्तित्व का प्रबल प्रमाण हैं। क्योंकि ये कहीं भी वाच्य नहीं होते सदा वाच्य द्वारा आक्षिप्त व्यङ्ग्य होते हैं। शृङ्गार शब्द के अभिधेयार्थ के द्वारा शृङ्गार रस की प्रतीति असम्भव है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाना है कि कम से कम रसादि की प्रतीति अभिधा की सामर्थ्य से बाहर है। इस प्रमाण को लेकर संस्कृत के आचार्यों में बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है। सबसे पहलें तो भट्ट नायक ने व्यञ्जना का निषेध करते हुए शब्द की भावकत्व और भोजकत्व दो शक्तियाँ मानीं और घाद अर्थ का भाजन तथा रस का आस्वाद उन्हीं के द्वारा माना। परन्तु अनि-

नव गुप्त ने भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना को निराधार और अनावश्यक माना, तथा व्याकरण आदि के आधार पर व्यञ्जना की ही स्थापना की।

वास्तव में भट्ट नायक अपने सिद्धान्त को अधिक वैज्ञानिक रूप नहीं दे सके। शब्द की भावकत्व और भोजकत्व जैसी शक्तियों के लिए न तो व्याकरण में और न भीमासा आदि में ही कहीं कोई आधार मिलता है, और इधर मनो-विज्ञान तथा भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। भावकत्व का कार्य भावन कराने में सहायक होना है, और भावन बहुत कुछ कल्पना की क्रिया है। अतएव भावकत्व का कार्य हुआ कल्पना को उद्बुद्ध करना। उधर भोजकत्व का कार्य है साधारणीकृत अर्थ के भावन द्वारा रस की चर्चणा कराना। भट्ट नायक के कहने का तात्पर्य आधुनिक शब्दावली में यह है कि काव्यगत शब्द पहले तो पाठक को—अर्थ बोध कराता है, फिर उसकी कल्पना को जागृत कराता है और तदनन्तर उसके मन में वासना रूप से स्थित स्थायी मनोविकारों को उद्बुद्ध करता हुआ उसको आनन्द मग्न करा देता है। उनका यह सम्पूर्ण प्रयत्न इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए है कि शब्द और अर्थ के द्वारा काव्यगत 'उस विचित्र आनन्द' की प्राप्ति कैसे होती है। जहाँ तक काव्यानन्द के स्वरूप का प्रश्न है, भट्ट नायक को उसके विषय में कोई भ्रांति नहीं है। वे जानते हैं कि यह आनन्द वासना मूलक तो अवश्य है, परन्तु केवल वासनामूलक नहीं है। वासनामूलक आनन्द के अग्य रूपों से इसका अचित्र रूप स्पष्ट है। वास्तव में, जैसा कि मैंने अग्यत्र स्पष्ट किया है, काव्यानन्द एक मिश्र आनन्द है—इसमें वासना-अग्य आनन्द और बौद्धिक आनन्द दोनों का समन्वय रहता है। उसके इसी मिश्र स्वरूप को एडोसन ने कल्पना का आनन्द कहा है जो मनोविज्ञान की दृष्टि से ठीक भी है क्योंकि कल्पना चित्त और बुद्धि की मिश्रित क्रिया ही तो है। इसी मिश्र रूप की व्याख्या में (यद्यपि भट्ट नायक ने स्वयं इसको अपने शब्दों में व्यक्त नहीं किया है और इसका कारण परम्परा से चला आया हुआ 'अनिर्वचनीय' शब्द था) भट्ट नायक ने भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है—भावकत्व उसके बौद्धिक भद्र का हेतु है और भोजकत्व उसके वासना जय रूप का व्याख्यान करता है। अभिनव न ये दोनों विशेषताएँ अकेली व्यञ्जना में मानी हैं। व्यञ्जना ही हमारी कल्पना को जागृत हमारे वासनारूप स्थित मनोविकारों की चरम परिणति के आनन्द का आस्वादन कराती है। इस प्रकार मूलतः भावकत्व और भोजकत्व दोनों का उद्देश्य भी वही ठहरता है जो अकेली व्यञ्जना का। व्याकरण और भीमासा

आदि के सहारे व्यञ्जना का आधार धुंकि अधिक पुष्ट है, इसलिए अन्ततोगत्वा वही सर्वमान्य हुई। भट्ट नायक की दोनो शक्तियाँ निराधार घोषित कर दी गईं।

इस प्रकार अभिधावादियों का यह तर्क खण्डित हो जाता है कि अभिधा का अर्थ ही तीर की तरह उत्तरोत्तर शक्ति प्राप्त करता जाता है।

बाद में महिमभट्ट ने व्यञ्जना का प्रतिषेध किया और कहा कि अभिधा को ही शब्द की एकमात्र शक्ति है, जिसे व्यङ्ग्य कहा जाता है वह अनुमेय मात्र है, तथा व्यञ्जना पूर्व-सिद्ध अनुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में व्यञ्जक-व्यङ्ग्य सम्बन्ध न मानकर लिङ्ग-लिङ्गी सम्बन्ध ही मानते हैं। परन्तु उनके तर्कों का मम्मट ने अत्यन्त युक्तिपूर्वक खण्डन किया है। उनकी युक्ति है कि सर्वत्र ही वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ में लिङ्ग-लिङ्गी सम्बन्ध होना अनिवार्य नहीं है। लिङ्ग-लिङ्गी सम्बन्ध निश्चयात्मक है अर्थात् जहाँ लिङ्ग (साधन या हेतु) निश्चय रूप से वर्तमान होगा, वहीं लिङ्गी (अनुमेय वस्तु) का अनुमान किया जा सकता है। परन्तु ध्वनि-प्रसंग में वाच्यार्थ सदा ही निश्चयात्मक हेतु नहीं हो सकता—वह प्रायः अनेकालिक होता है। ऐसी स्थिति में उसे व्यङ्ग्यार्थ-रूप चमत्कार के अनुमान का हेतु कैसे माना जा सकता है? मनोविज्ञान की दृष्टि से भी महिम भट्ट का तर्क अधिक सगत नहीं है क्योंकि अनुमान में साधन से साध्य की सिद्धि तर्क या बुद्धि के द्वारा होती है, पर ध्वनि में वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति तर्क के सहारे न होकर सहृदयता, (भावुकता, कल्पनाओं आदि) के द्वारा होती है।

अथ भावत (लक्षणा) वादियों को लीजिए। उनका बहना है कि वाच्यार्थ के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा अर्थ होता है तो वह लक्ष्यार्थ के ही अंतर्गत आ जाता है। व्यङ्ग्यार्थ लक्ष्यार्थ का ही एक रूप है, अतएव लक्षणा से भिन्न व्यञ्जना जैसी कोई शक्ति नहीं है। इस मत का खण्डन अधिक सरल है।

इसके विरुद्ध पहली प्रबल युक्ति तो स्वयं ध्वनिकार ने प्रस्तुत की है। वह यह कि वाच्यार्थ की तरह लक्ष्यार्थ भी नियत ही होता है। और वह वाच्यार्थ के वृत्त में ही होना चाहिये। अर्थात् लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ से निश्चय ही सम्बद्ध होगा। “गंगा पर घर” वाक्य में गंगा का जो प्रवाह-रूप अर्थ है वह तट को ही लक्षित कर सकता है, सड़क को नहीं, क्योंकि प्रवाह का तट के साथ ही नियत सम्बन्ध है।” (वाच्यालोक)। इसके विपरीत व्यङ्ग्यार्थ का वाच्यार्थ के साथ नियत

सम्बन्ध अनिवार्य नहीं है—इन दोनों का नियत सम्बन्ध, अनियत सम्बन्ध और सम्बन्ध-सम्बन्ध भी होता है। ध्वनिकार ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्यार्थ एक ही हो सकता है और वह भी सर्वथा सम्बद्ध होगा, परन्तु व्यङ्ग्यार्थ अनेक हो सकते हैं, और उनका सम्बन्ध अनियत भी हो सकता है।

दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग सर्वदा किसी प्रयोजन से किया जाता है। उदाहरण के लिए 'गङ्गा के किनारे घर' के स्थान पर 'गङ्गा पर घर' कहने का एक निश्चित प्रयोजन है और वह यह है कि 'पर' के द्वारा अति-नैकदध और तज्जन्य शैत्य और पावनत्व आदि की सूचना अभिप्रेत है। लक्षणा का यह प्रयोग सर्वत्र सप्रयोजन होगा अन्यथा यह केवल वितडा-मात्र रह जाएगा। यह प्रयोजन सर्वत्र व्यङ्ग्य रहता है और इसकी सिद्धि व्यञ्जना के द्वारा ही हो सकती है।

तीसरा तर्क पहले ही उपस्थित किया जा चुका है और वह यह है कि रसादि सीधे वाच्यार्थ से व्यङ्ग्य होते हैं, लक्ष्यार्थ के माध्यम से उनकी प्रतीति नहीं होती। अतएव उनका लक्ष्यार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं। इस प्रकार लक्षणा में व्यञ्जना का अन्तर्भाव सम्भव नहीं है।

इनके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमाण हैं जिनसे ध्वनि की सिद्धि होती है। उदाहरण के लिए, दोष दो प्रकार के होते हैं : नित्य दोष जो सर्वत्र हो काव्य की हानि करते हैं, और अनित्य-दोष जो प्रसङ्ग-भेद से काव्य के साधक भी हो जाते हैं—जैसे श्रुति-कटुत्वादि जो शृङ्गार में बाधक होते हैं वे भी वीर तथा रौद्र के साधक हो जाते हैं। दोषों की यह नित्यानित्यता व्यङ्ग्यार्थ की स्वोक्ति पर ही अवलम्बित है। श्रुतिकटु वणं वीर अपवा रौद्र के साधक इसी लिए हैं कि वे कर्कशता की व्यञ्जना कर उत्साह और क्रोध की कठोरता में योग देते हैं। इनके द्वारा कर्कशता व्यङ्ग्य रहती है वाच्य नहीं। इत्यादि। ध्वनि के अन्य विरोधियों में कुन्तक की गणना की जा सकती है। कुन्तक ने ध्वनि की यक्रोक्ति के अन्तर्गत ही माना, और प्रतिहारेन्दुराज ने उसे अलङ्कारों से पृथक् मानना अनावश्यक समझा।

काव्यत्व का अधिवास : वाच्यार्थ में या व्यङ्ग्यार्थ में ?

वाच्यार्थ शुक्त ने इस प्रसङ्ग से सम्बद्ध एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा

रोचक प्रश्न उठाया है . काव्यत्व वाच्यायं में रहता है या व्यङ्ग्यार्थ में ? अपने इन्दौर भाषण में उन्होंने लिखा है :

“वाच्यायं के अयोग्य और अनुपपन्न होने पर योग्य और उपपन्न अर्थ प्राप्त करने के लिए लक्षणा और व्यञ्जना का सहारा लिया जाता है । अब प्रश्न यह है कि काव्य की रमणीयता किसमें रहती है ? वाच्यायं में अथवा लक्ष्यायं में या व्यङ्ग्यार्थ में ? इसका बेधडक उत्तर यही है : ‘वाच्यायं में,’ चाहे वह योग्य हो वा उपपन्न हो अथवा अयोग्य और अनुपपन्न ।”

इसके आगे उन्होंने सात्रेत से दो उदाहरण दिए हैं :—

१. “‘जी भर हाय पतंग मरे क्या ?’ इसमें भी यही बात है । जो कुछ वंचिन्ध या चमत्कार है वह इस अयोग्य और अनुपपन्न वाक्य या उसके वाच्यायं में ही है । इसके स्थान पर यदि इसका यह लक्ष्यायं कहा जाय कि जीकर पतंग क्यों कष्ट भोगे तो कोई वंचिन्ध या चमत्कार नहीं रह जायगा ।”

अथवा

२. “आप अथधि वन सऊं कहीं तो क्या कुद्व देर लगाऊं ।
में अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं ॥”

इसका वाच्यायं बहुत दी अत्यन्त, ध्याहत तथा बुद्धि को सर्वथा अप्राण्य है । उमिला आप ही मिट जायगी, तब अपने प्रियतम लक्ष्मण को वन से लायेगी क्या ? पर सारा रस, सारी रमणीयता इसी ध्याहत और बुद्धि को अप्राण्य वाच्यायं में ही है, इस योग्य और बुद्धि-प्राण्य व्यङ्ग्यार्थ में नहीं कि उमिला को अत्यन्त प्रीतिमुख्य है । इससे स्पष्ट है कि वाच्यायं ही काव्य होता है व्यङ्ग्यार्थ वा लक्ष्यायं नहीं ।”

शुक्ल जी के मुख से यह उक्ति सुनकर साधारणतः हिन्दी का विचार्य आश्चर्यचकित हो सकता है । ऐसा लगता है मानो जीवन भर चमत्कार का उ विरोध करने के उपरान्त अन्त में आचार्य ने उससे समझीता कर लिया ही स्वयं शुक्लजी के ही अपने लेखों से अनेक ऐसे वाक्य उद्धृत किए जा सकते हैं । हैं जिनमें इससे विपरीत मन्तव्य प्रकट किया गया है । य० रामवर्हिन मिथ्य उनका हवाला देते हुए, तथा अनेक शास्त्र-सम्मत युक्तियों के द्वारा शुक्ल जी के अभिमत का निरर्थक किया है, और अन्त में इस शास्त्रोक्त मत की ही स्थापन की है कि काव्यत्व व्यङ्ग्यार्थ में है—वाच्यायं में नहीं ।

परन्तु शुक्ल जी द्वारा उठाया गया यह प्रश्न इतना सरल नहीं है । वास्तव में शुक्ल जी की प्रतिभा का सब से बड़ा गुण यही था कि उन्होंने परम शास्त्र-निष्ठ होते हुए भी प्रमाण सदा अपनी बुद्धि और अनुभूति को ही माना । वे किसी प्राच्य अथवा पाश्चात्य सिद्धांत को स्वीकार करने से पूर्व उसे अपने विवेक और अनुभूति की कसौटी पर कसकर देख लेते थे । किसी रसात्मक वाक्य को पढ़कर हमें जो भ्रान्तवानुभूति होती है, उसके लिए उस वाक्य का कौन सा तत्व उत्तरदायी है ? उस वाक्य का वाच्यार्थ, जिसमें शब्दार्थ गत चमत्कार रहता है ? अथवा व्यङ्ग्यार्थ जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाव की रमणीयता रहती है ? उदाहरण के लिये उपर्युक्त दोनों उद्धरणों को ही लीजिए । उनसे प्राप्त भ्रान्त के लिए उनका कौनसा तत्व उत्तरदायी है ? १- "जीकर हाथ पतङ्ग मरे क्या ?" इसमें 'मरे' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग 'जी करके' साथ बँधकर विरोधाभास का चमत्कार उत्पन्न करता है । अतएव जहाँ तक इस चमत्कार का सम्बन्ध है, उसका अधिवास वाच्यार्थ में ही है, लक्षणा अर्थ को उपपन्न करा कर इस चमत्कार की सिद्धि अवश्य कराती है, परन्तु उसका कारण वाच्यार्थ ही है, लक्ष्यार्थ दे देने से चमत्कार ही नहीं रह जाता । परन्तु अब प्रश्न यह है कि क्या उक्ति का सम्पूर्ण सौरस्य इस 'मरे' और 'जी कर' के उपपन्न या अनुपपन्न अर्थ पर ही आश्रित है । यदि ऐसा है, तो इस उक्ति में रमणीयता नहीं है क्योंकि यह विरोधाभास अपने आप में कोई सूक्ष्म या गहरी भ्रान्तवानुभूति उत्पन्न नहीं करता । इसमें जो रमणीयता है (और यह यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिये कि इसमें रमणीयता वास्तव में पर्याप्त मात्रा में नहीं है) वह प्रेम की उत्कटता (आतिशय्य) पर निर्भर है जो यहाँ लक्ष्यार्थ का प्रयोजन रूप व्यङ्ग्य है, और जो अंत में जाकर वक्ता बोद्धा आदि के प्रकरण से उमिला की अपनी रतिजन्य व्यग्रता को अभिव्यक्ति करती है । इस प्रकार इस उक्ति की वास्तविक रमणीयता का सम्बन्ध रतिजन्य व्यग्रता से हो है जो व्यङ्ग्य है—और स्पष्ट शब्दों में जो उपर्युक्त लक्ष्यार्थ के प्रयोजन रूप व्यङ्ग्य का भी व्यङ्ग्य है ।

दूसरे उद्धरण में यह तथ्य और जी स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें रमणीयता वास्तव में अधिक है ।

घ्राप भवधि मन सकू कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊ ।

मैं अपने को घ्राप मिटा कर जाकर उनको लाऊ ॥

उमिला और लक्ष्मण के बीच भवधि का व्यथान है । मिलने के लिए

इस व्यवधान अर्थात् श्रवधि को मिटाना आवश्यक है। श्रवधि साधारणतः तो अपने समय पर ही मिटेगी, तुरन्त मिटना उसका सम्भव नहीं। उर्मिला उसके एक उपाय की कल्पना करती है—यह स्वयं यदि श्रवधि बन जाय तो उसका श्रन्त करना उसके अपने अधिकार की बात हो जाये। अपने को तो वह तुरन्त मिटा ही सकती है और जब श्रवधि उसका अपना रूप हो जाएगी, तो उसके श्रन्त के साथ श्रवधि का श्रन्त भी हो जाएगा। इस तरह व्यवधान मिट जाएगा और लक्ष्मण से मिलन हो जाएगा। परन्तु जब उर्मिला ही मिट जाएगी तो फिर मिलनसुख का भोक्ता कौन होगा; अतएव अपने को मिटाने का श्रय्य यहां अपने जीवन का श्रन्त कर लेना न होकर लक्षणा की सहायता से बड़े से बड़ा कष्ट भोगना या बड़े से बड़ा बलिदान करना आदि ही हो सकता है। परन्तु यह लक्ष्यार्थ देते ही उक्ति में कोई चमत्कार नहीं रह जाता। चमत्कार तो श्रय्य की बाह्य अनुपपन्नता परन्तु श्रान्तरिक उपपन्नता के विरोधाभास में। किन्तु क्या उक्ति की रमणीयता इसी चमत्कार तक सीमित है? वास्तव में बात इतनी नहीं है, जैसा कि शुक्ल जी ने स्वयं लिखा है, इससे उर्मिला का “श्रत्यन्त श्रोत्सुक्य” व्यञ्जित होता है। इस “श्रत्यन्त श्रोत्सुक्य” की व्यजना ही उक्ति की रमणीयता का कारण है—यही पाठक के मन का इस “श्रत्यन्त श्रोत्सुक्य” के साथ तादात्म्य कर उसमें एक मधुर अनुभूति जगाती है। यही उक्ति की रमणीयता है जो सहृदय को आनन्द देती है। शुक्ल जी का यह तर्क बड़ा विचित्र लगता है कि सारी रमणीयता इसी व्याहृत और बुद्धि को अप्राह्य वाच्यार्थ में है, इस योग्य और बुद्धिप्राह्य व्यङ्ग्यार्थ में नहीं कि उर्मिला को श्रत्यन्त श्रोत्सुक्य है। इसमें दो त्रुटियां हैं: एक तो उर्मिला को “श्रत्यन्त श्रोत्सुक्य है” यह व्यङ्ग्यार्थ नहीं रहा—वाच्यार्थ हो गया। श्रोत्सुक्य की व्यंजना ही चित्त की चमत्कृति का कारण है, उसका कथन नहीं। दूसरे जिस अनुपपन्नता पर वे इतना बल दे रहे हैं वह रमणीयता का कारण नहीं है, उसका एक साधनमात्र है। उसका यहाँ वही योग है जो रस की प्रतीति में श्रन्तकार का। उपर्युक्त विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है मानो विरोध करते-करते प्रनायास ही किसी दुर्बल क्षण में शुक्ल जी पर श्रोत्रे का जादू चल गया हो। श्रोत्रे का यह मत श्रवश्य है कि उक्ति ही वाच्य है, और इसके प्रतिपादन में उनकी युक्ति यह है कि व्यङ्ग्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों का पार्यवयव असम्भव है—एक प्रतिश्रिया की केवल एक ही अभिव्यक्ति सम्भव है। श्रोत्रे के अनुसार ‘प्राप श्रवधि वन सक्’ आदि उक्ति और ‘उर्मिला को श्रत्यन्त श्रोत्सुक्य है’ यह उक्ति सर्वथा पुनरुक्त हैं—ये दो सर्वथा भिन्न प्रतिश्रियाओं की अभिव्यञ्जनाएं

है। अतएव 'आप अवधि ब्रन सकूँ' आदि का सौन्दर्य (काव्यत्व) उसका अपना है जो केवल उसी के द्वारा अभिव्यक्त हो सकता है 'उमिला को अत्यन्त प्रीत्सुक्य है' यह एक दूसरी ही बात है।

वास्तव में रमणीयता का अर्थ है हृदय को रमाने की योग्यता और हृदय का सम्बन्ध भाव से है—वह भाव में ही रम सकता है क्योंकि उसके समस्त व्यापार भावों के द्वारा ही होते हैं। अतएव वही उक्ति वास्तव में रमणीय हो सकती है जो हृदय में कोई रम्य भाव उद्बुद्ध करे; और यह तभी हो सकता है जब वह स्वयं इसी प्रकार के भाव की वाहिका हो। यदि उसमें यह शक्ति नहीं है तो वह बुद्धि को चमत्कृत कर सकती है चित्त को नहीं, और इसलिये रमणीय नहीं कही जा सकती। स्वयं शुक्ल जी ने अत्यन्त सबल शब्दों में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, और चमत्कार शब्द की भ्रांति को दूर करने के लिए ही रमणीयता शब्द के प्रयोग पर जोर दिया है।

निष्कर्ष यह है कि यदि शुक्ल जी क्रोचे का सिद्धान्त स्वीकार कर लेते तब तो स्थिति बदल जाती है। तब तो अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना, वाक्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यङ्ग्यार्थ आदि का प्रपञ्च ही नहीं रहता है। सार्थक उक्ति केवल एक ही हो सकती है। उसके अर्थ को उससे पूर्य करना सम्भव नहीं है। परन्तु यदि वे उसको स्वीकार नहीं करते हैं,—और वे वास्तव में उसे स्वीकार नहीं करते—तो वाक्यार्थ में रमणीयता का अधिवास नहीं माना जा सकता, व्यङ्ग्यार्थ में ही माना जाएगा—लक्ष्यार्थ में भी नहीं क्योंकि यह भी वाक्यार्थ की तरह माध्यम मात्र है। रमणीयता का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सम्बन्ध अनिवाप्यतः रस के साथ है; और रस कथित नहीं हो सकता, व्यञ्जित ही हो सकता है। शुक्ल जी के शब्दों से ऐसा मालूम होता है कि वे लक्ष्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ की अनुपपन्न अर्थ को उपपन्न करने का साधन मानते हैं। परन्तु वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है। वाक्यार्थ स्वयं ही अपने चमत्कारों के साथ व्यङ्ग्य (रस) का साधन या माध्यम है। मैं उपर्युक्त विवेचन को शुक्ल जी का एक हल्का सा विशान्तर-भ्रमण मानता हूँ, यह उनके अपने काव्य-सिद्धान्त के ही विरुद्ध है।

ध्वनि के भेद

ध्वनि के मुख्य दो भेद हैं—१. लक्षणा-मूला ध्वनि और २. अभिधा-मूला ध्वनि।

१. लक्षणा-मूला ध्वनि :—लक्षणा मूला ध्वनि स्पष्टतः लक्षणा के आश्रित होती है, इसे अश्रितवाच्य ध्वनि भी कहते हैं। इसमें वाच्यार्थ की विवक्षा नहीं रहती। अर्थात् वाच्यार्थ बाधित रहता है, उसके द्वारा अर्थ की प्रतीति नहीं होती। लक्षणा-मूला ध्वनि के दो भेद हैं : (अ) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और (आ) अत्यन्त-तिरस्कृत वाच्य। अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से अभिप्राय है 'जहाँ वाच्यार्थ दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाए' अर्थात् जहाँ वाच्यार्थ बाधित होकर दूसरे अर्थ में परिणत हो जाए। ध्वनिकार ने इसके उदाहरण-स्वरूप अपना एक श्लोक दिया है जिसका स्थूल हिन्दी-रूपान्तर इस प्रकार है :

तव ही गुन सोभा लहैं, सहृदय जवहि सराहि ।
कमल कमल हैं तवहि, जव रविकर सों विकसाहि ॥

यहाँ कमल का अर्थ ही जायगा "मकरन्द-श्री एवं विकचता आदि से युक्त"—अन्वया यह तिरस्कृत ही रहें वरन् पुनस्तत दोष का भागी भी होगा। इस प्रकार कमल का साधारण अर्थ उपर्युक्त व्यङ्ग्यार्थ में संक्रमित हो जाता है।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य :—अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य में वाच्यार्थ अत्यन्त तिरस्कृत रहता है—उसको लगभग छोड़ ही दिया जाता है। यह ध्वनि पदगत और वाक्यगत दोनों ही प्रकार की होती है। ध्वनिकार ने पदगत ध्वनि का उदाहरण दिया है :

रविसंक्रान्त सौभाग्यस्तुपासपृतमण्डलः ।

निःशवासान्धेइवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥

"साँस सों आँधर दर्पन है जस वादर श्रोत लखावै है चन्दा ।"

यहाँ अन्ध या अन्धर शब्द का अर्थ नेत्र-हीन न हीकर लक्षणा की सहायता से 'पदायों को स्फुट करने में असक्त' होता है। इस प्रकार वाच्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार हो जाता है। इसका व्यङ्ग्यार्थ है "असाधारण विन्धायत्व, अनुपयोगित्व तथा इसी प्रकार के अन्य धर्म।"

ताना जायन्ति गुणा जाला दे सहिप्रणहि धेपन्ति ।

रद निरणानुगहिप्राई होन्नि कमलाई कमलाई ॥

वाक्यगत ध्वनि का उदाहरण ध्वन्यालोक में यह दिया गया है

सुवर्णपुष्पां पृथ्वीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय
शूरश्च, कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥
“सुवरन-पुष्पा भूमि कौं, चुनत चतुर नर तीन ।
सूर और विद्या-निपुन, मेवा मॉहि प्रवीन ॥”

(काव्य कल्पद्रुम की सहायता से)

यहाँ सम्पूर्ण वाक्य का ही मुख्यार्थ सर्वथा असमर्थ है क्योंकि न तो पृथ्वी सुवर्णपुष्पा होती है और न उसका चयन सम्भव है। अतएव लक्षणा की सहायता से इस का अर्थ यह होगा कि तीन प्रकार के नरश्रेष्ठ पृथ्वी की समृद्धि का अर्जन करते हैं।

इस ध्वनि में लक्षण-लक्षणा रहती है।

लक्षणामूला ध्वनि अनिवायत प्रयोजनवती लक्षणा के ही आश्रित रहती है क्योंकि रुढि-लक्षणा में तो व्यङ्ग्य होता ही नहीं।

अभिधामूला ध्वनि :— जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह ध्वनि अभिधा पर आश्रित है। इसे विवक्षितान्यपरवाच्य भी कहते हैं। विवक्षितान्य-परवाच्य का अर्थ है • जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य-परक अर्थात् व्यङ्ग्यनिष्ठ हो। अर्थात् यहाँ वाच्यार्थ का अपना अस्तित्व अवश्य होता है, परन्तु वह अन्ततः व्यग्यार्थ का माध्यम ही होता है। अभिधामूला ध्वनि के दो भेद हैं असलक्ष्यक्रम और सलक्ष्यक्रम। असलक्ष्यक्रम में पूर्वापर का क्रम सम्यक् रूप से लक्षित नहीं होता, यह क्रम होता अवश्य है और उसका आभास भी निश्चय ही होता है, परन्तु पूर्वापर अर्थात् वाच्यार्थ और व्यग्यार्थ की प्रतीति का अन्तर अत्यन्तान्त स्वल्प होने के कारण “शतपत्र-भेद न्याय” से स्पष्टतया लक्षित नहीं होता। समस्त रस प्रपञ्च इसके अन्तर्गत आता है। सलक्ष्यक्रम में यह पूर्वापर्यं क्रम सम्यक् रूप से लक्षित होता है। कहीं यह शब्द के आश्रित होता है, कहीं अर्थ के आश्रित और कहीं शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित। इस प्रकार इसके तीन भेद हैं •

शब्द-शक्ति-उद्भव, अर्थ-शक्ति-उद्भव और शब्दार्थ-उभय-शक्ति-उद्भव। वस्तु ध्वनि और अलङ्कार-ध्वनि सलक्ष्यक्रम के अन्तर्गत ही आती है क्योंकि इनमें वाच्यार्थ और व्यग्यार्थ का पूर्वापर्यं क्रम स्पष्ट लक्षित रहता है।

ध्वनि के मुख्य भेद ये ही हैं। इनके अन्तर्गत भेदों की संख्या का

ठीक नहीं। मम्मट के अनुसार कुल संख्या १०४४५ तक पहुँचती है : ५१ शुद्ध और १०४०४ मिथ्र। इधर पं० रादहिन मिथ्र ने ४५१६२० का हिसाब लगा दिया है।

ध्वनि की व्यापकता

उपर्युक्त प्रस्तार से ही ध्वनि की व्यापकता सिद्ध हो जाती है। वैसे भी काव्य का कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो ध्वनि के बाहर पड़ता हो। ध्वनि की व्यापकता का दूसरा प्रमाण यह है कि उसकी सत्ता उपसर्ग और प्रत्यय से लेकर संपूर्ण महाकाव्य तक है। पद-विभक्ति, क्रिया-विभक्ति, वचन, सम्बन्ध, कारक, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, समास, उपसर्ग निपात, काल आदि से लेकर वर्ण, पद, वाक्य, मुक्तक पद्य, और महाकाव्य तक उसके अधिकार-क्षेत्र का विस्तार है। जिस प्रकार एक उपसर्ग या प्रत्यय या पदविभक्ति मात्र से एक विशिष्ट रमणीय अर्थ का ध्वनन होता है, इसी प्रकार सम्पूर्ण महाकाव्य से भी एक विशिष्ट अर्थ का ध्वनन या स्फोट होता है। प्र, परि, कु, वा, डा आदि जहाँ एक रमणीय अर्थ को व्यक्त करते हैं, वहाँ रामायण और महाभारत जैसे विशालकाय ग्रन्थ का भी एक ध्वन्यर्थ होता है जिसे आधुनिक शब्दावली में मरण, मृत्यु आदि अनेक नाम दिए गये हैं।

ध्वनि और रस

भरत ने रस की परिभाषा की है : विभाव, अनुभाव, संचारी आदि के सयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इससे स्पष्ट है कि काव्य में केवल विभाव-अनुभाव आदि का ही कथन होता है—उनके सयोग के परिपाक रूप रस का नहीं। अर्थात् रस वाच्य नहीं होता। इतना ही नहीं रस का वाचक शब्दों द्वारा कथन एक रस-बोध भी माना जाता है—रस केवल प्रतीत होता है। दूसरे, जैसा कि अभी व्यञ्जना के विषय में कहा गया है किसी उक्ति का वाच्यार्थ रस-प्रतीति नहीं कराता केवल अर्थ-बोध कराता है। रस सद्वच्य की हृदयस्थित वासना की आनन्दमय परिणति है जो अर्थ-बोध से भिन्न है अतएव उक्ति द्वारा रस का प्रत्यक्ष वाचन नहीं होता अप्रत्यक्ष प्रतीति होती है—पारिभाषिक शब्दों में व्यञ्जना या ध्वनन होता है। इसी तर्क से ध्वनिकार ने उसे केवल रस न मानकर रस-ध्वनि माना है।

ध्वनि के अनुसार काव्य के भेद

ध्वनिवादियों ने काव्य के तीन भेद किये हैं—उत्तम, मध्यम और अधम । इस वर्ग-क्रम का आधार स्पष्टतः ध्वनि अथवा व्यङ्ग्य की सापेक्षिक प्रधानता है । उत्तम काव्य में व्यङ्ग्य की प्रधानता रहती है अर्थात् उसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यङ्ग्यार्थ प्रधान रहता है, उसी को ध्वनि कहा गया है । ध्वनि के भी अर्थात् उत्तम काव्य के भी तीन भेद-क्रम हैं : रस-ध्वनि, अलङ्कार ध्वनि और वस्तु-ध्वनि । इनमें रस-ध्वनि सर्वश्रेष्ठ है । मध्यम काव्य को गुणीभूत-व्यङ्ग्य भी कहते हैं । इसमें व्यङ्ग्यार्थ का अस्तित्व तो अवश्य होता है, परन्तु वह वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक रमणीय नहीं होता—वरन् समान रमणीय या कम रमणीय होता है, अर्थात् उसकी प्रधानता नहीं रहती । अधम काव्य के अन्तर्गत चित्र आता है जो वास्तव में काव्य है भी नहीं । उसमें व्यङ्ग्यार्थ का अस्तित्व ही नहीं होता और न अयंगत घातव्य ही होता है । ध्वनिकार ने उसकी अधमता स्वीकार करते हुए भी काव्य की कोटि में उसे स्थान दे दिया है—परन्तु रस का सर्वथा अभाव होने के कारण अभिनव ने और उनके बाद विश्वनाथ ने उसको काव्य की श्रेणी से पूर्णतः बहिर्गत कर दिया है । इस प्रकार ध्वनि के अनुसार काव्य का उत्तम रूप है ध्वनि और ध्वनि में भी सर्वोत्तम है रस-ध्वनि । पंडितराज जगन्नाथ ने इसे उत्तमोत्तम भेद कहा है, अर्थात् रस या रस-ध्वनि ही काव्य का सर्वोत्तम रूप है । दूसरे शब्दों में रस ही काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्त्व है । शास्त्रीय दृष्टि से रस और ध्वनि का यही सम्बन्ध एवं तारतम्य है ।

ध्वनि में अन्य सिद्धान्तों का समाहार

ध्वनिकार अपने सम्मुख दो उद्देश्य रखकर चले थे : एक ध्वनि सिद्धान्त की निर्भ्रान्त स्थापना, दूसरा अन्य सभी प्रचलित सिद्धान्तों का ध्वनि में समाहार । वास्तव में ध्वनि-सिद्धान्त की सर्वमान्यता का मूल्य कारण भी यही हुआ । ध्वनि को उन्होंने इतना व्यापक बना दिया कि उसमें न केवल उनके पूर्ववर्ती रस, गुण, रीति, अलङ्कार आदि का ही समाहार हो जाता था वरन् उनके परवर्ती यत्रोक्ति, घोषित्य आदि भी उसमें ग्राह्य नहीं जा सकते थे । इसकी सिद्धि दो प्रकार से हुई :—एक तो यह कि रस की भाँति गुण, रीति, अलङ्कार, वचना आदि भी व्यङ्ग्य ही रहते हैं । चाकर शब्द द्वारा न तो माधुर्य्य आदि गुणों का बयन होता है न

वैदर्भी आदि रीतियों का न उपमा आदिक अलङ्कारो का और न वक्रता का
 ही। ये सब ध्वनि रूप में ही उपस्थित रहते हैं। दूसरे गुण, रीति, अलङ्कार,
 आदि तत्त्व प्रत्यक्षत अर्थात् सीधे वाच्यार्थ द्वारा मन को आह्लाद नहीं देते।
 अतएव ये सब ध्वन्यर्थ के सम्बन्ध से, उसी का उपकार करते हुए, अपना
 अस्तित्व सार्थक करते हैं। इसके अतिरिक्त इन सबका महत्व भी अपने प्रत्यक्ष
 रूप के कारण नहीं है वरन ध्वन्यर्थ के ही कारण है। क्योंकि जहा ध्वन्यर्थ
 नहीं होगा वहा ये आत्मा विहीन पञ्चतत्त्वों अथवा आभूषणो आदि के समान
 ही निरर्थक होंगे। इसीलिए ध्वनिकार ने उन्हें ध्वन्यर्थ रूप अङ्गी के अङ्ग ही
 माना है। इनमें गुणों का सम्बन्ध चित्त की द्रुति, दीप्ति आदि से है, अतएव वे
 ध्वन्यर्थ के साथ [जो मुख्यतया रस ही होता है] अन्तरङ्ग रूप से सम्बद्ध हैं
 जैसे कि शौर्यादि आत्मा के साथ। रीति अर्थात् पद-सघटना का सम्बन्ध शब्द-
 अर्थ से है इसलिए वह काव्य के शरीर से सम्बद्ध है। परन्तु फिर भी जिस
 प्रकार कि सुन्दर शरीर-सस्यान मनुष्य के बाह्य व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाता
 हुआ वास्तव में उसकी आत्मा का ही उपकार करता है इसी प्रकार रीति भी
 अन्ततः काव्य की आत्मा का ही उपकार करती है। अलङ्कारो का सम्बन्ध भी
शब्द-अर्थ से ही है। परन्तु रीति का सम्बन्ध स्थिर है, अलङ्कारो का
अस्थिर—अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि सभी काव्य-शब्दों में अनुप्रास
या किसी अन्य शब्दालङ्कार का, और सभी प्रकार के काव्यार्थों में उपमा या
किसी अन्य अर्थात्-लङ्कार का चमत्कार नित्य रूप से वर्तमान ही हो। अलङ्कारों
की स्थिति आभूषणों की सी है जो अनित्य रूप से शरीर की शोभा बढ़ाते हुए
अन्ततः आत्मा के सौन्दर्य में ही वृद्धि करते हैं। क्योंकि शरीर-सौन्दर्य की
स्थिति आत्मा के बिना सम्भव नहीं है—शव के लिए सभी आभूषण व्यर्थ
होते हैं। [यहां यह स्पष्ट कर देना उचित होगा, कि ध्वनिकार न अलङ्कार को
अत्यन्त सङ्कुचित अर्थ में ग्रहण किया है। अलङ्कार को ध्यापक रूप में ग्रहण
करने पर, अर्थात् उसके अन्तर्गत सभी प्रकार के उक्ति चमत्कार को ग्रहण
करने पर चाहे उसका नामकरण हुआ या नहीं, चाहे वह लक्षणा का चमत्कार
हो अथवा व्यञ्जना का जैसा कि कुन्तक ने सङ्कुचित के विषय में किया है,
उसको न तो शब्द-अर्थ का अस्थिर धर्म सिद्ध करना ही सरल है, और न
अलङ्कार-अलङ्कार्य में इतना स्पष्ट भेद ही किया जा सकता है।]

ध्वनि और पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र

सबसे पहले मनोविज्ञान की दृष्टि से ध्वनि के आधार और स्वरूप पर विचार कीजिये । मनोविज्ञान के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा कवि अपनी रागात्मक अनुभूति को सहृदय के प्रति सवेद्य बनाता है । सवेद्य बनाने का अर्थ यह है कि उसको इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि सहृदय को केवल उसका अर्थ बोध ही नहीं होता बरन उसके हृदय में समान रागात्मक अनुभूति का संचार भी हो जाता है । इस रीति से कवि सहृदय को अपने हृदय रस का बोध न कराकर सवेदन कराता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सहृदय की दृष्टि से रस सवेद्य है बोधव्य अर्थात् वाच्य नहीं । यह सिद्ध हो जाने के उपरान्त, अब प्रश्न उठता है कि कवि अपने हृदय रस को सहृदय के लिये सवेद्य किस प्रकार बनाता है ? इसका उत्तर है भाषा के द्वारा । परन्तु उसे भाषा का साधारण प्रयोग न कर [क्योंकि हम देख चुके हैं कि साधारण प्रयोग तो केवल अर्थ बोध ही कराता है] विशेष प्रयोग करना पड़ता है अर्थात् शब्दों को साधारण 'वाचक रूप' में प्रयुक्त न कर विशेष 'चित्र रूप' में प्रयुक्त करना पड़ता है । चित्र रूप से तात्पर्य यह है कि वे श्रोता के मन में भावना का जो चित्र जगाए वह क्षीण और धूमिल न होकर पुष्ट और भास्वर हो; और यह कार्य कवि की कल्पना शक्ति की अपेक्षा करता है क्योंकि कवि-कल्पना की सहायता के बिना सहृदय की कल्पना में यह चित्र साकार कैसे होगा ? उसके लिए कवि को निश्चय ही अपने शब्दों को कल्पनागर्भित करना पड़ेगा । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि यह 'विशेष प्रयोग' भाषा का कल्पनात्मक प्रयोग है । अपनी कल्पना-शक्ति का नियोजन करके कवि भाषा-शब्दों को एक ऐसी शक्ति प्रदान कर देता है कि उन्हें सुनकर सहृदय को केवल अर्थ-बोध ही नहीं होता बरन उसके मन में एक अतिरिक्त कल्पना भी जग जाती है जो परिणति की अवस्था में पहुँचकर रस सवेदन में विनोयतया सहायक होती है । शब्द को इस अतिरिक्त कल्पना जगाने वाली शक्ति को ही ध्वनिकार ने 'ध्वज्जना' और रस के इस सवेद्य रूप को ही 'रसध्वनि' कहा है । ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पनात्मक के महत्त्व को ही प्रतिष्ठा की है ।

पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में ध्वनि का सीधा विवेचन हुँदा तो असम्भन

होगा क्योंकि पश्चिम की अपनी पृथक् जीवन दृष्टि एवं संस्कृति और उसके अनुसार साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान आदि के प्रति अपना पृथक् दृष्टिकोण रहा है। परन्तु मानव-जीवन की मूलभूत एकता के कारण जिस प्रकार जीव के अन्य मौलिक तत्वों में अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समानताएँ मिलती हैं, इसी प्रकार साहित्य और कला के क्षेत्र में भी मूल तत्व अत्यन्त भिन्न नहीं हैं।

जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है ध्वनि का सिद्धान्त मूलतः कल्पना को महत्व-स्वीकृति ही है और कल्पना का प्रभुत्व पश्चिमी काव्य-शास्त्र में प्रारम्भ से ही रहा है। पश्चिम के आद्याचार्य प्लेटो हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष विधि से काव्य में सत्य के आधार की प्रतिष्ठा की। परन्तु वे विज्ञान के सत्य और काव्य के सत्य का अंतर स्पष्ट नहीं कर सके—उन्होंने बुद्धि के (दर्शन के) सत्य और कल्पना के सत्य को एक मानते हुए काव्य और कवि के साथ घोर अन्याय किया। प्लेटो ने काव्य को अनुकृति माना—यह भौतिक पदार्थों या घटनाओं का अनुकरण करता है, और भौतिक पदार्थ एवं घटनाएँ आध्यात्मिक (ideal) पदार्थों और घटनाओं की प्रतिकृति माने हैं। और चूँकि वास्तविक सत्य आध्यात्मिक घटनाएँ ही हैं, अतएव कवि की रचना सत्य की भौतिक प्रतिकृति की प्रतिकृति है। और प्रतिकृति रूप में भी वह सर्वथा शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें अनेक विकृतियाँ हैं। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि काव्य सत्य से दूर है। एक तो वह सत्य की प्रतिकृति की प्रतिकृति है और उस पर भी विकृति है। भारतीय काव्य-शास्त्र की दृष्टावली में उन्होंने वाच्यार्थ की ही काव्य में मुख्य मान लिया व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति वे नहीं कर सके। और, इसी-लिए वे काव्य की आत्मा को व्यक्त नहीं कर पाये। दार्शनिक धरातल पर प्लेटो के उपर्युक्त सिद्धान्त में बहुत कुछ भारतीय दर्शन के अभिव्यक्तियाँ और व्याकरण के स्फोटवाद का आभास मिलता है जिनसे भारतीय आचार्यों की ध्वनि-सिद्धान्त की प्रेरणा मिली थी। यह एक विचित्र संयोग है कि इनकी दार्शनिक अनुभूति होने पर भी प्लेटो काव्य का रहस्य समझने में असमर्थ रहे। प्लेटो की श्रुति का समाधान अरस्तू ने किया। उन्होंने भी प्लेटो की भाँति काव्य को अनुकृति ही माना। परन्तु उन्होंने अनुकृति का अर्थ प्रतिकृति न करते हुए पुनर्निर्माण अथवा पुनः सृजन किया। प्लेटो की धारणा थी कि काव्य वस्तु की विषयगत प्रतिकृति है, परन्तु अरस्तू ने उसे वस्तु का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण अथवा पुनः-सृजन माना। कवि कथन नहीं करता प्रस्तुत करता है, और श्रोता या पाठक तदनुसार वस्तु के प्रत्यक्षरूप को ग्रहण नहीं करता, वरन् कविमानस

जात रूप को ही ग्रहण करता है, शुक्ल जी के शब्दों में यह कवि को उचित का अर्थ ग्रहण नहीं करता, बिम्ब ग्रहण करता है। इस प्रकार अरस्तू ने ध्वनि या व्यङ्ग्य आदि शब्दों का प्रयोग न करते हुए भी काव्यार्थ को वाच्य न मान कर व्यङ्ग्य ही माना है। उनकी 'मिमंसिस'—प्रनुकरण की व्याख्या में "वस्तु के कल्पनात्मक पुनः सृजन" का अर्थ विभाव, अनुभाव, आदि के द्वारा (वस्तु से उद्बुद्ध) भाव की व्यञ्जना ही है। इस प्रकार अरस्तू के सिद्धान्त में प्रकारान्तर से ध्वनि की स्वीकृति असंदिग्ध है।

अरस्तू के उपरांत यूनान, रोम तथा मध्य यूरोप के आलोचकों ने काव्य के स्वरूप और उपादानों का विवेचन किया। इन आलोचकों में से प्रायः एक बात तो सभी को स्पष्ट थी कि काव्य में शब्द अपने साधारण—कोश और व्यवहारगत अर्थ के अतिरिक्त असाधारण अथवा विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं। इस तथ्य को अनेक प्राचीन आचार्यों ने स्थान स्थान पर व्यक्त किया है। रोमन आलोचक-कवि होरेस ने शब्दों के प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए एक स्थान पर लिखा है "कवि को अपने शब्दों के सङ्कलन में अत्यन्त सावधानी और सूक्ष्म कौशल से काम लेना चाहिये। यदि आप किसी विदग्ध प्रसङ्ग को उद्भावना कर किसी प्राचीन शब्द को नवीन अर्थ दे सकें, तो आप पूर्णतः सफल होंगे।" प्रसङ्ग के द्वारा साधारण (प्राचीन) शब्द में विशेष (नवीन) अर्थ का उद्भास ध्वनिवादियों की अत्यन्त परिचित युक्ति है। इसी प्रकार बिन्टेलियन ने वाणी में चमत्कार लाने के लिए कला का गोपन आवश्यक माना है। वे कला का मूल रहस्य यह मानते हैं कि यह "अपने कर्ता के अतिरिक्त और सभी के लिए अव्यक्त रहे।" कला के अव्यक्त रूप की यह स्थापना भी ध्वनि की प्रकारान्तर से स्वीकृति है।

यूनान और रोम के साहित्यिक ऐश्वर्य के उपरान्त योरूप में अधकार युग आता है जो ज्ञान विज्ञान और कला-साहित्य के चरम ह्रास का युग था। इस अन्धकार में केवल एक ही उज्ज्वल नक्षत्र है और वह है दाने। दाते न विषय और भाषा दोनों की गरिमा पर बल दिया। भाषा के विषय में उन्होंने प्राचीण भाषा को बचाने और औज्ज्वल्यमयी मातृभाषा के प्रयोग का समयन किया है। उन्होंने शब्दों के विषय में विस्तार से लिखा है। उदात्त शब्दों के लिए उन्होंने सो-जाइनस की भाँति उदात्त शब्दों के प्रयोग को अनिवार्य माना है। शब्दों को उन्होंने अनेक वर्णों में विभक्त किया है—कुछ शब्द वर्णों की

तरह तुतलाते हैं^१—वे अत्यन्त सरल-सामान्य नित्य प्रति के हलके-फुलके शब्द होते हैं। कुछ शब्दों में शक्ति का अभाव और केवल स्त्रियों जैसी लोच-लचक मात्र होती है^२, उनके विपरीत कुछ शब्दों में पौरुष होता है। इस तीसरे वर्ग में भी दो प्रकार के शब्द होते हैं ग्रामीण और नागरिक—नागरिक शब्दों में भी कुछ मसृण^३ और चिक्कण^४ होते हैं और कुछ प्रकृत^५ और अनगढ़^६ हैं। इनमें चिक्कण और अनगढ़ में केवल नाद-अभावमात्र होता है। उदात्त शैली के अवयव केवल मसृण और प्रकृत शब्द ही हैं। शब्दों में इस प्रकार के गुणों की कल्पना असद्विध शब्दों में उनकी व्यञ्जकता की स्वीकृति है—व्यञ्जना शक्ति को स्वीकार किये बिना शब्दों की उपयुक्त विशेषताओं और वर्णों की उद्भावना सम्भव ही नहीं हो सकती।

अन्धकार युग के उपरान्त योरुप में पुनर्जागरण-काल का आरम्भ हुआ। यह काव्य और कला के लिए मध्ययुगीन बन्धनों से मुक्ति का युग था। इस युग के काव्य और साहित्य में जहाँ जीवन के निकट सम्पर्क और उसकी पूर्णता की अभिव्यक्ति मिलती है, वहाँ काव्य-शास्त्र में प्रायः प्राचीन आदर्शों की ही स्थापना है। परन्तु धीरे-धीरे नवीन जीवन आदर्श उसमें भी प्रतिफलित होने लगे और सर फिलिप सिडनी को स्वीकार करना पड़ा कि शिक्षण और प्रसादन के अतिरिक्त काव्य का एक और महत्तर प्रयोजन है आन्दोलित करना। इसके साथ ही प्राचीन काव्य-कला के मानों में भी परिवर्तन होने लगा—गरिमा और नियन्त्रण के स्थान पर कल्पना और प्रकृत भावोच्चार का महत्त्व बढ़ने लगा। जैसा कि मैंने आरम्भ में ही कहा है कल्पना का व्यञ्जना से अनिवार्य सम्बन्ध है, और यह बात विलकुल स्पष्ट है। कल्पना का कार्य है मूर्ति-विधान या चित्र-विधान और कवि अपने मन की इन मूर्तियों या चित्रों को पाठक के मन तक प्रेषित करने के लिए निसर्गत चित्रभाषा का ही प्रयोग करता है। चित्रभाषा का कलेवर साकेतिक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से बनता है और ये दोनों व्यञ्जना की विभूतियाँ हैं। अठारहवीं शताब्दी में ड्राइडन ने अपनी स्वच्छ-प्रखर दृष्टि से इस रहस्य का निर्भ्रान्त रूप से उद्घाटन कर दिया था “कवि के लिए विवेक आवश्यक है, परन्तु कल्पना (अर्थात् मूर्ति-विधाधिनी शक्ति) ही उसकी कविता को जीवन-स्पर्श और अव्यक्त छवि प्रदान करती है।” कहने की

१. childish २ womanish ३ combed ४ slippery
५ shaggy ६ rumbled.

आवश्यकता नहीं कि ये अव्यक्त छवियां व्यञ्जना की ही छवियां हैं। पोप के ऐसे आन त्रिटिसिज्म में कुछ पंक्तियां हैं जिनका आनन्दवर्धन के ध्वनि-विषयक श्लोक के साथ विचित्र साम्य है:—

In wit, as nature, what affects our hearts
Is not the exactness of peculiar parts;
'Tis not a lip, or eye, we beauty call
But the joint force and full result of all.

अर्थात् प्रकृति की भांति काव्य में भी अंगों का समुचित अनुक्रम एवं अनुपात हमारे मन का अनुरञ्जन नहीं करता। नारी के शरीर में अर्ध अथवा नेत्र को हम सौन्दर्य नहीं कहते परन्तु सभी अंगों के संयुक्त और सम्पूर्ण प्रभाव का नाम ही सौन्दर्य है। तुलना कीजिए :

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥

अर्थात् महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान कुछ और ही वस्तु है जो स्त्रियों में उनके प्रसिद्ध (अर्ध नेत्र आदि) अवयवों से अतिरिक्त लावण्य के समान शोभित होता है—अथवा जो अलङ्कारादि काव्य-अवयवों से भिन्न उसी प्रकार शोभित होता है जिस प्रकार स्त्रियों में प्रसिद्ध (नेत्रादि) अवयवों से भिन्न लावण्य।

उपर्युक्त उद्धरणों का मूल भाव तो स्पष्टतः एक ही है केवल अवयवों का अन्तर है। आनन्दवर्धन ने लावण्य शब्द के द्वारा इस सौन्दर्य को अव्यक्तता अथवा अर्धव्यक्तता पर थोड़ा अधिक बल दिया है। पोप ने इसको इतना स्पष्ट नहीं किया परन्तु वह उनकी अपनी परिमीमा थी। सौन्दर्य की इस अनिवचनीयता का पूर्ण उत्तर रोमानी युग में हुआ। जर्मनी के १८-१९ वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने और इधर इंग्लैंड में ब्नेक, वर्ड्सवर्थ, शैली आदि ने काव्य में देवी प्रेरणा और कल्पना के रहस्य-स्पर्शों का मुक्त हृदय से गुण-गान किया है। वास्तव में रोमानी काव्य मूलतः ध्वनि-काव्य ही है। उसकी सौन्दर्य-चिन्तना में रहस्य-भावना वा अनिवाय योग है और इस रहस्य-भावना की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की सांकेतिकता (व्यञ्जना) की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है। वर्ड्सवर्थ के लिए सामान्य वस्तुओं में आध्यात्मिक अर्थ की प्रतीति करना वाय्यानुभूति की धरम साधकता थी; ब्लेक और शैली के लिए

भी, प्रकारान्तर से, सामान्य में असामान्य की प्रतीति ही काव्य-सर्वस्व थी। रोमानी कवि भ्रातोचकों ने कविता में जिस 'रहस्यमय अनिर्वचनीय तत्व' को काव्य-सर्वस्व माना वह भ्रानन्दवर्धन के 'प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्तु' से भिन्न नहीं है।

बीसवीं शताब्दी में योरुप में भ्रातोचना शास्त्र पर मनोविज्ञान का आक्रमण हुआ। इटली के दार्शनिक प्रोचे ने अभिव्यजनावाद का प्रवर्तन किया और इधर जर्मनी से प्रतीकवाद का उद्भव हुआ। प्रोचे के अनुसार काव्य सहजानुभूति है और सहजानुभूति अनिवायंत अभिव्यञ्जना है—प्रतएव काव्य मूलत अभिव्यञ्जना है। प्रोचे अभिव्यञ्जना को अखण्ड-रूपिणी मानते हैं—अभिव्यञ्चना का एक ही रूप होता है, उसमें अभिधा, लक्षणा, ध्यञ्जना अथवा वाच्य और व्यग्य का भेद नहीं होता। परन्तु फिर भी प्रोचे की सहजानुभूति कल्पना की क्रिया है। प्रोचे के ही अनुसार वह चेतना की अरूप भक्तियों का एक समन्वित बिम्ब रूप होती है। स्पष्टतः ही यह बिम्ब रूप सहजानुभूति कथित नहीं हो सकती, ध्वनित ही हो सकती है। कहने का अभि-प्राय यह है कि प्रोचे के लिए वाच्य-व्यग्य का भेद तो सर्वथा अनर्गल है, परन्तु उन्होंने व्यग्य का कहीं निषेध नहीं किया। उन्होंने अभिव्यजना को अखण्ड और एकरूप माना है, उसके प्रकार और अवयव-भेद नहीं माने यह ठीक है। परन्तु बिम्ब रूप सहजानुभूति की यह अभिव्यञ्जना कथन-रूप तो हो नहीं सकती, होगी तो वह ध्वनि रूप ही। प्रोचे के लिए सिद्धान्त-रूप में ध्वनि अप्रासंगिक थी—परन्तु व्यवहार रूप में तो वे भी इसको बचा नहीं सके। वास्तव में प्रोचे आत्मवादी दार्शनिक थे। उन्होंने अभिव्यञ्जना का आत्मा की क्रिया के रूप में विवेचन किया है, उसके मूल शब्द-अर्थ रूप में उन्हें अभिरुचि नहीं थी। परन्तु प्रोचे के उपरान्त उनके अनुगामियों ने अभिव्यञ्जना के स्थूल रूप को अधिक ग्रहण किया है और अभिव्यञ्जना के चमत्कार को ही कला का सार-तत्त्व माना है। स्वभावतः ही इन लोगो का ध्वनि से निकटतर सम्बन्ध है। प्रतीकवाद तो स्वीकृत रूप से प्रतीकात्मक तथा साकेतिक अभिव्यक्ति के ही आश्रित है। उसकी तो सम्पूर्ण क्रिया-प्रक्रिया ध्वनि (साकेतिक अर्थ) को लेकर ही होती है।

इस शताब्दी के काव्य और कला सम्बन्धी विचारों पर प्रायः का

गहरा प्रभाव है परन्तु फ्रायड ने कला के मूल दर्शन का हा विवेचन किया है— उसकी मूर्त अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने चिन्ता नहीं की। वे काव्य और कला को स्वप्न का सगोत्री मानते हुए उसे मूलतः स्वप्न-चित्र^१ रूप जानते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये स्वप्न चित्र भी अनिवार्यतः व्यंग्य के ही आश्रय से व्यक्त हो सकते हैं। कवि अपने मन के कुण्ठा जग्य स्वप्न-चित्र को स्पष्टतः व्यञ्जना ही कर सकता है कथन नहीं। क्रोचे और फ्रायड का उल्लेख मने केवल इस लिए किया है कि आधुनिक कला विवेचन पर इनका गहरा और सार्वभौम प्रभाव है तथा किसी भी काव्य-सिद्धान्त की समीक्षा में इनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। वैसे इनका सीधा सम्बन्ध प्रस्तुत विषय से नहीं है— (यद्यपि इनके सिद्धान्तों में ध्वनि की अप्रत्यक्ष स्वीकृति सर्वथा असदिग्ध है।) इनकी अपेक्षा डा० ब्रंडले जैसे कलावादी^२ तथा श्री रोड जैसे अतिवस्तुवादी^३ आलोचकों का ध्वनि-सिद्धान्त से अधिक ऋजु सम्बन्ध है। कलावादियों का 'कलात्मक अनुभव की अनिवंचनीयता' का सिद्धान्त भी आनन्दवर्धन के 'प्रतीयमान पुरण्यदेव' का ही रूपान्तर है। फ्रास के अतिवस्तुवादी और उनके अगरेज प्रवक्ता श्री रोड और उधर स्पिगान जैसे प्रभाववादी^४ तो व्यंग्य के ही नहीं—गूढ व्यंग्य के समर्थक हैं। प्रभाववादी तो एक शब्द से केवल एक अर्थ का ही नहीं सारे प्रकरण की व्यञ्जना का दुष्कर कार्य लेते हैं। देखिये स्पिगान की कविता का शुक्ल जी कृत विश्लेषण (चिन्तामणि भाग, २)

उपयुक्त प्रायः सभी काव्य सिद्धान्तों में अतिवाद है। इंग्लैंड के मेधावी अलोचक रिचर्ड्स ने मनोविज्ञान की वैज्ञानिक कसौटी पर कस कर इन सबको छोटा ठहराया और काव्यानुभूति की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। उन्होंने 'अपन प्रिंसिपल्स आफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म (काव्यालोचन के सिद्धान्त)' और 'मीनिंग आफ मीनिंग (अर्थ का अर्थ)' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थों में शब्दों की व्यञ्जक शक्ति और कविता की ध्वन्यात्मकता के विषय में कई स्थानों पर बहुमूल्य विचार प्रकट किये हैं। काव्यानुभूति की प्रक्रिया में वे छ सहायक मानते हैं १ शब्द को पढ़कर या सुन कर उत्पन्न होने वाले दृष्टि-गोचर सवेदन अथवा कण्ठगोचर सवेदन, २ सम्बद्ध मूर्तिविधान, ३ स्वतन्त्र मूर्तिविधान, ४ विचार, ५ भाव और ५ रागात्मक दृष्टिकोण।

1 Phantasy 2 Aesthetes 3 Sur realist. 4 Impres-
sionists

काव्य की पढ़कर या सुनकर पहले तो सर्वथा भौतिक, दृष्टिगोचर या कर्णगोचर संवेदन उत्पन्न होते हैं, उसके उपरान्त उनसे सम्बद्ध वाक्चित्र¹—उत्पन्न हो जाते हैं, फिर यह प्रथिया और आगे बढ़ती है और एक स्वतंत्र चित्र-जाल मन की आँखों के सम्मुख जा जाता है। तदुपरान्त उनसे सम्बद्ध विचार और फिर भाव और अन्त में इस क्रिया के फलस्वरूप विशेष रागात्मक दृष्टि-कोण बन जाता है। जैसा कि स्वयं रिचर्ड्स ने ही स्पष्ट किया है, इनमें से २ अर्थात् वाक्चित्रों का सम्बन्ध शब्द से है और ३ का शब्द के अर्थ से²। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस विश्लेषण में ध्वनि-सिद्धान्त का स्पष्ट आभास है। २ में रिचर्ड्स प्रकारान्तर से वर्णध्वनि की चर्चा कर रहे हैं, और ३ और उसके आगे ४, ५, ६, में शब्द और अर्थ ध्वनि को (of things words stand for)। आगे चलकर भाषा के विवेचन में उन्होंने अपना मन्तव्य और स्पष्ट किया है। भाषा के ये दो प्रयोग मानते हैं एक वैज्ञानिक³ प्रयोग दूसरा रागात्मक⁴ प्रयोग। वैज्ञानिक प्रयोग किसी वस्तु का ज्ञान भर बरा देने के लिए किया जाता है, रागात्मक प्रयोग भाव जपाने के लिए किया जाता है। शुक्ल जी के शब्दों में पहले से अर्थ का ग्रहण होता है दूसरे से बिम्ब का।—भारतीय काव्यशास्त्र की शब्दावली में, पहले प्रयोग का आधार शब्द की अभिधा शक्ति है, और दूसरे का आधार व्यञ्जना अथवा लक्षणा-आश्रित व्यञ्जना।

अब तक मैंने जिन पश्चिमीय आचार्यों का उल्लेख किया है, उनमें से प्रायः अधिकांश में प्रकारान्तर से ही ध्वनि सिद्धान्त की स्वीकृति मिलती है। अब अन्त में मैं एक ऐसे पश्चिमीय आलोचक का उद्धरण देकर इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ जिन्होंने काव्य में ध्वनि सिद्धान्त का सीधा प्रतिपादन किया है। ये हैं अगरेजी के कवि आलोचक एवरकोम्बो। उनका मत है “साहित्य का कार्य है अनुभूति का प्रेषण—परन्तु अनुभूति भाषा में तो घटित होती नहीं। (अतएव) कवि की अनुभूति इस प्रकार की प्रतीक भाषा में अनूदित होनी चाहिए जिसका सहृदय फिर अपनी अनुभूति में अनुवाद कर सकें—दोनों अवस्थाओं में ही अनुभूति भावित तो होगी ही। × × × ×

1 Verbal images

2 They differ from those to which we are now proceeding (i.e. 3) in being images of words not of things words stand for.

3 Scientific 4 Emotive

× × इस प्रकार, अनुभूति जैसी अत्यन्त तरल (परिवर्तनशील) वस्तु का अनुवाद भाषा में करना पड़ता है जिसकी शक्ति स्वभाव से ही अत्यन्त सीमित है। अतएव काव्य कला सदा ही किसी न किसी अंश में ध्वनि रूप होती है और काव्य कला का चरम उत्कर्ष है भाषा की इस व्यञ्जना शक्ति को अधिक से अधिक व्यापक, प्रभावपूर्ण, प्रत्यक्ष, स्पष्ट तथा सूक्ष्म बनाना। यह व्यञ्जना शक्ति भाषा की साधारण अर्थ विधायिनी (अभिधा) शक्ति की सहायक होती है।

भाषा की इसी शक्ति का परिज्ञान कवि को सामान्य व्यक्ति से पृथक् करता है। इसी व्यञ्जना वृत्ति के प्रति सवेदनशीलता सहृदय की पहचान है। (अतएव) कर्ता में प्रेरक, और भोक्ता में प्राहक रूप से वर्तमान यही वह विशेष गुण है जिसे कि काव्य की आत्मा मानना चाहिए।”

उपर्युक्त उद्धरण पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। इसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो प्रो० एवरक्राम्बी भारतीय ध्वनि सिद्धांत का अंग्रेजी में व्याख्यान कर रहे हों।

पाश्चात्य काव्य-शास्त्र के अलङ्कार विधान में ध्वनि की स्वीकृति और भी प्रत्यक्ष है। हमारे यहां लक्षणा-व्यञ्जना को शब्द की शक्तियाँ मान कर उनके चमत्कार का पृथक् विवेचन किया गया है, परन्तु पश्चिम में उनके चमत्कार अलङ्कार रूप में ग्रहण किये गये हैं। उदाहरण के लिए यत्रतामूलक इनुएडों और आपरनी में व्यञ्जना का प्रत्यक्ष आधार है। इन दोनों के अनेक उदाहरण शुद्ध ध्वनि के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। भारतीय काव्य-शास्त्र के अनुसार उनका समावेश अलङ्कारों के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें धाव्याय का चमत्कार नहीं, प्रायः व्यङ्ग्यार्थ का ही चमत्कार होता है। मूप्यूमिरम में कटुता को बचाने के लिए अप्रिय बात को प्रिय शब्दों में सपेट कर कहा जाता है—सकृत के पर्याय की भाँति उसका भी आधार निश्चय ही व्यञ्जना है।—इत्यादि।

हिन्दी में ध्वनि

साधारणतः हिन्दी का आदि कवि छंद और आदि काव्य पुम्बीराज रातो माना जाता है, परन्तु इससे पूर्ववर्ती पुरानी हिन्दी का काव्य भी धात्र उपरम्य होगया है—जितने अन्तर्गत अनेक प्रबन्ध-काव्य तथा स्फुट मोति-साहित्य मिलना

है। प्रबन्ध काव्यकारों में सबसे प्रसिद्ध थे स्वयंभुदेव कविराज, जिनका समय चन्द से ढाई शताब्दी पूर्व सन् ७६० ई० के आसपास था। उनका रामायण ग्रन्थ अनेक रूपों में तुलसी के रामचरित मानस का प्रेरणा-स्रोत था। स्वयंभुदेव ने तुलसीदास की तरह ही अपनी विनम्रता का वर्णन किया है अथवा यों कहिये कि तुलसीदास ने ही उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपनी दीनता आदि का वर्णन किया है। स्वयंभुदेव ने कुछ स्थलों पर काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी दो एक संकेत दिये हैं :

बुद्धयण सयंभु पई विणवई । महु सरिसउ अणण गाहि कुरुई ॥
वायरणु क्यारण जणियउ । सउ वित्ति मुत्तं वक्खाणियउ ॥
णा णिसुणियउ पंच महायकच्चु । णउ भरहण लक्खणु छंदु सच्चु ॥
णउ बुद्धउं पिगल पच्छारु । णउ भामह दडियलंकारु ॥

बुधजनों के प्रति स्वयंभु विनती करता है कि मेरे सरिस अन्य कुकवि नहीं है। मैं व्याकरण किंचित् भी नहीं जानता। वृत्ति सूत्र का वर्णन भी नहीं कर सकता। मेने पंच महाकाव्य नहीं सुने हैं और न भरत [के नाट्य शास्त्र] का अध्ययन किया है, मैं सब छन्दों के लक्षण भी नहीं जानता। न मैं पिगल-प्रस्तार से अभिन्न हूँ और न मैंने भामह तथा दडी के अलङ्कार-ग्रन्थ ही पढ़े हैं।

इसके अतिरिक्त एक और स्थान पर स्वयंभु ने लिखा है—

अक्खर वास जलोह मणोहर । सुयलङ्कार छन्द मच्छोहर ॥
दीढ-समासा पयाहा वंकिय । सक्खय पायय पुल्लणालङ्किय ॥
देसी-भासा उभय तडुज्जल । कवि-दुक्कर घण-सद्-सिलायल ॥
अध्य बहुल कल्लोल णिट्ठिय । आसा-सय-सम उह परिट्ठिय ॥

इसमें [रामरूपा में]

अक्षर मनोहर जलोक है, सु अलङ्कार और छन्द मछलिया हैं। दीर्घ समास बकिम प्रयाह है। ससृत प्राकृत पुलिन है। देसी भाषा के उभय उज्ज्वल तट हैं। कवियों के लिए दुष्कर घने शब्द शिलातल है। ग्रंथ-बहुला बल्लोल है। शत-शत आशाएँ तरंगें हैं।.. आदि।

प्रबन्ध-काव्यकार होने के माने स्वयंभुदेव को रस के प्रति अप्रगृहीत होना चाहिए था। परन्तु उपर्युक्त सचेतों में रस का उल्लेख नहीं है, ध्वनि का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि स्वयंभुदेव आनन्दवर्धन के पूर्ववर्ती कवि थे। वास्तव

में उन पर पूर्व ध्वनि कालीन प्रभाव था, इसीलिए उन्होंने भामह और दडी के अलङ्कार निरूपण, और वामन की सूत्र वृत्ति [रीति निर्णय] का हो उल्लेख किया है । उन्होंने बोध समास और घनी शब्दावली [रीति, वृत्ति] अलङ्कार, छन्द प्रस्तार को अधिक महत्व दिया है । अथ बहुलता' में भी रसवादी कवियों को छोड़ भारवि और माघ आदि शब्द अथ शिल्पी कवियों को ओर ही संकेत है । परन्तु यह समय का प्रभाव था ।

हिंदी के आरम्भिक काल—वीर गायक काल—में मुख्यतः वीर गायक और वीर गीतों तथा साधारणतः नीतिपरक फुटकर कविताओं की ही रचना हुई थी । इनके अतिरिक्त सम्भव है कुछ पण्डित गोष्ठियों में साहित्य शास्त्र की भी चर्चा होती रही हो जिसमें रस, ध्वनि, अलङ्कार आदि शास्त्र सिद्धान्तों का खडन मडन, अध्ययन अध्यापन होता रहा होगा । परन्तु उसका कोई निश्चित प्रमाण या परिणाम आज उपलब्ध नहीं है । वीर-गायक कवि विशेषतः चद निश्चय ही शास्त्र ममज्ञ कवि थे । उन्होंने छ भाषाओं का तथा विभिन्न शास्त्र पुराण आदि का विधिवत अध्ययन किया था ।

उनके काव्य में व्यापक धमनीति और राजनीति का समावेश तथा नवरस का परिपाक है

उक्ति धर्म विसालस्य । राजनीति नय रस ॥

पट्भाषा पुराण च । कुरान कथित मया ॥

पृथ्वीराज रासो में जिस प्रचुरता के साथ अलङ्कार, गुण, रीति तथा रस सामग्री आदि का प्रयोग किया गया है उससे स्पष्ट है कि कवि चद ने काव्य शास्त्र के अङ्ग उपाङ्गों का सम्यक अध्ययन किया था । परन्तु यह सब होने हुए भी सिद्धान्त विवेचन उनके काव्य के लिए अप्रासङ्गिक था । वैसे इनके काव्य का अध्ययन करने के उपरांत मही निष्कर्ष निकलता है कि वीर और शूद्राण का परिपाक करने वाले ये कवि रसवादी ही थे । प्रत्येक काव्यकार होने के नाते भी ध्वनि की अपेक्षा रस सम्प्रदाय से ही इनका घनिष्ठतर सम्बन्ध था । चद ने लिखा भी है " राजनीति नय रस ।"

वीरगाथाकाव्य के उपरांत निर्गुण काव्य पारा प्रयाहित हुई । ये कवि सिद्धान्त और व्यवहार दोनों की दृष्टि से शास्त्रीय परम्परा से दूर थे । इनके तो काव्य के लिए भी काव्य सिद्धान्तों का ज्ञान भी अप्रासङ्गिक था, विवेचन तो दूर ही बात रही । फिर भी इनके काव्य का ध्वनि सिद्धान्त से अनिवाप तथा

प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। जैसा कि मने पाश्चात्य काव्य-शास्त्र के प्रसङ्ग में स्पष्ट किया है रहस्यवाद का ध्वनि से अनिवार्य सम्बन्ध है क्योंकि रहस्यानुभूतियों का कथन नहीं हो सकता, व्यञ्जना ही हो सकती है। इसीलिए कबीर ने अपने रहस्यानुभव को गूगे का गुड वताते हुए संना-बंन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति सम्भव मानी है। संना बंन का स्पष्ट अर्थ है साकेतिक भाषा अर्थात् व्यञ्जना-प्रधान भाषा। इसी प्रकार प्रेमाश्रयी कवियों की रचनाएँ भी ध्वनि-काव्य के अन्तर्गत ही आती हैं। जायसी ने अपने काव्य को अन्योक्ति कहा है। प्रबन्धगत अन्योक्ति अथवा समासोक्ति या रूपक गूढ व्यञ्ज्य पर आश्रित रहता है। उसका मूलार्थ सबया ध्वनित होता है। परन्तु चूँकि इस प्रकार के अन्योक्ति या रूपक काव्य के द्वारा रस की व्यञ्जना न होकर अन्ततः सिद्धान्त [वस्तु] की ही व्यञ्जना होती है इसलिए यह उत्तमोत्तम [रस-ध्वनि] काव्य के अन्तर्गत नहीं आता। रूपक काव्य जहाँ तक कि उसके रूपक तत्व का सम्बन्ध है मूलतः वस्तु-ध्वनि के ही अन्तर्गत आता है और यह वस्तु भी गूढ व्यञ्ज्य होती है अतएव इसकी श्रेणी रस ध्वनि से निम्नतर ठहरती है। यही कारण है कि शुबलजी ने पद्मावत को मूलतः प्रबन्ध काव्य ही माना है, उसके अन्योक्ति रूप को आनुपगिक माना है।

और यह ठीक भी है। इसमें सन्देह नहीं कि जायसी ने अपने काव्य में सूफी सिद्धांत (वस्तु की) व्यञ्जना की है, परन्तु वे प्रकृत रससिद्ध कवि थे। अतएव उनका सिद्धान्त पीछे रह गया है और प्रीति में डूबा हुआ रसमय काव्य ही प्रमुख हो गया है। जायसी ने स्वयं कहा भी है—

जोरी लाइ रक्त कै लेई । गाढ़ी प्रीति नयनहि जल भेई ॥
मैं जिय जानि गीत अस कीन्हा । मखु यह रहै जगत महुँ चीन्हा ॥

प्राणों के रक्त से लिखी हुई और गाढ़ी प्रीति से उद्भूत नयनों के जल से भोगी हुई कविता वस्तु [सिद्धान्त] की ही व्यञ्जना करके बँते रह जाती ? उसमें रस की व्यञ्जना निस्सन्देह है।

कबीर-जायसी के युग के बाद मूर-तुलसी का युग आता है। रामभक्त और कृष्णभक्त कवि प्रायः सभी शास्त्र निष्ठ थे, उनका दर्शन और काव्य दोनों का शास्त्रों से सम्पर्क था, परन्तु फिर भी सिद्धान्त रूप में वे भक्ति को शास्त्र से अर्थात् भावना की दृष्टि से अधिक महत्त्व देते थे। तुलसी ने काव्य के दो उद्देश्य माने हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो स्वान्त मुखाय रघुनाथ गायक का वर्णन करना,

श्रीर अत्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा लोकधर्म की प्रतिष्ठा करना । दूसरे शब्दों में तुलसी के काव्य में आत्मरजन और लोकरजन का पूर्ण समन्वय है, व्यक्ति-परक और वस्तु-परक दृष्टिकोणों का सामञ्जस्य है । उच्च भाव तत्व के साथ ही उनमें बुद्धि तत्व और कल्पना तत्व का भी उचित समन्वय है, फिर भी कुल मिलाकर तुलसी और उनके अनुयायी रामभक्तों को रस सम्प्रदाय के अन्तर्गत ही मानना पड़ेगा ।

काव्य रचना के अतिरिक्त तुलसी के सैद्धान्तिक सकेतो से भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है । काव्य के उपकरणों के विषय में उन्होंने लिखा है —

आखर अरथ अलंकृति नाना । छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ॥

भाव भेद रस भेद अपारा । कवित दोष गुण विविध प्रकारा ॥

उपर्युक्त उद्धरण में उन्होंने शब्दायं, अलङ्कार, छन्द, दोष और रस और भाव को काव्य के उपकरण माना है—ध्वनि का उल्लेख भी नहीं किया ।

परन्तु ये उपकरण तो साधन मात्र हैं—साध्य है राम भक्ति ।

भनिति विचित्र सुकविभूत जोऊ ।

राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥

अतएव तुलसी के मत में भक्ति रस ही काव्य का प्राण है । और स्पष्ट शब्दों में—

हृदय सिंधु मति सीप समाना । रजाति सारदा कहहि मुजाना ॥

जो बरसइ बर बारि निचारु । होइ कवित मुहुतामनि चारु ॥

जुगुति येधि पुनि पोहिहहि, रामचरित बर ताग ।

पहिरहि सज्जन निमल उर, सोभा अति अनुराग ॥

काव्य की मूल सामग्री है भाव [हृदय-सिंधु] उसकी सज्जितता है (मति बारवित्री प्रतिभा) जिसकी सरस्वती में प्रेरणा प्राप्त होती है—अर्थात् यह प्रतिभा ईश्वर-प्रदत्त है । अष्ट विचार यथा वा जल अर्थात् पोषक तत्व है । परन्तु इस प्रकार उद्भूत काव्य-मणियों सज्जनो का हृदय हार तभी बनती है जब रामचरित के सुन्दर तार में, पुनि-सूत्रक उन्हें पिको दिया जाए । अर्थात् अष्ट काव्य के सिधे निम्न विहित उपकरणों और तथ्यों की प्रायश्चित्तता होती है —भाव-समुद्धि, बारवित्री ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा, अष्ट विचार [उन्मूढ जोवन-बन्त] और रामभक्ति जो इन सबका प्राणतत्व है ।

उन्होंने प्रारम्भ में ही कहा है : “वर्णानां अर्थसधानाम् रसानां छव-
सामपि । भगलानाम् च कर्तारो वदे वाणीविनायकी ।”

कृष्णभक्त कवियों में तो रागतत्व का और भी अधिक प्राधान्य है । इसका अभिप्राय यह नहीं है, इन कवियों के काव्यों में ध्वनि की किसी प्रकार भी उपेक्षा की गई है । वास्तव में तुलसी, सूर और अन्य सगुण भक्त कवियों की रचनाओं में रस ध्वनि, वस्तु-ध्वनि तथा अलङ्कार-ध्वनि के अगणित उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं । सूर तथा अन्य कृष्णभक्त कवियों का भ्रमरगीत काव्य जो मूलतः उपालम्भ काव्य है, रस-ध्वनि का उत्कृष्ट नमूना है । फिर भी इन प्रतिशय रागी कवियों को रसवादी न मानना इनके काव्य की आत्मा के प्रति अन्याय करना होगा ।

इन कवियों के उपरान्त हिन्दी साहित्य में रीति कवियों का आविर्भाव हुआ । ये सभी कवि मूलतः काव्य सिद्धान्त के प्रति जागरूक थे । इन्होंने काव्य-शास्त्र और उसके विभिन्न सम्प्रदायों का विधिवत् अध्ययन किया था, और अनेक ने अपने काव्य में उनका विवेचन भी किया । व्यवहार रूप से भी यह युग मुक्तक काव्य का युग था—और जैसा कि अन्यत्र कहा गया है ध्वनि-सिद्धांत का आविष्कार ही वास्तव में मुक्तक-काव्य को उचित स्वीकृति देने के लिए हुआ था । अतएव हिन्दी साहित्य के इतिहास में ध्वनि सिद्धान्त की वास्तविक महत्त्व-स्वीकृति इसी युग में हुई । वैसे तो इसमें सन्देह के लिए अवकाश नहीं है कि रीति युग पर रसवाद और उसमें भी शृङ्गारवाद का ही आधिपत्य रहा, फिर भी अन्यवादों की भी पूर्णतः उपेक्षा नहीं की गई—अलङ्कार और ध्वनि के समर्थकों का स्वर भी मन्द नहीं रहा । सबसे पहले तो सेनापति ने ही अपने काव्य की सिफारिश करते हुए उसकी ध्वन्यात्मकता पर विशेष बल दिया है—‘सरस अनूप रस रूप या में धुनि है ।’ उनका रीतिग्रन्थ काव्य कल्पद्रुम आज अप्राप्य है, अतएव इसके विषय में कुछ कहना असंभव होगा । उनके उपरान्त हिन्दी के अनेक आचार्यों ने मम्मट के अनुसरण पर काव्य का सर्वांग विवेचन किया है जिनमें से मुख्य हैं कुलपति, श्रीपति, दास और प्रतापसाहि । इन कवियों की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत बौद्धिक थी और वे मम्मट की ही भाँति ध्वनि अथवा रसध्वनिवादी थे । इनके काव्य की पद्धति और रीति सिद्धान्त दोनों ही इसके प्रमाण हैं । कुलपति ने स्पष्टतः ही ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है ।—

व्यंग्य जीव ताको कहत, शब्द अर्थ है देह ।

गुन गुन, भूपन भूपनै, दूपन दूपन देह ॥ (रस-रहस्य)

दास ने यद्यपि आरम्भ में रस को कविता का अंग अर्थात् प्रधान अंग माना है—

रस कविता को अंग, भूपन हैं भूपन सकल,

गुन सरूप और रंग दूपन करै कुरूपता । (काव्य-निर्णय)

परन्तु फिर भी उनके ग्रंथ में इस प्रकार के स्पष्ट सङ्केत हैं कि रस से उनका तात्पर्य रस-ध्वनि का ही है ।

भिन्न भिन्न यद्यपि सरूप, रस भावादिक दास,

रसै व्यंगि सबको कह्यौ, ध्वनि कौ जहां प्रकास । (का०नि०)

इसके अतिरिक्त मम्मट की ही तरह इन्होंने अलंकार को भी बहुत महत्व दिया है :—

अलंकार विनु रसहु है, रसौं अलंकृति छँडि,

मुकयि बचन रचनान सौं, देत दुहन को मंडि । (का० नि०)

प्रतापसाहि तो स्विकृत रूप में ध्वनिवादी थे ही :—

व्यंग जीव है कवित में, शब्द, अर्थ गति अंग ।

सोई उत्तम काव्य है, बरनै व्यंग्य प्रसंग ॥ (व्यंग्यार्थ कौमुदी)

उन्होंने व्यंग्य पर एक स्वतंत्र ग्रंथ ही रचा है जिसमें सारे रस-प्रसंग का व्यंग्य (ध्वनि) के द्वारा वर्णन किया गया है ।

हिन्दी रीति काव्य में ध्वनिवाद का सर्वोत्कृष्ट रूप बिहारी और प्रतापसाहि में मिलता है । बिहारी ने यद्यपि सशङ्क-ग्रंथों की रचना नहीं की परन्तु उनके काव्य की प्रवृत्ति सर्वथा ध्वनिवाद के ही अनुकूल थी । उनके दोहों के काव्यगुण का विश्लेषण करने पर यह संदेह नहीं रह जाता कि ये रसायन के शुद्ध मानसिक-प्राकृतिक आनन्द की अपेक्षा ध्वनिवाद के बौद्धिक आनन्द को ही अधिक महत्व देते थे । उन्होंने (अथवा उनके किसी अतरंग समकालीन ने) सतसई की ध्वन्यात्मकता पर ही बत दिया है :—

मतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर ।

देगन में छोटे लगें, धाय करे गम्भीर ॥

यह निश्चय ही उनके व्यंग्य-गुण की प्रशंसा है ।

इस युग में ध्वनि का प्रबल विरोध दो आचार्यों ने किया—केशवदास ने श्रीर देव ने। केशवदास ने अलंकारवाद की निर्भ्रांत स्थापना की, साथ ही रसिकप्रिया में शृङ्गारवाद को भी मान्यता दी, परन्तु ध्वनि का उन्होंने सर्वथा बहिष्कार किया। उन्होंने भामह-दंडी की ध्वनिपूर्व अलंकारवादी परम्परा को तो मूलतः अपनाया ही, इसके साथ ही ध्वनि-उत्तर शृङ्गारवाद को भी ग्रहण किया, परन्तु ध्वनि की उन्होंने सर्वथा उपेक्षा की। दूसरे आचार्य रसमूर्ति देव रसवाद के प्रबल पृष्ठपोषक थे। उन्होंने तो व्यञ्जना को अधम ही कह दिया

अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लच्छना-लीन।

अधम व्यञ्जना रस-कुर्दादल, उलटी कहत नवीन ॥

उपर्युक्त दोहों को मूल-प्रसंग से विच्छिन्न कर छाचार्य शुक्ल ने अपनी प्रमोघ शैली में उसकी आवश्यकता से अधिक छीछालेदार कर डाली हैं, और दूसरे लोग भी मूल-प्रसंग को देखे बिना ही उनका अनुकरण करते गये हैं। उपर्युक्त दोहा पात्र वर्णन प्रसंग का है देव ने शुद्ध-स्वभावा स्वकीया को वाच्य-वाचक पात्र माना है, गर्व-स्वभावा स्वकीया को लक्ष्य साक्षणिक पात्र, श्रीर शुद्ध-परकीया को व्यञ्जक-व्यञ्जक पात्र। इस प्रकार शुद्ध-स्वभावा मुग्धा स्वकीया का सम्बन्ध अभिधा से है अर्थात् वह मुग्ध-स्वभावा होने के कारण अभिधा का प्रयोग करती हुई सीधी-सादी बात करती है। गर्व-स्वभावा प्रौढ़ा स्वकीया के स्वभाव श्रीर वाणी में मुग्ध सारल्य की कमी हो जाती है, और उसकी अभिव्यक्ति का साधन लक्षणा हो जाती है। परकीया के स्वभाव श्रीर वाणी में वक्रता होना अनिवार्य है, अतएव उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है व्यञ्जना। इसी कारण देव का मत है कि,

स्वीय मुग्ध मूरति सुधा, प्रौढ़ सिता पय सिक्त।

परकीया करकस सिता, मरिच परिचयनि तिक्त ॥

कहने का तात्पर्य यह है कि देव ने अभिधा को शुद्ध-स्वभावा स्वकीया से श्रीर व्यञ्जना को परकीया से एकत्र कर देना है, अतएव उपर्युक्त दोहों में व्यञ्जना की भर्त्सना का लक्ष्य बहुत कुछ परकीया की रसाभिव्यक्ति ही है। उपर्युक्त व्याख्या के उपरान्त भी देव के काव्य विवेचन का सर्वांगरूप से पर्यवेक्षण करने पर इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता कि देव को रस के प्रति अत्यन्त प्रबल आग्रह था और उन्होंने ध्वनि का बहिष्कार ही किया है। उन्होंने

काव्य के सभी अङ्गों का—यहा तक कि पिंगल का भी यत्किञ्चित् विस्तार से विवेचन किया है, परन्तु ध्वनि का उल्लेख मात्र भी नहीं किया। वास्तव में वेद हृदय की रागात्मक अनुभूतियों को ही काव्य का सर्वस्व मानते थे, अतएव उन्हें स्वभावोक्ति और अभिधा से ही ममता थी—व्यञ्जना को पहली बुझीबल मानने की मूढता तो उन्होंने नहीं की, परन्तु उनकी रस योजना में उसका स्थान गौण ही है।

संस्कृत में ध्वनि के समर्थ प्रवक्ता मम्मट ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए रस आदि का असलक्ष्यरूप ध्वनि के अन्तर्गत वर्णन करने की परिपाटी चला दी थी, जिसका पण्डितराज जगन्नाथ ने भी अनुसरण किया। परन्तु विश्वनाथ ने रस को अग्री घोषित करते हुए मम्मट की पद्धति में सशोधन किया। उन्होंने रस का स्वतन्त्र विवेचन करते हुए ध्वनि की एक पृथक् परिच्छेद में व्याख्या की। रीतिकालीन आचार्यों ने रस और ध्वनि के सम्बन्ध में प्रायः विश्वनाथ का ही मार्ग ग्रहण किया है।

रीति-युग के उपरान्त आधुनिक युग का आरम्भ होता है। इस युग के तीन खण्ड किये जा सकते हैं—भारतेन्दु काल, द्विवेदी-काल, वर्तमान काल। इनमें से भारतेन्दु काल प्रयोग काल था, उसमें मुरपत गद्य की रूपरेखा का निर्माण हुआ। कविता के प्रति दृष्टिकोण भी बदलना आरम्भ हो गया था और वह कभी पीछे भक्तियुग की ओर देखती हुई और कभी आगे जीवन की वास्तविकताओं पर दृष्टि डालती हुई अपने नूतन पथ का निर्माण कर रही थी। यह दृष्टिकोण द्विवेदी काल तक आते आते स्थिर हो गया। हिन्दी कविता ने अपना माग चुन लिया था—उसने जीवन की वास्तविकता को अपना सवेद्य मान लिया था। व्यवहार रूप में हिन्दी के किसी युग में ध्वनि का इतना तिरस्कार नहीं हुआ। इस दृष्टि से यह ध्वनि के चरम पराभव का समय था। इस काल खण्ड की कविता शैली को आचार्य शुक्ल ने इसीलिए इतिवृत्त कहा है। इतिवृत्त शैली ध्वनि का एकांत विपरीत रूप है। व्यञ्जना का वैपरीत्य इतिवृत्त कथन अथवा वाचन है और और द्विवेदी युग की कविता में इसी का प्राधान्य था।

द्विवेदी युग की कविता और आलोचना में एक विचित्र व्यवधान मिलता है। कविता में जहा नय युग की इतिवृत्तात्मकता और गद्यमयता है, यहा काव्य सिद्धांतों में प्रायः परम्परा का ही प्रयत्न आग्रह है। इस युग के प्रतिनिधि आलोचकों में मिथवन्धु—प० वृष्णाधिहारी मिश्र सहित, सा० भगवान-

दीन तथा पं० पर्यासिह शर्मा का नाम उल्लेख्य है । इनमें मिश्रबन्धुओं के काव्य-सिद्धान्तों की परिधि व्यापक है—उनमें पूर्व और पश्चिम के सिद्धान्तों का मिश्रण है । पं० कृष्णविहारी मिश्र की दृष्टि अधिक स्थिर है, उन्होंने भारतीय काव्य सिद्धान्तों को अधिक स्वच्छ रूप में ग्रहण किया है और स्थान-स्थान पर रस, अलंकार, ध्वनि आदि की चर्चा की है । परन्तु सब मिलाकर ये रसवादी ही हैं—कृष्णविहारी जी की रस-दृष्टि विहारी और केशव के काव्यों की अपेक्षा देव, मतिराम और बेनी प्रवीण के सरस काव्यों में ही अधिक रमी है । उन्होने स्पष्ट शब्दों में रस-सिद्धान्त की मान्यता घोषित की है ।

“वास्तव में रसात्मक काव्य ही सत्काव्य है ।”

“रसात्मक वाक्य में बड़ी ही सुन्दर कविता का प्रादुर्भाव होता है । नोरस एवं अलंकार-प्रधान कविता में बहुत थोड़ी रमणीयता पाई जाती है । शब्द-चित्र से पूर्ण वाक्य तो केवल कहने भर को कविता के अन्तर्गत मान लिया गया है ।”

“रमणीय वह है जिसमें चित्त रमण करे—जो चित्त को अपने आप में लगा ले । रमणीयता आनन्द की उत्पत्ति करती है । कविता की रमणीयता से जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह लोकोत्तर है ।”

“कविता कई प्रयोजनों से की जाती है । एक प्रयोजन आनन्द भी माना गया है । यह आनन्द लोकोत्तर होता है । कविता को छोड़ अन्यत्र इस आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । यों तो भूत-मात्र की उत्पत्ति आनन्द से है, जीवन की स्थिति भी आनन्द से ही है तथा उसकी प्रगति और नित्य भी आनन्द में ही है, फिर भी कविता का आनन्द निराला है । आत्मा के आनन्द का प्रकाश कला द्वारा ही होता है ।”

“कविता में सौन्दर्य की उपासना है । सौन्दर्य से आनन्द की प्राप्ति है । कविता के लिए रमणीयता परमावश्यक है । आनन्द के अभाव में रमणीयता का प्रादुर्भाव बहुत कठिन है । सो कविता के सभी प्रयोजनों में आनन्द का ही बोलबाला है ।”

(मतिराम-ग्रन्थावली की भूमिका)

ला० भगवानदीन के दृष्ट कवि थे केशव । निदान उनकी प्रवृत्ति अलंकार-वाद की ओर ही थी, उधर विहारी की कविता को उत्तम काव्य का आदर्श मानने वाले पं० पर्यासिह शर्मा का ह्रान्त स्वभावतः ध्वनि-सिद्धान्त की ओर

अधिक था। इन आलोचकों ने सिद्धान्त-विवेचन विशेष रूप से नहीं किया है। आलोच्य काव्य की व्याख्या में ही प्रसंगवश सिद्धान्त-कथन मात्र किया है। फिर भी लाला जी अपनी अलंकार प्रियता के कारण अलंकारवादियों की श्रेणी में और शर्मा जी व्यञ्ज्य चमत्कार के प्रति आग्रह तथा काइयांपन और बांकपन के हामी होने के कारण ध्वनि सम्प्रदाय के अन्तर्गत आते हैं। शर्मा जी ने स्थान-स्थान पर बिहारी के दोहों के ध्वनि सौन्दर्य पर बल दिया है —

१ “इस प्रकार के स्थलों में (जहाँ बिहारी पर पूर्ववर्ती महाकवियों की छाया है) ऐसा कोई अवसर नहीं जहाँ इन्होंने ‘बात में बात’ पंदा न कर दी हो” (बिहारी की सतसई पृ० २५)

कहने की आवश्यकता नहीं कि यह ‘बात में बात’ पंदा करना आनंद वधन का ‘रम्य स्फुरित’ (ध्वन्यालोक ४।१६) का ही अनुवाद है जिसमें वे यह घोषणा करते हैं कि ‘जिस कविता में सहृदय भावुक को यह सूझ पड़े कि हा इसमें कुछ नूतन चमत्कार है (जो सबथा ध्वनि आश्रित ही होगा), फिर उस में पूव कवि की छाया ही क्यों न झलकती हो तो भी कोई हानि नहीं।”

२ “‘बिहारीलाल’ पद यहाँ बड़ा ध्वनि पूरा है।’ (पृ० ६७)

३ “इनके इस वचन में (विरह वचन में) एक निराला वाक्यपन है कुछ विशेष बक्रता है, व्यञ्ज्य का प्राबल्य है।’ (पृ० १६०)

४ “कविता की तरह और भी कुछ चीजें एसी हैं जहाँ बक्रता (वाक्यपन, बकई) ही कदर और कीमत पाती है। बिहारी ने कहा है —

गड रचना बरुनी अलंक चितयनि भौंह कमान ।

आपु बकई ही ब (च) डै तरुनि तुरगमि तानि ॥” (पृ० २१६)

और सिद्धान्त रूप में —

“मुक्तक में अलौकिकता लाने के लिए कवि को अभिधा से बहुत कम और ध्वनि, व्यञ्जना से अधिक काम लेना पड़ता है। यही उसके चमत्कार का मुख्य हेतु है। इस प्रकार के रस ध्वनिवादी काव्य के निर्माता ही वास्तव में ‘महाकवि’ पद के समुचित अधिकारी हैं।”

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी इन्हीं के सम-सामर्थिक थे—परन्तु सिद्धान्त-विवेचन की दृष्टि से वे अपने समय से बहुत आगे थे। वास्तव में वे श्री मंसितीशरण गुप्त की भाँति द्विषेदी युग और वर्तमान युग के सगमस्यल पर

खड़े हुए थे। उन्होंने भारत के प्राचीन काव्य-शास्त्र और यूरोप के नवीन आलोचना-सिद्धान्तों का सम्बन्ध अध्ययन कर दोनों का साधु समन्वय करने का सफल प्रयत्न किया। मौलिक सिद्धान्त विवेचन ही दृष्टि से प्राचीन आचार्यों की श्रेणी में केवल उन्हें ही प्रतिष्ठित किया जा सकता है। भारतीय काव्य-शास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय शुक्लजी की मर्मभेदी दृष्टि की परिधि में आये और उन्होंने अपनी अनुभूति और विवेक के प्रकाश में उनका परीक्षण किया। ध्वनि की महत्ता से वे परिचित थे—कुल मिलाकर ध्वनि सिद्धान्त का आधार इतना पुष्ट है कि शुक्ल जी जैसे प्रौढ़ विचारक उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते थे? परन्तु फिर भी वे ध्वनिवादियों की श्रेणी में नहीं आते। ध्वनि [व्यञ्जना] के विषय में उनका मन्तव्य इस प्रकार है —

‘व्यञ्जना के सम्बन्ध में कुछ विचार करने की आवश्यकता है। व्यञ्जना दो प्रकार की मानी गई है—वस्तु-व्यञ्जना और भाव-व्यञ्जना। किसी तथ्य या वृत्त की व्यञ्जना वस्तु-व्यञ्जना कहलाती है और किसी भाव की व्यञ्जना भाव-व्यञ्जना। (भाव की व्यञ्जना ही जब रस के सब अवयवों के सहित होती है तब रस व्यञ्जना कहलाती है)। यदि थोड़ा ध्यान देकर विचार किया जाय तो दोनों भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ ठहरती हैं। वस्तु-व्यञ्जना किसी तथ्य या वृत्त का बोध कराती है, पर भाव-व्यञ्जना जिस रूप में मानी गई है उस रूप में किसी भाव का संचार करती है उसकी अनुभूति उत्पन्न करती है। बोध या ज्ञान कराना एक बात है और कोई भाव जगाना दूसरी बात। दोनों भिन्न कोटि की क्रियाएँ हैं। पर साहित्य के ग्रन्थों में दोनों में केवल इतना ही भेद स्वीकार किया गया है कि एक में वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ पर आने का पूर्वापर क्रम श्रोता या पाठक को लक्षित नहीं होता। पर बात इतनी ही नहीं जान पड़ती। रति, श्लोक आदि भावों का अनुभव करना एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर जाना नहीं है, अतः किसी भाव की अनुभूति को व्यङ्ग्यार्थ कहना बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता। यदि व्यङ्ग्य कोई अर्थ होगा तो वस्तु या तथ्य ही होगा और इस रूप में होगा कि अमुक प्रेम कर रहा है, अमुक श्लोक कर रहा है। पर केवल इस बात का ज्ञान करना कि अमुक श्लोक या प्रेम कर रहा है स्वयं श्लोक या रति-भाव का रसात्मक अनुभव करना नहीं है। रस-व्यञ्जना इस रूप में मानी भी नहीं गई है। अतः भाव-व्यञ्जना, या रस-व्यञ्जना वस्तु-व्यञ्जना से सर्वथा भिन्न कोटि की वृत्ति है।

रस-व्यञ्जना की इसी भिन्नता या विशिष्टता के चल पर “ध्वनि-

विवेक" कार महिम भट्ट का सामना किया गया था जिनका कहना था कि व्यञ्जना अनुमान से भिन्न कोई वस्तु नहीं। विचार करन पर वस्तु-व्यञ्जना के सम्बन्ध में भट्ट जी का पक्ष ठीक ठहरता है। व्यञ्ज्य वस्तु या तथ्य तक हम वास्तव म अनुमान द्वारा ही पहुचते हैं। पर रस-व्यञ्जना लेकर जहा वे चले है वहा उनके मार्ग में बाधा पडी है। अनुमान द्वारा वेधडक इस प्रकार के ज्ञान तक पहुँच कर कि 'अमुक के मन मे प्रेम है" उन्हें फिर इस ज्ञान को 'आस्वाद-पदवी' तक पहुँचाना पडा है। इस आस्वाद-पदवी' तक रत्यादि का ज्ञान विस प्रत्रिया से पहुचता है, यह सवाल ज्यो का त्यो रह जाता है। अत इस विषय को स्पष्ट कर लेना चाहिए। या तो हम भाव या तथ्य के सम्बन्ध में 'व्यञ्जना" शब्द का प्रयोग न करें, अथवा वस्तु या तथ्य के सम्बन्ध में। [चिंतामणि भाग २ पृष्ठ १६३-१६४]।

इससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते है .

१. शुक्ल जी भाव-व्यञ्जना (रस-व्यञ्जना) और वस्तु व्यञ्जना को दो भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ मानते हैं।
२. इन दोनो में प्रकार का ही अन्तर है 'लक्ष्यनम' की भासा का नहीं।
३. भाव का बोध कराना और अनुभूति कराना दो अलग-अलग बातें हैं, और, किसी भाव का बोध कराना या किसी वस्तु का बोध कराना एक ही बात है।

४. वस्तु और भाव दोनो के सम्बन्ध में व्यञ्जना शब्द का प्रयोग भ्रामक है। वस्तु-व्यञ्जना के सम्बन्ध में शुक्ल जी महिम भट्ट की "अनुमिति" को ठीक मानने के लिए तैयार है।

जहाँ तक में समझता हूँ आचार्य शुक्ल का अभिप्राय यह है कि वस्तु-व्यञ्जना में काव्यत्व नहीं होता, परन्तु वह भाव-व्यञ्जना की सहायक अवश्य है। इसी प्रसंग में अन्यत्र उन्होंने लिखा है कि वस्तु-व्यञ्जना से अभिप्राय वास्तव में 'उपपन्न अर्थ' का है [जो व्यञ्जना की सहायता से उपपन्न होता है] और इसे वे काव्य न मानते हुए 'बाध्य को धारण करने वाला सत्य मानते हैं।' (चिंतामणि भाग २, पृष्ठ १६७)। काव्यत्व के विषय में वे निर्भ्रान्त रसवादी है। व्यञ्जना उन्हें यहा तक मान्य है जहाँ तक उसका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार भाव से अवश्य हो . उन्होंने 'बाध्य में रहस्य-वाद' में स्पष्ट लिखा है :

हमार यहा के पुरान ध्वनिवादिया के समान आधुनिक 'व्यञ्जनावादी' भी भाव-व्यञ्जना और वस्तु-व्यञ्जना दाना में काव्यतत्व मानते हैं। उनसे निरुद्ध अनूठ दग म की हुई व्यञ्जना भी काव्य ही हैं। इस सम्बन्ध में हमार यही वक्तव्य है कि अनूठी स अनूठी उक्ति काव्य तभी हो सकती है जबकि उसका सम्बन्ध—गुच्छ दूर का सही—हृदय के किमी भाव या वृत्ति म हागा। मान कीजिय कि अनूठे भङ्गध्वनर स कथित किमी लक्षणा पूरा उक्ति म सोन्दर्य का यगन ह। उस उक्ति म चाहे कोई भाव सीधे-सीधे व्यक्त न हो पर उसकी तह म सोन्दर्य का एग अनूठ दग मे रहन की प्ररणा करन याता रति भाव या प्रम लिता हुआ है। जिन वस्तु की गुदरता क वर्णन म हम प्रयुक्त हाग वह हमार रति भाव का आनम्बन हागी। आनम्बन मात्र का यगा भी रगा-मग माता जाता है और वास्तव म हाता है।

[कितारणिका २ १००-१०१]

वहा व्यावहारिक आधार हिन्दी काव्य को ही माना है। इसलिए उनका विवेचन अधिक स्पष्ट और ग्राह्य हो सका है। मिश्र जी ने हिन्दी काव्य से उदाहरण ढूंढने में अद्भुत सूझ का परिचय दिया है। साथ ही प्राधुनिक सिद्धांतों से भी उनका अच्छा परिचय है, और उनके आशय से वे अपने विवेचन को यत्किंचित् प्राधुनिक रूप भी दे सके हैं। विशुद्ध ध्वनिवादियों की परम्परा में मुरपत- हिन्दी के ये दो विद्वान् ही आते हैं। ये लोग हैं कट्टर ध्वनिवादी—इन्होंने रस को स्वतंत्र न मान कर ध्वनि के अन्तर्गत ही माना है और असलक्ष्यत्रय व्यञ्जन के प्रपञ्च रूप में ही उसका वर्णन किया है।

द्विवेदी युग के इतिवृत्त काव्य की भीषण प्रतिक्रिया रूप छायावाद का जन्म हुआ। द्विवेदी-कविता की इतिवृत्त शैली के विपरीत छायावाद की शैली अतिशय व्यञ्जनापूर्ण है। द्विवेदी युग का कवि जहां व्यञ्जना के रहस्य-सौन्दर्य से अपरिचित रहा, वहां छायावाद में लक्षणा-व्यञ्जना का आकर्षण इतना अधिक बढ़ गया कि अभिधा की एक प्रकार से उपेक्षा हो गई। छायावाद के प्रवर्तक प्रसाद ने छायावाद के व्युत्पत्ति-अर्थ के मूल में ही व्यञ्जना का आधार माना। जिस प्रकार मोती में वास्तविक सौन्दर्य उसकी छाया है, जो दाने की सारभूत छवि के रूप में पूयक् ही झलकती है, इसी प्रकार काव्य में वास्तविक सौन्दर्य उसकी ध्वनि है जो शब्दों के वाच्यार्थ से पूयक् ही व्यञ्जित होती है। इसकी प्रेरणा प्रसाद जी ने स्पष्टतः, संस्कृत के ध्वनिवादी आचार्यों से ही प्राप्त की है। आनन्दवर्धन ने ध्वनि को अङ्गना-शरीर में लावण्य के सदृश कहा है। वाद में लावण्य की परिभाषा इस प्रकार की गई :

मुक्ताफलेषु यच्छ्रायायास्तरलत्प्रमिवान्तरा ।

संलक्ष्यते यदङ्गेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥

मोतियों में काँति की तरलता (पानी) की तरह जो वस्तु अङ्गों के अन्दर दिखाई देती है उसे लावण्य कहा जाता है।

इसी रहस्य को ओर स्पष्ट करते हुए कवि पन्त ने पल्लव की भूमिका में लिखा :

“कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों, सेव की तरह जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आलों के सामने चित्रित कर सकें, जो भ्रार में चित्र, चित्र में भ्रार हो..... । × × ×

कविता में शब्द तथा अर्थ की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती, वे दोनो भाव की अभिव्यक्ति में डूब जाते हैं। किसी के कुशल करों का मायावत् स्पर्श उनकी निर्जीवता में जीवन फूक देता, वे ग्रहलया की तरह शाप-मुक्त हो जग उठते, हम उन्हें पायाएँ खडो का समुदाय न वह ताजमहल कहने लगे वाक्य न वह काव्य कहने लगे हैं।”

इसी प्रसंग में उन्होने पर्याय शब्दों के व्यञ्जनार्थ-भेद की भी घड़ी हैं मार्मिक व्याख्या की है ‘भिन्न भिन्न पर्यायवाची शब्द, प्रायः सगीत भेद के कारण, एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जैसे, भ्रू से क्रोध की वक्रता, भ्रुकुटि से कटाक्ष की चञ्चलता, भौंहो से स्वाभाविक प्रसन्नता ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है। ऐसे ही हिलोर में उठान, लहर में सलिल के वक्ष स्थल का कोमल कम्पन, तरङ्ग में लहरों के समूह का एक दूसरे को धकेलना, उठकर गिर पडना, बडो-बडो बहन का शब्द मिलता है, बीच के जैसे किरणों में चमकती, हवा के पलने में हौले हौले भूलती हुई हंसमुख लहरियों का, ऊँमि से मधुर-मुखरित हिलोरों का, हिल्लोल-कल्लोल से ऊँची-ऊँची बाँहे उठाती हुई उत्पातपूर्ण तरङ्गों का आभास मिलता है।”

उपर्युक्त विवेचन ‘पिनाकिन’ और ‘कपालिन’ के ध्वन्यर्थ-भेद-विवेचन का नवीन कलात्मक सस्वरण मात्र है।

इधर श्रीमती महादेवी वर्मा ने भी छायावाद की अभिव्यक्ति में व्यञ्जना के महत्त्व पर प्रकाश डाला है “व्यापक अर्थ में तो यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सौंदर्य या प्रत्येक सामजस्य की अनुभूति भी रहस्यानुभूति है।”

(महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य पृ० २६)

“ इस प्रकार की अभिव्यक्ति में भाव रूप चाहता है, अतः शैली का कुछ सवेतमयी हो जाना सहज सम्भव है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ तत्त्वचिंतन का बहुत विकास हो जाने के कारण जीवन रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए एक सवेतात्मक शैली बहुत पहले बन चुकी थी। अरूप दर्शन से लेकर रूपात्मक काव्यकला तक सबने ऐसी शैली का प्रयोग किया है जो परिचित के माध्यम से अपरिचित और स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म तक पहुँचा सके।”

(म० का वि० ग० पृ० ६२)

छायावाद से आगे की नयी प्रयोगवादी कविता में व्यञ्जना का आधार और भी अनिवार्य हो गया है। प्रयोगवादी कवि ने जब शब्द में साधारण अर्थ

से श्रुतिक अर्थ भरना चाहा तो स्वभावत ही उसे ध्वजना का आश्रय लेना पडा। वास्तव में इस नयी कविता की भाषा अत्यधिक साकेतिक तथा प्रतीकात्मक है। यहा शब्द में इतना अधिक अर्थ भरने का प्रयत्न किया गया है कि उसकी व्यञ्जना शक्ति जघाय दे जाती है—यह ध्वजना के साथ बलात्कार है। हिन्दी में ध्वनि-सिद्धात के विकास मून का यही संक्षिप्त इतिहास है।

उपसंहार

ध्वनि सिद्धांत की परीक्षा

अत में, उपसंहार रूप में, ध्वनि-सिद्धात का एक सामान्य परीक्षण और प्रायश्चक है। क्या ध्वनि-सिद्धात सर्वथा निभ्रांत और काव्य का एक मान स्वीकार्य सिद्धात है ? क्या वह रस-सिद्धात से भी अधिक मान्य है। इस प्रश्न का दूसरा रूप यह है काव्य की आत्मा ध्वनि है अथवा रस ? जंसा कि प्रश्न में कहा गया है अततो गत्वा रस और ध्वनि में कोई अंतर नहीं रह गया था। यो तो आनन्दयधन ने ही रस को ध्वनि का अतिवार्य तत्त्व माना था, पर अभिनय ने इसको और भी स्पष्ट करते हुए रस और ध्वनि सिद्धातों को एक-रूप कर दिया। फिर भी इन दोनों में सूक्ष्म अंतर न हो यह बान नहीं है—इस अंतर की चेतना अभिनय के उपरात भी निस्सदेह बनी रही। विद्यनाय का रस-प्रतिपादन और उसके उपरात पंडितराज जगन्नाथ द्वारा उतरी आलोचना तथा ध्वनि का पुन स्थापन इस सूक्ष्म अंतर के अस्तित्व का साक्षी है। जहाँ तक दोनों के मह्य का प्रश्न है, उसमें सदेह नहीं रिया जा सकता। ध्वनि रस के बिना बाध्य नहीं बन सकती, और रस ध्वनिन हुए बिना बेबल कथित होकर काव्य नहीं हो सकता। काव्य में ध्वनि को नग्न समीप होना पड़ेगा, और रस को ध्वद्रुष होना पड़ेगा। 'सूर्य अस्त हो गया' से एक ध्वनि यह निश्चिनी है कि अथ बान बंद करो—परन्तु ध्वनि की ग्विनि अगद्विध होने पर भी रस के अभाव में यह काव्य नहीं है। इसी प्रकार दुष्यन इच्छुनता से प्रेम करता है यह वाच्य रस का कथन करने पर भी ध्वजना के अभाव में काव्य नहीं है। अतएव दोनों की अतिपापता असाद्विध है परन्तु प्रश्न सावेशि-मह्य का है। विधि और तन्व दोनों का ही मह्य है, परन्तु फिर भी तन्व, तन्व ही है। रस और ध्वनि में तन्व वद का अधिचारी कौन है ? इसका उत्तर निश्चिप्त है—रस। या और ध्वनि दोनों में रस ही अधिक मह्यवून

हैं—उसी के कारण ध्वनि में रमणीयता आती है। पर इसको व्यापक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। रस को मूलतः परम्परागत सवीण विभावानभाव-व्यभिचारी के संयोग से निष्पन्न रस के अर्थ में ग्रहण करना सगत नहीं। रस के अतगत समस्त भाव-विभूति अथवा अनभूति-व्यभव आ जाता है। अनुभूति की वाहक (व्यजक) बन कर ही ध्वनि में रमणीयता आती है, अन्यथा वह वाक्य नहीं बन सकती। अनुभूति ही सहृदय के मन में अनुभूति जगाती है। हाँ कवि की अनुभूति को सहृदय के मानस तक प्रेषित करने के लिए कल्पना का प्रयोग अनिवार्य है—उसी के द्वारा अनुभूति का प्रेषण सम्भव है। और कल्पना द्वारा अनुभूति का प्रेषण ही तो शास्त्रीय शब्दावली में उसकी व्यञ्जना या ध्वनन है। इस प्रकार रस और ध्वनि का प्रतिद्वंद्व अनुभूति और कल्पना का ही प्रतिद्वंद्व ठहरता है। और, अंत में जाकर यह निश्चय करना रह जाता है कि इन दोनों में से वाक्य के लिए कौन अधिक महत्वपूर्ण है? यह निर्णय भी अधिक कठिन नहीं है—अनुभूति और कल्पना में अनुभूति ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वाक्य का सवेद्य वही है। कल्पना इस सवेदन का अनिवार्य साधन अवश्य है, परन्तु सवेद्य नहीं है। इसीलिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आलोचक रिचर्ड्स ने प्रत्येक कविता को मूलतः एक प्रकार की अनुभूति ही माना है। और वैसे भी 'रसा वं स' रस तो जीवन चेतना का प्राण है—वाक्य के क्षेत्र में या अन्यत्र उसको अपने पद से कौन च्युत कर सकता है? ध्वनि सिद्धांत का सब से महत्वपूर्ण योग यह रहा कि उसने जीवन के प्रत्यक्ष रस और वाक्य के भाविन रस के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया।

ग्रन्थकार

ध्वन्यालोक की रचना के विषय में सस्कृत के पण्डितों में तीव्र मतभेद है। ग्रन्थ के तीन अङ्ग हैं—कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण। कारिका में सिद्धान्त का सूत्र रूप में प्रतिपादन है, वृत्ति में कारिकाओं की व्याख्या है, और फिर उदाहरण है। उदाहरण प्रायः सस्कृत के पूर्व-ध्वनिकालीन कवियों से लिए गये हैं पर अनेक स्वयं आनन्दवर्धन के अपने भी हैं। जहाँ तक वृत्ति का सम्बन्ध है, यह निर्विवाद है कि उसके रचयिता आनन्दवर्धन ही थे। प्रश्न कारिकाओं की रचना का है। सस्कृत की प्रचलित परम्परा के अनुसार कारिका तथा वृत्ति दोनों की रचना आनन्दवर्धन ने ही की है। ध्वन्यालोक एक ही ग्रन्थ है और उसका एक ही रचयिता है। उत्तर ध्वनिकाल के प्रायः सभी आचार्यों आनन्दवर्धन को ही ध्वनिकार अर्थात् कारिका और वृत्ति दोनों का रचयिता मानते हैं। प्रतिहारेन्दुराज, कुतक, महिम भट्ट, क्षेमेन्द्र, मम्मट सभी के वाक्य इसके प्रमाण हैं। परन्तु शङ्का का बीज अभिनवगुप्त के लोचन में है। कारिकाओं और वृत्ति की व्याख्या करते हुए अभिनव ने अनेक स्थानों पर कारिकाकार और वृत्तिकार का पृथक्-पृथक् उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त कारिकाकार के लिए मूलग्रन्थकृत् (कार) तथा वृत्तिकार के लिए ग्रन्थकृत् (कार) शब्द का भी प्रयोग लोचन में मिलता है। अतएव डा० बुद्धर और उनके पश्चात् प्रो० जेकोबी, प्रो० कीच और इधर डा० डे तथा प्रो० काण्ण का मत है कि कारिकाकार अर्थात् मूल-ध्वनिकार और वृत्तिकार आनन्दवर्धन में भेद है। इस ध्येयी के पण्डितों का अनुमान है कि कारिकाकार का नाम सहृदय था—उसके आधार पर अभिनव ने ध्वन्यालोक को कई स्थानों पर सहृदयालोक भी लिखा है। मुकुल आदि कुछ कवि-आचार्यों ने भी ध्वनिकार के लिए सहृदय शब्द का प्रयोग किया है। "तथाहि तत्र विवक्षितान्यपरता सहृदयं काव्यरत्नमिति निरूपिता।" इसके अतिरिक्त प्रो० काण्ण ने प्रथम कारिका के 'सहृदयमन-प्रोतये' अंग की वृत्ति में 'सहृदयानामानन्दो मनमि लभता प्रतिप्लाम्' आदि शब्दों के आधार पर इस अनुमान को पुष्ट करने की चेष्टा की है। उनका धारणा है कि आनन्द ने जान-बूझ कर इत्येव के आधार पर इस वृत्ति में अपने गुरु मूल ध्वनिकार सहृदय और अपने नाम का समावेश किया है। परन्तु उपर इनके विनोद डा० सक्शन का मत है कि लोचन में अभिनवगुप्त ने केवल स्थली

करण के उद्देश्य से ही कारिकाकार और वृत्तिकार का पृथक् उल्लेख किया है। सस्कृत के अनेक आचार्यों ने कारिका और वृत्ति की शैली अपनाई है। मूल रूप में सिद्धान्त-कारिका लेकर वे स्वयं ही फिर उसका वृत्ति द्वारा व्याख्यान करते हैं—वामन, मम्मट आदि ने यही पद्धति ग्रहण की है।

इसके अतिरिक्त स्वयं अभिनव ने ही अभिनव भारती में अनेक स्थलों पर दोनों का अभेद माना है। अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सम आसपेक्टस आफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन सस्कृत में डा० सकरन ने अभिनव के उद्धरणों द्वारा ही इस भेद सिद्धान्त का लडन किया है, और सस्कृत की परम्परा को ही भाव्य घोषित किया है।

डा० सकरन का तर्क है कि यदि कारिकाकार का ध्वनित्व पृथक् था तो उनके लगभग एक शताब्दी पश्चात् शुक महिमभट्ट तथा अभिनव के शिष्य क्षमेन्द्र को इस विषय में भ्रान्ति के लिए अधिक अवकाश नहीं था। इसके अतिरिक्त यह बसे सम्भव हो सकता है कि स्वयं आनन्द ही उनसे परिचित न हो या उन्होंने जानबूझ कर अपने गुरु का नाम छिपाकर अपने को ही ध्वनिकार घोषित कर दिया हो। आनन्द ने स्पष्ट ही अपने को ध्वनि का प्रतिष्ठाता कहा है

इति काव्यार्थविवेको योऽयं चेतश्चमत्कृतिविधायी ।

मरिभिरनुसृतसारैरस्मदपज्ञो न त्रिस्मार्थ्यं ॥

अर्थ — इस प्रकार चित्त को चमत्कृत करने वाला जो काव्यार्थ विवेक हमारे द्वारा प्रस्थापित किया गया यह सारग्राही विद्वानों द्वारा विस्मरण योग्य नहीं है।

यहाँ 'अस्मदुपज्ञ' — हमने उसकी प्रतिष्ठा की है' स्वयं व्यक्त है।

इसके अतिरिक्त अन्तिम श्लोक —

सत्त्वाव्यतत्त्वविषयं स्फुरितप्रमुप्तकल्प मनसु परिपक्वधिया यदासीत् ।
तद्द्व्याकरोत्सद्दयोदयलाभेतोरानन्दवर्धन इति प्रथिताभिवान ॥

अर्थ — वाक्य (रचना) का तत्व और भाँति का जो माग परिपक्व बुद्धि (सहृदय विद्वानों) के मनो में प्रमुप्त-सा (प्रव्यक्त रूप में) स्थित था, सहृदयों की अभिवृद्धि और लाभ के लिए, आनन्दवर्धन नामक (पंडित ने) उनकी प्रकाशित किया।

इस प्रकार की स्पष्टीकरण के रहने हुए भी यदि कारिकाकार का

पुयक् अस्तित्व माना जाय तो यह दूसरे शब्दों में आनन्दवर्धन पर साहित्यिक चर्चा का अभियोग लगाना होगा—जो सर्वथा अनुचित है। अतएव यही निष्कर्ष निकलता है कि आनन्दवर्धन ने ही कारिका और धृति दोनों की रचना की है, और ध्वन्यालोक एक ही ग्रन्थ है। जिन सहृदय-शिरोमणि आनन्दवर्धन ने पहली कारिका में प्रतिज्ञा की थी कि “तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्” अर्थात् इसलिये अब सहृदय-समाज की मनःप्रीति के लिए उसका स्वल्प वर्णन करते हैं, उन्हींने ही धृति के अन्त में “तद्द्व्याकरोत्सहृदयोदय-साभहेतोरानन्द-वर्धन इति प्रथिताभिधानः” अर्थात् उसका सहृदयों के उदय-लाभ (व्युत्पत्ति-विकास) के लिए आनन्दवर्धन ने व्याख्यान किया।

आनन्दवर्धन का समय-निर्धारण कठिन नहीं है। राजनरङ्गिणी में स्पष्ट लिखा है कि वे अच्युतवर्म के राज्य के श्यातिलम्प कवियों में से थे।

मुक्ताकणः शिचरवामी कविरानन्दवर्धनः।

प्रथां रत्नाकरश्चागात्साम्राज्येऽच्युतवर्मणः ॥

अच्युतवर्म या चर्मन् काश्मीर के महाराज थे और उनका राज्यकाल सन् ८५५ ई० से ८८३ ई० तक था। दूसरे सूत्रों से भी इस निर्णय की पुष्टि सहज ही हो जाती है। उदाहरण के लिए एक ओर आनन्दवर्धन ने उद्भट का मत उद्धृत किया है, और दूसरी ओर राजशेखर ने आनन्दवर्धन का उद्धरण दिया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वे उद्धट के समय अर्थात् ८०० ई० के पश्चात् और राजशेखर के समय अर्थात् ९०० ई० के पूर्व हुए थे। अतएव आनन्दवर्धन का समय ९वीं शताब्दी-ईसा का का मध्य भाग अर्थात् ८५० ई० के आसपास माना जा सकता है। इनके विषय में और कोई उपादेय तथ्य उपलब्ध नहीं है। देवीशतक इलोक संख्या १०१ से यह सन्त मिलता है कि इनके पिता का नाम जोषु था; यतः।

आनन्दवर्धन की प्रतिभा बहुमूल्य थी। काव्य-शास्त्र के अपूर्व मेधावी धारार्थ होने के प्रतिरिक्त वे कवि और दार्शनिक भी थे। उन्हींने ध्वन्यालोक के अनिरिक्त अर्जुनघरित, विषमवाणसीता, देवीशतक तथा तरवालोक आदि ग्रन्थों की रचना की है। इनमें अर्जुनघरित और विषमवाणसीता के अनेक संस्कृत-प्राकृत छन्द ध्वन्यालोक में उद्धृत हैं। देवीशतक में यमक, श्लेष, चित्र-कल्प आदि का चमत्कार दिखाया गया है—इसमें स्पष्ट हो जाता है कि उन्हींने चित्र की काव्य-शैली से बहिष्कृत श्यों नहीं किया। तरवालोक दर्शन-ग्रन्थ है। अभिनव में सोचन में इन ग्रन्थों का उन्मेष किया है।

ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य विषय

ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य मूलतः ध्वनि सिद्धान्त है। आनन्दवधन ने इस सिद्धान्त का अत्यन्त साङ्गोपाङ्ग विवेचन करते हुए काव्य के एक सावर्भौम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। ध्वनि के विरुद्ध सम्भाव्य आपत्तियों का निराकरण करते हुए उन्होंने फिर 'प्रतीयमान' की स्थापना और 'वाच्य' से उसकी श्रेष्ठता का निर्धारण किया है। इसके उपरान्त ध्वनिकाव्य की श्रेणियाँ और ध्वनि के भेदों का वर्णन है। फिर ध्वनि की व्यापकता अर्थात् तद्धित, कृदन्त, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से लेकर महाकाव्य तक उसकी सत्ता का प्रदर्शन किया गया है। और, अन्त में काव्य के गुण, रीति, अलङ्कार सिद्धान्तों का ध्वनि में समाहार किया गया है। यह तो हुआ ध्वन्यालोक का मूल प्रतिपाद्य।

मूल प्रतिपाद्य के साथ-साथ प्रसङ्ग रूप से ध्वन्यालोक में काव्य के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का भी विवेचन मिलता है—उदाहरण के लिए गुण, सघटना और अलङ्कार का रस के साथ सम्बन्ध। ध्वनिकार ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में गुण और रस का सहज सम्बन्ध माना है—करण और शृङ्गार का माधुर्य से सहज सम्बन्ध है और रोद्र का भ्रोज से। पर सघटना का गुण और रस के साथ अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है—साधारणतः माधुर्य के लिए असमासा और भ्रोज के लिए मध्यमसमासा या दीर्घसमासा सघटना अधिक उपयुक्त होती है, परन्तु यह कोई अटल नियम नहीं है। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है—मध्यम या दीर्घसमासा सघटना के साथ भी माधुर्य गुण तथा शृङ्गार या करुण रस की स्थिति सम्भव है, और असमासा सघटना द्वारा भी भ्रोज, गुण और रोद्र रस का परिपाक हो सकता है। यही बात अलङ्कारों के सम्बन्ध में भी है। अलङ्कारों को भी रस का सहकारी होना चाहिए—उनकी स्वतन्त्र स्थिति, जो रस में बाधक हो, इत्यादि नहीं है। शृङ्गार और करुण जंगे कोमल रसों के लिए यमक आदि अनुकूल नहीं पड़ने, स्पष्ट पर्यायोक्त आदि की उनके साथ सद्गति अच्छी तरह से बैठ जाती है। आदि आदि।

आगे चलकर ध्वन्यालोक में रस के परिपाक की चर्चा है। रसों के विरोध और अविरोध का उल्लेख है। ध्वनिकार ने स्पष्ट लिखा है कि सर्वत्र ही रस के परिपाक पर ही ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। प्रतिभाशाली कवि अपने काव्य में भिन्न-भिन्न रसों का समावेश करता हुआ एक मूल रस का सम्यक् परिपाक करता है। इसी प्रसङ्ग में आनन्द ने शास्त्र रस की भी सखन

शब्दा में मान्यता दी है। ज्ञान्त का स्यायी है शम, जो सात्त्विक विययो का निषेध है। यह अपने आप में परम सुख है। अन्य भावों का आस्वाद इसकी तुलना में नगण्य है। यह ठीक है कि इसको सभी प्राप्त नहीं कर सकते, परन्तु इससे ज्ञान रस की अमान्यता सिद्ध नहीं होती।

अन्त में, चौथे उद्योत में प्रतिभा के अानन्त्य का वर्णन है। प्रतिभाशाली कवि ध्वनि के द्वारा प्राचीन भाव, अर्थ, उक्ति आदि को नूतन चमत्कार प्रदान कर सकता है। इस प्रकार अनेक प्राचीन काव्यों के रहते हुए भी काव्य-क्षेत्र असोम है। प्रतिभाशाली कवियों में भाव साम्य या उक्ति साम्य का पाया जाना कोई दोष नहीं है। यह साम्य तीन प्रकार का होता है विम्बवत्, चित्रवत् और देहवत्। इनमें विम्ब और चित्र साम्य स्पृहणीय नहीं हैं, परन्तु देह साम्य में कोई दोष नहीं है, वह प्रतिभा का उपकार ही करता है।



श्रीमदानन्दपरधनाचार्यप्रणीतो

ध्वन्यालोकः



श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिप्रिचितया

आलोकदीपिकाख्यया हिन्दीव्याख्यया

विभूषितः



अथ श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यप्रणीतो

ध्वन्यालोकः

प्रथम उद्योतः

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः ।
त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः ॥

अथ श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिता
'आलोकदीपिका' हिन्दीव्याख्या

उपहृतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिं ह्वयताम् ।
सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि ॥ अथर्ववेद ॥
ध्वन्यमान गुणीभूतस्वरूपाद् विश्वरूपकात् ।
रसरूपं पर ब्रह्म शाश्वतं समुपास्महे ॥
ध्यायं ध्यायं निगमत्रिदितं विश्वरूपं परेशं,
स्मारं स्मारं चरणयुगलं श्रीगुरोस्तत्त्वदीपम् ।
श्रावं श्रावं ध्वनिनवनयं वर्धनोपज्ञमेन,
ध्वन्यालोकं विवृतिविशदं भाषया सन्तनोमि ॥

समस्त शुभ कार्यों के प्रारम्भ में भगवान् का स्मरण, मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए प्रन्थारम्भ जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रारम्भ में भी उसकी निर्विघ्न परिसमाप्ति की भावना से भगवान् के स्मरण रूप मंगलाचरण की परिपाटी सदाचारप्राप्त रही है । यद्यपि भगवान् का स्मरण मानसिक व्यापार है, परन्तु प्रन्थकार जिस रूप में भगवान् का स्मरण करता है उसको शिष्यों की शिक्षा के लिए प्रन्थ के आरम्भ में अर्कित

कर देने की प्रथा भी संस्कृत साहित्य की एक सदाचारप्राप्त परिपाटी है । इसलिए संस्कृत के ग्रन्थों में प्रायः सर्वत्र मंगलाचरण पाया जाता है ।

ध्वन्यालोककार श्री आनन्दवर्धनाचार्य ने अपने प्रारंभिक ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति और उसके मार्ग में आने वाले विघ्नों पर विजय प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद, नमस्क्रिया तथा वस्तुनिर्देश रूप निविध मंगल प्रसारों में से आशीर्वचन रूप मंगलाचरण करते हुए नरसिंहावतार के प्रपन्नार्तिच्छेदक नखों का स्मरण किया है ।

स्वयं अपनी इच्छा से सिंह [नृसिंह] रूप धारण किए हुए [मञ्जुरिषु] विष्णु भगवान् के, अपनी निर्मल कान्ति से चन्द्रमा को लिख [लज्जित] करने वाले शरणागतों के दुःखनाशन में समर्थ नर, तुम सब [व्याख्याता तथा श्रोता] की रक्षा करें ।

विघ्नों के नाश और उन पर विजय प्राप्ति के लिए वीररस के स्थायीभाव उत्साह की विशेष उपयोगिता की दृष्टि से ही ग्रन्थकार ने अपने इष्ट देव के वीरसाभिव्यजक स्वरूप का स्मरण किया है ।

रत्नामली के टीकाकार श्री नारायण दत्तात्रेय के मतानुसार इस प्रकार के श्रवसों पर 'त्यदादीनि सर्वे नित्यम्' अर्थात् १, २, ७२ इस सूत्र तथा उसके अन्तर्गत 'त्यदादीना मिथः सहोक्तौ यत्पर तच्छिष्यते' इत्यादि वार्तिक अथवा 'पूर्वशेषोऽपि दृश्यते' इत्यादि भाष्य के आधार पर एकशेष मानकर 'व' पद हम, तुम, सजका, इस अर्थ का वाचक भी हो सकता है और उस दशा में ग्रन्थकर्ता, व्याख्याता और श्रोता आदि सजका ग्रहण इस 'व' पद से किया जा सकता है । परन्तु लोचनकार ने इस एकशेष प्रक्रिया को अप्रलम्बन न करके 'व' का सीमा 'सुम्मान्' अर्थ करना ही ठीक समझा है । और इस प्रकार स्वयं ग्रन्थकार को इस आशीर्वचन से अलग कर दिया है । इसका कारण बताते हुए उन्होंने "स्वयम-युच्छिन्नपरमेश्वरनमस्कारसम्पत्तिचरितार्थोऽपि व्याख्यातृश्रोतृणाम्बुनेन भीष्टयाख्याश्रवणलक्षणफलसम्पत्तेः समुचिताशी-प्रकटनद्वारेण परमेश्वरसाम्भूरज करोति वृत्तिकारः स्नेच्छेति ।" लिखा है । अर्थात् मंगलाचरणकार स्वयं तो निरन्तर ईश्वर नमस्कार करते रहने के कारण वृत्तार्थ ही हैं, अतः व्याख्याता और श्रोताओं के लिए ही आशीर्वचन द्वारा रक्षा की आवश्यकता की है । 'लोचन' की ऊपर उद्धृत की हुई पंक्तियों में "वृत्तिकार" शब्द के प्रयोग से यह भी प्रतीत होता है कि यह मंगलाचरण का श्लोक कारिका ग्रन्थ का नहीं अपितु वृत्तिग्रन्थ का भाग है । इसी

काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाभ्नातपूर्व-
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये ।
केचिद् वाचां स्थितमपिपये तत्प्रमूचुस्तदीयं

तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् ॥ १ ॥
बुधैः काव्यतत्त्वविद्धि, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति सञ्चित,

लिए इस ने ऊपर कारिका की सख्या १ अंकित नहीं की गई है । इससे अगला श्लोक कारिका भाग का प्रथम श्लोक है अतएव उस पर कारिका सख्या १ दी गई है । इस प्रकार इस ग्रन्थ के कारिका भाग तथा वृत्तिभाग का भेद यहीं से स्पष्ट हो जाता है । परन्तु उन दोनों भागों के रचयिता एक ही हैं अथवा अलग-अलग इस विषय में मतभेद हैं । प्राचीनविद्वान् दोनों भागों का रचयिता श्री आनन्दवर्धनाचार्य को ही मानते हैं । इसलिए कारिका भाग के प्रारम्भ में अलग मगलाचरण नहीं किया गया है और वृत्तिभाग के इस मगल श्लोक को जो कि मूल ग्रन्थ के बाद देना चाहिए, मूल कारिका के पूर्व रखा गया है । परन्तु इससे कारिका वार तथा वृत्तिवार की एतना निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होती है । क्योंकि उदयनाचार्य की न्याय कुसुमाञ्जलि की हरिदासीय टीका में भी टीका का मगलश्लोक मूल के पूर्व दिया है ।

श्रोताओं के मन को प्रकृत विषय में एकाग्र करने के लिए ग्रन्थ के प्रति-
पाद्य विषय और उसके प्रयोजन का प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थकार प्रथम का प्रारम्भ
इस प्रकार करते हैं—

काव्य के आत्मभूत तिस तत्त्व को विद्वान् लोग ध्वनि नाम से कहते आए
हैं, बुद्ध लोग उसका अभाव मानते हैं । दूसरे लोग उसे भाक्त [गौण,
लक्षणागम्य] कहते हैं और बुद्ध लोग उसके रहस्य को वाणी का अविषय
[अग्रणीय, अनिर्बचनीय] यत्नलाते हैं । अतएव [ध्वनि के विषय में इन
नाना विप्रतिपत्तियों के होने के कारण उनका निराकरण कर ध्वनि स्थापना द्वारा]
सद्दियों [काव्य मर्मज्ञ जनों] की मन की प्रसन्नता [हृदयाह्लाद] के लिए हम
उम [ध्वनि] के स्वरूप का निरूपण करते हैं ।

बुध अध्यान् काव्य मर्मज्ञों ने काव्य के आत्मभूत तिस तत्त्व को ध्वनि
यह नाम दिया और [इसके पूर्व किसी विशेष पुस्तक आदि में विशेष कि-
यिना भी] परम्परा से निम्नो बार बार प्रकाशित किया है । भला प्रकार
विशद रूप में अनेक बार प्रकृत किया है, सहृदय (काव्य मर्मज्ञ) जनों के

परम्परया यः समाप्नातपूर्व^१ सम्यक् आसमन्ताद्, म्नात', प्रकटितः, तस्य सहृदयजनमनःप्रकाशमानस्याप्यभावमन्ये जगदुः । तदभाववादिना चामी विरल्पाः सम्भवन्ति ।

तत्र केचिदाचक्षीरन्, शब्दार्थशरीरन्तावन् काव्यम् । तत्र

मन में प्रकाशमान [मरुल सहृदय मनेष] उम (चमत्कार जनक काव्याम भूत ध्वनि] तस्य का भा [भासह, भट्टोऽभट आदि] उद्ग लोग अभाव कहते हैं ।

उन अभाषादियों के ये [निम्न लिखित तीन] विकल्प हो सकते हैं ।

१—सोई [अभाषादा] कह सकते हैं कि काव्य, शब्दार्थ शरीर वाला है । [अर्थान् शब्द आर अर्थ काव्य के शरार है ।] यह ता निर्निवाद है । [तावत् शब्द ध्वनिवादी सहित इम विषय में ससर्ग मरुमनि मूचित करता है । काव्य के शरीरभूत उन शब्द अर्थ के चाण्डेसु दो प्रकार के हो सकते हैं । एक

^१ बनारस में मुद्रित ध्वन्यालोक के दीपिनि टीका युक्त संस्करण में यहाँ केवल 'समाप्नात' पाठ है । और निरुपमागरीय संस्करण में 'समाप्नात समाख्यात' इतना पाठ दिया गया है । बनारस से ही प्रकाशित बाल प्रिया टीका सहित संस्करण में 'समाप्नातपूर्वं सम्यक् आसमन्तान् म्नात प्रकटित' इस प्रकार का पाठ है । इन तीनों पाठों में से अन्तिम अर्थान् बालप्रिया वाले संस्करण का पाठ सोचनसम्मत और अधिक प्रामाणिक पाठ है । 'सोचनकार' ने इस स्थान को व्याख्या करते हुए लिखा है—'तदाह समाप्नातपूर्वं इति । पूर्वपठणेनेदमप्रयमना नात्र सम्भावयत इत्याह, ध्याचष्टे च, सम्यग् आसमन्तान् म्नात प्रकटित इत्यनेन ।' इस संक्षेप में स्पष्ट प्रतीत होता है कि सोचनकार यहाँ 'समाप्नातपूर्वं सम्यक् आसमन्तान् म्नात प्रकटित' यही पाठ मानते हैं । इसी में बालप्रिया संस्करण में वही पाठ मिला है । इसी विषये हमने भी मूलपाठ में उगी को स्थान दिया है । पाठभेद के अन्वय स्थलों पर भी बालप्रिया वाले संस्करण में जो पाठ पाए जाने ह वह प्रायः सोचन की उल्लासोह बरके यथामग्नय 'सोचनसम्मत' पाठ होरखे गये हैं । इस लिए हमने भी मूल पाठ प्रायः उगी के अनुसार रखे हैं और 'दीपिनि' तथा निरुपमागरीय संस्करण के पाठभेद नीचे दे दिए ह । इनके साथ प्रपुषन नि० निरुपमागरीय संस्करण का और टी० दीपिनि टीकायुक्त संस्करण का सूचक है ।

शब्दगतारचारुत्वहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव । अर्थगतारचो-
पमादयः । वर्णसघटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते ।
तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि^१ या कैश्चिदुपनागरिकायाः प्रकाशिताः
ता अपि गताः श्रवणगोचरम् । रीतयश्च वैदर्भीप्रभृतयः । तद्व्यतिरिक्तः
कोऽय ध्वनिर्नामेति ।

स्वरूपगत और दूसरे सघटनागत ।] उनमें शब्द गत [शब्द के स्वरूपगत]
चारुत्व हेतु अनुप्रासादि [शब्दालंकार] और अर्थगत [अर्थ के स्वरूपगत] चारुत्व
हेतु उपमादि [अर्थालंकार] प्रसिद्ध हो हैं । और [इन शब्द अर्थ के सघटनागत
चारुत्वहेतु] वर्णसघटना धर्म जो माधुर्यादि [गुण] हैं वे भी प्रतीत होते हैं । उन
[अलंकार तथा गुणों] से अभिन्न जो उपनागरिकादि वृत्तियाँ किन्हीं
[भट्टोद्भट] न प्रकाशित की हैं वह भी श्रवणगोचर हुई हैं । और [माधुर्यादि
गुणों से अभिन्न] वैदर्भी प्रभृति रीतिया भी । [परन्तु] उन सत्र से भिन्न यह
ध्वनि कौन सा [नया] पदार्थ है ।

ग्रन्थ रूप में 'ध्वन्यालोक' ध्वनि का प्रतिपादन करने वाला प्रथम ग्रन्थ
है । अलंकार शास्त्र में इसके पहिले भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, भामह का काव्या-
लंकार उद्भट की इस काव्यालंकार पर 'भामहविवरण' नामक टीका, वामन का
काव्यालंकार सूत्र और रुद्रट का काव्यालंकार यही पांच मुख्य ग्रन्थ लिखे गए
प्रतीत होते हैं । इनमें भी 'भामहविवरण' अभी तक उपलब्ध या प्रकाशित नहीं
हुआ है । परन्तु ध्वन्यालोक की लोचन टीका में उसका उल्लेख बहुत मिलता है ।
इन पांचों आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में ध्वनि नाम से कहीं ध्वनि का प्रतिपादन
नहीं किया और न उसका ग्यहन ही किया है । इस लिए यह अनुमान किया जा
सकता है कि ये ध्वनि को नहीं मानते थे । ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्य ने
इन्हीं के ग्रन्थों के आधार पर समामित तीन ध्वनिविरोधी पक्ष बनाए हैं । एक
अभाववादी पक्ष, दूसरा भक्तिवादी पक्ष और तीसरा अलक्षणीयतावादी पक्ष ।
इन्हीं तीनों पक्षों का निर्देश इस कारिका में 'तस्याभाव, भाक्त और वाचा स्थित-
मविषये' शब्दों से किया है । ये तीनों पक्ष उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पक्ष हैं । इनमें से प्रथम
अभाववादी पक्ष विरयंयमलक, दूसरा भक्तिपक्ष सन्देह मलक और तीसरा
अलक्षणीयतावाद अज्ञानमूलक है । अर्थात् प्रथम अभाववादी पक्ष ने प्राचीन

आचार्या के ग्रन्थों को जो ध्वनि का अभाव बोधक समझा है यह उनका भ्रम या विपर्ययज्ञान है । इसलिए वह सर्वथा हेय या निवृष्ट पक्ष है । दूसरे भक्तिवादी पक्ष ने भामह के काव्यालंकार और उस पर उद्भट के विवरण में गुणवृत्ति शब्द का प्रयोग देस कर ध्वनि को भक्तिमात्र कहा है । उनका यह पक्ष सन्देहमूलक होने और ध्वनि का स्पष्ट निषेध न करने से मध्यम पक्ष है । भामह ने अपने काव्यालंकार में लिखा है कि—

“शब्दाश्चन्द्रोऽभिधानाथा इतिहासाश्रया कथा ।

लोको युक्ति कलाश्चेति मन्तव्या काव्यहेतव ॥”

इस कारिका में भामह ने शब्द, छन्द, अभिधान, अर्थ, इतिहासाश्रित कथा, लोक, युक्ति और कला इन काव्य हेतुओं का संग्रह किया है । इनमें शब्द और अभिधान का भेद प्रदर्शित करते हुए विवरणकार उद्भट ने लिखा है—

“शब्दानामभिधान अभिधानव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च ॥”

इस प्रकरण का अभिप्राय यह है कि शब्द पद से तो शब्द का ग्रहण करना चाहिए और अर्थ पद से अर्थ का । शब्द का अर्थ बोधन परक जो व्यापार है उसे अभिधान पद से ग्रहण करना चाहिए । यह अभिधान या अभिधा व्यापार मुख्य और गुणवृत्ति या गौण भेद से दो प्रकार का है ।

इस प्रकार भामह ने अभिधान पद से, उद्भट ने गुणवृत्ति शब्द से और वामन ने “सादृश्यात् लक्षणा वनोक्ति” में लक्षणा शब्द से उस ध्वनिमार्ग का तनिक स्पर्श तो किया है परन्तु उसका स्पष्ट लक्षण नहीं किया है इसलिए यह सन्देहमूलक भक्तिवादी मध्यम पक्ष बना ।

जब प्राचीन आचार्य ध्वनिमार्ग का स्पर्शमात्र करके बिना लक्षण किए छोड़ गए तो उसका कोई लक्षण नष्ट हो सकता । यह अभाववाद का तृतीय अलक्षणीयता पक्ष है । यह पक्ष प्रथम पक्ष की भांति ध्वनि का न स्पष्ट निषेध करता है और न द्वितीयपक्ष की भांति सन्देह के कारण उसका अपह्नय ही करता है । केवल उसका लक्षण करना नष्ट जानता है । इसलिए यह पक्ष अज्ञानमूलक और तीनों में सबसे कम दूषित पक्ष है ।

ध्वनि के विरोध में समानित इन तीनों पक्षों में से प्रथम अभाववादी पक्ष के भी तीन विकल्प प्रत्येकार ने किए हैं । इनमें पहिले विकल्प में आशय यह है कि शब्द और अर्थ ही काव्य के शरीर हैं । उनमें शब्द के स्वरूपगत चारुत्वहेतु अनुप्रासादि शब्दालंकार, और अर्थ के स्वरूपगत चारुत्वहेतु उपमादि अर्थालंकार

अन्ये ब्रूयु नास्त्येव ध्वनिः । प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः
काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः । सहृदयहृदयाह्लादि शब्दार्थमयत्प्रमेव
काव्यलक्षणम् । न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्संभवति । न
च तत्समयान्तःपातिनः सहृदयान् कांश्चित् परिकल्प्य' तत्प्रसिद्ध्या
ध्वनौ काव्यव्यपदेश प्रवर्तितोऽपि सकलविद्वन्मनोप्राहितामवलम्बते ।

श्रीर उनके सद्यटनागत चाकत्वहेतु माधुर्यादि गुण प्रसिद्ध ही हैं । इनसे भिन्न श्रीर
कोई काव्य का चाकत्वहेतु नहा हो सकता । उद्भट ने नागरिका, उप नागरिका
श्रीर ग्राम्या इन तीन वृत्तियों को श्रीर वामन ने वैदर्भी आदि चार रीतियों को भी
काव्य का चाकत्वहेतु माना है । परन्तु उन दोनों का अन्तर्भान् अलकार श्रीर गुणों
में ही हो जाता है । उद्भट ने वृत्तियों का निरूपण करते हुए स्वयं भी उनको
अनुप्रास से अभिन्न माना है । उन्होंने लिखा है

“सरूपव्यंजनन्यास तिसृध्वेतासु वृत्तिषु ।

पृथक् पृथगनुप्रासमुशन्ति कवयः सदा ॥”

पुनरपरे तस्याभासमन्यथा कथयेयुः । न सभवत्येव ध्वनिर्नामा-
पूर्वं करिञ्चत् । कामनीयकमनतिरर्तमानस्य तस्योक्तेष्वेव चारुत्व-
हेतुष्वन्तर्भावात् । तेषामन्यतमस्यैव वा अपूर्वसमाख्यामात्रकरणे^१
यत्किञ्चन न्यथन स्यात् ।

किं च, वाग्मिकल्पानामानन्त्यात् सभवत्यपि वा ऋग्भिश्चिञ्चत्
काव्यलक्षणविधायिभिः प्रसिद्धैरप्रदर्शिते प्रसारलेशे, ध्वनिध्वनिरिति
‘यदेतदलीकसहृदयत्प्रभावनामुकलितलोचनैर्नृश्यते, तत्र हेतुं न
विद्वाः । सहस्रशो हि महात्मभिरन्यैरलकारप्रकाराः प्रकाशिताः ।

हृदयाह्लादक शब्दार्थ युक्तत्व ही काव्य का लक्षण है । और उक्त [शब्दार्थ
शरीर काव्य वाले] मार्ग का अतिक्रमण करने वाले मार्ग में वह [काव्यलक्षण]
संभव नहीं है । और न उस [ध्वनि] सम्प्रदाय के [माननेवाला के] अन्तर्गत
[ही] किन्हीं [व्यक्तियों को स्वेच्छा से] सहृदय मान कर, उनके कथना-
नुसार ही [किसी परिकल्पित नयोन] ध्वनि में काव्य नाम का व्यवहार प्रचलित
करने पर भी यह सब विद्वानों को स्वीकार्य [मनायाही] नहीं हो सकता ।

अभासवादियो वा तीतरा विकल्प निम्न प्रसार हो सक्ता हे —

३—तीमरे [अभाववादी] उग [ध्वनि] का अभास अन्य प्रकार से
कह सकते हैं । ध्वनि नाम का कोई नया पदार्थ संभव ही नहीं है । [क्योंकि
यदि वह] कमनीयता का अतिक्रमण नहीं करता है तो उसका उक्त [गुण,
अलंकारादि] चारण्य हेतुओं में ही अन्तिभाव हो जायगा । अथवा यदि उन्हीं
गुण, अलंकारादि] में से किसी का [ध्वनि] यह नया नाम रग दिया जाय
तो वह बड़ी तुच्छ भी बात होगी ।

और [वक्तवित् वाक् शब्द, उच्यते इति वागर्थ, उच्यतेऽनया इति
वागभिधाव्यापार । अथान् शब्द, अर्थ और शब्दशक्ति रूप वाणा द्वारा]
कथन शैलियों के अन्तर्गत प्रकार होने से, प्रसिद्ध काव्यलक्षणकारों द्वारा अप्रदर्शित
कोई छोटा मोग प्रकार संभव भी हो तो भी ध्वनि ध्वनि कह कर और मिथ्या
सहृदयत्व का भावना में अर्थ बन्द करके जो यह अक्रांठ ताडन [नयन] किया
जाता है इसका [तो कोई उचित] कारण प्रदान नहीं होता । अन्य विद्वान्
महात्माओं ने [काव्य के शोभा सम्पादक] सहस्रों प्रकार के अलंकार प्रकाशित

प्रकाशयन्ते च । न च तेषामेषा दशा श्रूयते । तस्मात् प्रवादमात्र ध्वनिः ।
न त्वस्य ह्योदक्ष्म तत्र किञ्चिदपि प्रकाशयितुं शक्यम् । तथा चान्येन
कृत एवात्र श्लोकः,—

यस्मिन्नस्ति नावस्तु किञ्चन मनःप्रलहादि सालकृति,
व्युत्पन्नै रचित न चैव वचनै र्व्यञ्जोत्तिशून्यं च यत् ।
काव्यं तद् ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशसन् जडो,
नो निद्रोऽभिधाति किं सुमतिना पृष्टः स्वरूप ध्वनेः ॥

किये हैं और प्रकाशित कर रहे हैं । उनको तो यह [मिथ्या महद्व्यत्याभिमान-
मूलक अकाङ्क्षताडन को] अवस्था सुनने में नहीं आती । [इस लिए ध्वनिवादी
का यह अकाङ्क्षताडन सर्वथा ध्वयं है ।] इस लिए ध्वनि यह एव प्रवादमात्र
है । उसका विचारयोग्य तब कुछ भी नहीं बताया जा सकता है । इसी आशय
का अन्य [ध्वन्श्लोककार आलम्ब्यार्जुनाचार्य के समकालीन मनोरथ करि] का
श्लोक भी है ।

जिसमें अलंकारयुक्त अतएव मन को आह्लादित करने वाला कोई ध्वन्य-
नीय अर्थतत्त्व [वस्तु] नहीं है [इसमें अर्थालंकारों का अभाव सूचित होता
है], जो चातुर्य में युक्त सुन्दर शब्दों से विरचित नहीं हुआ है [इसमें शब्दा-
लंकारशून्यता सूचित होती है], और जो सुन्दर उक्तिओं में शून्य है [इसमें
गुणराहित्य सूचित होता है] इस प्रकार जो शब्द के चारपदनु अनुप्रासादि शब्दा-
लंकारों, अर्थ के चारपदहेतु उपमादि अर्थालंकारों और शब्दांशमंडन के चारपद-
हेतु मातृवादि गुणों में सर्वथा शून्य है] उस को यह ध्वनि युक्त [उलम]
वाक्य है यह कह कर [गतानुगतिक, गणितिका प्रवाद में] प्रीतिपूर्वक प्रशंसा
करने वाला मूर्ख, किसी बुद्धिमान् के पदों पर मान्य नहीं ध्वनि का क्या
स्वरूप पतायेगा ।

यह अभाववादी पक्ष का उपसंहार हुआ । आगे ध्वनिविरोधी दूसरा
भक्तिवादी पक्ष आता है । प्रथम अभाववादी और तृतीय अलक्षणीयतावादी यह
दोनों पक्ष संश्लेषित पक्ष है अतएव उन दोनों का निर्देश 'जगद्' तथा 'जु' इन परास
लिट् लकार के प्रयोगों द्वारा किया गया है । परन्तु बीच के भक्तिवादी पक्ष का
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 'भामह' के 'कल्याणकार' और 'उद्धट' के
'भामह विरक्त' शब्दों द्वारा परिचय प्राप्त हो चुका है, इसलिए उक्त निर्देश

I भाक्तमाहुस्तमन्ये । अन्ये त ध्वनिसंज्ञित काव्यात्मानं गुणवृत्ति ।
रित्याहु ।

परोक्षता सूचक लिङ् लकार द्वारा न करके नित्य प्रवर्तमान सूचक लट् लकार के 'आहु' पद स निया है ।

'भक्तिवाद' में प्रयुक्त 'भक्ति' शब्द की व्युत्पत्ति चार प्रकार से की गई है । भक्ति शब्द से आलंकारिका की लक्षण और मीमांसकों की गौणी नामक दो प्रकार की शब्द शक्तियों का ग्रहण होता है । आलंकारिकों की लक्षण के मुख्यार्थ बाध, सामीप्यादि सन्ध और शैत्यादि बोध रूप प्रयोजन यह तीन चीज हैं । भक्ति शब्द की तान प्रसार की व्युत्पत्तिया इन तीन लक्षणाओं को बोधन करने के लिए की गई हैं । 'मुख्यार्थस्य भङ्गो भक्ति' इस भङ्गार्थक व्याख्यान से मुरधार्यबाध, 'अन्येते से यते पदार्थेन इति सामीप्यादिधर्मा भक्ति' इस सैनार्थक व्याख्यान से सामीप्यादि सन्ध रूप निमित्तसिद्धि, और 'प्रतिभाषे शैत्यपावनत्वादौ भद्रातिशयो भक्ति' इस भद्रातिशयार्थक व्याख्यान से भक्ति पद प्रयोजन का सूचक होता है । 'तत आगत भाक्त'—मुख्यार्थबाधादि तीना चीजों से जो अर्थ प्रतीत होता है उस लक्ष्यार्थ को भाक्त कहते हैं ।

आलंकारिकों ने लक्षण के दो भेद किए हैं, शुद्धा और गौणा । सादृश्येतर सन्ध से शुद्धा और सादृश्य सन्ध से गौणी लक्षण मानते हैं । परन्तु मीमांसकों ने लक्षण से भिन्न गौणी को अलग ही वृत्ति माना है, लक्षण का भेद नही । प्रकृत भाक्त पद से मीमांसकों की उस गौणी वृत्ति का भी समझ होता है और उसके बोधन के लिए भक्ति पद की बोधी व्युत्पत्ति 'गुणसमुदायवृत्ते शब्दस्य अर्थभाग-स्तेष्वप्यादि [शौर्यनीयादि] भक्ति, तत आगतो भाक्त ।' 'सिद्धो भाग्यवक' आदि प्रयोगों में तैक्ष्ण्य अर्थात् शौर्यनीयादिगुणनिशेधप्राणिनिशेष के वाचक गुण समुदायवृत्ति सिद्ध शब्द से उसके अर्थभाग शौर्यनीयादि का ग्रहण भक्ति है, और उससे प्राप्त होने वाला गौण अर्थ भाक्त है । इस प्रकार भाक्त शब्द के लक्ष्य और गौण यह दोनों अर्थ हैं । आगे इस भक्तियादी पूर्वपक्ष का निरूपण करते हैं ।

४—दूसरे लोग उसको लक्ष्य या गौण कहते हैं । अन्य लोग उक्त ध्वनि नामक काव्य को गुणवृत्ति गौण कहते हैं ।

गुणवृत्ति पद काव्य के शब्द और अर्थ दोनों के लिए प्रयुक्त है । गुण अर्थात् सामीप्यादि और तैक्ष्ण्यत्ति उनके द्वारा चित्र शब्द की अर्थान्तर में वृत्ति बोधनत्व होता है वह शब्द, और उनके द्वारा शब्द की वृत्ति जहाँ होती है वह

यद्यपि च ध्वनिशब्दसंकीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्गुणवृत्ति-
रन्यो वा न कश्चित् प्रकार प्रकाशित, तथापि 'अमुरयवृत्त्या काव्येषु
व्यवहार दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् स्पृष्टोऽपि' न लक्षित इति परि-
कल्प्यैवमुक्तम्, भाक्तमाहुस्तम-ये इति ।

अर्थ, इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों ही गुणवृत्ति शब्द से गृहीत हो सकते हैं ।
अथवा 'गुणद्वारेण वर्तन गुणवृत्ति' अर्थात् अमुरय अभिधा व्यापार भी गुणवृत्ति
शब्द से रोधित होता है । इसका आशय यह है कि दूसर लोग ध्वनि का
गुणवृत्ति कहते हैं । ध्वनि शब्द 'ध्वनतीति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति से शब्द का,
'ध्वन्यते इति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति से अर्थ का, और 'ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनि' इस
व्युत्पत्ति से काव्य का रोधक होता है । इसी प्रकार गुणवृत्ति शब्द 'गुणै
सामीप्या
दिभिस्तैर्दृष्यादिभिर्गोपायैरर्थांतरे वृत्तिर्यस्य स गुणवृत्ति शब्द तैर्दृष्यै शब्दस्य
वृत्तिवत् सोऽर्था गुणवृत्ति, गुणद्वारेण वर्तन वा गुणवृत्तिरमुरयोऽभिधा व्यापार',
इस प्रकार ध्वनि शब्द के समान गुणवृत्ति शब्द भी शब्द, अर्थ और व्यापार तीनों
का रोधक होता है ।

मूल कारिका में 'त भाक्' और उसकी वृत्ति में 'त ध्वनिसहित काव्यात्मान'
इन पदों का जो सामानाधिकरण-समानविभक्तिक प्रयोग हुआ है, उसका विशेष
प्रयोजन है । पदों के सामानाधिकरण्य का अर्थ एकधर्मरोधकत्वं अर्थात् उनके
पदार्थों का अभेदान्वय ही होता है । जैसे 'नीलमुत्पलम्' इस उदाहरण में समान-
विभज्यन्त नील और उत्पल पदों से नील और उत्पल का अभेद या तादात्म्य ही
रोधित होता है । उसका अर्थ 'नीलाभिनमुत्पलम्' ही होता है । इसी प्रकार यहाँ
भक्ति और ध्वनि का जो सामानाधिकरण्य है उससे उन दोनों का तादात्म्य ही
सूचित होता है । इन दोनों के तादात्म्य का ही सङ्गन आगे सिद्धान्तपत्र में करना
है । वैसे अनेक स्थला पर लक्षणा और ध्वनि या गौणी और ध्वनि दोनों
मात्र पाई जाती हैं । परन्तु अनेक स्थलों पर लक्षणा या गौणी के अभाव में
भी ध्वनि रहती है । इसलिए गौणी या लक्षणा और ध्वनि का तादात्म्य या अभेद
नहीं है । यश आगे चल कर सिद्धान्त पत्र स्थिर करना है इसलिए पूर्ववत् में
सामानाधिकरण्य द्वारा उन दोनों का तादात्म्य प्रतिपादन किया है ।

यद्यपि काव्यलक्षणकारों ने ध्वनि शब्द का उल्लेख करके [ध्वनि नाम
लक्षक] गुणवृत्ति का अर्थ [गुण अर्थ-मारादि] का ही प्रकार प्रदर्शित नहीं किया

केचित् पुनर्लक्षणकरणशालीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्त्व गिरामगोचरं
सहृदयहृदयसवेद्यमेव समाख्यातवन्तः । तेनैवविधासु त्रिमतिपु
स्थितासु सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूप ब्रूमः ।

तस्य हि ध्वने स्वरूप सरुलसत्कविकाव्योपनिपद्भूतं,
अतिरमणीय, 'अणोयसीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिना बुद्धि-
भिरनुन्मीलितपूर्वम् । अथ च रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये
सर्वत्र प्रसिद्धव्ययहार लक्षणता सहृदयानां, आनन्दो मनसि लभतां
प्रतिष्ठासिति प्रकाश्यते ॥१॥

हैं, फिर भी [भामह के 'शब्दाश्चन्द्रोऽभिधानार्था' के व्याख्या प्रसंग में 'शब्दाना-
मभिधान मभिधाव्यापारी मुख्यो गुणवृत्तिरथ' लिखकर] काव्यों में गुणवृत्ति
से व्यवहार दिखाने वाले [भट्टोद्भट या उनके उपजोष्य भामह] ने ध्वनिमार्ग
का थोड़ा सा स्पर्श करके भी [उपमा स्पष्ट] लक्षण नहीं किया [इसलिए अर्थत
उनके मत में गुणवृत्ति ही ध्वनि है] ऐसी कल्पना करके 'मात्रमाहुस्तमन्ये' यह
कहा गया है ।

२—लक्षण निर्माण में अप्रगल्भवृद्धि किन्हीं [तीसरे वादी] ने ध्वनि के
तत्त्व को ['न शक्यते वर्णयितु गिरा तदा स्वय तदन्त ऋण्येन गृह्यते' के समान]
केवल सहृदयहृदयमंत्रय और वाणो के परे [अलक्षणोय, अनिर्वचनीय] कहा
है । इस लिए इस प्रकार के मतभेदों के होने में सहृदयों के हृदयाह्लाद के लिए
हम उसका स्वरूप प्रतिपादन करते हैं ।

काव्य के प्रयोजनों में यश और अर्थ की प्राप्ति, व्यवहारज्ञान और सत्य-
परिनिवृत्ति परमानन्द आदि अनेक फल माने गए हैं । परन्तु उन सब में सत्य-
परिनिवृत्ति या आनन्द ही सबसे प्रधान फल है । अन्य यश और अर्थ आदि की
चरम परिणति आनन्द में ही होती है इसलिए यहाँ काव्यात्मभूत ध्वनितत्त्व के
निरूपण का एकमात्र आनन्द फल मूल कारिका में 'सहृदयमनःप्रीतये' शब्द से
और उसी वृत्ति में 'आनन्द' शब्द से दिखाया है ।

उस ध्वनि का स्वरूप समस्त सञ्चरियों के काव्यों का परमरहस्यभूत,
अत्यन्त सुन्दर, प्राचीन काव्यलक्षणकारों की सूक्ष्मतर बुद्धियों से भी प्रस्फुरित
नहीं हुआ है । इसलिए, और रामायण महाभारत आदि लक्ष्य ग्रन्थों में सर्वत्र

उसके प्रसिद्ध व्यवहार को परिलक्षित करने वाले सहृदयों के मन में आनन्द [प्रद ध्वनि,] प्रतिष्ठा को प्राप्त करे इसलिए उसको प्रकाशित किया जाता है ।

ऊपर जो ध्वनिविरोधी पद दिखाए हैं उनमें अभाववादी पद के तीन विकल्प और अन्त के दो पद मिला कर कुल पांच पद बन गए हैं । इन ऊपर की पक्तियों में ध्वनि का जो विशिष्ट रूप प्रदर्शित किया है उसमें प्रयुक्त विशेषण उन पूर्वपदों के निराकरण को ध्वनित करने वाले और साभिप्राय हैं । सकल और सत्कवि शब्द से 'कस्मिंश्चित् प्रसारलेशे' वाले पद का, 'अतिरमणीयम्' से माकपद का, 'उपनिपद्भूत' से 'अपूर्वसमाख्यामात्रकरणे' वाले पद का, 'अणीयसीभिश्चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिना बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्व' विशेषण से गुणालंकार अन्तभू-तत्ववादी पद का, 'अथ च' इत्यादि से 'तत्समयान्त पातिन काश्चित्' वाले पद का, रामायण के नामोल्लेख से आदिकवि से लेकर सबने उसका आदर किया है इससे स्वरुल्यितत्व दोष का, 'लक्ष्यता' इस पद से 'वाचा स्थितमविषये' का निराकरण ध्वनित होता है ।

'आनन्दो मनसि लभता प्रतिष्ठम्' इस उक्ति से साधारण अर्थ के अतिरिक्त दो बातें और भी ध्वनित होती हैं । पहिली बात तो यह है कि आगे चल कर ध्वनि के वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि और रसध्वनि यह तीन भेद करेंगे । परन्तु इनमें आनन्दरूप रसध्वनि ही प्रधान है, यह बात इससे सूचित होती है ।

दूसरी बात यह है कि इस ध्वन्यालोक ग्रन्थ के रचयिता श्री आनन्द-वर्धनाचार्य हैं । वह न केवल इस ग्रन्थ के रचयिता अपितु वस्तुतः ध्वनिमार्ग के संस्थापक हैं । इसलिए इस ध्वनि के स्पष्ट स्थापन रूप कार्य से सहृदयों के मन में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हो यह भाव भी अपने नाम के आदि भाग 'आनन्द' शब्द द्वारा यदा व्यक्त किया है ।

'लोचन' और 'बालप्रिया' दोनों टीकाओं के लेखकों ने 'लक्ष्यता' पद की व्याख्या में 'लक्ष्यते अनेन इति लक्षो लक्षणम् । लक्षणे निरूपयन्ति लक्षयन्ति, तेषां लक्षणद्वारेण निरूपयताम्' यह अर्थ किया है । और 'लक्ष्यतेऽनेन इति लक्ष' इस प्रकार करण में घञ् प्रत्यय करके लक्ष् शब्द बनाया है । साधारणतः ल्युट् प्रत्यय से गाधित होने के कारण करण में घञ् प्रत्यय सुलभ नहीं है । परन्तु महाभाष्यकार ने 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' इस सूत्र में बाहुलकात् करण घञन्त उपदेश शब्द का साधन किया है उस प्रकार बाहुलकात् करण घञन्त वाला मार्ग यदा भी निकाला जा सकता है । परन्तु यहाँ तो 'लक्ष्यता' का सीधा 'निरूपयता' अर्थ करने

से उस बाहुलक की क्लिष्ट कल्पना से बचा जा सकता है। निरूपण में, लक्षणा-दिना निरूपण धात्वर्थान्तर्गत हो जाने से अर्थ में भी अन्तर नहीं होता तब उस अगतिरूपिणी बाहुलक का आश्रय लेकर करणपरन्तु लक्ष पद के व्युत्पादन का प्रयास क्यों किया, यह विचारणीय है।

‘ध्वनेः स्वरूप’ में प्रयुक्त ‘स्वरूपम्’ पद, ‘लक्षयता’ में लक्ष धात्वर्थ और ‘प्रकाशयते’ में काश धात्वर्थ दोनों में श्रावृत्ति द्वारा कर्मतया अन्वित होता है। और प्रधानभूत काश धात्वर्थ के अनुरोध से उसे प्रथमान्त समझना चाहिए, गुणीभूत लक्षक्रियानुरोध से द्वितीयान्त नहीं। इसमें ‘स्वादिमिणमुल’ पा० सू० ३-४-२६ इस सूत्र के माध्य में स्थित निम्न कारिका प्रमाण है :

“प्रधानेतरयो र्यत्र द्रव्यस्य निययोः पृथक् ।

शक्ति गुणाश्रया तत्र प्रधानमनुरुच्यते ॥”

प्रत्येक ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थ का [१] प्रयोजन, [२] विषय, [३] अधिकारी [४] सम्बन्ध इन अनुबन्ध चतुष्टय को प्रदर्शित करने की व्यवस्था है।

“सिद्धार्थे सिद्धसम्बन्धे श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।

शास्त्रादी तेन भवत्कृत्य सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥” श्लो० वा० ११७

अनुबन्धचतुष्टय के ज्ञान से ही ग्रन्थ के अध्ययन अध्यापनादि में प्रवृत्ति होती है। ‘प्रवृत्तिप्रयोजकरूपज्ञानविषयत्व अनुबन्धत्वम्’ यही अनुबन्ध का लक्षण है। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान का स्वरूप ‘इदं मदिष्टसाधनम्’-या ‘इदं मत्कृतिसाध्यम्’ है। इसमें इदं पद से विषय, मन् पद से अधिकारी, इष्ट पद से प्रयोजन, और साधन पद से साध्यसाधनभाव सम्बन्ध सूचित होता है। तदनुसार विषय, प्रयोजन, अधिकारी और सम्बन्ध ये चार अनुबन्धचतुष्टय माने गए हैं और प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्भ में उनका निरूपण आवश्यक माना गया है।

अतएव इस ध्वन्यालोक के प्रारम्भ में भी ग्रन्थकार ने उन अनुबन्ध-चतुष्टय को सूचित किया है। ‘तत् स्वरूपं ब्रूमः’ से ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय ध्वनि का स्वरूप है, यह सूचित किया। विमति निवृत्ति और उससे ‘सद्बुद्धयमन-प्रीतये’ से मनः प्रीति रूप मुख्य प्रयोजन सूचित हुआ। ध्वनिस्वरूपजिज्ञासु सद्बुद्धय उसका अधिकारी और शास्त्र का विषय के साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव तथा प्रयोजन के साथ साध्य-साधनभाव सम्बन्ध है। इन प्रकार अनुबन्ध चतुष्टय की भी सूचना हुई ॥१॥

१ तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारव्यस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते—

२ योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः ।

वाच्यप्रतीयमानाग्यौ तस्य भेदानुभौ स्मृतौ ॥२॥

काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा सार-
रूपतया स्थितः सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थः, तस्य वाच्य प्रतीयमानश्चेति
द्वौ भेदौ ॥२॥

[यहा तत्र पद भावलक्षण सप्तमी के या सति सप्तमी के द्विवचनान्त से प्रलु-
प्रत्यय करके बना है, इसलिए उसका अर्थ उन दोनों अर्थात् रिपय और प्रयोजन
के स्थित होने पर होता है ।]

रिपय और प्रयोजन के स्थित हो जाने पर, जिम ध्वनि का लक्षण करने
जा रहे हैं उसकी आधार भूमि [भूमिरिव भूमिका] निर्माण के लिए यह
कहते हैं ।

सहृदयों द्वारा प्रशंसित जो अर्थ वाच्य की आत्मा रूप में प्रतिष्ठित है
उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद कहे गए हैं ।

शरीर में आत्मा के समान, सुन्दर [गुणालकार युक्त], उचित [रसादि
के अनुरूप] रचना के कारण रमणीय काव्य के साररूप में स्थित, सहृदय
प्रशंसित जो अर्थ हैं उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद हैं ।

‘योऽर्थ सहृदयश्लाघ्यः’ इत्यादि दूसरी कारिका जैसे सरल जान पड़ती
है परन्तु उस की सगति तनिक ज़िष्ट है । उसके आपाततः प्रतीत होने वाले
अर्थ ने साहित्यदर्पणकार श्री विश्वनाथ को भी भ्रम में डाल दिया, जिसके कारण
उन्होंने अपने ग्रन्थ में इस कारिका का पढ़न करने की आवश्यकता समझी ।
उन्होंने लिखा कि सहृदयश्लाघ्य अर्थ अर्थात् ध्वनि तो सदा प्रतीयमान ही है,
वाच्य कभी नहीं होता । फिर, ध्वनिकार ने जो उसके वाच्य और प्रतीयमान दो
भेद किए हैं वह उनका बढ़ती व्याघात—स्वप्नचन विरोध है—।

इस सभापित भ्रान्ति को समझ कर टीकाकार ने इस कारिका की व्याख्या
विशेष प्रकार से की है । ध्वनि के स्वरूप-निरूपण की प्रतिज्ञा करके वाच्य का
कथन करने लगना भ्रमजनक हो सकता है, इसीलिए स्वयं ग्रन्थकार ने भी इस
कारिका की अवतरणिका में संकेत कर दिया है कि यह ध्वनि की भूमिका [भूमिरिव

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः ।
बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः,

काव्यलक्ष्मविधायिभिः ।

ततो नेह प्रतन्यते ॥३॥

केवलमनूयते पुनर्यथोपयोगम् ॥३॥

भूमिका] है। जिस प्रकार आधार भूमि का निर्माण हो जाने पर ही उसके ऊपर भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ होता है उसी प्रकार वाच्य, ध्वनि की आधार भूमि है, उसी के आधार पर प्रतीयमान अर्थ की व्युत्पत्ति होती है। पूर्वोक्त प्रदर्शित करते हुए लिखा था 'शब्दार्थशरीर काव्यम्'। इनमें से शब्द तो शरीर के स्थूल-त्वादि के समान सर्वजनसवेद्य होने से शरीरभूत ही है। परन्तु अर्थ तो स्थूल शरीर की भाँति सर्वजनसवेद्य नहीं है। काव्यार्थ तो सहृदयसवेद्य है और उससे भिन्न अर्थ भी सनेतप्रद पृथक् व्युत्पन्न पुरुषों को ही प्रतीत होता है अतएव अर्थ सर्वजनसवेद्य न होने से स्थूल शरीर स्थानीय नहीं है। जब शब्द को शरीर मान लिया तो फिर उसको अनुप्राणित करने वाले आत्मा का मानना भी आवश्यक है। और यह अर्थ उस आत्मा का स्थान लेता है। परन्तु सारा अर्थ नहीं केवल सहृदयश्लाघ्य अर्थ का-आत्मा है। इसलिए अर्थ के दो भेद किए हैं। एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। सहृदयश्लाघ्य या प्रतीयमान अर्थ काव्य की आत्मा है। दूसरा जो वाच्य अर्थ [वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः] काव्य की आत्मा नहीं उसे हम इस रूप में सूक्ष्म शरीर या अन्तःकरण अथवा मन स्थानीय मान सकते हैं। जिस प्रकार आत्मतत्त्व के विषय में निप्रतिपन्न चार्वाकादि कोई स्थूल शरीर को और कोई सूक्ष्म मन आदि को ही आत्मा समझ लेते हैं इसी प्रकार यहाँ शब्द, अर्थ, गुण, अलंकार, रीति आदि में से किसी एक या उनकी समष्टि को काव्य समझ लेना चार्वाक मत के सदृश है।

कारिकाकार ने 'वाच्यप्रतीयमानारथौ' पद में वाच्य और प्रतीयमान दोनों का द्वन्द्व समास किया है। 'उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः' अर्थात् द्वन्द्वसमास में द्वन्द्वघटक समस्तपदों का सम प्राधान्य होता है। इसलिए यहाँ वाच्य और प्रतीयमान दोनों का सम प्राधान्य सूचित होता है। जिसका भाव यह है कि जिस प्रकार वाच्य

१. नि०, दी० ने 'काव्यलक्ष्मविधायिभिः' को कारिका भाग और 'ततो नेह प्रतन्यते' को वृत्ति भाग मानकर छापा है। परन्तु सोचने के अनुसार हमारा पाठ हो टीका है।

प्रतीयमान पुनरन्यदेव, वस्तुवस्ति वाणीषु महाकवीनाम् ।
यत् तत् प्रसिद्धायवातिरिक्तं, विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥४॥

प्रतीयमान पुनरन्यदेव वाच्याद् वस्तुवास्त वाणीषु महाकवीनाम् ।
यत् तत् 'महदयसुप्रसिद्ध, प्रसिद्धेभ्योऽलकृतेभ्य प्रतीतेभ्यो वाव-
यवेभ्यो व्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते लावण्यमिवाङ्गनासु । यथा ह्यङ्गनासु
लावण्यं पृथङ् निवेद्यमानं निग्नित्वायवव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव
सहृदयलोचनामृत, तत्वान्तर, तद्वदेव सोऽर्थ ।

अर्थ का अपह्वय नहा किया जा सकता है उसी प्रकार प्रतीयमान अर्थ भी अनपह्वय
नीय है । उसका अपह्वय निषध-नहा किया जा सकता है । इस प्रतीयमान अर्थ के
निषय में की जाने वाली निप्रतिपत्ति आमतत्व के निषय में की जाने वाली चार्वाक
की निप्रतिपत्ति के समकक्ष ही है । अतएव सवथा हेय है ।

उनमें से, वाच्य अर्थ वह है जो उपमादि [गुणालकार] प्रकारों से प्रसिद्ध
हैं और अन्यो न [पूर्व काव्य लक्षणकारों न] अनक प्रकार से उसका प्रदर्शन
किया है । इसलिए हम यहा उसका विस्तार से प्रतिपादन नहीं कर रहे । केवल
आवश्यकतानुसार उसका अनुवाद मात्र करेंगे ।

वाच्य पद से घट पगादि रूप अभिधेयाथ का ग्रहण अभीष्ट नहीं है अपितु
उपमादि अलकारों का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए दूसरी कारिका में वाच्य की
व्याख्या की । उसका यहा अनुवाद करेंगे । अज्ञात अर्थ का ज्ञापन यहा प्रतनन है
और ज्ञाताथ का ज्ञापन अनुवाद कहाता है । भङ्गातिक में यहा है -

‘यच्छब्दयोग प्राथम्य सिद्धत्व चाप्यनूयता ।

तच्छब्दयोगश्रीत्तये साध्यत्व च विधयता ।’

श्लोक के पूर्वार्द्ध में अनुवाद का लक्षण किया है और उत्तरार्द्ध में
विधेय का ॥३॥

प्रतीयमान वृद्ध और ही चोक्त है ना रमणियों के प्रसिद्ध [मुख, नत्र,
भ्रात्र, नामिकादि] अवयवों से भिन्न [उनके] लावण्य के समान महारणियों का
सुनिधियों में [वाच्य अर्थ से अलग ही] भावित होता है ।

महाकविया का वाणिया में वाच्याथ से भिन्न प्रतीयमान वृद्ध और ही
वस्तु है । ना प्रसिद्ध अलकारों अथवा प्रतीत होने वाले अवयवों से भिन्न, सहृदय-

स ह्यर्थो, वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त वस्तुमात्र, 'अलकाररसादयश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभिन्नो दर्शयिष्यत । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्रम् । तथा हि, आद्यस्तावत् प्रभेदो वाच्याद् दूर विभेदवान् । स हि कदाचिद् वाच्ये विधिरूपे प्रतिषेधरूप । यथा—

भम धम्मिअ बोसत्थो सो सुनओ अज्ज मारिओ देण ।

गोलाणइ कञ्जकुडंगवासिणा दरिअ सीहेण ॥

[भ्रम धार्मिक 'विषय' स सुनकोऽद्य मारितरतन ।

^१गोदानदीकं कुञ्जगामिना दत्तसिहेन ॥ इति च्छाया]

सुप्रसिद्ध, अन्ननाथो क लाक्षण्य के समान [अलग ही] प्रशशित होता है । जिस प्रकार सुन्दरियों का सौन्दर्य पृथक् दिखाई देने वाला समस्त अग्रयणों से भिन्न सहृदय नेत्रों के लिए अमृत तुल्य कुल्ल और ही तत्र है, इसी प्रकार वह [प्रतीयमान] अर्थ है ।

वह [प्रतीयमान] अर्थ वाच्य सामर्थ्य स आक्षिप्त वस्तुमात्र, अलंकार, और रसादि भेद स अनेक प्रकार का दिखाया जायगा । उन सब ही भेदों में वह वाच्य से अलग हो है । जैसे पहला [वस्तु ध्वनि] भेद वाच्य से अग्र्यन्त भिन्न है । [क्योंकि] कहीं वाच्य विधि रूप होने पर [भी] वह [प्रतीयमान] निषेध रूप होता है । जैसे —

पंडित जी महाराज ! गोदावरी के किनारे कुंज म रहने वाले मद्मत्त सिंह ने आप [आपको तंग करने वाले, आप पर दौड़ने वाले] उम कुत्ते को मार डाला है, अब आप निश्चिन्त होकर भ्रमण कानिष् ।

गोदावरी तट का कोई सुन्दर स्थान किसी कुलगा का सकेत स्थान है । उस स्थान की मु दरता के कारण कोई धार्मिक पंडित नी—भगत जी—स ध्योपासन या भ्रमण के लिए उधर आ जाते हैं । इसके कारण उस कुलगा के काय में विप्र पड़ता है और वह चाहती है कि यह इधर न आया करें । जैसे बिना बात उनको आने का सीधा निषेध करना तो अनुचित और उसकी अनधिकार च्छा होना इसलिए उसने सीधा निषेध न करके उस प्रदेश में मत्त सिंह का उपस्थिति की सूचना द्वारा पंडित जी को भयभीत कर उनके रोकने का यह मांग निजाला है । प्रकृत श्लोक में वह पंडित जी महाराज को यही सूचना दे रही है । परन्तु उसके

१ अलङ्कार रसादयश्चेति ० । २ विषय नि ० । ३ गोदावरी नदी कुल्लतागहनवासिना लो ० ।

कहने का एक विशेष ढंग है। वह कहती है कि पंडित जी महाराज! वह कुत्ता जो आपको रोज़ तग किया करता था गोदावरी के किनारे कुज में रहने वाले मदमत्त सिंह ने मार डाला है अर्थात् प्रतिदिन आपके भ्रमण में बाधा डालने वाले कुत्ते के मर जाने से आपके मार्ग की वह बाधा दूर हो गई है और अब आप निर्भय होकर भ्रमण करें। कुलद्य जानती है कि पंडित जी तो कुत्ते से ही डरते थे, जब उन्हें मालूम होगा कि उसे सिंह ने मार डाला और वह सिंह यहीं कुज में रहता है तो निश्चय ही पंडित जी भूल कर भी उधर आने का साहस नहा करेंगे। इसी लिए वह पंडित जी को निश्चिन्त होकर भ्रमण करने का निमन्त्रण दे रही है परन्तु उसका तात्पर्य यही है कि कभी भूल कर भी इधर पैर न रखना नहा तो फिर आपकी कुशल नहा है। श्लोक में 'धार्मिक' पद पंडित जी महागज की भीरुता का, 'दत्त' पद सिंह की भीषणता के अतिरेक का और 'वासिना' पद सिंह की निरन्तर विद्यमानता का सूचक है। इस श्लोक का वाच्यार्थ तो विधिरूप है परन्तु जो उससे प्रतीयमान अर्थ [वस्तु ध्वनि] है वह निषेध रूप है। इसलिए वाच्यार्थ से प्रतीयमान अर्थ अत्यन्त भिन्न है।

लिट्, लोट्, तव्यत् प्रत्यय 'विधि प्रत्यय' कहलाते हैं। विधि प्रत्ययान्त पदों को सुनने से यह प्रतीत होता है कि 'अय मा प्रवर्तयति'। विधि प्रत्यय के प्रयोग को सुन कर सुनने वाला नियम से यह समझता है कि यह कहने वाला मुझे किसी विशेष कार्य में प्रवृत्त कर रहा है। इसलिए विधि प्रत्यय का सामान्य अर्थ प्रवर्तना ही होता है। यह प्रवर्तना वक्ता का अभिप्राय रूप है। मीमांसकों ने विध्वर्थ का विशेष रूप से विचार किया है। उनके मत में वेद अपौरुषेय है। वेद में प्रयुक्त 'द्वर्गनामो यजेत्' आदि विधि प्रत्यय द्वारा जो प्रवर्तना उचित होती है वह शब्दनिष्ठ व्यापार होने से शाब्दी भावना कहलाती है। लौकिक वाक्यों में तो प्रवर्तकत्व पुरुषनिष्ठ अभिप्राय विशेष में रहता है परन्तु वैदिक वाक्यों का वक्ता पुरुष न होने से वहा वह प्रवर्तकत्व व्यापार केवल शब्दनिष्ठ होने से शाब्दी भावना कहलाता है। और उस वाक्य को सुन कर फलोद्देश्येन पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है उसे आधा भावना कहते हैं। 'पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुः व्यापारविशेषः शाब्दी भावना', प्रयोक्तेच्छा च नितत्रियाविपरयो व्यापार आर्था भावना'। साधारणतः विधि शब्द का अर्थ प्रवर्तकत्व या भावना आदि रूप होता है परन्तु यहा 'नचिद्वि वाच्ये विधि रूपे निषेधरूपो यथा' में यह अर्थ सगत नहा होगा। इसलिए यहा विधि का अर्थ प्रतिषेध या प्रतिषेधनिवर्तन माना गया है। कुत्ते की उपस्थिति धार्मिक के भ्रमण में प्रतिषेधात्मक या बाधा रूप थी। कुत्ते के मर जाने से उस बाधा की

कवचिद् गान्धे प्रतिपेक्षरूपे विधिरूपो यथा—

अत्ता एत्थ णिमन्वइ एत्थ अइ दिअसअं पलोएहि ।

मा पहिअ रत्ति अन्धअ सेज्जाए मह णिमज्जहिमि ॥

[स्वधरत्र निमज्जति, अत्राह दिवसरु प्रलोक्य ।

मा पयिक रायन्धक शय्याया मम निमज्जसि' ॥ इति-छाया]

निवृत्ति हो गई । यही प्रतिपक्षनिवृत्ति या प्रतिप्रसव यद्वा विधि शब्द का अर्थ है, न कि नियोगादि । भ्रम पद का जो लोट लकार है वह 'प्रेषातिरुगप्रासकालेषु, कृ याश्च पा० सू० ३, १०३' सूत्र से अतिसग अर्थात् कामचार, स्वेच्छा विहार और प्राप्त काल अर्थ में हुआ है । त्रैप [प्रमाणांतरप्रमितेऽर्थे पुरुषनिष्ठा प्रवतना त्रैप) अर्थ में नहा है ।

निर्णयसागरीय सत्करण में विग्रह पाठ है उसकी अपेक्षा अर्थदृष्टि से विग्रह पाठ अधिक उपयुक्त है । स्वम्भु विश्वासे', 'अम्भु प्रमादे' दन्वदि वृक्षम्भु धातु विश्वासाथक और तालव्यदि अम्भु धातु प्रमादाथक है । यद्वा विश्वासाथक दन्वादि स्वम्भु धातु का ही प्रयोग अधिक उपयुक्त है । इसलिए विग्रह पाठ अधिक अच्छा है ।

कहीं वाच्यार्थ प्रतिपत्र रूप होने पर [प्रतीयमानाथ] विधिरूप होता है । जैसे —

हे पयिक ! दिन में अच्छी तरह दाग लो, यद्वा साय जा सोती है और यद्वा मैं सोती हूँ । [रात को] रतींधी अस्त [होकर] कहीं हमारा खाट पर न गिर पड़ना ।

यद्वा वाच्यार्थ निषेधरूप है परंतु व्यग्यार्थ [प्रतीयमानाथ] विधिरूप है । यद्वा भा विधि न अथ प्रवृत्ति नहा अर्थात् प्रतिप्रसव अर्थात् निषध निरर्तन रूप लेना चाहिए । किसी प्रोषितप्रवृत्त का जो दग्धकर भद्रनाहुस्मभन्न पयिक पुरुष

१ आद्यपोमाक्षी नि०, दी० । गाथा सप्तमती में मूल पाठ भिन्न ह । उसका पाठ और छाया निम्न ह—

एय निमज्जइ अत्ता एय अह, एत्थ परिअणो सअलो ।

पयिअ रत्ती अथअ मा मह सअए निमज्जहिमि ॥

छाया—अत्र निमज्जति इवधूरत्राहमत्र परिजन सक्व ।

पयिक रायन्धक मा मम नयन निमज्जसि ॥

कवचिद् वाच्ये विधिरूपेऽनुभयरूपो यथा—

वच मह विप्रश्न एम्के इहोन्तु एीसासरोडअभाइ ।

मा तुञ्ज वि तीअ रिणा दक्खिणएण दअस जाअन्तु ॥

[व्रज ममैकस्या भवन्तु नि श्नासरोदितव्यानि ।

मा तवापि तथा विना दाक्षिण्यहतस्य जनिपत ॥ इति च्छाया]

कवचिद् वाच्ये प्रतिषेत्सुपेऽनुभयरूपो यथा—

वे आ पसिअ णि रत्तसु मुहससि जोह्हाविलुत्ततमणिरह ।

अहेसारिआणं विग्घ करोमि अण्णाणं वि हआसे ॥

[प्रार्थय तावत् प्रसीद नि त्तैव मुसशशिज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिरहे ।

अभिसारिकाणा विघ्न करो ययासामपि हताशे ॥ इति च्छाया]

को इस निषेध द्वारा उसकी ओर से निषेध निरर्तन रूप स्वीकृति या अनुमति प्रदान का जा रही है । अत्रवृत्त प्रवर्तन रूप निमन्त्रण नहा । विधि को निमन्त्रण रूप मानने पर तो प्रथम दानुसंगप्रकाशन से सोभाग्याभिमान खण्डित होगा । इन्हीं लिये यहाँ विधि शब्द निषेधभाव रूप अभ्युत्पन्न मात्र सूचक है ।

कहाँ वाच्य विधिरूप होने पर [प्रतीयमान अर्थ] अनुभयात्मक [विधि, निषेध दोनों से भिन्न] होता है । जैसे—

[तुम] जाओ, मैं अकेला ही इन निहवास ओर रोने को भोगू [सो अच्चा है] कहीं, दाक्षिण्य [मरे प्रतिभो अनुराग, 'अनेकमहिलासमरागो दक्षिण कथित'] क चक्रर में पड़ कर, उसके विना तुमको भी यह सब न भोगना पड़े ।

इस श्लोक में स्पष्टिना [पार्श्वमेति प्रियो यस्या अ-पसभोगचिन्हित । सा स्पष्टितेति कथिना धोरैरीप्याकथयिता ॥ सा० द० ३, ११७ ॥] नायिका का प्रगाढ मयु [दुःख] प्रतीयमान है । वह न तो ब्रज्याभाव रूप निषेध ही है और न अ य निषेधभाव रूप विधि ही है । इस लिये यहाँ प्रतीयमान अर्थ अनुभय रूप है ।

कहाँ वाच्यार्थ प्रतिपन्न रूप होने पर [भो प्रतीयमान अर्थ] अनुभय रूप होता है । जैसे—

[मैं] प्रार्थना करता हूँ, मान जाओ, लौं आओ । अपन मुखचन्द्र को ज्यो स्ना से ग द अंरकार का नाश करके अरो हत से । तुम अन्व अभिसारिकाओं [के कार्य] का भी विघ्न कर रही हो ।

इस श्लोक की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। पहिली व्याख्या के अनुसार यह नायक के घर पर आई परन्तु नायक के गोनस्खलनादि अपराध से नाराज होकर लौट जाने के लिए उद्यत नायिका के प्रति नायक की उक्ति है। नायक चाटुनम पूर्वक उसको लौटाने का यत्न करता है। न केवल अपने और हमारे मुख में निम्न डाल रही हो बल्कि अन्य अभिसारिकाओं के कार्य में भी विघ्न न रहे हो तो फिर तुम्ह कभी सुग्न कैसे मिलेगा। इस प्रकार का वल्लभाभिप्राय रूप चाटु विशेष व्यंग्य है।

दूसरी व्याख्या के अनुसार सखी के समझाने पर भी उसकी बात न मान कर अभिसारोद्यत नायिका के प्रति सखी की उक्ति है। लाघव प्रदर्शन द्वारा अपने को अनादरास्पद करके हे इताशे। तुम न केवल अपनी मनोरथसिद्धि में विघ्न कर रही हो अपितु अपने मुख चन्द्र की ज्योत्स्ना से अन्धकार का नाश करके अन्य अभिसारिकाओं के कार्य में भी विघ्न डाल रही हो। इस प्रकार सखी का चाटुरूप अभिप्राय व्यंग्य है।

इन व्याख्याओं में से एक में नायकगत चाटु अभिप्राय और दूसरे में सखीगत चाटु अभिप्राय व्यंग्य है। सखी पद में नायिका विषयक रति रूप भाव [‘रतिदेवादिविषया भावो व्यभिचारी तथाञ्जितः’ अर्थात् नायक नायिका से भिन्न विषयक रति और व्यञ्जनागम्य व्यभिचारी को ‘भाव’ कहते हैं] व्यंग्य है और वह अनुभावरूप ‘अन्यासामपि विघ्न करोपि इताशे’ आदि वाक्यार्थ द्वारा, ‘निवर्तस्व’ इस वाक्यार्थ के प्रति अग्र रूप हो जाने से वस्तुतः गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण बन जाता है ध्वनि का नहीं। इसी प्रकार जहाँ ‘भाव’ दूसरे का अग्र हो उसे ‘प्रेय’ कहते हैं वह भी गुणीभूत व्यंग्य ही है। नायकोक्ति के पद में उसी प्रकार से नायकगत रति उक्त अनुभावरूप अर्थ द्वारा ‘निवर्तस्व’ इस वाक्य का अग्र हो जाने से [‘रसवत्’, जहाँ रस अन्य का अग्र हो जाने वहाँ ‘रसवत्’ अलंकार होता है।] यह भी गुणीभूत व्यंग्य रूप ही है। अतएव इन दोनों व्याख्याओं में यह ध्वनि काय का उदाहरण न होकर गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण बन जाता है इसलिए यह व्याख्या उचित नहीं है।

अतएव इसकी तीसरी व्याख्या यह की गई है कि शीघ्रता से नायक के घर को अभिसार करती हुई नायिका के प्रति, रस्ने में मिले हुए और नायिका के घर की ओर आते हुए नायक की यह उक्ति है। यदा ‘निवर्तस्व’ लौट चलो यह वाक्यार्थ है। परन्तु वह लौट चलना नायक के घर की ओर भी हो सकता है और

कचिद् वाच्याद् विभिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा
 कस्म व ए होइ रोसो दृष्ट्वा पित्राएँ सव्यण अहरम् ।
 सभमरपउमग्वाइणि वारिअत्रामे सहसु एन्दिम् ॥

[कस्य वा न भवति रोपो दृष्ट्वा प्रियाया सत्रणमधरम्
 सभ्रमर पद्माध्यायिण वारित्रामे सहस्रवेदानीम् ॥ इतिच्छाया]

नायिका के घर भी । चाहे तुम मेरे घर चलो या हम दोनों तुम्हारे घर चलें यह तात्पर्य व्यंग्य है । यह तात्पर्य न विधि रूप है और न निषेध रूप । अतएव वाच्य प्रतिषेध रूप होने पर भी व्यंग्य अनुभय रूप होने से प्रतीयमान अथ वाच्यार्थ से अत्यन्त भिन्न है ।

ऊपर के चारों उदाहरणों में धार्मिक, पान्थ, प्रियतम और अभिसारिका ही क्रमशः वाच्य और व्यंग्य दोनों के विषय हैं । इस प्रकार विषय का ऐक्य होने पर भी वाच्य और व्यंग्य का स्वरूप भेद से भेद दिखाया है । अगले उदाहरण में यह दिखाते हैं कि वाच्य और व्यंग्य का विषय भेद भी हो सकता है और उस विषय भेद से भी वाच्य और व्यंग्य दोनों को अलग मानना होगा ।

अथवा प्रिया के [इतरनिमित्तक] मरण अधर को दख कर किसको मोक्ष नहीं आता । मना करने पर भी न मान कर भ्रमर सहित कमल को सूँघने वाली तू अथ उसका फल भोग ।

निन्सी अग्निनीता के अधर मे दशनजन्य व्रण कहीं चौर्यरति के समय हो गया है । उसका पति जब उसको देखेगा तो उसकी दुश्चरित्रता को समझ जावेगा और अप्रसन्न होगा । इसलिए उसकी सखी, उसके आस पास कहीं विद्यमान पति को लक्ष्य में रख कर उसको सुनाने के लिए इस प्रकार से जैसे माँ उसने पति को देखा ही नहा है उम अग्निनीता से उपयुक्त वचन कह रही है । यहा वाच्यार्थ का विषय तो अग्निनीता है परन्तु उसका व्यंग्य अर्थ है कि इसका व्रण परपुरुष जन्य नहीं अपितु भ्रमरदशनजन्य है अतः इसका अपराध नहीं है इस व्यंग्य का विषय नायक है । इसलिए यहा वाच्य और व्यंग्य का विषय भेद होने से व्यंग्य अर्थ वाच्यार्थ से अत्यन्त भिन्न है ।

इसमें और भी अनेक विषय बन सकते हैं । वाच्यार्थ का विषय तो प्रत्येक दशा में अग्निनीता नायिका ही रहेगी परन्तु व्यंग्य के विषय अन्य भी हो सकते हैं जैसे आज तो हम प्रकार से बच गई आगे कभी इस प्रकार के, प्रकृत चिन्हों का अपसर न आने का । इस व्यंग्य में प्रतिनायक ।

अन्ये चैवं प्रकारा वाच्याद् विभेदिनः प्रनीयमानभेदाः संभवन्ति ।
तेषां दिङ्नामप्रमेतन प्रदर्शितम् । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद् विभिन्नः
सप्रपञ्चमप्रे दर्शयिष्यते ।

तृतीयस्तु रसादिलक्षण प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते,
न तु मात्ताच्छब्दव्यापारविषय इति वाच्याद् विभिन्न एव । तथा हि,
वाच्यत्वं तस्य स्वशब्दनिवेदिनत्वेन वा स्यात्, विभावादिप्रतिपादनमुपेन
वा । पूर्वस्मिन् पक्षे स्वशब्दनिवेदिनत्वाभावे रसादीनामप्रतीतिप्रसंगः ।
न च सर्वत्र तेषां स्वशब्दनिवेदिनत्वम् । यत्राप्यस्ति तन्^१, तत्रापि विशिष्ट-
विभावादिप्रतिपादनमुपेनैवैषां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केवलमनूयते,
ननु तत्कृता । विषयान्तरे तथा तस्या अदर्शनात् । न हि केवल शृङ्गारादि-
शब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरहिते काव्ये मनागापे रसवत्प्रतीति-

इस प्रकार वाच्यार्थ से भिन्न प्रतीयमान [यस्तु ध्वनि] के श्रृंर भी भेद
हो सकते हैं । यह तो उनका केवल दिग्दर्शन मात्र कराया है । दूसरा [अलंकार
ध्वनि रूप] प्रकार भी वाच्यार्थ से भिन्न है उसे आगे [द्वितीय उद्योत में]
सप्रिस्तर दिपाएंगे ।

तीसरा [रसध्वनि] रसादि रूप भेद वाच्य को सामर्थ्य से आक्षिप्त हो
कर ही प्रकाशित होता है, सात्तान् शब्द व्यापार [अभिधा, लक्षणा, तापर्या शक्ति
व्यापार] का विषय नहीं होता, इसलिए वाच्यार्थ से भिन्न ही है । क्योंकि,
[यदि उसको वाच्य माना जाय तो] उम्मी वाच्यता [दो ही प्रकार से हो सकती
है] या तो स्वशब्द [अर्थात् रमादि शब्द अथवा शृङ्गारादि नामों] से हो सकती
है अथवा विभावादि प्रतिपादन द्वारा । [इन दोनों में से] पहले पक्ष में [जहां रस
शब्द अथवा शृङ्गारादि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु विभावादि
का प्रतिपादन किया गया है वहां] स्व शब्द से निवेदित न होने पर रमादि की
प्रतीति का अभाव प्राप्त होगा । [रमादि का अनुभव नहीं होगा] श्रृंर सब
जगह स्व शब्द [रमादि अथवा शृङ्गारादि संज्ञा शब्द] से उन [रमादि] का
प्रतिपादन नहीं किया जाता । जहां कहीं [स्व शब्द रमादि अथवा शृङ्गारादि
संज्ञा पदों का प्रयोग] होता भी है वहां भी विगेष विभावादि के प्रतिपादन द्वारा
ही उन [रमादि] की प्रतीति होता है । संज्ञा शब्दों से तो वह केवल अनुदित
होती है । उनसे जन्य नहीं होती । क्योंकि दूसरे स्थानों पर उम प्रकार से

१. नि० में तन् पाठ नहीं है ।

रस्ति । यतश्च रसाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभागादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः । केवलान्च रसाभिधानात्प्रतीतिः । तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याद्विगतस्य रसादानाम् । न रसाभिधेयत्वं कथञ्चित् । इति तृतीयोऽपि प्रश्नो वाच्याद् भिन्न एवेति सिद्धम् । वाच्येन तस्य सहवः प्रतीतिरप्रदर्शयिष्यते ॥१॥

[विभागाद् क अभाव म केवल सत्ता शब्दों के प्रयोग स] वह [रसादि प्रतीति] दिखाई नहीं देती । विभागादि के प्रतिपादन रहित केवल [रस या] शृङ्गारादि शब्द के प्रयोग वाला काव्य में तनित्र भी रसयुक्ता प्रतीत नहीं होती । क्योंकि [रसादि] सत्ता शब्दों के बिना केवल विशिष्ट विभागादि म भी रसादि की प्रतीति होती है और [विभागादि क विना] केवल [रसादि] सत्ता शब्दों स प्रतीति नहीं होती इसलिये अत्रय व्यतिरेक स रसादि वाच्य की सामर्थ्य स आविष्ट ही हात है किसी भी दशा में वाच्य नहीं हाते । इसलिये तीसरा [रस भाव रसाभास, भासाभास भाव प्रशम, भासादय, भाससि र भावशुद्धता आदि रूप] भन् भी वाच्य म भिन्न ही है यह निश्चित है । वाच्य के साथ ही [असलक्ष्य क्रम] इसकी प्रतीति आगे दिखलाइ पायगी ।

ऊपर अन्य व्यतिरेक शब्द आए हैं । साधारणतः 'तत् सर्वे तत् सत्ता अन्य', 'तदभाव तदभावो व्यतिरेक' य' अन्य व्यतिरेक का लक्षण है । परन्तु इस के स्थान पर अन्य पक्ष में 'तत् सर्वे तदितरपरगस्ये कथय समन्वय 'तदभाव कार्याभावो व्यातरक' लक्षण अधिक उपयुक्त है । अन्य में सरल कारत् सामग्रा ग्रप क्षित है । व्यतिरेक तो एक के अभाव में भी हो सकता है । प्रतीयमान वस्तु अलकार और रसादि रूप अथ लौकिक तथा अलौकिक दो भगा में विभक्त किए जा सकते हैं । वस्तु और अलकार कभी स्व शब्द वाच्य भी होते हैं इस लिए वह लौकिक के अन्तगत आते हैं और रस सदैव वाच्य सामर्थ्याक्षित हा हाता है इस लिए काय व्यापारैकगाचर होने स अलौकिक माना जाता है । लौकिक क वस्तु और अलकार दो भेद इस आधार पर किए हैं कि इन में एक [अलकार] भेद एसा है जो कभी किसी अन्य प्रधानभूत अन्वय रसादि का शोभाधायक होने स उपमाद अलकार रूप में भी व्यगृह्यत होता है । परन्तु जहा वह वाच्य नहा अपितु वाच्य सामर्थ्याक्षित-अन्य है वहा वह किमा दूसरे का अलकार नहा अभितु स्वय प्रधान भूत अलक्षय है । फिर भी उसकी भूतसामर्थ्या के कारण 'प्राक्षण-अमण

न्याय, से अलंकार ध्वनि कहते हैं। 'ब्राह्मण भ्रमण न्याय' का अभिप्राय यह है कि कोई पूर्वावस्था का ब्राह्मण पण्डित बौद्ध या जैन भिक्षु 'भ्रमण' बन गया। उस समय भी उसकी पूर्वावस्था के कारण उसे भ्रमण न कह कर 'ब्राह्मण भ्रमण' ही कहा जाता है। इस प्रकार उपमादि अलंकार जहां प्रतीयमान या व्यंग्य होते हैं वहां प्रधानता के कारण वह अलंकार नहा अपितु अलंकार्य कहे जाने योग्य होते हैं फिर भी उनकी पूर्वावस्था के आधार पर उनको अलंकार ध्वनि नाम से कहा जाता है। यह अलंकार ध्वनि प्रतीयमान का एक लौकिक भेद है। और जो अनलंकार वस्तुमात्र प्रतीयमान है उसको वस्तु ध्वनि कहते हैं। प्रतीयमान का तीसरा भेद रसादि रूप ध्वनि कभी वाच्य नहा होता इस लिए वह अलौकिक प्रतीयमान कहा जाता है। इन तीनों में रसादि रूप ध्वनि ही प्रधानता हाते हुए भी सग से पहिले वस्तु ध्वनि का निरूपण इस लिए किया जाता है कि लौकिक और वस्तु रूप होने से वाच्य से अतिरिक्त उस का अस्तित्व, अलौकिक रसादि के अस्तित्व की अपेक्षा सरलता से समझ में आ सक्ता है।

अभिधा शक्ति स व्यंग्यार्थ बोध का निराकरण—

इस प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अभिधा, लक्षणा और तात्पर्याख्या तीनों प्रसिद्ध वृत्तियों से भिन्न व्यजना नामक वृत्ति से ही होती है। उसके अतिरिक्त प्रतीयमान अर्थ के बोध का और कोई प्रकार नहीं है। लोचनकार ने 'भ्रम धर्मिक' आदि पत्र की व्याख्या में इस नियम पर विशद रूप से विवेचना की है। उसका सारांश इस प्रकार है। शब्द से अर्थ का बोध कराने वाली अभिधा लक्षणा आदि जो शब्द शक्तिया मानी गई हैं उनमें सग से प्रथम अभिधा शक्ति है। इस अभिधा शक्ति से ही यदि प्रतीयमान अर्थ का बोध माने तो उसके दो रूप हो सकते हैं। या तो वाच्यार्थ के साथ ही साथ व्यंग्यार्थ का भी अभिधा से ही बोध माना जाय या फिर पहिले वाच्यार्थ का और पीछे प्रतीयमान का इस प्रकार क्रमश दोनो अर्थों का अभिधा से ही बोध माना जाय। इनमें से वाच्य और प्रतीयमान दोनो का साथ साथ बोध तो इस लिए नहा बनता कि ऊपर के उदाहरणों में विधि निषेधादि रूप से वाच्य और प्रतीयमान का भेद दिखाया है उसके रहते हुए दो विधि निषेध रूप निरोधी अर्थ एक साथ एक ही व्यापार से बोधित नहा हो सकते। अब दूसरा पक्ष क्रमश वाला रह जाता है वह भी युक्ति सगत नहीं है। क्योंकि 'शब्दबुद्धिकर्मणा विरम्य व्यापाराभाव,' अथवा 'विशेष्य नाभिधा गच्छेत् क्षीण-शक्तिनिरोपणे' आदि सिद्धान्तों के अनुसार अभिधा शक्ति एक ही बार व्यापार कर सकती है और उस व्यापार द्वारा वह वाच्यार्थ को उग्रस्थित करा चुकी है।

अतएव वाच्यार्थ बोध में शक्ति का क्षय हो जाने से अभिधा शक्ति से प्रतीयमान अर्थ का बोध नहीं हो सकता। दूसरी बात यह भी है कि अभिधा शक्ति सकेतित अर्थ को ही बोधित कर सकती है। प्रतीयमान अर्थ तो सकेतित अर्थ नहीं है। इस लिए भी वह अभिधा द्वारा बोधित नहीं हो सकता है।

‘अभिहितान्वयवाद’ में अभिमत तात्पर्या शक्ति से व्यंग्य बोध का निराकरण—

अभिधा शक्ति के द्वारा पदार्थापस्थिति के बाद ‘अभिहितान्वयवादी’ उन पदार्थों के परस्पर सम्यग् बोध के लिए तात्पर्या नाम की एक शक्ति मानते हैं। इसके द्वारा पदार्था के सम्यग् रूप वाक्यार्थ का बोध होता है। ‘स. [तत्] वाच्यार्थ पर. प्रधानतया प्रतिपाद्य येषां तानि तत्पर्याणि पदानि, तेषां भाव. तात्पर्यम्, तद्रूपं शक्ति. तात्पर्याशक्ति ।’ इस अभिहितान्वयवादियों की अभिमत तात्पर्या शक्ति का प्रतिपाद्य तो केवल पदार्थ सम्यग् रूप वाक्यार्थ ही है अतएव इस अति निरापभूत प्रतीयमान अर्थ को बोधन करने की क्षमता उस में भी नहीं है।

‘अन्विताभिधानवाद’ और व्यंग्यार्थ बोध—

इस तात्पर्या शक्ति को मानने वाला ‘अभिहितान्वयवाद’ भीमासनों में जुमारिल भट्ट का है। उसका निरोधी प्रभाकर का ‘अन्विताभिधानवाद’ है। ‘अभिहितान्वयवाद’ के अनुसार पहिले पदों से अनन्वित पदार्थ उपस्थित होते हैं। पीछे तात्पर्या वृत्ति से उनका परस्पर सम्यग् बोध होना से वाक्यार्थ बोध होता है। परन्तु प्रभाकर के ‘अन्विताभिधानवाद’ में पदों से, अन्वित-पदार्थ ही उपस्थित होते हैं इस लिए उनके अन्वय के लिए तात्पर्या वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। इस ‘अन्वित अभिधानवाद’ का प्रतिपादन प्रभाकर ने इस आधार पर किया है कि पदों से जो अर्थ की प्रतीति होती है वह शक्तिप्रद या सकेतप्रद होने पर ही होती है। इस सकेतप्रद के अनेक उदाहरण हैं [शक्तिप्रद व्यकरणोपमानसोपाप्तवाक्यप्रद व्यपहारतत्त्व । वाक्यरूप शेषप्रद विद्वत्तैर्दन्ति साक्षिष्यत सिद्धयदस्य वृद्धा.] परन्तु इनमें सबसे प्रधान उदाहरण व्यपहार है। व्यपहार में उच्चम वृद्ध [निनादि] मध्यमवृद्ध [नीपर या बालक के भाई आदि] को किसी गाय आदि पदार्थ के लाने का आदेश देना है। वाम में बैठा बालक उच्चम वृद्ध के उन ‘गामानय’ आदि पदों को सुनता है और मध्यमवृद्ध को सास्नादिमान् गवादिरूप विद को लाने हुए देना है। इस प्रकार प्रारम्भ में ‘गामानय’ इस आशय वाक्य में सास्नादिमान् विद का आनयन रूप समिहित अर्थ प्रत्यक्ष प्रकृत है उसके बाद दूसरे वाक्यों में

गो के स्थान पर ग्रश्न या ग्रानय के स्थान पर गधान आदि अलग-अलग पदों का अर्थ समझने लगता है। इस प्रकार व्यवहार से जो शक्तिग्रह होगा वह केवल पदार्थ में नहा अर्थात् अन्वित पदार्थ में ही होगा। क्योंकि व्यवहार अन्वित पदार्थ का ही समर्थ है केवल का नहीं। इस लिए प्रभाकर अन्वित अर्थ में ही शक्ति मानते हैं।

इस 'अन्विताभिधानवाद' के अनुसार इतना तो कहा जा सकता है कि केवल पदार्थ में शक्तिग्रह नहा होता अर्थात् अन्वित अर्थ में ही होता है। परन्तु जब यह प्रश्न होगा कि 'गाम्' पद का व्यवहार तो 'ग्रानय' पद के साथ भी हुआ और वधान पद के साथ भी। तो ग्रानयनान्वित गो में गो पद का शक्तिग्रह होगा या गन्धनान्वित में। इसका निष्पत्ति किसी एक पक्ष में नहीं हो सकता क्योंकि वाक्यान्तर में प्रयुक्त ग्रानयनादि पद तो वही हैं। इसलिए सामान्यतः पदार्थान्वित में शक्तिग्रह होता है और अन्त में 'निर्विशेष न सामान्य' के अनुसार उस सामान्यान्वित का पर्यवसान अन्वित विशेष में होता है यही 'अन्विताभिधानवाद' का सार है। इस मत के अनुसार विशेषपर्यवसित सामान्य विशेष रूप पदार्थ संकेत विषय है परन्तु प्रतीयमान तो उसके भी बाद प्रतीत होने से 'अतिविशेष' रूप है। उस अतिविशेष रूप प्रतीयमान का ग्रहण अन्विताभिधानवादी के मत में भी अभिधा द्वारा नहा हो सकता है।

'अभिहितान्वयवाद' में अन्वित अर्थ और 'अन्विताभिधानवाद' में पदार्थान्वित अर्थ वाच्य अर्थ है। परन्तु वाक्यार्थ तो अन्वित विशेष रूप है इस लिए वस्तुतः दोनों ही पक्षों में वाक्यार्थ अवाच्य ही है। और जब वाक्यार्थ ही अवाच्य है तो फिर प्रतीयमान अर्थ को वाच्य कोटि में रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

'अभिहितान्वयवाद' के आचार्य कुमारिल भट्ट और 'अन्विताभिधानवाद' के सस्थापक प्रभाकर दोनों ही भीमात्मक हैं। यों तो प्रभाकर कुमारिल के शिष्य हैं परन्तु दार्शनिक साहित्य में प्रभाकर का मत 'गुरुमत' नाम से और कुमारिल भट्ट का 'तौतातिक' नाम से उल्लिखित हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रभाकर बड़े प्रतिभाशाली थे। अपने गुरु के सामने हर एक विषय पर वे अपना तर्कसंगत नया मत उपस्थित करते थे। इस लिए इन दोनों के दार्शनिक मतों में बहुत भेद पाया जाता है। जिनमें से यह 'अभिहितान्वयवाद' और 'अन्विताभिधानवाद' का भेद एक प्रमुख मैदानिक भेद है। एक बार कुमारिल भट्ट अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उसमें एक पक्ष इस प्रकार की आगई 'अथ तु नोक्तं तथापि नोक्तं मिति पीनस्फुण्डम्।' यदा तो नहीं कहा और वदा भी नहीं कहा इस लिए पुनस्फुण्डं है यदा

उस पक्षि का अर्थ प्रतीत होता है । परन्तु यह तो पुनरुक्ति नहीं हुई । पुनरुक्ति तो तब होती जब दो जगह एक ही बात कही जाती । कुमारिल भट्ट पढ़ाते-पढ़ाते रुक गए । यह पुनरुक्ति उनकी समझ में नहीं आ रही थी । इस लिए पाठ अगले दिन के लिए रोक दिया और पुस्तक बन्द करके रख दी । प्रभाकर भी पाठ सुन रहे थे । गुरु जी के चले जाने पर थोड़ी देर बाद प्रभाकर को यह पक्षि समझ में आगई । प्रभाकर ने गुरु जी की पुस्तक उठाई और उस पाठ को सन्धि छोड़ कर अलग अलग पदों में इस प्रकार लिख दिया । 'अत्र तुना उचम्, तत्र अपिना उचम् ।' यहाँ तु शब्द से वही बात कही है और वहाँ अपि शब्द से वही बात कही है इस लिए पुनरुक्ति है । गुल्थी सुलभ गई । गुरु जी को जब मालूम हुआ कि यह प्रभाकर ने लिखा तो बहुत प्रसन्न हुए और-उसको 'गुरु' की उपाधि प्रदान की । उस दिन से उसका मत 'गुरुमत' नाम से प्रसिद्ध हुआ । और कुमारिल मत 'तौतातिक' मत के नाम से । 'तौतातिक' शब्द का अर्थ है 'तु शब्दः तात. शिक्नो यस्य स. तुतात. तस्येद मत तौतातिक मतम् ।'

भट्ट लोल्लट के मत की आलोचना—

'अभिहितान्वयवादी' भट्ट के मतानुयायी 'भट्ट लोल्लट' प्रकृति ने 'यत्परः शब्दः सः शब्दार्थ' और 'सोऽप्यभिपौरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः' की युक्तियाँ देकर व्यंग्य को अभिधा द्वारा ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । [ध्वन्यालोक के टीकाकार ने इस मत को 'योऽप्यन्विताभिधानवादी यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः इति हृदये गृहीत्या शरवदभिधाव्यापारमेव दीर्घदीर्घमिच्छति' लिख कर इस मत को अन्विताभिधानवादी का मत दिखाया है परन्तु ज्ञान्यप्रकाश के टीकाकारों ने इसे 'भट्टमतोपजीविनां लोल्लटप्रभृतीनां मतमाशङ्कते' लिख कर 'अभिहितान्वयवादी' मत उतलाया है ।] इस मत का अभिप्राय यह है कि जैसे उल्लान् सैनिक द्वारा छोड़ा गया एक ही वाण एक ही व्यापार से शत्रु के वर्म [यत्रच] का छेदन, मर्म भेदन और प्राण हरण तीनों काम करता है इसी प्रकार मुक्ति प्रयुक्त एक ही शब्द एक ही अभिधा व्यापार से पदार्थोपरिधिति, अन्वय बोध और व्यंग्य प्रतीति तीनों कार्य कर सकता है । इसलिए प्रतीयमान अर्थ भी वाच्यार्थ ही है । उसकी उपरिधिति अभिधा द्वारा ही होती है । क्या नहीं तो कवि का तात्पर्य नियमीभूत अर्थ है । 'यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः' ।

इस मत की आलोचना करते समय हम उसको ऊपर उद्धृत किए हुए यत्परः शब्दः सः शब्दार्थः' और 'सोऽप्यभिपौरिव दीर्घदीर्घतरो अभिधा व्यापारः', इन

दो भागों में विभक्त करेंगे। इस मत के प्रतिपादन में भट्ट लोल्लट ने 'अभिहितान्वयवादी मीमांसक होने के कारण मीमांसा के 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' इस प्रसिद्ध नियम का आश्रय लिया है परन्तु उन्होंने उसे ठीक अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया है। इस नियम का प्रयोग मामासकों ने इस प्रकार किया है कि वाक्य के अन्तर्वर्ती पदाया की उपस्थिति होने पर उपस्थित पदायों में कुछ क्रिया रूप और कुछ सिद्ध रूप पदाय होता है। उनमें साध्यरूप क्रिया पदाय ही विधेय होता है। 'आम्नायस्य क्रियार्थात्वादानर्थक्यमतदयानम्। मीमांसा ६०३० १ पा० २ सू० १' के अनुसार 'अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गकाम' आदि विधि वाक्य क्रियारूप होम का ही विधान करते हैं। जहां होमादि क्रिया किसी प्रमाणांतर से प्राप्त होती है वहां तदुद्देश्येन गुणमात्र का विधान भी करते हैं। जैसे 'दध्ना जुहोति' इस विधि में होम रूप क्रिया का विधान नहीं है क्योंकि होम तो यहां 'अग्निहोत्र जुहुयात्' इस विधि वाक्य से प्राप्त ही है। इसलिए यहां केवल दधि रूप गुण का विधान है। [वैशेषिक दर्शन की परिभाषा के अनुसार दधि द्रव्य है गुण नहीं। किसी द्रव्य में रहने वाले रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सख्या, परिमाण आदि धर्मा को गुण कहते हैं और 'गुणाश्रयो द्रव्यम्' गुणों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं। इसलिए वैशेषिक की परिभाषा के अनुसार तो दधि द्रव्य है परन्तु मीमांसा में जहां दधि आदि द्रव्यों का विधान होता है उसे गुणविधि या गुणमात्र का विधान कहते हैं। इसका कारण यह है कि यहां गुण शब्द का अर्थ गौण है। इनके यहां क्रिया ही प्रधान है और द्रव्यादि गौण हैं। इस गौण के अर्थ में 'गुणमात्र विधत्ते' से द्रव्यादि के विधान को गुणविधि कहा है।] जहां क्रिया और द्रव्य दोनों अप्रप्त होते हैं वहां दोनों का भी विधान होता है। जैसे 'सोमेन यजत', में सोम द्रव्य और याग दोनों के अप्रप्त होने से सोम का विधान है। इस प्रकार भूत [सिद्ध] और भव्य [साध्य] के सहोच्चारण में 'भूत भव्यायोपदिश्यते' सिद्ध पदाय क्रिया का अंग होता है। और जहां जितना अंश अप्रप्त होता वहां उतना ही अंश 'अदग्ध दहन' न्याय से विहित होता है। वही उस वाक्य का तात्पर्यविषयीभूत अर्थ होता है। इस रूप में मीमांसका ने 'यत्पर शब्द स शब्दार्थ' इस नियम का प्रयोग या व्यवहार किया है। भट्ट लोल्लट उस नियम को प्रतीयमान व्यर्थ अर्थ को अभिधा से बोधित करने के लिए जिस रूप में प्रयुक्त करते हैं वह ठीक नहीं है। वे या तो उसके तात्पर्य को ठीक समझते ही नहीं, या फिर जान बूझ कर उसकी अन्यथा व्याख्या करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनकी यह सगति ठीक नहीं है।

भट्ट लोल्लट के मत का दूसरा भाग है 'सोऽयमिपोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधा

व्यापार' वाला भाग है। इस वाक्य का अभिप्राय यह हुआ कि शब्द प्रयोग के बाद जितना भी अर्थ प्रतीत होता है उसके बोधन में शब्द का केवल एक अभिधा व्यापार होता है। यदि यह ठीक है तो फिर न तात्पर्या शक्ति की आवश्यकता है और न लक्षणा की। मूढ लोल्लट यदि अभिहितान्वयवादा है तब तो वह तात्पर्या शक्ति को भी मानते हैं। और 'मानान्तरविक्रद तु मुख्यार्थस्य परिग्रहः। अभिधेयानिनाभूत-प्रतीति लक्ष्णोच्यते ॥ लक्ष्णमाद्यगुणौ योगाद् वत्तेरिण तु गौणता।' इत्यादि मूढ वार्तिक के अनुसार लक्षणा वक्ति भी मानते हैं। जब दीर्घदीर्घतर अभिधा व्यापार से तात्पर्या तथा लक्षणा व भी वाद में हाने वाले प्रतीयमान अर्थ का ज्ञान हो सकता है तब उसके पूर्ववत्ता वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ का रोच भी उसी दीर्घदीर्घतर व्यापार द्वारा अभिधा से ही हो सकता है फिर इन दोना को मानने की क्या आवश्यकता है। दीर्घदीर्घतर अभिधा व्यापार के साथ तात्पर्या और लक्षणा शक्ति को भी मानना वदतो व्यागत है।

इसी प्रकार 'ब्राह्मण पुनस्ते जात' इस पुत्रोत्पत्ति के समाचार को सुन कर हर व्यक्ति को प्रसन्नता होता है। और 'कन्या ते गर्भिणी जाता,' कन्या अर्थात् अविवाहिता कन्या गर्भिणी हो गई इस वाक्य को सुन कर शोक होता है। इन शोक और हर्ष के प्रति यह वाक्य कारण है। परन्तु यह कारणता उत्पत्ति के प्रति है जप्ति के प्रति नहीं। वाक्य हर्ष शोक का उत्सादक कारण है, जापक नहीं। यदि शब्द प्रयोग के बाद सभी अर्थ अभिधा शक्ति से ही बोधित होता है तो य हर्ष, शोकादि भी वाच्य मानने चाहिए। परन्तु सिद्धान्त यह है कि वाक्यों से य हर्ष शोक पदा होते हैं और मुग्ध विराम आदि से अनुमान द्वारा ज्ञात होते हैं। 'उत्पत्तिस्थित्य भिव्यक्तिविहारप्रत्ययाप्तय । वियोगान्यत्तदधुनय कारण ननुधा मृनम् ॥ योग २० ३, २८।' के अनुसार उत्पत्ति स्थिति आदि के भेद से नौ प्रकार के कारण माने गए हैं। उपर्युक्त 'ब्राह्मण पुनस्ते जात' आदि वाक्य हर्ष शोकादि के उत्पत्ति मान के कारण है। परन्तु उनका ज्ञान शब्द द्वारा न होकर मुग्ध विरामादि से होता है। यदि शब्द व्यापार के बाद प्रतीत होने वाला अर्थ अभिधा शक्ति से उपरिधन माना जाय तो हर्ष शोकादि को भी वाच्य मानना होगा। जो कि सुवि-संगत नहीं है और भीमासक न्यय भी नहीं मानते।

एक बात और है। 'भृति लिंग वाक्य प्रसरण स्थान समाख्यना समराये पारदोर्बन्ध अर्थविनकारान्' यह भीमासा दर्शन का एक प्रमुख सिद्धान्त है। यदि उक्त दीर्घदीर्घतर अभिधा व्यापार कल्प सिद्धान्त मन लिया जाय तो यह भृति-निगादि का पारदोर्बन्ध वाला सिद्धान्त नष्ट बन सकता है। भीमासा में विधि

साक्षरों के पार भेद करने मग है । उदन्तिरिति, विनियोगरिति, प्रयोगरिति और अधिहाररिति । इनमें से 'उदन्तिरिति, विनियोगरिति, प्रयोगरिति' यह विनियोगरिति का लक्षण किया है । अर्थात् भिन्नके द्वारा मनु और प्रधान के सम्बन्ध का बोध होना विनियोगरिति कहती है । इस विनियोगरिति के महत्त्वरी भूमि, लिंग, पश्य, प्रकृत्य, स्थान इतर समानता नामक लक्षण प्रमाण करने मग हैं । और जहाँ इनका समान्य हो वहाँ दीर्घदीर्घत्व अथवा उदन्तत्वं प्रमाण की दुर्बल माना जाय है । इसका कारण यह है कि भूमि के भयत्प्रमाण में लक्षण प्रधान भाव का मान हो जाता है परन्तु भिन्न आदि में प्रकृत विनियोजक सम्बन्ध नहीं होता अर्थात् उनही कल्पना करना होती है । जैसे 'दीर्घमि पश्य' वहाँ 'दीर्घमि.' इस मूर्तीका निर्माण में मुख्य ही प्राप्ति की जाय व प्रकृत परमत्त्व रूप अगता प्रतीत हो जाती है । परन्तु भिन्नादि में विनियोजक की कल्पना करनी पड़ती है । जब तक उगत भिन्न के अधिहार पर विनियोजक कर्त्तव्य की कल्पना की जायगी उसके पूर्व ही भूमि में उसका साक्षात् विनियोग हो जाने से भिन्न की कल्पनाकारणिक व्याहृत हो जाती है । अतएव लिङ्गादि की अपेक्षा भूमि प्रथम है । जैसे 'ऐन्द्र्या गार्हपत्यमुरतिष्ठते' यह लिङ्ग की अपेक्षा भूमि की प्रथमता का उदाहरण है । जिन श्रुत्याश्रयों का देवता इन्द्र है वे श्रुत्या ऐन्द्र्या श्रुत्या कहलाती हैं । ऐन्द्र्या श्रुत्याश्रयों में इन्द्र का लिङ्ग होने से उनको इन्द्र की स्तुति का श्रम होना चाहिए यह बात लिङ्ग से बोधित होती है । परन्तु भूमि प्रत्यक्ष रूप से 'ऐन्द्र्या' गार्हपत्यमुरतिष्ठते' इस वचन द्वारा ऐन्द्र्या श्रुत्या का गार्हपत्य अग्नि [प्राचीन कर्मकाण्ड के अनुसार विराट् के समय के यज्ञ की अग्नि] की स्तुति के श्रम रूप में विनियोग करती है । भूमि के प्रथम होने के कारण ऐन्द्र्या श्रुत्या गार्हपत्य की स्तुति का श्रम होती है लिङ्ग में इन्द्र स्तुति का श्रम नहीं होता ।

यदि भट्ट लोल्लट के अनुसार 'दीर्घदीर्घत्वोऽभिधाव्यापारः' वाला सिद्धांत माना जाय तो भूमि, लिंग आदि से जो जो अर्थ उपस्थित होना है वह सब एक ही दीर्घदीर्घत्व अभिधा व्यापार से बोधित हो जायगा । तब फिर उनमें दुर्बल और प्रथम की कोई बात ही नहीं रहनी । इस लिए भट्ट लोल्लट का यह दीर्घ दीर्घत्व अभिधा व्यापार वाला सिद्धांत मीमांसा के सुप्रतिष्ठित भूमिलिङ्गादि के पार-दीर्घत्व सिद्धांत के विरतीत होने से भी अस्मात्त है । इस प्रकार भट्ट लोल्लट का साथ ही सिद्धांत मीमांसा की दार्शनिक-परम्परा और साहित्य की शक्ति-परम्परा दोनों के ही विरुद्ध और अमान्य है ।

इस भट्ट लोल्लट के सिद्धांत का ही पुच्छभूत मीमांसक का ही एकदेशी सिद्धांत 'नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्पन्ते' भी है। इस सिद्धांत का भाव यह है कि व्यंग्य या प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति किसी निमित्त से ही हो सकती है क्यों कि वह जन्य या नैमित्तिकी है। प्रकृत में उस प्रतीति का निमित्त शब्द के अतिरिक्त और कुछ उन ही नहीं सकता इसलिए शब्द ही उसका निमित्त है। और शब्द अभिधा द्वारा ही उस अर्थ को बोधन कर सकता है अन्य कोई मार्ग है ही नहीं इसलिए अभिधा द्वारा ही प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो सकती है। इस मत का स्पष्टन तो स्पष्ट ही है। अभिधा द्वारा 'सकेतित' अर्थ ही उपस्थित हो सकता है। यदि प्रतीयमान को अभिधा द्वारा उपस्थित मानना है तो उसको सकेतित अर्थ मानना होगा। यह युक्तिमग्न नहीं है। यह कहना भी ठीक नहा है कि निमित्तभूत शब्दों में तो सकेत की आवश्यकता होती है किन्तु नैमित्तिक व्यंग्य प्रतीति के लिए सकेतप्रद की आवश्यकता नहीं है उसकी प्रतीति बिना सकेतप्रद के ही हो जाती है। अतः यह मत भी युक्ति विरुद्ध होने से अग्राह्य है।

धनजय तथा धनिक मत की आलोचना—

आलंकारिकों में दशरूपक के लेखक धनजय और उसके टीकाकार धनिक ने भी प्रथम अभिधा और तात्पर्या शक्ति से ही प्रतीयमान अर्थ का बोध दिखाने का प्रयत्न किया है। धनजय ने दशरूपक क चतुर्थ प्रकाश में 'वाच्या प्रकरणादिभ्यो जुद्धिस्था वा यथा क्रिया । वाक्यार्थं. कारकै युक्ता, स्थायी-मवस्तुधोतैः ॥' यह कारिका लिखी है। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार वाक्य में कही वाच्या अर्थात् ध्वनयणा और कहीं 'द्वार द्वार' आदि अभ्युपमाश्रित्या वाले वाक्यों में प्रकरणादिवशा जुद्धिस्थ क्रिया ही अन्य कारणों से सम्बद्ध होकर वाक्यार्थ रूप में प्रतीत होती है। इसी प्रकार विभाव, अनुभाव, सचारीभाव आदि के साथ मिलकर रत्यादि स्थायी भाव ही वाक्यार्थ रूप से प्रतीत होता है। विभागादि पदार्थस्थानीय और तत्समुष्ट रत्यादि वाक्यस्थ स्थानीय हैं। अर्थात् पदार्थ समग्रबोध के समान तात्पर्या शक्ति से ही उनका बोध हो जाता है। इसा कारिका की व्याख्या में टीकाकार धनिक ने लिखा है 'तात्पर्याअतिरेकाच्च व्यञ्जकत्वस्य न प्यने । यच्चतुर्थप्रकारित्वात् तापये न तुलापृथक् ।' तात्पर्य का ज्ञेय बड़ा स्पष्टक है। यह कोई नया तुला पदार्थ नहीं है कि इससे अधिक नहीं हो सकता। यह तो यन्कार्यप्रमाणी है। जहा जेसी और जिननी आवश्यकता हो यहां तक तात्पर्य का व्यापार हो सकता है। ध्वनिवादी ने प्रथम कक्षा में वाच्यार्थ,

द्वितीय कक्षा में तात्पर्यार्थ, तृतीयकक्षा में लक्ष्यार्थ और चतुर्थ कक्षा में व्यंग्यार्थ को रखा है। परन्तु इस कक्षा विभाग से तात्पर्य की शक्ति कुठित नहा होती। उक्त चतुर्थकक्षानिविष्ट अर्थ तक तात्पर्य की पहुँच हो सकती है। इस लिए चतुर्थकक्षानिविष्ट व्यंग्य अर्थ भी तात्पर्य की सीमा में ही है उससे बाहर नहीं है। ध्वन्यर्थ और ध्वनिक के व्यञ्जना विरोधी मत का यही सारांश है।

इसका उत्तर यह है कि आपकी यह तात्पर्या शक्ति 'अभिहितान्वयवाद' में मानी गई तात्पर्या शक्ति ही है अथवा उससे भिन्न कोई और ? यदि अभिहितान्वयवादियों वाली ही तात्पर्या शक्ति है तो उसका क्षेत्र तो बहुत सीमित है, असीमित नहा। उसका काम केवल पदाथ ससर्गरोध करना है, उससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकती। इस लिए प्रतीयमान अर्थ का बाध करा करना उसकी सामर्थ्य के बाहर है। वह तो द्वितीयकक्षानिविष्ट ससर्गरोध तत्र ही सामित है। चतुर्थकक्षानिविष्ट व्यंग्य अर्थ तक उसकी गति नहीं है। इस लिए आपको यह तात्पर्या शक्ति जो वाक्यकार्यप्रासारिणी हो—आवश्यकतानुसार हर जगह पहुँच सके—वह तो उससे भिन्न कोई अलग ही शक्ति माननी होगी। और उस दशा में अभिवाद के साथ उसका नाम मात्र का भेद हुआ। अभिवा, लक्षणा, तात्पर्या से भिन्न एक चौथी शक्ति मानी ही गई तब उसका नाम चाह व्यञ्जना रसो या तात्पर्या, अर्थ में कोई भेद नहा आता।

लक्षणावाद का निराकरण—

व्यञ्जना को न मान कर अन्य शब्द शक्तियों से ही उसका काम निकालने वाले मनों में से एक मन और रह जाता है। 'भ्रम धार्मिक' इत्यादि स्थलों में कुछ लोग निररीत लक्षणा द्वारा निषध या विधि रूप अर्थ की प्रतीति मानते हैं। इस मत की आलोचना करते हुए लाचनहार ने जो युक्तियाँ दी हैं उनका सप्रति श्री मम्मय्याचार्य ने अपने भाष्यप्रकाश में उड़ी अर्द्धी तरह एक ही जगह ४ कारिकाओं में कर दिया है।

यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा समुपास्यते ।
 फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा म्रिया ॥
 नाभिधा समयाभावात्, हेत्वभावान्न लक्षणा ।
 लक्ष्य न मुख्य नाप्यत्र बाधो योग फलेन नो ॥
 न प्रयोजनमेतस्मिन्, न च शब्द स्वतलद्गतिः ।
 एवमप्यनरस्था स्याद् या मूललक्ष्यकारिणी ॥

प्रयोजनेन सहित लक्षणीय न युज्यते ।

ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम् ॥ का० प्र० २, १४-१७

इन कारिकाओं का भावार्थ इस प्रकार है :

१. जिस शैत्य पावनत्व के अतिशय आदि रूप प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है वह केवल शब्द से गम्य है और उससे बोधन में शब्द का व्यञ्जना के अतिरिक्त और कोई व्यापार नहीं हो सकता है ।

२. उस फल के बोधन में अभिधाव्यापार काम नहीं दे सकता है क्योंकि फल सनेतित् अर्थ नहीं है । इस लिए समय अर्थात् सकेतग्रह न होने से अभिधा से फल की प्रतीति नहीं हो सकती है । और मुक्त्यार्थ वाध, मुख्यार्थ सम्बन्ध तथा प्रयोजन रूप लक्षणा के तीन कारणों में से किसी के भी न होने से फल का बोध लक्षणा से भी नहीं हो सकता है । यदि शैत्य पावनत्व को लक्ष्यार्थ मानना चाहें तो उससे पहिले उपस्थित होने वाले तीर रूप अर्थ को जो कि इस समय लक्षणा से बोधित माना जाता है उसको मुख्यार्थ मानना होगा, उसका वाध मानना होगा और शैत्य पावनत्व का भी कोई और प्रयोजन मानना होगा । ये तीनों बातें नहीं बनती हैं । लक्ष्य अर्थात् तीर रूप अर्थ मुख्यार्थ नहीं है, फिर उस तीर रूप अर्थ का वाध भी नहीं है और उसका शैत्य पावनत्व से सम्बन्ध भी नहीं है । शैत्य पावनत्व से तो गंगा का सम्बन्ध है तीर का नहीं, इसलिए शैत्य पावनत्व तर का लक्ष्यार्थ नहीं हो सकता है ।

३. शैत्य पावनत्व का अतिशय जो इस समय प्रयोजन रूप से प्रतीत होता है उसको यदि लक्ष्यार्थ मानें तो उसका फिर कोई और प्रयोजन मानना होगा परन्तु उस शैत्य पावनत्व के अतिशय बोध का कोई दूसरा प्रयोजन प्रतीत ही नहीं होता और नहीं गंगा शब्द उसके बोधन के लिए स्वल्पव्यतिव्यतिनाम धितार्थ ही है । और यदि कथञ्चि उक्त शैत्य पावनत्व के अतिशय में भी कोई प्रयोजन मान कर उसको लक्ष्यार्थ मान लिया जाय तो फिर वह जो दूसरा प्रयोजन प्रतीत हुआ उसको भी लक्ष्यार्थ मानने के लिए उसका भी एक और दूसरा प्रयोजन मानना होगा । इसी प्रकार 'तिसरे प्रयोजन का चौथा, चौथे का पाचवाँ आदि प्रयोजन मानने होंगे और यह प्रयोजन की परन्तु कहीं समाप्त नहीं होगी । इसलिए अनन्यथा दोष होगा जो मूल अर्थात् शैत्य पावनत्व के अतिशय बोध को लक्ष्यार्थ मानने को ही समाप्त कर देगा ।

विशिष्ट लक्षणावाद का निराकरण—

४ ऊपर की कारिका में जो दोष दिखाए गए हैं कि, तीर मुख्यार्थ नहीं है, उसका नाश नहीं होता, और उसका शैत्य पावनत्व रूप फल के साथ सम्बन्ध नहीं है, ये सब दोष उस प्रवस्था में आते हैं जब शैत्य पावनत्व को लक्ष्यार्थ माना जाय। इस लिए पूर्व पक्ष, उस स्थिति को उदल कर यह कहता है कि न केवल तीर लक्ष्यार्थ है और न केवल शैत्य पावनत्व का अतिशय। अपितु शैत्य पावनत्व विशिष्ट तीर में लक्षणा माननी चाहिए इस प्रकार व्यजना की आवश्यकता नहीं होगी। इस पूर्व पक्ष का समाधान करने के लिए अगली कारिका दी है। 'प्रयोजनेन सहित लक्षणीय न विद्यते'। प्रयोजन सहित अर्थात् शैत्य पावनत्व विशिष्ट तीर लक्षित नहीं हो सकता है। क्योंकि तीर अर्थ लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय और शैत्य पावनत्व लक्षणाजन्य ज्ञान का फल है। ज्ञान का विषय और ज्ञान का फल दोनों अलग अलग ही होते हैं। वे कभी एक नहा हो सकते। इस लिए लक्षणा जन्य ज्ञान का विषय तीर और उसका फल शैत्य पावनत्व इन दोनों का बोध एक साथ नहीं हो सकता। उनमें कारण काय भाव होने से पूर्वापर्य आवश्यक है। पहिले कारण भूत तीर बोध और उसके बाद फल रूप शैत्य पावनत्व का बोध दोनों अलग अलग ही होंगे, एक साथ नहीं। अतएव शैत्य पावनत्व के बोध के लिए लक्षणा से अतिरिक्त व्यजना अलग माननी ही होगी।

ज्ञान का विषय और फल दोनों अलग-अलग होते हैं यह सभी दार्शनिकों का सिद्धान्त है। न्याय के मत में 'अयं घट' इस ज्ञान का विषय घट होता है और उससे आत्मा में एक 'घटज्ञानमानह' या 'घटमह जानामि' इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को नैयायिक अनु यमसाय कहता है। यह अनु यमसाय 'अयं घट' ज्ञान का फल है। इसलिए नैयायिक मत में ज्ञान का विषय घट और ज्ञान का फल अनु यमसाय होने से दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार मीमांसक के मत में भी 'अयं घट' इस ज्ञान का विषय तो घट है और उस ज्ञान का फल 'ज्ञातता' नामक धर्म है। इस लिए उनके यहाँ भी ज्ञान का विषय घट और ज्ञान का फल 'ज्ञातता' दोनों अलग होने से दोनों का ग्रहण एक काल में नहा हो सकता।

नैयायिक और मीमांसक दोनों ही 'अयं घट' इस ज्ञान का विषय घट को मानते हैं। परन्तु फल के विषय में दोनों में थोड़ा-सा मत भेद है। नैयायिक 'अयं घट' इस ज्ञान का फल 'अनु यमसाय' को और मीमांसक 'ज्ञातता' को मानता है। इन 'अनु यमसाय' और 'ज्ञातता' के स्वरूप में अन्तर यह है कि नैयायिक क

मत में 'अनुव्यवसाय' आत्मा में रहने वाला धर्म है। 'घट ज्ञानज्ञानहम्' या 'घटमह जानामि' इत्यादि रूप 'अनुव्यवसाय' आत्मा में उत्पन्न होता है। ज्ञान के ज्ञान का नाम 'अनुव्यवसाय' है। 'अथ घट' इस व्यवसायात्मक ज्ञान का विषय घट होता है 'घटज्ञानवानहम्' इस अनुव्यवसायात्मक ज्ञान का विषय 'घट ज्ञान' होता है। और वह 'अनुव्यवसाय' आत्मा में रहता है यह नैयायिक सिद्धान्त है। दूसरी ओर मीमांसक की 'ज्ञातता' आत्मा में नहा अपितु घटरूप पदार्थ में रहने वाला धर्म है। इसी 'ज्ञातता' के आधार पर घट और ज्ञान का विषय विषयि भाव बनता है। अर्थात् 'अथ घट' इस ज्ञान का विषय घट है पट नहीं—यह नियम कैसे बनेगा। घट ज्ञान घट से पैदा होता है इसलिए घट उसका विषय होता है पट नहीं यदि यह कहा जाय तो फिर घट ज्ञान आलोक से भी पैदा होता है और चक्षु भी उसका कारण है। तब तो फिर आलोक और चक्षु भी उस ज्ञान का विषय होने लगेंगे। इस लिए इस उत्पत्ति के आधार पर विषयविषयिभाव का उपपादन नहा हो सकता। अतः विषयविषयिभाव का उपपादन 'ज्ञातता' के आधार पर ही सम्भन्ना चाहिए। 'अथ घट' इस ज्ञान से जो 'ज्ञातता' नामक धर्म पैदा होता है वह घट में रहता है, पट में नहा रहता। इस लिए घट ही उस ज्ञान का विषय होता है, पट नहा होता। यह मीमांसक का कहना है। इस प्रकार यद्यपि नैयायिक और मीमांसक दोनों ज्ञान का फल अलग-अलग अनुव्यवसाय और ज्ञातता को मानते हैं। परन्तु वे दोनों ही इस विषय में एकमत हैं कि ज्ञान का विषय और फल दोनों अलग ही होते हैं। इसलिए यहाँ भी लक्षणाजन्य ज्ञान का विषय तीर और उसका फल शैत्य-पावनत्य का अतिशय अलग-अलग ही मानने होंगे और उन दोनों का रोध एक साथ नहा हो सकता है। अतएव शैत्य-पावनत्य विशिष्ट तीर को लक्ष्यार्थ मानने का जो पूव पक्ष उठाया गया था वह ठीक नहा है। उन दोनों का रोध अलग अलग क्रमशः लक्षणा तथा व्यजना द्वारा ही मानना होगा। फलितार्थ यह हुआ कि अभिधा, तात्पर्या और लक्षणा इन तीनों में से किसी शक्ति से व्यजना का काम नहा निभाला जा सकता है। इसलिए व्यजना को अलग वृत्ति मानना ही होगा।

अपवादार्थतादादी वेदान्त मत—

अद्वैतरूप ब्रह्मतादा वेदान्ती तथा स्फोटरूप शब्द ब्रह्मतादी वैयाकरण अखण्ड वाक्य और अखण्ड वाक्यार्थ मानते हैं। वेदान्त मत में भ्रिया, कारक भाव को स्वीकार कर उतरन होने वाली बुद्धि गदित या सखड और उमस भिन्न भ्रिया कारक भाव रहित बुद्धि अखण्ड बुद्धि है। उनके मत में यह सारा सकार ही भ्रिया

हे अतएव धर्मि-धर्म भाव या क्रिया-कारक भाव आदि सब मिथ्या हैं इस लिए वाक्यों में यह वाच्यार्थ है, यह लक्ष्यार्थ है, यह व्यग्यार्थ है इस प्रकार का विभाग नहीं किया जा सकता। अतः समस्त अत्रलक्ष वाक्य से वाच्य, लक्ष्य, व्यग्य और उससे भी आगे जितना भी अर्थ प्रतीत होता है वह सब अत्रलक्ष रूप में उपस्थित होता है। अतः व्यजना आदि को मानने की आवश्यकता नहीं है। वेदान्ती अत्रलक्ष वाक्य मानते हैं। उसका लक्षण कहा 'ससर्गागोचरप्रमितिजनकत्वमत्रलक्षार्थत्वम्' अर्थात् क्रिया-कारक भावादि रूप ससर्गाविषयक प्रतीति को पैदा करने वाला वाक्य अत्रलक्षार्थक वाक्य है इस प्रकार किया गया है और कहा 'अविशिष्टमपर्यायानेकशब्दप्रकाशितम्। एक वेदान्तनिष्ठाता स्तमत्रलक्ष प्रपेदिरे।' इत्यादि रूप में किया गया है।

अत्रलक्षार्थतावादी वैयाकरण मत—

लगभग इसी प्रकार स्फोटरूप शब्द ब्रह्मवादी वैयाकरणों ने भी अत्रलक्ष वाक्य की कल्पना की है। उसका उपपादन करते हुए भर्तृहरि ने लिखा है—
 “ब्राह्मणार्थो यथा नास्ति कश्चिद् ब्राह्मणकम्बले । देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युरनर्थका ॥” इसका भाव यह है कि ब्राह्मण का कम्बल इस अर्थ में प्रयुक्त ब्राह्मणकम्बल इस शब्द में अकला ब्राह्मण शब्द अनर्थक है क्योंकि अकेले ब्राह्मण शब्द से कितना अर्थ का बोधन नशा होता है। ब्राह्मणकम्बल इस सम्मिलित सम्पूर्ण शब्द से ब्राह्मण सम्बन्धी कम्बल यह अत्रलक्ष अर्थ बोधित होता है। इसी प्रकार प्रत्येक वाक्य में अलग अलग देवदत्तादि शब्द अनर्थक हैं। समस्त अत्रलक्ष वाक्य से अत्रलक्षार्थ उपस्थित होता है।

इस प्रकार वेदान्ती और वैयाकरण मत में अत्रलक्ष वाक्यार्थ बोध मानने से वाच्य, लक्ष्य, व्यग्य ही अलग अलग प्रतीति नहीं होती है। परन्तु इस हेतु को केवल व्यजना के विरोध में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उससे तो अभिधा, लक्षणा और तात्पर्या का भी लोप हो जाता है। फिर वेदान्ती जो जगत् को मिथ्या कहते हैं वे भी उसका व्यावहारिक अस्तित्व स्वीकार करते ही हैं। और व्यावहारिक रूप में सब लोक व्यवहार अन्य जगत्सत्यतावादियों के समान ही मानते हैं। 'व्यवहारे भट्टनय' यह उनका प्रसिद्ध सिद्धान्त है। इसी प्रकार वैयाकरण भी जो अत्रलक्ष वाक्यार्थ की कल्पना करते हैं वह भी 'पञ्चति, गच्छति' आदि प्रत्येक पद में प्रकृति प्रत्यय का विभाग व्यावहारिक रूप से करते ही हैं। स्वयं भर्तृहरि ने भी तो लिखा है—“उपाया शिद्यमाणाना गलानामुपलालना।

असत्ये वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्य समीहते ।” इसलिए जन व्यवहार-दशा में ‘पचति, गच्छति’ आदि में प्रकृति प्रत्यय का विभाग बन सकता है तब उस दशा में अभिधा, तात्पर्य, लक्षणा और उन सत्रसे भिन्न व्यजना का अस्तित्व मानने में कोई बाधा नहीं प्रतीति होती । अतः व्यजना को अलग वृत्ति मानना ही चाहिए ।

वाच्यार्थं वक्ष्यार्थं का भेद :—

वाच्यार्थ से भिन्न व्यग्यार्थ की सिद्धि के लिए आलोचकार तथा अन्य आचार्यों ने अनेक हेतु दिए हैं । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने उन सत्र हेतुओं का सुन्दर सग्रह केवल एक कारिका में इस प्रकार कर दिया है । “बोद्ध, स्वरूप, सख्या, निमित्त, कार्य, प्रतीति, कालानाम्, । आश्रय, विषयादीना भेदाद् भिन्नोऽभिधेयतो व्यग्य ।” अर्थात् बोद्धा, स्वरूप आदि के भेद होने के कारण व्यग्य अर्थ वाच्य अर्थ से भिन्न ही मानना होगा । १. बोद्धा के भेद का आशय यह है कि वाच्यार्थ की प्रतीति तो पद पदार्थ मात्र में व्युत्पन्न व्याकरण आदि सत्र को हो सकती है परन्तु व्यग्य अर्थ की प्रतीति केवल सद्दर्थों का ही होती है । इसलिए बोद्धा के भेद के कारण वाच्य से व्यग्य को अलग मानना चाहिए । २. स्वरूप भेद के उदाहरण यही ‘भ्रम धार्मिक’ इत्यादि दिए हैं । जिनमें कहीं वाच्य विधिरूप और व्यग्य निषेध रूप और कहीं वाच्य सुनिषेध रूप और व्यग्य निधि रूप इत्यादि स्वरूप भेद पाया जाता है । ३. सख्या भेद का अभिप्राय यह है कि जैसे सख्या के समय किसी ने कहा कि ‘गतोऽस्तमर्कः’ सूर्य छिप गया । यहाँ वाच्यार्थ तो सूर्य छिप गया यह एक ही है परन्तु व्यग्य अनेक-हो सकते हैं । कहीं सन्ध्यापासना का समय हो गया, कहीं खेल बन्द करो, कहीं घूमने चलो, कहीं ‘कान्तमभिसर’ आदि अनेक रूप के व्यग्य हो सकते हैं । ४. वाच्यार्थ के बोध का निमित्त सत्रेत् प्रष्ट आदि ही है और व्यग्यार्थ का निमित्त प्रतिभानैर्मल्य, सद्दर्थ-त्वादि हैं । इसलिए दोनों का निमित्तभेद भी है । ५. इसी प्रकार वाच्यार्थ केवल प्रतीति मान कराने वाला और व्यग्यार्थ चमत्कारजनक होने से दोनों के कार्य में भी भेद है । ६. दोनों में काल का भी भेद है क्योंकि वाच्यार्थ की प्रतीति प्रथम और व्यग्य की प्रतीति पीछे होती है । ७. वाच्यार्थ शब्दाश्रित होता है और व्यग्य उसके एतद्देश प्रकृति-प्रत्यय-सङ्ग-सम्बन्धा आदि में रह सकता है अतः आश्रय भेद भी है । ८. और विषय भेद का उदाहरण अभी मूल में दिया जा चुका है । ‘करन न भरति रोणे’ इत्यादि में वाच्यार्थ बोध का विषय नायिका और व्यग्यार्थ का

कर्तृक, अथवा कौचोद्देश्यक कौचीकर्तृक] के मन्दन से उत्पन्न आदि कवि-
वाल्मीकि [वाल्मीकि निष्ठ करण रस का स्थायीभाज] का शोक श्लोक [‘मा
निपाद’ इत्यादि काव्य] रूप में परिणत हुआ ।

हे व्याध तू ने काममोहित, कौच के जोड़े में से एक [कौच] को मार
डाला अतएव तू अनन्त काल तक [कभी] प्रतिष्ठा [सुकृति] को प्राप्त न हो ।

शोक करण रस का स्थायीभाज है । [यद्यपि] प्रतीयमान के और
[रस्तु अलमार ध्वनि] भी भद्र विद्याए गण हैं परन्तु [रसादि के] प्राधान्य से
रसभाज द्वारा ही उनका उपलक्षण [जापन] होता है ।

कौच वध की जिस घटना का उल्लेख यहाँ किया गया है वह वाल्मीकि
रामायण के प्रारम्भ में मिलती है । उद्धृत ‘मा निपाद’ इस श्लोक में ‘एकम्’ इस
पुलिंग प्रयोग से प्रतीत होता है कि उस जोड़े में से नर कौच ही मारा गया था
और उसके वियोग में कौची रो रही थी । आगे के श्लोक “त गोगितपरीताग,
चेष्टमान महीतले । दृष्ट्या कौची स्रोदाता करण ये परिभ्रमा ॥” में इसका स्पष्ट ही
वर्णन है । परन्तु यहाँ ध्वन्यालोककार ने अपने वृत्तिभाग में ‘निहतसहचरीरिह
कातरकौचाद्भन्दजनित’ पाठ दिया है जिससे प्रतीत होता है कि वध सहचरी
कौची का हुआ और रोदन करने वाला नर कौच है । इस की टीका में लोचनकार
ने भी ‘सहचरीहननोदभूतेन, तथा निहतसहचरीति विभाव उक्त’ लिख कर इसी
की पुष्टि की है । न केवल इन दोनों ने श्रमिणु का-वर्माभासाकार ने भी अपने
ग्रन्थ में ‘निपादनिहतसहचरीरिह कौचयुवानम्’ लिखा है । यह सब वाल्मीकि रामायण
के विरुद्ध प्रतीत होता है । इसलिए दीधितिकार आदि कुछ लोग मूल वृत्तिग्रन्थ
और उसके लोचन दोनों ने पाठ बदल कर उमरी व्याख्या करते हैं । दूसरे विद्वानों
का मत यह है कि ध्वन्यालोक ध्वनिप्रधान ग्रन्थ है । इसमें कौच मिथुन से सीता
और राम की जोड़ी, निपाद पद से रावण, और वध से सीता का अतिशय
पीटन रूप वध अभिव्यक्त होता है इसलिए ध्वन्यालोककार ने सहचरी पद से सीता
रूप अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए ‘निहतसहचर’ के स्थान पर ‘निहतसहचरी’
पाठ रखा है । दूसरे जो लोग ‘सहचरी’ के स्थान पर ‘सहचर’ पाठ परिवर्तन करते
हैं वे भी यहाँ व्यंग्यार्थ इस प्रकार निकालते हैं कि भानी रावणवध के सूचनार्थ
सहचर रावण के रिह से कातर कौची मन्दोदरी उसके आनन्दन से जनित शोक
श्लोकरत्न को प्राप्त हुआ । हमने जो उपर इस अर्थ का अनुवाद किया है वह इन

सरस्वती स्नादु तदर्थवस्तु निःप्यन्दमाना महतां कर्मानाम् ।
अलोरुसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् ॥६॥

तत् वस्तुतत्त्वं निःप्यन्दमाना महतां कवीना भारती अलोरुसा-
मान्यं प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तं अभिव्यनक्ति । येनाभिमन्नतिविचित्र-
कविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पंचपा एव वा
महाकवय इति गण्यन्ते ॥६॥

मय से भिन्न है । अन्गलोक और लोचन की सभी प्रतिभा में सहचरी वाला पाठ ही पाया जाता है इसलिए हमने उसको प्रामादिक पाठ न मान कर 'स्थितस्य गति-
श्चिन्तनीया' के अनुसार उसकी सगति लगाने का प्रयत्न किया है। "निहतः,
सहचरीविरहनातरः क्रांचः निहतसहचरीविरहनातरः क्रांच, तदुद्देश्यम्. क्रांची-
कर्तृको य आक्रन्दः, तज्जनित शोच. ।' इस प्रकार की व्याख्या करने से पाठ की
कथंचित् सगति लग जाती है। और पाठ परिवर्तन किए बिना भी रामायण में उसके
विरोध का परिहार हो जाता है। इस व्याख्या का मन्तव्य यह हुआ कि 'निहत'
पद 'सहचरी' का विशेषण नश्वर अर्थात् 'निहतः' और 'सहचरीविरहनातरः' यह दो
विशेषण 'क्रांच' के हैं। मरने समय जैसे साक्षात्कृत पुत्र का अपने स्त्री-बच्चों का
वियोग दुःखी करना है इसी प्रकार वाणविक्रम यह क्रांच अपनी सहचरी के विरह से
यातर था। उसको उद्देश्य में रखकर जो क्रांची का अन्वयन उसके समुद्भूत शोक-
आदिभवे बाल्माकि का शोक, श्लोक रूप में परिणत हुआ। ऐसा अर्थ करने से
मूल वृत्त में जो रामायण का विरोध प्रतीत होता है उसका परिहार हो सकता है।
लोचन में जहाँ 'सहचरीहननोद्भूत' पाठ है वहाँ 'सहचरीहननोद्भूत' यही पाठ
होना चाहिए। लोचन के 'निहतसहचरी' के विभाव उक्त 'इस पद को प्रतीक मान
कर निहतसहचरी इत्यादि ग्रन्थ से विभाव कहा है यह अर्थ मानने से रामायण का
विरोध नहीं रहता है। परन्तु काव्यमीमांसकार ने जो 'निगतनिहतसहचरीक क्रांच-
युत्तम्' लिखा है यह इस ग्रन्थ को ठीक न समझने के कारण ही कह दिया है
इसलिए यह ठीक नहीं है ॥ ५ ॥

उक्त धाम्वादिमय [रम भाग रूप] अर्थ रूप को प्रमाणित करने वाली

१. प्रति स्फुरन्त नि० । २. तत् पर पद नि० में नहीं है । ३. सरस्वती
५. नि० । शी० में भारतीयद वाच्य के प्रारम्भ में रचना है ।

इद् चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भाजसाधन प्रमाणम्—

शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते ।

वेद्यते स तु^१ काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलम् ॥७॥

*सोऽर्थो यस्मात् केवल काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव ज्ञायते । यदि च वाच्यरूप एवासाधर्थं स्यात्, तद् वाच्यवाचकस्वरूपपरिज्ञानादेव तत्प्रतीतं स्यात् । अथ च वाच्यवाचकलक्षणमात्रकृतश्रमाणा काव्य तत्त्वार्थभावनाप्रिमुत्पाना स्वरश्रुत्यान्वितलक्षणमिवाप्रगीताना^२ गान्धर्व लक्षणविदामगोचर एवासाधर्थं ॥७॥

महाकवियों की वाणी [उनके] अलौकिक, प्रतिभासमान प्रतिभा, [अपूर्ववस्तु निमाणक्षमा प्रज्ञा] के वैशिष्ट्य को प्रकट करती है ।

उस [प्रतीयमान रस भावादि] अर्थतत्त्व को प्रवाहित करने वाली महा कवियों की वाणी [उनके] अलौकिक, प्रतिभासमान, प्रतिभाविशेष को व्यक्त करती है । जिसके कारण नानाप्रिय कवि परम्परा शाली इस ससार में कालिदास आदि दो तीन अथवा पाच छ ही महाकवि गिने जाते हैं ॥६॥

प्रतीयमान अर्थ की सत्ता सिद्ध करने वाला वह और भी प्रमाण है । वह [प्रतीयमान अर्थ] शब्दशास्त्र [व्याकरणादि] और अर्थशास्त्र [कोशादि] के ज्ञान मात्र स ही प्रतीत नहीं होता, वह तो केवल काव्यमर्मज्ञों को ही विदित होता है ।

क्योंकि केवल काव्यार्थतत्त्वज्ञ ही उस अर्थ को जान सकते हैं । यदि वह अर्थ केवल वाच्यरूप ही होता तो शब्द और अर्थ के ज्ञानमात्र स ही उसकी प्रतीति होती । परन्तु [केवल पुस्तक स] गन्धरविद्या को सीख लेने वाले उत्कृष्ट गान के अनभ्यासी [नौसिलिया] गायकों के लिए स्वर ध्रुति आदि के रहस्य के समान, काव्यार्थभावना स रहित केवल वाच्य-वाचक [कोशादि अर्थ निरूपक शास्त्र और व्याकरणादि शब्दशास्त्र] में कृतश्रम पुरणों के लिए वह [प्रतीयमान] अर्थ अज्ञात ही रहता है ।

यहाँ शालप्रिय गीका वाले वाराणसीय सस्करण में 'अप्रगीतानाम्' पाठ

१ नि० में तु के स्थान पर हि पाठ ह । २ 'शब्दाथशासनज्ञानमात्रप्रिय यह न वेद्यते' इतना पाठ नि० में वाच्यारम्भ में अधिक ह । ३ नि० में प्रगीतानाम् पाठ ह ।

एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यंग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं तस्यैवेति दर्शयति—

सोऽर्थस्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दरच करचन ।

यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थो महाकवेः ॥८॥

आया है। उसके स्थान पर निर्णयसागरीय तथा दीधिति वाले सस्करण में पदच्छेद की दृष्टि से 'प्रगीताना' पाठ भी रखा है। लोचन ने दोनों ही पाठों का अर्थ किया है। दोनों ही दशाओं में उसका अर्थ नौसिरिया गायक ही होगा। 'अप्रगीताना' पाठ मानने पर 'प्रकृष्ट गीत गान येषां ते प्रगीता न प्रगीताः अप्रगीताः' अर्थात् उत्कृष्ट गानत्रिद्या के अनभ्यासी यह अर्थ होगा। और 'प्रगीताना' पाठ मानने पर 'आदि कर्मणि क्त. कर्तरि च। अष्टाध्यायी ३, ४, ७१' इस पाणिनि सूत्र से आदि कर्म में क्त प्रत्यय मान कर 'गातुं प्रारब्धा. प्रगीताः' जिन्होंने गाना अभी प्रारम्भ किया है ऐसा अर्थ होगा।

स्वर श्रुति आदि गान्धर्व शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। स्वर शब्द की व्युत्पत्ति 'स्वत सहकारिकारणनिरपेक्षं रजयति श्रोतुश्चित्तं अनुरक्तं करोतीति स्वर.' जो अन्वयों की सहायता के बिना स्वयं ही श्रोता के चित्त को आह्लादित करे उसे स्वर कहते हैं। संगीत शास्त्र में पङ्कज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद ये सात स्वर माने गए हैं। इन्हीं का सक्षिप्त रूप सरगम के स, र, ग, म, प, ध, नि यह प्रसिद्ध रूप है। स्वर के प्रथम अवयव को श्रुति कहते हैं। संगीत रत्नाकर में उनके लक्षण इस प्रकार कहे हैं—

“प्रथमश्रवणाच्छब्दः श्रुते ह्रस्वभाक्क. ।

सा श्रुति सरिज्ञेया स्वरवयनलक्षणा ॥

श्रुत्यन्तरभायी य. स्निग्धोऽनुरसनात्मक. ।

स्वतो रजयति श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते ॥

श्रुतिम्य. स्यु. स्वरा. पङ्कजमगान्धारमध्यमा. ।

पञ्चमो धैवतश्चाथ निषाद इति सप्त ते ॥

तेषां सज्ञाः स रि ग म प ध नि इत्यपरा मता. ।

द्वाविंशतिं केचिदुदाहरन्ति श्रुती. श्रुतिज्ञानविचारदत्ताः ।

पण्डितभिन्ना रत्न केचिदाशमानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति” ॥७॥

इस प्रकार वाच्यार्थ में भिन्न व्यंग्य की सत्ता को सिद्ध करके प्राधान्य (भी) उसी का है यह दिखाते हैं।

स^१ व्यग्योऽर्थं स्तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगो शब्दश्च कश्चन, न शब्दमात्रम्^२ । तावेव शब्दार्थौ महाकृते प्रत्यभिज्ञेयौ । व्यग्यव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्या महानवित्वलाभो महाकृतीना, न वाच्यवाचकरचनामात्रेण ॥८॥

वह [प्रतीयमान] अर्थ और उसकी अभिव्यक्ति में समथ विशेष शब्द इन दोनों को भली प्रकार पहिचानने का प्रयत्न महाकृति को [जा महाकृति बनना चाहे उसको] करना चाहिए ।

वह व्यग्य अर्थ और उसको अभिव्यक्त करन की शक्ति से युक्त कोई विशेष शब्द [ही] है । शब्दमात्र [सार शब्द] नहीं । महाकृति [बनने क अभिलाषी] को वही शब्द और अर्थ भली प्रकार पहिचानन चाहिए । व्यग्य और व्यञ्जक के सुन्दर प्रयोग से ही महाकृतियों को महाकृति पद की प्राप्ति होती है, वाच्य वाचकरचना मात्र से नहीं ।

प्रत्यभिज्ञा शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है । प्रत्यभिज्ञा का लक्षण है 'तत्तेदन्तावग हिनी प्रतीति प्रत्यभिज्ञा ।' तत्ता अर्थात् तद्देश एतत्काल सन्ध अर्थात् पूर्वदेश और पूर्वकाल सन्ध तथा इदन्ता अर्थात् एतद्देश एतत्काल सन्ध को अलगान करने वाली प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा करते हैं । जैसे 'सोऽय देवदत्त' यह वही देवदत्त है जिसे हमने माशा में देखा था यह प्रत्यभिज्ञा का उदाहरण है । इसमें 'स.' पद तत्ता अर्थात् पूर्वदेश और पूर्वकाल सन्ध को और 'अय' पद इदन्ता अर्थात् एतद्देश और एतत्काल सन्ध को बोधन करता है । इस प्रकार इस प्रतीति में तत्ता और इदन्ता दोनों का बोध होने से यह प्रतीति प्रत्यभिज्ञा कहलाती है । अर्थात् परिचित वस्तु के पुन दशन क अगसर पर पूर्व वैशङ्क्य सहित उसकी प्रतीति 'प्रत्यभिज्ञा' कहलाती है । प्रत्यभिज्ञा शब्द सा टीक हिन्दी रूप पहिचान शब्द हो सकता है । पहिचान में भी पूर्व और वर्तमान दोनों का सम्बन्ध प्रतीत होता है । यही प्रत्यभिज्ञान या 'पहिचान' का प्राण है । अतः प्रत्यभिज्ञान का हिन्दी रूप पहिचान ही है । 'प्रत्यभिज्ञेयौ' पद में अर्थार्थ में 'अर्हे कृत्यनृचश्च ३, ३, १६६' इस सूत्र के साथ एकवाक्यतापन्न 'अचो यत् अ० २, ३, ६७' सूत्र से यत् प्रत्यय हुआ है ।

१. बाल प्रिया वाले सस्करण में स पाठ नहीं है । २ 'न शब्दमात्र' के स्थान पर 'न सर्व' पाठ नि०, दो०, में है ।

श्रीर कृत्य प्रत्यय के योग में 'कृत्याना कर्तरि वा श्र० २, ३, ७१' सूत्र से कर्ता में 'महाकवे' यह पंठी विभक्ति हुई है। शेष पंठी मान कर 'सहृदयै महाकवे सम्बन्धिनौ तौ शब्दाथौ प्रत्यभिज्ञेयौ' ऐसी व्याख्या करने से उस प्रतीयमान अर्थ के प्राधान्य में, सहृदयलोकसिद्धत्व प्रमाण है, यह बात भी व्यक्त होती है श्रीर नियोगार्थक कृत्य [यत्] प्रत्यय के द्वारा शिक्षाक्रम अर्थात् कविशिक्षा प्रकार भी ध्वनित होता है।

व्यालोक के टीकाकार श्री अभिनवगुप्तपादाचार्य के परम गुरु श्री उत्पलपादाचार्य का दार्शनिक सिद्धान्त भी प्रत्यभिज्ञा दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रत्यभिज्ञा दर्शन काश्मीर का विख्यात दर्शन है श्रीर उस पर बहुत बड़े साहित्य की रचना हुई है। इस सिद्धान्त के अनुसार, ईश्वर के साथ आत्मा के अभेद की प्रत्यभिज्ञा करना ही परमपद का हेतु है। उत्पलपादाचार्य ने लिखा है —

तै स्तै रप्युपयाचितैरुपनतस्तन्व्या. स्थितोऽप्यन्तिके,
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तु यथा।
लोकस्यैप तथानवेक्षितगुण स्वात्मापि विश्वेश्वरौ,
नैवाल निजवैभवाय तदिय तत्प्रत्यभिज्ञोदिता ॥

जिस प्रकार अनेक कामनाओं और प्रार्थनाओं से प्राप्त श्रीर रमणी के पास में स्थित होने पर भी जब तक वह अपने पति को पतिरूप में जानती नहीं है तब तक अन्य पुरुषों के समान होने से वह उसके सहवास का सुख प्राप्त नहा कर पाती इसी प्रकार यह विश्वेश्वर परमात्मा समस्त ससार का आत्मभूत होने पर भी जब तक हम उसको पहिचाने नहीं उसके आनन्द का अनुभव नहा कर सकते। इसीलिए उसकी पहिचान के निमित्त यह प्रत्यभिज्ञादर्शन बनाया गया है।

इसी प्रकार प्रकृत में व्यञ्जनक्षम शब्दार्थ की प्रत्यभिज्ञा से ही महाकवि पद प्राप्त हो सकता है ॥८॥

ऊपर व्यङ्ग्य अर्थ का प्राधान्य प्रतिपादित किया है परन्तु कवि तो व्यङ्ग्य के पूर्व वाच्य-वाचक की ही ग्रहण करते हैं। वाच्य-वाचक के प्रथमोपादान से तो उनकी प्रधानता प्रतीत होती है इस शङ्का को दूर करने के लिए अगली कारिका है। उसका भाव यह है कि वाच्य वाचक का प्रथम उपादान उनकी प्रधानता को नहा अरिस्त उनकी गौणता को ही सूचित करता है। क्योंकि उनका प्रथमोपादान तो केवल उपायभूत होने के कारण किया जाता है। उपाय प्रधान, और उपाय सदा गौण ही होता है।

इदानीं व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः प्राधान्येऽपि यद् वाच्यवाचकानामेव प्रथममुपाददते क्वयस्तदपि युक्तमेवेत्याह —

आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः ।

तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः ॥६॥

यथा आलोकार्थी सन्नपि दीपशिखाया यत्नवान् जनो भवति, तदुपायतया । नहि दीपाशगामन्तरेण आलोकः सम्भवति । तद्वद् व्यङ्ग्यमर्थं प्रत्यादृतो जनो वाच्येऽर्थे यत्नवान् भवति । अनेन प्रतिपादकस्य कर्तव्यव्यङ्ग्यमर्थं प्रति व्यापारो दृशितः ॥ ६ ॥

अब व्यङ्ग्य और व्यञ्जक के प्राधान्य होते हुए भी करिण जो पहिले वाच्य वाचक को ही ग्रहण करते है वह भी ठीक ही है यह कहते है —

जैस आलोक [प्रकाश अथवा 'आलोकनमालोक वनितावदनारविन्दादि त्रिलोकनमि यथ' पदार्थ' दशन] की इच्छा करने वाला पुरप उसका उपाय हाने के कारण दीप शिखा [के विषय] में यत्न करता है इसी प्रकार व्यङ्ग्यमर्थ में आदरवान् करि वाच्यार्थ का उपादान करता है ।

जिस प्रकार आलोकार्थी होन पर भी मनुष्य दीप शिखा [के विषय] में उपायरूप होने से [प्रथम] प्रयत्न करता है, दीप शिखा के बिना आलोक नहीं हो सकता है । इसी प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति आदरवान् पुरप भी वाच्यार्थ में यत्नवान् होता है । इससे प्रतिपादक [वक्ता] करि का व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति व्यापार दिखाया ।

कारिका में आलोक शब्द आया है उसका सीधा अर्थ प्रकाश होता है परन्तु लोचनकार ने 'आलोकनमालोक । वनितावदनारविन्दादित्रिलोकनमि यथ ।' अथात् वनितावदनारविन्दादि किसी पदार्थ के अदलोकन अर्थात् चक्षुःप्राप्त को आलोक कहते हैं, यह अर्थ किया है । किसी वस्तु को देखने की इच्छावाला व्यक्ति जैस पहले दीपशिखा का यत्न करता है । लोचनकार ने साधारण प्रसिद्ध प्रकाश अथ से छोड़ कर जो यौगिक अर्थ करने का यत्न किया है उसका अभिप्राय यह है कि दीपशिखा तो प्रकाश रूप ही है इसलिए दीपशिखा और प्रकाश में भेद स्पष्ट न होने से उक्त उपाय उपाय भी स्पष्ट है । 'आलोकन' और दीपशिखा में भेद स्पष्ट है । भेद की स्पष्टता के कारण उनमें उपाय और उपयमव स्पष्ट रूप से हो सकता है । इसी प्रकार वाच्य से व्यङ्ग्य का स्पष्ट भेद और उनके

प्रतिपाद्यस्यापि त दर्शयितुमाह —

यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थ' सप्रतीयते ।

वाच्यार्थपूर्तिना तद्ग्रत् प्रतिपत्तस्य' वस्तुनः ॥१०॥

यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थाप्रगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका
व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्रतिपत्ति ॥१०॥

एष उपाय उपेय भाव को व्यक्त करने के लिए ही इस प्रकार की व्याख्या की गई है ।

अब प्रतिपाद्य [वाच्यार्थ] के भी उस [व्यङ्ग्यप्रबोधन क प्रति व्यापार] को दिखाने के लिए कहते हैं —

जैसे पदार्थ द्वारा [पदार्था को उपस्थिति हाने के बाद पदार्थ ससर्ग-
रूप,] वाक्यार्थ की प्रतीति होती है उसी प्रकार उस [व्यङ्ग्य] अर्थ की प्रतीति
वाच्यार्थ [के ज्ञान] पूर्णक होती है ।

जैसे कि पदार्थ द्वारा वाक्यार्थ का बोध होता है उसी प्रकार वाच्यार्थ
की प्रतीति पूर्वक व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है ।

निर्याय सागरीय सस्मरण में 'प्रतिपत्तव्यवस्तुन' पाठ है । लाचनकार ने
'प्रतिपदिति भावे क्विप् । तस्य वस्तुन, व्यङ्ग्यरूपस्य सारस्यत्यर्थ' व्याख्या की है ।
इसलिए लोचनविद्वद् होने से वह पाठ प्रामादिक है । जैसे जिस व्यक्ति को भाषा
या वाक्यार्थ पर पूरा अधिकार नहीं होता उसको पहिले पदार्थ समझने होते हैं
तब वाक्यार्थ समझ में आता है परन्तु जिनका भाषा पर अधिकार है वे भी
यद्यपि पदाथ ग्रहण पूर्वक ही वाक्यार्थ ग्रहण करते हैं फिर भी वह इतनी शीघ्रता
से हो जाता है कि वहा क्रम अनुभव में नहीं आता । जैसे कमल के बहुत से पत्ते
रख कर उनमें सुई चुभाई जाय तो यद्यपि वह एक-एक को क्रम से ही भेदेगी
फिर भी शीघ्रता के कारण वह क्रम लक्षित नहीं होता । इसी प्रकार जो अत्यन्त
सहृदय नहा हैं उनको वा-यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ क्रम से ही प्रतीत होते हैं । परन्तु अत्यन्त
सहृदय व्यक्तिया का व्यङ्ग्य की प्रतीति तुरन्त हो जाती है । वहा प्रतीति में क्रम
रहते हुए भा 'उत्पलशतपत्रव्यतिभेदवल्लाघवात्र सलक्ष्यते।' क्रम अनुभव में नहीं
आता । इसी लिए रस ध्वनि को अरसलक्ष्यनम व्यङ्ग्य ध्वनि कहा है यह बात भी
यहा सूचित की है ।

इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि तत्प्रतीति, व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्राधान्यं यथा विलुप्येत^१ तथा दर्शयति —

स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रथयन्नपि^२ ।

यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते ॥११॥

यथा स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापार-
निष्पत्तौ न भान्यते^३ विभक्ततया ॥११॥

तद्वत् सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम् ।

बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्यां ऋटित्येवावभासते^४ ॥१२॥

अथ, व्यङ्ग्यार्थ को प्रतीति वाच्यार्थ के बाद होने पर भी, व्यङ्ग्यार्थ का प्राधान्य जिसमें लुप्त न हो वह [प्रकार] दिखाते हैं ।

जैसे पदार्थ अपने सामर्थ्य [योग्यता, आकाङ्क्षा, आसक्ति] से [पदार्थ ससर्गरूप,] वाक्यार्थ को प्रकाशित करते हुए भी, [अपने वाक्यार्थ बोधन रूप] व्यापार के पूर्ण हो जाने पर [वाक्यार्थ बोध हो जाने पर] अलग प्रतीत नहीं होता है ।

जैसे अपनी सामर्थ्य [योग्यता, आकाङ्क्षा, आसक्ति रूप] से वाक्यार्थ का प्रकाशित करने पर भी व्यापार के पूर्ण हो जाने पर पदार्थ विभक्त रूप में अलग प्रतीत नहीं होने ॥११॥

इसी प्रकार वाच्यार्थ से विमुख [उसमें विध्रान्ति रूप परितोष को प्राप्त न करने वाले] सहृदयों की तत्त्वदर्शन समर्थ बुद्धि में वह [प्रतीयमान] अर्थ तुरन्त ही प्रतीत हो जाता है ।

‘स्वसामर्थ्यवशेनैव’ कारिका में स्वसामर्थ्य अर्थात् पदार्थ की सामर्थ्य से अभिप्राय योग्यता, आकाङ्क्षा और आसक्ति से है । ‘वाक्य स्याद् योग्यता-कात्तासक्तिपुञ्जं पदोच्चय ।’ योग्यता, आकाङ्क्षा और आसक्ति से युक्त पद समूह का वाक्य कहते हैं । ‘योग्यता नाम पदार्थानां परस्परसम्बन्धे बाधाभाव ।’ पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में बाधा का अभाव योग्यता कहलाता है । योग्यता रहित पदसमूह

१. विलुप्यते बालप्रिया० । २. प्रतिपादयन् वा०प्रि० । ३. दिभाष्यते नि० ।

४. पत्रा (न्ता) वभासते । (?) नि० में कृति रूप में अक्षिप्त दिया है ।

एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्ग्यस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत
उपयोजयन्नाह :—

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो ।

व्यङ्ग्यतः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥१३॥

यत्रार्थो वाच्यविशेषः, वाचकाविशेष. शब्दो वा, तमर्थ व्यङ्ग्यतः.

वाक्य नहीं होता इसलिए 'बहिना सिञ्चति' इसको वाक्य नहीं कहते हैं क्योंकि यह बहि में सिञ्चन की क्षमता बाधित है। 'पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तं अन्ययान-
नुभावकत्वमाकाक्षा।' जिन पदों में एक पद दूसरे पद के बिना अन्यय बोध न करा
सके वह पद साकाक्ष या आकाक्षायुक्त है उनमें रहने वाला धर्म आकाक्षा है।
उसके अभाव में 'गौरश्च पुरुषो हस्ती शकुनि मृगो ब्राह्मण.' आदि पद समूह
वाक्य नहीं कहलाता है। दूसरे लोगों ने आकाक्षा का यही लक्षण इस
प्रकार किया है। 'यत्पदस्य यत्प्रदाभावप्रयुक्तमन्ययानुभावजनकत्वं तत्पदविशिष्टतत्पद-
त्वमाकाक्षा। वैशिष्ट्यं चाभ्यन्तहितपूर्ववृत्तित्वाभ्यन्तहितोत्तरत्वान्यतरसंबन्धेन बोध्यम्'।
'आसत्तिषु'दयविच्छेद.' अतिलम्बित उच्चारण के कारण बुद्धि के अविच्छेद को
आसत्ति कहते हैं। घण्टे दो घण्टे के व्यवधान से बोले गए 'देवदत्त गा आनय'
आदि पद आसत्ति के अभाव में वाक्य नहीं कहते हैं। इन तीनों धर्मों में से
योग्यता साक्षात् पदार्थ का धर्म है, आकाक्षा मुख्यतः श्रोता की जिज्ञासा रूप होने
से आत्मा का धर्म है परन्तु वह पदार्थ बोध द्वारा ही आत्मा में पैदा होती है इस
लिए परम्परया, अथवा अन्ययाननुभावकत्व रूप होने से आकाक्षा साक्षात् भी पदार्थ
धर्म है। आसत्ति पद द्वारा पदार्थ धर्म है। इस प्रकार योग्यता, आकाक्षा और
आसत्ति से युक्त होने पर ही पदार्थ वाक्यार्थ का बोध करा सकते हैं।

दूसरी 'तद्वत् सचेतसा' कारिका ने 'भट्टित्येनाभसते' से यह सूचित
किया कि यत्रापि वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति में क्रम अवश्य रहता है परन्तु
वह लक्षित नहीं होता। इसलिए रसादि रूप ध्वनि असलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य ध्वनि है,
अक्रम व्यङ्ग्य नहीं ॥१२॥

इस प्रकार वाच्यार्थ में अनिश्चित व्यङ्ग्यार्थ की सत्ता तथा प्राधान्य
[सद्भावा शब्द का सत्ता तथा साधुभावा अध्यात् प्राधान्य दोनों अर्थ हैं] प्रति-
पादन करके प्रकृत में उम्मा उपयोग दिग्वाते हुए कहते हैं :—

जहां अर्थ अपने को [स्व] अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके

स काव्यविशेषो ध्वनिरिति । अनेन वाच्यवाचकचारत्तुहेतुभ्य उपमादिभ्योऽनुप्रासादिभ्यश्च विभक्त एव ध्वनेत्रिपय इति दशितम् ।

यदप्युक्तं—“प्रसिद्धप्रस्थानातिरेकितो मार्गस्य काव्यत्वहानेर्ध्वनिरनास्ति”, इति तदप्युक्तम् । यतो लक्षणकृतमेव स केवल न प्रसिद्ध, लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव सहृदयद्वयह्लादकारि काव्यतत्त्वम् । ततोऽन्यच्चित्रमेवेत्यग्रे दर्शयिष्याम ।

यदप्युक्तम्—“कामनीयमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तालङ्कारादिप्रना

उस [प्रतीयमान] अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं उस काव्यविशेष को निदान् लोग ध्वनि [काव्य] कहते हैं ।

स्वार्थार्थश्च तौ स्वार्थौ । तौ गुणाकृतौ याभ्या यथासत्त्वेन, स अर्थो गुणीकृतात्मा, शब्दश्च गुणीकृताभिधेय । ‘व्यङ्ग्यत्वं’ यह द्विवचन इस बात का सूचक है कि व्यङ्ग्य अर्थ की अभिव्यक्ति में शब्द और अर्थ दोनों ही कारण होते हैं । एक प्रधान कारण होता है और दूसरा सहकारी कारण । ‘यथाथ शब्दो वा’ में पठित ‘वा’ पद, शब्द और अर्थ के प्राधान्याभिप्रायेण विकल्प को मोघन करता है । इसका भाव यह हुआ कि अभिव्यक्ति में कारण दोनों होते हैं परन्तु प्राधान्य शब्द और अर्थ में एक का ही होता है इसीलिए शब्दी और आधा दो प्रकार की व्यञ्जना मानी गई हैं । और इसीलिए साहित्यदर्पणकार ने दोनों की व्यञ्जना दिखाते हुए लिखा है—‘शब्दो यो व्यनक्त्यथ, शब्दोऽयर्थान्तराश्रय । एतस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ सा० ६० २, १८ ।’

जहां अर्थ, वाच्य विशेष, अथवा वाचक विशेष शब्द, उक्त [प्रतीयमान] अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं उस काव्य विशेष को ध्वनि काव्य कहते हैं । इत्यम वाच्य वाचक के चारत्तुहेतु उपमादि और अनुप्रासादि स अलग ही ध्वनि का विषय है यह दिखाया ।

विषय शब्द ‘पिन् वन्धने’ धातु स बना है । उसका अर्थ ‘विशेषण सिनोति उच्चाति स्वसगन्धिन पदार्थमिति विषय’ इस व्युत्पत्ति से ध्वनि को वाच्य वाचक चारत्तु हेतुओं से पृथक् अनुपद्ध कर दिया है ।

और जो यह कहा था कि प्रसिद्ध [शब्दार्थशरीर काव्य वाले] मार्ग में भिन्न मार्ग में काव्यत्व ही नहीं रहेगा इसलिये ध्वनि नहीं है यह गीक नहीं है क्योंकि वह केवल [उक्त] लक्षणकारों को प्रसिद्ध [वात] नहीं है, परन्तु लक्ष्य

रेप्यन्तर्भाव", इति, तदप्यसमोचीनम् । वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यङ्ग्यव्यञ्जकममाश्रयेण व्यग्रस्थितस्य ध्वने कथमन्तर्भाव । वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि तस्याङ्गभूता, स त्वङ्गिरूप' एवेति प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । परिकरश्लोकश्चात्र —

व्यङ्ग्यव्यञ्जकसवन्धनिवन्धनतया ध्वने ।

वाच्यवाचकचारुत्वहेत्वन्त पातिता कुत ॥

ननु यत्र प्रतीयमानार्थस्य वैशद्येनाप्रतीति स नाम मा भूद् ध्वनेरिषय । यत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा समामोक्त्याक्षेपानुत्तनिमित्त-

[रामायण, महाभारत प्रभृति] की परीक्षा करन पर तो सहृदयों के हृदयों को प्राह्लादित करने वाला काव्य का सारभूत वही [ध्वनि] है । उसस भिन्न [काव्य] चित्र [काव्य] ही है यह हम आगे दिखलायेंगे ।

और जो यह कहा था कि यदि वह रमणोरुता का अतिक्रमण नहीं करता है तो उक्त [गुण, अलंकारादि] चारुत्व हेतुओं में ही उस [ध्वनि] का अन्तर्भाव हो जाता है । वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि कवल वाच्य-वाचक भाग पर आश्रित मार्ग के अन्दर व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाग पर आश्रित ध्वनि का अन्तर्भाव कैसे हो सकता है । वाच्य वाचक [अर्थ और शब्द] के चारुत्व हेतु [उपमादि तथा अनुप्रासादि अलंकार] तो उस ध्वनि के अङ्ग रूप है और वह [ध्वनि] तो अङ्गी [प्रधान] रूप है यह आगे प्रतिपादन करेंगे ।

इस सम्बन्ध में एक परिकर श्लोक भी है ।

कारिका में अनुक्त परतु अपेक्षित अर्थ को कहने वाला श्लोक परिकर श्लोक कहलाता है । 'कारिकाधस्य अधिकाराप कतु' श्लोक परिकरश्लोक । कारिकायामनुक्तस्यापेक्षितस्यार्थस्य आवाप प्रक्षेप त कतु' श्लोक परिकर ।'

ध्वनि के व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव सम्बन्ध मूलक होने से वाच्य-वाचक चारुत्व हेतुओं [अलंकारादि] में अन्तर्भाव कैसे हो सकता है ।

यदि कोई यह कहे कि [ननु] 'वहा प्रतीयमान अर्थ की स्पष्ट रूप से प्रतीति नहीं होती यह ध्वनि [के अन्तर्भाव का] का विषय न माना जाय तो न

१ 'स त्वङ्गिरूप' के स्थान पर नि० स० में 'न तु तदेकरुपा,' पाठ है । दी० में भी ।

विशेषोक्तिपर्यायोक्तापह्नुति दीपकसङ्करालङ्कारादौ, तत्र ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यति, इत्यादि निराकर्तुमभिहितम्, “उपसर्जनीकृतस्वार्थो” इति । अर्थो गुणीकृतात्मा, गुणीकृताभिधेयः शब्दो वा यत्रार्थान्तरमभिव्यनक्ति स ध्वनिरिति । तेषु कथं तस्यान्तर्भावः । व्यङ्ग्यप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चैतत् समासोक्त्यादिष्वस्ति । समासोक्तौ तावत् —

उपोढरागेण विलोलतारक तथा गृहीत शशिना निशामुत्तम् ।
यथा समस्त तिमिराशुक तथा, पुरोऽपि रागाद् गलित न लक्षितम् ॥

सही, परन्तु जहा [उसकी] प्रतीति हाती है, जैसे समासाक्ति, आचप, अनुक्त-निमित्त विशेषोक्ति, पर्यायोक्त, अपह्नुति, दीपक, तथा सङ्कर आदि अलङ्कारों में, वहा ध्वनि का अन्तर्भाव हो जायेगा । इस मत के निराकरण के लिए पिङ्गली कारिका में कहा है, “उपसर्जनीकृतस्वार्थो” । जहा अर्थ अपने को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके अर्थान्तर [प्रतीयमान] को अभिव्यक्त करते हैं उसको ध्वनि कहते हैं । उन [समासोक्ति आदि अलङ्कारों] में उस [ध्वनि] का अन्तर्भाव कैसे होगा । व्यङ्ग्यार्थ की प्रधानता में ध्वनि [काव्य] होता है । और समासोक्ति आदि में यह [व्यङ्ग्य का प्राधान्य] नहीं है । समासोक्ति में तो —

सन्ध्याकालीन आरख्य को धारण किए हुए [दूसरे पक्ष में प्रेमोन्मत्त] शशी [अर्थात् चन्द्र, पक्षान्तर में पु लिङ्ग शशी पद से व्यङ्ग्य नायक] न, निशा [रात्रि, पक्षान्तर में स्त्रीलिङ्ग निशा शब्द से नायिका] के चंचल तारों स युक्त [तारक नक्षत्र पक्षान्तर में नायिका के चंचल फोनिका वाले] मुत्त [प्रारम्भिक अग्रभाग प्रदोषकाल, अन्यत्र आनन] को [सुम्यन करने के लिए] इस प्रकार ग्रहण किया कि राग [सन्ध्याकालीन अरण प्रकाश, पक्षान्तर में नायक के स्पर्श से समुद्भूत अनुरागातिशय] के कारण सारा तिमिर रूप वस्त्र गिर जाने पर भी उसे [निशा तथा नायिका को] दिग्गई नहीं निया ।

यह समासोक्ति अलङ्कार का उदाहरण है । भामह ने समासोक्ति का लक्षण निम्न प्रकार किया है,

यत्रोक्तौ गम्यतेऽन्योऽर्थस्तत्त्वमानैर्विशेषैः ।

सा समासाक्तिरदिता सद्भिर्त्तार्थनया बुधैः ॥ भामह २, ७६

जिस उक्ति में, समान विशेषणों के कारण प्रस्तुत से अन्य अर्थ की प्रतीति हो उस उक्ति को [सत्त्व में] सद्भिर्त्तार्थ होने से [एक साथ प्रकृत अप्रकृत दोनों का

इत्यादौ व्यङ्ग्ये नानुगतं वाच्यमेतः प्राधान्येन प्रतीयते । समारो-
पितनायिकानायकव्यवहारयोर्निशाशशीनोरेव वाक्यार्थत्वात् ।

वर्णन करने से] समासोक्ति कहते हैं । ऊपर के उदाहरण में सन्ध्यामाल में चन्द्रोदय का वर्णन कवि कर रहा है । उसमें निशा और शशी का वर्णन प्रकृत है । निशा और शशी के समान लिंग और समान विशेषणों के कारण नायक-नायिका की प्रतीति होती है और उनके व्यवहार का समारोप निशा और शशी पर होने से यह समासोक्ति अलङ्कार माना जाता है । पूर्वपक्ष यह है कि यहा नायक-नायिका व्यवहार व्यङ्ग्य है वाच्य नहा । अर्थात् इस श्लोक में समासोक्ति के साथ ध्वनि भी है । इसलिए ध्वनि का अन्तर्भाव समासोक्ति अलङ्कार में माना जा सकता है । इसने उत्तर में ग्रन्थकार लिखते हैं ।

यहा समारोपित नायक नायिका व्यवहार स युक्त शशी और निशा के ही वाक्यार्थ होने से व्यङ्ग्य से अनुगत वाच्य ही प्रधानतया प्रतीत होता है । [अर्थात् व्यङ्ग्य का प्राधान्य न होने से यहा ध्वनि नहीं है अतः ध्वनि का समासोक्ति में अन्तर्भाव नहीं हो सकता है]

ध्वनि का अलङ्कार में अन्तर्भाव करने के लिए पूर्वपक्ष की ओर से दूसरा उदाहरण आक्षेप अलङ्कार का प्रस्तुत किया गया है । आक्षेप अलङ्कार का लक्षण भामह ने निम्न प्रकार किया है :—

प्रतिपक्ष इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्तया ।

वक्ष्यमाणोक्तविषय स आक्षेपो द्विधा मतः ॥ भामह २, ६८

जहा विशेषता बोधन करने के अभिप्राय से, कहना चाहते हुए भी बात का निषेध किया जाता है वहा आक्षेप अलङ्कार होता है । वह निषेध वहा वक्ष्यमाण अर्थात् आगे कही जाने वाली बात का पूर्व ही निषेध और वही उक्त अर्थात् पूर्व कही हुई बात का पीछे निषेध करने से वक्ष्यमाणविषयक और उक्तविषयक आक्षेप अलङ्कार दो प्रकार का होता है । वक्ष्यमाणविषयक का उदाहरण भामह ने यह दिया है —

अहं त्वा यदि नेत्तेयं क्षणमप्युत्सुका ततः ।

इयदेवास्त्वतोऽन्येन किमुक्तेनाप्रियेण ते ॥ भामह २, ६९ ॥

मैं यदि तुमको तनिक देर भी न देऊ तो उल्कग्रतिरेक से इतना ही रहने दो आगे तुम्हारी अप्रिय बात कहने से क्या लाभ । यहा आगे मर जाऊंगी यह वक्ष्यमाण अर्थ है उसका पूर्व ही निषेध कर दिया है आगे तुम्हारे अप्रिय

गत कहने से क्या लाभ । इस प्रकार यहाँ 'त्रिये' मर जाऊगी यह व्यङ्ग्य है । इसलिए यहाँ आक्षेप अलङ्कार में व्यङ्ग्य होने से ध्वनि का अन्तर्भाव आक्षेप अलङ्कार में किया जा सकता है । यह पूर्व पक्ष है । उत्तर लगभग उसी आशय का होगा जो समासोक्ति में दिया जा चुका है । अर्थात् ध्वनि वही होता है जहाँ व्यङ्ग्य का प्राधान्य हो । यहाँ व्यङ्ग्य है तो परन्तु वह प्रधान नहीं । उस व्यङ्ग्य से वाच्यार्थ ही अलङ्कृत होता है इसलिए यहाँ ध्वनि है ही नही । तब आक्षेप में उसके अन्तर्भाव का प्रश्न ही नही उठ सकता है ।

यह भामह के अनुसार आक्षेप अलङ्कार का विवचन क्रिया । परन्तु वामन ने आक्षेप का लक्षण, 'उपमानाक्षेप । वामन स० ४, ३, २७' किया है । इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ उपमान का आक्षेप अर्थात् निष्फलत्वाभिधान किया जाय उसे आक्षेप अलङ्कार कहते हैं । नवीन आचार्य लाग इस स्थिति में प्रतीप अलङ्कार मानते हैं । और आक्षेप का लक्षण भामह के लक्षण ४ समान ही करते हैं । साहित्यदर्पणकार ने प्रतीप का लक्षण 'प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्व-प्रकल्पनम् । निष्फलत्वाभिधान वा प्रतीपमिति कथ्यते ॥ सा० ६० १०, ८७' किया है । और उमका उदाहरण —

तद् वक्त्र यदि मुद्रिता शशिकथा, हा हेम सा चन्द्र घृति,
स्तम्बद्वर्गदि शरित कुचलयैस्तच्चत् स्मित का मुधा ।
धिक् कन्दर्पधनुष्ठी यदि च ते, किं वा बहु ब्रूमह,
य सत्य पुनरुक्तवस्तुविमुक्त संग्रामो वेधस ॥ सा० ६० १०, ८७ ।

दिया है । वामन के 'उपमानाक्षेप' सूत्र की व्याख्या करते हुए लोचनकार ने उपमानस्य चन्द्रादेराक्षेप, अस्मिन् सति किं त्वया कृत्यमिति' लिखा है और उसका उदाहरण दिया है । यह लक्षण और उदाहरण दोनों साहित्यदर्पण के प्रतीप अलङ्कार से मिलते हैं । लोचनकार ने वामन के लक्षणानुसार आक्षेप का निम्न उदाहरण दिया है —

तस्यास्तन्मुखमस्ति सीम्यमुभग, किं पार्वणेनेन्दुना,
सौन्दर्यस्य पद द्रशौ यदि च, तं किं नाम नीलोत्पलै ।
किं वा कोमलकान्तिमि किमलपै, मत्स्य तत्राधरे,
हा धातु पुनरुक्तस्तुरचनारम्भेऽप्युगो महः ॥

यहाँ पूर्णिमाचन्द्र के साथ मुख का सादृश्य आदि रूप उभमा व्यङ्ग्य है, परन्तु वह प्रधान नहीं । अर्थात् वाच्य को ही अलङ्कृत करती है । 'किं पार्वणेनेन्दुना' से चन्द्रमा का निष्फलत्वाभिधान रूप उपमानात्मक वाच्य ही अधिक

आक्षेपेऽपि व्यङ्ग्यविशेषाक्षेपिणोऽपि^१ वान्यस्यैव चारुत्व, प्राधान्येन वाक्यार्थ आक्षेपोक्तिसामर्थ्यादेव ज्ञायते । तथाहि^२ तत्र शब्दोपास्तो^३ विशेषाभिवानेन्द्रया प्रतिषेधरूपो य आक्षेप स एव व्यङ्ग्यविशेषमाक्षिपन् मुख्य काव्यशरीरम् । चारुत्वात्कर्पणनिबन्धना हि वान्यव्यङ्ग्ययो प्राधान्यत्रिवक्षा । यथा —

चमत्कारी है । अतएव यहा व्यङ्ग्यप्राधान्य रूप ध्वनि का अस्तित्व न होने से उसके आक्षेपालङ्कार में अन्तर्भाव का प्रश्न ही नहा उठता ।

इन सब उदाहरणों में यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यङ्ग्य और ध्वनि शब्द समानार्थक नहीं हैं । सभी प्रतीयमान अर्थ व्यङ्ग्य हैं परन्तु ध्वनि काय वही माना जाता है जहा व्यङ्ग्य का प्राधान्य होता है ।

कुछ लोगों ने वामन के 'उपमानाक्षेप वा० सू० ४, ३, २७' की व्याख्या में 'उपमानस्य आक्षेप सामर्थ्यादाकर्पणम्' किया है । अर्थात् जहा उपमान का सामर्थ्य से आकर्षण किया जाय, वह शब्दत उपात्त न हो उसे आक्षेप अलङ्कार कहते हैं । इस व्याख्या के अनुसार आक्षेपालङ्कार का निम्न उदाहरण दिया है —

ऐन्द्र धनु. पाडुपयोधरण, शब्द दधानार्द्रनखत्तताभम् ।

प्रसादयन्ती सरुलङ्कमिन्दु, ताप रवरभ्यधिक चकार ॥

पाडु वर्ण के पयोधर मेघ-[पद्मान्तर में स्तन] पर आर्द्र गाले सघ. समुत्पादित-नखत्त के समान इन्द्रधनुष को धारण करने वाली और कलक [चिह्न] सहित [पद्मान्तर में नायिकोपभोगजन्य कलक से युक्त] चन्द्र को प्रसन्न अर्थात् उज्वल और पद्मान्तर में हृषित करती हुई शब्द 'मृदु [रूप नायिका] ने रवि [रूप नायक] के सन्ताप को और बढ़ा दिया ।

यहा भी ईर्ष्याकलुषित नायकान्तर रूप उपमान आक्षिप्त होता है परन्तु वह वाक्याथ को ही अलङ्कृत करता है । वामन के मत से यह आक्षेप का उदाहरण दिया गया है परन्तु भामह आदि के मत से तो यह समासोक्ति अलङ्कार का ही उदाहरण है ।

[इस प्रकार] आक्षेपालङ्कार में भा व्यङ्ग्य विशेष का आक्षेप कराने वाले होने पर भी वाक्य का ही चारुत्व है । क्योंकि आक्षेप वचन के सामर्थ्य में ही प्रधानत्व वाक्यार्थ प्रतीत होता है । क्योंकि वहा विशेष के बोधन का इच्छा

१ दो० में अपि नहीं है । २. दो०, नि० तथाहि इतना पाठ नहीं है ।

३ शब्दोपास्तो नि० ।

अनुरागप्रती सन्ध्या द्विवसस्तत्पुर सर ।
अहो दैवगति कीटक् तथापि न समागम ॥

अत्र सत्यामपि व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारत्प्रमुत्कर्षवन्निति तस्यैव प्राधान्यविवक्षा ।

ये शब्दोपात्त प्रतिषेध रूप जो आक्षेप है, वही व्यङ्ग्य विशेष का आक्षेप कराता हुआ मुख्य काव्य शरीर है । चारत् के उर्कर्व मूलक ही वाच्य और व्यङ्ग्य का प्राधान्य विवक्षित होता है । जैसे—

सन्ध्या [नामक या रूपिणी नायिका] अनुराग [अथात् सन्ध्यामालीन लालिमा पश्चान्तर में प्रेम] से युक्त है और त्रिस [नामक या रूप नायक] उसके सामने [स्थित ही नहीं 'पुर सरति गच्छति इति पुर सर ।] बढ़ रहा है [सामने आ रहा है] ओह दैव की गति कैसी [विलक्षण] है कि फिर भी [उनका] समागम नहीं हो पाता ।

यहा [नायक नायिका व्यवहार रूप] व्यङ्ग्य की प्रतीति होने पर भा वाच्य का ही चारुत्व अधिक होने से उसकी ही प्रधानता विवक्षित है ।

यहा वामन के मत से आक्षेपालङ्कार और भाग्य के मत से समासोक्ति अलङ्कार है इस बात को ध्यान में रख कर समासोक्ति और आक्षेप का सम्मिलित यह उदाहरण ग्रन्थकार ने दिया है । वास्तव में यहा समासोक्ति है या आक्षेप यह विचारणीय प्रश्न नहीं है । यहा चाहे समासोक्ति हो या आक्षेप उससे कुछ हानि लाभ नहीं है । प्रकृत बात तो इतनी ही है कि अलङ्कार स्थल में व्यङ्ग्य सर्वथा वाच्य में गुणीभूत हो जाता है इसलिए व्यङ्ग्य का प्राधान्य न होने से उसे ध्वनि काव्य नहीं कह सकते हैं इसलिए ध्वनि के अलङ्कारों में अन्तर्भूत होने का प्रश्न ही नहा उठता ।

दीपक का लक्षण काव्यप्रकाशकार ने 'सङ्कृतिस्तु धर्मस्य प्रकृता-प्रकृतात्मनाम् । सैव त्रिय सु उहीपु कारकस्येति दीपकम् ।' किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि प्रकृत और अप्रकृत अनेक पदार्थों में एक धर्म का समन्वय वर्णन करना अथवा अनेक त्रियाओं में एक ही कारक का समन्वय वर्णन करना दीपकालङ्कार है । लोचनकार ने भाग्य के अनुसार 'आदिमव्यान्तरिपथ त्रिधा दीपकमिष्यते । भाग्य, २, २५' दीपक के तीन भेद किए हैं, और उनका निम्न उदाहरण दिया है —

मणि शाणोत्लीड, ममरत्रिणी इतिदलित,
बलाशेषचन्द्र, सुरतमृदिता गललजना ।

यथा च दीपकापहृत्यादौ व्यङ्ग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येनाविवक्षितत्वान्न तथा व्यपदेशस्तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम् ।

मदक्षीणो नागः, शरदि सरिदाश्यानपुलिना,
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्षिपु जनाः ॥

यहां याचनों को दान देकर क्षीणविभव पुरुष प्रकृत हैं और शाखोल्लीड मणि, शस्त्रों से दलित युद्धविजयी वीर, कलावशिष्ट चन्द्रमा, सुरतमृदित ललना, मदक्षीण हाथी, शरत्काल में क्षीणकाय नदी ये सब अप्रकृत हैं। उन सबके साथ 'तनिम्ना शोभन्ते' 'कृशता से शोभित होते हैं' इस एक धर्म का सम्बन्ध वर्णित होने से यह दीपकालङ्कार का उदाहरण हुआ। इस दीपकालङ्कार में वर्णित प्रकृत और अप्रकृत में परस्पर उपमेयोपमान भाव व्यङ्ग्य होता है। इस प्रकार उपमा व्यङ्ग्य होने पर भी दीपनकृत ही चारुत्व के कारण दीपकालङ्कार ही प्रधान होता है। इसलिए वहां उपमालङ्कार न कहला कर, प्राधान्य के कारण दीपकालङ्कार ही कहलाता है।

इसी प्रकार अपहृति अलङ्कार का लक्षण भामह के अनुसार निम्न प्रकार है—'अपहृतिरभीष्टस्य किञ्चिदन्तर्गतोपमा'। भामह ३,२१। और उसका उदाहरण है:—

नेय विरौति भृ गाली मदेन मुररा मुहुः ।

अयमाकृष्यमाणस्य कन्दर्पधनुषो ध्वनि ॥ भामह ३,२२ ।

यह मद के कारण वाचाल भ्रमर पक्षि नहीं गूँज रही है अपितु यह चढाए जाते हुए कामदेव के धनुष की ध्वनि है।

यहां भी भृ गाली जन और मदनचापध्वनि में उपमेयोपमान भाव व्यङ्ग्य होने से उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है। परन्तु प्राधान्य, उपमा का नहीं, अपितु अपहृत्व ही का है इसलिए इसको उपमालङ्कार नहीं अपितु अपहृति अलङ्कार ही कहते हैं। यही बात मूल ग्रन्थ में कहते हैं।

और जैसे दीपक तथा अपहृति इत्यादि में व्यङ्ग्य रूप से उपमा की प्रतीति होने पर भी प्राधान्य विरहित न होने से उपमा नाम से व्यवहार नहीं होता इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए।

अर्थात् समासोक्ति आक्षेपादि अलङ्कारों में व्यङ्ग्य की प्रतीति होने पर भी उमरा प्राधान्य विरहित न होने से वहां ध्वनि व्यवहार नहीं होता।

साहित्यदर्पणकार ने विशेषोक्ति का लक्षण किया है, 'सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्ति ।' सा० द० १०, ६७ । काव्यप्रकाशकार ने इसी बात को यों कहा है—'विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावच । का० प्र० १०, १०८ । अर्थात् कारणसामग्री होने पर भी कार्य न होना विशेषोक्ति कहलाता है । भामह ने उसका लक्षण 'एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसस्तु त । विशेषप्रथनायासौ विशेषोक्तिरिति स्मृता ॥ भामह ३, २२ ।' किया है । यह विशेषोक्ति तीन प्रकार का होती है । उक्तनिमित्ता, अनुक्तनिमित्ता और अचिन्त्यनिमित्ता । इन तीनों भेदों में से अचिन्त्यनिमित्ता और उक्तनिमित्ता भेदों में तो व्यङ्ग्य की सत्ता ही नहीं होती है । जैसे अचिन्त्यनिमित्ता का उदाहरण है —

एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुमुमायुध ।

हरतापि तनु यस्य शम्भुना न हत धलम् ॥

शिव जी ने जिसके शरीर को हरण-भस्म-करके भी उसको हरण नहीं किया वह कामदेव अकेला ही तीनों लोकों को जीत लेता है । इस अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति में तो व्यङ्ग्य है ही नहा । इसी प्रकार उक्तनिमित्ता का उदाहरण है —

कपूर इव दम्भोऽपि शक्तिमान् यो जने जने ।

नमोऽस्त्ववार्ययीर्याय तस्मै मकरजतवे ॥

इस उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में भी व्यङ्ग्य के सद्भाव की शङ्का नहीं है । इस लिए ग्रन्थकार ने विशेषोक्ति के इन दोनों भेदों को छोड़ कर केवल अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का उल्लेख किया है और उसका उदाहरण दिया है । 'आहूतो०' साधियों द्वारा बुलाये जाने पर भी, हा कह कर जाग जाने पर भी और जाने की इच्छा रहने पर भी पथिक सकोच को नहीं छोड़ रहा है । यहा सकोच न छोड़ने का निमित्त उक्त न होने से अनुक्तनिमित्ता है । निमित्त के अनुक्त होने पर भी वह आचक्ष्य नहा है, उसकी कल्पना की जा सकती है । भट्टोजन ने शीत के आधिक्य को उसका निमित्त माना है और अन्य रसिक व्याख्याता यह कल्पना करते हैं कि पथिक, गमन की अपेक्षा भी स्वप्न को प्रियासमागम का मुग्ध उपाय समझ कर स्वप्न लोभ से सकोच नहीं छोड़ रहा है, सिमर-सिमटाए खाट पर पड़ा ही हुआ है । इन दोनों में से चाहे कोई भी निमित्त कल्पना करो परन्तु वह निमित्त चारुत्व हेतु नहा है अर्थात् अभि यद्यमान निमित्त से उपस्कृत विशेषोक्तिभाग के ही चमत्कारजनक होने से यहा भी ध्वनि का अन्तर्माय अलङ्कार के अन्तर्गत मानने

अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ —

आहृतोऽपि सहाये, 'ओमित्युक्त्वा निमुक्तनिद्रोऽपि ।
गन्तुमना अपि पथिक सङ्कोच नैव शिथिलयात ॥

इत्यादौ ज्यङ्गयस्य प्रकरणसामर्थ्यात् प्रतीतिमात्रम् । न तु तत्-
प्रतीतिनिमित्ता काचिच्चारत्त्रनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम् ।

का अवसर नहीं है । इस प्रकार भद्रोद्भट और अन्य रसिक जन दोनों के अभि-
प्राय का मन में रत्न कर ही ग्रन्थकार ने इस पर वृत्ति लिखी है ।

अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में भी—

साधियों द्वारा पुरारे जाने पर भी, हां कह कर जाग जान पर भी, और
जाने को इच्छा होन पर भी पथिक संकोच को नहीं छोड़ रहा है ।

इत्यादि [उदाहरण] में प्रकरणश व्यङ्ग्य का प्रतीति मात्र होती है ।
किन्तु उस प्रतीति के कारण कोई मौन्य उत्पन्न नहीं होता, इसी लिए उसका
प्राधान्य नहीं है ।

पर्यायोक्त का लक्षण भामह ने इस प्रकार किया है —

पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणामिधीयते ।

वाच्य-वाचक वृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥भामह ३, ८

काव्यप्रकाशकार और साहित्यदर्पणकार आदि ने भी पर्यायोक्त के इसी
प्रकार के लक्षण दिए हैं ।

पर्यायोक्त यदा भङ्गवा गम्यमेवामिधीयते । सा०द० १०, ६०

पर्याये क्त विना वाच्यवाचकत्वेन यद् वच । वा०प्र० १०, ११५ ।

'पर्यायेण प्रकृतन्तरस्य, अवगमात्मना व्यङ्ग्येन उल्लिखितं सद्, यदभि-
धीयते तदभिधीयमानं उक्तं सत् पर्यायोक्तम् ।' यह पर्यायोक्त शब्द का अर्थ है ।
इसका अभिप्राय हुआ कि जहां प्रकृतन्तर अर्थात् व्यङ्ग्य रूप से अवगत अर्थ को
ही अभिप्राय से कहा गया वहां पर्यायोक्त अलंकार होता है । जैसे —

रामस्यैवैवदस्य मुनेरयथागमिन ।

रामस्यनेन पशुत देशिना धर्मेश्वर ॥

मुनि के लिए राम काय लगन ही अनुचित है । फिर उस राम के उच्छ्रद

या विनाश की बात सोचना और भी अनुचित है । उसकी भी दृष्टिमा आग्रह अत्यंत अनुचित है । इसलिए शत्रु के विनाश के लिए कृतसंस्कार अतएव उन्मार्गगामी परशुराम भाग्यमान को भीष्म के इस धनुष ने अपने धर्मपालन की शिक्षा दे दी । यहा भीष्म की शक्ति भाग्यमान परशुराम की शक्ति से अधिक है । भीष्म ने परशुराम को पराजित कर दिया यह व्यङ्ग्य अर्थ है उसी को 'देशिता धर्मदेशना' के शब्दों से अभिधया रोधन किया गया है इसलिए यह पर्यायोक्त अलङ्कार का उदाहरण है । यहा व्यङ्ग्य अर्थ की प्रतीति तो अवश्य होती है । परन्तु वह प्रधान नहा है । अपितु वाच्य को ही अलङ्कृत करती है । अतएव यहा ध्वनि का अन्तर नहा है ।

भामह न पर्यायोक्त का उदाहरण निम्न दिया है —

यद्वपु वसु वा ना न भुज्मह यदधीतिन ।

विप्रा न भुजते तच्च रसदाननिवृत्तये ॥ भामह ३, ६ ।

यह कृष्ण की विशुपाल के प्रति उक्ति है । उसका भाव यह है कि 'अधीती ब्राह्मण लोग जिस अन्न को नहा खाते उसे हम न घर पर खाते हैं और न मार्ग में अर्थात् यात्रा में ।' अर्थात् विद्वान् ब्राह्मणा को खिलाने के बाद हा भोजन करते हैं । यहा विप दान निवृत्ति व्यङ्ग्य है । जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है । 'तच्च रसदाननिवृत्तये ।' रस शब्द का अर्थ यहा विप है । 'शृ गारादी विरे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रस इति कोप ।' भामह प्रदत्त इस उदाहरण में रसदान निवृत्ति व्यङ्ग्य है परन्तु उस से कोई चाक्य नहीं आता इसलिए उसका प्रधान नहीं है अपितु विपों को भोजन कराए बिना भोजन न करना यह जो वाच्यार्थ है वही पर्याय अर्थात् प्रकारान्तर से उक्त होकर भोजनार्थ को अलङ्कृत करने से पर्यायोक्त अलङ्कार का उदाहरण बनता है ।

भामह ने जो उदाहरण दिया है उसमें व्यङ्ग्य की प्रधानता न होने से ध्वनि का अन्तर नहीं है परन्तु पर्यायोक्त अलङ्कार के इस प्रकार के उदाहरण मिल सकते हैं जहा व्यङ्ग्य का प्राधान्य हो । उस दशा में उसे हम ध्वनि काय के दूसरे भेद अलङ्कार ध्वनि का उदाहरण मानेंगे परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि ध्वनि का अलङ्कार में अन्तर्भाव हो गया अपितु वस्तुतः अलङ्कार का ध्वनि में अन्तर्भाव कहा जा सकता है । क्योंकि ध्वनि तो महाविषय व्यापक है इस प्रकार के पर्यायोक्त के व्यङ्ग्य प्रधान उदाहरणों को छोड़ कर अन्यत्र भी ध्वनि रहता है इसलिए महाविषय व्यापक होने से ध्वनि का अन्तर्भाव अलङ्कार में नहा माना जा सकता है । व्यङ्ग्य

पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं तद् भ्रमणु नाम तस्य ध्वनावन्तभाव । न तु भ्रमेस्तत्रान्तभाव । तस्य महाविषयत्वेन, अङ्गित्वेन च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । न पुन पर्यायोक्ते भामहोदाहृत-सदृशे व्यङ्ग्यत्वेव प्राधान्यम् । वाच्यस्य तत्रोपसर्जनीभावेनाविवक्षितत्वात् ।

अपह्नुतिदीपकयो पुनर्वाच्यस्य प्राधान्य व्यङ्ग्यस्य चानुयायित्वं प्रसिद्धमेव ।

प्रधान पर्यायोक्त का उदाहरण 'भ्रम धार्मिक' इत्यादि पूर्वादाहृत श्लोक हो सकता है । मूल ग्रन्थ की पक्तियों का अनुवाद इस प्रकार है ।

पर्यायोक्त अलङ्कार [के 'भ्रम धार्मिक' सदृश व्यङ्ग्यप्रधान उदाहरणों] में भी यदि व्यङ्ग्य की प्रधानता हो तो उस [अलङ्कार] का ध्वनि [अलङ्कार ध्वनि] में अन्तर्भाव किया जा सकता है, न कि ध्वनि को उस [अलङ्कार] में । क्योंकि ध्वनि तो महाविषय और अर्थात् प्रधान रूप से प्रतिपादित किया जायगा । परन्तु भामह द्वारा उदाहृत जैसे [पर्यायोक्त के] उदाहरण में तो व्यङ्ग्य का प्राधान्य ही नहीं है । क्योंकि वहा वाच्य का गोख्यत्व विवक्षित नहीं है ।

अपह्नुति तथा दीपक में वाच्य का प्राधान्य और व्यङ्ग्य का वाच्यानुगामित्व प्रसिद्ध ही है ।

अपह्नुति और दीपक के विषय में ग्रन्थकार इसका पूर्व भी लिख चुके हैं । यहा दुबारा उनका उल्लेख इस लिए किया कि यहा तो उनका वर्णन उद्देश्य क्रम से प्राप्त है । अर्थात् पीछे "यत्र तु प्रतातिरस्ति, यथा समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति, अपह्नुति, दीपक, सङ्करालङ्कारादी" इस पक्ति में पर्यायोक्त के बाद अपह्नुति और दीपक का नामोल्लेख किया था । अतएव पर्यायोक्त के बाद उनका वर्णन क्रम प्राप्त होने से यहा उनका उल्लेख करना आवश्यक था । इसके पूर्व जो उनका उल्लेख हुआ है वह तो केवल दृष्टान्त रूप में किया गया है कि, दीपकादि में उपमा की प्रतीति होने पर भी अप्रधान होने के कारण उपमा का व्यवहार वहा नहीं होता । यहा उद्देश्य क्रम प्राप्त होने से उनका दुबारा उल्लेख किया गया ।

आगे सङ्करालङ्कार का वर्णन किया है । सङ्करालङ्कार के नीचे लोगों ने तीन भेद माने हैं अज्ञानिभाय सङ्कर, एकाश्रयानुपवेश सङ्कर और सन्देह सङ्कर । भामह आदि ने एकाश्रयानुपवेश को दो भागों में विभक्त कर दिया है । ए

वाक्यानुवर्तन और एक-वाक्याशसमावेश रूप । इस प्रकार भट्टोज्जट के अनुसार सङ्कर के चार भेद हो गए । इन के लक्षण भामह ने और उनके उदाहरण भामह विवरण कार भट्टोज्जट ने निम्न प्रकार दिए हैं । सन्देह सङ्कर का लक्षण और उदाहरण यह है —

विरुद्धालत्रियोल्लेखे सम तद्वृत्त्यसभवे ।

एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावे च सङ्कर ॥

विरुद्ध अलङ्कारों का वर्णन होने पर, उनकी एक साथ स्थिति असंभव होने और किसी एक के मानने में युक्ति या दोष न होने पर सन्देह सङ्कर अलङ्कार होता है । इसका उदाहरण लोचनरार ने अपना निम्न श्लोक दिया है.—

शशिवदनाऽसितसरसिजनयना सितकुसुमदशनपत्तिरियम् ।

गगनजलस्थलसमवद्दयाकारा कृता विधिना ॥

चन्द्रमुखी, कृष्णकमलनयनी और शुभ्रकुसुमदन्ती इस सुन्दरी को विधाता ने गगन, जल और स्थल से उत्पन्न मनोहर आकार वाली बनाया है । इस में 'मयूर व्यसकादयश्च अ० २, १, ७२ इस सूत्र से 'शशी एव वदन यस्या सा शशिवदना' ऐसा सभास मानने से रूपक, और 'उपमित व्याघ्र दिभि सामान्याप्रयोगे अ० २, १, ५६' इस सूत्र से शशिवद् वदन यस्या ' यह समास मानने से उपमा होती है । श्लोक में 'शशिवदना' आदि तीन विशेषण दिए हैं व तीनों क्रमशः गगन, जल, स्थल से सञ्ज्ञ होने से 'शशिवदना' पद गगनसमयता, 'असितसरसिजनयना' पद जलसमवत्त्व और 'सितकुसुमदशनपत्ति' पद स्थलसमवत्त्व को रोधन करते हैं । इस प्रकार माने विधाता ने उस नायिका को गगन, जल और स्थल तीनों से बनाया है । यह श्लोक का भाव है । इसमें उपमा और रूपक में से क्या माना जाय उसका कोई निर्णायक विनिगमक हेतु न होने से यहा तन्मूलक सन्देह सङ्कर अलङ्कार है । इसलिए यहा कौन वाच्य है और कौन व्यङ्ग्य है इसका ही जब निर्णय नहीं है तब उसकी प्राधानता या गौणता के निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सङ्कर का दूसरा भेद एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर है । भट्टोज्जट ने इसके दो भेद कर दिए हैं—एक वाक्यानुप्रवेश और एक वाक्याशानुप्रवेश । इन दोनों भेदों का वर्णन और लक्षण भामह ने निम्न प्रकार किया है.—

शब्दार्थान्वयलङ्कारा वाक्य एकवर्तिनः ।

सङ्करश्चैकवाक्याशप्रवेशाद्वाभिधीयते ॥ भामह ३, ५८

जहां शब्दवर्ती तथा अर्थपता, अर्थान् शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार दोनों एक ही वाक्य में स्थित हों वहां एकवाक्यप्रवेश अथवा एकवाक्याशप्रवेश भेद से दो प्रकार का सङ्कर अलङ्कार होता है । इन दोनों के उदाहरण निम्न प्रकार हैं —

‘स्मर, स्मरमिव प्रिय रमयसे यमालिङ्गनात्’

कामदेव के समान जिस प्रिय को आलिंगन से रमण कराती हो, उसको स्मरण करो । यहां ‘स्मर स्मर’ पद की आहृति से यमक रूप शब्दालङ्कार, और ‘स्मरमिव’ इस उपमा रूप अर्थालङ्कार का एकाश्रयानुप्रवेश रूप सङ्कर है । यहां प्रतीयमान की शङ्का का भी अवसर नहीं है । उनके गुणप्रधान भाव का निर्णय तो दूर रहा । इसका दूसरा उदाहरण है —

तुल्योदयावसानत्वाद् गतेऽस्त प्रति भास्वति ।

वासाय वासर क्लान्तो विशतीव तमोगुहाम् ॥

सूर्य और वासर [दिन] दोनों तुल्योदयावसान हैं, दोनों का उदय और अस्त साथ साथ होता है । इसलिए जब सूर्य अस्त होने लगा तो मानो सिन्न होकर वासर भी तमोगुहा में प्रविष्ट सा हो जाता है । यह इस श्लोक का भाव है । यहां ‘विशतीव’ यह उत्प्रेक्षा अलङ्कार है । और ‘तमोगुहाम्’ यह एक देशविवर्ति रूपक है । यहां सूर्य स्वामी, और वासर सेवक है । सूर्य का अस्त स्वामिविपत्ति, और वासर का तमोगुहाप्रवेश स्वामिविपत्तिसमुचित व्रतप्रहण रूप है । परन्तु इन सबका आरोप नहीं किया है केवल तम पर गुहा का आरोप है इसलिए यह एकदेशविवर्ति रूपक है । इस प्रकार यहां रूपक और उत्प्रेक्षा दोनों समान रूप से वाच्य होने से उनमें गुण प्रधानभाव ही नहा है ।

सङ्कर का चौथा भेद अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर है । उसका लक्षण और उदाहरण निम्न है —

परस्परारकारण यत् लङ्कृतय स्थिता ।

स्वातन्त्र्येणात्मलाभ नो लभन्ते सोऽपि सङ्कर ॥ भासह ३, ४८

जहां अनेक अलङ्कार परस्परोपकारक भाव से स्थित हों, स्वातन्त्र्य से नहीं, यह मी [अङ्गाङ्गिभाव] सङ्कर होता है जैसे —

प्रजातनीलोत्पलनिर्विशेष अधीरनिप्रेक्षितमायताक्ष्या ।

तया गृहीत नु मृगाङ्गनाभ्यस्ततो गृहीत नु मृगाङ्गनाभि ॥

यह कुमार सभर [१, ४६] का श्लोक है । उस आयताक्षी पार्वती ने प्रजात—तेज हवा से चमल नील कमल के समान, अधीर दृष्टि क्या मृगों से ली

सङ्करालङ्कारेऽपि यदालङ्कारोऽलङ्कारान्तरच्छायायामनुगृह्णाति, तदा व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येनाविषयित्वाच्च ध्वनिविषयत्वम् । अलङ्कारद्वय-संभावनायान्तु वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं प्राधान्यम् । अथ वाच्योपसर्जनीभावेन व्यङ्ग्यस्य तत्रावस्थानं^१ तदा सोऽपि ध्वनिविषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यम् । पर्यायोक्तनिर्दिष्टन्यायात् । अपि च सङ्करालङ्कारेऽपि^२ च क्वचित् सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसंभावना निराकरोति^३ ।

अथवा मृगों ने उस-पार्वती से ली । यह कालिदास के इस श्लोक का भाव है । अर्थात् उसकी दृष्टि हरिणी की दृष्टि के समान चञ्चल है । इस प्रकार यहा उपमा अलङ्कार व्यङ्ग्य है और सन्देहालङ्कार वाच्य है । परन्तु व्यङ्ग्य उपमा, वाच्य सन्देहालङ्कार को ही चारुत्योत्कर्ष प्रदान कर अनुगृहीत करती है । उसका पर्ययमान सन्देह की पुष्टि में ही होता है इसलिए वह गुणभूत है । और उपमाजनित चमत्कृति में सन्देह साहाय्य करता है इसलिए दोनों का परस्पर अङ्गाङ्गिभाव है ।

इस प्रकार सङ्कर के चारों भेदों में से बीच के दो भेदों में तो व्यङ्ग्य समापना ही नष्ट है । चतुर्थ अङ्गाङ्गिभाव सङ्कर में और प्रथम सन्देह सङ्कर में व्यङ्ग्य की सम्भावना हो सकती है परन्तु वहाँ भी व्यङ्ग्य का प्राधान्य निश्चित न होने से ध्वनि व्यवहार नहीं हो सकता । इसी बात को ग्रन्थकार आगे कहते हैं—

सङ्करालङ्कार में भी जहा एक अलङ्कार दूसरे की छाया [सौन्दर्य] को पुष्ट [अनुगृहीत] करता है [अर्थात् अङ्गाङ्गिभाव रूप चतुर्थ भेद में] वहा व्यङ्ग्य का प्राधान्य विषयित न होने से वह ध्वनिका विषय नहीं है । [सन्देह सङ्कर रूप प्रथम भेद में] दो अलङ्कारों की संभावना होने पर तो वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों का सम प्राधान्य होता है । [अतः वहा भी ध्वनि का समापना नहीं है] और यदि वहा [अङ्गाङ्गिभाव सङ्करालङ्कार में] व्यङ्ग्य वाच्य के उपसर्जनीभाव [गौण रूप] से स्थित हो तब तो वह भी ध्वनि [अलङ्कार ध्वनि] का विषय हो सकता है । न कि केवल वही ध्वनि है । पर्यायोक्त निर्दिष्ट न्याय से । और एक बात यह भी है कि सङ्करालङ्कार में सर्वत्र सङ्कर शब्द का प्रयोग हा ध्वनि संभावना का निराकरण कर देता है ।

यहा 'सङ्करालङ्कारेऽपि च क्वचित्' इस की व्याख्या करते समय 'क्वचिदपि सङ्करालङ्कारे' इस प्रकार अन्वय करना चाहिए । उसमें भी 'क्वचिदपि' का अर्थ

१. तत्रापि ध्ववस्थानम् नि०, दी० । २. सङ्करालङ्कारस्य सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसंभावना करोति । नि० ।

सर्वत्र होगा । 'क्वचिदपि सङ्करालङ्कारे' का अर्थ हुआ कि सङ्करालङ्कार में सर्वत्र अर्थात् सङ्करालङ्कार के सभी भेदों में सङ्कर शब्द का प्रयोग उनकी सङ्कीर्णता का प्रतिपादक है । वहा यदि किसी एक की प्रधानता हो जाय तो फिर सङ्कर ही कहा रहगा ? इसलिए सङ्कर शब्द का प्रयोग ही वहा व्यङ्ग्यप्रधान्यरूप ध्वनि का निराकरण कर देता है । फिर भी यदि आप —

न भवति गुणानुराग रत्नानां केवल प्रसिद्धिशरणात् ।

किल प्रसूति शशिमणि चद्रे न प्रियामुरे दृष्टे ॥

केवल प्रसिद्धि चाहने वाले दुष्टों को गुणों से प्रेम नहा होता चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा को देख कर तो द्रवित हो जाता है प्रिया के मुख को देख कर नहीं । यहां शशि मणि अर्थात् चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा को देख कर द्रवित होने लगता है परन्तु चद्र से भी अधिक सुन्दर प्रिया मुख को देख कर द्रवित नहीं होता । इस विशेष उदाहरण से प्रसिद्धि मात्र चाहने वाले दुष्टों को गुणों से अनुराग नहा होता इस सामान्य नियम का समर्थन करने से अर्थान्तरन्यास अलङ्कार वाच्य है । और प्रियामुख चन्द्र से भी अधिक सुन्दर है यह व्यतिरेक अलङ्कार तथा यह चद्र नहीं है प्रिया मुख ही चन्द्र है यह अपह्नुति अलङ्कार व्यङ्ग्य है ।

इस प्रकार के किसी उदाहरण में व्यङ्ग्य की प्रधानता पर ही उलटें तो फिर उस स्थान पर अलङ्कार ध्वनि हो जायगी । अर्थात् वहा सङ्कर का अन्तर्भाव अलङ्कार ध्वनि में हो जायगा । क्योंकि पर्यायोक न्याय में ध्वनि के महाविषय आर अङ्गी होने से उसमें अन्य अलङ्कारादि का अन्तर्भाव दिखाया जा चुका है । उसी न्याय से यहां भी समझना चाहिए ।

अप्रस्तुत के वणन से जहा प्रस्तुत का आक्षेप किया जाता है वहा अप्रस्तुत प्रशसा नामक अलङ्कार होता है । अप्रस्तुतप्रशसा तीन प्रकार की होती है । पहिली सामान्य विशेष भाव मूलक, दूसरी कार्य कारण भाव मूलक और तीसरी सादृश्य मूलक । इनमें से पहिली और दूसरी प्रकार की अप्रस्तुतप्रशसा के दो दो भेद हो जाते हैं । इस प्रकार उन दोनों के दो दो भेद होकर चार भेद और एक सादृश्यमूलक इस प्रकार पांच भेद हो जाते हैं । सामान्य विशेष भाव मूलक के दो भेद इस प्रकार होते हैं कि १—एक जगह सामान्य अप्रस्तुत होता है और उससे प्रस्तुत विशेष का आक्षेप होता है । और २—दूसरी जगह अप्रस्तुत विशेष होता है उससे प्रस्तुत सामान्य का आक्षेप होता है । इसी प्रकार कार्य-कारणभाव मूलक के भी दो भेद हो जाते हैं । एक जगह कारण अप्रस्तुत होता है उससे प्रस्तुत

कार्य का आक्षेप होता है और दूसरी जगह अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण का आक्षेप होता है । इस प्रकार चार भेद हुए और पाचवा भेद सादृश्यमूलक होता है । इस भेद के भी श्लेष निमित्तक, समासोक्ति निमित्तक और सादृश्यमान निमित्तक इस प्रकार तीन भेद हो जाने से अप्रस्तुत प्रशसा के सात भेद बन जाते हैं । परन्तु भामह ने केवल पहिले तीन भेद ही किए हैं । एक सामान्य विशेष भावमूलक, दूसरा कायकारण भावमूलक और तीसरा सादृश्यमूलक । इनमें पहिले दोना भेदों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का सम प्राधान्य होने से ध्वनि का अवसर ही नहा है । इसलिए उसके अन्तर्भाव का विचार ही नहीं हो सकता । तीसरे सादृश्यमूलक भेद में यदि अभिधीयमान अप्रस्तुत का अप्राधान्य और प्रतीयमान प्रस्तुत का प्राधान्य विवक्षित होगा तो अलङ्कार का ध्वनि में अन्तर्भाव हो जायगा अन्यथा अप्रस्तुत अभिधीयमान का प्राधान्य विवक्षित होने पर अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्कार होगा । इसी भाव जो मन में रख कर ग्रन्थकार ने प्रकृत सदर्थ लिखा है ।

भामहकृत अप्रस्तुत प्रशसा का लक्षण तथा उसके उदाहरणादि निम्न प्रकार हैं. —

अधिकारादपेतम्य वस्तुनाऽन्यस्य या स्तुति ।

अप्रस्तुत प्रशसा सा त्रिविधा परिकीर्तिता ॥ भामह ३, २६

अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष के आक्षेप का उदाहरण —

अहो ससारनेषु स्य, अहो दौरात्म्यमापदाम् ।

अहो निसर्गजिह्वस्य दुरन्ता गतयो विधे ॥

यहा सर्वत्र देव का ही प्राधान्य है इस अप्रस्तुत सामान्य से कृष्णी प्रस्तुत वस्तु के विनाश रूप विशेष का आक्षेप होता है । परन्तु यहा वाच्य सामान्य, और प्रतीयमान विशेष दोनों का समप्राधान्य है अतः ध्वनिविरयत्न नहीं है ।

अप्राकरणिक विशेष से प्राकरणिक सामान्य के आक्षेप का उदाहरण निम्न है. —

एतत् तस्य मुखान् कियत् कमलिनीरने कण्ठ परिणो,

यन्मुक्तामणिरित्यमस्त स जट. अरण्यदस्मादपि ।

अगुल्यप्रलुक्रियाप्रचलियि यादीयमाने शने,

कुत्रोद्गीय गतो ममेत्यनुदिन निद्राति नान्. शुचा ॥

उस मूर्ते ने कमलिनी के पत्र पर पड़े पानी के कण को मुक्तामणि समझ

लिया यह उसके लिए कौन बड़ी बात है। इससे भी आगे की बात सुनो। वह जब अपनी उस मुकामणि को धीरे से उठाने लगा तो अगुली के अग्रभाग की क्रिया से ही उसके ऊर्ध्व विलुप्त हो जाने पर, न जाने मेरा मुक्ता मणि उड़ कर कहा चला गया इस सोच में उसको नाद नहीं आती है। यह श्लोक का भाव है। यहां जल बिन्दु में मुकामणित्त समावन रूप अप्रस्तुत विशेष से मूलों की अस्थान में ममत्त्व समावना रूप प्रस्तुत सामान्य का बोध होता है। यहां वाच्य और व्यङ्ग्य का सम प्राधान्य होने से ध्वनि की समावना नही है। इसी प्रकार निमित्त-निमित्तिभाव में भी समझना चाहिए। उसके उदाहरण यहां नहीं देंगे।

सादृश्यमूलरु अप्रस्तुत प्रशसा में जहां वर्णित अप्रस्तुत से आक्षिप्यमाण प्रस्तुत अधिक चमत्कारकारी होता है वहां वस्तु ध्वनि समझना चाहिए। उसे अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्कार का उदाहरण नही समझना चाहिए। अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्कार वहीं बनेगा जहां व्यङ्ग्य इस अभिधीयमान से अधिक चमत्कारी न हो। जैसे निम्न श्लोक में प्रतीयमान त अभिधीयमान अप्रस्तुत की अपेक्षा अधिक चमत्कारी है इसलिए वह वस्तुध्वनि का उदाहरण है अलङ्कार का नहीं।—

भाववात हठाञ्जनस्य हृदयान्याक्रम्य यन्तर्तयन्,
 भङ्गीभिविधाभिरात्महृदय प्रच्छाद्य सत्रीडसे।
 स त्वासाह जड ततः सहृदयम्मन्यत् दुःशिक्षितो,
 मन्येऽमुष्य जडात्मता स्तुतिपद, त्वत्साम्यसभावनात् ॥

हे भागवान्-अर्थात् पदार्थ समूह ! समग्र विश्व सौन्दर्य के आकर इस प्राकृतिक जगत् के चन्द्रमा आदि पदार्थ समूह ! तुम विविध प्रकारों से अपने आन्तरिक रहस्य को छिपा कर और लोगों के हृदयों को हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर, स्वेच्छापूर्वक नचाते हुए जो प्रीड़ा करते हो, उसी से सहृदयम्मन्यत्व की भावना से दुःशिक्षित अपने सहृदय होने का मिथ्याभिमान करने वाले लोग तुमको जड़ कहते हैं। अतः वह स्वयं जड़, मूर्ख है। परन्तु उनको जड़ कहना भी तुम्हारी समानता का संवादक होने से उनके लिए स्तुति रूप ही है यह प्रतीत होता है।

यह इस श्लोक का भाव है। परन्तु इससे किमी महापुरुष का अप्रस्तुत चरित प्रतीयमान है जो अत्यन्त विद्वान् और गुणवान् होते हुए भी साधारण लोगों के बीच अपने पाण्डित्य आदि को प्रकाशित नहीं करता इस कारण लोग उसे मूर्ख कहते हैं। यहां जो लोकोत्तर चरित प्रतीयमान है वही प्रधान है। यहां अप्रस्तुत

अप्रस्तुतप्रशसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्त-
निमित्तिभावाद्वाभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेना-
भिसम्बन्धस्तदा^१ अभिधीयमानप्रतीयमानयो सममेव प्राधान्यम् । यदा
तावत् सामान्यस्याप्रस्तुतस्य अभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण
प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेषप्रतीतो सत्यामपि प्राधान्येन^२ तत्सामा-
न्येनाविनाभावात् सामान्यस्यापि प्राधान्यम् । यदापि विशेषस्य
सामान्यनिष्ठस्य तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये, सामान्ये सर्वविशेषाणामन्त-
र्भावाद् विशेषस्यापि प्राधान्यम् । निमित्तनिमित्तिभावे^३ चायमेव न्यायः ।
यदा तु सारूप्यमात्रवशेनाप्रस्तुतप्रशसायामप्रकृतप्रकृतयो सम्बन्ध-
स्तदाप्यप्रस्तुतस्य सरूपस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षाया ध्वना
वेवान्तपातः । इतरथा त्वलकारान्तरमेव ।

से प्रस्तुत की प्रतीति होने पर अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्कार नहा अभितु वस्तु ध्वनि
है । लोचनकार ने भावनात वाला यह जो श्लोक उदाहरण रूप में यहा प्रस्तुत किया
है वह कुछ कठिन होगया है । वस्तुत सभी अन्योक्तिया इसका उदाहरण हो
सकती हैं ।

इस प्रकार अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्कार में व्यङ्ग्य प्रतीति रहते हुए सामान्य
विशेषभाव मूलक और वाय कारणभाव मूलक चार भेदों में आभिधीयमान और
प्रतीयमान दोनों का सम प्राधान्य होने से ध्वनि का अवसर नहा और पाचवें सादृश्य
मूलक भेद में जहा प्रतीयमान का प्राधान्य है उस अन्योक्ति रूप भेद में अप्रस्तुत
प्रशसा अलङ्कार ही नहा अभित वस्तु ध्वनि है । इसलिये ध्वनि का अतभाव
अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्कार में भी नहा हो सकता । यहा प्रस्तुत सन्दर्भ का अभि-
प्राय है । शब्दानुवाद इस प्रकार होगा —

अप्रस्तुत प्रशसा में भी जब सामान्य विशेषभाव स अभिधीयमान निमित्त निमित्त
भाव से, अभिधीयमान अप्रस्तुत का प्रतीयमान प्रस्तुत के साथ सम्बन्ध हाता है
तब अभिधीयमान और प्रतीयमान दोनों का समान ही प्राधान्य होता है । जब
कि अभिधीयमान अप्रस्तुत सामान्य का प्रतीयमान प्रस्तुत विशेष स सम्बन्ध

१ 'अभिधीयमानस्य अप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्धस्तदा'
इतना पाठ नि० में नहीं है । २ तस्य नि० दो० । ३ वायकारणभावे टी० ।

तदयमत्र संक्षेप ।

व्यङ्ग्यस्य यत्राप्रधान्य वान्यमात्रानुयायिन ।
समासाक्त्यादयस्तत्र वाच्यालकृतय स्फुटा ॥
व्यङ्ग्यस्य प्रतिभामात्र वाच्यार्थानुगमेऽपि वा ।
न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्य न प्रतीयते ॥
तत्परावव शङ्कार्थो यत्र व्यङ्ग्य प्रति स्थितौ ।
ध्वने न एव त्रिपयो मन्तव्य सङ्कराञ्जित ॥

तस्मान्न ध्वनरन्तभात्र ।

होता है तब प्रधानत विशेष की प्रतीति होने पर भी ['निर्दिशप न सामान्यम् इस नियम के अनुसार] उसका सामान्य स अत्रिनाभाव होने के कारण सामान्य का भी प्राधान्य होता है । और जब विशेष सामान्यनिष्ठ होता है [अर्थात् जब अभिधीयमान अस्तुत विशेष से प्रतीयमान अस्तुत सामान्य का आक्षेप होता है] तब भी सामान्य के प्राधान्य होने पर सामान्य म ही समस्त विशेषा का अन्तर्भाव होने स विशेष का भी प्राधान्य होता है । निमित्त निमित्तिभात्र म भी यही नियम लागू होता है । जब स्पष्टश्यमान मूलक अस्तुत प्रशसा में अस्तुत और प्रकृत का सम्बन्ध होता है तब भी अभिधीयमान अस्तुत तुल्य पदाय का प्राधान्य अत्रिचित्त होने की दशा में [वस्तु] ध्वनि म अन्तर्भाव हो जाएगा । [वहा अस्तुत प्रशसा अलङ्कार नहीं होगा] अन्यथा ही अलङ्कार होगा ।

'इतरथा त्रलङ्कारान्तरम्' इस मूल में एवमार भिन्न क्रम है और इतरथा के उाद उनका अन्वय करना चाहिए । इतरथैत्र अलङ्कारान्तरम् ।

इस सवना साराश यह है कि —

वहा वाच्य का अनुगमन करन वाल व्यङ्ग्य का अप्राधान्य है वहा समासानि आदि वाच्य अलङ्कार स्पष्ट है ।

वहा व्यङ्ग्य की केवल प्रतीतिमात्र हाती है अथवा वह वाच्य का अनुगामा पुच्छभूत है अथवा वहा उसका स्पष्ट प्राधान्य नहीं है वहा ध्वनि नहीं है ।

१ य तीना कारिकाए नहीं सम्ह या परिष्कर श्लोक ह । इसी से इन पर युक्ति भी नहीं ह । नि० सा० तथा दो० म इन पर १४, १५ १६ कारिका सख्या डाल दो ह जो उचित नहीं ह ।

इतश्च नान्तर्भाव । यत काव्यप्रियोऽङ्गी ध्वनिरिति कथित ।
तस्य पुनरङ्गानि, अलङ्कारा गुणा वृत्तयश्चेति प्रतिपादयिष्यन्ते । न चात्रयत्र
एव पृथग्भूतोऽत्रयतीति प्राप्तद्ध । अत्रयभावे तु तद्भङ्ग्य तस्य । न तु
तत्त्वमेव । यत्रापि तत्र तत्रापि ध्वनेर्महावपयत्वान्न तन्निष्ठत्वमेव ।

सूरिभि कथित इति विद्वदुपज्ञेयमुक्ति, न तु यत्राक्यञ्चित्
प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते । प्रथमे हि विद्वत्सो वैयाकरणा, व्याकरणमूलत्वात्
सर्वविद्यानाम् । ते च श्रयमाणेषु त्रयेषु ध्वनिरिति व्यग्रहरन्ते ।
तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभि सूरिभि काव्यनन्तरार्थदर्शिभेर्वाच्यमाचक

जहा शब्द और अर्थ व्यङ्ग्य बोधन के लिए ही त पर है उसी को सङ्ग
रहित ध्वनि का नियम समझना चाहिए ।

इसलिये ध्वनि का [अन्त अलङ्कारादि में] अन्तभाव नहीं हो सकता ।

इस कारण भी [ध्वनि का अन्यत्र अलङ्कारादि में] अन्तभाव नहीं हो
सकता कि अङ्गीभूत [व्यङ्ग्य प्रयान] काव्यप्रियो को 'ध्वनि' कहा है । अलङ्कार
गुण, और वृत्तिया उसके अङ्ग हैं यह आगे प्रतिपादिन किया जायेगा । और
[पृथग्भूत] अलग अलग अवयव ही अत्रयवो नहीं कहे जाते । अत्रयभूत
[मिलकर समुदाय] रूप में [भी] वह [अवयव रूप अलङ्कारादि] उस
[ध्वनि] के अङ्ग ही हैं न कि अङ्गी [ध्वनि] है । नहा कहीं [जैसे
पर्यायोक्त के 'भ्रम धामिक' सद्य उदाहरणों में अथवा सङ्ग के — 'भरति न
गुणानुराग' सद्य उदाहरणों में] व्यङ्ग्य का अङ्गि व [या ध्वनि'] होता
भी है वहा भी ध्वनि के महाविषय [अत्रिरुदेशवृत्ति, अर्थात् उन उदाहरणों
से भिन्न स्थलों पर भी विद्यमान] होने से [ध्वनि] अलङ्कारादि में
अन्तभूत नहीं होता ।

'सूरिभि कथित' [कारिका सं० १३ के इस वचन से] से यह [ध्वनि
प्रतिपादनपरक] उक्ति [ध्वनिवाद] विद्वन्मतमूलक है यों ही [अग्रामाणिक
स्वकल्पित रूप से] प्रचलित नहीं हो गयी है यह सूचित किया है ।

['विद्वद्भ्य उपज्ञा, प्रथम उपज्जो ज्ञान या यस्या उच्यते सा' इस प्रकार
बहुव्रीहि समास ही करने से तत्पुरुषसमासात् 'उपज्ञोपक्रम तदाग्राचिल्लासायाम्
अप्या० २, ४, २१' सूत्र से नपु सकत्व का अवकाश नहीं रहता । अत्रयथा
तत्पुरुष समास करने पर तो 'विद्वदुपज्ञा' यह स्त्रीलिंग प्रयोग न होकर 'विद्वदुपज्ञ'
यह नपु सकलिंग प्रयोग ही होगा । अत यदा बहुव्रीहि समास ही करना चाहिए ।

संमिश्र-शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जरूपसाम्याद् ध्वनिरित्युक्तः । नचैवंविधस्य ध्वनेर्वक्ष्यमाणप्रभेदतद्भेदसङ्कलनया महाविषयस्य यत् प्रकाशनं तदप्रसिद्धालङ्कारविशेषमात्रप्रतिपादनेन तुल्यमिति तद्भावितचेतसां युक्त एव संरम्भः । नच तेषु कथञ्चिदोर्ध्वाकल्पितशेषुपीरूपमाविष्करणीयम् । तदेवं २ ध्वनेरभाववादिनः प्रत्युक्ताः ।

प्रथम [सबसे मुख्य] विद्वान् वैयाकरण हैं । क्योंकि व्याकरण सब विद्याओं का मूल है । वे [वैयाकरण] सुनाई देने वाले वर्णों को ध्वनि कहते हैं । उन्हीं प्रकार उनके मत को मानने वाले, काव्य तत्त्वार्थदर्शी अन्य विद्वानों ने भी वाच्य, वाचक, [संमिश्रयते त्रिभाषानुभाससंयोजनयेति संमिश्रः व्यङ्ग्यार्थ] व्यङ्ग्यार्थ, [शब्दं शब्दः तदात्मा व्यञ्जनरूपः शब्दव्यापारः] व्यञ्जना व्यापार, और काव्य पद से व्यवहार्य [अर्थात् काव्य, इन पाँचों] को ध्वनि कहा है । ['ध्वनतीति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से वाचकशब्द और वाच्यार्थ को, 'ध्वन्यते इति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति से व्यङ्ग्यार्थ को, ध्वननं ध्वनिः इस व्युत्पत्ति से व्यञ्जना व्यापार को और 'ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः' इस व्युत्पत्ति से पूर्वोक्त ध्वनि चतुष्टय युक्त काव्य को ध्वनि कहते हैं । यह व्याख्या लोचनरार के अनुसार है ।] इस प्रकार के और आगे कहे जाने वाले भेद प्रभेद के सङ्कलन से अथपन्त व्यापक [महाविषय] ध्वनि का जो प्रतिपादन है वह केवल अप्रसिद्ध अलङ्कार विशेषों के प्रतिपादन के समान [नगण्य] नहीं है इस लिए उसके समर्थकों का उत्साहातिरेक उचित ही है । उनके प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या कल्पित वृत्ति प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार ध्वनि के अभाववादियों [१ 'तदलङ्कारादिव्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामिति' २ 'तस्मिन्मानः पातितः सद्द्वयान् काञ्चि परिरुह्य त्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्यव्यपदेशः परिरतितोऽपि सकलविद्वन्मनोप्राहितामरणम्यते' इत्यादि, और ३ तेषामन्यतमस्वैव वापूर्वसमार्यामात्र करणे यत्किञ्चन कथनं स्यात् इत्यादि तीनों पक्षों] का निराकरण हो गया ।

प्रथम विद्वान् वैयाकरण श्रयमाण वर्णों को ध्वनि कहते हैं इसलिए उनके अनुयायी आलङ्कारिकों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया । यहा वैयाकरणों के साथ जो आलङ्कारिकों का सिद्धान्त साम्य प्रदर्शित किया है उसके स्पष्ट रूप से समझने के लिए वैयाकरणों के 'स्नेहवाद' और उसके साथ शब्द तथा उसके अर्थ बोध

की सारी प्रक्रिया का समझना आवश्यक है। इसलिए सन्तुप में उसका उल्लेख यहाँ कर रहे हैं।

शब्द जिसको हम कानों से सुनते हैं उसके तीन कारण वैशेषिक दर्शन में माने गए हैं। १ सयोग, २ विभाग और ३ शब्द। शब्द का आश्रय आकाश है। उसका ग्रहण श्रोत्रेन्द्रिय से होता है और सयोग, विभाग अथवा शब्द इनमें से किसी एक से उसकी उत्पत्ति होती है। घटा या भेरी के बजाने से जो शब्द पैदा होता है वह सयोगज शब्द है। उसकी उत्पत्ति घटा और मुगरी अथवा भेरी और दरड के सयोग से होती है। बास या कागज़ आदि के फाड़ने से जो शब्द उत्पन्न होता है वह विभागज शब्द है, वशा के दलद्वय या कागज़ के दोनों खण्डों के विभाग से उसकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रारम्भिक प्रथम शब्द की उत्पत्ति तो सयोग या विभाग इन दो ही कारणों से होती है। परन्तु वह प्रारम्भिक शब्द हमको सुनाई नहीं देता। घण्टा विद्यालय में बजता है, हम आश्रम में बैठे हैं। इस देश भेद के कारण उस प्रथमोत्पन्न शब्दको हम साक्षात् नहीं सुनते हैं। उस शब्दसे वायु मण्डल में क्रमिक शब्द धारा उत्पन्न होते होते जो शब्द हमारे श्रोत्र देश में आकर उत्पन्न होता है वह शब्द हमको सुनाई देता है। आद्य शब्द या बीच के शब्द सुनाई नहीं देते। घण्टे का शब्द सुना यह प्रतीति सादृश्य के कारण होती है।

इस शब्द-धारा में प्रथम शब्द के बाद जितने भी शब्द उत्पन्न होते हैं वे सब शब्दज शब्द हैं। इस शब्द धारा की प्रगति के विषय में दो प्रकार के मत हैं एक 'बीचीतरङ्ग न्याय' और दूसरा 'कदम्ब-मुकुल न्याय' नाम से कहा जाता है। जिस प्रकार तालाब में एक ककड़ डाल देने से उसमें लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। प्रारम्भ में वह लहर एक बहुत छोटा सा गोलाकार चक्र बनाती है। जो बढ़ते-बढ़ते सारे तालाब में व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रथम शब्द से उसके उत्पत्ति स्थान के चारों ओर एक शब्द तरङ्ग का चक्र उत्पन्न होता है जो बढ़ते बढ़ते मुदूरवर्ती आकाश क्षेत्र तक व्यापक हो जाता है। और जहाँ जहाँ उस शब्द को, ग्रहण करने का उपकरण श्रोत्र-यत्र अथवा रेडियो आदि अन्य यन्त्र होता है वहाँ वह शब्द सुनाई देता है। यह 'बीची तरङ्ग न्याय' हुआ इसमें सब दिशाओं में उत्पन्न होने वाली शब्द धारा परस्पर सम्बद्ध और एक है।

दूसरा 'कदम्ब-मुकुल-न्याय' है। कदम्ब-मुकुल का अर्थ है कदम्ब की कली। इस कली के केन्द्र शीर्ष स्थानमें एक नन्दी सी कील जैसी खड़ी रहती है। फिर उस

केन्द्र बिन्दु के चारों ओर उसी प्रकार का अवयवों का एक वृत्त बन जाता है। इसी प्रकार यह वृत्त उड़ता हुआ सारे कदम्ब मुकुल में व्याप्त हो जाता है। यही शब्द की स्थिति है। इसको 'कदम्ब मुकुल न्याय' कहते हैं। इन दोनों न्यायों में अन्तर यह पड़ता है कि 'कीची तरङ्ग न्याय' के अनुसार सत्र दिशाओं में चलने वाली शब्द धारा एक है और 'कदम्ब मुकुल न्याय' में सत्र कीलों के प्रलग-अलग व्यक्तित्व के समान सत्र ओर उत्पन्न होने वाले शब्द अनेक हैं।

यह शब्द के सुनने की प्रक्रिया हुई। इस प्रक्रिया से जिस समय उस शब्द धारा का हमारे श्रोत्र से सम्बन्ध होता है उस समय हमको शब्द का ग्रहण होता है। फिर जब शब्द धारा आगे बढ़ जाती है तब हमको शब्द का सुनाई देना बन्द हो जाता है। इसी को शब्द को अनित्य मानने वाले नैयायिक आदि शब्द का नाश और नित्यतावादी वैयाकरण आदि तिरोभाव कहते हैं। इसलिए शब्द आशुतर विनाशी अथवा तिरोभावी है, क्षणिक है। ऐसी दशा में तीन चार वर्णों से मिल कर बने हुए घट पट इत्यादि शब्दों में प्रत्येक वर्ण सुनाई देने के बाद अगले क्षण में नष्ट या तिरोभूत हो जाने से सत्र का एक समुदाय रूप में इकट्ठा होना समभव नहीं है। इस लिए अनेक वर्णों के समुदाय रूप पद और अनेक पदों के समुदाय रूप वाक्य आदि का निर्माण भी नहीं हो सकता। फिर उनसे अर्थ बोध कैसे होगा, यह एक प्रश्न है। इसके समाधान के लिए प्राचीन शब्दशास्त्री वैयाकरणों ने 'स्फोटवाद' की कल्पना की है। 'स्फोट' शब्द का अर्थ है 'स्फुटति अर्थ यस्मात् स, स्फोटः' जिस से अर्थ प्रस्फुटित होता है, अर्थ की प्रतीति होती है उसको 'स्फोट' कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार अर्थ की प्रतीति सुनाई देने वाले वर्णों से नहीं होती। क्योंकि उनके अभिक और आशुतर विनाशी अथवा तिरोभावी होने से उनके समुदाय रूप पद ही नहीं बन सकते। इसलिए इन श्रूयमाण वर्णों से ही जिनको ध्वनि भी कहते हैं और नाद भी, पूर्व-पूर्व वर्णानुमज्जितसंस्कारइसकृत-चरमवर्ण श्रवण से सदसद् अर्थात् विद्यमान और पूर्व तिरोभूत समस्त वर्णों को ग्रहण करने वाला सदसदनेकवर्णावगाहिनी पदप्रतीति होती है। अर्थात् बुद्धि में समस्त वर्णों का समुदाय रूप एक नित्य शब्द अभिन्यक्त होता है। इसी को वैयाकरण 'स्फोट' कहते हैं। इसी से अर्थ की प्रतीति होती है। वैयाकरण जब शब्द को नित्य कहते हैं तब उसका अभिप्राय इसी 'स्फोट' रूप शब्द की नित्यता से होता है। इसी प्रकार अनेक पदों के समुदाय रूप 'वाक्य स्फोट' की अभि यक्ति पदों द्वारा होती है। वैयाकरणों ने १ वसुस्फोट, २ पदस्फोट, ३ वाक्यस्फोट, ४ अक्षरसमूहस्फोट, ५ अक्षरसमूह वाक्य स्फोट,

अस्ति ध्वनिः । स चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति
द्विविध सामान्येन । तत्राद्यस्योदाहरणम् —

सुवर्णपुष्पा पृथिवीं चिन्वन्ति पुम्पास्त्रय ।

शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम् ॥

६ वर्ण, ७ पद, ८ वाक्य गत तीन प्रकार के जाति स्फोट इस प्रकार आठ तरह के स्फोटों का वर्णन वैयाकरण-भूषण आदि ग्रन्थों में विस्तार पूर्वक किया है। उन सब का मूल महर्षि पतञ्जलि का महाभाष्य और भट्ट हरि का वाक्यपदीय ग्रन्थ है।

आलङ्कारिकों ने वैयाकरणों के ध्वनि शब्द का प्रयोग इस आधार पर लिया है कि वैयाकरण उन वर्णों को ध्वनि कहते हैं जो 'स्फोट' को अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात् 'ध्वनतीति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वैयाकरण 'स्फोट' के अभिव्यक्त वर्णों को ध्वनि कहते हैं इसी प्रकार ध्वनिवादियों ने 'ध्वनतीति ध्वनि' इस व्युत्पत्ति के आधार पर वाच्य वाचक से भिन्न व्यङ्ग्य अर्थ को बोधन करने वाले शब्द, अर्थ आदि के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। इसी बात का सङ्केत ऊपर ग्रन्थकार ने किया है और उसी के आधार पर काव्यप्रकाशकार ने, 'बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्ग्य यञ्जकस्य शब्दस्य धनिरिति व्यवहार कृत, ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य' लिखा है। इस प्रकार मुख्य रूप से १ शब्द २ अर्थ के लिए और फिर ३ व्यञ्जना व्यापार, ४ व्यङ्ग्य अर्थ, तथा ५ व्यङ्ग्य प्रधान काव्य के लिए ध्वनि शब्द का व्यवहार होने लगा। अत एव ध्वनिनाद स्वकल्पित महा अपितु पाणिनि पतञ्जलि सदृश मुनियों के मत के आधार पर आश्रित है।

[इसलिये] ध्वनि है। वह सामान्यतः अविवक्षित वाच्य [लक्षणा मूल] और विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधा मूल] भेद से दो प्रकार का होता है। उनमें से प्रथम [अविवक्षित वाच्य, लक्षणा मूल ध्वनि] का उदाहरण यह है —

सुवर्ण जिसका पुष्प है ऐसी पृथिवी का चयन [अर्थात् पृथिवी रूप लता के सुवर्ण रूप पुष्पों का चयन] तीन ही पुरप करते हैं। शूर, विद्वान् और जो सेवा करना जानता है।

१ च के बाद अस्ती नि० तथा दी० में अधिक है। २ सामान्येन द्विविध नि० दी० ।

द्वितीयस्यापि —

शिखरिणि क्व नु नाम क्रियञ्चिह, किमभिवानमसावकरोत्तप ।

सुमुखि येन तवाधरपाटल, दशति विम्वफल शुक्रशावक ॥१३॥

इस श्लोक की व्याख्या में लोचनकार ने 'सुवर्णानि पुष्पयतीति सुवर्णपुष्पा' यह व्याख्या की है। वह चिन्त्य है। इस विग्रह में कर्म सुवर्ण उपपद रहते नाम धातु से 'कर्मण्यण्' सूत्र से श्रण् प्रत्यय और उसके प्रभाव से 'गिन्दाणञ्' इत्यादि सत्र से डीप् होकर सुवर्णपुष्पी प्रयोग बनेगा सुवर्णपुष्पा नहीं। इस लिए उसका विग्रह 'सुवर्णमेव पुष्प यस्या सा सुवर्णपुष्पा' इस प्रकार करना चाहिए। हमने इसी विग्रह को मान कर अर्थ किया है। लोचन ग्रन्थ का अर्थप्रदर्शनात्मक मान मान कर न कि विग्रह मान कर कथञ्चित् उपपादन करना चाहिये।

यहा, न तो पृथिवी कोई लता है, न सुवर्ण पुष्प और न उसका चयन ही हो सकता है श्रुत 'सुवर्णपुष्पा पृथिवी का चयन' यह वाक्य यथाश्रुत रूप में अन्वित नहा हो सकता इसलिए मुख्यार्थ बाध होने से लक्षणा द्वारा त्रिपुल धन और उसके अनायासोभाजन से सुलभ समृद्धिसम्भारभाजनता को व्यक्त करता है। लक्षणा का प्रयोजन शूर कृतविद्य और सेवकी का प्राशस्त्य स्वपद से वाच्य न होकर गोप्यमान कामिनी बुचकलशवत् सौन्दर्यातिशय रूप स ध्वनित होता है। लक्षणा मूल होने से इसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। यहा यदि अभिहितान्वयवादियों की तात्पर्या शक्ति को भी माना जाय तो अभिधा, तात्पर्या, लक्षणा, व्यञ्जना च रों, अथवा तीनों वृत्तिया व्यापार करती हैं।

दूसरे [त्रिवर्चितान्तरपर वाच्य, अभिधामूल ध्वनि] का भी [उदाहरण निम्न है] —

हे सुमुखि ' इस शुक्र शावक ने किस पर्वत पर, कितने दिनों तक, कौन सा तप किया है जिसके कारण तुम्हारे अधर के समान रक्तवर्ण विम्व फल को प्राप्त [न का सौभाग्य पुरयातिशयलभ्य सौभाग्य प्राप्त कर] रहा है।

श्लोक में 'तवाधर पाटल' में 'तव' पद को असमस्त स्वतन्त्र पञ्चान्त पद के रूप में प्रयोग किया है। 'तवधरपाटल' ऐसा समस्त प्रयोग नहा। क्या है। इसे कुछ लोग केवल छन्द के अनुराध से किया हुआ प्रयोग मानते हैं। परन्तु वह वास्तव में ठीक नहीं है। यहा अधर के साथ स्वत् पदार्थ अर्थात् सम्बोधित की जाने वाली नायिका, का सम्बन्ध, प्राधान्येन रोधन करना अभीष्ट है। यदि 'तव' पद को समास में डाल दिया जाय तो वह अधर पदार्थ का विशेषणमात्र हो जने से

यदप्युक्तं भक्तिर्ध्वनिरिति, तत् प्रतिसमाधीयत—

प्रधान नहीं रहेगा। उस को असमस्त रखने का अभिप्राय यह है कि जैसे 'अरुण्या पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या गवा सोम क्रीणाति, इस वैदिक वाक्य में 'अरुण्या गवा' गौ के विशेषणीभूत अरुण्य का साध्यता सम्बन्ध से क्रय क्रिया में भी सम्बन्ध हो जाता है। अथवा 'धनवान् सुखी' इस लौकिक वाक्य में वान् इस मतुप् प्रत्ययार्थ में अन्वित धन शब्द का प्रयोज्यत्व सम्बन्ध से सुख के साथ भी अन्वय होकर अर्थबोध होता है। इसी प्रकार अधरान्वित स्वत् पदार्थ का प्रयोज्यत्व सम्बन्ध से विम्बफलकर्मक दर्शन के साथ भी अन्वय होकर तुम्हारे अधरारूपलाभ से गर्वित विम्ब फल को तुम्हारे सम्बन्ध से ही, मुख्यतः तुमको लक्ष्य में रख कर ही दर्शन कर रहा है। यह अर्थ विवक्षित है इसलिए 'तव' इस असमस्त पद का प्रयोग किया है। 'दशति' का अर्थ श्रौदरिक अर्थात् पेट्ट के समान रखा जाना नहा अपितु रसास्वाद 'करना है। शुक शावक की उचित तादृश्यकाल पर उसकी प्राप्ति और रसज्ञता यह सब पुण्यातिशय लभ्य है यह अर्थ और इस के साथ अनुरागी का स्वाभिप्राय स्थापन व्यङ्ग्य है।

यहा अभिधा, तात्पर्या और व्यचना इन तीन वृत्तियों के ही व्यापार होते हैं। बीच में मुख्यार्थ बाध न होने से लक्षणा की आनश्यकता नहीं होती। अथवा इस आकस्मिक प्रश्न की असङ्गति मान कर यदि लक्षणा का भी उपयोग किया जाय तो फिर यहा भी पूर्ण श्लोक के समान चार व्यापार हो जावगे। फिर भी इस को पूर्व लक्षणा मूलक अतिवक्षित वाच्य ध्वनि से भिन्न इस आधार पर किया जायगा कि पूर्व उदाहरण में केवल लक्षणा ही ध्वनन व्यापार में प्रधान सहकारिणी थी और यहा वाक्यार्थ सौन्दर्य से ही व्यङ्ग्य की प्रतीति होने से अभिधा और तात्पर्या शब्द मुख्य सहकारिणी हैं। लक्षणा का तो नाम मात्र का उपयोग होता है।

ऊपर 'ध्वनेस्तावदभाववादिन प्रत्युक्ता' लिखा था। ध्वनि के अभाववादियों के खण्डन के बाद 'भावमाहुस्तमन्ये' इस सिद्धान्त का खण्डन करना चाहिए था। उसको न करके ग्रन्थकार ध्वनि के अतिवक्षित वाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य भेद प्रतिपादन करने में लग गए। इसका कारण यह है कि इन उदाहरणों के आधार पर भक्तिवाद और अलक्षणीयतावाद का खण्डन सुकर होगा। अतः इन उदाहरणों के बाद उन दोनों मतों का खण्डन करेंगे ॥१३॥

[अत्र दूसरे 'भावमाहुस्तमन्ये' इस पद का खण्डन प्रारम्भ करते हैं]

जो यह कहा था कि भक्ति ध्वनि है उसका समाधान करत है .—

भक्त्या विभक्तिं नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः ।

अयमुक्तप्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्व विभक्ति, भिन्नरूपत्वात् । वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्या तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र व्यङ्ग्यप्राधान्ये स ध्वनिः । उपचारमात्रन्तु भक्तिः ।

यह उक्त [शब्द, अर्थ, व्यङ्गना व्यापार, व्यङ्ग्य अर्थ और उन सबका समुदाय रूप काव्य यह पाचों भेद वाला] ध्वनि, [भक्ति या लक्षणा से] भिन्न रूप होने के कारण भक्ति [लक्षणा] के साथ अभेद [एकत्व] को प्राप्त नहीं हो सकता है ।

यह उक्त प्रकार का [पञ्चविध] ध्वनि भिन्न रूप होने के कारण भक्ति [लक्षणा] से अभिन्न नहीं हो सकता । वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ को वाच्य-वाचक द्वारा तात्पर्य रूप से व्यङ्ग्य का प्राधान्य होते हुए जहाँ प्रकाशित किया जाता है उसको ध्वनि कहते हैं । और भक्ति तो केवल उपचार का नाम है ।

‘भाक्त्वाद’ के तीन विकल्प करके उसका खण्डन करेंगे । उनमें १-वहिला विकल्प यह है कि जब पूर्वपक्षी भक्ति को ध्वनि कहता है तो क्या भक्ति और ध्वनि शब्द, को घण, कलश आदि के समान पर्याय रूप मान कर दोनों का अभेद प्रतिपादन करना चाहता है । २-दूसरा विकल्प यह है कि क्या वह भक्ति का ध्वनि का लक्षण कहना चाहता है । ३ अथवा ‘भाक्त्वाद् देवदत्तस्य गृहम्’ के समान भक्ति को ध्वनि का उपलक्षण मानता है । यह तीसरा विकल्प है । इतरव्यावर्तक अर्थात् अन्य समानजातीय और असमानजातीय पदार्थों से भेद कराने वाले असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं । जैसे गन्धवत्त्व पृथिवी का लक्षण है । ‘गन्धवती पृथिवी ।’ यह गन्धवत्त्व धर्म पृथिवी में रहता है परन्तु उसको छोड़ कर उसके समानजातीय या असमानजातीय और किसी भी पदार्थ में नश रहता है इसलिए वह पृथिवी का लक्षण होता है । पृथिवी द्रव्य है । उसके समानजातीय अप्, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये आठ द्रव्य और नमें पृथिवी, इस प्रकार कुल नौ द्रव्य वैशेषिक दर्शन में माने गए हैं । उनमें पृथिवी को छोड़कर और किसी में गन्धवत्त्व नहीं रहता । [जल या वायु में जो सुगन्ध, दुर्गन्ध प्रतीत होता है वह पार्थिव परमाणुओं के समूह से ही होता है] इसी प्रकार पृथिवी के असमानजातीय गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समयाय आदि पदार्थ वैशेषिक ने माने हैं उनमें भी गन्ध नहीं रहती इसलिए

गन्धर्व पृथिवी को समानजातीय और असमानजातीय पदार्थों से भिन्न करने वाला पृथिवी का असाधारण धर्म होता है। इसी को लक्षण कहते हैं। 'लक्षणत्वसाधारणधर्मरचनम्।' समानसमानजातीय से भेद करना ही लक्षण का प्रयोजन है। 'समानसमानजातीय व्यवच्छेदो हि लक्षणार्थः।'

विशेषण वर्तमान व्यावर्तक धर्म होता है और अवर्तमान व्यावर्तक धर्म को 'उपलक्षण' कहते हैं। जैसे 'काकवद् देवदत्तस्य गृहम्' यहाँ काकवत्त्व देवदत्त के गृह का लक्षण या विशेषण नहीं अपितु 'उपलक्षण' है। इसका अभिप्राय यो समझना चाहिये कि कभी दो आदमी साथ-साथ वहीं गए। एक मकान पर उन्होंने बहुत कौए से बैठे देखे जिसके कारण उन दोनों का ध्यान उस ओर गया। वह अपने घर चले आए। पीछे किसी दिन उनमें से एक आदमी को देवदत्त के घर का परिचय देने की आवश्यकता पड़ी। उस समय यह वाक्य प्रयुक्त किया गया है। उसका अभिप्राय यह है कि जिस घर पर कौए बैठे थे वही देवदत्त का घर है। यहाँ जिस समय यह वाक्य देवदत्त के घर का परिचय करा रहा है उस समय उस पर कौए न बैठे होने पर भी यह काकवद् पद देवदत्त के गृह का अन्य गृहों से विभेद बोध कराता है। इस प्रकार वर्तमान व्यावर्तक धर्म को विशेषण तथा अवर्तमान व्यावर्तक को 'उपलक्षण' कहते हैं। यही विशेषण और उपलक्षण का भेद है।

ध्वनि को भाव मानने वाले पक्ष के तीन विकल्प करके उनका रण्डन किया गया है। इनमें से पहिले भक्ति और ध्वनि का अभेद मानने वाले विकल्प का रण्डन तो 'भक्त्या विभक्तिर्नैकत्व' इत्यादि कारिका के पूर्वार्द्ध से हो गया और दूसरे लक्षणवादी विकल्प का रण्डन कारिका के उत्तरार्द्ध से मुख्यतः, और आगे की कारिकाओं में भी किया है। तीसरे 'उपलक्षण' पक्ष के विषय में आगे १६ वीं कारिका में कहेंगे।

'उपचारमात्र भक्तेः' में उपचार शब्द का अर्थ गौण प्रयोग है। जो शब्द जिस अर्थ में सङ्केतित है उस अर्थ को छोड़ कर उसके समस्त अन्य अर्थ को बोधन करना उपचार कहता है। और व्यङ्ग्य का जहाँ प्राधान्य होता है उसे ध्वनि कहते हैं इस रूपभेद के कारण ध्वनि और भक्ति अभिन्न नहीं हो सकते। यह प्रथम विकल्प का रण्डन हुआ।

२-यह भक्ति ध्वनि का लक्षण भी नहीं हो सकती है, यह कहते हैं —

१मा चैतत् स्याद् भक्तिर्लक्षणं ध्वनेरित्याह :—

अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेन चासौ लक्ष्यते तथा ॥१४॥

१नैव भक्त्या ध्वनिर्लक्ष्यते । कथम् ? अतिव्याप्तेरव्याप्तेश्च । तत्राति-
व्याप्तिर्ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये भक्तेः संभवात् । यत्र हि ३व्यङ्ग्य-
कृत महत् सौष्ठव नास्ति तत्राप्युपचरितशब्दवृत्त्या प्रसिद्धचतुरोध-
प्रवर्तितव्यवहाराः कवयो दृश्यन्ते । यथा—

परिस्नानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयतः,
तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् ।
इदं व्यस्तन्यासं ४ श्लथभुजलताक्षेपवलनैः,
वृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम् ॥

अतिव्याप्ति और अव्याप्ति के कारण ध्वनि भक्ति से ललित भी नहीं हो
सकता ।

भक्ति ध्वनि का लक्षण भी नहीं हो सकती है । क्यों ? अतिव्याप्ति
और अव्याप्ति के कारण । उसमें अतिव्याप्ति इसलिए है कि ध्वनि से भिन्न
विषय में भी भक्ति [लक्षणा] हो सकती है । जहा व्यङ्ग्य के कारण विशेष सौन्दर्य
नहीं होता वहा भी कवि, प्रसिद्धिवश उपचार या गौणी शब्द वृत्ति से व्यवहार
करते हुए देखे जाते है । जैसे—

यह श्लोक रत्नावली नाटिका में सागरिका के मदनशय्या को छोड़ कर
लताकुञ्ज से चले जाने के बाद राजा और विदूषक के उस कुञ्ज में प्रवेश करने
पर उस मदनशय्या की अवस्था को देख कर विदूषक के प्रति राजा की उक्ति
है । उसमें राजा शय्या का वर्णन करता है ।

कमलिनी पत्रों का यह शयन [सागरिका] के पीनस्तन और जघन के संसर्ग
से दोनों ओर मलिन हो गया है और शरीर के बीच के [कमर] भाग का पत्रों से
स्पर्श न होने के कारण [शय्या का] वह भाग हरा है । शिथिल भुजाओं के इधर
उधर फँकने के कारण इसकी रचना अस्तव्यस्त हो गई है । इस प्रकार यह
कमलिनी पत्र की शय्या वृशाङ्गी [सागरिका] के सन्ताप को कहती है ।

१ तत्रैत् । नि० च नि० दी० । ३ १५३७क।दकृत नि० ।

४ प्रक्षिपितभुजाक्षेपवलनं नि० ।

तथा :—

चुम्बिञ्जइ सञ्जहुत्तं अवरुन्धिञ्जइ सहस्रहुन्तम्भि ।
 विरमिञ्च पुणो रमिञ्जइ पिञ्चो जणो खत्थि पुनरुत्तम् ॥
 [चुम्बयतं शनकृत्योऽवरुभ्यते सहस्रकृतः ।
 विरम्य पुना रम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुत्तम् ॥ इतिच्छाया]

तथा :—

कुविआओ पसन्नाओ श्रोरण्यमुहीओ विहम्ममाणओ ।
 जह गहिओ तह दिअअं हरन्ति उच्छिन्त महिलाओ ॥
 [कुपिता. प्रसन्ना अवरुदितमुख्यो' विहसन्त्यः ।
 यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वैरिण्यो महिलाः ॥ इतिच्छाया]

यहा 'वदति' का अर्थ प्रकट करना है, यह बात स्पष्ट है । इस अगूढ़ बात को यदि 'वदति' पद से लक्षणा से कहने के बजाय 'प्रकटयति' पद से अभिधा द्वारा प्रकाशित किया जाता तो भी कोई अचास्त्व नहीं होता । और अब लक्षणा द्वारा कहने से उसमें कोई अधिक चास्त्व नहीं हो गया । इस प्रकार यहा व्यङ्ग्य-प्राधान्य रूप ध्वनि के न होने पर भी 'वदति' पद में लक्षणा रूप भक्ति वा आश्रय लिया गया है अतएव भक्ति के अतिव्याप्त होने से वह ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार—

प्रिय जन को सैकड़ों बार चुम्बन करते हैं, हजारों बार आलिङ्गन करते हैं। रक-रक कर बार-बार रमण किया जाता है फिर भी पुनरुक्त नहीं प्रतीत होता ।

यहा पुनरुक्त अर्थ तो असभ्य है इसलिए पुनरुक्त पद से अनुपादेयता लक्षित होती है । यहा भी व्यङ्ग्य-प्राधान्य रूप ध्वनि न होने पर भी पुनरुक्त पद से लक्षणा द्वारा अनुपादेयता अर्थ लक्षित होने से अति-याप्ति के कारण भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार :—

स्वैरिणी स्त्रियां नाराज या प्रसन्न, हंसती हुई या रोती हुई, जैसे भी देखो [सभी रूप में] वह मन को हरण कर लेती है ।

तथा :—

अज्जाए पहारो एवलदाए दिण्णो पिण्ण थण्वट्टे ।

मिउओ वि दूसहो जाओ हिअए सवत्तीणम् ॥

['आर्यायाः प्रहारो नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे ।

मृदुकोऽपि दुस्सह इव जातो हृदये सपत्नीनाम् ॥ इतिच्छाया]

तथा :—

परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो,

यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः ।

न संप्राप्तो वृद्धिं यदि स भृशमक्षेत्रपतितः,

किमिच्छोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणायाम् मरुभुवः ।

अत्रेलुपक्षेऽनुभवतिशब्दः ।

न चैवंविधः कदाचिदपि ध्वनेर्विषयः^२ ॥१४॥

यहा गृहीता पद से उपादेयता और हरण पद से उनकी आधीनता लक्षण द्वारा बोधित होती है । परन्तु ध्वनि का अवसर न होने से यहां भी अतिव्याप्ति है । अतः भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती है

इसी प्रकार—

नई नरैली होने से कनिष्ठा भार्या के स्तनों पर दिया हुआ प्रिय [नायक] का मृदु प्रहार भी सपत्नियों के हृदय के लिए दुःसह हो गया ।

यहां 'दत्तः' पद में लक्षणा है । 'दत्तः' प्रयोग 'दुदान् दाने' धातु से बना है । दान का लक्षण 'शस्वत्प्रतिवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वोत्पादनं दानम्' अर्थात् किसी वस्तु पर से अपने अधिकार को हटा कर दूसरे का अधिकार स्थापित कर देना होता है । यह दान का अर्थ यहां असङ्गत होने से प्रतिफलित रूप अर्थ को लक्षणा बोधित करता है । यहां भी ध्वनि के अभाव में भी लक्षणा होने से अतिव्याप्ति है । अतः भक्ति [लक्षणा] ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती है ।

इसी प्रकार :—

जो [सज्जन पक्ष में] दूसरों के लिए पीड़ा सहन करता है, [दृष्ट पक्ष में बोझ में पेशा जाता है] जो [सज्जन पक्ष में] अपमानित होने पर भी [दुःख पक्ष में] तोड़ा जाने पर भी] मरुप रहता है, जिसका विकार [सज्जन पक्ष में]

१ भाष्यंशा वात्प्रियः, कनिष्ठ भार्याया बोधिनि० । २ ध्वनेर्विषयोऽभिमतः नि० ।

यतः—

उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत् तच्चारुत्वं प्रकाशयन् ।

शब्दो व्यञ्जकतां विभ्रद् ध्वन्युक्तेरिषयीभवेत् ॥ १५ ॥

अत्र चोदाहृते विषये नोक्त्यन्तराशक्यत्वात्तत्रव्यक्तिवहेतुः
शब्दः ॥१५॥

किञ्च—

रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि ।

लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥ १६ ॥

क्रोधादि, इत्तु पद में उससे बनी गुड़ शक्कर आदि] भी सवको अच्छा लगना है वह यदि किसी अनुचित स्थान [इत्तु पद में ऊसर खेत] में पड़ कर वृद्धि [पद समृद्धि या उन्नति को इत्तु पद में आकार वृद्धि को] प्राप्त नहीं होता है तो क्या वह इत्तु [ईत्त, गत्ता] का दोष है उस निगुण भूमि [म्वासो, इत्तु पद में खेत] का दोष नहीं है ।

[यहा इत्तु पद में 'अनुभवति' पद का मुख्यार्थ असङ्गत होने से लक्षणा द्वारा पीड्यमानत्व का बोध करता है । परन्तु व्यङ्ग्य का प्राधान्य न होने से ध्वनि नहीं है और ध्वनि के अभाव में भी भक्ति [लक्षणा] है इसलिए साध्याभाव-वद्वृत्तित्व रूप अतिन्याप्ति होने से भक्ति ध्वनि वा लक्षणा नहीं हो सकती ।

यहां इत्तु पद में 'अनुभवति' शब्द [भावत] है । परन्तु ऐसा कभी भी ध्वनि का विषय नहीं होता ॥१४॥

क्योकि—

उक्त्यन्तर से जो धार्य प्रकाशित नहीं किया जा सफना उसको प्रकाशित करने वाला व्यञ्जना व्यापार युक्त शब्द ही ध्वनि कहलाने का अधिकारी हो सकता है ।

और यहां ऊपर उद्धृत उदाहरणों में जोई शब्द उक्त्यन्तर से अशक्य धार्य को प्रकाशित करने का हेतु नहीं है [इसलिए ध्वनि का विषय नहीं है] ॥१५॥

और भी—

जो लावण्य आदि शब्द अपने विषय [लक्षणयुक्तव] से भिन्न [सौन्दर्यादि] अर्थ में रूढ [प्रसिद्ध] हैं, वे भी प्रयुक्त होने पर ध्वनि का विषय नहीं होते ।

तेषु चोपचरितशब्दवृत्तिरस्तीति' । तथाविधे च विषये क्वचित्
सम्भवन्नपि ध्वनिव्यग्रहार प्रकारान्तरेण प्रवर्तते, न तथाविधशब्द-
मुखेन ॥१६॥

अपि च —

मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्याऽर्थदर्शनम् ।

यदुद्दिश्य फलं, तत्र शब्दो नैव स्वलद्गतिः ॥ १७ ॥

तत्र हि चारुवातिशयविशिष्टार्थप्रकाशानलक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये
यदि शब्दस्यामुख्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात् । न चैवम् ॥१७॥

लक्षणा में रूढि या प्रयोजन में से एक का होना आवश्यक है इस दृष्टि
से लक्षणा के दो भेद हो जाते हैं । इन दोनों भेदों में से पहिले रूढि वाले भेद में
भक्ति लक्षणा तो रहती है परन्तु प्रयोजन रूप व्यङ्ग्य या ध्वनि का अभाव होता
है । दूसरे प्रशजन जाने भेद में प्रयोजन व्यङ्ग्य तो होता है परन्तु वह लक्षणा से
नहा, व्यञ्जना से नाधित होता है । इसलिये भक्ति ध्वनि का लक्षणा नहा हो सकती ।
इसी बात का क्रमशः प्रतिपादन करने के लिए १६ तथा १७ कारिका लिखी हैं ।

उन [लावण्य आदि शब्दों] में उपचरित गौणी शब्द वृत्ति तो है
[परन्तु ध्वनि नहीं है] । इस प्रकार के उदाहरणों में यदि कहीं ध्वनि व्यग्रहार
सम्भव भो हो तो वह उस प्रकार के [लावण्य, आनुलोम्य, प्रातिकूल्य आदि]
शब्द द्वारा नहीं अपितु प्रकारान्तर से होता है ॥१६॥

और भी —

निस [शैल्यपावनत्वादि] कल को लक्ष्य में रख कर ['गङ्गाया घोष'
इत्यादि वाक्यों में] मुख्य [अभिधा] वृत्ति को छोड़ कर गुण वृत्ति [लक्षणा]
द्वारा अर्थ बोध कराया जाता है उस फल का बोधन करने में शब्द वाधितार्थ
[स्वलद्गति] नहीं है ।

उस चारुवातिशय विशिष्ट अर्थ के प्रकाशन रूप प्रयोजन के संपादन में
यदि शब्द गौण [वाधितार्थ] हो तब तो उस शब्द का प्रयोग दूषित ही होगा ।
परन्तु ऐसा नहीं है ।

इसका अभिप्राय यह है कि शब्द का मुख्य अर्थबोधक व्यापार अभिधा
है । साधारणतः अभिधा द्वारा बोधित मुख्याय में ही हम शब्दों का प्रयोग करते
हैं । परन्तु कहा कहा मुख्यार्थ को छोड़ कर उससे सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ में

१ तेषु से अस्ति तक का पाठ बी० में नहीं है ।

भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रयोगों के समय कोई विशेष कारण हमारे सामने अवश्य होता है। ये कारण दो प्रकार के हैं एक तो रूढ़ि दूसरा विशेष प्रयोजन। रूढ़ि का अर्थ प्रसिद्धि है। रूढ़ि का उदाहरण लावण्य, आनुलोम्य, प्रातिवृल्य आदि शब्द हैं। 'लवण्यस्य भावो लावण्यम्'। लवण्य के भाव अथवा लवण्ययुक्तत्व को लावण्य कहना चाहिये। यही उसका मुख्यार्थ है। परन्तु हम लावण्य शब्द का प्रयोग इस अर्थ में न करके सौन्दर्य के अर्थ में करते हैं। इसका कारण रूढ़ि या प्रसिद्धि ही है। लावण्य शब्द बहुल प्रयोग के कारण सौन्दर्य अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार 'लोम्नाम्नुकूल अनुलोम मर्दनम्।' शरीर की रोमों के अनुकूल मालिश अनुलोम मर्दन है। पैर में मालिश करते समय यदि नीचे से ऊपर की ओर मालिश की जाय तो वह अनुलोम नहीं प्रतिलोम मर्दन होगा। रोमों के अनुकूल यह अनुलोम शब्द का अर्थ हुआ। इसी प्रकार 'कूलस्य प्रतिपन्नतया स्थित स्रोत प्रतिवृलम्।' नदी की धारा कूल अर्थात् किनारे से गट देती है इसलिए कूल के प्रतिपन्न विरोधी रूप होने से प्रतिवृल नहलाती है। यह उनका मुख्यार्थ है। परन्तु उनका प्रयोग उस मुख्यार्थ को छोड़ कर तत् सदृश अनुपुन और विरुद्ध अर्थ में होता है। यह अर्थ यद्यपि उन शब्दों के वाच्यार्थ नहीं हैं फिर भी बहुल प्रयोग के कारण उन अर्थों में रूढ़ हो गए हैं। इसलिए रूढ़ि लक्षणा के उदाहरण होते हैं। इनमें भक्ति 'लक्षणा' तो होती है परन्तु व्यङ्ग्य का ही अभाव होने से व्यङ्ग्य प्राधान्य रूप ध्वनि नहीं होती। इसका प्रतिपादन १६वीं कारिका में किया है।

दूसरी प्रयोजनवर्ती लक्षणा होती है। इसमें किसी विशेष प्रयोजन से मुख्यार्थ को छोड़ कर गौण अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 'गङ्गाया घोषः।' गङ्गा का अर्थ गङ्गा की जलधारा है, और घोष का अर्थ आभीर पत्थरी-शेपियों की बस्ती या नगला है। 'गङ्गाया' में सप्तमी विभक्ति का अर्थ आधा-रत्व है। इस प्रकार जलप्रवाह के ऊपर घोष है यह वाक्यार्थ होता है। परन्तु जलप्रवाह के ऊपर घोषियों की बस्ती बन नहीं सकती। इसलिए गङ्गा शब्द तट रूप अर्थ का बोध करता है और उसका अर्थ [गङ्गा के] किनारे पर घोष है, यह होता है। इस बात को साधे 'गङ्गातटेघोष' इन शब्दों में भी कह सकते थे। और उस दशा में अभिधा शक्ति से ही काम चल जाता। परन्तु वक्ता ने 'गङ्गातटे घोष' न कह कर जो 'गङ्गाया घोषः' कहा है उसका विशेष प्रयोजन है। तट की सीमा बहुत दूर तक है। इलाहाबाद और कानपुर गङ्गा तट के नगर हैं। उनका गङ्गा से सरस अधिक दूर का भाग भा जो कई मील दूर हो सकता है, गङ्गा तट

की सीमा में आ जाता है। वहा तक गङ्गा के शैत्यपावनत्वादि धर्मों का कोई प्रभाव नहीं रहता। परन्तु जो स्थान ठीक गङ्गा के तट पर ही है वहा शैत्य भी होगा और पावनत्व भी। यह ग्रामीर पल्ली [घोप] बिल्कुल गङ्गा में ही है अतः वहा शैत्य-पावनत्व का अतिशय है इस बात को बोधन करने के लिए 'गङ्गाया घोप.' इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। शैत्यपावनत्व का बोधन करना लक्षणा का प्रयोजन है। यहा लक्षणा शक्ति से तट रूप अर्थ बोधित होता है और शैत्यपावनत्व के अतिशय रूप प्रयोजन का बोध व्यञ्जना वृत्ति से होता है। उसका बोध लक्षणा से नहीं हो सकता। इसी बात का प्रतिपादन १७वा कारिका में किया गया है।

'गङ्गाया घोपः' इस वाक्य में पहिले अभिधा शक्ति से वाच्यार्थ उपस्थित होता है उसका बाध होने पर लक्षणा से तट रूप अर्थ प्रतीत होता है यह लक्ष्यार्थ होता है। अर्थात् जिस अर्थ को हम लक्ष्यार्थ कहते हैं उससे पूर्व मुख्यार्थ का उपस्थित होना और उसका बाध होना यह दोनों बातें लक्षणा में आवश्यक हैं। अब यदि शैत्यपावनत्व के अतिशय को लक्ष्यार्थ मानना चाहें तो उससे पूर्व उपस्थित तट रूप अर्थ को मुख्यार्थ मानना और फिर उसका अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति रूप बाध मानना आवश्यक है। इसी के लिए कारिका में बाधिनार्थ बोधक स्वलद्गति शब्द का प्रयोग किया गया है। परन्तु शैत्यपावनत्वातिशय बोध के पूर्व उपस्थित होनेवाला तट रूप अर्थ न तो गङ्गा शब्द का मुख्यार्थ ही है और न बाधित ही है। क्योंकि उसका घोप के साथ आधाराधेयभाव सरन्ध मानने में कोई बाधा नहीं है। फिर भी दुर्जन-तोप-न्याय से उसको बाधितार्थ मानें तो भी फिर उसके बाद उपस्थित होने वाले शैत्यपावनत्व के अतिशय को लक्ष्यार्थ कहना होगा। ऐसी दशा में गङ्गा पद के इस अर्थ में रुद्ध न होने से उस लक्षणा का कोई प्रयोजन मानना पड़ेगा। उस दूसरे प्रयोजन को भी लक्ष्यार्थ कहेंगे तो फिर उसका भी तिसरा प्रयोजन मानना होगा और इस प्रकार अनवस्था होगी। इसलिए यह मार्ग ठीक नहीं है। यही १७वीं कारिका का अभिप्राय है। इसी विषय को मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश में निम्न शब्दों में लिखा है :—

यस्य प्रतीतिमाधानुं लक्षणा समुपास्यते ।

फने शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ॥

नाभिधा समयाभावात्, हेत्वभावान्न लक्षणा ।

लक्ष्य न मुख्य, नाप्यत्र बाधो, योग. फलेन नो ॥

न प्रयोजनमेवस्मिन्, न च शब्द. स्वलद्गतिः ।

एवमप्यन्यथा स्याद् वा मूलक्षयकारिणी ॥ १७० प्र० २, १४, १६

जिस फल की प्रतीति कराने के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, शब्द मात्र से बोध्य उस फल के बोधन में व्यञ्जना के अतिरिक्त दूसरा व्यापार सम्भव नहीं है।

सकेत न होने से अभिधा नहीं हो सकती और मुख्यार्थ बाधादि हेतुओं के न होने से लक्षणा नहीं हो सकती है। लक्ष्यार्थ न तो मुख्यार्थ ही है न उसका बाध ही होता है, न उसका फल के साथ सम्बन्ध है, न उसमें कोई प्रयोजन है और न शब्द स्वलक्षणी है। और यह सब मानें भी तो मूल का ही विनाश कर देने वाली अनवस्था हो जावेगी।

अधिकारश लोग अनवयानुपत्ति को लक्षणा का बीज मानते हैं। परन्तु नागेश ने तात्पर्यानुपत्ति को लक्षणा का बीज माना है। इसका कारण यह है कि 'वाक्येभ्यो दधि रक्षणात्' में अनवयानुपत्ति नहीं है। कोई अपना दही बाहर छोड़ कर जड़ देर के लिए भीतर गया। उसे डर था कि मैं जितनी देर भीतर जाऊंगा उतने में कौए दधि को खराब न कर दे। इस लिए वह अरने पास क आदमी से कहता गया कि जरा कौओं से दही न बचाना। इस वाक्य क अनवय में कोई बाधा न होने से लक्षणा का अवसर नहीं है। परन्तु यहाँ वाक्य की लक्षणा 'दध्युपघातक' अर्थ में होती है। कहने वाले का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल कौओं से बचना और यदि कुत्ता आवे तो उसे खा जाने देना। उसका अभिप्राय तो दही के उपघातक सबसे ही बचाने में है। इस लिए तात्पर्यानुपत्ति को लक्षणा का बीज मानने से ही लक्षणा हो सकती है। अतएव नागेश अनवयानुपत्ति के बजाय तात्पर्यानुपत्ति का लक्षणा का बीज मानते हैं।

इसलिए जिस शैत्यशयन आदि रूप प्रयोजन के बोधन के लिए मुरवृत्ति अभिधा को छोड़ कर गुणवृत्ति लक्षणा से अर्थ प्रतिपादन किया जाता है वह प्रयोजन लक्षणा से नहीं अस्तित्व व्यञ्जना से बोधित होता है। इस लिए लक्षणा व्यापार और व्यञ्जना व्यापार दोनों का विषय भेद है। 'गङ्गाया बोध.' में भक्ति का विषय तट और ध्वनि का विषय शैत्यशयनत्व है। विषय भेद होने से उन दोनों में धर्म धर्मि भाव नहीं हो सकता। धर्मिगत कोई धर्म विरुद्ध ही लक्ष्य होता है। ध्वनि और भक्ति में धर्म-धर्मिभाव न होने से भी भक्ति ध्वनि का लक्ष्य नहीं। वाचक शब्द से बोधित मुरवार्थ का बाध होने पर ही लक्षणा प्रवृत्त होती है इस लिए लक्षणा प्राक्काशित या अभिधापुच्छभूता है, वह विषय भेद होने से व्यञ्जनामानाश्रित ध्वनि का लक्ष्य नहीं हो सकती। विषयता सम्बन्ध से भक्ति का अधिकरण तीर और ध्वनि का अधिकरण शैत्यशयनत्व है। अत एव विषय-

तस्मात्—

वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता ।
व्यञ्जकत्वाकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम् ॥ १८ ॥

तस्मादन्यो ध्वनि, अन्या च गुणवृत्ति ।

अव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्य । नहि ध्वनिप्रमेदो विवक्षितान्यपर-
वाच्यलक्षण, अन्ये च ग्रहव प्रकारा भक्त्या व्याप्यन्ते । तस्माद् भक्ति-
रलक्षणम् ॥१८॥

घटित स्वयंपयत्रिपयकत्वं रूप परम्परासम्बन्धेन भक्ति के ध्वन्यवृत्ति होने से भक्ति ध्वनि का लक्षण नहा हो सकती ॥१७॥

इस लिए—

वाचक के आश्रय स्थित होने वालो गुणवृत्ति भक्ति कवल व्यञ्जनामूलक ध्वनि का लक्षण कैस हो सकती है ।

इसलिए ध्वनि अलग है और गुण वृत्ति अलग ।

१४ वीं कारिका में “अतिव्याप्तेश्चैव्याप्तेर्नचासौ लक्ष्यते तथा” कहा था । उसमें यहा तक अतिव्याप्ति [‘अलक्ष्यवृत्तित्त्वमति व्याप्ति ’] दोष क निरूपण किया । आगे ‘लक्ष्यकदेशावृत्तित्त्वमव्याप्ति ’ रूप अव्याप्ति दोष का प्रतिपादन करते हैं । अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोनों लक्षण के दोष हैं । इनक अतिरिक्त एक असम्भव दोष और है ‘लक्ष्यमात्रावृत्तित्त्वमसम्भर ।’ यहा कारिकाकार ने अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति का ही उल्लेख किया है । जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में न रहे उसको अव्याप्तिदोषग्रस्त कहा जाता है । यहा भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अव्याप्ति दोष भी आता है । ध्वनि के अभी अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य दो भेद बताए थे । अतएव भक्ति को यदि ध्वनि का लक्षण माना जाय तो इन दोनों भेदों में भक्ति का अस्तित्व अपेक्षित है ।

इस लक्षण की अव्याप्ति भी है । विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनि और ध्वनि के अन्य अनेक प्रकारों में भक्ति या लक्षणा व्याप्त नहीं रहती है इस लिए भक्ति ध्वनि का लक्षण नहा है ।

यहा भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानने में अव्याप्ति दोष दितया है कि विवक्षितान्यपरवाच्य अभिधानूल-ध्वनि क उदाहरणों में ध्वनि तो रहती है परन्तु वहां भक्ति या लक्षणा नहा रहती इसलिए भक्ति अव्याप्त है । यह नियम

योद्धा विवादग्रस्त है इसलिए उसका अधिक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। ऊपर विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का उदाहरण 'शिखरिणि' आदि श्लोक दिया था। उसकी व्याख्या करते हुए [पृष्ठ ७६ पर] लिखा था कि साधारणतः उसमें अभिधा, तात्पर्या और व्यञ्जना—इन तीन वृत्तियों के व्यापार होते हैं। परन्तु उसके साथ दूसरा विकल्प यह भी दिखाया था कि "यदि वा आकस्मिकविशिष्टप्रश्नार्थानुपपत्तेर्मुख्यार्थसाधया सादृश्याल्लक्षणा भवतु मध्ये। तेन च द्वितीयभेदेऽपि चत्वार एव व्यापाराः।" लोचन। अर्थात् इस श्लोक में यह जो प्रश्न किया गया है उस आकस्मिक प्रश्न का कोई अवसर न होने से वह अनुपन्न है इस प्रकार मुख्यार्थ बाध मान कर बीच में सादृश्य से लक्षणा व्यापार भी मानने से इस उदाहरण में भी चार व्यापार हो जाते हैं। परन्तु ध्वनन में लक्षणा के विशेष सहकारी न होने से लक्षणा मूल ध्वनि से भेद रहेगा। इस सादृश्य-मूलक लक्षणा को आलङ्कारिक गौणी लक्षणा नाम से व्यवहृत करते हैं। परन्तु मीमांसक गौणी को लक्षणा से भिन्न अलग वृत्ति मानते हैं। उनके मत से लक्षणा और गौणी का भेद यह है कि 'गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्'। "सिंहो माणवकः" यह गौणी का उदाहरण है इसमें सिंह शब्द गौणी वृत्ति से कौयोदि विशिष्ट प्राणी का बोधक होता है और उसका माणवक पद के साथ सामानाधिकरण्य होता है। पदों के सामानाधिकरण्य का अभिप्राय विभिन्न रूपेण एकार्थावबोधकर है सिंह और माणवक पद के सामानाधिकरण्य का अभिप्राय यही है कि वे दोनों भिन्न-भिन्न रूप से एक माणवक अर्थ को ही बोधन करते हैं। इस प्रकार सिंह पद और माणवक पद दोनों सामानाधिकरण्य के कारण एक ही अर्थ को बोधन करते हैं। फिर भी दोनों शब्दों का प्रयोग होता है इसी से यह गौणी है। 'गौणे शब्दप्रयोगो न लक्षणायाम्।' 'गङ्गाया घोषः' इस लक्षणा के उदाहरण में तयार्य के बोधक शब्द का प्रयोग नहीं होता यही लक्षणा और गौणी का भेद है। परन्तु आलङ्कारिकों के मत में यह शब्द प्रयोग भी गौणी तथा लक्षणा का भेदक नहीं है। क्योंकि आलङ्कारिकों ने प्रसारान्तर से लक्षणा के सारोप और साध्यगमना भेद भी माने हैं।

विषयस्यानिगीर्णरान्यतादात्म्यप्रतीतिवृत् ।

सारोप स्थान्निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका ॥

जिसमें विषय का निगरण नहीं होता अर्थात् माणवक शब्द का भी प्रयोग होता है उसे सारोप कहते हैं और जहाँ उसका निगरण हो जाता है वहाँ उसे साध्यगमना कहते हैं। इस प्रकार जिसे मीमांसक गौणी कहता है वहाँ भी

लक्षणा व्याप्त रहती है। तब 'शिररिणि' में सादृश्य से गौणी लक्षणा मानकर वहा भी चार व्यापार मान ही लिए तब यह कसे कहा जा सकता है कि विवक्षिता न्यपरवाच्य ध्वनि में लक्षणा अव्याप्त होने से भक्ति को ध्वनि का लक्षण नहा माना जा सकता।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के असलक्ष्य क्रम और सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य यह दो मुख्य भेद आगे किये जावेंगे। इन दोनों में रसादि ध्वनि को असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि कहते हैं। और सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के पन्द्रह भेद किए गए हैं इनमें विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के समस्त भेदों में रस ध्वनि ही सबसे अधिक प्रधान है और उसमें मुख्याथ राध आदि का कोई अवसर नहीं है इसलिए उस मुख्य भेद में लक्षणा का अवसर न होने से विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में भक्ति की अव्याप्ति प्रदर्शित की है।

कुछ मामासक इस रसबोध में शब्द व्यापार की आवश्यकता नहा मानते हैं। वह रस को अनुमान या स्मृति का विषय मानते हैं। उनका कहना है कि धूम दशन के बाद जैसे अग्नि की स्मृति हो आती है इसी प्रकार विभावादि के ज्ञान के अनन्तर रत्यादि चित्तवृत्ति की स्मृति हो आती है। इसलिए उसमें शब्द व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है। तब उसमें भक्ति या लक्षणा की अव्याप्ति दिखाना और उसके आधार पर भक्ति को ध्यान का अलक्षण कहना व्यर्थ है।

इस शङ्का का समाधान यह है कि क्या दूसरे की वृत्ति के परिज्ञान मात्र को आप रस समझते हैं अथवा स्वानुभवगोचर चवणात्मा अलौकिक आनन्दानभन है उसने रस कहते हैं। यदि आप दूसरों की चित्तवृत्ति के परिज्ञान मात्र को रस समझते हैं तो यह आपका भ्रम है। हम उसे रस नहा कहते। यह अवश्य है कि उसका परिज्ञान अनुमान या स्मृति आदि से हो सकता है परन्तु वह हमारे यहा रस नहीं है हम तो अपने आत्मा में होने वाली अलाकिक आनन्द की अनुभूति को रस कहते हैं। वह अनुमेय नहा है अतः हमारे यहा तो रस अनुमान का विषय नहीं है। उसको अनुमान द्वारा सिद्ध करने के लिए जो भी हेतु दिए जा सकते हैं वह सब हेत्वाभास मात्र है, रस वस्तुतः उससे परे है। इसलिए विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के प्रधान भेद रस ध्वनि और उसके प्रभेद रसाभास, भाव, भावाभास, भावोपशम, भावादय, भावसिद्धि, भावशबलता आदि ध्वनियों में मुख्याथ राध न मिला ही रसादि की प्रतीति होने से भक्ति के प्रवेश का अवसर नहीं है और इस प्रकार अव्याप्ति होने से भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकती। यह स्पष्ट हो गया ॥१८॥

कस्यचिद् ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम् ।

सा पुनर्भक्तिर्वक्ष्यमाणप्रभेदमध्यादन्यतमस्य भेदस्य यदि नामोप-
लक्षणतया सभाव्येत, यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनिर्लक्ष्यत इत्युच्यते तद-
भिधाव्यापारेण तदितरोऽलङ्कारवर्गः समग्र एव लक्ष्यत इति प्रत्येक-
मलङ्काराणां लक्षणकरणवैयर्थ्यप्रसङ्गः।

किञ्च,

लक्षणेऽन्यैः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥१६॥

कृते वा पूर्वमेवान्यैर्ध्वनिलक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव नः, यस्माद्
ध्वनिरस्तीति न पक्षः । स च प्रागेव संसिद्ध इति, अथत्नसम्पन्नममी-
हितार्था सम्पन्नाः स्मः ।

वह भक्ति [वक्ष्यमाण प्रभेद वाले] ध्वनि के किसी विशेष भेद का
['काक्यद् देवदत्तस्य गृहम्' के समान अविद्यमान व्यावर्तक] उपलक्षण
हो सकती है ।

यदि वह भक्ति वक्ष्यमाण के प्रभेदों में से किसी विशेष भेद का 'उपलक्षण'
[चतुर्थकक्षानिदेशो व्यञ्जना व्यापार काल में अवर्तमान व्यावर्तक] सम्भव हो
और यदि [उसी के आधार पर] गुणवृत्ति में [समग्र] ध्वनि लक्षित हो सकती
है यह कहा जाय तो अभिधा व्यापार में ही समग्र अलङ्कार वर्ग भी लक्षित
हो सकता है इसलिए [वैयाकरणों और मौमांयकों द्वारा अभिधा का लक्षण कर
देने पर और उसके द्वारा सम्पन्न अलङ्कारों के लक्षित हो जाने में] अलग-
अलग अलङ्कारों के लक्षण करना [भागह आदि अलङ्कारिकों का प्रयाम्] व्यर्थ
ही है ।

और भी—

यदि अन्य लोगों ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो हमारी पक्ष-
मिद्धि ही होती है ।

अथवा यदि पहिले ही किन्हीं ने ध्वनि का लक्षण कर दिया है तो
हमारी पक्षमिद्धि ही होती है । क्योंकि ध्वनि है—यही हमारा पक्ष है । और
यह पहिले सिद्ध हो गया इसलिए हम बिना प्रयत्न के ही सफल मनोरथ हो
गए [हमारी इष्टमिद्धि ही गई] ।

येऽपि सहृदयहृदयसवेद्यमनारयेयमेव ध्वनेरात्मानमान्नासिपुस्तेऽपि न परीक्ष्यवादिन । यत उक्त्या नीत्या वक्ष्यमाणया च ध्वने सामान्य-
त्रिशोपलक्षणं प्रतिपादितेऽपि यद्यनाख्येयत्वं तत् सर्वेषामेव वस्तूना
तत्प्रसक्तम् ।

यदि पुनर्ध्वनेरतिशयोक्त्यानया काव्यान्तरातिशायि तै स्वरूप-
माख्यायते तत्तेऽपि युक्ताभिधायिन एव ॥१६॥

इति श्री रानानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके

प्रथम उद्योत ।



उद्योत के प्रारम्भ में तीन श्रभाववादी, भक्तिवादी और अलक्षणीयता-
वादी मत इस प्रकार ध्वान विरोधी पाच पक्ष दिखाए थे । इनमें श्रभाववादी और
भक्तिवादी मतों का खण्डन विस्तारपूर्वक इस उद्योत में किया है । इसी खण्डन
प्रसङ्ग में 'यत्रार्थ' शब्दो वा' [कारिका स० १३] में ध्वनि का सामान्य लक्षण
करके ध्वनि के अलक्षणीयतावाद का भी निराकरण कर ही दिया है । यह मान
कर मूलकार ने अलक्षणीयतावाद के खण्डन के लिए अलग कारिका नहा
लिया । परन्तु वृत्तिनार विषय को परिपूर्ण करने के लिए 'येऽपि' से प्रारम्भ कर
'युक्ताभिधायिन' तक उस अलक्षणीयतावाद का खण्डन करते हैं ।

निन्होंने सहृदय हृदय सवेद्य ध्वनि के आत्मा को अदर्शनीय अलक्षणीय
कहा है उन्होंने भी सोच-समझ कर ऐसा नहीं कहा है । क्योंकि अब तक कही
हुई तथा आगे कही जान वाली नीति से ध्वनि के सामान्य और त्रिशोप लक्षण
प्रतिपादित कर देने पर भी यदि ध्वनि को अलक्षणीय कहा जाय तो फिर
ऐसा अलक्षणीयत्व तो सभी वस्तुओं में आ जायेगा ।

यदि वह इस अतिशयोक्ति द्वारा [वेदान्तियों के अनिर्वचनयता वाद
के समान] ध्वनि का अन्य काव्यों से उद्भूत स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं
तब तो वह भी ठीक ही कहते हैं ॥१६॥

इति श्रीमदाचार्यशिवेश्वरसिद्धान्तशिरामणिविरचिताया

आलीरुदीपिनारयाया हिन्दीध्वारयाया

प्रथम उद्योत ।



द्वितीय उद्योतः



एवमविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन ' ध्वनिर्द्विप्रकार.
प्रकाशित' । तत्राविवक्षितवाच्यस्य प्रभेदप्रतिपादनायेदमुच्यते ।

अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ।

अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम् ॥ १ ॥

तथाविधाभ्यां च ताभ्या व्यङ्गयस्यैव विशेष २ ।

अथ 'शालोकदीपिकायां' द्वितीय उद्योतः



इस प्रकार [प्रथम उद्योत में] अविवक्षितवाच्य [लक्षणांमूल] और
विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] भेद से दो प्रकार के ध्वनि का वर्णन किया
था । उसमें से अविवक्षितवाच्य [लक्षणांमूल] के भेदों [प्रभेद शब्द का अर्थ
अर्थान्तर भेद और विवक्षितान्यपर वाच्य से अविवक्षितवाच्य का भेद दोनों
हिण्ड हैं ।] के प्रतिपादन के लिए यह [कारिका] कहते हैं ।

अविवक्षितवाच्य ध्वनि का वाच्य [जिस वाच्य के अविवक्षित होने के
कारण इस का नाम अविवक्षितवाच्य रखा गया है वह वाच्य] कहीं अर्थान्तर-
संक्रमित और कहीं अत्यन्त तिरस्कृत होने से दो प्रकार का माना गया है ।

उस प्रकार के [अर्थान् अर्थान्तर संक्रमित और अत्यन्त तिरस्कृत स्वरूप]
उन दोनों [वाच्यों] से व्यङ्ग्यार्थ का ही विशेष [उत्कर्ष] होता है । [इस-
लिए व्यङ्ग्यार्थक ध्वनि के प्रभेद के प्रसङ्ग में जो यह वाच्य के दो भेद प्रदर्शित
हिण्ड हैं वह अप्रासङ्गिक नहीं हैं । क्योंकि उनके द्वारा व्यङ्ग्य का ही उत्कर्ष
संपादन होता है ।]

अर्थान्तर संक्रमित में शिजन्त संक्रमित शब्द का प्रयोग किया है इसलिए
उसका प्रयोजक कर्ता अपेक्षित है इसी प्रकार तिरस्कृत में भी कर्ता की अपेक्षा
है । इन शब्दों के प्रयोग से यह सूचित किया है कि इस ध्वनि के व्यङ्गना

१ वाच्यत्वे नि० । २ इति व्यङ्ग्यप्रकाशनपरस्य ध्वनेरेवायं प्रकारः । नि० दी०
में अधिक है ।

व्यापार में जो सहकारी वर्ग लक्षणा, वक्रावयवादि हैं उहा क प्रभाव स वाच्यार्थ की यह दोना अवस्थाए होती हैं । कही वह अथांतर मे सक्रमित कर दिया जाता है और कः अत्यन्त तिरस्कृत । यह व्यञ्जना क सहकारी वर्ग मुख्यत लक्षणा-का प्रभाव है । इसी लए इस अविवक्षित वाच्य ध्यान का दूसरा नाम लक्षणा मूल धरि भी है । आव्यवक्षित वाच्य धन में लक्षणा क प्रभाव स वाच्य अथान्तर-सकमित या अत्यन्त तिरस्कृत क्यों और कैस हो जाता है इसके समझने के लिए लक्षण की प्रक्रिया पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ।

वाच्यप्रसाशकार ने लक्षणा का निरूपण करते हुए उसके मुख्य दो भेद किए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा । लक्षणा का सामान्य लक्षण है —

मुख्यार्थाद्ये तत्रोमे रूढितोऽथ प्रयोजनात् ।

अथोऽर्था लक्ष्यते यसा लक्षणाऽऽरोपिता मिया ॥म० प्र० २, ६ ।

अथात् मुख्याथ के बाधित होने पर रूढ अथवा प्रयोजन में स अन्यतर निमित्त से मुख्यार्थ स सम्बद्ध अथ अथ की प्रतीति निस शब्द शक्ति स होता है, शब्द में आरोपित उस शक्ति का नाम लक्षणा है । इस कारिका में 'तत्रोमे' शब्द से मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध आवश्यक बताया गया है । मुख्यार्थ से सम्बद्ध अथ ही लक्षणा स रोपित हो सकता है असम्बद्धाथ नहा । असम्बद्धार्थ में यदि लक्षणा होने लगे तो किसी पद की कहा भा लक्षणा होने लगेगा । कोई व्यवस्था नहीं रहेगी । इसलिए सन्ध का होना आवश्यक है । लक्षणा का निवन्धन करने वाले यह सम्बन्ध मुख्यत पांच प्रकार क माने गए हैं ।

अभिधेयेन रयोगात्सामीप्या समवायत

वैपरीयात् क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता ॥

इन पञ्चविध सम्बन्धों में सादृश्य सम्बन्ध परिगणित नहा हुआ है । हालाए भीमासक सादृश्यमूलक अन्वयार्थ प्रतीति जनक 'गौणी' वृत्ति को लक्षणा से अलग मानते हैं । आलङ्कारिक इन पाँचों को केवल 'पुद्गा लक्षणा का ही नियमक सम्बन्ध मानकर सादृश्यमूलक लक्षणा को गौणी लक्षणा नाम से लक्षणा का ही अथांतर भेद मानते हैं ।

लक्षणा के अन्तर्गत भेद करने हुए वाच्यप्रसाशकार ने उसके उद्देश्य लक्षणा और लक्षण लक्षणा यह मुख्य दो भेद माने हैं और उनके लक्षण इस प्रकार किए हैं —

स्वसिद्धये पराक्षेप, परार्थे स्वसमर्पणम् ।

उपादान, लक्षणा, चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा ॥ का० प्र० २, १० ।

जहा मुख्यार्थ अपनी सिद्धि अर्थात् अन्वयानुपत्ति को दूर करने के लिए किसी अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है और उस आक्षिप्त अर्थ की सहायता से अपने अन्वय को उपपन्न करा देता है उसको उपादान लक्षणा कहते हैं। इसका दूसरा नाम अजहत्स्वार्था भी है। जैसे, 'श्वेतो धावति' या 'कुन्ता प्रविशन्ति' उदाहरणों में धावन क्रिया श्वेत गुण में नहीं किसी द्रव्य में ही रह सकती है। श्वेत गुण के साथ धावन क्रिया का साक्षात् अन्वय बाधित है। इस लिए मुख्यार्थ बाधित होने से श्वेत शब्द समवाय समन्ध से समद्ध अश्व का आक्षेप कर लेता है। इस प्रकार लक्षणा से अश्व अर्थ के आ जाने पर 'श्वेत गुणवान् अश्वो धावति' यह अन्वय बन जाता है उसमें कोई अनुपपत्ति नहीं रहती। इसमें श्वेत पद का अर्थ भी बना रहता है इसलिए इसको उपादान लक्षणा कहते हैं। इसी प्रकार 'कुन्ता प्रविशन्ति' में अचेतन कुन्तों [भालों] में प्रवेश क्रिया का अन्वय अनुपपन्न है। इसलिए कुन्त शब्द, कुन्त क साथ समोग समन्ध समद्ध कुन्तधारी पुरुष का आक्षेप कर लेता है। और उसकी सहायता से अन्वय उपपन्न हो जाता है यह दोनों उपादान लक्षणा के उदाहरण हैं।

लक्षणा लक्षणा का उदाहरण 'गङ्गाया घोष' है। इस वाक्य में जलप्रवाह रूप गङ्गा के साथ आभीर-रल्ली-धोसियों की बस्ती का आधाराधेय भाव से अन्वय अनुपपन्न होने पर घोष पदार्थ की आधेयता सिद्धि के लिए गङ्गा शब्द अपने अर्थ को समर्पित कर देता है। अर्थात् गङ्गा शब्द अपने अर्थ को छोड़ कर तट रूप अर्थ का लक्षणा बोध कराता है। इस प्रकार गङ्गा शब्द ने अपने अर्थ को छोड़ कर सामीप्य समन्ध से तट रूप अर्थ का बोध कराया इसलिए यह लक्षणा लक्षणा का उदाहरण है इसको जहत्स्वार्था भी कहते हैं।

इस प्रकार लक्षणा के दो मुख्य भेदों में से एक अजहत्स्वार्था उपादान लक्षणा में शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़ता नहीं अपितु लक्षणा उसके सामान्य व्यापक अर्थ को किसी निरोप अर्थ में सक्रान्त कर देती है। इसी से उसको अजहत्-स्वार्था कहते हैं। यही अर्थान्तर सक्रमित वाच्य ध्वनि का मूल है। इसी के प्रभाव से अतिवर्धित वाच्य ध्वनि के अर्थान्तर सक्रमित वाच्य भेद में वाच्य अर्थ अपनी स्थिति रखते हुए स्वर निरोप में पर्यन्तित होता है। इसीलिए उसको अर्थान्तर-सक्रमित वाच्य ध्वनि कहते हैं। 'नयने तस्यैव नयने' उसी के नेत्र नेत्र हैं जिसने...। इस में द्वितीय नयन शब्द मन्वयन्त्वादि गुण विशिष्ट

तत्रार्थान्तरसंक्रमितवाच्यो यथा :—

स्निग्धश्यामलमन्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाना घना,
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृद्रामानन्दकेकाः कलाः ।
काम मन्तु हृदं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वे सहे,
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥

इत्यत्र रामशब्दः । अनेन हि व्यङ्ग्यचथर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याप्यते, न संज्ञिमात्रम्^१ ।

नयन का बोधक है । यदि दोनों शब्दों का साधारण नेत्र ही अर्थ करें तो पुनरुक्ति होगी इसलिए दूसरा नयन शब्द भाग्यवत्तादि गुण विशिष्ट नेत्रों का प्रतिपादक होने से अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण होता है ।

लक्षणा का दूसरा भेद लक्षणा-लक्षणा है । इसमें दूसरे के अन्वयसिद्धि के लिए एक शब्द अपने अर्थ को विलुप्त छोड़ देता है । इसलिए इसको जहत्स्वार्था कहते हैं । मुरार्थ का अत्यन्त परित्याग हा उसका तिरस्कार है । इसलिए लक्षणा लक्षणा में वाच्यार्थ के अत्यन्त तिरस्कार सर्वथा परित्याग-के कारण ही. उसको जहत्स्वार्था कहते हैं । यही अप्रिवृत्त वाच्य ध्वनि ने अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य भेद का मूल है । इस प्रकार अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि के नाम में जो णिजन्त संक्रमित पद का प्रयोग है वह व्यञ्जना की सहकारिणी लक्षणा के प्रभाव को चोतित करता है । आगे इन दोनों के उदाहरण देते हैं :—

स्निग्ध एव श्याम कान्ति से आकाश को व्याप्त करने वाले, और बलाका, वक्रपवित जिनके पास बिहार कर रही हैं ऐस सघन मेघ [भले ही उमड़ें], शीकर-झांटे छोटे जल कणों से युक्त [शीतल मन्द] समार [भले ही बहे] और मेघों के मित्र मयूरों की आनन्दभरी कृँ भी चाहे कितनी ही [श्रवणगोचर] हों, मैं तो कठोर हृदय राम हूँ सब कुछ सह लूँगा । परन्तु [अति सुकुमारी, कोमल हृदया, वियोगिनी] वैदेही की क्या दशा होगी ? हा देवि धैर्य रखना ।

इसमें राम शब्द [अर्थान्तर संक्रमित वाच्य] है । इससे केवल संज्ञिमात्र राम का बोध नहीं होता अपितु स्वयं धर्म विशिष्ट [अय-स दु रसहिष्णु रूप सङ्गी] राम का बोध होता है ।

यथा च भूमैत्र त्रिपमनाणलीलायाम्—

ताला जाञ्जात गुणा जाला दे सहिअणहिँ घेप्पति ।

रइकिरणानुग्गहिँआइँ होति कमलाइँ कमलाइँ ॥

[तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैर्गृह्यन्ते ।

रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ इति द्वाया]

इत्यत्र द्वितीय कमलशब्द ।

इस श्लोक क वक्ता राम हैं । अतएव 'रामोऽस्मि' क स्थान पर कबल 'अस्मि' कहने पर भी 'अहम्' पद की प्रतीति द्वारा राम का बोध हो जाता । इस लिए प्रकृत में राम पद का मुरयार्थ अनुपपन्न होकर [अजहत्स्वार्था उपादान] लक्षणा द्वारा, अत्यन्त दुःखसहिष्णुत्व विशिष्ट राम का बोध कराता है । मैं राम हूँ अर्थात् पिता के अत्यन्त वियोग, राज्य त्याग, यनवास, जयचीर धारण, स्त्री हरण आदि अनेक दुःखों का सहन करने वाला अत्यन्त कठोर हृदय राम हूँ मैं सब कुछ सहन कर सकूँगा । यहाँ 'दृढ कठोरहृदय' यह पद उक्त लक्षणा की प्रतीति में विशेष सहायक होता है । और राम पद अत्यन्त दुःखसहिष्णुत्व विशिष्ट राम का बोधक होने से अर्थान्तरसन्नमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है । उन्हीं दुःख सहिष्णुत्व आदि धर्मों का अतिराय व्यङ्ग्य है ।

यद्यपि ग्रन्थकर ने इसे केवल अर्थान्तर सन्नमित वाच्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का उदाहरण आगे देंगे । परन्तु यहाँ आकाश के निराकार होने से उसका लेपन समझ न होने से लिप्त शब्द अपने अर्थ को सर्वथा छोड़कर, व्याप्त अर्थ का बोध कराता है । इसी प्रकार 'पयोदसुहृदा' में सौहार्द चेतन का धर्म ही हो सकता है इसलिये भेद में समझ न होने से सुहृद् शब्द अपने अर्थ को छोड़ कर लक्षणलक्षणा से आनन्ददायक अर्थ को बोधन कराता है इस प्रकार यह दोनों पद अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के उदाहरण भी हो सकते हैं । परन्तु प्रथकार ने अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का अलग ही उदाहरण देना उचित समझ इसलिए वह आगे इसका उदाहरण देंगे । अभी अगला एक और उदाहरण अर्थान्तर सन्नमित वाच्य का ही स्वरचित त्रिपम नाण लीला नामक काव्य से देते हैं ।

और जैसे मरे ही 'त्रिपमनाणलीला' [नामक काव्य] में—

[गुण] गुण तमी होत हैं जय महदय उनको ग्रहण करते हैं, मृत्यु की किरणों से अनुगृहीत कमल ही कमल हाते हैं ।

यहाँ द्वितीय कमल शब्द ।

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकवेर्वाल्मीके—

रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुपारावृतमण्डल ।

निश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ इति

अत्रान्धशब्द ।

38385

यहाँ द्वितीय कमल शब्द लक्षणा द्वारा लक्ष्मीभाजन्त्वादि धर्म विशिष्ट कमल का बोधक होने से अर्थान्तर सक्रमित है और चास्त्व का अतिशय व्यङ्ग्य है। इसी प्रकार पूर्वोद्ध में गुण शब्द की भी आवृत्ति मान कर गुण तभी गुण होते हैं जब सद्बुद्धय उनको ग्रहण करते हैं। ऐसा अर्थ करना चाहिये। उस दशा में द्वितीय गुण शब्द उत्कृष्टत्वादि धर्म विशिष्ट गुण का बोधक होने से अर्थान्तर सक्रमित वाच्य होगा और उस उत्कर्ष का अतिशय व्यङ्ग्य होगा। यह दोनों श्लोक अर्थान्तर सक्रमित वाच्य ध्वनि के उदाहरण हुए। आगे अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के उदाहरण देते हैं।

अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य [का उदाहरण] जैसे आदि कवि वाल्मीकि का [पंचवटी में हेमन्त वर्णन के प्रसङ्ग में रामचन्द्र जी का कहा हुआ यह श्लोक] :—

[हेमन्त में सूर्य के चन्द्रमा के समान अनुपपन्न और आह्लाददायक हो जाने से] जिस [चन्द्रमा] की शोभा सूर्य में सक्रान्त हो गई है [अथवा सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करने वाला] तुषार से आच्छादित मण्डल वाला चन्द्रमा निग्वास से मलिन दर्पण के समान प्रकाशित नहीं होता है।

यहा अन्ध शब्द ।

अन्ध शब्द नेत्रहीन का वाचक है। चन्द्रमा में नेत्रहीनत्वरूप अन्धत्व अनुपपन्न होने से अन्ध शब्द अपने नेत्रविहीनत्व अर्थ को सर्वथा छोड़ कर अप्रकाश रूप अर्थ को जहत्सार्था लक्षणलक्षणा से बोधित करता है और अप्रकाशातिशय व्यङ्ग्य होता है। अन्ध शब्द अपने अर्थ को सर्वथा छोड़ कर अप्रकाश रूप अर्थ को वाचन करता है इसलिए अन्ध शब्द का मुख्यार्थ यहा अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है। इसी से इसको अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण माना है।

भट्ट नायक ने इस श्लोक की व्याख्या में 'इव' शब्द का यथाभूत अन्वय मान कर "इव शब्दयोगाद् गौणताप्यत्र न काचित्" लिख कर अन्ध पद में लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं समझी है। परन्तु उनकी यह व्याख्या सङ्गत

यथा च ममैव विपमवाणलीलायाम्—

ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहिँ घेप्पन्ति ।

रइकिरणानुगहिआइँ होन्ति कमलाइँ कमलाइँ ॥

[तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयैर्गृह्यन्ते ।

रजिकरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ इति छाया]

इत्यत्र द्वितीय कमलशब्द ।

इस श्लोक क वक्ता राम हैं । अतएव 'रामोऽस्मि' क स्थान पर कबल 'अस्मि' कहने पर भी 'अहम्' पद की प्रतीति द्वारा राम का बोध हो जाता । इस लिए प्रकृत में राम पद का मुख्यार्थ अनुपपन्न होकर [अजहत्स्वार्था उपादान] लक्षणा द्वारा, अत्यन्त दु खसहिष्णुत्व विशिष्ट राम का बोध कराता है । मैं राम हूँ अर्थात् पिता के अत्यन्त वियोग, राज्य त्याग, वनवास, जगचीर धारण, स्त्री हरण आदि अनेक दु खों का सहन करने वाला अत्यन्त कठोर हृदय राम हूँ मैं सब कुछ सहन कर सकूँगा । यहा 'दृढ कठोरहृदय' यह पद उक्त लक्ष्यार्थ की प्रतीति में विशेष सहायक होता है । और राम पद अत्यन्त दु खसहिष्णुत्व विशिष्ट राम का बोधक होने से अर्थान्तरसन्नमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है । उन्ही दु ख सहिष्णुत्व आदि धर्मों का अतिशय व्यङ्ग्य है ।

यद्यपि ग्रन्थकार ने इसे केवल अर्थान्तर सन्नमित वाच्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का उदाहरण आगे देंगे । परन्तु यहा आकाश के निराकार होने से उसका लेपन सम्वन होने से लिप्त शब्द अपने अर्थ को सत्यथा छोड़कर, व्याप्त अर्थ का बोध कराता है । इसी प्रकार 'पयोदसुहृदा' में सौहार्द चेतन का धर्म ही हो सकता है इसलिये मेघ में सम्वन होने से सुहृद् शब्द अपने अर्थ को छोड़ कर लक्षणा लक्षणा से आनन्ददायक अर्थ को बोधन कराता है इस प्रकार यह दोनों पद अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के उदाहरण भी हो सकते हैं । परन्तु ग्रन्थकार ने अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य का अलग ही उदाहरण देना उचित समझ इसलिए वह आगे इसका उदाहरण देंगे । अभी अगला एक और उदाहरण अर्थान्तर सन्नमित वाच्य का ही स्वरचित विपम वाण-लीला नामक काव्य से देते हैं ।

और जैसे मेरे ही 'विपमवाणलीला' [नामक काव्य] में—

[गुण] गुण तभी होते हैं जब सहृदय उनको ग्रहण करते हैं, सूर्य की किरणों से अनुगृहीत कमल ही कमल होते हैं ।

यहां द्वितीय कमल शब्द ।



अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकवेर्वाल्मीकेः—

रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुपाराघृतमण्डलः ।

निश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते ॥ इति

अत्रान्धशब्दः ।

38385

यहाँ द्वितीय कमल शब्द लक्षणा द्वारा लक्ष्मीभाजनत्वादि धर्म विशिष्ट कमल का बोधक होने से अर्थान्तर सक्रमित है और चारुत्व का अतिशय व्यङ्ग्य है। इसी प्रकार पूर्वाद्ध में गुण शब्द की भी आवृत्ति मान कर गुण तभी गुण होते हैं जब सद्बुद्धय उनको ग्रहण करते हैं। ऐसा अर्थ करना चाहिये। उस दशा में द्वितीय गुण शब्द उत्कृष्टत्वादि धर्म विशिष्ट गुण का बोधक होने से अर्थान्तर सक्रमित वाच्य होगा और उस उत्कर्ष का अतिशय व्यङ्ग्य होगा। यह दोनों श्लोक अर्थान्तर सक्रमित वाच्य ध्वनि के उदाहरण हुए। आगे अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के उदाहरण देते हैं।

अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य [का उदाहरण] जैसे आदि कवि वाल्मीकि का [पंचवटी में हेमन्त वर्णन के प्रसङ्ग में रामचन्द्र जी का कहा हुआ यह श्लोक] :—

[हेमन्त में सूर्य के चन्द्रमा के समान अनुप्लव्य और आह्लाददायक हो जाने से] जिस [चन्द्रमा] की शोभा सूर्य में संक्रान्त हो गई है [अथवा सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करने वाला] तुषार से आच्छादित मण्डल वाला चन्द्रमा निश्वास से मलिन दर्पण के समान प्रकाशित नहीं होता है।

यहां अन्ध शब्द ।

अन्ध शब्द नेत्रहीन का वाचक है। चन्द्रमा में नेत्रहीनत्वरूप अन्धत्व अनुपपन्न होने से अन्ध शब्द अपने नेत्रविहीनत्व अर्थ को सर्वथा छोड़ कर अप्रकाश रूप अर्थ को जहत्सार्था लक्षणा लक्षणा से बोधित करता है और अप्रकाशातिशय व्यङ्ग्य होता है। अन्ध शब्द अपने अर्थ को सर्वथा छोड़ कर अप्रकाश रूप अर्थ को बोधन करता है इसलिए अन्ध शब्द का मुख्यार्थ यहा अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है। इसी से इसको अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण माना है।

मह नायक ने इस श्लोक की व्याख्या में 'इव' शब्द का यथाश्रुत अन्वय मान कर " इव शब्दयोगाद् गौणताप्यत्र न काचित् " लिख कर अन्ध पद में लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं समझी है। परन्तु उनकी यह व्याख्या सङ्गत

गअणं च मत्तमेह धारालुलिअञ्जुणाई अ वणाई ।
णिरहङ्कारमिअङ्गा हरन्ति नीलाओ वि णिसाओ ॥

[गगन च मत्तमेघ धारालुलिताजुंनानि च वनानि ।

निरहङ्कारमृगाङ्गा हरन्ति नीला अपि निशा ॥ इति छाया]
अत्र मत्तनिरहङ्कारशब्दौ ॥१॥

नहा है । 'इव' शब्द चन्द्रमा और आदर्श के उभयानुमेय भाव का बोधक है । निश्वासान्ध पद आदर्श का विशेषण है । 'निश्वासान्ध आदर्श इव चन्द्रमा न प्रकाशते' इस प्रकार अन्वय होने से इव शब्द मिलक्रम है । इसलिए अन्ध पद को स्वार्थ में बाधित होने से जहत्स्वार्था लक्षणलक्षणा द्वारा अप्रकाशरूप अथ का बोधक मानना ही होगा और उस दशा में अप्रकाशशक्ति का व्यञ्जना द्वारा बोधित कर वह अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण होगा ।

[न केवल ताराओं से भरा निर्मल आकाश हो अपितु] मदमाते उमड़ते मेघों से आच्छादित आकाश [भो, न केवल मन्द मन्द मलय भारत से आन्दोलित आम्र वन हो अपितु वर्षा को] धाराओं से आन्दोलित अर्जुन वन [और न केवल उम्वल चन्द्र किरणों से श्वलिन चादनीं रातें ही मन को लुभान वाली नहीं होतीं अपितु सौन्दर्य से रहित] गर्महोन चन्द्रमा वाली [वर्षाकाल की अन्धकारमयी] काली रातें भी मन को हरण करने वाली होती हैं ।

यहा मत्त और निरहङ्कार शब्द ।

मत्त के उपयोग से पैदा हुई क्षीयता मत्त शब्द का, और सौन्दर्यादि के कारण उत्पन्न दर्प, अहङ्कार शब्द का मुख्यार्थ हैं । वह दोनों धर्म चेतन में ही रह सकते हैं । यहां मत्तता का भेद के साथ और निरहङ्कारत्व का चन्द्रमा के साथ जो सबन्ध वर्णन किया है वह अनुपपन्न है । अतः मुख्यार्थ बाध के कारण यह 'मत्त' शब्द सादृश्यप्रशंसकसमञ्जसकारित्व, दुर्निवारत्व आदि तथा निरहङ्कार शब्द विच्छायात्वादि धर्मों को व्यक्त करता है । अतएव यहा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है ॥१॥

ऊपर ध्वनि के दो भेद किए थे । अविबक्षितवाच्य या लक्षणामूल ध्वनि और दूसरा विवक्षितवाच्य या अभिधामूल ध्वनि । इनमें से पहिले अर्थात् अविबक्षितवाच्य [लक्षणामूल] ध्वनि के अर्थान्तरसम्बन्धितवाच्य और अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य यह दो अर्थान्तर भेद और किए । इसी प्रकार अब विवक्षितान्यतर वाच्य [अभिधामूल] ध्वनि के अर्थान्तर भेद दिखायेंगे । इसके भी पहिले दो

असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः ।

विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः ॥ २ ॥

मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्ग्यचोऽर्थो ध्वनेरात्मा । स च वान्यार्था-
पेक्षया कश्चिदलक्ष्यक्रमतया प्रकाशते, कश्चित् क्रमेणेति द्विधा मत ॥२॥

भेद होते हैं । एक असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य और दूसरा सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य । रस, भाव, तदाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि, भावशवलता रूप आस्वादप्रधान ध्वनि को असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि कहते हैं । इसके अत्रान्तर भेदों का अनन्त विस्तार हो जायेगा इस कारण उसका विस्तार नहा किया गया है । अपितु असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य को एक ही भेद माना है । दूसरे सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के अनेक भेद किए गए हैं । आगे विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनि के असलक्ष्यक्रम और सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य दो भेद करके पहिले असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के विषय में कुछ विशेष बातें लिखते हैं ।

विवक्षितवाच्य [अभिधामूल] ध्वनि का आत्मा [स्वरूप] असलक्षित क्रम से और दूसरा सलक्षित क्रम से प्रकाशित [होने से] दो प्रकार का माना गया है ।

प्रधान रूप से प्रकाशित होने वाला व्यङ्ग्य अर्थ, ध्वनि का आत्मा [स्वरूप] है । और वह कोई वाच्यार्थ की अपेक्षा से अलक्षित क्रम से प्रकाशित होता है और कोई [सलक्ष्य] क्रम से, उस प्रकार दो तरह का माना गया है ।

कारिका में विवक्षिताभिधेय और ध्वनि दोनों का समानाधिकरण रूप से प्रयोग किया गया है । यों अभिधेय अभिधा शक्ति का और ध्वनि व्यञ्जना शक्ति का विषय होने से दोनों अलग अलग हैं । परन्तु यहा दोनों का साविक्य और सामानाधिकरण्य, अभिधेय की अन्यपरता को व्यक्त करता है । तदनुसार विवक्षिताभिधेय का अर्थ विवक्षितान्यपरवाच्य करने से ध्वनि के साथ उसका सामानाधिकरण्य उपपन्न हो जाता है । पहिली कारिका में अविवक्षितवाच्य [लक्ष्यामूल] ध्वनि के जो अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य दो भेद दिखाए हैं वह वाच्यार्थ की प्रतीति के स्वरूप भेद से दिखाए हैं और इस कारिका में विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के जो असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य दो भेद दिखाए हैं वह व्यञ्जना व्यापार के स्वरूप भेद से दिखाए हैं ॥२॥

तत्र,

रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्यादिरक्रमः ।

ध्वनेरात्माऽङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥ ३ ॥

रसादिरर्थो हि 'सहैव वाच्येनावभासते । स चाङ्गित्वेनावभास-
मानो ध्वनेरात्मा ॥३॥

प्रधान रूप से प्रकाशित होने वाला व्यङ्ग्य ही ध्वनि का स्वरूप है । अर्थात् जहा व्यङ्ग्य अर्थ का प्रधान्य होता है वही ध्वनि काव्य माना जाता है । इसका अर्थ यह हुआ कि जहा व्यङ्ग्य का प्रधान्य नही होता उसको ध्वनि काव्य नही माना जाता । इसलिए रस आदि व्यङ्ग्य भी अप्रधान होने की दशा में ध्वनि नहीं कहलाते हैं । केवल प्रधान होने की दशा में ही ध्वनि कहलाते हैं । और जहा वह किसी दूसरे अङ्गी के अङ्ग बन जाते हैं वहा रसवदादि अलङ्कार कहलाते हैं । अगली दो कारिकाओं में रसादि की प्रधानता और अप्रधानता मूलक ध्वनित्व और रसवदलङ्कारत्व का प्रतिपादन करते हैं ।

उनमें से :—

रस, भाव, तदाभास, [अर्थात् रसाभास और भावाभास] और भाव-
शान्ति आदि [आदि शब्द स भावोदय, भावमन्धि और भावशबलता का भी
ग्रहण करना चाहिए] अन्तम [असंलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य] अङ्गीभाव से [अर्थात् प्रा-
धान्येन] प्रतीत होता हुआ ध्वनि के आत्मा [स्वरूप] रूप से स्थित होता है ।

रसादि रूप अर्थ वाच्य के साथ ही सा प्रतीत होता है । और वह
प्रधान रूप से प्रतीत होने पर ध्वनि का आत्मा [स्वरूप] होता है ।

निर्णयसागरीय संस्करण में सहैव क स्थान पर सहैव पाठ है । 'वाक्यन
सहैव अवभासते' वाच्य के साथ ही प्रकाशित होता है यह वाक्यार्थ उस पाठ के
अनुसार होता है । इस पाठ और उसके अर्थ में कई दोष आ जाते हैं । एवकार
के बल से, रसादि की प्रतीति वाच्य प्रतीति के साथ ही होती है यह अर्थ माना
जाय तो वाच्य और रसादि भी प्रतीति में कोई क्रम न होने से रसादि को अन्तम
व्यङ्ग्य कहना चाहिए परन्तु सिद्धान्त पक्ष यह है कि रसादि की प्रतीति में क्रम
होता तो अक्षर्य है परन्तु शीघ्रता के कारण [उत्पन्नशतपत्र यतिभेदवन् लाघवात्

न सलक्ष्यते] प्रतीत नहा होता । इसलिए रसादि को असलक्ष्यकम व्यङ्ग्य कहा जाता है अन्वयव्यङ्ग्य नहा । दूसरी बात 'युगपच्छानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् न्याय दर्शन १, १, १६ सूत्र' के अनुसार वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों की एक साथ प्रतीति हो भी नहीं सकती । तीसरी बात यह है कि लोचनकार ने यहाँ 'एव' पाठ न मान कर 'इव' पाठ ही माना है । और लिखा है कि "सहेवेति इव शब्देनासलक्ष्यता विद्यमानत्वेऽपि क्रमस्य व्याख्याता ।" अर्थात् वाच्य और रस आदि व्यङ्ग्य की प्रतीति में क्रम होते हुए भी शीघ्रता के कारण प्रतीत नहीं होता यह असलक्ष्यता ही इव शब्द से सूचित होती है । इसलिए निरुण्यसागरय पाठ असङ्गत है ।

कारिका में रस के साथ भाव आदि का भी उल्लेख किया है । रस्यते आस्वाद्यते इति रस' इस व्युत्पत्ति के अनुसार रस, भाव, रसाभास, मवाभास, भावशान्त्यादि सब ही रस श्रेणी में आते हैं । परन्तु फिर भी उन सब में कुछ भेद है ।

रतिदवादिविन्याः व्यभिचारी तथाञ्जित ।

भाव प्रोक्ष, तदाभासा ह्यनौचित्यप्रवर्तिता ॥ का० प्र० ४, ३५

अर्थात् देवता, गुण आदि विषयक रति प्रेम, तथा अभिव्यक्त व्यभिचारी भव को भाव कहते हैं । अरर रम तथा भव के अनुचिन बणन को रसाभास एव मवाभास कहते हैं ।

रस प्रक्रिया—

"विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद् रसनिर्धत्ति" यह भरत मुनि का सूत्र है । इसका आशय यह है कि विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव के संयोग से परिपुष्ट रत्यादि स्थायीभाव आस्वादावस्थापन होकर रस कहलाते हैं । यह भरत का मूल सूत्र सीधा सा जान पड़ता है परन्तु यह बड़ा विवादग्रस्त रहा है । अनेक आचार्या ने अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या की है । काव्यप्रकाश में मम्मटाचार्य ने उनमें से १ मद्र लोल्लट, २ श्री शकुन्क, ३ मद्र नायक, ४ अभिनवगुप्तपादाचार्य के चार मतों का उल्लेख किया है । 'लोचन' में भी इस सम्बन्ध में अनेक मतों का उल्लेख मिलता है । उन सब मतों को समझने के लिए पहिले रस प्रक्रिया के पारिभाषिक शब्द विभाव, अनुभाव, सञ्चारी भाव, स्थायी भाव आदि को समझ लेना चाहिए ।

स्थायी भाव—

मनुष्य जो मनु देवता, सुनता या अन्य किसी प्रकार अनुभव करता

है उस सबका संस्कार उसके मन पर रहता है। वह अनुभव तो क्षणिक होने से नष्ट हो जाता है परन्तु वह अपने पीछे एक स्थायी रसु 'संस्कार' छोड़ जाता है। जिसे 'वासना' भी कहते हैं। ये संस्कार अपने योग्य उद्बोधन सामग्री पाकर उद्बुद्ध हो जाते हैं। उस उद्बोधक सामग्री से न केवल इस समय या इस जन्म के अपितु पूर्वकालीन अनेक जन्म जन्मान्तर से व्यवहित अथवा इस जन्म में भी अनेक देश-देशान्तर व्यवहित संस्कारों का उद्बोध हो सकता है। योगदर्शन ने इन वासनाओं अथवा संस्कारों के अनादित्व और अत्यन्त सुदूरवता संस्कारों की भी अभिव्यक्ति का वर्णन किया है।

तासामनादित्वश्चाशिषो नित्यत्वात् । योगसूत्र ४,६ ।

जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् । यो० ४,१० ।

यदि हम इन संस्कारों की गणना करना चाहें तो वह असंभव है। एक पुरुष में मन के एक जन्म के संस्कारों का परिगणन भी संभव नहीं है फिर उसके अपरिगणित पूर्व जन्म और सत्तार के अपरिमित प्राणियों के संस्कारों की गणना तो सर्वथा असंभव ही है। फिर भी प्राचीन आचार्यों ने उन संस्कारों का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया है। साहित्य शास्त्र की रस प्रक्रिया में स्थायीभाव शब्द से कहा चार, कहा आठ, कहा नौ और कहा दस स्थायीभावों का वर्णन किया गया है। वह उन अनादि कालीन संस्कारों या वासनाओं का वर्गाकृत रूप ही है। मन में स्थायी रूप से रहने वाली वासना या संस्कार का नाम ही स्थायी भाव है। इन संस्कारों में सबसे प्रबल और बहुसंख्यक वासनाएँ १. राग, २. द्वेष, ३. उत्साह और ४. जुगुप्सा से सम्बन्ध रखने वाली होती हैं। क्योंकि वह प्राणी की सबसे अधिक स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। और न केवल मानव योनि में अपितु पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदि सभी योनियों में पाई जाती हैं। साहित्यिक आचार्यों ने इन स्थायी भावों का परिगणन इस प्रकार किया है —

रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा ।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायीभावाः प्रकीर्तिताः ॥ का० प्र० ४, ३०

रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, और विस्मय यह आठ और कहीं निर्वेद या वैराग्य को भी मिला कर नौ स्थायीभाव माने हैं।

आलम्बन और उद्दीपन विभाव—

इन स्थायी भावों को उद्बुद्ध करने वाली सामग्री मुख्यतः दो प्रकार की है। एक आलम्बन और दूसरी उद्दीपन। नायक और नायिकादि के आलम्बन

से स्थायीभाव उद्बुद्ध होते हैं इसलिए उनको आलम्बनात्मक सामग्री या आलम्बन विभाव कहते हैं। बाह्य परिस्थिति उद्यान, प्राकृतिक सौन्दर्य आदि उसके उद्दीपक होने से उद्दीपन सामग्री में आते हैं और उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आलङ्कारिकों ने स्थायी भावों की इन द्विविध उद्बोधक सामग्री को विभाव नाम से निदिष्ट किया है —

रस्य युद्बोधका लोक विभावा काव्यनाम्ययो ।

आलम्बनोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥

आलम्बनो भायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात् । सा० द० ३, २६

उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये ।

आलम्बनस्य चेषाया देशकालादयस्तथा ॥ सा० द० ३, १३१ ।

अनुभाव—

मन के भीतर स्थायी रूप से विद्यमान रत्यादि वासनाओं या स्थायीभावों का इस आलम्बन तथा उद्दीपन सामग्री अर्थात् त्रिभवा से उद्बोधन मात्र होता है उत्पत्ति नहीं। भट्ट लोल्लट ने 'त्रिभावैर्ललनोद्य नादिभिरालम्बनाद्दीपनकारणै रत्यादि को भावो जनित' लिखा है वहा 'जनित' का अर्थ 'उद्बुद्ध' ही करना चाहिए। क्योंकि यदि रत्यादि की उत्पत्ति मान तो फिर यह स्थायीभाव ही कहा रहा। इस प्रकार जब इस सामग्री से रत्यादि वासना उद्बुद्ध हो जाती है तो उन वासनाओं का प्रभाव बाहर दिखाई देने लगता है। मनागत उद्बुद्ध वासना के अनुसार ही मनुष्य की चेष्टा, आकार भङ्गो आदि में भेद हो जाता है। इसी को आलङ्कारक लोग अनुभाव कहते हैं। विभाव तो रत्यादि के उद्बोध के कारण हैं और अनुभाव उनके कार्य हैं। इसीलिए इनको 'अनु पश्चात् भवन्तीति अनुभावा' अनुभाव कहते हैं। यह अनुभाव हर एक वासना या स्थायी भाव के अनुसार अलग अलग होते हैं।

उद्बुद्ध कारणै र्वैवहिर्भाव प्रकाशयन् ।

लोके य कार्यरूप सोऽनुभाव काव्यनाम्ययो ॥ सा० द० ३, १३० ।

इन अनुभावों में —

रतम्म स्वेदोऽथरोमाञ्च स्वरभङ्गोऽथवेपथु ।

वैवर्ष्यमश्रु प्रलय इत्यग्रे सात्विका स्मृता ॥ सा० द० ३, १३५ ।

इन आठ सात्विक भावों को प्रधान होने के कारण 'गोबलावर्दन्याय' से अलग भी गिना दिया जाता है ।

व्यभिचारी भाव—

स्थायी भाव से उल्टा व्यभिचारी भाव है उसको सञ्चारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव की स्थायिता ही उसकी विशेषता है इसी प्रकार व्यभिचारी भाव का अस्थायित्व उसकी विशेषता है। स्थायी भाव की उपमा 'लपणाकर' से दी गई है। सागर भील में जो कुछ डाल दो थोड़े समय में नमक बन जाता है। इसी प्रकार जो विरुद्ध या अविरुद्ध भावों से विच्छिन्न नहीं होता है वही स्थायी भाव है।

विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिद्यते न यः ।

आत्मभाव नयत्याशु स स्थायी लपणाकरः ॥ दशरूपक ४, ३४

अविरुद्धा विरुद्धा वा य तिरोधानुमत्तमाः ।

आस्वादानुरवन्दोऽसौ भावः स्थायीति सम्मतः ॥ सा० द० ३, १७४

इसके विपरीत सञ्चारी भाव या व्यभिचारी भाव समुद्र की तरङ्गों के समान अस्थिर है। वह स्थायी भाव के परिपोष में सहकारी होते हैं। उनकी संख्या ३३ मानी गई है।

विशेषादाभिमुख्येन चरन्नो व्यभिचारिणः ।

स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्ना कल्लोला इव वारिधे ॥ दशरूपक ४, ७१

निर्वेदग्लानिशङ्काश्रमधृतिजडताहर्षदैन्यीग्रयचिन्ता-

रत्नसोर्धामर्षगर्गाः स्मृतिमरणमदाः सुप्तनिद्राप्रिवोधाः ।

बीजापस्मारमोहा समतिरलसता वेगतर्कान्हित्था,

व्याव्युन्मादी निपादोलुप्तचपलयुतास्त्रिशदेते त्रयश्च ॥

रसास्वाद और रससंख्या—

यही विभाव, अनुभाव और सञ्चारीभाव रस की सामग्री हैं। आलम्बन और उद्दीपन विभाव स्थायीभाव को उद्बुद्ध करते हैं। अनुभाव उसको प्रतीति योग्य बनाते हैं और व्यभिचारी भाव उसको परिपुष्ट करते हैं। इस प्रकार इन सबके संयोग से स्थायीभाव रसन योग्य-आस्वाद योग्य हो जाता है। उसका आस्वाद होने लगता है। इसी आस्वादन या रसन को 'रस' कहते हैं। उस आस्वादन अवरण का नाम ही रस है। उससे अनिरिकत रस मुक्त्य आर नहीं है। इसलिए जहां कहीं 'रसः आस्वाद्यते' आदि व्यपहार होता है वहां 'रहोः शिरः' के समान विकल्प प्रतीति का विषय अथवा 'श्रोदन पचति इतिवद्' औपचारिक प्रयोगमात्र समझना चाहिए।

शृगारहास्यकरुणरौद्रवीरभयाननाः ।

वीमत्साद्भुतसञ्जी चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ का० प्र० २६

निर्वेदस्थाधिभावो हि शान्तोऽपि नवमो रसः । का० प्र० ३५

काव्य में शृङ्गारादि आठ और नवम शान्त रस इस प्रकार नौ रस माने गए हैं परन्तु नाटक में शान्त रस का परिष्कृत सम्भव न होने से उसको छोड़ कर आठ ही रस माने गए हैं । शान्त रस के सम्बन्ध में विवेचना करते हुए दशरूपक में लिखा है ।

शममपि केचित् प्राहुः पुष्टिर्नाम्येषु नैतस्य । दश० ४, ३५

निवेदादिरताद्रूप्यादस्थायी स्वदते कथम् ।

वैरस्यायैव तत्पौपस्तेनाष्टौ स्थायिनो मताः ॥ दश० ४, ३६ ।

इह शान्तरस प्रति वादिनामनेकविधाः विप्रतिपत्तयः । केचिदाहुः नारत्येव शान्तो रसः तस्याचायेण विभागाद्यप्रतिपादनालक्षणात्तरणात् । अन्ये तु वस्तुतस्तस्याभावं वर्णयन्ति । अनादिकालप्रवाहायातरागद्वेषयोक्त्वेत्तुमशक्यत्वात् । अन्ये तु वीरवीमत्सादावन्तमात्रं वर्णयन्ति । तथा यथा अस्तु । सर्वथा नाट्यदावभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमम्य निश्चिद्यते । तस्य समस्तव्यापारप्रविलयरूपस्याभिनयायोगात् । यत्तु कैश्चिन्नेगानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णितं तत्तु मलयवत्यनुरागेण आप्रबन्धप्रवृत्तेन, विद्याधरचर्यवर्तित्वप्राप्त्या विरुद्धम् । नह्ये कानुकार्यविभावालम्बनौ विषयानुरागापरागात्प्रबन्धौ । अतो दयावीरोत्साहरथेव तत्र स्थायित्वम् ।

विरुद्धाविरुद्धाविक्षेपदिव्यस्य निर्वेदादीनामभावादस्थायित्वम् । अतएव ते चिन्तादयः स्वस्वव्याभिचार्यन्तरिता अपि परिषेप नीयमाना वैरस्यमाचरन्ति ।

इस का भाव यह है कि शम को स्थायी भाव मानने के विषय में कई प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ पाई जाती हैं । १-भरत ने नाट्यशास्त्र में शान्त रस के विभावादि का प्रतिपादन भी नहीं किया है और न शम का लक्षण ही किया है इसलिए कुछ लोग शम को स्थायीभाव नहीं मानते । २-दूसरे लोगों का कहना यह है कि राग-द्वेष आदि दोनों का सर्वथा नाश हो जाने पर ही शम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । परन्तु अनादि काल-प्रवाह से आने वाले राग द्वेष का सर्वथा अभाव सम्भव नहीं है इसलिए शम हो ही नहीं सकता है । ३-अन्य लोग वीर, वीमत्स आदि रसों में उसका अन्तर्भाव करने हैं । इनमें से कोई कुछ ठीक हो । हमारा [दशरूपक और उस क टीकाकार का] कहना यह है कि समस्त व्यापारविलयरूप शम का अभिनय सम्भव नहीं है इसलिए अभिनयत्मक

नाट्य में शम का स्थायीभावत्व हम नहीं मान सकते । जिन लोगों ने नागानन्द नाटक में शान्त रस माना है उनका वह तथ्य नागानन्द में आदि से अन्त तक पाए जाने वाले मलयवती क प्रति श्रुतुराग और वित्राधरचक्रवर्तिन की प्राप्ति के विरुद्ध होने से बड़ा शान्त रस नहा । अर्थात् दयावीर का उत्साह ही बड़ा स्थायीभाव और वीर रस है ।

स्थायीभाव का लक्षण 'विरुद्धाविरुद्धावि-लुप्तित्व' ऊपर कहा गया है वह भी शम में नहा प्रगता । अतएव शम स्थायीभाव नहा है । नाटक में उसका परिपोष वैरस्यतापादक ही होगा इसालए दशरूपककार धनञ्जय के मत में कम से कम नाटक में शम स्थायीभाव नहा है ।

रसानुभवकालीन चतुर्विध चित्तवृत्ति—

विभाव, अनुभव, सञ्चारी भाव के योग से स्थायीभाव का परिपोष होकर जो आस्वादन होता है इसी को रस कहते हैं । यह आस्वादन या रस वस्तुतः चित्त की एक अवस्थाविशेष है । ऊपर हमने लिखा था कि हमारे अन्तःकरण में अनादि काल से सञ्चित जो वासनाएँ हैं, जिन्हें मस्कार भी कहते हैं, उनका को साहित्यशास्त्र या अलङ्कार शास्त्र के आचार्यों ने वर्गीकरण करके स्थायीभाव नाम दिया है । यह वर्गीकरण वस्तुतः रसानुभूति काल में चित्त की जो अवस्था होती है उसी के आधार पर किया गया है और वह उनकी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचना शक्ति का परिचायक है । ऊपर जो आठ स्थायीभाव दिए गए हैं उनको भी सञ्चित करके चार प्रकार की मनादशाओं का विवेचन दशरूपककार ने किया है । रसास्वाद के समय चित्त की चो-जा भिन्न भिन्न अवस्थाएँ होती हैं उन्हें विकास, विस्तार, विक्षोभ, और विक्षेप इन चार रूपों में विभक्त किया गया है । प्रेम के समय या शृंगार रस के अनुभव काल में जो चित्त की अवस्था होती है उसका नाम विकास रसा गया है । इसी प्रकार वीर रस के अनुभवकालीन चित्तवृत्ति को विस्तार, भीमसानुभूति कालीन स्थिति को विक्षोभ और रौद्रानुभूतिकालिक मन स्थिति को विक्षेप नाम दिया गया है ।

रसचतुष्टयवाद—

इस प्रकार चित्त की चार प्रकार की दशा ही होने से शृंगार, वार, भीमत्व और रौद्र इन चार रसों को ही इन लोगों ने मौलिक रस माना है और शेष चार कल्प, हास्य, अद्भुत और भयानक को उनके अधिन । क्योंकि इन चारों में भी वही चार प्रकार की मनोदशा होती है । इसलिए हास्य में शृङ्गार के समान चित्त

का विकाश, अद्भुत में वीर रस के समान चित्त का विस्तार, भयानक रस में वीभत्स के समान क्षोभ और करुण रस में रौद्र रस के समान चित्त में विक्षेप का प्राधान्य होता है । इस प्रकार रसानुभूति-काल में चित्त की चार प्रकार की मनोदशा सम्भव होने के कारण चार ही मौलिक रस हैं और शेष चार की उनके द्वारा उत्पत्ति होती है ।

शृंगाराद्धि भवेद्दास्यो रौद्राच्च कर्णो रसः ।

वीराच्चैवाद्भुतोत्पत्तिर्बीभत्साच्च भयानकः ॥

इसीलिए भरत के नाट्य शास्त्र में हास्य का लक्षण करते हुए लिखा है,

शृंगारानुकृतियां तु सा हास्य इति कीर्तितः ।

इस सारे विषय का प्रतिपादन दशरूपक में इस प्रकार किया है ।

रनाद. काव्यार्थसभेदादात्मानन्दसमुद्रवः ।

विकाराविस्तरक्षोभविक्षेपै. स चतुर्विधः ॥ ४, ४३

शृंगारवीरवीभत्सरौद्रेषु मनसः क्रमात् ।

हास्याद्भुतभयोत्कर्षं कर्णानां त एव हि ॥ ४, ४४

अनस्तज्जन्यता तेषामतएवावधारणम् ।

काव्य और नाटक से रसोत्पत्ति विषयक विविध मत—

नाटक और काव्य में रसोत्पत्ति के विषय में भी कुछ थोड़ा भेद सा प्रतीत होता है । नाटक के देखते समय रसोत्पत्ति कहा होती है और कैसे होती ? है इस विषय में भट्ट लोल्लट, श्री शकुन्तल, भट्टनायक और अभिनवगुप्त व मत अलग-अलग हैं ।

१—भट्टलोहट का 'उत्पत्तिवाद'

इनमें से भट्ट लोल्लट रस की उत्पत्ति मुख्य रूप से अनुकार्य अर्थात् सीता-रामादिनिष्ठ मानते हैं । और उनका अनुकरण करने के कारण नट में भी रस की प्रतीति होती है ऐसा उनका मत है । उनके अनुसार ललना और उथानादि आलम्बन तथा उद्दीपन विभावों से रामादि में रत्यादि की उत्पत्ति अर्थात् उद्बोध होता है उसके कार्यभूत कटाक्षादि अनुभावों से रामगत रत्यादि स्थायीभाव प्रतीत-योग्य बन जाता है और निर्वेदादि व्यवहारी भावों की सहायता से परिपुष्ट होकर मुख्यतः रामादि में और उनके अनुकरण करने के कारण गौण रूप से नट में रस की प्रतीति होती है यह भट्ट लोल्लट आदि का प्रथम मत है ।

भट्टलोक्य की आलोचना—

लोल्लट के मत में मुख्यतः अनुकार्य रामादिगत और गौण रूप से नटगत रस की उत्पत्ति मानने से सामाजिक में रसोत्पत्ति का कोई श्रवसर नहा रहता । इसलिए सामाजिक को उस रस का आस्वाद होना सम्भव प्रतीत नहा होता यह एक बड़ी त्रुटि रह जाती है । इसलिए शकुन्क ने इस मत का खण्डन कर अपने 'रसानुमितिवाद' की स्थापना की है ।

२—श्री शकुन्क का अनुमितिवाद—

इस मत अर्थात् शकुन्क के 'रसानुमितिवाद' में रस अनुकार्य रामादि-निष्ठ नहा अपितु अनुकर्ता अर्थात् नटगत उत्पन्न हाता है । नट को राम समझ कर उसके द्वारा शिक्षाभ्यास चातुर्य से प्रदर्शित कृत्रिम विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा नट में रस का अनुमान होता है । इस दशा में नट में जो राम बुद्धि होती है उसे हम न सम्यग्ज्ञान कह सकते हैं और न मिथ्याज्ञान, न सशय कह सकते हैं और न सादृश्यमान प्रतीति । वह इन सब प्रतीतियों से विलक्षण 'चित्रतुरगन्याय' से अनिर्वचनीय प्रतीति है । जैसे चित्राङ्कित घाटे को देख कर जो तुरग की प्रतीति होती है वह यथार्थ प्रतीति नहीं है क्योंकि वास्तविक तुरग वहाँ नहीं है । "तद्वति तत्प्रकारक ज्ञान प्रमा" यह यथार्थज्ञान या प्रमा का लक्षण है वह नहा घटता इसलिए चित्र तुरग बुद्धि या नाम्दशाला गत रामरूपधारी नट में राम बुद्धि यथार्थ नहीं है । न वह मिथ्या ही है और न सादृश्य या सशय रूप । इन सबसे विलक्षण अनिर्वचनीय राम प्रतीति से नट को राम रूप में ग्रहण करके उस नट के द्वारा प्रकाशित अनुभावादि भी जो वास्तव में कृत्रिम है पर उनको कृत्रिम न मान कर उन के आधार पर नट में रसादि का अनुमान होता है । वह अनुमिति प्रतीति भी अन्य अनुमीयमान पदार्थों से भिन्न प्रकार की होती है । क्योंकि साधारणतः अनुमिति परोक्ष ज्ञान है और रस की अनुभूति प्रत्यक्षात्मक होती है । इसलिए रसादि प्रतीति के अनुमिति रूप होते हुए भी अन्य अनुमितियों से विलक्षण होने से नटगत रसादि का सामाजिक को अनुभव होता है । यह शकुन्क का मत है ।

शकुन्क के 'अनुमितिवाद' की आलोचना—

परन्तु यह शकुन्क महोदय वस्तुतः त्रिशकु की भाँति अधर लटकते हुए हैं । उनका सब कुछ कल्पित है । अनुमिति के लिए जिस नट रूप राम को पक्ष बनाया है उसका रामत्व निश्चिन्त नहीं । उस अनुमान के लिए जिन अनुभावादि को

लिङ्ग या हेतु बनाया वह भी कल्पित कृत्रिम हैं पर उनको अकृत्रिम माना जा रहा है । उस हेतु के द्वारा जिस रत्यादि स्थायो भाव की सिद्धि करनी है वह भी सम्भावित मात्र अर्थार्थ है । उस परोक्ष अनुमिति को जो अपरोक्षात्मक या साक्षात्कारात्मक अनुभूति स्वरूप माना है वह भी कल्पित है । यह सब उनका स्व-कल्पित मत है इन्हीं सारी कल्पनाओं में भरत के “विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद् रस निष्पत्ति ” इस सूत्र में आए हुए ‘सयोगात्’ शब्द का अर्थ उन्होंने ‘गम्य-गमकभावरूपात् सम्यन्धात्’ किया है । और उस गम्यगमकभाव से ‘रामोऽय सीता-विषयकरतिमान् सीताविषयकविभावादिसम्यन्धित्वाद् सीताविषयककटाक्षादिमत्त्वा-द्वा यो नव स नव यथाहम्’ यह जो अनुमान किया है उसमें ‘अह’ को व्यतिरेकी उदाहरण बनाया है और उसी अह पद बोध्य सामाजिक को रस का चर्चणाश्रय माना है । यह सब कुछ एक दम असङ्गत है ।

भट्टनायक द्वारा ‘उत्पत्तिवाद’ ‘अनुमितिवाद’ और ‘अभि व्यक्तिवाद’ की प्रालोचना —

तीसरा मत भट्ट नायक का ‘भोजनत्व वाद’ है । भट्ट नायक ने लिखा है, कि रस यदि परगत अर्थात् अनुकार्यगत या अनुकर्ता नष्टगत प्रतीत हो तो दोनों ही दशाओं में उसका सामाजिक सहृदय से कोई सम्यन्ध नहीं बन सकेगा और वह सामाजिक के लिए तटस्थ के समान निष्प्रयोजन होगा । दूसरी ओर यदि उसकी उत्पत्ति स्वगत अर्थात् सामाजिकगत मानें तो भी सङ्गत नहीं है क्योंकि उसकी उत्पत्ति सीता आदि विभावों के द्वारा होती है वह सीता आदि राम के प्रति तो विभावादि हो सकते हैं सामाजिक के प्रति नही । साधारणीकरण व्यापार से सीता और रामादि का व्यक्तित्व निकल कर उनमें सामान्य कान्तात्व आदि रूप ही रह जाता है इसलिए वह सामाजिक के प्रति भी विभावादि हो सकते हैं यह कहना भी ठीक नहीं है । अथवा बीच में रस कान्ता का स्मरण मानने से भी काम नहीं चलेगा । क्योंकि देवतादि के वर्णन—जैसे ‘कुमारसभन आदि में पार्वती आदि के वर्णन प्रसंग—में भी रसास्वाद होता है और उनको भी होता है जिनकी कान्ता न थी, न है । देवता वर्णन स्थल में वर्ण्यमान पार्वती आदि में देवत्व बुद्धि और पूज्यता प्रतीति ही साधारणीकरण में बाधक है । इसलिए रस की न स्वगत [सामाजिकगत] उत्पत्ति बनती है और न परगत [अनुकार्य रामादि गत अथवा अनुकृत नटादिगत] । इसी प्रकार स्वगत या परगत न प्रतीति बनेगी और न अभिव्यक्ति । अभिव्यक्ति पक्ष में और भी दोष है । अभिव्यक्ति पूर्व सिद्ध अर्थ की ही होती है । परन्तु रस तो अनुभूति का नाम है अनुभव काल के पूर्व या

पश्चात् उसका कोई अस्तित्व ही नहा है। इसलिए भी अभिव्यक्ति नहीं बनती। यदि यह कहे कि रस वासना या स्थायीभाव के रूप में स्थित है उसी की अभिव्यक्ति होती है तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अभिव्यक्ति स्थल में दीपकादि अभिव्यञ्जक सामग्री में उत्कृष्टता निःकृष्टता का तारतम्य भी उपलब्ध होता है वसा तारतम्य रसाभिव्यञ्जक सामग्री में नहीं बनता है इसलिए रस की रगत या परगततया उत्पत्ति प्रतीति या अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं बनती। 'इसलिए न ताटस्थेन [अनुकार्यगतत्वेन नटगतत्वेन वा] नात्मगतत्वेन [सामाजिक गतत्वेन] वा रस प्रतीयते, नोत्पद्यते, नाभिव्यज्यते' [का० प्र०] 'तेन न प्रतीयते, नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते काव्येन रस' [लोचन०]

४—भट्टनायक का 'भोजकत्वाद्'—

यह तो अन्य मतों की आलोचना हुई तब भट्ट नायक का अपना मत क्या है? उनका अपना मत यह है कि काव्यात्मक शब्दों में अन्य शब्दों से विलक्षण 'अभिधायकत्व' 'भावकत्व' और 'भोजकत्व रूप' तीन व्यापार रहते हैं। अभिधायकत्व व्यापार अर्थविषयक, भावकत्व व्यापार रसादि विषयक और भोजकत्व व्यापार सहृदयक विषयक होता है। यदि यह तीन व्यापार न मान कर केवल एक [शुद्ध] अभिधा व्यापार ही माना जाय तो 'तत्र' आदि शास्त्र न्याय और श्लेषादि अलङ्कारों में कोई भेद न रहेगा। 'तत्र नाम अनेकार्थबोधे छया पदभेदस्य सङ्घट्टन्चारणम्।' अनेक अर्था के बोधन की इच्छा से एक पद का एक ही बार उच्चारण करना यह शास्त्र में 'तत्र' नाम से प्राप्त है। जैसे पाणिनि व 'हलत्वम्' सूत्र में 'तत्र न्याय' से दो अर्थ होते हैं। 'हलनि सूत्रे अन्यम् इत् स्यात्। 'और' उपदेशे अन्य हल् इत् स्यात्'। यहा 'तत्र-न्याय' से दो अर्थ तो प्रतीत हो जाते हैं परंतु सहृदयस्यैव कोई चमत्कार प्रतीत नहा होता। इसी प्रकार 'भावकत्व' और 'भोजकत्व' व्यापार के अभाव में 'सवदो माधय' आदि श्लेषालङ्कार के स्थलों में दो अर्थों की प्रतीति तो हो जावेगा परंतु सहृदयस्यैव कोई चमत्कार अनुभवगोचर नहीं होगा। इसलिए दूसरा 'भावकत्व' व्यापार मानना आवश्यक है। इस 'भावकत्व' व्यापार के अभाव में अभिधा शक्ति में विलक्षणता हो जाती है। यह भावकत्व व्यापार रसके प्रति होता है और वह आवभावादि का माधय रणाकरण करता है। उसका साधयणीकरण द्वारा रसादि के भावित हो जाने पर तीसरे 'भोजकत्व' व्यापार द्वारा अनुभव और स्मृति रूप द्विपैष लौकिक जन से विलक्षण, चित्त के विस्तार विकासदि रूप, रजस्तमोवैचित्र्यानुविदसत्वमय, निजचेतनभ्यरूप, आनन्दमय, परब्रह्मास्वादसहोदर

अनुभूतिरूप, भोग निष्पन्न होता है यह भट्ट नायक का मत है। लोचनकार ने उनके मत का इस प्रकार उल्लेख किया है।

‘रसो यदा परगततया प्रतीयते तर्हि ताटस्थ्यमेव स्यात् । न च स्वगतत्वेन रामादिचरितमथात्कान्यादसौ प्रतीयते । स्वात्मगतत्वेन च प्रतीनी स्यात्मनि रसस्योत्पत्तिरेवाभ्युपगता स्यात् । सा चायुजा । सीतायाः सामाजिक प्रत्यविभावत्वात् । कान्तात्वं साधारण वासनाविकासहेतुप्रिभावताया प्रयोजकमितित्त्वेत्—देवतावर्णनादौ तदपि कथम् । न च स्वकान्तास्मरण मध्ये सवेद्यते ।

अलोकसामान्याना च रामादीना ये समुद्रसेतुवन्धनादया विभावारते कथ साधारण्य भवेयु । न चोत्साहादिमान् राम स्मर्यते । अनुभूतत्वात् । शब्दादपि तत् प्रतिपत्तौ न रसोपजन । प्रत्यक्षादिव नायकमिथुनप्रतिपत्तौ । उत्पत्तिपक्षे च करुण स्योत्सादाद् दु खित्वे वरुणरसप्रेक्षासु पुनरप्रवृत्ति स्यात् । तन्नोत्पत्तिरपि । नाप्यभि व्यक्ति , शक्तिरूपस्य हि शृङ्गारस्याभिव्यक्तौ विषयार्जनतारतम्यप्रवृत्ति स्यात् । तत्रापि किं स्वगतोऽभिव्यज्यते रस परगतो वेति पूर्ववदेव दोष ।

तेन न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते काव्येन रस । किन्त्वन्यशब्दवैलक्षण्य काव्यात्मन शब्दस्य ‘यशताप्रसादात् । तत्राभिधायकत्वं वाच्यविषय ‘भावकत्व’ रसादिविषय, ‘भोगकत्व’ सहृदयविषयमिति त्रयोऽशभूता व्यापारा । तत्राभिधाभागो यदि शुद्ध स्यात् तत्रादिभ्य शास्त्रन्यायेभ्य श्लेषात्प्रलङ्कारणा को भेद । वृत्ति-भेदैश्चैतन् चार्कित्वात् । श्रुतिदुष्पादिवर्जनं च किमर्थम् । तेन रसभावनाख्यो द्वितीयो व्यापारः । यद्दशादभिधाविलक्षणैव । तच्चतस्रावयत्वं नाम रसान् प्रति यत्काव्यस्य तद्विभाषादीना साधारणत्वापादन नाम । भाविते च रसे तस्य भोगो योऽनुभव-स्मरणप्रतिपत्तिभ्यो विलक्षण एव द्रुतिविस्तरविकासात्मा रजस्तमोर्धैचि-यानुविद्ध सत्वमयनिजचित्स्वभावनिवृत्तिविश्रान्तिलक्षण परब्रह्मास्वादसविध । स एव प्रधान भूतोऽश सिद्धरूप इति । व्युत्पत्तिर्नामाप्रधानमेवेति ।

४—अभिनवगुप्तपादाचार्य का अभिव्यक्तिवाद—

अगला चौथा मत लोचनकार अभिनवगुप्त का है। भट्ट नायक के मत में जो ‘भावकत्व’ और ‘भोजकत्व’ दो नये व्यापार माने गए हैं उन्हें अभिनवगुप्त अनवश्यक मानते हैं और अप्रामाणिक भी। ये काव्य से व्यञ्जनाव्यापार द्वारा गुण अलङ्कार आदि के श्रौचित्य रूप इतिकर्तव्यता से रस को सिद्ध करते हैं। यहा साधक काव्य है। साध्य रस। साधन व्यञ्जना व्यापार है और इतिकर्तव्यता रूप में गुणालङ्कारादि श्रौचित्य का अन्वय होता है। इस प्रकार ‘भावकत्व’ और ‘भोजकत्व’

दोनों को व्यञ्जना रूप मान कर उस व्यञ्जना से सामाजिक में रस की अभिव्यक्ति मानते हैं। अतः उनका मत 'अभिव्यक्तिवाद' कहलाता है।

२—अन्य मत—

इन के अतिरिक्त कुछ और भी छोटे छोटे मत हैं जिनका उल्लेख लोचनकार ने बहुत सक्षेप में इस प्रकार किया है—

‘अन्ये तु शुद्ध विभाव, केचित्तु स्थायिमात्रम्, इतरे व्यभिचारिण, अन्ये तत्सयोग, एके अनुसार्थे, केचन सकलमेव समुदाय रसमाहु ।’

नाट्य रस—

यह सब मत नाट्य रस के सम्बन्ध में हैं। नाट्यरस शब्द का प्रयोग भरतमुनि ने किया है। ऊपर के व्याख्याताओं ने नाट्यरस शब्द की व्युत्पत्ति भी अपने अपने सिद्धान्त के अनुसार अलग अलग ढङ्ग से की है। लाल्लग के मत में अनुकायगत रस का उत्पत्ति होती है और 'नाट्ये प्रयुज्यमानत्वान्नाट्यरस' यह नाट्य रस का विग्रह होता है। शनुक के मत में अनुकायाभिन्न नर्तक में अनुमीयमान रस का सामाजिक आस्वादन करता है। इसलिए उनके मत में 'नाट्ये, नाट्याश्रये नटे रस नाट्यरस' यह विग्रह होता है। इसी प्रकार दूसरे मतों में 'नाट्याद्रस' अथवा 'नाट्यमेव रस नाट्यरस' यह विग्रह हाते हैं।

नाट्य के भी दो रूप माने गए हैं—एक लोकधमा नाट्य और दूसरा नाट्यधमा नाट्य। लोकधमा नाट्य उसको कहते हैं जिसमें स्वाभाविक अभिनय हाता है अर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का रूप धारण करके अभिनय नहीं करता। 'स्वभावाभिनयोपेत न नाट्यीपुरुषाश्रय नाट्य लोकधर्मि'। और जहा स्वर, अलङ्कार और स्त्री पुरुषादि के रूप परिवर्तन आदि की आवश्यकता होती है वह नाट्यधर्मि नाट्य होता है। 'स्वतालङ्कारसयुक्तमस्वस्थपुरुषाश्रय नाट्य नाट्यधर्मि'।

काव्य रस—

काव्यरस की प्रक्रिया नाट्यरस की प्रक्रिया से तनिक भिन्न है। क्योंकि वहा नाटक के समान आलम्बन और उद्दीपन विभाव दृष्टिगोचर नहीं अस्तु काव्य शब्दों से बुद्धिरथ होते हैं। काव्य में, विभावादि उपस्थापक लोकधर्मि नाट्य के स्थान पर स्वभावोक्ति और नाट्यधर्मि नाट्य के स्थान पर वस्तुोक्ति को माना है। इनसे विभावादि की उपस्थिति हा जाने पर आगे रस की प्रक्रिया प्रायः समान ही है।

भाव—

रसों के बाद दूसरा स्थान भावों का है । देवादिविषयक अर्थात् देवता, गुरु, राजा आदि विषयक रति और प्रधान रूप से व्यञ्जित व्यभिचारी भाव इन दोनों को भाव कहते हैं । “रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः भावः प्रोक्तः ।” देवादि विषयक रति रूप भाव के निम्न उदाहरण हो सकते हैं—

१—कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते कालकूटमपि मे महामृतम ।

अप्युपात्तममृतं भवद्भुभेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥

२—हरत्यर्घं संप्रति हेतुरेभ्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः ।

शरीरमाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम् ॥

इनमें पहिले में शिवविषयक और दूसरे में नारदमुनिविषयक रति [प्रेम, श्रद्धा] प्रदर्शित की है । अतएव यह भाव है । इसके अतिरिक्त जहाँ व्यभिचारी भाव प्रधानतया व्यक्त होता है वहाँ भी भाव व्यवहार ही होता है ।

व्यभिचारी भाव की स्थिति में उदय, स्थिति और अपाय यह तीन दशा हो सकती हैं । इनमें से उदय वाली स्थिति को भावोदय नाम से और अपाय वाली दशा को भाव-प्रशम नाम से अलग कह दिया है । स्थिति वाली दशा के भी तीन प्रकार हो सकते हैं । अकेले एक भाव की स्थिति, अथवा दो भावों की स्थिति अथवा दो से अधिक भावों की स्थिति इनमें दो भावों की स्थिति को भाव-सन्धि और दो से अधिक भावों की स्थिति को भावशबलता कहा जाता है । भावों की यह सभी अवस्थाएँ आस्वाद योग्य होने से ‘रस्यते इति रसः’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार रस श्रेणी में आती हैं । इसलिए कारिका में ‘सत्प्रशमादि’ में आदि पद से भावोदय, भाव-सन्धि, भाव-शबलता का भी ग्रहण किया गया है । विस्तारभय से इन सब के उदाहरण यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं ।

रसाभास और भावाभास—

कारिका का तदाभास शब्द रसाभास और भावाभास का बोधक है । ‘अनौचित्यप्रवर्तिताः रसा रसाभासाः । और ‘अनौचित्यप्रवर्तिता भावा भावाभासाः ।’ अनुचित रूप से वर्णित रस रसाभास और अनुचित रूप से वर्णित भाव भावाभास कहलाते हैं । जैसे पशु-पक्षियों के शृङ्गार का वर्णन अथवा गुरु आदि पूज्य इरुषों के सम्बन्ध में हास्य का प्रयोग रसाभास के अन्तर्गत होता है ॥३॥

[पिछली कारिका] में कहा था कि अङ्गित्वेन अर्थात् प्राधान्येन प्रतीत होने

इदानीं रसवदलङ्कारादलक्ष्यमद्योतनात्मनो ध्वनेर्निभक्तो विषय इति प्रदर्शयते ।

वाच्यवाचकृचारुत्वहेतूनां विविधात्मनाम् ।

रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्निपयो मतः ॥ ४ ॥

रस-भाव-तदाभास-तत्प्रशमलक्षण मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्थालङ्कारा गुणाश्च परस्परं ध्वन्यापेक्षया विभिन्नरूपा व्यर-स्थितास्तत्र काव्ये ध्वनिरिति व्यपदेशः ॥४॥

वाले रस आदि ध्वनि के आत्मा है । इससे यह भी प्रतीत होता है कि रसादि की प्रतीति कहीं कहीं अङ्ग अर्थात् अप्रधान-रूप में भी होती है । जहां रस किसी अन्य के अङ्ग रूप में प्रतीत होते हैं वहां रसादि ध्वनि रूप न होकर रसवदलङ्कार कहलाते हैं । रसवदलङ्कार चार प्रकार के होते हैं । एक रसवत्, दूसरा प्रेय, तीसरा ऊर्जस्वि और चौथा भेद समाहित नाम से कहा जाता है । 'रस्यते इति रस.' इस ध्युत्पत्ति से रस, दूसरे भाव, तीसरे तदाभास और चौथे भावशान्त्यादि यह चारों रस कहे ये । इन्हीं चारों की अङ्ग रूप में प्रतीति होने पर रसवदलङ्कार चार प्रकार के कहलाते हैं । जहां रस किसी अन्य रसादि का अङ्ग हो जाय वहां रसवदलङ्कार होता है । इसी प्रकार यदि भाव अन्य का अङ्ग प्रतीत हो तो प्रेय अलङ्कार, रसाभाव या भावाभास की अङ्गता में ऊर्जस्वि और भावशान्त्यादि की अङ्गता होने पर समाहित नाम का अलङ्कार कहा जाता है । इन रसवदलङ्कार और रस ध्वनि के प्राधान्य और अप्राधान्य मूलक इसी भेद का अगली दो कारिकाओं में प्रतिपादन है ।

अब असंलक्ष्यमम व्यङ्ग्य रूप ध्वनि का विषय रसवदलङ्कारों से पृथक् है यह बात दिखलाते हैं ।

जहां नाना प्रकार के शब्द [वाचक] और अर्थ [वाच्य] तथा उनके चारुत्व हेतु [शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कार] रस आदि परक [रसादि के अङ्ग] होने हैं वहां ध्वनि का विषय है ।

रस भाव तदाभास और तत्प्रशम रूप मुख्य अर्थ के अनुगामी शब्द अर्थ उनके अलङ्कार तथा गुण और परस्पर ध्वनि से भिन्न स्वरूप जहां [अनुगामी रूप में] स्थित होते हैं उसी काव्य को ध्वनि काव्य कहते हैं ।

प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गन्तु रसादयः ।

काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ ५ ॥

यद्यपि रसवदलङ्कारस्यान्यैर्दर्शितो विषयस्तथापि यस्मिन् काव्ये प्रधानतयाऽन्योऽर्थो वाक्यार्थाभूतस्तस्य चाङ्गभूता ये रसादयस्ते रसादेरलङ्कारस्य विषया इति मामक्रीन पक्ष । तद्यथा चाटुपु प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता दृश्यन्ते ।

यहा 'वाक्य च वाचक च तच्चास्त्वहेतवश्च [तयोश्चास्त्वहेतवश्च] इस प्रकार द्वन्द्व समास करना चाहिये । इसी प्रकार वृत्ति में भी । पिछले उद्योत में यह दिखाना था कि समासोक्ति आदि अलङ्कारों में वस्तु ध्वनि का अन्तर्भाव नहीं हो सकता है । यहा यह दिखाया है कि रसवदलङ्कारों में रसध्वनि का अन्तर्भाव नही होगा ॥४॥

यहा अन्य [अर्थात् अङ्गभूत रसादि से भिन्न, रस या वस्तु अथवा अलङ्कार] प्रधान वाक्यार्थ ही और उसमें रसादि [रस भाव, तदाभास, भावशान्त्यादि] अङ्ग हों उस काव्य में रसादि अलङ्कार [रसम्, प्रेय, ऊर्जस्वि, समाहित] होते हैं यह मेरी सम्मति है ।

यद्यपि रसवदलङ्कार का विषय अन्यो ने प्रदर्शित किया है फिर भी जिस काव्य में प्रधानतया कोई अन्य अर्थ [रस, या वस्तु, या अलङ्कार] वाक्यार्थ हो उस [प्रधान वाक्यार्थ] के अङ्गभूत जो रसादि [हों] वह रसादि अलङ्कार के विषय होते हैं यह मेरा पक्ष है । जैसे चाटु [वाक्यों चापलूसों के वचनों] में प्रेयोऽलङ्कार [भामह ने गुरु, देव, नृपति, पुत्रविषयक प्रेम वर्णन को प्रेयोऽलङ्कार कहा है उस] के [मुत्पद्य] वाक्यार्थ होने पर भी रसादि अङ्गरूप में दिखाई दते हैं । [वहा रसादि अलङ्कार होगा यह मेरा मत है] ।

इस गद्यवृत्ति भाग की व्याख्या में लोचनकार ने बहुत खींचतान की है । यद्यपि मूल वृत्ति ग्रन्थ की रचना यहा कुछ अटपटी-सी है फिर भी लोचनकारकृत खींचतानी के बिना भी उसकी सङ्गति लग सकती है । उन्होंने 'तस्य चाङ्गभूतः' में 'तस्य' शब्द का अर्थ 'काव्यस्य सम्बन्धिनो ये रसादयः' ऐसा किया है उसने यज्ञाय 'तस्य वाक्यार्थाभूतस्य अङ्गभूता ये रसादयः' यह अर्थ अधिक सरल और सङ्गत होगा ।

'तद्यथा चाटुपु' इस अश की व्याख्या में भी दो पक्ष दिखाए हैं । भामह के

स च रसादिरलङ्कार. शुद्ध. सङ्कीर्णो वा । तत्राद्यो यथा—
किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुन, प्राप्तश्चिरादर्शनम्,
केर्यं निष्करणं । प्रवासरुचिता ? केनासि दूरीकृतः ।
स्वप्नान्तेष्विति ते वदन्, प्रियतमव्यासक्तकण्ठप्रहो,
बुद्ध्या रोदिति रिक्तबाहुपलयस्तारं रिपुस्वीजनः ॥

अभिप्राय से इस सब को एक वाक्य माना है । और उद्धट के मतानुसार वाक्य-
भेद मान कर व्याख्या की है ।

भायहाभिप्रायेण चाट्टपु प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्याथत्वेऽपि रसादयोऽङ्गभूता
दृश्यन्त इतीदमेक वाक्यम् । .. उद्धट मतानुसारिणस्तु भङ्क्त्वा व्याचूते ।

‘किं हास्येन’ इत्यादि आगे उदाहरण रूप में उद्धट पत्र में वर्यमान नरपति
प्रभाव ही वाक्यार्थ है न कि अलङ्कार ही वाक्यार्थ है । इसलिये मूल के ‘प्रेयोऽल-
ङ्कारस्य वाक्यार्थत्वे’ का अर्थ बहुव्रीहि समास मान कर ‘प्रेयानलङ्कारो यत्र स.
प्रेयोऽलङ्कार’ अर्थात् प्रेयान् अलङ्कार जिसका है वद वर्यमान नरपति प्रभाव रूप
अलङ्कार नहीं, अपितु अलङ्कारस्वीय वाक्याथ है । अथवा ‘प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्या-
र्थत्वे’ में ‘वाक्यार्थत्वे’ का अर्थ वाक्यार्थ न मान कर प्राधान्य किया जाय इस प्रकार
की द्विविध व्याख्या भामह मत से की है ।

और उद्धट मतानुसार इन दोनों को अलग वाक्य मान कर पूर्व वाक्य
का अर्थ रसपदलङ्कार का विषय होता है, यह किया है । और इस उत्तर वाक्य
का अर्थ वाक्यों चाट्ट के वाक्यार्थ होने पर प्रेयोऽलङ्कार का भी विषय होता है ।
न केवल रसपदलङ्कार का अपितु प्रेयोऽलङ्कार का भी विषय होता है इस प्रकार
किया है । रसपत् और प्रेय शब्द से ऊर्जस्वि, समाहित, भावोदय, भावसन्धि,
भाव-शयलता सहित सातों रसपदलङ्कारों का ग्रहण है ।

वह रसादि अलङ्कार शुद्ध और सङ्कीर्ण [दो प्रकार का होता है । जो
अङ्गभूत अन्व रस या अलङ्कार से मिश्रित नहीं है अर्थात् जहा एक ही रस आदि
प्रेयोऽलङ्कार अर्थात् गुरुदेव, नृपति, पुत्र विषयक प्रीति का अङ्ग है वहा शुद्ध
रसपदलङ्कार] होता है । उनमें से प्रथम [अर्थात् शुद्ध रसपदलङ्कार का
उदाहरण] जैसे—

[इस श्लोक में किमी रात्ता को स्तुति की गई है उमका भाव यह है कि
तुमने अपने शत्रुओं का नाश कर डाला । उनकी शिष्या रात को स्वप्न में अपने
पति को देखती हैं और उनके गले में हाथ डाल कर कहती हैं] इस हंसी करने से

इस्यत्र करुणस्य शुद्धस्याङ्गभावात् स्पष्टमेव रसवदलङ्कारत्वम् ।
एवमेवंविधे विषये रसान्तराणां स्पष्ट एवाङ्गभावः ।

सङ्कीर्णो रसादिरङ्गभूतो यथा—

क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्यादानोऽशुकान्तं,
गृह्णन् केशोष्णपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण ।
आलिङ्गन्वोऽवधृत्स्त्रिपुरयुवतिभिः माश्रुनेत्रोत्पलाभिः
कामीवार्द्रांपराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वःशराग्निः ॥

क्या लाभ है । बड़े दिन बाद दर्शन हुए हैं । अब मैं जाने नहीं दूंगी, हे निष्ठुर !
बताओ तुम्हारी प्रयास में [बाहर रहने की] रूचि क्यों हो गई है । तुमको किसने
मुझसे अलग कर दिया है । स्वप्न में, पति के कण्ठ का आलिङ्गन कर इस प्रकार
कहने वाली तुम्हारी रिपु-स्त्रियां उठ कर [दिखती हैं कि प्रियतम के कण्ठग्रहण
के लिये जो अपने बाहुओं का बलय उन्होंने बना रखा था वह तो रिक्त है]
अपने रिक्त बाहु बलय को देख कर तारस्वर से रोती है ।

इस उदाहरण में शुद्ध [रसान्तर अथवा अलङ्कारान्तर सं असङ्कीर्ण]
करण रस [राजविषयक प्रीति का] अङ्ग है इसलिये स्पष्ट ही रसवदलङ्कार है ।
इसी प्रकार इस तरह के उदाहरणों में अन्य रसों का भी अङ्गभाव स्पष्ट है ।

सङ्कीर्ण रसादि [भी] अङ्गरूप [होता है] जैसे :—

त्रिपुर दाह के समय शम्भु के बाण [में] समुद्भूत, त्रिपुर की
युवतियों द्वारा आर्द्रांपराध [तत्काल कृत पराङ्गनोपभोगादि अपराध युक्त]
कामी के समान, हाथ छूने पर झटक दिया गया, ज़ोर से ताड़ित करने
पर भी वस्त्र के छोर को पकड़ता हुआ, केशों को पकड़ते समय हटाया गया,
पैरों में पड़ा हुआ भी सम्भ्रम [प्रीति अथवा घबराहट] के कारण न देखा
गया, और आलिङ्गन [करने के प्रयत्न] करने पर आंसुओं से परिपूर्ण
नेत्रकमल वाली [कामीपक्ष में ईर्ष्या के कारण और और अग्नि पक्ष में
बचाव की आशा से रहित होने के कारण रोती हुई] त्रिपुर-मुन्दरियों
द्वारा तिरस्कृत [कामीपक्ष में प्रत्यालिङ्गन द्वारा स्वीकृत न करके और
अग्नि-पक्ष में सारे शरीर को झटकर फेंका गया] शम्भु का शराग्नि तुम्हारे
दुःखों को दूर करे ।

इत्यत्र त्रिपुरारिपुप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्याविप्रलम्भस्य श्लेषसहितस्याङ्गभाव इति ।

एवंविध एव रसवदलङ्कारस्य^१ न्याय्यो विषयः । अनएव चेर्ष्याविप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन व्यग्रस्थानात्समावेशो न दोषः ।

यत्र हि रसस्य वाक्यार्थभावस्तत्र कथमलङ्कारत्वम् । अलङ्कारो हि चारत्वहेतुः प्रसिद्धः । न त्वसावात्मैवात्मनश्चारुत्वहेतुः । तथा चायमत्र संक्षेपः—

^१रमभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम् ।

अलङ्कृतीनां सर्वासामलङ्कारत्वसाधनम् ॥

इस [श्लोक] में त्रिपुरारि [शिव] के प्रभावातिशय के [मुख्य] वाक्यार्थ होने पर श्लेषसहित ईर्ष्याविप्रलम्भ उसका अङ्ग है । [इमलिप् यहाँ सङ्कीर्ण रसादि अङ्ग है ।]

इसी प्रकार के उदाहरण रसवदलङ्कार के उचित विषय होते हैं । इसीलिप् [यहाँ] ईर्ष्याविप्रलम्भ और करुण दोनों [विरोधी रसों] के अङ्ग रूप में स्थित होने से दोष नहीं है ।

जहाँ रस का वाक्यार्थत्व है [अर्थात् जहाँ रस ही प्रधान है वहाँ तो वह अलङ्कार्य है अलङ्कार नहीं अतएव वहाँ ध्वनि होती है रसवदलङ्कार नहीं] यहाँ उसको [रसवत्] अलङ्कार कैसे मानें । [अर्थात् नहीं मान सकते हैं] चारुत्वहेतु को ही अलङ्कार कहते हैं । यह स्वयं ही अपना चारुत्वहेतु [अर्थात् प्रधान होने से स्वयं ही अलङ्कार्य है और रसवदलङ्कार होने से चारुत्वहेतु भी] हो यह तो नहीं हो सकता । इमलिप् इसका सारांश यह हुआ कि :—

रस, भाव आदि [को प्रधान मान कर तत्परतया उनके अङ्ग रूप] साधन से अलङ्कारों की स्थिति ही सब अलङ्कारों के अलङ्कारत्व [चारुत्वहेतुत्व] का साधक है ।

१. रसवदलङ्कारस्य दी० । २ नि० तथा दी० ने इस पर कारिका की सहाय दी है । बातप्रिया बाने सस्वरण में नहीं ।

तस्माच्च रसादयो वाक्यार्थीभूताः 'स सर्गं न रसादेरलङ्कारस्य'
 विषयः, स ध्वनेः प्रभेदः । तस्योपमादयोऽलङ्काराः । यत्र तु प्राधान्येनार्थान्तरस्य वाक्यार्थीभावे रसादिभिश्चास्त्वनिष्पत्तिः क्रियते स
 रसादेरलङ्कारताया विषयः ।

इसलिए जहाँ रसादि वाक्यार्थीभूत [अर्थात् प्रधानतया बोधित] होते हैं, वह सभ्य [स्थल] रसादि अलङ्कार के विषय नहीं [अपितु] वह ध्वनि [रसादि ध्वनि] के भेद हैं । उस के [रसादि ध्वनि के चार वहेतु] उपमादि अलङ्कार होते हैं । और जहाँ प्राधान्येन कोई दूसरा अर्थ वाक्यार्थीभूत हो और रसादि उसके चास्त्व का संपादन करते हैं वह रसादि अलङ्कार का विषय है ।

'क्षिप्तो हस्तावलग्नः' इत्यादि पत्र में कविनिष्ठ शिवविषयक भक्ति प्रधानतया व्यज्यमान है तथा शिव का त्रिपुरदाह के प्रति उत्साह उसका पोषक है । परन्तु वह उत्साह अनुभाव-विभाव आदि से परिपुष्ट न होने के कारण परिपक्व रस न होकर भाव मात्र रह गया है । पतियों के मर जाने पर अग्नि की इस आपत्ति में पड़ी हुई त्रिपुर मुन्दरियों के वर्णन से प्रसूत होने वाला कथण रस उस उत्साह का अङ्ग है । और 'कामीशर्द्रापराधः' में प्रदर्शित कामी व साम्य से उपमा द्वारा प्रतीति होने वाला शृङ्गार रस उस कथण रस का अङ्ग है । परन्तु वह कथण भी अन्तिम विश्रान्तिधाम नहीं है बल्कि उत्साह का अङ्ग है । इस प्रकार कथण और शृङ्गार दोनों ही उत्साहपोषित शिवविषयक रति-प्रीति-रूप भव के उपकारक अङ्ग हैं । परन्तु प्रथम ने नेवल 'श्लेषसहितस्य ईर्ष्या विप्रलम्भस्य अङ्गभावः' कहा है । उस अङ्गभ्रम में कथण को नहा दिखाया । उनका अभिप्राय यह है कि यद्यपि यथा कथण रस है तो, परन्तु चास्त्वनिष्पादन में उसका अधिक योग नहीं है इसलिए 'श्लेषसहितस्य ईर्ष्या विप्रलम्भस्य लिखा है ।

रसों का परस्पर विरोधाविरोध—

रसों में परस्पर शत्रु मित्र भाव भी माना गया है । कुछ रस ऐसे होते हैं जिनका साथ-साथ वर्णन हो सकता है । कुछ ऐसे हैं जिनका साथ साथ । वर्णन नश किया जा सकता । इस प्रकार के विरोधी रसों में शृङ्गार रस का कथण, बीभत्स, रोद्र, वीर और भयानक के साथ विरोध माना गया है । आश्रयः 'नृण्य-बीभत्सरोद्रवीरभयानकैः' । इस नीति के अनुसार कथण और शृङ्गार का एकत्र

वर्णन नहीं किया जा सकता है। परन्तु इस 'क्षिप्तो' इत्यादि श्लोक में करुण और शृङ्गार दोनों का वर्णन आया है। इसी के समाधान करने के लिए ग्रन्थकार ने "अतएव चैर्थाविप्रभङ्गयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोषः" यह पक्ति लिखी है।

रसों के इस विरोध के तीन प्रकार हैं। किन्हीं का विरोध आलम्बन ऐक्य में होता है। किन्हीं का आश्रय ऐक्य में विरोध है और किन्हीं का नैरन्तर्य विरोधजनक है। जैसे शृङ्गार और वीर रस का आलम्बनैक्य से विरोध है। उस एक ही आलम्बन विभाव से शृङ्गार और वीर दोनों का परिपोष नहीं हो सकता। इसी प्रकार हास्य, रौद्र और बीभत्स के साथ सम्भोग शृङ्गार का तथा वीर, करुण, रौद्रादि के साथ विप्रलम्भ शृङ्गार का आलम्बनैक्येन विरोध है।

वीर और भयानक रस का आश्रय ऐक्य से विरोध है। एक ही आश्रय व्यक्ति में एक साथ वीर और भयानक क स्थायीभाव भय और उत्साह उद्भूत नहीं हो सकते। इसी प्रकार शान्त और शृङ्गार रस का नैरन्तर्य विरोधजनक है। अर्थात् शृङ्गार से अव्यवहित शान्त रस का वर्णन दोषजनक है। यह रसों के विरोध की व्यवस्था हुई। इस रूप में यह रस एक दूसरे के विरोधी या शत्रु हैं। परन्तु शृङ्गार का अद्भुत से साथ, भयानक का बीभत्स के साथ, वीर रस का अद्भुत और रौद्र रस के साथ किसी प्रकार विरोध नहीं है। न आलम्बनैक्येन, न आश्रयैक्येन, और न नैरन्तर्येण, इसलिए इनको मित रस कहा जा सकता है

प्रकृत 'क्षिप्त' इत्यादि श्लोक में पतियों के मरने से आग की विपत्ति में पड़ी त्रिपुर सुन्दरिया करुण रस का आलम्बन विभाव हैं और 'कामीवर्द्रांपराधः' इस 'कामीव' उपमा का सम्बन्ध भी उनके साथ ही होने से शृङ्गार का आलम्बन विभाव भी वही हैं। इस प्रकार यहा करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार दोनों का आलम्बन ऐक्य में वर्णन किया है। परन्तु आलम्बनैक्य से ही इन दोनों रसों का विरोध है इसलिए यहाँ अनुचित रस वर्णन किया गया है। यह शङ्का है जिसका समाधान मूल में "इर्थाविप्रलम्भङ्गयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोषः।" लिख कर किया है।

विरोधी रसों के अविरोध सम्पादन का उपाय—

विरोधि नोऽपि स्मरणे, साम्येन यत्नेऽपि वा ।

भवेद् विरोधो ना-दोन्यमङ्गित्वेन तयोः ॥ सा० द० ७, ३० ।

अर्थात् दो विरोधी रसों का स्मरणात्मक वर्णनमात्र हो, अथवा दोनों का समभाव से अर्थात् गुणप्रधानभाव रहित वर्णन हो अथवा दोनों यदि किसी तीसरे के अङ्ग रूप में वर्णित हों तो इन तीन अवस्थाओं में एक विरोधी रसों का एक साथ वर्णन भी दोषजनक नहीं होता । यह सिद्धान्त माना गया है । यद्वा करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार दोनों उत्साह परिपोषित भगवद्विषयक रति-भक्ति-के अङ्ग हैं । इसलिए उनका साथ वर्णन दोषजनक नहीं है । यही भाव “विप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात् समावेशो न दोषः” इस समाधान का है ।

श्लोक में जिस त्रिपुर दाह के अग्नि काण्ड का वर्णन है वह पौराणिक कथा के आधार पर है । तारकासुर नाम का एक प्रसिद्ध असुर था । उसके तीन पुत्र हुए, तारकाक्ष, विष्णुमाली और कमललोचन । इन तीनों ने महा धीर तप करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे अन्तरिक्ष के तीनों पुरों का अधिकार प्राप्त किया । परन्तु पीछे अधिकार मद से मत्त हो वे नाना प्रकार के अत्याचार करने लगे । तब सब देवताओं ने विष्णु के नेतृत्व में शिव जी से मिल कर उनके नाश करने की प्रार्थना की । देवताओं की प्रार्थना मान कर शिव जी ने एक ही वाण छोड़ा जिससे वह तीनों पुर अग्नि से प्रज्वलित हो उठे और भस्म हो कर नष्ट हो गए । तब से शिव का एक नाम त्रिपुरारि भी हो गया है । प्रकृत श्लोक में उसी समय के इस अग्नि काण्ड का वर्णन किया गया है ।

खण्ड रस का सञ्चारी रस —

अमी रसों के अङ्गाङ्गीभाव तथा विरोध की जो चर्चा की गई है उसके सम्बन्धमें एक शङ्का यह रह जाती है कि रस को अखण्ड समूहालम्बनात्मक, नडास्वाद सहोदर माना गया है । ऐसे दो रसों का युगपत् एकत्र समावेश या प्रादुर्भाव ही सम्भव नही है इसलिए उनके विरोध अथवा अङ्गाङ्गीभाव का उपपादन कैसे होगा । इसका उत्तर यह है कि आपका कहना ठीक है । इसलिए ऐसे अपूर्ण रसों को रस न कह कर प्राचीन लोग ‘सञ्चारी’ रस नाम से व्यवहृत करते हैं और चण्डीदास ने उनको ‘खण्डरस’ नाम से कहा है ।

अङ्ग बाण्योऽप्यससर्गा यत्तङ्गी स्फाद्रसान्तर ।

नास्वाद्यते समग्र तत्ततः खण्डरसः स्मृतः । सा० द० ७ ।

रसमदलङ्कार त्रिषयक मतभेद—

अमी चौथी कारिका में रसमदलङ्कारों का वर्णन करते हुए कारिकाकार ने लिखा है कि “काव्ये तस्मिन्लङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ।” अर्थात् जहाँ अन्य

कोई मुख्य वाक्यार्थ हो और रसादि अङ्ग रूप में वर्णित हों वहा रसादि अलङ्कार होता है यह मेरी सम्मति है । यह “मे मतिः” शब्द इस विषय में मतभेद को सूचित करते हैं । इसी की वृत्ति में वृत्तिरार ने भी यद्यपि ‘रसवदलङ्कारस्थानै-
दर्शितो विषयः’ लिख कर उस मतभेद की सूचना दी है । इस मतभेद के दो रूप हैं । कुछ लोगो का कहना है कि अलङ्कार तो कटक-कुण्डल के समान हैं वह साक्षात् वाच्य वाचक के उपकारक और परम्परया रस के उपकारक होते हैं । जसे कटक कुण्डल साक्षात् शरीर के उपकारक और शरीर द्वारा आत्मा के उपकारक होने से अलङ्कार कहलाते हैं । इसलिए—

उपकुर्वन्ति त मन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित् ।

हारादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादय ॥ का० प्र० १०, १ ।

इत्यादि अलङ्कार के लक्षणों में अनुप्रास उपमादि को अङ्ग अर्थात् शब्द और अर्थ द्वारा ही रसोपकारक माना है । परन्तु रसवदलङ्कार वाच्य और वाचक अर्थ या शब्द के उपकारक न होकर साक्षात् रसादि के उपकारक होते हैं इसलिए उनमें अलङ्कार का लक्षण ही नहीं घटता है इसलिए रसवदलङ्कार नहीं होते । ऐसी दशा में जहा रसादि अन्य के अङ्ग हैं वहा यह लोग रसवदलङ्कार न मान कर उसको गुणीभूत व्यङ्ग्य ही कहते हैं ।

रसवदलङ्कारों के विषय में उठाई गई इन आपत्ति को दूर करने के लिए कुछ लोग चिरन्तन व्यनहारानुरोध से रसोपकारकत्वमान स गुणीभूतरसों में भाव अलङ्कार व्यवहार मान कर कथञ्चित् उनके रसवदलङ्कारत्व का उपपादन करते हैं ।

दूसरे लोग इस समस्या को हल करने के लिए अलङ्कार के लक्षण में शब्दार्थ का समावेश व्यर्थ बता कर रसोपकारकत्वमान को अलङ्कार का मुख्य लक्षण मानकर गुणीभूतरसा में साक्षात् रसोपकारकत्व होने से उनमें रसवदलङ्कारत्व का उपपादन करते हैं । इनके मत में यह अलङ्कार-व्यवहार भाव नहीं अपितु मुख्य ही है ।

इस दूसरे मत के लोग “उपकुर्वन्ति त मन्त येऽङ्गद्वारेण जातुचित्” इत्यादि अलङ्कार के लक्षण में अलङ्कारनिर्दिष्टशब्दार्थज्ञानत्वेन और चमत्कारत्वेन कार्य-कारण भाव मान कर उस अलङ्कार लक्षण का इस प्रकार परिष्कार करते हैं :—

समवायमभ्वन्धावच्छिन्नचमत्कृतित्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपित, समवाय-
सम्बन्धावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न जनकतानिरूपित, विषयत्वसम्बन्धावच्छिन्न शब्द-
यान्यतरनिष्ठावच्छेदकतानिरूपितपञ्चेदकतावत्वमलङ्कारत्वम् ।

रसवदलङ्कार तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य की व्यवस्था—

रसवदलङ्कारों के साथ ही गुणीभूत व्यङ्ग्य का प्रश्न भी सामने आ जाता है। अलङ्कार साक्षात् शब्दार्थ के ही उपकारक होते हैं और गुणीभूत रस शब्दार्थ के उपकारक न होकर साक्षात् रसान्तर के उपकारक होते हैं इसलिए उनमें अलङ्कार का सामान्य लक्षण न घटने से जो लोग उनको रसवदलङ्कार न कह कर गुणीभूत व्यङ्ग्य कहते हैं उनका मत तो स्पष्ट हो गया। उनके मत में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दो ही वस्तु हैं इनसं भिन्न रसवदलङ्कार नाम की तीसरी वस्तु नहीं है परन्तु ध्वनिकार ने रसवदलङ्कार भी माने हैं और गुणीभूत व्यङ्ग्य भी। इनके मत में रसादि ध्वान के अपराङ्ग होने में रसवत् तथा प्रेयालङ्कार और वस्तु या अलङ्कार ध्वनि के अपराङ्ग दि होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य मानने से ही दोनों का समन्वय हो सकेगा।

ध्वनि, उपमादि तथा रसवदलङ्कार—

रसवदलङ्कारों के विषय में दूसरा मतभेद जिसका आरंभ कारिका और वृत्ति में सञ्चेत क्रिया गया है उसका स्वरूप यह है कि कुछ लोग १—चेतन के वाक्याभाभूत होने पर रसवदलङ्कार और २—अचेतन के वाक्याभाभूत होने पर उपमादि अलङ्कार मानते हैं। उनका आशय यह है कि अचेतन के वाक्याभाभूत होने पर उसमें चित्तवृत्तिरूप रसादि सम्भव न होने से उनसे वृत्तन में रसवदलङ्कार की सम्भावना नहीं है। अतएव उनको उपमादि अलङ्कार विषय चेतन के वाक्याभाभाव में रसवदलङ्कार का विषय मानना चाहिए। आलोकनर ने 'इति मे मति' लिख कर इसी मत का विरुद्ध अपनी सम्मति प्रदर्शित की है। उनका आशय यह है कि —

१—जहाँ रसादि की प्रतीति प्रधान रूप से होती है वहाँ रसध्वनि का विषय समझना चाहिए।

२—जहाँ मुख्य रस अलङ्कार है और कोई दूसरा रस भी अङ्गभूत नहीं है वहाँ उपमादि अलङ्कार का क्षेत्र है।

३—जहाँ रसादि अङ्ग रूप में हैं वहाँ रसवदलङ्कार का विषय है।

इस प्रकार १—ध्वनि, २—उपमादि अलङ्कार और ३—रसवदलङ्कारों का विषय भेद हो जाता है। इसके विपरीत उक्त चेतन और अचेतन के वर्णन भेद से भेद मानने वाले मत में यह विभाग नहीं बन सकता है। इसी विषय को मध्यकार आगे उपस्थित करते हैं।

एवं ध्वनेः, उपमादीनां, रसवदलङ्कारस्य च विभक्तविषयता भवति । यदि तु चेतनानां वाक्यार्थीभावो रसाद्यलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते तर्हि, उपमादीनां प्रविरलविषयता निर्विषयता वाभिहिता स्यात् । यस्मादचेतनवस्तुवृत्ते वाक्यार्थीभूते पुनश्चेतनवस्तुवृत्तान्त-योजनया कथञ्चिद्भवितव्यम् । अथ सन्यामपि तस्यां यत्राचेतनानां वाक्यार्थीभावो नासौ रसवदलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते, तन्महतः काव्यप्रबन्धस्य रसनिधानभूतस्य नीरसत्वमभिहितं स्यात् ।

यथा—

तरङ्ग-भ्रू भङ्गालुभितविहगश्रेणिरशना,
विकर्पन्ती फेनं, वसनमिव संरम्भशिथिलम् ।
यथाविद्धं याति स्पलितमभिसन्धाय बहुशो,
नदीरूपेणैव ध्रुवमसहना सा परिणता ॥

इस प्रकार [ऊपर बणित पद्धति से] ध्वनि, उपमादि अलङ्कार और रसवदलङ्कारों का क्षेत्र अलग-अलग हो जाता है । [इसके विपरीत ग्रन्थों के मत से] यदि चेतन के वाक्यार्थीभाव [चेतन को मुख्य वाक्यार्थ मानने] में रसवदलङ्कार का विषय होता है यह मानें तो उपमादि अलङ्कारों का विषय बहुत विरल रह जायगा अथवा सर्वथा ही नहीं रहेगा । क्योंकि जहाँ अचेतन वस्तुवृत्त मुख्य वाक्यार्थ है वहाँ किसी न किसी प्रकार [विभावादि द्वारा] चेतनवस्तु के वृत्तान्त योजना होगी ही । [इस प्रकार उन सब स्थलों में चेतन वस्तु के वाक्यार्थ बन जाने पर वह सब ही रसवदलङ्कार के विषय हो जावेंगे । उपमादि के नहीं इसलिए उपमादि प्रविरल विषय अथवा निर्विषय हो जावेंगे ।] और यदि चेतनवृत्तान्त योजना होने पर भी जहाँ अचेतन का वाक्यार्थीभाव [प्राधान्य] है वहाँ रसवदलङ्कार नहीं हो सकता यह कहा जाय तो बहुत बड़े रसमय काव्य भाग का नीरसत्व कथित हो जायगा ।

जैसे—

टेढ़ी भौंहों के समान तरङ्गों को और रशना के समान लुब्ध विहग पंक्ति को धारण किए हुए क्रोधावेश में तिसके हुए वस्त्र के समान फेनों को खींचती हुई [यह नदी] बार-बार टोकर खाकर जो टेढ़ी चाल से जा रही है सो जान

यथा वा—

तन्वी मेघजलाद्रपल्लवतया धौताधरेवाश्रुभिः,
शून्येवाभरणैः स्वकालचिरहाद्विश्रान्तपुष्पोद्गमा ।
चिन्तामौनमिवाश्रिता मधुकृतां शब्दैर्विना लक्ष्यते,
चण्डी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ॥

यथा वा—

तेषां गोपवधूविलाससुहृदां राधारहःसाक्षिणां,
क्षेमं भद्र कलिन्दशैलतनयातीरे लतावेश्मनाम् ।
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना,
ते जाने जरठी भवन्ति विगलन्नीलत्विपः पल्लवाः ॥

इत्येवमादौ विषयेऽचेतनानां वाक्यार्थाभावेऽपि चेतनवस्तुवृत्तान्त
योजनाऽस्त्येव । अथ यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनाऽस्ति तत्र रसादि
रलङ्कारः । तदेवं सत्युपमादयो निर्विषयाः प्रविरलविषयाः वा स्युः ।

पढ़ता है कि मेरे अनेक अपराधों को देख कर रूठी हुई वह [उर्वशी ही] नदी
रूप में परिणत हो [बदल] गई है ।

अथवा जैसे—

तन्वी [उर्वशी] पैरों पर पड़े हुए मुझे तिरस्कृत करके पश्चात्तापयुक्त
होकर श्रांसुओं से गीले अधर के समान वर्षा के जल से आर्द्र पल्लव को धारण
किए, ऋतुकाल न होने से पुष्पोद्गमरहित आभरण शून्य सी, भौरों के शब्द
के अभाव में चिन्ता मौन सी [लता रूप में] दिखाई देती है ।

अथवा जैसे—

हे भद्र ! गोपवधुओं के विलास सदा, राधा की एकान्त क्रीडाओं के
साक्षी यमुना तट के लता कुञ्ज तो कुशल से हैं । अथवा [अथ तो] मदनशय्या
के निर्माण के लिए मृदु किसलयों के तोड़ने का प्रयोजन न रहने पर नील-
कान्ति को क्षिप्तकाले हुए वे पल्लव [पुराने] रूढ़े हो जाते होंगे ।

इत्यादि उदाहरणों में अचेतन [क्रमशः पहिले श्लोक में नदी, दूसरे में
लता और तीसरे में लताकुञ्ज] वस्तुओं के वाक्यार्थाभाव [प्रधानता] होने पर
भी [रिभावादि द्वारा कथञ्चित्] चेतन वस्तु के व्यवहार की योजना है ही ।
और जहां चेतनवस्तु वृत्तान्त योजना है वहां रसादि अलङ्कार हैं । ऐसा होने पर

यस्मान्नास्त्येवासावचेतनवस्तुवृत्तान्तो यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजना
नास्त्यन्ततो विभावत्वेन । तस्माद्भवेन च रसादीनामलङ्कारता । यः
पुनरङ्गी रसो भावो वा सर्वाकारमलङ्कार्यः स ध्वनेरात्मेति ॥५॥

किञ्च—

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥६॥

ये तमर्थं रसादिलक्षणमङ्गिनं सन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवत् ।
वाच्यवाचकलक्षणान्यङ्गानि ये 'पुनस्तदाश्रितास्तेऽलङ्कारा मन्तव्याः
कटकादिवत् ॥६॥

उपमादि अलङ्कार सर्वथा निर्दिष्ट हो जावेंगे अथवा उनके उदाहरण बहुत ही
कम मिल सकेंगे । क्योंकि ऐसा कोई अचेतन वृत्तान्त नहीं मिलेगा जहाँ चेतन
वस्तु वृत्तान्त का संबन्ध अन्तत विभाव रूप से [ही सही] न हो । इसलिए
रसादि के अङ्ग होने पर रसवदलङ्कार होते हैं और जो अङ्गी रस या भाव सब
प्रकार में अलङ्कार्य हैं वह ध्वनि का [आत्मा] स्वरूप है ।

इस प्रकार आलोककार ने रसवदलङ्कार के विषय में परमत का
निराकरण करते हुए अपने मत का उपसर्ग किया । इनका भाव यह
हुआ कि चेतनवस्तु व वाक्यार्थाभाव के आधार पर रसवदलङ्कार और
अचेतन वस्तु के वाक्यार्थाभाव में उपमादि अलङ्कार होते हैं यह जो दूसरों का मत
है वह इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि अचेतन वस्तु के साथ चेतन वृत्तान्त का
सम्बन्ध ही जाता है अतः सर्वत्र रसवदलङ्कार ही होगा । उपमादि का विषय
बहुत कम या बिल्कुल नहीं मिलेगा । या फिर अचेतन परक वाक्य को नीरस
टहरना पड़ेगा ॥५॥

गुण और अलङ्कार का भेद [मिद्वान्त पद्य]—

और—

जो उस प्रधानभूत [रस] अङ्गी के आश्रित रहने वाले [माधुर्यादि]
हैं उनको गुण कहते हैं और जो [उसके] अङ्ग [शब्द तथा अर्थ] में आश्रित
रहने वाले हैं उनको कटकादि के समान अलङ्कार कहते हैं ।

जो उस रसादि रूप अङ्गीभूत का अवलम्बन करते हैं [तदाश्रित रहते

हैं] वे शौर्य आदि के समान गुण कहाते हैं । और वाच्य तथा वाचक रूप [अर्थ तथा शब्द उस काव्य के] अङ्ग हैं, जो उन [अङ्गों] के आश्रित हैं वे कटक आदि के समान अलङ्कार समझने चाहिए ।

पाचवा कारिका की व्याख्या में रस-ध्वनि, रसवदलङ्कार तथा उपमादि अलङ्कार का विषय विभाग किया था । छठी कारिका में गुण तथा अलङ्कारों का विषय विभाग किया है । जो साक्षात् रस के आश्रित रहने वाले माधुर्य आदि हैं उनको साक्षात् आत्मा में रहने वाले शौर्य आदि के समान गुण कहते हैं और जो उसके अङ्गभूत शब्द तथा अर्थ में रहने वाले धर्म हैं उनको कटकादि के समान अलङ्कार कहते हैं । यह गुण और अलङ्कार का भेद हुआ ।

वामन मत—

भामह के काव्यलाङ्कार की वृत्ति में भट्टोज्जट का, तथा वामन का मत इस विषय में इससे भिन्न है । वामन ने तो “काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः । तदतिशयहेतुस्त्वलङ्काराः” लिखा है । अर्थात् काव्य के शोभाजनक धर्मों को गुण और उस शोभा के वृद्धिकारक हेतुओं को अलङ्कार कहा है । काव्यप्रकाश ने इस का स्पष्टन करते हुए लिखा है कि जो लोग यह लक्षण करते हैं उनके मत में “किं समस्तैर्गुणैः काव्यव्यवहार उत कतिपयैः” । क्या समस्त गुण मिल कर काव्यव्यवहार के प्रयोजक होते हैं अथवा कुछ ही पर्याप्त होते हैं । यदि सब गुणों की समाप्ति को ही काव्यव्यवहार का प्रयोजक मानें तो गौड़ी पाञ्चाला आदि रीति जिनमें समस्त गुण नहीं रहते उनको कैसे काव्य की आत्मा मानोगे । इस आक्षेप का भाव यह है कि वामन तो रीतिसम्प्रदाय के प्रवक्तक हैं । “रीतिरात्मा काव्यस्य” यह उनका सिद्धान्त है । गौड़ी, पाञ्चाली आदि रीतियों में समस्त गुणा का समापन तो होता नहा फिर उनको काव्य का आत्मा कस मानोगे । और यदि एक-एक गुण की उपस्थिति को ही काव्यव्यवहार के लिए पर्याप्त मानें तो “अद्रावण प्रव्वलत्यग्निरुच्चैः, प्राव्य प्रोत्सुनुलसत्येव धूमः” इत्यादि में अोज आदि गुण होने के कारण उनमें भी काव्य व्यवहार क्यों नहा हैगा । मम्मट ने वामन के स्पष्टन में यहाँ जो युक्ति प्रवाह उपस्थित किया है वह कुछ शिथिल सा जान पड़ता है ।

भामह मत—

भामह के विवरण में भट्टोज्जट ने तो गुण और अलङ्कार के भेद को ही नहीं माना है । उनका कहना है कि लौकिक गुण [शौर्यादि] और अलङ्कार [कटक कुण्डलादि] में तो भेद स्पष्ट है । शौर्यादि गुण आत्मा में समापन

तथा च—

शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः ।

तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्यं प्रतितिष्ठति ॥७॥

शृङ्गार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रह्लादहेतुत्वात् । 'तत्रकाशनपर-
शब्दार्थतया काव्यस्य स माधुर्यलक्षणो गुणः । अव्ययत्वं पुनरोजसोऽपि
साधारणमिति ॥७॥

सम्बन्ध से रहते हैं और कटक-फुल्लादि अलङ्कार शरीर में सयोग सम्बन्ध से
आश्रित होते हैं । इसलिए लौकिक गुण और अलङ्कारों में वृत्तिनियामक सम्बन्ध
सयोग तथा समवाय के भेद से भेद हो सकता है । परन्तु श्रोज प्रभृति गुण और
अनुप्रासादि अलङ्कार दोनों ही समवाय सम्बन्ध से रहते हैं इसलिए [समवायवृत्त्या
शौर्यादयः, सयोगवृत्त्या तु हारदयः इत्यस्तु गुणालङ्काराणां भेदः श्रोज. प्रभृतीनां
अनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति गड्डलिनाप्रवादेशैरेवैषां
भेदः] इन दोनों का भेद मानना गड्डलिनाप्रवाह [भेदचाल] के समान ही है ।
परन्तु आलोक और काव्यप्रकाशादिभार ने रसनिष्ठ धर्मों को गुण और शब्दार्थ
निष्ठ धर्मों को अलङ्कार मान कर दोनों का भेद किया है । अर्थात् वृत्तिनियामक
सम्बन्ध के भेद से नहा, अपितु आश्रय भेद से गुण और अलङ्कार का भेद है ।

नव्य मत—

नव्य लोगों का यह मत है कि गुणों को रसमात्र धर्म मानने में कोई
दृढतर प्रमाण भी नहीं है और वेदान्त में प्रतिपादित निर्गुण आत्मतत्त्व स्थानीय
रस को भी निर्गुण ही मानना चाहिए । अतएव गुणों को रसधर्म मानना उपहासा-
स्पद ही होगा । ['अपि चात्मनो निर्गुणत्वस्य सर्वप्रमाणमौलिभूतवेदान्तै प्रति
पादिततया आत्मभूतरसगुणत्व मायुष्यादीनां कथमिव नोपहासास्पदम् ।'] ॥६॥

इसी से,

शृङ्गार ही सबसे अधिक आनन्ददायक मधुर [माधुर्य युक्त] रस है ।
उस शृङ्गारमय काव्य के आश्रित ही माधुर्य गुण रहता है ।

शृङ्गार ही अन्य रसों की अपेक्षा अधिक प्रह्लादजनक होने से मधुर है ।

१. नि० तथा दी० से प्रह्लादहेतुत्वात्प्रकाशनपर. । शब्दार्थयो एमा
पाठ है ।

उसको प्रकाशित करने वाले शब्दार्थ युक्त काव्य का वह माधुर्य गुण होता है । श्रव्यत्व तो श्रोज का भी साधारण धर्म है । [अर्थात् माधुर्य के समान श्रोज में भी श्रव्यत्व रहता है ।]

‘एवकारस्त्रिधा मतः’—

शृङ्गार एव मधुर, इत्यादि सातवा कारिका में ‘एव’ पद का प्रयोग किया गया है । इस ‘एव’ का प्रयोग तीन प्रकार से होता है और उन तीनों में उसके अर्थ में भेद हो जाता है । वह कभी विशेषण के साथ प्रयुक्त होता है कभी विशेष्य के साथ और कभी क्रिया के साथ । विशेष्य के साथ प्रयोग होने पर वह अन्य योग का व्यच्छेदक होता है [विशेष्यसङ्गतस्त्वेवकारो अन्ययोग व्यच्छेदक] जैसे ‘पार्थ एव धनुर्धर’ । यहाँ पार्थ विशेष्य है उसके साथ प्रयुक्त एव का अर्थ अन्य योग का व्यच्छेद करना है । अर्थात् वह विशेष्य पार्थ से अन्य में विशेषण धनुर्धर के संबन्ध का निषेध करता है । ‘पार्थ एव धनुर्धरो नान्य’ यह उसका भावार्थ होता है । विशेषण के साथ प्रयुक्त एव अयोग व्यच्छेदक होता है [विशेषण सङ्गतस्त्वेवकारो अयोग व्यच्छेदक] जैसे ‘पार्थो धनुर्धर एव’ यहाँ विशेषण धनुर्धर के साथ प्रयुक्त ‘एव’ विशेष्य में विशेषण के अयोग अर्थात् संबन्धाभाव का निषेध करता है और उस में धनुर्धरत्व का नियमन करता है । इसी प्रकार जब ‘एव’ क्रिया के साथ अन्वित होता है तब अत्यन्त योगव्यच्छेदक होता है । जैसे ‘नील कमल भवत्येव’ इस वाक्य में ‘भवति’ क्रिया के साथ अन्वित एवकार कमल में नीलत्व के अत्यन्त असम्बन्ध का निषेध कर किसी विशेषण कमल में नील के संबन्ध को नियमित करता है । इस प्रकार एव के तीन प्रकार के प्रयोग होते हैं । [‘अयोग अन्ययोग चात्यन्तायोगमेव च । व्यवच्छिन्नत्ति धर्मस्य एवकारस्त्रिधा मतः ।’]

प्रकृत ‘शृङ्गार एव मधुर’ इत्यादि कारिका में विशेष्य के साथ अन्वित एव के अन्ययोग व्यच्छेदक होने से उसका अर्थ ‘शृङ्गार एव मधुरो नान्य’ यह होगा । परन्तु अगली ही कारिका में [शृङ्गारे विप्रलम्भारये करुणे च प्रनर्पयत् ।] करुण आदि रस में भी उसका अस्तित्व ही नहीं माना अपितु सभोग शृङ्गार की अपेक्षा विप्रलम्भ में और उससे भी अधिक करुण रस में माधुर्य का उत्कर्ष माना है । यदि ‘शृङ्गार एव’ का एवकार अन्ययोग व्यच्छेदक है तो इसकी सङ्गति कैसे लगेगी यह एक प्रश्न है । इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अन्य के भीतर दो प्रकार की वस्तुएँ आती हैं विशेष्य की सजातीय और विजातीय । यहाँ विशेष्य शृङ्गार है । उसके सजातीय अन्य रस करुणादि भी अन्य की श्रेणी में आते हैं । अन्यव्यच्छेदक

शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्ररुर्षवत् ।

माधुर्यमाद्र्तां याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥८॥

विप्रलम्भशृङ्गारकरुणयोस्तु माधुर्यमेव प्ररुर्षवत् । सहृदयहृदया-
वर्जनातिशयनिमित्तत्वादिति ॥८॥

एवकार कही सजातीय का व्यञ्जेदक हाता है और कहा विज्ञानीय का व्यञ्जेद
कता है । यहा यदि उसे सजातीय व्यञ्जेदक मनें तब तो वह कवण आदि में
माधुर्य के योग का व्यञ्जेदक होगा और उस दशा में अगली कारिका से विरोध
होगा । परन्तु यदि उसे विज्ञातीय अत्र का व्यञ्जेदक मनें तो वह, शब्द तथा
अर्थ में माधुर्य का व्यञ्जेदक होगा और इस प्रकार गुण के शब्दधर्मत्व अथवा
अर्थधर्मत्व का निषेध कर के रसैकधर्मत्व का प्रतिपादक होगा । यही आलोचकार
का सिद्धान्त पक्ष है । इसी के द्योतन के लिए यहा शृङ्गार के साथ एव पद का
प्रयोग किया गया है ।

कारिका की वृत्ति में “अव्यय पुनरोजसोऽपि साधारणम्” लिखा है । यह
पक्ति भामह के “अव्य नातिसमस्त र्थशब्द मधुरमिष्यते” भामह २,२,३ इस
वचन की आलोचना में लिखी गई है । लोचनकार ने इन की टीका में लिखा है
कि इस प्रकार का अव्यय तो “यो य शस्त्र विभर्ति स्वभुजगुरुमद. पाण्डवीना
चमूना” इत्यादि श्लोक के उदाहरण में भी पाया जाता है अतएव यह माधुर्य का
लक्षण नहीं हो सकता है ॥७॥

विप्रलम्भ शृङ्गार और करुण रस में माधुर्य [गुण का प्रयोग, विशेष
रूप से] उत्कर्ष युक्त होता है क्योंकि उसमें मन अधिक आर्द्रता को प्राप्त
हो जाता है ।

विप्रलम्भ शृङ्गार और करुण में तो सहृदयों के हृदयों की अतिशय
आकृष्ट करन का निमित्त होने से माधुर्य [गुण] ही उत्कर्षयुक्त होता है ॥८॥

प्राचीन भामह आदि आचार्यों ने [श्लेष. प्रसादस्ममता माधुर्यं मुकु-
मारता । अर्थव्यक्तिद्वारत्वमोजः कान्ति समाधय ॥] यह दश शब्द-गुण और
दश अर्थ गुण माने हैं । शब्दगुणों और अर्थगुणों के नाम तो एक ही है परन्तु
उनके लक्षण दोनों अलग-अलग हो जाते हैं । आलोच, लोचन, काव्य
प्रकाशादि ने इन दस गुणों का अन्तर्भाव अपने तीन गुणों में कर लिया है ।
और इस प्रकार माधुर्य, श्लेष और प्रसाद केवल यह तीन गुण ही माने हैं ।
उन गुणों के अन्तर्भाव प्रकार को निम्न चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है ।

रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः ।

तद्व्यक्तिहेतू शब्दार्थावाश्रित्यौजो व्यवस्थितम् ॥ ६ ॥

रौद्रादयो हि रसाः परां दीप्तिमुज्ज्वलतां जनयन्तीति लक्षणया त एव दीप्तिरित्युच्यते । तत्प्रकाशनपरः शब्दो दीर्घसमासरचनालंकृतं वाक्यम् ।

यथा—

चञ्चद्भुजभ्रमित-चण्डगदाभिघात-
सञ्चूणितोरुयुगलस्य सुयोवनस्य ।
स्त्यानापविद्ध-घन-शोणित-शोणपाणि-
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥

काव्य में विद्यमान रौद्रादि रस दीप्ति [चित्तविरतार रूप रौद्रादि रसों में अनुभूयमान चित्तावस्था विशेष] से लक्षित होते हैं । उस दीप्ति के अभिव्यञ्जक शब्द और अर्थ के आश्रय श्रोज रहता है ।

रौद्रादि [आदि पद से वीर और धद्भुत] रस अत्यन्त उज्ज्वलता रूप [चित्तावस्था] दीप्ति को पैदा करते हैं इसलिये लक्षणा से वह ही दीप्ति रूप कहे जाते हैं । [जाता के हृदय की विस्तार या प्रज्वलन स्वभाव अरथा विशेष का नाम दीप्ति है । वही मुरय रूप से श्रोजः शब्द वाच्य है । उसके सम्बन्ध से तद्वास्वादमय रौद्रादि रस भी लक्षणा से दीप्ति शब्द से गृहीत होते हैं । और उसके प्रकाशक दीर्घसमास रचना से अलंकृत शब्द भी लक्षणा से दीप्ति शब्द से गृहीत होते हैं । जैसे 'चञ्चद्भुज०' और उसका प्रकाशन करने वाला अर्थ भी दीप्ति शब्द से कहा जाता है ।] उमके प्रकाशक शब्द दीर्घसमास रचना से अलंकृत वाक्य है ।

जैसे—

[इन] फड़कती हुईं मुजाघों से घुमाई गईं गदा के भीषण प्रहार से जिम की दोनों जहाजों को चूर-चूर कर दिया गया है उस सुयोधन के जमे हुए [स्त्यान] गाढ़े रक्त से रगे हुए हाथ वाला यह भीम, हे देवि ! तरे केशों को यथेना ।

इस श्लोक में दीर्घसमास रचना से अलंकृत वाक्य उस चित्त विस्तार रूप दीप्ति का अभिव्यञ्जक है । अतएव यह श्रोज का उदाहरण है ।

तत्प्रकाशनपरश्चार्योऽनपेक्षितदीर्घसमासरचनः प्रसन्नवाचका-
भिधेयः ।

यथा—

यो यः शस्त्रं विभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां,
यो यः पाञ्चाल-गोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा ॥
यो यस्तत्कर्ममाही चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः,
क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम् ॥
इत्यादौ द्वयोरोजस्त्वम् ॥६॥

उस [श्रोज] का प्रकाशक अर्थ दीर्घसमास रचना से रहित प्रसाद गुण युक्त पदों से बोधित अर्थ [भी] होता है ।

जैसे—

पाण्डवों की सेना में अपने भुजबल से गरित जो भी शस्त्रधारी है, अथवा पाञ्चालवंश में छोटा, बड़ा अथवा गर्भस्थ जो कोई भी है, और [कर्णादि] जो जो उस कर्म [द्रोणवध] का साही है [जो-जो लड़ा हुआ उस द्रोण के वध को देखता रहा है] और मेरे युद्ध करते समय जो कोई उसमें बाधा डालेगा, राज क्रोध अन्धा से हुआ मैं उसका नाश कर दूँगा फिर चाहे वह सब जगत् का अन्तक स्वयं यमराज ही क्यों न हो ।

इन दोनों उदाहरणों में [क्रमशः शब्द और अर्थ] दोनों श्रोज स्वरूप है ।

यह दोनों श्लोक वेणीसदार नाटक के हैं । इनमें से पहली भीम की और दूसरी अश्वत्थामा की उक्ति है । पहिले में समास बहुल रचना है यहां शब्द श्रोज का अभिव्यञ्जक है और दूसरे उदाहरण में अनपेक्षित दीर्घ समास की रचना है यहाँ अर्थ श्रोज का अभिव्यञ्जक है । इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों श्रोज के अभिव्यञ्जक होते हैं यह प्रदर्शित किया ।

कारिका की श्रुति में 'लक्षणया त एव दीप्तिरित्युच्यते' लिखा है । साधारणतः "विशेष्यवाचकपदसमानवचनकृतमाख्यातस्य" यह नियम माना गया है । इसका अर्थ यह है कि आख्यात अर्थात् क्रिया पद का वचन विशेष्य वाचक पद के समान होना चाहिए । इसीलिये प्रकृति विवृति रूपल में 'श्रुतः पद्य नोक्त भवति' और उभयार्थभेदाद्येन रूपल में 'एको द्वौ शयते' इत्यादि प्रयोग उच्यन्त माने गये हैं । यहाँ त एव दीप्तिरित्युच्यते में विशेष्यवाचक तच्छब्द के 'ते' इस

समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति ।

स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥१०॥

प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयो । स च सर्वरससाधारणो गुण ।
सर्वरचनासाधारणश्च' व्यङ्ग्यार्थापिच्यैव मुख्यतया व्यवस्थितो
मन्तव्य ॥१०॥

बहुवचनान्त रूप के समान आख्यात 'उच्यते' का भी बहुवचनान्त प्रयोग होना उचित था फिर एकवचन का प्रयोग कैसे साधु होगा । इसका कथञ्चित् समाधान यह करना चाहिये कि इति शब्द स उतस्थाप्यमान वाक्यार्थ ही यदा वचनार्थनिरूपित कर्मता का आश्रय है । और उस सामान्य में सख्या विशेष की अविद्यता से एक वचन का प्रयोग भी अभीष्ट है । यह बात महाभाष्य में वचनविधायक [द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने, बहुषु बहुवचनम्] सूत्रों का 'एकवचनम्, 'द्विवहोर्द्विवचनैकवचने' इस प्रकार का न्यास करते हुए भाष्यकार ने सूचित की है । तदनुसार सामान्य में एकवचन का प्रयोग है ।

कारिका के रौद्रादयोपद में 'आदि' पद से 'वीराद्भुनयोरपि ग्रहणम्' यह लोचनकार ने लिखा है । अर्थात् यदा आदि पद की प्रारम्भार्थक न मान कर प्रकार अथवा सादृश्य वाचक माना है तभी रौद्र रस के सदृश वीरादि का ग्रहण किया है । अतएव उसमें वीर रस के विभावों से उत्पन्न अद्भुत रस का ही ग्रहण करना चाहिये ॥६॥

[शुष्केन्धन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ पत्र में जल के समान] काव्य का समस्त रसों के प्रति जो समर्पक [वादा के हृदय में भक्ति व्यापनशृङ्खल] है, समस्त रसों में और रचनाओं में [मर्मसागरणी क्रिया वृत्ति, स्थितियस्य स] रहने वाला वह प्रसाद गुण ममकता चाहिये ।

प्रसाद [का अर्थ] शब्द और अर्थ की स्वच्छता है । वह सब रसों का साधारण गुण है और सब रचनाओं में समान रूप में रहता है । [फिर चाहे वह रचना शब्दगत हो या अर्थगत, समस्त हो अथवा अंशगत] मुख्य रूप में व्यङ्ग्यार्थ की अवेक्षा से ही [मुख्यतया व्यङ्ग्यार्थ का ही समर्पक] स्थित होता है ।

यह गुण मुख्यतया प्रतिरसा के आसन्नमय होने हैं, फिर रस में उपरान्त

श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः ।

ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥११॥

अनित्या दोषाश्च ये श्रुतिदुष्टादयः सूचितास्तेऽपि न वाच्ये
अर्थमात्रे, न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारव्यतिरेकिणि, शृङ्गारे वा ध्वनेरनात्म-
भूते' । किन्तुर्हि ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारेऽङ्गितया व्यङ्ग्ये ते हेया इत्यु-
दाहृता । अन्यथा हि तेषामनित्यदोषतैव न स्यात् ॥११॥

होते हैं और फिर लक्षणा से शब्द और अर्थ में भी उनका व्यवहार होता है ।
साहित्यदर्पणकार ने इसी प्रसाद का लक्षण इस प्रकार किया है । 'चित्त व्याप्नोति
य त्तिप्र शुभके-धनमिमानन । स प्रसाद समस्तेषु रतेषु रचनासु च ॥'

इस प्रकार प्र-यकार ने यह सिद्ध किया कि जहां रसादि का असन्दिग्ध
प्राधान्य है वहां रस ध्वनि जहां वह किसी अन्य का अङ्ग है वहां रसवदलङ्कार
और जहां रस अलङ्कार्य है और अर्थ कोई रसान्तर अङ्गभूत नही है वहां उपमादि
अलङ्कार होते हैं । यह इनका विषय विभाग है । इसा प्रकार अङ्गीभूत रसादि के
आश्रित धर्म गुण, और शब्द या अर्थ के आश्रित चरुत्वहेतु धर्म अलङ्कार
कहाते हैं । इसके आगे यह कहते हैं कि हमने जा रस ध्वनि आदि का क्षेत्र
निर्धारित किया है उसको मानने पर ही नित्य और अनित्य दोषों की व्यवस्था भी
यन सकती है ॥१०॥

श्रुतिदुष्टादि [श्रुतिदुष्ट, अर्थदुष्ट कल्पनादुष्ट । 'श्रुतिदुष्टार्थदुष्टने
कल्पनादुष्टमि यदि । श्रुतिकष्ट तथैवाहुर्वाचा दाप चतुर्धम ॥ मामह] जो
अनित्य दोष बनाए गए हैं वह ध्वन्यात्मक शृङ्गार [रसध्वनिरूप प्रधानभूत
शृङ्गार] में ही व्याप्य कहे गए हैं ।

जो अनि य श्रुतिदुष्टादि दोष सूचित किए गए हैं वे न वाच्यार्थमात्र में,
न शृङ्गार से भिन्न व्यङ्ग्य [रसादि] में, और न ध्वनि के अनामभूत शृङ्गार [गुणी
भूत शृङ्गार] में, अपितु प्रधानतया व्यङ्ग्य ध्वन्यात्मक शृङ्गार में ही हेय कहे
गए हैं । अन्यथा उनको अनित्यदोषता ही न बन ॥११॥

१ नि० में 'न वाच्यार्थमात्रे, न च व्यङ्ग्ये शृङ्गारे, शृङ्गारव्यतिरेकिणि
या ध्वनेरनात्मभावे' पाठ है । दी० में 'ध्वनेरनात्मभूते' में 'भूते' के स्थान पर
'भावे' पाठ है ।

एवमयमसंलक्ष्यक्रमद्योतो^१ ध्वनेरात्मा प्रदर्शितः सामान्येन ।
 तस्याङ्गानां प्रभेदा ये प्रभेदा स्वगताश्च ये ।
 तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने ॥१२॥

अङ्गितया व्यङ्ग्यो रसाद्विर्विचक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरेक आत्मा
 य उक्तस्तस्याङ्गानां वाच्यवाचकानुपातिनामलङ्काराणां ये प्रभेदा निरवधयो,
 ये च स्वगतास्तस्याङ्गिनोऽर्थस्य रस-भाव-तदाभास-तत्प्रशमलक्षणा
 विभावानुभावव्यभिचारिप्रतिपादनसहिता अनन्ता स्वाश्रयापेक्षया नि-
 सीमानो विशेषास्तेषामन्योन्यसंबन्धपरिकल्पने क्रियामारो कस्यचिदन्यतम-
 स्याऽपि रसस्य प्रफारा. परिसंख्यातुं न शक्यन्ते किमुत सर्वेषाम् ।

तथा हि—

^१शृङ्गारस्याङ्गिनस्तावदाद्यौ द्वौ भेदौ । सम्भोगो विप्रलम्भश्च ।

इस प्रकार यह असंलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य ध्वनि का स्वरूप सामान्यतः प्रदर्शित
 किया ।

उस [असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रस ध्वनि] के अङ्गों [अलङ्कारादि] के जो
 अनेक भेद हैं और [स्वयं रसादि के] जो स्वगत भेद हैं उनका एक दूसरे के
 साथ सम्बन्ध [ससृष्टि सङ्करादि, प्रस्तारविधि से, विस्तारादि] कल्पना
 करने पर उनकी गणना अनन्त हो जायगी ।

विचक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का अङ्गितया [प्रधानतया] व्यङ्ग्य रसादि रूप
 जो एक स्वरूप [आत्मा, प्रभेद] कहा है उसके अङ्गभूत अर्थ तथा शब्द के
 आधित [उपमादि तथा अनुपमासादि] अलङ्कारों के जो अपरिमित भेद हैं, और
 उस प्रधानभूत [रसादि ध्वनिरूप] अर्थ के जो स्वगत भेद रस, भाव, तदाभास,
 तत्प्रशम रूप विभावानुभावव्यभिचारिभाव प्रतिपादन सहित अनन्त और अपने
 आश्रय [स्त्री, पुरुष आदि प्रकृति के भेद से] के कारण नि सीम जो अवान्तर
 विशेष [भेदोपभेद] हैं उनका एक दूसरे के साथ सम्बन्ध [ससृष्टि, सङ्कर वा
 प्रस्तारादि] कल्पना करने पर, उनमें से किसी एक भी रस के भेदों की गणना
 कर सकना संभव नहीं है फिर सबकी तो बात ही क्या है ।

जैसे [उदाहरण के लिए] प्रधान भूत शृङ्गार रस के, प्रारम्भ में दो

१ द्योयध्वने नि० । २ शृङ्गारस्यैवाङ्गिन नि० दी० ।

सम्भोगस्य च परस्परप्रेमदर्शनसुरतविहरणादिलक्षणाः प्रकाराः । विप्र-
लम्भस्याप्यभिलाषेर्ष्या-विरह-प्रवास-विप्रलम्भादयः । तेषां च प्रत्येकं
विभावानुभावव्यभिचारिभेदः^१ । तेषां च देशकालाद्याश्रयावस्थाभेदः^२
इति स्वगतभेदापेक्षयैकस्य^३ तस्यापरिमेयत्वम् । किं पुनरङ्गप्रभेदकल्प-
नायाम्^४ । ते ह्यङ्गप्रभेदाः^५ प्रत्येकमङ्गिप्रभेदसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे
सत्यानन्त्यमेवोपयान्ति ॥१२॥

दिङ्मात्रं तूच्यते येन, व्युत्पन्नानां सचेतसाम् ।

बुद्धिरासादितालोका सर्वत्रैव भविष्यति ॥१३॥

दिङ्मात्रकथनेन हि व्युत्पन्नानां सहृदयानामेकत्रापि रसभेदे
सहालङ्कारैरङ्गाङ्गिभावपरिज्ञानादासादितालोका^६ बुद्धिः सर्वत्रैव
भविष्यति ॥१३॥ . -

भेद होते हैं, सम्भोग [शृङ्गार] और विप्रलम्भ [शृङ्गार] । उनमें भी सम्भोग के
परस्पर प्रेम दर्शन [दर्शन सम्भाषणादि का भी उपलक्षण है] सुरत, [और
उद्यान] विहारादि भेद हैं । [इसी प्रकार] विप्रलम्भ के भी अभिलाष, ईर्ष्या
विरह, प्रवास और विप्रलम्भादि [शापादि निमित्तक वियोगादि भेद हैं] । उनमें
से प्रत्येक [भेद] के विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव के [भेद से] भेद है ।
और उन [विभाषादि] का भी देश, काल, आश्रय, अस्थान [आदि से] भेद
है । इस प्रकार स्वगत भेदों के कारण उस एक [शृङ्गार] का परिमाण करना
[ही] असम्भव है फिर उनके अङ्गों के भेदोपभेद करपना की तो बात ही क्या
है । वे अङ्गों [अलङ्कारादि] के प्रभेद प्रत्येक अङ्गी [रसादि] के प्रभेदों के साथ
सम्बन्ध कल्पना करने पर अनन्त ही हो जाते हैं ॥१२॥

[उसका] दिङ्मात्र [कुछ थोड़ा सा, आगे] कहते हैं । जिससे
व्युत्पन्न सहृदयों की बुद्धि सर्वत्र प्रकाश प्राप्त कर सकेगी ।

[इस] दिङ्मात्र कथन से अलङ्कारादि के साथ रस के एक ही भेद के
अङ्गाङ्गिभाव के परिज्ञान से व्युत्पन्न सहृदयों की बुद्धि को अन्य सब स्थानों पर
[स्वयं] ही प्रकाश मिल जायगा ॥१३॥

१. भेदाः नि० दो० । २. भेदा नि० दो० । ३. अपेक्षयैव नि० दो० ।
४. कल्पनया नि० दो० । ५. ते हि प्रभेदा दो० । ६. सहालङ्कारैः के स्थान
पर कर्तव्येऽलङ्कारे पाठ, नि०, दो० में है ।

तत्र,

शृङ्गारस्याङ्गिनो यत्नादेकरूपानुबन्धवान् ।

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥ १४ ॥

अङ्गिनो हि शृङ्गारस्य ये, उक्ताः प्रभेदास्तेषु सर्वेष्वेकप्रकारानुबन्धितया प्रवृत्तोऽनुप्रासो न व्यञ्जकः । अङ्गिन इत्यनेनाङ्गभूतस्य शृङ्गारस्यैकरूपानुबन्धनानुप्रासनिबन्धने कामचारमाह ॥१४॥

ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम् ।

शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ॥ १५ ॥

ध्वनेरात्मभूत शृङ्गारस्तात्पर्येण वान्यवाचकाभ्या प्रकाशयमानस्तस्मिन् यमकादीनां यमकप्रकाराणां निबन्धनं दुष्करशब्दभङ्गश्लेषादीनां शक्तावपि प्रमादित्वम् ।

उत्तमं—

प्रधानभूत [अङ्गी] शृङ्गार के सभी प्रभेदों में यत्नपूर्वक समानरूप से उपनिबद्ध अनुप्रास [रस का] अभिव्यञ्जक नहीं होता ।

प्रधानभूत [अङ्गी] शृङ्गार के जो प्रभेद कहे हैं उन मय [ही] में एकारार रूप से निरन्तर निबद्ध अनुप्रास [रस का] अभिव्यञ्जक नहीं होता । [कारिका में अङ्गिन शृङ्गारस्य जो कहा है उत्तमं] अङ्गिन इस पद में अङ्गभूत [अधिधान, गुणीभूत] शृङ्गार में समानरूप से [निरन्तर] अनुप्रास की रचना का यथेष्ट उपयोग किया जा सकता है यह सूचित किया है ॥१५॥

शक्ति होते हुए भी, ध्वन्यात्मक शृङ्गार में और विशेष रूप से विप्रलम्भ शृङ्गार में यमकादि का निबन्धन [कवि के] प्रमादित्व [का] ही [सूचक] है ।

[रसादि] ध्वनि का आत्मभूत शृङ्गार [रस] शब्द और अर्थ द्वारा तात्पर्य [तात्पर्यविषयीभूत, प्रधानतया] रूप से प्रकाशित होता है, उत्तमं यमकादि [यहा आदि शब्द प्रसारार्थक अर्थात् सादर्यार्थक है] यमक मत्स्य दुष्कर शब्द श्लेष या समझश्लेष आदि [और मुरजबन्धादि विलट अलङ्कारों] का शक्ति होने पर भी प्रयोग करना [कवि के] प्रमादित्व का सूचक है ।

प्रमादित्वमित्यनेन एतद्विश्रुते काकतालीयेन वदाचित् कस्यचिदे-
कस्य यमकादेनिष्पत्तावपि भूम्नालङ्कारान्तरवद्रसाङ्गत्वेन निरन्धो न कर्तव्य
इति । विप्रलम्भे विशेषत इत्यनेन विप्रलम्भे सौकुमार्यातिशय ख्याप्यते ।
तस्मिन् द्योत्ये यमकादेरङ्गस्य निबन्धो नियमान्नकर्तव्य इति ॥१५॥

प्रमादित्व से यह सूचित किया है कि काकतालीय न्याय से कभी किसी
एक यमकादि की रचना हो जाने पर भी अन्य अलङ्कारों के समान बाहुल्येन
रसाङ्ग रूप में उनकी रचना नहीं करनी चाहिए । 'विप्रलम्भे विशेषत' इन पदों
से विप्रलम्भ [शृङ्गार] में सुकुमारता का अतिशय द्योतित किया गया है । उस
[विप्रलम्भ शृङ्गार] के द्योत्ये होने पर यमकादि [अलङ्कारों] का प्रयोग नियमत
नहीं करना चाहिए ।

आदि शब्दन्तु मेधावी चतुर्विधेषु भाषते ।

प्रकारे च व्यवस्थाया साभीष्यऽवयवे तथा ॥

यमकादि में आदि शब्द प्रकार अर्थात् सादृश्यपरक है । यमकादि का
अर्थ 'यमक सदृश दुष्कर' यह है । यमक सदृश दुष्कर अलङ्कारों में मुरजन्वादि
और समञ्ज श्लेष या शब्द श्लेष भी सम्मिलित हैं । 'श्लेषे पदैरनेकार्थभिधाने
श्लेष इष्यते । श्लेष पदों से अनेक अर्थों का बोध करना श्लेष अथवा अलङ्कार
कहलाता है । पुनस्त्रिधा समञ्जोऽथाभङ्गस्तदुभयात्मक । वह समञ्ज श्लेष, अमञ्ज
श्लेष और उभयात्मक श्लेष भेद से तीन प्रकार का है । शब्द श्लेष और अर्थ
श्लेष भेद से भी श्लेष के दो भेद हैं । प्राचीन आचार्य समञ्ज श्लेष और शब्द
श्लेष को तथा अमञ्ज श्लेष और अर्थ श्लेष को एक ही मानते हैं । 'पायात्स
स्वयमन्धक्त्तयकरस्त्वा सर्वदो माधव ।' इस पद्याश में शिव और विष्णु दोनों की
स्तुति है । सर्वदो सब कुछ देने वाले और अन्धक्त्तयकर अन्धक अर्थात् यादवों के
क्षयकर विनाश हेतु अथवा क्षय माने गृह को बनाने वाले यादवों को बसाने वाले
माधव कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें । और सर्वदो उमाधव शिव जो अन्धकानुर के मारने
वाले हैं सर्वदो तुम्हारी रक्षा करें । यह दो अर्थ होते हैं ।

सर्वदो माधव पद के दोनों पक्षों में अलग अलग पदच्छेद होते हैं ।
विष्णु पक्ष में सर्वदो माधवः पदच्छेद होता है और शिव पक्ष में सर्वदो
उमाधव पदच्छेद होता है । यह समञ्ज श्लेष कहलाता है और अन्धक्त्तय-
कर का पदच्छेद दोनों पक्ष में एक सा रहता है । इसलिए वह अमञ्ज श्लेष
कहलाता है । समञ्ज श्लेष में भिन्न प्रयत्न से उच्चार्य, दो भिन्न भिन्न शब्दों को
जतुवाठ न्याय से—जसे लकड़ी के गण्ठादि में लाल चिपका दी जाय—श्लेष होता है ।

जतु अर्थात् लाख और काष्ठ दोनों अलग-अलग पदार्थ हैं । वह दोनों एकत्र जुड़ जाते हैं इसी प्रकार जहा दो अलग अलग शब्द एक साथ जुड़ जाते हैं वही समझ श्लेष होता है और उसी को शब्द श्लेष कहते हैं । जैसे सर्वदो माधव में । अन्ध-कक्षयकर का पदच्छेद या उच्चारण दोनों पक्षों में समान ही रहता है इसलिए यह दो शब्द नहा एक ही समस्त शब्द है । उस एक ही शब्द में दो अर्थ एकवृत्तगत पलद्वयन्याय से सम्बद्ध हैं । जैसे वृत्त के एक ही डठल में दो पल लग जाते हैं इसी प्रकार जहा एक ही शब्द से दो अर्थ सम्बद्ध हों वहा एक वृत्तगत-पलद्वयन्याय से अर्थद्वय का श्लेष होता है यह अभङ्ग श्लेष अर्थ श्लेष होता है ।

प्राचीन आचार्य समझ श्लेष को शब्द श्लेष और अभङ्ग श्लेष को अर्थ श्लेष मानते हैं । इसी लिए वहा मूल ग्रन्थ में 'यमजादीना यमकप्रकारणा, दुष्कर शब्दभङ्गश्लेषादीना' यह शब्द श्लेष और समझ श्लेष को एक ही मानकर लिखा है ।

नवीन लोग समझ तथा अभङ्ग दोनों को ही शब्द श्लेष मानते हैं । उनके मत में गुण, दोष तथा अलङ्कारादि में उनकी शब्द निष्ठता या अर्थनिष्ठता का निर्णायक अन्वयव्यतिरेक ही है । 'तत् सत्वे तत् सत्ता अन्वय' । 'तदभावे तदभावो व्यतिरेक' । जहा किसी विशेष शब्द के रहने पर ही कोई गुण, दोष या अलङ्कार रहता है और उस शब्द को बदल कर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख देने पर वह गुण, दोष या अलङ्कार नहीं रहता वहा यह समझना चाहिए कि उस गुण, दोष या अलङ्कार का सम्बन्ध विशेष रूप से उस शब्दविशेष से ही है । इसलिए शब्दनिष्ठ माना जाता है ।

इसी प्रकार जहा किसी शब्द के होने पर अलङ्कारादि हैं और उस शब्द को बदल कर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी वह अलङ्कारादियों का त्यों बना रहे तो वह गुण, दोष या अलङ्कार शब्द से नहीं बल्कि अर्थ से सम्बद्ध या अर्थनिष्ठ माना जायगा । इस कसौटी पर यदि समझ श्लेष और अभङ्ग श्लेष की परीक्षा की जाय तो अभङ्ग श्लेष भी शब्दनिष्ठ ही निकलेगा अर्थनिष्ठ नहा । अभङ्ग श्लेष का उदाहरण 'अन्धकक्षयकर' दिया है । इस शब्द से एक पद में यादों का नाश करने वाला या बसाने वाला और दूसरी ओर अन्धकामुर को मारने वाला यह दो अर्थ निकलते हैं । परन्तु यदि अन्धक पद को हटा कर 'यादवक्षयकर' आदि पद रख दिए जायें तो दो अर्थ निकलना असम्भव हो जायगा और श्लेष अलङ्कार नहीं रहेगा । इसलिए अन्वय व्यतिरेक से वहा समझ श्लेष की भाँति अभङ्ग श्लेष भी शब्दनिष्ठ ही टहरता है । इस लिए नवानो के मत में समझ और अभङ्ग दोनों श्लेष शब्दश्लेष ही हैं ।

अत्र युक्तिरभिधीयते —

रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत् ।

अप्रगृह्ययत्ननिर्वर्त्यः साऽलङ्कारा ध्वनौ मतः ॥१६॥

निष्पत्तावाश्चर्यभूतोऽपि यस्यालङ्कारस्य रसाक्षिप्ततयैव बन्ध शक्य

अर्थश्लेष इन दोनों से भिन्न है और वह बड़ा होता है जहा शब्द का परिवर्तन कर देने पर भी दोना अर्थ निकलते रहते ह । जैसे—

स्तोकेनेन्नतिमायाति स्तोत्रनायात्य गीगतिम् ।

अहो सुसदृशी वृत्तिगुलाकोट रलस्य च ॥

तराजू की डण्डी और दुग् पुरुष की वृत्ति एक समान ही है । तन्नि से तोला माशा रत्ती में नीचे भुक्त जाता है और तानक में ऊपर चढ़ जाती है । यहा 'उन्नतिमायाति' आदि को बदल कर उसका पमायवाचा 'ऊर्ध्व प्रयात आदि कोद दूसरा शब्द रख दिया जाय तो भी दोनों अर्थ प्रतात होते रहते हैं । अतएव यहा अर्थश्लेष होता है । यह अर्थश्लेष तो शृङ्गार में भी प्रयुक्त हो सकता है । उक्ति मूल ग्रन्थ में तो दुष्कर शब्द भङ्ग श्लेष का ग्रहण किया है उससे तो यह सूचित होता है कि क्लिष्ट समझ श्लेष ही वर्जित है । सरल समझ श्लेष और अभङ्ग श्लेष का प्रयोग भी शृङ्गार में वर्जित नहा है । जैसे आगे उद्धृत हाने वाले 'रत्नरच नवपल्लवैरहमपि श्लायै प्रियाया गु' । सर्वे तुल्यमशोक नवलमह धाना सशोक वृत्त ।' इत्यादि श्लोक में अशोक पद को एक पक्ष में रूढ वृत्त विशेष का वाचक और दूसरे पक्ष में 'नास्त शाको यस्य' इस व्युत्पत्ति से यौगक्ष मान कर और 'रत्न' पद में सरल श्लेष का प्रयोग किया गया है ।

'शक्तावपि प्रमादित्व' का भाव यह है कि 'अव्युत्पत्तिरुतो दोष शक्त्या सञ्चियते कवे' के अनुसार प्रतिभासम्भन कत्रियों से कभी कभी अव्युत्पत्ति मूलक दोष हो जान पर भी उनकी प्रतिभा का प्रभाव स छिप जाता है । इसी प्रकार यमगादि का प्रयोग भी शक्ति के प्रभाव से कुछ दूर सकता है परन्तु फिर भी वह कत्रि का प्रमादित्व का सूचक होगा ह । ऐसे रसास्वाद में विघ्नकारक यमगादि का प्रयोग न होना ही अच्छा होता है ॥१५॥

इस विषय में युक्ति [व्यापक नियम] भी कहत है —

[रमादि] ध्वनि में, चिम [अलङ्कार] का रचना रस से आरम्भ [रस का ध्यान स रिभागादि की रचना करते हुए स्वय निष्पन्न] रूप में बिना किसी अन्य प्रमाण का हो सक [ध्वनि में] वही अलङ्कार मान्य है ।

क्रियो भवेत् सोऽस्मिन् अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्ये ध्वनावलङ्कारो मतः ।
तस्यैव रसाङ्गत्वं मुख्यमित्यर्थः ।

यथा—

कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता,
निपीतो निःश्वासैरयममृतहृद्योऽधररसः ।
मुहुः कण्ठे लग्नस्तरलयति वाष्पः स्तनतटी'
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरतुरोधे न तु वयम् ॥

[यमकादि] निष्पत्ति [रचना] हो जाने पर आश्चर्यजनक होने पर भी [बिना प्रयत्न के इतना सुन्दर यमकादि कैसे बन गया, इस प्रकार आश्चर्य का विषय होने पर भी] जिस अलङ्कार की रचना रस से आक्षिप्त [बिना प्रयत्न के स्वयं अनायाससाध्य] रूपसे हो सके वही इस असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [रसादि] ध्वनि में अलङ्कार माना जाता है । वही मुख्य रूप से रस का अङ्ग होता है ।

इसलिए न केवल शृङ्गार या विप्रलम्भ शृङ्गार में अपितु वीर तथा अद्भुतादि रस में भी प्रयत्नपूर्वक गढ़ कर रखे गए यमकादि रसविष्णुकारी होते हैं । ग्रन्थकार ने जो केवल शृङ्गार का नाम लिया है वह इस दृष्टि से ही कहा है कि शृङ्गार या विप्रलम्भ शृङ्गार में वह रस के विष्णुकारी हैं यह बात जो विशेष रूप से सद्दय नहीं है वह साधारण पुरुष भी समझ सकते हैं । उनकी दृष्टि से शृङ्गार का नाम विशेष रूप से लिख दिया है । वास्तव में तो बरुण आदि अन्य रसों में भी कृत्रिम यमकादि प्रतिबन्धक होते हैं इस लिए आगे सामान्य रूप से 'रसेऽङ्गत्वं तस्माद्रेयां न विद्यते' लिख कर सामान्य रूप से सभी रसों में उनकी रसाङ्गता का निषेध किया है ।

जैसे :—

[तुम्हारे] गाल पर बनी हुई पत्राली को हाथ की रगड़ ने मल ढाला,
[तुम्हारे] अमृत के समान मधुर अधर रस का पान [यह उष्ण] निद्रधाम
कर रहे हैं, यह अन्न बिन्दु बार-बार तुम्हारे पण्ड का आक्षिप्त कर स्तनों को
खिला रहे हैं, यदि किंचित् सही बोध तुम्हें [इतना] प्रिय हो गया और हम
[हमारी कहीं पूछ ही] नहीं ।

रसाङ्गत्वे च तस्य लक्षणमप्रयग्यन्ननिर्वर्त्यत्वमिति^१ । यो^२ रम
 प्रन्धुमध्यप्रसिनस्य कपेरलङ्कारस्ता वासनामत्यूह्य यत्नातरमास्थितस्य
 निष्पद्यते स^३ न रसाङ्गमिति । यमके च प्रबन्धेन बुद्धिपूर्वक क्रियमाण
 नियमेनैव यत्नान्तरपरिग्रह आपतति शब्दविशेषान्वेषणरूप ।

अनङ्कारान्तररूपि तत्तुल्यमिति चेत्, नैवम् । अलङ्कारान्तराण
 हि निरूप्यमाणदुर्घटनान्याप रससमाहितचेतस प्रतिभायत
 कपेरहम्पूर्विकया परापतन्ति । यथा कादम्बर्यां कादम्बरीदर्शनावसरे ।
 यथा च मायारामशिरोदर्शनेन पिह्लाया सोतादेव्या सेतौ ।

युक्तञ्चेत्तत् । यतो रसा वाच्यविशेषैरेवाक्षेपज्ञ्या । तत्प्रतिपादकैश्च
 शब्देस्तत्प्रकाशिनो वाच्यविशेषा एव रूपान्तरयोऽलङ्कारा । तस्मात् तेषा
 चहिरङ्गत्व रसाभिज्यत्तौ । यमकदुष्करमार्गेषु तु तत् स्थितमेव ।

उस [अलङ्कार] के रसाङ्ग होने पर अपृथग्यत्ननिर्वर्त्यत्व ही उसका
 लक्षण है । जा अलङ्कार रसबन्धन में तत्पर कवि की उस [रसबन्धनाध्यवसाय
 वासना] वासना का अतिप्रमण करके [अलङ्कारनिष्पादनार्थ] दूसरे प्रयत्न
 का आश्रय लेने पर [ही] बनता है वह रस का अङ्ग नहीं है । [यदि] जान
 बूझ कर यमक का निरन्तर प्रयोग किया जाय ता [उसके लिए उपयुक्त]
 विशेष शब्दों की ग्योन रूप तथा प्रयत्न अग्रय ही करना पड़ता है ।

[पूर्वपक्षी पृष्टता है कि यह बात आप यमक के लिए ही क्यों कहत
 हैं, उपयुक्त शब्दों की खान का प्रयत्न तो अन्य अलङ्कारों में भी करना पड़ता
 है ।] यह [बात] तो अन्य अलङ्कारों में भी समान ही है—यह कहना ठीक
 नहीं है । क्योंकि, दूसरे अलङ्कार रचना में कठिन दिखाई देने पर भी रम में
 दत्तचित्त प्रतिभावान् कवि के सामन होड लगा कर स्वयं दौड़े आते हैं । जैम
 कादम्बरी [ग्रन्थ] में कादम्बरी [नायिका] के दर्शन के अवसर पर । अध्या
 जैस सनुबन्ध [काव्य] में रामचन्द्र क बनाघटी [कृ हुए] गिर का देस
 कर सोतादवी के विहल होने पर ।

और यह [अहम्पूर्विकया परापतन] उचित भी है क्योंकि रसों की
 अभिव्यञ्जना वाच्यविशेष स हा होती है । और उन [वाच्य विशेष] क प्रति

१ लक्षणमप्रयग्यन्ननिर्वर्त्यत्व इति नि० दी० । २ 'यो' यह पद
 कवे के बाद ह दी० । नि० में यो पद ह ही नहीं । ३ स नहीं ह नि० ।

यत्तु रसवन्ति कान्तिचिद्यमकादीनि दृश्यन्ते तत्र रसादीनामङ्गता, यमकादीनान्त्वङ्गितैव । रसाभासे चाङ्गत्वमप्यविरद्धम् । अङ्गितया' तु व्यङ्ग्ये रसे जाङ्गल्यं^२ पृथक्प्रयत्ननिर्वर्त्यन्ताद् यमकादेः ।

अस्यैवार्थस्य संप्रदर्शलोका .—

‘रसवन्ति हि वस्तूनि सालङ्काराणि कान्तिचित् ।
एकेनैव प्रयत्नेन निर्वर्त्यन्ते महाकवेः ॥

पादक शब्दों से उन [रसादि] के प्रकाशक रूपकादि अलङ्कार [उन शब्दों से प्रकाशित] वाच्यनिशेष ही है । इसलिए रस की अभिव्यक्ति में उन [रूपनादि अलङ्कारों] की बहिरङ्गता नहीं है । यमक आदि के दुप्कर [बुद्धि-पूर्वक बहुप्रयत्नसाध्य] मार्ग में तो बहिरङ्गत्व [भिन्नप्रयत्ननिर्वाह्य] निश्चित ही है ।

जहां जहाँ कोई-कोई यमकादि [अलङ्कार] रस सहित दिखाई देते हैं वहां यमकादि ही [अङ्गी] प्रधान हैं रसादि उनके अङ्ग हैं । [अर्थात् वहां रस ध्वनि नहीं है ।] रसाभास में [यमकादि को] अङ्ग रूप मानने में भी कोई विरोध [हानि] नहीं है । परन्तु जहां रस प्रधानतया [अङ्गितया] व्यङ्ग्य हो, वहां तो पृथक्प्रयत्नसाध्य होने से [यमकादि] अङ्ग नहीं हो सकते ।

मूल ग्रन्थ के ‘निरूप्यमाणदुर्घटनानि’ पद को ‘निरूप्यमाणानि सन्ति दुर्घटनानि’, बुद्धिपूर्वक चिन्तितान्यपि वतुंमशक्यानि’ अर्थात् बुद्धिपूर्वक सोच विचार कर रचना करना चाहे तो भी जिनकी रचना न हो सके इतने कठिन, और गाथ ही जब अनायास ही उनकी रचना हो जाय तो ‘निरूप्यमाणे दुर्घटनानि’ यह देख कर आश्चर्य ही कि यह इतना सुन्दर अलङ्कार कैसे आ गया । यह दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं । यह दोनों ही अर्थ प्रकृत विषय को परिपुष्ट करने वाले हैं । इसीलिए लोचनकार ने इस पद की व्याख्या करते समय दोनों अर्थ दिखाए हैं । और यदा इन दोनों अर्थों का विरुद्ध नशा अपितु समुच्चय ही टीकाकार को अभीष्ट है ।

इयो [उपयुक्त गद्यस्य विषय] अर्थ के संग्रह [आत्मक यह निम्न] श्लोक है .—

कोई-कोई मस्युक्त वस्तुषुं [रसवन्ति वस्तूनि] महाकवि के [रस

यमकादिनिबन्धे तु पृथग्यत्नोऽस्य जायते ।
 शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्व तस्मादेपा न विद्यते ॥
 रसाभासाङ्गभाप्रस्तु यमकादेर्न वार्यते ।
 ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे त्वङ्गता नोपपद्यते ॥

इदानीं ध्वन्यात्मभूतस्य शृङ्गारस्य व्यञ्जकोऽलङ्कारवर्ग
 आख्यायते—

ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे समीच्य विनिवेशितः ।

रूपकादिरलङ्कारवर्ग एति यथार्थताम् ॥१७॥

अलङ्कारो हि वाच्यलङ्कारसान्यादङ्गिनरचारुत्वहेतुरुच्यते । वाच्या-
 लङ्कारवर्गश्च रूपकादिर्यावानुक्तो, वच्यते च कैश्चिद्, अलङ्काराणामनन्त-

नियन्धनानुकूल] एक ही व्यापार से सालङ्कार [भी] बन जाते हैं । [अर्थात्
 उनमें अलङ्कारनिष्पादनार्थ अलग व्यापार नहीं करना पड़ता] ।

परन्तु यमक आदि की रचना में तो प्रतिभावान् [शक्तस्यापि] कवि
 को भी पृथक् प्रयत्न करना पड़ता है इसलिए वह [यमकादि] रस के अङ्ग
 नहीं होते ।

[हा] रसाभासों में उनको अङ्ग मानने का निषेध नहीं है, [केवल]
 प्रधानभूत [ध्वनि रूप] शृङ्गार [आदि रसों] में ही वह अङ्ग नहीं बन
 सकते हैं ॥१६॥

[शृङ्गारादि रसों में हेय यमकादि वर्ग का वर्णन कर दिया अत्र आगे
 उपादेय वर्ग का निरूपण करेंगे ।]

अत्र ध्वनि के आत्मभूत शृङ्गार के अभिव्यञ्जक अलङ्कार वर्ग का निरूपण
 करते हैं —

ध्वन्यात्मक शृङ्गार में [अग्रिम कारिकाओं में प्रतिपादित पद्धति से]
 सोच समझ कर [उचित रूप में] प्रयुक्त किया गया रूपकादि अलङ्कार वर्ग
 वास्तविक अलङ्कारता को प्राप्त होता है । [अलङ्कार्य प्रधानभूत शृङ्गारादि का
 चारुत्व हेतु होने से अपन अलङ्कार नाम को परित्यक्त करता है ।]

वाच्य आभूषण के समान प्रधानभूत [अङ्गी] रस के चारुत्व हेतु [रूप
 कादि ही] अलङ्कार कहे जाते हैं । जितने भी रूपकादि वाच्यलङ्कार प्राचीन
 [भामहादि] कह चुके हैं अथवा अलङ्कारों [चारुत्व हेतुओं] की अनन्तता के

त्वात्, स^१ सर्वोऽपि यदि समीक्ष्य विनिवेश्यते तदलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य
ध्वनेरङ्गिन सर्वस्यैव^२ चारुत्वहेतुर्निष्पद्यते ॥१७॥

एषा चास्य विनिवेशने समीक्षा —

‘unobstant’

विषया तत्परत्वेन नाङ्गित्वेन कदाचन ।

काले च ग्रहणत्यागो नातिनिर्वहणैपिता ॥ १८ ॥

नित्यु^३दापि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम् ।

^३रूपकादिरलङ्कारमर्गस्याङ्गत्वसाधनम् ॥ १९ ॥

कारण, भागे कहे जायगे उन सब को यदि विचारपूर्णक [काव्य में] निबद्ध
किया जाय [अगली कारिकाओं में प्रदर्शित नियमों के अनुकूल प्रयुक्त
किया जाय] तो वह अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य प्रधानभूत सभी ध्वनि [रसों] का
चारुत्व हेतु [अलङ्कार] होते हैं ॥१७॥

इस [रूपकादि अलङ्कार] क [काव्यान्तर्गत] प्रयोग में यह समीक्षा
[इन वाक्यों का विचार करना आवश्यक] है —

१—[रूपकादि की] विषया [सदैव रस की प्रधान मानकर] रसपर-
त्वेन ही [वचन] हो, २—प्रधान रूप से किसी भी दृशा में नहीं । ३—
[उचित] समय पर [उनका] ग्रहण और ४—त्याग होता चाहिए, ५—
[आदि से अन्त तक] अन्त निर्वाह की इच्छा [यत्न] नहीं करना चाहिए ।

६—[यदि कहीं अनापाम आपन्न निर्वाह हो जाय तो] निवाह हो जाने
पर भी [वह] अङ्गरूप में [हो] हो वह बात सावधानी से फिर देख लेनी
चाहिए । यही [समीक्षा] रूपकादि अलङ्कार मर्ग के अङ्ग का साधन है ।

इन कारिकाओं में प्रथम कारिका के चारों चरणों और दूसरी कारिका के
पूर्वाद्ध^४ इन पाँचों के साथ अन्तिम कारिका के उत्तराद्धोक्त^५ ‘रूपकादिरलङ्कारमर्गस्या-
ङ्गत्वसाधनम्’ का अन्वय होता है । फिर इन सबको मिला कर १—[प० १५१]
‘यमलङ्कार तदङ्गतया विरजति २—[प० १५१] नाङ्गित्वेन, ३—[प० १५३]
यमसरे यङ्गति, ४—[प० १५४] यमसरे त्यजति, ५—[प० १५६] य
नात्यन्त निर्वोद्धुमिच्छति, ६—[प० १६०] नित्यु^३दापि य यत्नादङ्गित्वेन प्रय-

१ स नि०, दो० में नहीं है । २. सब एय नि० दो० । ३ रूपरादे नि०, दो० ।

रसबन्धेष्वाहतमना कविर्यमलङ्कार तदङ्गतया विवक्षति ।
यथा —

चलापाङ्गा दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमती,
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचर १ ।
करी व्याधुन्वत्या पित्रास रतिसर्गमर,
वय तत्पान्वेषान्मधुकर हतास्त्व रतु कृती ॥

अत्र हि भ्रमरस्वभावोक्तिरलङ्कारो रसानुगुण ।

नाङ्गित्वेनेति न^२ प्राधान्येन । कदाचिद्रसादितात्पर्येण विवक्षितो
ऽपि^३ हलङ्कार कश्चिदङ्गित्वेन विवक्षितो नश्यते ।

वक्षते स एवमुपनिबध्यमानो रसाभि यत्किहेतुभवति” [पृ० १६८] यह रसा
लभ्या महावाक्य है । उस महावाक्य के बीच में उदाहरणों के देने, उनकी सङ्गति
लगाने, और उस सङ्गति का समर्थन आदि करने के लिए बीच का शेष ग्रन्थ है ।
इस विस्तृत महावाक्य का प्रारम्भ अगले वाक्य से होता है और उसकी समाप्ति
आगे चल कर पृ० १६० पर होगी ।

१—रस बन्ध में आदरवान् कवि जिस अलङ्कार को उस [रस] के
अङ्ग रूप में कहना चाहता है । [उसका उदाहरण]

जैसे —

[कालिदास के शकुन्तला नाटक में, घाटिनाभिघन में लगी हुई
शकुन्तला को छिप कर देखते हुए दुष्यन्त, उसके पाम मढराते हुए भ्रमर को
दख कर कहते हैं] हे मधुकर तुम इस शकुन्तला की [भय परिकम्पित]
अञ्जल और तिरछी चितवन का [रूप] स्पर्श कर रह हो, अफान्त में या रहस्य
निपेदन करने वाले के समान कान के समीप जाकर गुणगुनात हो, [उदाने के जिण
इधर उधर] हाथ झटकती हुई इस [तरणो शकुन्तला] के रतिमर्षस्य अघर
[अमृत] का पान कर रह हो । हे मधुकर ! हम तो तन्पान्वेषण [अथान् हमारे
ग्रहण करने योग्य अथिया है या आञ्जली इस गोज] में ही मारे गए, और
तुम वृत्तव्य हो गए ।

१ गन् नि० । २ नि०, शी०, में 'न' पाठ नहीं है । ३ शी० में 'अपि'
नहीं है ।

यथा .—

चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव चकार यो राहुवधूजनस्य ।
आलिङ्गनोद्दामविलास्यन्ध्य रतोत्सर्वं चुम्बनमात्रशेषम् ॥

अत्र हि पर्यायोक्तस्याङ्गित्वेन विवक्षा रसादितात्पर्यं सत्यपीति ।

यहा भ्रमर के स्वभाष का चर्णन रूप [स्वभाषोक्ति] अलङ्कार रस के अनुरूप ही है ।

[उपयुक्त समीक्षा प्रकार में दूसरी बात थी “नाङ्गित्वेन कदाचन” इसका अर्थ ‘न प्राधान्येन’ अर्थात् “प्रधान रूप से नहीं” यह है । कभी-कभी रसादि तात्पर्य से निबद्ध होने पर भी अलङ्कार अङ्गी प्रधान रूप में दिखाई देता है इसी बात का आगे कहते हैं ।]

२—नाङ्गित्वेन [का अर्थ] न प्राधान्येन, प्रधान रूप से नहीं [ऐसा] है । कभी रसादि तात्पर्य से [रसादि को प्रधान मान कर] विवक्षित होने पर भी कोई अलङ्कार प्रधान रूप से विवक्षित दिखाई देता है ।

जैसे.—

[विष्णु ने] चक्र प्रहार रूप [अपनी] अनुकूलवनीय आत्मा से राहु की परित्रियों के सुरतोत्सव की, [आलिङ्गनोपयोगी हस्तादि न रहने से] आलिङ्गनप्रधान विलासों से विहीन, चुम्बनमात्रावशेष कर दिया ।

यहाँ रसादि तात्पर्य होने पर भी पर्यायोक्त [अलङ्कार] प्रधानतया विवक्षित है ।

इस श्लोक में राहु के कण्ठच्छेद की घटना का प्रकारान्तर से उल्लेख करने से यहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार है । राहु के कण्ठच्छेद की घटना पौराणिक कथा के आधार पर इस प्रकार है । समुद्र-मन्थन के समय जब समुद्र से अमृत निकला तब देवता और दैत्य दोनों उसके लिए लड़ने लगे । विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत-कलश का अपने हाथ में ले लिया । दैत्य उनका मोहिनी रूप पर मोहित हो गए और अमृत का ध्यान भूल गए । विष्णु ने उन सबको अलग अलग पक्तियों में एक और देवताओं को और दूसरी और दैत्यों को मिटा कर देवताओं की ओर से अमृत बाँटना शुरू कर दिया । उनका आशय यह था कि पहिले देवताओं में अमृत बाँट कर वहाँ उसको समाप्त कर दिया जाय । राहु नाम का दैत्य इस अभिप्राय को समझ गया और चुनके से उट कर देवताओं की पक्ति में

अङ्गत्वेन^१ विवक्षितमपि यमवसरे गृह्णाति नानवसरे । अवसरे
गृहीतिर्यथा—

सूर्य और चन्द्रमा के बीच में बैठ गया । मोहिनी ने उसे भी अमृत पिला दिया और वह अमर होगया । परन्तु पास बैठे सूर्य और चन्द्रमा के संकेत से जब मोहिनी-रूपधारी विष्णु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने चक्र से राहु के सिर को अलग कर दिया । उसका सिर का भग राहु और धड़ का भाग वेतु कहा जाता है । अमृत-पान कर चुकने के कारण सिर कट जाने पर भी वह मरा नहीं । तभी से सूर्य और चन्द्रमा के साथ राहु का वैर है ।

इस श्लोक में चक्र प्रहार रूप आशा से राहु की पत्नियों के सुरतोत्सव को आलिङ्गनप्रधान विलासों से विहीन चुम्बनमात्र शेष कर दिया इस कथन पद्धति से उसके कण्ठच्छेद का प्रकारान्तर से कथन किया है । इस लिए पर्यायोक्त अलङ्कार है ।

रसादि में तात्पर्य होते हुए भी यहा पर्यायोक्त अलङ्कार का प्राधान्य है । यदि इतनी ही व्याख्या इसकी मानी जाय तो यह 'नाङ्गत्वेन कदाचन' के विपरीत होने से दोष का उदाहरण होना चाहिए । परन्तु लोचनकार ने इसकी व्याख्या प्रकारान्तर से करके यह सिद्ध किया है कि यह दोष का उदाहरण नहीं है । क्योंकि आगे ग्रन्थकार ने महात्माओं के दूषणोद्घाटन को अपना ही दोष बताया है । अतएव इस श्लोक में उन्होंने दूषणोद्घाटन नहीं किया है यह लोचनकार का कहना है । इसकी रसादिपरता सिद्ध करने के लिए लोचनकार कहते हैं कि यहाँ वासुदेव के प्रताप का ही मुख्यतः वर्णन है इसलिए प्रधान तो वही भाव है क्योंकि भावरूप होने से वह चाक्यदेव नहीं है, चाक्य देव अलङ्कार तो पर्यायोक्त ही है । यद्यपि इस श्लोक में किसी प्रकार के दोष की आशङ्का नहीं है । फिर भी यह इस बात का एक उदाहरण है कि कहीं कहीं पोषणीय वस्तु अलङ्कार्य को भी अङ्गभूत अलङ्कार तिरस्कृत कर देता है ।

३—अङ्ग रूप से विवक्षित होने पर भी जिसको अमर पर ग्रहण करता है, अमरपर में नहीं । अमर पर ग्रहण [का उदाहरण]

जैसे :—

प्रायः मद्नाथेन युक्त अन्य नारी के समान, [लताग्र में मदन नामक

उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजृम्भां क्षणा-
दायासं श्वसनोद्गमैरधिरलैरातन्वतीमात्मनः ।
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां प्रुचं,
परयन् कोपत्रिपाटलशुति मुग्धं देव्याः करिप्याम्यहम् ॥

इत्यत्र उपमा^१ श्लेषस्य ।

वृक्षविशेष के साथ स्थित, उस पर चढ़ी हुई] प्रबल उत्कण्ठा से युक्त, [लता-
पत्र में प्रचुर मात्रा में कलियों से लदी हुई], अतएव [नारी पत्र में उत्कण्ठा-
तिशय के कारण] पाण्डुरवर्ण [और लता पत्र में कलिका बाहुल्य के कारण ऊपर
से नीचे तक श्वेतवर्ण] और उसी समय [नारी पत्र में मदनावेश के प्रभाव से]
जम्भाई लेती हुई [और लता पत्र में विरसित होती हुई] तथा [नारी पत्र में]
लम्बी साँसों से अपने मदनावेश या हृदय के सन्ताप को प्रकट करती हुई [लता
पत्र में वायु की निरन्तर झोंकों से कम्पित हुई] समदना [नारी पत्र में काम-
प्रिकारयुक्त और लता पत्र में मदनफल के वृक्ष के साथ अर्थात् उस पर चढ़ी
हुई] इस उद्यान लता को देखते हुए निश्चय ही आज मैं रानी के मुख को
क्रोध से लाल कर दूँगा । [यहां राजा उदयन ने भारी सागरिका प्रेम मूलक
ईर्ष्या विप्रलम्भ को अनजाने सूचित किया ।]

यहाँ उपमा श्लेष का [अन्तर में ग्रहण है ।]

यहां उपमा श्लेष भावी ईर्ष्या विप्रलम्भ के माग शोधक के रूप में
स्थित है । उसका रस के प्रमुखीभाव दशा के पूर्ववत्ता अन्तर पर ग्रहण किया गया
है । इसलिए अन्तर ग्रहण का उदाहरण है ;

यह पद्य रत्नावली नाटिका का है । राजा की नवमालिका लता दोहद-
विशेष के प्रयोग से अकाल में कुसुमित हो उठी है और रानी वासवदत्ता की नहीं ।
यह जान कर राजा अपने नर्म सचिव विदूषक से कह रहा है कि आज जब मैं
मदनावेशयुक्त परनारी के समान इस लता को देखूँगा तो रानी वासवदत्ता का मुख
ईर्ष्या से लाल हो जायगा । ईर्ष्या का मुख्य कारण तो यही है कि प्रस्तुत विशेष-
णों से लता काम के आवेश से युक्त परनारी के समान प्रतीत हो रही है
अतः उसकी ओर देगना रानी को असह्य होगा । इस कारण से जब मैं उद्यान
लता को देखूँगा तो रानी का मुख क्रोध से आरसच्छत्रि हो जायगा ।

१. नि०दी० में 'उपमा' पद नहीं है ।

गृहीतमपि यमवसरे त्यजति तद्रसानुगुणतयालङ्कारान्तरा-
पेक्षया । यथा :—

रक्तस्त्वयं नवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणै-
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरधनुमुक्ताः सखे मामपि ।
कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे, तद्वन्ममाप्यावयोः,
सर्वं तुल्यमशोक । केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः ॥

अत्र हि प्रबन्धप्रवृत्तोऽपि श्लेरो व्यतिरेकविवक्षया त्यज्यमानो
रसविशेषं पुष्पाति ।

४— प्रहण करने पर भी उस रस के अनुगुण होने से अलङ्कारान्तर की अपेक्षा से [कवि] जिसको अत्रसर पर छोड़ देता है । [उस अत्रसर त्याग रूप घतुर्थ समीक्षा प्रकार का उदाहरण] जैसे :—

[यह श्लोक भी रत्नावली नाटिका का ही है । राजा अशोक वृष्ट से कह रहे हैं] हे अशोक तुम अपने नयीन पल्लवों से रक्त [जाल हो रहे] हो, मैं भी प्रिया के गुणों से रक्त [अनुरागयुक्त] हूँ । [इस श्लोक में प्रत्येक चरण का पूर्वार्द्ध, उद्दीपन विभाज्य परक समझना चाहिए] तुम्हारे पास शिलीमुख [भ्रमर] आते हैं और हे मित्र । कामदेव के घनुष से छोड़े गए शिलीमुख [बाण] मेरे ऊपर भी आते हैं । [“पादाघातादशोकौ विकसति, वकुलं योपितामास्यमर्थं.” की कवि प्रसिद्धि के अनुसार] कान्ता का पाद प्रहार तुम्हारे लिए आनन्ददायक है [तो तुम्हारे प्रकास द्वारा, अथवा कान्तापादहति रूप सुरतबन्ध विशेष द्वारा] तो वह मेरे लिये भी आनन्ददायक है । [इस प्रकार] हे अशोक [हम तुम] सब प्रकार बराबर हैं केवल [अन्तर यह है कि] मिथाता ने मुझे सशोक [शोकयुक्त] कर दिया [और तुम अशोक-शोकरहित हो] ।

यहां [आदि से अन्त तक] निरन्तर विद्यमान श्लेष [अन्त में] व्यतिरेक [अलङ्कार] की प्रियता से छोड़ देने से रस विशेष को परिपुष्ट करता है ।

आगे पृ० १५६ तक के इस लम्बे प्रकरण में प्रकृत “रक्तस्त्वम्” इत्यादि श्लोक में श्लेष और व्यतिरेक की संसृष्टि है अथवा सद्गर इस विषय का विचार किया गया है । पूर्वज्ञ सद्गरादियों का है और सिद्धान्त पत्र में यज्ञ श्लेष और व्यतिरेक की संसृष्टि मानी है । प्रकृत प्रकरण से ग्रन्थकार ने ऐसे अनसर्गों पर संसृष्टि और सद्गर के भेद का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है ।

नात्रालङ्कारद्वयसन्निपातः, किन्तुहि, अलङ्कारान्तरमेव श्लेषव्यतिरेकलक्षणं नरसिंहयदिनि चेत्, न । तस्य प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनात् । यत्र हि श्लेषविषय एव शब्दे प्रकारान्तरेण व्यतिरेकप्रतीतिर्जायते, स तस्य विषयः । यथा '—

“स हरिर्नाम्ना देवः सहर्षिर्वरतुरगनिग्रहेन”
इत्यादी ।

अत्र ह्यन्य एव शब्द ' श्लेषस्य विषयोऽन्यश्च व्यतिरेकस्य । यदि चैवविधे विषयेऽलङ्कारान्तरत्प्रकल्पना क्रियते' तत्संसृष्टेर्विषयापहार एव स्यात् ।

[सङ्करवादी पूर्णपक्षों की शङ्का यह है कि] यहा दो अलङ्कार [श्लेष और व्यतिरेक] नहीं हैं [इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि व्यतिरेक की अपेक्षा से अन्तिम चरण में श्लेष को छोड़ दिया गया है] तब क्या है ? नरसिंह के समान [श्लेष और व्यतिरेक वा एकाश्रयानुप्रवेश रूप सङ्कर] श्लेष-व्यतिरेक रूप दूसरा ही [सङ्कर] अलङ्कार है ।

[सत्कृष्टिवादो सिद्धान्त पक्ष] यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि उस [एकाश्रयानुप्रवेश रूप सङ्कर] की स्थिति प्रकारान्तर से होती है । जहा श्लेष अलङ्कार के विषयभूत [श्लेष] शब्द में ही प्रकारान्तर से व्यतिरेक की प्रतीति होती है वही उस [श्लेष और व्यतिरेक के एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर] का विषय होता है । जैसे —

वह देव तो नाम मात्र से स हरि है और यह [राजा] श्रेष्ठ अश्व समूह के कारण सहर्षि है ।

इत्यादि उदाहरण में [श्लेष और व्यतिरेक दोनों 'सहर्षि' इस एक ही पद में आश्रित हैं । इसलिए यहाँ तो श्लेष और व्यतिरेक वा एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर बन जाता है ।]

[परन्तु यहा 'रक्तस्व' इत्यादि श्लोक में] यहा तो श्लेष के विषय अन्य [रक्त आदि] शब्द है और व्यतिरेक के विषय [अशोक तथा सशोक शब्द] अन्य शब्द हैं । [अतः यहा एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर नहीं हो सकता ।]

[यद्यपि श्लेष और व्यतिरेक के विषय भिन्न हैं परन्तु यह है तो एक

श्लेषमुखेनैवात्र व्यतिरेकस्यात्मलाभ इति नायं संसृष्टेर्विषय इति चेत् न । व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दर्शनात् । यथा^१—

नो कल्पापायवायोरदयरयदलत्कमाधरस्यापि शम्या,
गाढोद्गीर्णोज्ज्वलश्रीरहनि न रहिता नो तमः कज्जलेन ।
प्राप्तोत्पत्तिः पतद्धान्न पुनरुपगता मोपमुष्णत्विषो धो,
वर्तिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः ॥

अत्र हि साम्यप्रपञ्चप्रतिपादनं विनैव व्यतिरेको दर्शितः ।

वाच्य के अन्तर्गत । इसलिप् श्लेष और व्यतिरेक का विषय शब्द को न मान कर उस वाच्य को मागा जाय तब तो उन दोनों का एक वाच्य रूप एक आश्रय में अनुप्रवेश रूप सङ्कर बन जाता है । सङ्करवादी यदि यह शङ्का करे तो] यदि ऐसे [एक वाच्य को विषय मान कर] विषय में [सङ्कर रूप] अलङ्कारान्तर [सङ्कर] की कल्पना की जाय तब फिर संसृष्टि का विषय ही कहीं नहीं रहेगा । [क्योंकि एकवाच्ययाश्रय की सीमा तो बहुत विस्तृत है । संसृष्टि के सभी उदाहरण इस प्रकार के सङ्कर की सीमा में आ जायेंगे । इसलिप् यहां 'रक्तस्यं' इत्यादि में सङ्कर मानना उचित नहीं है । संसृष्टि ही माननी चाहिए ।]

[सङ्करवादी फिर शङ्का करता है कि अल्पा यहां एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर न सही, फिर भी सङ्कर का दूसरा भेद अद्वाङ्गिभाय सङ्कर हो सज्जा है । क्योंकि व्यतिरेक तो उपमागर्भ होता है । किन्हीं दो की तुलना करके ही उनमें एक का आधिक्य कहा जा सकता है और यहां अशोक वृक्ष और नायक का साम्य 'रक्तस्यं' इत्यादि दिलिप्त विशेषणों के कारण ही प्रतीत होता है । इसलिप् श्लेष, व्यतिरेक का अनुप्राहक है । अतएव फिर भी यहां अद्वाङ्गिभाय सङ्कर ही है संसृष्टि नहीं । जब एक ही सङ्करालङ्कार है तब व्यतिरेक के लिप् श्लेष को छोड़ दिया गया यह 'अपसरे त्याग' का जो उदाहरण दिया है वह ठीक नहीं] श्लेष द्वारा ही यहां व्यतिरेक की मित्रि होती है इसलिप् यह संसृष्टि का विषय नहीं है । यह शङ्का करो तो—

[संसृष्टिवादी सिद्धान्त पद] यह पदना ठीक नहीं है । क्योंकि व्यतिरेक [उपमा के ऊपर ही आश्रित नहीं है, उपमा कथन के बिना भी] प्रकारान्तर से [उपमा या साम्य कथन के बिना] भी देखा जाता है । जैसे:—

अग्निमिदं प्रकाशक [दीपक] सूर्यदेव की दीप्ति, रूप यह

नात्र श्लेषमात्राच्चारुत्वनिष्पत्तिरस्तीति श्लेषस्य व्यतिरेकाद्भवे-
नैव विवक्षितत्वात्^१ न स्पतोऽलङ्कारस्तेत्यपि^२ न वान्यम् । यत एवंबिधे
त्रिपये साम्यमात्रादपि सुप्रतिपादिताच्चारुत्वं दृश्यत एव । यथा :—

लोकोत्तर बत्ती जो निन्दुर वेग से पर्वतों को त्रिदलित करने वाले कल्पान्त व यु से
भी डुम नहीं सकती, जो दिन में भी अत्यन्त उज्वल प्रकाश देती है, जो तमोरूप
कज्जल से सर्वथा रहित है जो पतङ्ग [कीट विरोध] से डुमती नहीं बल्कि
[पतङ्ग =सूर्य से] उत्पन्न होती है, वह [लोकोत्तर बत्ती] हम सब को सुखी करे ।

यहां साम्य कथन के बिना ही व्यतिरेक दिखाया गया है । [अत
व्यतिरेक के लिए शब्द उपमा की अपेक्षा न होने से 'रक्षस्वम्' में श्लेषोपमा को
व्यतिरेक का अनुग्राहक मानने की भी आवश्यकता नहीं । उस दशा में श्लेष
और व्यतिरेक दोनों अलग-अलग अलङ्कारों की संसृष्टि ही माननी चाहिए] ।

[सङ्करवादी पूर्वपक्षी फिर शङ्का करता है कि यद्यपि "नो कल्पापाय-
वायो" वाले इस श्लोक में व्यतिरेकानुग्राहिणी उपमा नहीं दिखाई देती है ।
बिना उपमा के भी व्यतिरेक है । परन्तु "रक्षस्वम्" वाले उदाहरण में ती
व्यतिरेक के लिए श्लेषोपमा ग्रहण की गई है । क्योंकि उसके बिना केवल श्लेष
से चारुत्वप्रतीति नहीं होती इसलिए अकेले श्लेष को स्वतन्त्र अलङ्कार—
चारुत्व हेतु—नहीं मान सकते । अतः श्लेषोपमानुगृहीत व्यतिरेक के ही चारुत्व
हेतुत्व सम्भव होने से यहा सङ्कर ही है संसृष्टि नहीं ।]

यहा ["रक्षस्वम्" में] केवल श्लेष मात्र से चारुत्वप्रतीति नहीं
होती है इसलिए श्लेष यहां व्यतिरेक का अङ्ग [अनुग्राहक] रूप से ही विवक्षित
है अतः वह स्वयं अलङ्कार नहीं है । यह शङ्का करो तो—

[संसृष्टिवादी सिद्धान्त पक्ष] यह भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस
प्रकार के [व्यतिरेक के] त्रिपय में [श्लेष रहित] साम्यमात्र [उपमागर्भ
व्यतिरेक] के सम्यक् प्रतिपादन से भी चारुत्व दिखाई देता है । जैसे—

[मेरे] क्रन्दन तुम्हारे गर्जन के समान है, [मेरे] अश्रु तुम्हारी निरन्तर
बहने वाली जल धारा के समान है, उस [प्रियतमा] के वियोग से उत्पन्न
शोकाग्नि तुम्हारी विद्युच्छटा के समान है, मेरे हृदय में [अपनी] प्रियतमा
का मुग्ध है और तुम्हारे हृदय में चन्द्रमा है इसलिए हमारी तुम्हारी वृत्ति

आक्रन्द्या स्तनितैर्निलोचनजलान्यश्रान्तधाराम्बुभि-
स्तद्विन्द्येद्भुजश्च शोकशिखिनस्तुल्यास्तडिद्विभ्रमै ।
अन्तर्म दयितासुरस तव शशी वृत्ति समैवात्रयो-
स्तत् किं मामनिश सग्रे जलधर त्व दग्धुमेवोद्यत ॥
इत्यादी ।^१

^२रसनिरुहणैरुत्तानहृदयो यच्च नात्यन्त निर्वोदुमिच्छति ।

यथा—

समान ही है [हम तुम दोनों सधर्मा मित्र हैं] हे मित्र जलधर फिर तुम रात-
दिन मुझको जलाने को ही क्यों तैयार रहते हो ।

इत्यादि में ।

यहाँ श्लोक के चतुर्थ पद में मनुजन पीड़ाकारित्व रूप से जलधर का
अपनी अपेक्षा व्यतिरेक दिनाया है और पूर्व के तीनों चरणों में अपना और
जलधर का साम्य दिखाया है । परन्तु उनमें श्लेष नहीं है । इसलिए यहाँ श्लेष
के बिना उपमा और व्यतिरेक, “नो कल्पापाय” में बिना उपमा क व्यतिरेक पाया
जाता है अतः ‘रसरस्त्वम्’ में श्लेष और व्यतिरेक को अलग अलग अलङ्कार मान
कर उनकी “मिथोऽनपेक्षतयैषा स्थिति रुसृष्टिरुच्यते” ससृष्टि मानने में कोई
आपत्ति नहीं हो सकती । अतः यहाँ ससृष्टि ही है । इसलिए व्यतिरेक की अपेक्षा
से तीन चरणों में निरन्तर चलने वाले श्लेष का परित्याग चतुर्थ चरण में कर देने
से अक्सरे त्याग रूप चतुर्थ समीक्षा प्रकार का जो उदाहरण दिया गया है वह
ठीक ही है । यह सिद्धान्त पक्ष स्थित हुआ ।

५—रस निबन्ध में अत्यन्त तत्पर [क्वि] विस [अलङ्कार] का
अत्यन्त निर्वाह करना नहीं चाहता है । [उसका उदाहरण] जैसे—

क्रोधावेश में अपने कोमल तथा अश्ल वाहुलता के पाश में जकड़ कर
अपने केन्द्रि भयन में ले जाकर सायकाल की सरियों के सामने [पराङ्ग-
पभोगतन्य, नखरुत आदि चिह्नों स] उसके दुरचेष्टित को भली प्रकार सूचित
कर, फिर कभी ठेका न हो [क्रोध के कारण] शङ्खपाती हुई धायी स ठेका

१ अगला रसनिरुहणैरुत्तानहृदयो यह पाठ नि० में इत्यादी के साथ
रहा है । २ इत्यादी रसनिरुहणैरुत्तान हृदयो । योयच नात्यन्त निर्वोदु-
मिच्छति यथा—यह पाठ नि० में है ।

कोपात् कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा च्छदं,
नीत्वा वासनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः ।
भूयो नैवमिति स्वलत्कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं,
धन्यो हन्यत एव निह्नुतिपरः प्रेयान् रुदत्या हसन् ॥

अत्र हि रूपरुमाक्षितमनिव्यूढ परं रसपुष्टये ।'

निर्वाहुमिष्टमपि यं यत्नादङ्गत्वेन प्रत्यवेक्षते । यथा—

श्यामास्वङ्ग चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं,
गण्डच्छाया शशिनि शिखिनां वर्धभारेषु केशान् ।
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्,
हन्यैकस्थं क्वचिदपि न ते भीरु सादृश्यमरित ॥

इत्यादौ ।

कह कर, रोती हुई प्रियतमा के द्वारा, हसते हुए [अपने नयनतादि को] छिपाने वाला सौभाग्यशाली प्रिय पीटा ही जाता है । [सरियों के मना करने पर भी नायिका उसको मारती है ।]

[बाहुलतिकापाशेन से] रूपरु [आक्षित] प्रारम्भ किया गया था परन्तु केवल [परं, अधना अत्यन्त] रस पुष्टि के लिए उसका निर्वाह नहीं किया गया । [यह पद्म समीक्षा प्रकार हुआ । छटे का उदाहरण आगे देते हैं] ।

६—[अन्त तक] निर्वाह इष्ट होने पर भी जिसको सावधानी से अङ्ग रूप में ही देखता [निवृद्ध करने का ध्यान रखता है] है । जैसे—

हे भीरु ! मुझे तुम्हारे अङ्ग [का सादृश्य] प्रियंगु लताओं में, तुम्हारा दृष्टिपात चकित हरिणियों की चञ्चल चितवन में, तुम्हारे कपोल की कान्ति चन्द्रमा में, तुम्हारे केशपाश गयूरपिच्छ में और तुम्हारे भ्रूभङ्ग नदी की तरङ्गों में दिखाई पड़ते हैं [इसलिये मैं इधर-उधर मारा मारा फिरता हूँ ।] परन्तु खेद है कि तुम्हारा सादृश्य कहीं इच्छा नहीं दिखाई देता [नहीं तो मैं उसी एक से सन्तोष कर लेता । तुम भीरु ही जो ठहरा कदाचिन् इसीलिये अपनी सारी विभूति को एक जगह नहीं रखा] ।

इत्यादि में । [यहां वदनागधारोप रूप उल्लेख के अनुप्राणित करने

१. नि०, यी० में 'परं रसपुष्टये' को अगले वाक्य में जोड़ा है ।

स एवमुपनिषद्भ्यमानोऽलङ्कारो रसाभिव्यक्तिहेतुः कर्त्रेर्भवति ।
उक्तप्रकारातिश्रमे तु नियमेनैव रसभङ्गहेतुः सपद्यते । लक्ष्यं च तथाविधं
महानविप्रन्धेऽपि^१ नश्यते बहुश । तच्च सूक्तिसहस्रद्योतितात्मना
महात्मना दोषोद्घोषणमात्मन एव दृषणं भवतीति न विभज्य दशितम् ।

किन्तु रूपकादेरलङ्कारवर्गस्य येय व्यञ्जकत्वे रसादिविषये^२
लक्षणदिग्दशिता, तामनुसरन् स्वयं चान्यलक्षणमुत्प्रेक्षमाणो^३ यद्यलक्ष्य-
त्रम प्रतिममनन्तरोत्तमेन ध्वनेरात्मानमुपनिषन्नाति सुकवि समाहित-
चेतास्तदा तस्यात्मलाभो^४ भवति महीयानिति ॥१६॥

वाले सादृश्य को प्रारम्भ से उठा कर अन्त तक उसका निर्वाह किया है परन्तु
वह अन्नरूप ही रहे इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है । इसलिए वह निप्रलम्भ
शब्दों का पौषक ही है] ।

वह [रूपकादि अलङ्कार वर्ग] इस प्रकार [उपयुक्त अङ्गता साधक
पङ्क्ति समीक्षा प्रकार को ध्यान में रख कर] उपनिषद् अलङ्कार करि के रस
को अभिव्यक्त करने का हेतु होता है । उक्त पद्यति का उल्लेखन करन से तो
अनर्थ ही रसभङ्ग का हेतु बन जाता है । इस प्रकार [समीक्षा नियमभङ्ग मूलक
रसभङ्ग प्रदर्शक] के बहुत से उदाहरण महाकवियों के प्रबन्धों [काव्यों] में
भी पाए जाते हैं । [परन्तु] सहस्रों सूक्तियों की रचना द्वारा लब्धप्रतिष्ठ उन
महामात्रों के दोषों का उद्घाटन करना अपन ही लिए दोषजनक होता है इस
लिए उस [महाकवियों के दोषयुक्त उदाहरण भाग] को अलग नहीं
दियाया है ।

किन्तु [अन्तिम सिद्धान्त यह है कि] रूपकादि अलङ्कार वर्ग का रसादि
विषयक व्यञ्जकत्व का जो यह मार्ग प्रदर्शित किया है उमका अनुसरण करते
हुए, और स्वयं भी और लक्षणों का अनुसन्धान करते हुए यदि कोई सुकवि
पूर्वकथित असञ्जकम व्यञ्जक सदृश ध्वनि के आत्मभूत [रसादि] को
सावधानता से निश्चय करता है तो उस बड़ा आत्मलाभ [आत्मपद-विषय का
महालाभ—महाकवि पद का लाभ] होता है ।

१ नि०, दी० में अपि शब्द को तथाविधमपि यहा जोडा है ।

२ लक्षणा नि०, दी० । ३ यद्यलक्ष्यत्रमपत्रितमनन्तरोत्तमेव नि०, दी० ।

४ तदस्यात्मलाभो० नि० ।

क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योऽनुस्वानसन्निभः ।

शब्दार्थशक्तिमूलत्वात् सोऽपि द्वेधा व्यवस्थितः ॥ २० ॥

अस्य विवाहितान्यपरवाच्यस्य ध्वने 'सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यत्वाद्-
नुरणनप्रख्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्चेति
द्विप्रकार ॥२०॥

इस प्रकार पृष्ठ १५० पर १६ वा कारिका की व्याख्या में जिस लक्ष्ये
महानाक्य का उल्लेख किया था वह इस पृष्ठ पर आकर समाप्त हुआ ॥१६॥

ध्वनि के प्रारम्भ में दो भेद किए गए थे अविद्वित वाच्य [लक्षणांमूल
ध्वनि] और विद्वितान्यपरवाच्य [अभिधामूल ध्वनि] । उसके बाद अविद्वित
वाच्य [लक्षणांमूल ध्वनि] के भी अर्थान्तर सम्मितवाच्य और अत्यन्त
तिरच्छृत्वाच्य दो भेद किए गए । इसके आगे विद्विता यपरवाच्य [अभिधामूल
ध्वनि] के भी असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य और सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य दो भेद किए जा
चुके हैं । और असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ऋ सम्बन्ध में वहाँ तक पर्वान्त आलोचना
की जा चुकी है । अब आगे सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के भेद करेंगे ।

सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के भी प्रारम्भ में दो भेद होते हैं एक शब्दशक्त्युत्थ
और दूसरा अर्थशक्त्युत्थ । प्रायः सभी आचार्या ने इन दोनों के अतिरिक्त उभय-
शक्त्युत्थ नाम से तीसरा भी सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का भेद माना है । शब्दशक्त्युत्थ में
वस्तु ध्वनि और अलङ्कार ध्वनि दो भेद, अर्थ शक्त्युत्थ के १२ भेद और उभय
शक्त्युत्थ का एक भेद इस प्रकार सलक्ष्यक्रम के कुल १५ भेद और एक असलक्ष्य
क्रम मिल कर १६ भेद विद्वितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनि के और दो
भेद अविद्वितवाच्य [लक्षणांमूल ध्वनि] के इस प्रकार १८ भेद होते हैं । फिर
आगे इनका और विस्तार चलता है । इस समय सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का निरूपण
प्रारम्भ करते हैं ।

[विद्वितान्यपरवाच्य ध्वनि का] अनुस्वान सदृश क्रम से प्रतीत होना
वाला जो [नगरा] स्वरूप [आत्मा] है वह भी शब्दशक्ति मूल और अर्थ
शक्तिमूल होने में भी दो प्रकार का होता है ।

इस विद्वितान्यपरवाच्य ध्वनि का सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य होने में अनु

ननु शब्दशक्त्या यत्रार्थान्तर प्रकाशते स यदि ध्वनेः प्रकार उच्यते तदिदानीं श्लेषस्य विषय एवापहृत. स्यात् । नापहृत इत्याह—

आक्षिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते ।

यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः ॥२१॥ ✓

स्वान तुल्य जो [दूसरा] स्वरूप है, वह भी शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल इस प्रकार दो तरह का है ॥२०॥

घटा बजा कर बन्द कर देने के बाद भी कुछ ध्वनि क्रमशः देर तक सुनाई देती रहती है । इसी को अनुस्वान अथवा अनुरणन कहते हैं । विवक्षितान्य-परवाच्य का दूसरा भेद सलक्ष्यक्रम है अर्थात् उसमें वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति का क्रम अनुस्वान के समान स्पष्ट प्रतीत होता है । वाच्यार्थ की प्रतीति के बाद अनुस्वान के समान ही वहा व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है । इसी से अनुस्वानमन्निभ इस ध्वनि को सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भी कहते हैं ।

इस सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के दो भेद किए हैं एक शब्दशक्तिमूलक और दूसरा अर्थशक्तिमूलक । शब्दशक्तिमूलक ध्वनि उसको कहेंगे जहा वाच्यार्थ की प्रतीति के बाद अनुस्वान के समान दूसरे अर्थ की प्रतीति भी बाद में हो । इस स्थिति में शङ्का यह होती है कि शब्द शक्ति से दो अर्थों की प्रतीति श्लेष अलङ्कार में भी होती है । जहा दूसरे अर्थ की प्रतीति शब्दशक्ति से होती है उसको आप श्लेष न कह कर शब्दशक्त्युत्पन्न सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि कहना चाह रहे हैं । तब फिर श्लेष ना प्रयसर कहा रहेगा ? शङ्का का आशय यह है कि शब्दशक्तिमूल ध्वनि और श्लेष की विषय व्यवस्था कैसे होगी ? इसका समाधान यह है कि जहा वाच्यरूप में वस्तुद्वय की शब्दशक्ति से प्रतीति होती है वहा श्लेष अलङ्कार और उससे भिन्न, जहा अलङ्कार की शब्दशक्ति से प्रतीति होती है ऐसे स्थलों में ध्वनि रहेगी ।

[प्रश्न] शब्दशक्ति से जहां अर्थान्तर प्रकाशित होता है यह यदि ध्वनि का भेद [माना जाय] हो तो फिर श्लेष का विषय ही लुप्त हो जायगा ।

[उत्तर] नहीं लुप्त होगा, यही [बात] कहते हैं :—

जहां शब्द से अनुक्त [साक्षात्संकेतित होने पर भी] आक्षेप सामर्थ्य से ही शब्दशक्ति द्वारा अलङ्कार की प्रतीति होती है वह शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि कहलाता है ।

यस्मान्नलङ्कारो, न वस्तुमात्र यस्मिन् काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते
स शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिरित्यस्माकं विवक्षितम्' । वस्तुद्वये च शब्द-
शक्त्या प्रकाशमाने^२ श्लेष । यथा —

येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्काय पुरारत्रोऽकृतो,
यश्चोद्बृत्तभुजङ्गहारजलयो, गङ्गा च योऽधारयत् ।
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्य च नामामरा,
पायात् स स्वयमन्धरुक्षयकरस्त्वा सर्पदोमाधवः ॥

क्योंकि हमारा यह अभिप्राय है कि अलङ्कार, न कि केवल वस्तु, जहाँ
शब्दशक्ति से [आक्षिप्त होकर] प्रकाशित होती है वहाँ शब्दशक्त्युद्भव
ध्वनि है । और जहाँ दो वस्तु शब्दशक्ति [अभिधा] से प्रकाशित हों वहाँ
श्लेष है । जैसे —

['येन ध्वस्तमनोभवेन' इत्यादि श्लोक में श्लेषपक्ष शिव और विष्णु
दोनों अर्थों की प्रतीति होती है । सारे विशेषण दोनों पक्षों में लगते हैं । विष्णु
पक्ष में अर्थ इस प्रकार होगा] 'येन अभवेन' जिन अजन्मा विष्णु ने 'अन ध्वस्तं
बालपन में 'अन' अर्थात् शकट अर्थात् बच्चों की गाड़ी अथवा शकटासुर को नष्ट
कर डाला, 'पुरा' पहिले अमृत हरण के समय 'बलिजित्' बलि राजा को अथवा
बलयान् दैत्यो को जोतने वाले शरीर को [मोहिनी रूप] स्त्री बना डाला, और
जो मयादातिप्रमण करने वाले 'कालिय नाग' को मारने वाले हैं जिनमें 'स्व' वेद
का लय होता है अथवा, 'स्वे शब्दे लयो यस्य' 'अरारो विष्णु' अकाररूप शब्द
में तिसका लय होता है, जिन्होंने 'अग' गोरधन पर्वत और 'गा' वराहावतार में
पृथ्वी को धारण किया । जो 'शशिमन्धनातीति शशिमत् राहु, उसके शिर को
काटने वाले होने से देवता लोग जिनका 'शशिमच्छिरोहर' यह प्रशंसनीय नाम
लेते हैं । अन्धरु अर्थात् यादवों का द्वारिका में क्षय निवास स्थान बनाने वाले
अथवा मौसल पर्व में यादवों का नाश कराने वाले और सब मनोकामनाओं को
पूर्ण करने वाले 'माधव' विष्णु तुम्हारी रक्षा करें ।

[शिव पक्ष में] 'ध्वस्त मनोभयः कामो येन स. ध्वस्तमनोभय' कामदेव
का नाश करने वाले तिन शकट ने 'पुरा' त्रिपुरदाह के समय 'बलिजित्काय' विष्णु
के शरीर को 'अस्त्रोद्धत' बाण बनाया, जो महाभयानक भुजङ्गों सर्पों को हार

न-बलङ्कान्तरप्रतिभायामपि श्लेषव्यपदेशो भवतीति दशित भट्टो
 झटने तत् पुनरपि शब्दशक्तिमूलो ध्वनिर्निर्वकाश इत्याशङ्क्येदमुक्त
 'आक्षिप्त' इति । तदयमर्थः, 'यत्र शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तर^१ वाच्य
 सत् प्रतिभासते स सर्वं श्लेषत्रिपय । यत्र तु शब्दशक्त्या सामध्याक्षिप्त
 वाच्यव्यतिरिक्त व्यङ्ग्यमेवालङ्कारान्तर प्रकाशते स ध्वनेत्रिपय ।

शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरप्रतिभा यथा—

तस्या विनापि हारेण निसर्गादेव हारिणो ।

जनयामासतु कस्य विस्मय न पयोवरौ ॥

और बलय के रूप में धारण करते हैं जो गङ्गा को धारण किये हुए है जिनका
 [मस्तक] शिर शशि चन्द्रमा से युक्त है और देवता लोग जिनका प्रशसनीय
 हर नाम कहते हैं अधकासुर का विनाश करने वाले वे 'उमाधव पार्वती के
 पति [गौरीपति] शङ्कर सदैव तुम्हारी रक्षा करें ।

[यहा दोनों अर्थ वस्तु रूप हैं और अभिधा शक्ति स प्रकाशित हाने स
 यहा श्लेषालङ्कार है]

[पूर्वापत्ती की शङ्का] भट्टाद्वय ने [न केवल वस्तुद्वय की प्रतीति में
 ध्वनि] अलङ्कारान्तर की प्रतीति होने पर भी श्लेष व्यवहार [होता है यह]
 दिखाया है । इसलिये शब्दशक्तिमूल ध्वनि का अन्तर फिर भी [कहीं]
 नहीं रहता ।

[उत्तर] इसी आशङ्का के कारण [कारिकाकार ने] आक्षिप्त यह
 [पद] कहा है । इसका यह अर्थ हुआ कि जहा शब्द शक्ति से साक्षात् वाच्य
 रूप में अलङ्कारान्तर की प्रतीति होती है वह सन् श्लेष का त्रिपय है और वहाँ
 शब्द शक्ति के बल से आक्षिप्त वाच्यार्थ स भिन्न, व्यङ्ग्य रूप स ही दूसरे
 अलङ्कार की प्रतीति होती है वह ध्वनि का त्रिपय है ।

शब्द शक्ति से साक्षात् [वाच्य रूप स भी] दूसरे अलङ्कार की प्रतीति
 हा सप्रती है । जैसे—

हार के बिना भी स्वभास ही [मना] हारी उसके स्तन किस
 [के मन] में विस्मय उ पन्न नहीं करते ।

अत्र शृङ्गारव्यभिचारी विस्मयारयो भावः साक्षाद् विरोधालङ्कारश्च प्रतिभासते, इति विरोधच्छाया अनुप्राहिण. श्लेषस्यायं विषयः । न त्वनु-
स्वानोपमव्यङ्ग्यस्य ध्वने । अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य^१ तु ध्वनेर्वाच्येन
श्लेषेण विरोधेन वा व्यञ्जितस्य विषय एव ।

यथा ममैव—

श्लाघ्याशेषतनुं सुदर्शनकर. सर्वाङ्गलीलाजित-^१
त्रैलोक्या चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोको हरिः ।
विभ्राणा मुखमिन्दुरूपमखिल चन्द्रात्मचक्षुर्दधत्
स्थाने या स्वतनोरपश्यदधिका सा रुक्मिणी वोऽवतान् ॥

अत्र वाच्यतयैव व्यतिरेकच्छाया अनुप्राही श्लेष प्रतीयते ।

यहाँ शृङ्गार [रस] का व्यभिचारी भाव विस्मय [विस्मय शब्द से]
और [अपि शब्द से] विरोधालङ्कार [दोनों] साक्षात् [वाच्य रूप में] प्रतीत
होते हैं । इसलिए यह विरोध की छाया से अनुप्राहित श्लेष का विषय है,
अनुस्वानसन्निभ [अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य] ध्वनि का नहीं । परन्तु [श्लोक में श्लेष
तथा विरोध का अद्वाङ्गिभास मङ्कुर होने से] वाच्य, श्लेष अथवा विरोध
[अलङ्कार] से अभिव्यक्त असलक्ष्यक्रम ध्वनि का [तो यह श्लोक] विषय
है ही ।

[अलङ्कारान्तर के वाच्यतया प्रतीत होने का दूसरा उदाहरण] जैसे
मेरा ही :—

[सुदर्शनकरः] जिनका केवल हाथ ही सुन्दर है [अथवा सुदर्शन
चक्र युक्त होने से सुदर्शनकर विष्णु] जिन्होंने केवल चरणारविन्द के सौन्दर्य
से [अथवा पाद श्लेष से] तीनों लोकों को आक्रान्त किया है और जो चन्द्र
रूप [से केवल] नेत्र की धारण करते हैं [अर्थात् जिनका केवल एक नेत्र ही
चन्द्र रूप है] ऐसे विष्णु ने अखिल देहव्यापि सौन्दर्यशालिनी, सर्वाङ्ग
सौन्दर्य से त्रैलोक्य विजय करने वाली और चन्द्रसदृश सम्पूर्ण मुख की धारण
करने वाली जिन [रुक्मिणी देवी] की उचित रूप से ही अपने शरीर से उत्कृष्ट
देखा वह रुक्मिणी देवी तुम सबकी रक्षा करें ।

यहाँ व्यतिरेक की छाया को परिपुष्ट करने वाला श्लेष ['स्वतनोरपश्य-
दधिका' इस पद से] ही वाच्य रूप से प्रतीत होता है ।

यथा च —

भ्रमिमरतिमलसन्द्यता प्रलय मूर्च्छां तम शरीरसादम् ।
मरणं च जलदभुजगन प्रसह्य कुरते विष वियोगिनीनाम् ॥

यथा चा —

चमहिअमाणसरुञ्जणपङ्कअणिम्महिअपरिमला जस्स ।
अरुणहिअदाणपसारा वाहुप्पलिहा विअ गइन्दा ॥
सण्डितमानसकाअनपङ्कजनिमथितपरिमला यस्य ।
असण्डितदानप्रसरा वाहुपरिघा इव गजेन्द्रा ॥ इति ज्ञाया ।
अत्र रूपकच्छायानुग्राही श्लेषो वाच्यतयैवावभासते ।

[अलङ्कारान्तर वाच्यतया प्रतीत होने का इसी प्रकार का तीसरा उदाहरण] और जैसे—

मेघरूप सर्प स उत्पन्न विष [विष शब्द के जल और हालाहल दोनों वाच्यार्थ होते हैं] वियोगिनी को चक्कर, बेचैनी, अलसहृदयत्व ज्ञान और चेष्टा का अभाव ['प्रलय सुखदुःखान्या चेष्टाज्ञाननिराकृति'], मूर्च्छा, तम, शरीरसाद और मरण बलात् उपन्न कर देता है ।

यहां विष शब्द के जल तथा जहर दोनों वाच्यार्थ होते हैं । वैसे प्रकरणादि द्वारा नियंत्रित हो जाने पर तो अभिधा शक्ति एक ही अर्थ का बोधन करती परन्तु यहां भुजग शब्द भी दिया हुआ है इसलिए अभिधा शक्ति केवल जल रूप अर्थ को बोधन करके विभ्रान्त न होकर दोनों ही अर्थों को बोधन करती है । इसलिए नवीन मतानुसार यहां शब्दश्लेष और प्राचीन मतानुसार अमङ्ग-श्लेश अर्थश्लेष—है । नवीन मतानुसार 'भ्रमिमरति' आदि पदों में 'स्तोत्रेनोन्नति भाषति, आदि के समान अर्थश्लेष है । और 'जलदभुजग' में रूपक है । इस प्रकार रूपक और रूपकच्छायानुग्राही श्लेष दोनों वाच्यतया प्रतीत होते हैं । यह भी श्लेष का ही स्थल है । शब्दशक्तिमूल ध्वनि का नष्ट ।

अथवा जैसे —

निराश शत्रुओं के मन रूप स्वर्ण कमलों के निमेषन के कारण यश सौरभ को फैलाने वाले और निरन्तर दान में लग हुए निष्के बाहु दण्ड ही मानसरोवर के स्वर्णकमलों को ताड़ने से सुगन्धयुक्त और अनवरत मद्य प्रवाहित करने वाले हाथी के समान हैं ।

यहां [इन दोनों उदाहरणों] रूपकच्छायायानुमाही श्लेष वाच्य रूप से ही प्रतीत होता है ।

यहां गनेन्द्र शब्द के कारण 'निर्मथित' 'परिमल' और 'दान' शब्द क्रमशः तोड़ना, सोरभ, और मद रस रूप अर्थ को प्रतिपादन करके भी पैलाने, प्रतापसौरभ अथवा यश परिमल और दान [स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वक परस्वत्वोत्पादन दानम्] अर्थ को भी प्रोक्षित करते हैं । इस प्रकार यहां रूपकच्छायायानुमाही श्लेष वाच्यतया ही प्रतीत होता है । अतः यह सब श्लेष के विषय हैं शब्दशक्तिमूल ध्वनि के नहां ।

इस इक्कीसवा कारिका "आक्षिप्त एवालङ्कार शब्दशक्त्यावभासते । यस्मिन्नुक्त शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि स ।" में शब्द शक्तिमूलध्वनि का विषय निर्धारित किया है । जहां अलङ्कार वाच्य न हो अपितु आक्षिप्त-शब्द सामर्थ्य से व्यङ्ग्य हो वहां शब्दशक्तिमूल ध्वनि का विषय है । यह उसका तात्पर्य है । और जहां वस्तुद्वय या अलङ्कारान्तर वाच्य हों वहां श्लेष का विषय होता है । इस प्रकार यहां तक कारिकागत 'आक्षिप्त' शब्द के व्यवच्छेद का प्रदर्शन किया । जहां अलङ्कारान्तर आक्षिप्त हो-व्यङ्ग्य हो—वहीं शब्दशक्तिमूल [अलङ्कार] ध्वनि होगा । जहां वाच्य होगा, वहां नहां । इसी प्रकार के उदाहरण 'येन ध्वस्त०' से लेकर 'स्फिष्टत मान०' तक दिए हैं । इनमें से पहिले 'येन ध्वस्त मनो०' में वस्तुद्वय वाच्य हैं और शेष उदाहरणों में अलङ्कारान्तर वाच्य प्रतीत होते हैं इसलिए यह सब शब्दशक्तिमूल ध्वनि के उदाहरण न होकर श्लेष के उदाहरण हैं । आगे कारिकागत 'एव' शब्द का व्यवच्छेद दिखलाएगे ।

सभी भाषाओं में बहुत से शब्द अनेकार्थक होते हैं परन्तु वह अधिकांश स्थलों पर प्रकरणादिवश एक ही अर्थ को बोधन करते हैं अनेक अर्थों को नहीं । इसका कारण उनका प्रकरण आदि द्वारा एक अर्थ में नियन्त्रण हो जाना ही है । हमारे यहां अनेकार्थक शब्द के एवार्थ में नियन्त्रण के विशेष हेतु माने गए हैं । उन हेतुओं का समूह करने वाली निम्नाङ्कित कारिकाएँ वस्तुतः भर्तृहरि के वाक्यपदीय नामक व्याकरण ग्रन्थ की हैं परन्तु अलङ्कारिकों ने शेषाकरणों के ध्वनि शब्द के समान इन कारिकाओं को भी अपना लिया है । इसी से साहित्य के सभी मुख्य ग्रन्थों में उनका उल्लेख मिलता है । कारिकाएँ निम्न प्रकार हैं —

१ "सयोगो निप्रयोगञ्च सादृश्ये निरोधिता ।

अर्थ प्रकरण लिङ्ग शब्दस्यान्वस्य मन्निधि ॥

स चाक्षिप्तोऽलङ्कारो यत्र पुन शदान्तरेणाभिहितस्वरूपस्तत्र
न शदशक्त्युद्भवानुराणरूपव्यङ्ग्यचमनित्यप्रहार । २ तत्र वक्रोक्त्यादि
वाच्यालङ्कारव्यप्रहार एव । यथा—

सामर्थ्यमौचित्यी देश कालो व्यक्ति स्वरादय ।

शब्दार्थस्यानन्वये विशेषत्मृतिहेतव ॥”

शब्दार्थ का निश्चय न होने की दशा में अर्थात् अनेकार्थ शब्द प्रयोग की
अवस्था में उसका विशेषतया एक अथ विशेष में नियमन करने के हेतु सयोग,
विप्रयोग साहचय, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, शब्दांतर का सन्निधान, सामर्थ्य,
औचित्य, देश, काल, व्याक्त और स्वर आदि होते हैं ।

जहां अनेकार्थक शब्द का प्रयोग तो हो परंतु उसके एकाध में नियमन
करने वाले इन कारणों में स प्रकरणादि रूप कोई कारण उपस्थित न हो वहां
शब्द के दोनों अर्थ वाच्य होते हैं । जैसे ‘येन ध्वस्तमनोभवेन’ श्लोक में एकाध
नियामक हेतु न होने से दोना अर्थ वाच्यतया प्रतीत होते हैं । इसलिए स्पष्ट ही श्लेष
का विषय माना जाता है, शब्दशक्तिमूल ध्वनि का नहीं । क्योंकि वहां अर्थ आक्षिप्त
नहीं है वाच्य है ।

इसके अतिरिक्त जहां द्वितीय अर्थ को अभिधा से बोधन कराने के लिए
कोई साधक प्रमाण उपस्थित है वहां द्वितीयाधकी प्रतीति अभिधा से ही होती है ।
इस प्रकार के चार उदाहरण ‘तम्या विनापि हारेण’ ‘श्लाघ्याशेषतनु’ ‘अम-
मरति’ और ‘सखिडत मानस’ उपर दिए गए हैं । इनमें अपि शब्दों के
प्रयोगफल से ‘हारिणी’ आदि शब्द ‘हरयुक्ती’ और ‘मनोहरी’ दोनों अर्थों को अभि-
धया बोधन करते हैं । इसलिए इन सब उदाहरणों में श्लेषालङ्कार है । शब्दशक्ति-
मूल ध्वनि नही । इसके अतिरिक्त जहां अभिधा या नियामक हेतु होने पर भी प्रवल
बाधक हेतु के कारण वह अक्रिय प्र हो जाता है वहां भी शब्दशक्तिमूल ध्वनि
नहीं होती । यही बात आगे सोदाहरण लिखते हैं ।

[‘स चाक्षिप्तो में च शद अपि के अर्थ में भिन्न क्रम है अत आक्षिप्त
के बाद अपि अर्थ म प्रयुक्त हान म आक्षिप्ता पि] आक्षिप्त होने पर भी
अर्थान् आक्षिप्ततया प्रतीत हान पर भी, [प्रवलतर साधक हेतु के कारण एकार्थ
नियामक हेतु के अक्रिय प्र हो जाने से] वहां वह अलङ्कार दूसरे शब्द से

१ न नहीं है नि० दी० । २ (नव किंतु) दी० में अधिक है ।

यथा—

दृष्ट्या केशत्र गोपरागद्वयया क्रिञ्चिन्न दृष्टं मया,
तेनैव सरलितस्मि नाथ पतिता किन्नाम नालम्प्रसे ।
एरुत्थ विपमेषु खिन्नमनसा सर्वात्रलना गति-
गोप्यैव गदित सलेशमवताद् गोण्ठे हरिर्विशिचरम् ॥

एवञ्जातीयक सर्व एव भवतु काम वाच्यश्लेषस्य निषय ।

अभिहित रूप ही जाता है वहा शब्द शक्युद्भवसलक्ष्यक्रम ध्वनि का व्यवहार नहीं होता वहा वक्रोचित आदि वाच्यालङ्कार का ही व्यवहार होता है । जैसे—

हे केशव [वृष्ण] गौत्रो की [उडाई] धूलि से दृष्टि हरण ही जाने से मैं [रास्ते की विपमता आदि] बुद्ध नहीं देख सकी, इसी से [टाकर खाकर] गिर पड़ी हूँ । हे नाथ गिरी हुई [मुझ] को [उडाने के लिए आप अपने हाथ से] पकड़ते क्यों नहीं हैं । [हाथ का सहारा देकर उडाने में क्यों सङ्कोच करते हैं ।] विपम [ऊबड़ त्पाउड़ रास्ते] स्थला में घबड़ा जाने वाले [न चल सकने वाले बाल वृद्ध वनितादि] निर्बल जनों के [अयत्न शक्ति शाली] केवल आप ही एक मात्र सहारा हो सकते हैं । गोण्ड [गोशाला] में द्वयर्थक शब्दों में गोपी द्वारा [अथवा सलेश समूचन । अल्पोभयन हि सूचनमेव] इस प्रकार कहे गए वृष्ण तुम्हारी रक्षा करें ।

[सलेश पद की सामर्थ्य से दूसरा अर्थ इस प्रकार प्रतीत होता है] इस पद्य में 'केशत्रगोपरागद्वयया' की व्याख्या दो प्रकार से होती है एक तरह तो केशत्र और गोप दोनों सम्प्रोधन पद हैं । गोप का अर्थ रक्षक, स्वामी है । हे स्वामिन् केशत्र आपके अनुराग में अन्धी होकर मैंने बुद्ध नहीं देखा भाला । अथवा [केशत्रग य उपराग केशत्रगोपराग तेऽ हतया मुग्धया] हे केशव स्वामिन् आपके अनुराग से अन्धी होकर मैंने बुद्ध देखा भाला नहीं । सोचा विचारा नहीं [इसलिए] अपने पतिव्रत धर्म में भ्रष्ट [पतिर] होगई हूँ । हे नाथ [अथ आप मेरे प्रति] पतिभाव क्यों प्रहण नहीं करते [मेरे साथ पति वद् व्यवहार, सम्भोगादि क्यों नहीं करते ।] क्योंकि काम [वायना] में समस्त मन चाली [विपमेषु पंचबाण काम] समस्त अत्रलाश्यों [गोपियों] की एवमात्र आप ही गति [ईप्सादि रहित नृसिमाधन] हो । इस प्रकार गोशाला में गोपी द्वारा लेश पूर्वक कहे गए वृष्ण तुम्हारी रक्षा करें ।

इस प्रकार के सब उदाहरण भले ही वाच्य श्लेष के निषय हों ।

यत्र तु सामर्थ्याक्षिप्त सद्वलङ्कारान्तर शब्दशक्त्या प्रकाशत स सर्व एव ध्वनेविषय । यथा—

“अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसहर-ननुम्भत ग्रीष्मामिवान फुल-मल्लिकावधलाट्टहासो महाकाल ।”

यथा च—

उन्नत प्रोल्लसद्धार कालागुग्मलीमस ।

पयोधरभरस्तन्व्या क न चक्रेऽभिलाषिणम् ॥

यहा यदि सलेश पद का प्रयोग न होता तो केशवगोपरागहृतया, पतिता आदि शब्दों के अनेकार्थ समव होने पर भी प्रकरणादि वश एकार्थ में नियन्त्रण हो जाने से यह एक ही अर्थ को बोधन करते । परन्तु सलेश पद की उपस्थिति ने प्रकरणादि की एकार्थ नियामक सामर्थ्य को कुण्ठित कर दिया है जिससे अभिधा प्रतिप्रसूत सी होकर दोना अर्थों को वाच्यतया बोधित करती है । इसलिए यह शब्दशक्तिमूल ध्वनि का नहा अपितु श्लेष का ही विषय है ।

इस प्रकार यहा तक श्लेष का विषय दिखाया । परन्तु इसका अर्थ यह नहा है कि पृष्ठ १६५ पर भद्रोद्भूत का उल्लेख करते हुए ‘पुनरपि शब्दशक्ति मूलो ध्वनिनिखण्डाश’ यह जो आशङ्का की थी वह ठाक ही हो । वस्तुतः उनसे भिन्न शब्दशक्तिमूल ध्वनि का विषय भी है । यह प्रागे दिखाते हैं ।

जहा शब्द शक्ति से सामर्थ्याक्षिप्त होकर अलङ्कारान्तर प्रतीत होता है वह सब ध्वनि का विषय है । जैसे — *Another fig is con*
of suggestive p

इसो समय पुष्पसमृद्धि युग [यथान् वमन्न क चैत्रपैशाच युगल मास] का उपसहार करता हुआ, पिलो हुई मल्लिकाया [उत्रो] के, अटालि काओं को धवलित करर बाल हास [रिहास] स परिपूर्ण, [दूसरा अर्थ] प्रलय काल म कृतयुग आदि का सहार करते हुए आर पिला हुई लुहो क समान धवल अट्टहास करत हुए महाकाल शिव क समान, प्राप्प नामक महाकाल प्रकट हुआ ।

और जैसे —

काले अगर् के समान कृष्ण वर्ण, त्रिदुधधारा अथवा जल धारा स सुराभित, [उस घटा ऋतु क उमड़त हुए] मध समूह न [दूसरा अर्थ] काल अगर् [के लप] स कृष्ण वर्ण, हारो म अनर्कत [उस कामिनी क] उन्नत

उरोजों के समान जिस [पथिक या क्रिस युवक] को [उस कामिनी अथवा अपनी दयिता के मिलन के लिए] उत्कण्ठित नहीं कर दिया ।

इस श्लोक का उपलब्ध पाठ 'पयोधरभरस्तव्या क न चक्रेऽभिलाषिणम्' है । उसने अनुसार एक पक्ष में तो तन्वी के स्तन युग ने किस को [उसको प्राप्ति के लिए] उत्कण्ठित नहा कर दिया । यह सीधा अर्थ लग जाता है । पयोधर और तन्वी का सम्बन्ध विवक्षित है । परन्तु दूसरे वर्षा वर्णन वाले श्रथ में जिस पथिक को तन्वी का अभिलाषी नहीं बनाया इस प्रकार का अर्थ करने से ही सङ्गति होगी । लोचन की मालाप्रिया टीकाकार ने 'तन्या' की जगह 'तस्या' पाठ माना है । उस सर्वनाम 'तस्या' का सम्बन्ध दोनों पक्षों में पयोधर के साथ ही रहता है । उस प्रावृट् वर्षा के मेघ और उस कामिनी के उरोज यह अर्थ दोनों पक्षों में लग जाता है ।

इन दोनों गद्य और पद्यात्मक उदाहरणों में द्वितीयार्थ की प्रतीति शब्द शक्ति से वाच्य न होकर सामर्थ्याद्धिप्त रूप में व्यञ्जना द्वारा होती है इसलिए शब्द शक्तिमूल ध्वनि का विषय है ।

इस स्थल पर 'शब्दशक्त्या' और 'सामर्थ्याद्धिप्त' दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है । शक्ति और सामर्थ्य शब्द समानार्थक होने से उन दोनों शब्दों का प्रयोग का प्रयोजन या भेद प्रायः समझ में नहा जाता । इसलिए उसको यों समझना चाहिए कि सामर्थ्य शब्द का अर्थ यहा सादृश्यादि होता है । अर्थात् दूसरे अर्थ की प्रतीति शब्दशक्ति से सादृश्य आदि के द्वारा होती है । इस द्वितीयार्थ प्रतीति के विषय में मुख्यतः तीन प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं ।

पहिला मत यह है कि महाजाल आदि शब्दों की शिव अर्थ में अभिधा शक्ति ज्ञाता को पूर्व से गृहीत है । महाजाल शब्द शिव रूप अर्थ में रूढ है । और दूसरा 'मशान् दीप दुरतिग्रह काल' यह ग्रीष्म पक्ष में अन्वित होने वाला अर्थ यौगिक अर्थ है । साधारणतः "योगादूर्ध्विर्लयासी" इस न्याय ने अनुसार यौगिकार्थ की अपेक्षा रूढ अर्थ मुख्यार्थ होता है । पहिले गद्यात्मक उदाहरण में ऋतु वर्णन प्रकृत होने से ग्रीष्मनिगमक अर्थ प्रकृत अर्थ है । परन्तु वहा महाजाल शब्द का रूढ अर्थ प्रकरण में अन्वित नहा होता इन लिए उस साधारण नियम का उल्लंघन करके यौगिक अर्थ लिया जाना है । परन्तु श्रोता को उस शब्द का शिव अर्थ में, मञ्जेन-ग्रह है । इसलिए प्रकरणवश अभिधा शक्ति का एकार्थ में नियन्त्रण हो जाने पर गृहीत सङ्गत पद से सादृश्यादि सामर्थ्यवश ध्वनन व्यापार द्वारा अप्राकृतिक शिव रूप अर्थ की भी प्रत्याप्ति होती है । इस प्रकार द्वितीयार्थ के बोधन के सकेतग्रह

मूलक आर ध्वनन व्यापार मूलक होने से उसको शब्दशक्तिमूल ध्वनि कहते हैं। इसमें 'शब्दशक्तिमूल' शब्द उसके अभिधा सहकृत और 'ध्वनि' शब्द उसके व्यञ्जना व्यापार का बोधक है। अतः उसके नामकरण में दोनों शब्दों का प्रयोग विरुद्ध नहीं है।

दुमरा मत "शाब्दी हि आकांक्षा शब्देनैव पूयते" सिद्धांत के अनुसार भीमासक कुमारिल भद्र क 'शब्दाभ्याहारवाद' पर आश्रित है। इसके अनुसार जहां जितने भी अर्थ प्रतीत होते हैं वह सब शब्द से अभिधा द्वारा ही बोधित होते हैं। उस वाक्य में शब्द चाहे एक ही सुनाई देता हो परन्तु अर्थबोध के समय प्रत्येक अर्थ के बोधन के लिए अलग अलग शब्द अभ्याहार द्वारा उपस्थित किए जाते हैं। यह अनेक शब्दों की उपस्थिति भी कहा एकार्थ में नियंत्रण न होने पर अभिधा द्वारा और कहा एकार्थ में नियंत्रण हो जाने पर ध्वनि या व्यञ्जना द्वारा होती है। जैसे श्लेष न शब्दश्लेष और अर्थ श्लेष का भेद माने गए हैं। प्राचीन आचार्यों ने 'सर्वदोमाधव' [पृष्ठ १६४ देखो] आदि सभङ्ग श्लेष को शब्द श्लेष माना है। इसमें दोनों अर्थों को बोधन करने वाले शब्द अलग अलग ही हैं। एक पक्ष में 'सर्वदा माधव' शब्द हैं और दूसरे में 'सर्वदा उमाधव' शब्द हैं। यह दोनों अर्थबोधक शब्द विद्यमान ही हैं इसलिए दोनों अभिधा शक्ति से अपने अपने अर्थ को बोधन करा देते हैं। दूसरे सभङ्ग अर्थात् अधश्लेष में यद्यपि 'अन्धन्-क्षयन्' यह एक ही शब्द सुनाई देता है परन्तु अर्थबोध के समय समानानुपूराक इसी शब्द की "प्रत्यर्थे शब्दा भिद्यन्ते" इस न्याय के अनुसार दुबारा कल्पना की जाती है और वह कल्पित हुआ दूसरा शब्द अभिधा द्वारा द्वितीयाथ का बोधन करता है।

प्राचीन विद्वद्गोष्ठी में प्रहेलिकाओं के रूप में वैदग्ध्यप्रदर्शक प्रश्नोत्तर का एक विशेष प्रकार पाया जाता है। इस सम्बन्ध का विशिष्ट ग्रन्थ विदग्धमुष्ण मण्डन है। इस प्रश्नोत्तर प्रकार के अनुसार 'क इतो धावति' और 'किं गुण-विशिष्टश्च इतो धावति' कौन इधर दौड़ रहा है और किस गुण से सुख इधर दौड़ रहा है, यह प्रश्न हैं। इन दोनों प्रश्नों का एक उत्तर 'श्वेतो धावति' है। पहिले प्रश्न 'क इतो धावति' के उत्तर में उसका 'श्वा इतो धावति' यह दो खण्ड किए जाते हैं और द्वितीय प्रश्न 'किं गुणविशिष्ट इतो धावति' के उत्तर में 'श्वेतो धावति' यह एक पद रहता है। इस प्रकार दो अर्थ बोध करने के लिए दो बार शब्द की कल्पना की जाती है। इन अर्थश्लेष और प्रश्नोत्तरादि के प्रसङ्गों में

यथा वा —

वृत्तानदा प्रजाना समुचितसमयाकृष्टसृष्टौ पयोभि,
पूर्वाह्णे निप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्नि सहारभाज ।
दीप्ताशोर्दीर्घदु रप्रभवभ्रमभयोदन्वदुत्तारनावो,
गावो व पावनाना परमपरिमिता प्रीतिमुत्पादयन्तु ॥

द्वितीय शब्द की उपस्थिति एतथ मे नियन्त्रण न होने से अभिधा द्वारा ही होती है इसलिए यह सब वाच्य श्लेषालङ्कार क उदाहरण होते हैं ।

परन्तु 'सुसुमसमययुगमुपसहरन्' इत्यादि उदाहरणों में प्रकरणादिवश अभिधा क नियन्त्रित हो जाने से द्वितीय बार पद की उपस्थिति अभिधा से न होकर ध्वनन व्यापार से हाती है और ध्वनन व्यापार से उपस्थित होने के बाद शब्द अभिधा शक्ति से द्वितीयाथ का बोधन करता है । इस प्रकार यद्यपि द्वितीयाथ की प्रतीति अभिधा से ही होती है परन्तु उस शब्द की उपस्थिति ध्वनन या व्यञ्जना व्यापार द्वारा होने से इसको शब्दशक्तिमूल यान ही कहा जाता है ।

तृतीय मत के अनुसार प्रथम प्राकरणीक अथ आभधा से उपस्थित हो जाता है उसके बाद प्रकरणादि वश आभधा का एकार्थ में नियन्त्रण होने पर भी जो अथ सामर्थ्य, सादृश्यादि है उसने कारण अभिधा शक्ति प्रतिप्रसूत पुनरुज्जीवित सी हो जाती है । इस प्रकार द्वितीयाथ आभधा शक्ति से ही बोधित होता है । द्वितीयाथ के बोधन हो जाने के बाद उस अप्राकरणीक अथ की प्राकरणीक अथ के साथ अत्यन्त असरदायकता न हो जब इसलिये उन दोनों अर्थों क उपमानोपमेय भाव आदि की कल्पना का जाती है । यहा यह कल्पना व्यञ्जना वृत्ति का निषय होती है । इसलिए वहा उपमालङ्कार व्यङ्ग्य कहलाता है । प्रकृत 'सुसुमसमययुगमुपसहरन्' वाले उदाहरण में रूपक के व्यञ्जना वृत्ति का निषय होने से रूपमालङ्कार व्यङ्ग्य है । इसीलिये इसको शब्दशक्तिमूल ध्वनि कहते हैं ।

आगे शब्दशक्तिमूल ध्वनि के और उदाहरण देते हैं ।

अथवा जैसे—

समुचित समय [मूर्यकिरण पत्र म प्राप्ति अन्तु और गाय पत्र मे दाहन पूर्वकाल] पर आहृष्ट [समुद्रादि स वापरूप मे आहृष्ट पचान्तर में अयन म चढ़ाए हुए] और प्रदत्त जन तथा सुखो म प्रजा को आनन्द इन वाली, प्रात

एपदाहरणेषु शब्दशक्त्या प्रकाशमान सत्यप्राकरणिकेऽर्थान्तरे, वाक्यस्यासम्बद्धार्थाभिधायित्वात् मा प्रसाक्षीदित्यप्राकरणिकप्राकरणिका र्थयोऽपमानोपमेयभाव कल्पितः । सामर्थ्यादित्यर्थाक्षिप्तोऽयं श्लेषो न शब्दोपासृष्ट इति विभिन्न एव श्लेषादनुरानोपमव्यङ्ग्यस्य ध्वने-
र्निपय ।

काल [सूर्योदय के कारण पचान्तर म चरने जाने के कारण] चारों दिशाओं में फैल जाने वाली और सूर्यास्त के समय [सूर्यास्त के कारण पचान्तर म चर कर लौट आने के कारण] एकत्रित हो जाने वाली दीर्घकालव्यापी दुःख के कारण भूत भूतसागर को पार करने के लिए नौकारूप त्रिशू के पवित्रपदार्थों में सर्वोत्कृष्ट गौश्रों के समान सूर्यदेव को किरणें तुम्ह अनेक सुख प्रदान करें ।

इन [१ उषुनसमययुगमुपसहरन २ उन्नत प्रोल्लसद्धार ३ दत्तानन्दा इन तीनों] उदाहरणों म शब्द शक्ति से अप्राकरणिक दूसरे अर्थ के प्रकाशित होने पर वाक्य की असंबद्धार्थबोधकता न हो जाय इसलिए प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थों का उपमानोपमेयभाव कल्पना करना चाहिए । इस प्रकार शब्दसामर्थ्य [सादृश्यादि] वश श्लेष आक्षिप्त रूप म उपस्थित होता है न कि शब्दनिष्ठ रूप म । इसलिए [इन उदाहरणों में] श्लेष स अनुस्वानसन्निभ सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का निपय अलग ही है ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि १ अघातरे २ उन्नत तथा ३ दत्तानन्दा इन तीनों उदाहरणों में प्रकरणवश अभिधा का एकार्थ में नियंत्रण हो जाने से प्रस्तुत अर्थ की प्रतीति अभिधा से हो जाने के बाद शब्द शक्ति अर्थात् अभिधा मूला व्यञ्जना से अप्राकरणिक दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है । इन वाच्य और व्यङ्ग्य, प्रस्तुत और अप्रस्तुत अर्थों में यदि किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो तो वाक्य म अनन्वितार्थबोधकत्व दोष हो जायगा । इसलिए उनका उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध कल्पना अर्थात् व्यञ्जना गम्य मानना होता है । इस प्रकार वाच्य प्रस्तुत होने से उपमेय और व्यङ्ग्यार्थ अप्रस्तुत होने से उपमान रूप में प्रतीत होता है । इस प्रकार द्वितीय अर्थ वाच्य न होने से शब्दोपासृष्ट न होने से यह श्लेष का निपय नहा है अर्थात् शब्दशक्तिमूल [अलङ्कार] ध्वनि का निपय है । इस प्रकार श्लेष और ध्वनि का निपय विभाग स्पष्ट हो जाता है । 'उपमानोपमेयभाव कल्पयित्वा' से यह सूचित किया है कि अलङ्कार ध्वनि में सर्वत्र व्यतिरचन निह्वय आदि 'वशात्' ही आस्थाद प्रतीति के प्रधान विश्वान्तिस्थान होते हैं, उपमेयदि नहा ।

अन्येऽपि चालङ्कारा शब्दशक्तिमूलानुपानरूपव्यङ्ग्यच प्रती
सम्भवन्त्येव । तथाहि विरोधोऽपि शब्दशक्तिमूलानुपानरूपो दृश्यते ।
यथा स्वाएवीश्वरराज्यजनपदवर्णने भट्टव्याणस्य—

“यत्र च १मातङ्गगामिन्य शीलप्रत्यशच, गौर्यो विभवरताश्च,
श्यामा पद्मरागिएयश्च, बवलद्विजशुचिवदना मदिरामोदश्वसनाश्च”
प्रमदा ।”

शब्दशक्तिमूल सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि में [पूर्वोक्त उपमा के अतिरिक्त]
और भी अलङ्कार ही होते हैं । इसी से शब्दशक्तिमूल सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य
विरोध [अलङ्कार] भी दिखाई देता है । जैसे थानेश्वर नामक नगर के वर्णन
[प्रसङ्ग] में वाण भट्ट का —

जहाँ गजगामिनी और शीलप्रती [दूसरे पक्ष में मातङ्ग का अर्थ
चाण्डाल, मातङ्गगामिनी अर्थात् चाण्डाल स भोग करने वाली और शीलप्रती
यह विरोध प्रतीत होता है जो गजगामिनी अर्थ करने से नहीं रहता] । गौरवर्ण
और वैभ्र निमग्न [दूसरे पक्ष में गौरी पार्वती और भव शिव, विभ्र शिव
भिन्न से रमण करने वाली यह विरोध हुआ जो प्रथम अर्थ करने पर नहीं
रहता । ‘श्यामा यौवन मध्यस्था’] तरुणी और पद्मराग मणियों [के अलङ्कारों]
से युक्त [पक्षान्तर में श्यामवर्ण और कमल के समान रागयुक्त यह विरोध
हुआ जो प्रथम अर्थ करने पर नहीं रहता । निमग्न ब्राह्मण के समान पवित्र मुख
वाली और मदिरागन्ध युक्त श्याम वाली यह विरोध] शुभ्र दन्तयुक्त स्वर्द्ध
मुख वाली [अर्थ करने से परिहृत हो जाता है] द्वित्रया है ।

आलोचकार ने हर्ष चरित या यह उद्धरण पूरा नही दिया है । अन्तिम
‘प्रमदा’ पद के पूर्व चार पाक्तया इसी प्रकार के विशेषणों की और भी हैं ।
परन्तु इतने ही अंश से उदाहरण पूरा बन जाता है इसलिए ग्रन्थकार ने शेष
भाग को छोड़ दिया है । निर्णयसागरीय सम्प्रकरण ने उस परित्यक्त भाग को भी
कोष्ठक के भीतर देकर मूल ग्रन्थ के साथ ही छाप दिया है । परन्तु वह वस्तुतः

१ मत्तमातङ्ग नि०, दी० । २ ‘चन्द्रकान्तवपुष शिरीषकोमलाङ्गयश्च,
अभुजङ्गगम्पा वञ्चुकुम्भश्च, पुष्कलप्रश्रियो दरिद्रमध्यकलितार्च, लावण्यवत्पौ
मधुरनाविष्यश्च, अपमत्ता प्रतप्रोज्ज्वलरागाश्च, अक्षौत्वा प्रोढाश्च’ इतना
पाठ प्रमदा के पूर्व और है । नि०, दी० ।

अत्र हि वाच्यो विरोधस्तच्छायाऽनुप्राही वा श्लेषोऽयमिति न शक्य वक्तुम्^१ । साक्षाच्छब्देन विरोधालङ्कारस्याप्रकाशितत्वात् । यत्र हि साक्षाच्छब्दावेदितो विरोधालङ्कारस्तत्र हि रिलिप्तोक्तौ वाच्यालङ्कारस्य विरोधस्य श्लेषस्य वा विषयत्वम् । यथा तत्रैव^२—

मूल ग्रन्थ का पाठ नहीं है । मूल ग्रन्थ में इतना ही ग्रंथ उदाहरण रूप में उद्धृत हुआ है ।

इस प्रकार यहाँ श्लेषानुप्राणित विरोधाभास की प्रतीति होने पर भी विरोधाभास के वाचक शब्द अथि शब्द के अभाव के कारण विरोधाभास को वाच्य कहा जा सकता है । इसी प्रकार प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ग्रंथों के वाच्य न हारर अप्रस्तुत शब्द की प्रतीति अभिधामूला व्यञ्जना से होने के कारण श्लेष को वाच्य नहीं कहा जा सकता है, अपिनु व्यञ्जय ही है । अतएव यह अभिधामूल अलङ्कार ध्वनि का उदाहरण है ।

जिस श्लेष युक्त वाक्य में विरोध साक्षात् शब्द से बोधित होता है वहीं वाच्य विरोधाभास अलङ्कार अथवा श्लेषालङ्कार वाच्य का विषय होता है । अथि शब्द अथवा विरोध शब्द ही विरोध के वाचक शब्द हैं । अगले 'समयाय इव विरोधिना पदार्थानाम्' इत्यादि उदाहरण में विरोध शब्द होने से विरोधालङ्कार वाच्य है और उसका उपकारी श्लेष भी उसके अनुरोध से वाच्य माना जाता है ।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि अथि शब्द और विरोध शब्द को तो आप विरोध का वाचक शब्द मानते ही हैं परन्तु उनके अनिश्चित पुन पुन प्रयुक्त समुच्चयार्थक च शब्द भी विरोध का वाचक शब्द मानना चाहिए । 'मत्तमातङ्गगमिन्य शीलवत्पश्च, गीर्षो विभरताश्च' इत्यादि उदाहरणों में और 'सनिहितशालान्धकारा भास्वमूर्तिश्च' इत्यादि उदाहरणों में चकार का पुन पुन प्रयोग होने से विरोधालङ्कार को वाच्य ही मानना चाहिए, व्यञ्जय नही । इसलिए यहाँ भी 'भास्वन्मूर्तिश्च' के समान 'शीलवत्पश्च' आदि में विरोधालङ्कार को वाच्य ही मानना चाहिए इस अर्थ को मन में रख कर अपना बनाया दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं ।

यहाँ विरोधालङ्कार अथवा विरोधच्छायाऽनुप्राही श्लेष वाच्य है यह नहीं कह सकते हैं क्योंकि साक्षात् शब्द से विरोधालङ्कार प्रकाशित नहीं हुआ है ।

‘समवाय इव विरोधिनां पदार्थानाम । तथाहि, सन्नहितवालान्ध-
कारापि भास्वन्मूर्ति.’ ।’ इत्यादौ ।

यथा वा भूमैव—

सर्वैरुशरणमक्षयं, अधीशमीश धियां, हरिं कृष्णम् ।

चतुरात्मानं निष्क्रिय, अरिमथनं नमत चक्रधरम् ॥

अत्र हि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो विरोध स्फुटमेव प्रतीयते ।

जहां विरोधालङ्कार शब्द से साक्षात् बोधित होता है उस रिलेट वाक्य में ही विरोध अथवा श्लेष [तन्मूलक सन्देह सङ्कर] के वाच्यालङ्कारत्व का विषय हो सकता है । [वहीं विरोध अथवा श्लेष में वाच्यालङ्कारत्व कहा जा सकता है] जैसे वहीं, [हर्षचरित के उसी प्रसङ्ग में]—

विरोधी पदार्थों के समुदाय के समान [थे] । जैसे, [बाल अप्रौढ़ रूप अन्वयार से युक्त सूर्य की मूर्ति यह विरोध हुआ, पश्चान्तर में] अन्वयार [रूप] कृष्णकेशों से युक्त भी देदीप्यमान मूर्ति थे ।

अथवा जैसे मेरा ही—

सय के पुरुमात्र शरण, आश्रयस्थान और अविनाशी [पश्चान्तर में शरण और क्षय दोनों शब्द का अर्थ गृह होता है । इस दशा में सबके गृह और अक्षय अगृह यह विरोध आता है जो प्रथम अर्थ में नहीं रहता ।] अधीश ईश धिया जो सत्रके प्रभु और बुद्धि के स्वामी है [पश्चान्तर में ईश धिया बुद्धि के स्वामी और अधीश जो धीश बुद्धि के स्वामी नहीं है यह विरोध आता है जो प्रथम अर्थ से परिहृत होता है] त्रिण्यु [स्वरूप] कृष्ण [पश्चान्तर में हरित और कृष्ण वर्ण का विरोध प्राप्त होता है उसका परिहार प्रथम अर्थ से होता है] सर्पजस्वरूप निष्क्रिय [पश्चान्तर में पराक्रम युक्त और निष्क्रिय] अरियों के नाश करने वाले चक्रधारी [त्रिण्यु, पश्चान्तर में चक्र के अन्वय अरों के नाश करने वाला चक्रधर कैसे होगा यह विरोध प्रथम अर्थ से दूर होता है] को नमस्कार करो ।

इन [गद्य पद्यरामक दोनों उदाहरणों] में विरोधालङ्कार शब्द शक्ति मूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के रूप में स्पष्ट प्रतीत होता है ।

१. च अधिक है नि० दी० ।

एवंविधो व्यतिरेकोऽपि दृश्यते । यथा समैव—

य येऽत्युज्ज्वलयन्ति लूनतमसो ये चा नखोद्भासिनः,
ये पुष्पण्ति मरोरुहश्रियमपि क्षिप्ताञ्जभासश्च ये ।
य मूर्धस्त्रयभासिनः क्षितिभृतां ये चामराणां शिरां-
स्युक्त्वा मन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः श्रिये सन्तु वः ॥

एवमन्येऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यङ्ग्यध्वनिप्रकाराः सन्ति
ते सहृदयैस्स्वयमनुमर्तव्याः । इह तु ग्रन्थविस्तरभयात् तत्प्रपञ्चः कृतः ॥२१॥

इस प्रकार का [शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि रूप] व्यतिरेक-
लङ्कार भी पाया जाता है । जैसे, मेरा ही [बनाया निम्न श्लोक इसका
उदाहरण है] —

[इसमें सूर्य के प्रसिद्ध किरण रूप पाद और विग्रहदेवता पद्म के
अनुसार देहधारी सूर्य के चरण रूप पाद इन दोनों प्रकार के पादों की स्तुति
को गढ़े है और उनमें व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य है । शब्दार्थ इस प्रकार होगा] ।

[सूर्यदेव के] अन्धकार का नाश करने वाले [जो किरण रूप पाद]
आकाश को प्रकाशमान करते हैं और जो [चरण रूप पाद] नखों से सुशोभित
[तथा आकाश को उद्भासित न करने वाले] हैं, जो [मूर्धकिरण रूप में]
कमलों की ध्री को भी पुष्ट करते हैं और [चरण रूप में] कमलों की शोभा को
तिरस्कृत करते हैं, जो [पर्वतों के शिखर पर शोभित होते हैं अथवा] क्षितिभृता
राजाओं के गिरों पर अग्रभासित होते हैं और [प्रणाम काल में] देवताओं
के शिरों का भी अतिप्रमत्त करते हैं, सूर्यदेव के वह दोनों [प्रकार के] पाद
[किरण और चरण रूप] तुम सब के लिए कल्याणकर हों ।

इस प्रकार शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के और भी
[अलङ्कार तथा वस्तु रूप] प्रकार होते हैं । सहृदय उनका स्वय अनुमन्थान
कर लें । ग्रन्थ विस्तार के भय से हमन यहां उनका प्रतिपादन नहीं किया है ।

ग्रन्थकार ने इस श्लोक में नखोद्भासा, कमल क्षान्ति को तिरस्कृत करने
वाले और राजाओं के मन्त्र पर शोभित होने वाले चरणों की अदेवा आशय
को प्रकाशित करने वाले कमलों को विरहित करने वाले और देवताओं के शिरों
का अतिप्रमत्त करने वाले किरण रूप पदों का अग्रभय होने से व्यतिरेक अलङ्कार
माना है । परन्तु यह सर्वैकशरण्यं आदि पढ़ते श्लोक के समान विशेषालङ्कार का
उदाहरण भी हो सकता है ।

अर्थशक्त्युद्भवस्तन्यो यत्रार्थः नः प्रकाशते ।

यस्तात्पर्येण वस्तुन्यद् व्यनक्त्युक्तिं विना स्वतः ॥२२॥

यत्रार्थः स्वसामभ्याद्यन्तरमभिव्यक्तं शब्दव्यापार विनैव सो-
ऽर्थशक्त्युद्भवो नामानुस्वानोपमव्यङ्ग्यो ध्वनिः ।

विवक्षितान्वय वाच्य [अभिधामूल] ध्वनि के असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य और सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य दो भेद किए थे । सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के फिर शब्द-शक्त्युत्थ, अर्थशक्त्युत्थ और उभयशक्त्युत्थ तीन भेद किए गये हैं । इन में से शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि का बहुत विस्तारपूर्वक विचार यहाँ किया गया है । इसीलिए इस २१ वा कारिका की इतनी लम्बी व्याख्या हो गई है कि पाठक ऊबने लगता है । परन्तु फिर भी ग्रन्थकार ने इस सारे विवेचन में वस्तु ध्वनि का कही नाम नहीं लिया है । बार बार घुमा-फिरा कर अलङ्कार ध्वनि का ही विस्तार किया है । अलङ्कार ध्वनि के स्वरीकरण के लिए जो इतना अधिक प्रयत्न ग्रन्थकार ने किया है वह संभवतः उसके विवादास्पद स्वरूप और महत्त्व को ध्यान में रख कर किया है । वस्तुध्वनि क अधिक स्पष्ट और विवाद रहित होने के कारण ही उसका विवेचन नही किया है । उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपने शब्दशक्ति मूलध्वनि के विवेचन में वस्तुध्वनि का भी सोदाहरण विवेचना कर इस कमी को पूरा कर दिया है ॥२१॥

शब्दशक्त्युत्थ के बाद अर्थशक्त्युत्थ सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का वर्णन क्रम-प्राप्त है । नवीन आचार्यों ने उसके स्वतः सम्भवी, कनिप्रौढोक्तिसिद्ध और तत्रिवद्ध वक्तृ प्रौढोक्तिसिद्ध यह तीन भेद और उनमें से प्रत्येक के वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलङ्कार, अलङ्कार से वस्तु, और अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य यह चार, कुल मिला कर बारह भेद किए हैं । आलोककार ने भी यह भेद दिए हैं परन्तु उतने स्पष्ट नहीं हुए हैं ।

सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के प्रथम शब्दशक्त्युत्थ भेद के सविस्तर निरूपण के बाद उसके दूसरे भेद अर्थशक्त्युत्थ सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का निरूपण करते हैं ।

अर्थशक्त्युद्भव [नामक सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का] दूसरा भेद [यह] है जहाँ ऐसा अर्थ [अभिधा में] प्रतीत होता है जो शब्दव्यापार के विना

यथा—

एन वादिनि देवर्पा पार्श्व पितुरीमुखी ।
लीलामलप्रगणि गणयामाम पार्श्वतो ॥

अत्र हि लीलामलप्रगणनमुपसर्ननोहनस्वरूप शब्दव्यापारं
विनैत्रायान्तरं व्यभिचारिभावलक्षणं प्रमाशयति ।

[ध्वनन व्यापार से] स्वतः ही तात्पर्यविषयीभूत रूप स अथान्तर को अभिव्यक्त करे । [यहा तात्पर्य शब्द पदार्थससर्ग रूप वाक्यार्थ बोध में उपलब्धि तात्पर्याद्या शक्ति का नहीं, ध्वनन व्यापार का ग्राहक समझना चाहिए ।]

जहा अर्थ [वाच्यार्थ] शब्दव्यापार के बिना अपने [ध्वनन] सामर्थ्य से अथान्तर को अभिव्यक्त करता है वह अर्थशून्यशुद्ध सलक्ष्यममव्यङ्ग्य नामक ध्वनि है ।

जैसे —

देवपि [सप्तपि मण्डल] के ऐसा रहने [शिव के साथ पार्वती के विवाह की चर्चा और शिव की सहर्मात प्रकट करन] पर पिता [परंतराज हिमालय] क पास घैटी हुई पार्वती मुह नीचा करके लीला कमल की पशुद्विया गिनने लगी ।

यहा लीला-कमल पत्रों की गणना [रूप पार्वती का व्यापार] स्वयं गुणीभूत रूप होकर शब्दव्यापार के बिना ही [लोचनकार के मत म लगना और विज्वनाथ के मत से अत्रहित्था रूप] व्यभिचारिभावरूप अथान्तर को अभिव्यक्त [प्रकट] करती है ।

लाचनकार ने इसे लगनारूप व्यभिचारिभाव का अभिव्यक्त माना है परन्तु साहित्यदर्पणकार ने अत्रहिधा के उदाहरण में इस श्लोक को उद्धृत किया है । अत्रहिधा का लक्षण इस प्रकार किया गया है—“मयगौरवलाजान्तरा-कारगुप्तिरत्रहिधा । व्यापारान्तरान्ति अन्यथाभावात् निलाकनादिकी ।” मय, गौरव, लज्जा आदि के कारण व्यापारान्तर, अन्यथा भावत् या अन्यथा निलाकनादि जनक आकार गोपन का नाम अत्रहिधा है । इन अत्रहिधा में भी लज्जा का सम वेदा रहता है और मय, गौरव, लज्जा आदि आकारगुप्ति क हतुओं में से यहा लज्जा ही हतु है इसलिए विज्वनाथ और लोचनकार के मत में तात्पर्यक भेद न होने से निरोध की शक्यता नहीं करनी चाहिए ।

न चायमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्यैव ध्वनेर्विषयः । यतो यत्र साक्षाच्छब्दनिवेदितेभ्यो विभावानुभावव्यभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः स तस्य केवलस्य मार्गः । यथा कुमारसम्भवे मधुप्रमङ्ग वमन्तपुष्पाभरणं वहन्त्या देव्या आगमनादिवर्णनं मनोभ्रमशरसनवानपर्यन्तं शम्भोश्च परिवृत्तधैर्यस्य चेष्टाविशेषवर्णनादि साक्षाच्छब्दनिवेदितम् ।

इह तु रामध्यात्तव्यभिचारिमुखेन रसप्रतीतिः । तस्मादयमन्यो-
ध्वनेः प्रकारः ।

यह असंलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य [रसादि] ध्वनि का ही उदाहरण [भी] नहीं है । क्योंकि जहा साक्षात् शब्द से वखित विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से रसादि की प्रतीति होती है वही केवल असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का मार्ग है ।

[पहिले यह लिख आए है कि व्यभिचारिभावों का वाचक शब्दों से कथन उचित नहीं है और यहा उनके साक्षात् शब्द निवेदित होने से ही रसादि प्रतीत होतेहैं यह कह रहे हैं यह दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है । ऐसी शङ्का उत्पन्न हो तो उसका समाधान यह है कि वाच्यार्थप्रतीति से अव्यग्रहित व्यभिचारिभाव की प्रतीति होनी चाहिए यही यहा साक्षात् शब्द-निवेदितार से अभिप्रेत है । व्यभिचारिभाव का वाच्यत्व इष्ट नहीं है ।]

जैसे कुमारसम्भव के वमन्त वर्णन प्रमङ्ग में वमन्ती पुष्पों के आभूषणों से अलङ्कृत देवी पार्वती [१—आलम्बन विभाव] के आगमन से लेकर [आलम्बन विभाव] कामदेव के शरसनान पर्यन्त [अनुभाववर्णन] और धैर्य च्युत शिख की चेष्टाविशेषवर्णनादि [व्यभिचारिभाव] साक्षात् शब्द निवेदित है । [अतः वहा असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रसध्वनि है ।]

कुमारसम्भव के प्रकृत श्लोक निम्न प्रकार हैं :—

- १—निर्माणभूयिष्ठमथास्य वीर्यं, मनुष्यमन्तीव वपुर्गुणैः ।
अनुप्रयाता वनदेवताभिरक्षयत म्थावरराजकम्पा ॥
- २—प्रतिगृहीतु प्रणयिप्रियत्पान्, त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च ।
सम्मोहनं नाम च पुष्पघन्टा, धनुष्यमोघं समधत्त सायकम् ॥
- ३—हरस्तु किञ्चिन् परिवृत्तधैर्यंश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि' ।
उमामुखे विम्बफलाघरोटे, व्यापारयामाम विलोचनानि ॥

यत्र च शब्दव्यापारमशयोऽर्थाऽर्थान्नरस्य व्यञ्जकत्वेनोपादीयते स
नास्य ध्वनेविषयः ।

यथा—

संकेतकालमनस विटं ज्ञात्वा विदग्धया ।

हसन्नेत्रार्पिताकृत लीलापद्म निमीलितम् ॥

अत्र लीलाकमलनिमीलनस्य व्यञ्जकत्वमुक्त्यैव निवेदितम् ॥२२॥

यहा [एवमादिनि देवर्षी० में] तो [लीलाकमल के पत्रों की गणना द्वारा] सामर्थ्य से आक्षिप्त [लज्जा रूप] व्यभिचारिभाव द्वारा रस की प्रतीति होती है । इसलिए [रसञ्चनि रूप असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेद से भिन्न अर्थशक्ययुद्धय संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रूप] यह दूसरा ही ध्वनि का प्रकार है ।

[इससे यह सूचित किया कि यद्यपि रसादि मदा व्यङ्ग्य ही होते हैं वाच्य नहीं परन्तु उनका असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य होना अनिवार्य नहीं है । वह अभी संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य अर्थशक्ययुद्धयध्वनि के द्वारा भी प्रतीत ही सकते हैं । परन्तु उत्तरवर्ती आचार्य रसादि ध्वनि को असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ही मानते हैं । संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के जितने भेद उन्होंने किए हैं उन सबके उदाहरण वस्तुध्वनि या अलङ्कारध्वनि में से ही दिए हैं ।]

जहा शब्द व्यापार की सहायता से अर्थ, दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करता है वह इस [अर्थशक्ययुद्धय संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य] ध्वनि का विषय नहीं होता ।

जैसे :—

[नायक के शृङ्गार महायक] विट [संभोगहीनसंयद् विटम्नु धूर्त-
कलैरुदेशज । चेशोरवारकुशलो मुसुरोऽथ यहुमतो गोप्पाम् ॥] की संकेत
काल [नायक-नायिका के भिन्न समय] कि विज्ञात्वा को समझकर चतुरा
[नायिका] न नेत्रों में [अपनी] अभिप्राय व्यक्त करते हुए हमने हुए [अपनी
हाथ के] लीलाकमल को बन्द कर दिया ।

यहां लीलाकमल निमीलन [की संकेतकाल, मूयांस्त के समय हम
मिलेंगे हम अर्थ] की व्यञ्जकता ['नेत्रार्पिताकृत' पद ने] शब्द द्वारा ही
सूचित कर दी । [इसलिए अर्थशक्ययुद्धय ध्वनि का उदाहरण नहीं है ।] ॥२३॥

तथा च—

शब्दार्थशक्त्यात्तिसोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः कविना पुनः ।

यत्राविष्कियते स्वोक्त्या सान्यैवालंकृतिध्वनेः ॥२३॥

शब्दशक्त्या, अर्थशक्त्या, शब्दार्थशक्त्या वाक्षिप्तोऽपि व्यङ्ग्यो-
ऽर्थ कविना पुनर्यत्र स्वोक्त्या प्रकाशीक्रियते सोऽस्मादनुस्वानोपम-
व्यङ्ग्याद् ध्वनेरन्य एवालङ्कारः । असलक्ष्यमव्यङ्ग्यस्य चा ध्वनेः सति
सम्भवे स तादृगन्योऽलङ्कारः ।

और इसी से [कहा भी है कि] —

शब्दशक्ति, अर्थशक्ति, अथवा शब्द, अर्थ उभय शक्ति से आक्षिप्त
[व्यङ्ग्य] होने पर भी जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ को कवि पुन अपने वचन द्वारा प्रकृत
कर देता है वह ध्वनि से भिन्न अन्य ही [गुणीभूत व्यङ्ग्य] अलङ्कार है ।

शब्दशक्ति, अर्थशक्ति अथवा शब्दार्थोभय शक्ति से आक्षिप्त होने पर
भी व्यङ्ग्य अर्थ को जहाँ कवि फिर अपनी उक्ति से [भी] प्रकाशित कर देता
है वह इस अनुस्वानोपम [संलक्ष्यम व्यङ्ग्य] ध्वनि से अलग ही [गुणीभूत
व्यङ्ग्य] अलङ्कार होता है । अथवा असलक्ष्यमव्यङ्ग्य ध्वनि का यदि कोई इस
प्रकार का उदाहरण मिल सके तो [वाच्यालङ्कार से भिन्न] वह उस प्रकार का
[विशेष चमत्कार जनक] अन्य ही अलङ्कार होता है ।

इस कारिका से पूर्व सलक्ष्यमव्यङ्ग्य ध्वनि के शब्दशक्त्युद्भव और
अर्थशक्त्युद्भव व्यङ्ग्य दो भेद किए थे । परन्तु इस कारिका में उभयशक्त्युद्भव
तृतीय भेद भी सूचित किया है । 'शब्दश्च अर्थश्च इति शब्दार्थो' इतने विग्रह से
शब्दशक्त्युत्थ तथा अर्थशक्त्युद्भव और फिर शब्दार्थो च शब्दार्थो चेत्येकशेष-
इस प्रकार द्वन्द्व समास में एकशेष करके शब्दार्थो पद से ही उभयशक्त्युत्थ रूप
तृतीय भेद का भी प्रतिपादन किया है ।

'सान्यैवालंकृतिध्वने' की व्याख्या भी वृत्तकार ने दो प्रकार से की है ।
एक पक्ष में 'ध्वने' पद को पञ्चम्यन्त और सलक्ष्यम का बोधक मानकर 'सोऽस्मा-
दनुस्वानोपम व्यङ्ग्याद् ध्वनेरन्य एवालङ्कारः' यह व्याख्या की है और दूसरे पक्ष
में 'ध्वने' को असलक्ष्यमव्यङ्ग्य ध्वनि का बोधक और पञ्चम्यन्त पद मानकर

तत्र शब्दशक्त्या यथा—

वत्से मा गा विपादं, श्वसनमुखजवं सन्त्यजोर्ध्वप्रवृत्तम्,
कम्प को वा गुरुस्ते, भवतु^१ बलभिदा वृम्भितेनात्र याहि ।
प्रत्याख्यान सुराणामिति भयशमनद्वयाना कारयित्वा,
यस्मै लक्ष्मीमदाद् व स दहतु दुरित मन्यमूढा पयोधि. ॥

असलक्ष्यनमव्ययङ्गस्य वा ध्वनेः सति समये स तादृगन्योऽलङ्कारः^१ यह व्याख्या की है ।

मम्मट, विश्वनाथदि नवीन प्राचाया ने इसी प्रकार को गुणीभूत व्यङ्ग्य का वाच्यविद्वयङ्ग भेद माना है । जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ वाच्यसिद्धि का अङ्ग बन जाय अर्थात् उसके बिना श्लोक का वाच्यार्थ ही उपपन्न न हो, उसे वाच्य-विद्वयङ्ग नामक गुणीभूत व्यङ्ग्य कहा है । उसके उदाहरण इसी प्रकार के दिए गए हैं ।

उसमें शब्द शक्ति से [आचित, शब्दशक्त्युद्भूत का उदाहरण] जैसे—

[समुद्र-मन्थन केला में स्वभागतः सुकुमारी होने के कारण समुद्र की भीषण तरंगों को देख कर भयभीत] मन्थन से भीत लक्ष्मी को [उसके पिता] समुद्र ने भय दूर करने के बहाने [यह कह कर कि] बेटी घबड़ाओ नहीं [व्यङ्ग्यार्थ 'विपमत्तीति विपाद' विप को भयानक करने वाले भयानक शिव के पास मत जाना] तीव्रगति से चलने वाली लक्ष्मी उसासों को बन्द करो [व्यङ्ग्यार्थ तीव्रगति वाले भयङ्कर वायु और ऊर्ध्वजलन स्वभागतः वाले भयङ्कर अग्निदेव की घात छोड़ो] यह इतना काप क्यों रही हो और शक्ति को नष्ट करने वाली इन जंभाइयों को बरा बन्द करो [व्यङ्ग्यार्थ 'क जलं पातीति कम्पः परण, क प्रजापतिः मह्य कम्प अर्थात्] घण्टादेव और प्रजापति मह्य तो तुम्हारे गुरु, पितृ सदृश हैं "जृम्भितेन-बलभिदा भवतु ऐश्वर्यमदमत्त" इन्द्र देव को भी छोड़ो इस प्रकार भय शमन करने के बहाने अन्ध सप देखताओं [के साथ विवाह] का प्रयासयान [निषेध] करा कर और यहाँ [विष्णु के पास] जाओ ऐसा कह कर जिन [विष्णु] को [अपनी पुत्री] लक्ष्मी को [वध रूप में] प्रदान किया वह [विष्णु] तुम्हारे दुःखों को दूर करें ।

अर्थशक्त्या यथा—

अम्या शेनेऽत्र वृद्धा, परिणतत्रयसामप्रणीरत्रनात्,
नि शोपागारकर्मश्रमशितिलतनु, कुम्भदासी तथात्र ।
अस्मिन् पापाहमेना कतिपयदिवसप्रोपितप्राणनाथा,
पान्थायेत्य तरुण्या कथितमत्रसरव्याहृतिव्याजपूर्वम् ॥

उभयशक्त्या यथा, 'दृष्ट्या केशव गोपरागहृतया' इत्यादौ ॥२३॥

यहा देवताओं के प्रत्याख्यान का वाक्य अथ व्यङ्ग्य होता परन्तु 'उभयशमन लुञ्जना' में लुञ्ज शब्द द्वारा कवि ने उसकी व्यङ्ग्यता का वाच्य बना दिया इसी से क मीनीट्टुचकनरात् गाननहन चारुत् न रदने से यह सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि का उदाहरण नहा है । 'नारयित्वा में एिच प्रत्यय समथन का सूचक है, अप्रवृत्त प्रवतन का नहा । अथात् देवताओं का प्रत्याख्यान करने की प्रेरणा पिता ने नहीं की अपितु लक्ष्मी द्वारा किए गए प्रत्याख्यान का समथन मात्र किया । यही एिच का तात्पर्य है । 'दृष्टोन्म्यतरस्याम्' सूत्र स लक्ष्मी की कम सज्ञा हुई है ।

अर्थ शक्ति स [आसिप्त, अर्थशक्त्युद्धय व्यङ्ग्य जहा शब्द से कथित कर दिया है उसका उदाहरण] जैसे—

वृद्धी माता जा यहा सोती है और वृद्धो के अग्रगण्य पिता जी यहा । सारे घर का काम करन से अत्यन्त थकी हुई दासी यहा सोती है । मैं अभागिनी जिस के पति कुछ दिन से परदश चन गय है इस [कमर] में अकेली पडी रहती हूँ । इस प्रकार तरुणी ने अग्रसर यताने के लिए यहासे से पथिक को यह [सत्रके सान का स्थान और व्यवस्था आदि का पूरोक विवरण] कहा ।

यहा तरुणी की सभागो-ल्ला और अनिय ध यथ सभोग के अवसर की सूचना रूप जो व्यङ्ग्य है उसको कवि ने 'अग्रसरव्याहृतिव्याजपूर्व' स अपने शब्द में ही कह दिया इसलिए यह सलक्ष्यक्रम अथवा असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि का उदाहरण नहा रहा उनस भिन ही, नवीनमत में वाच्य सिद्धयङ्ग नामक गुणी भूत व्यङ्ग्य है ।

[इसी प्रकार] उभयशक्ति से [आसिप्त उभयशक्त्युद्धय व्यङ्ग्य जहा शब्द से कथित कर दिया गया है उसका उदाहरण] जैसे 'दृष्ट्या केशव गोपराग हृतया' इत्यादि [पूर्व उद्धृत तथा व्याख्यात श्लोक] में ।

'दृष्ट्या केशवगोपराग' इत्यादि उभयशक्त्युद्धय व्यङ्ग्य ध्वनि में उभय शक्त्यु-

प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः ।
अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥ २४ ॥

स्थिता का समन्वय लोचनकार ने इस प्रकार किया है कि गोपरागादि पदों में श्लेष होने से उस अश में शब्दशक्त्युत्थता और प्रकरणशात् अर्थशक्त्युत्थता आने से यह उभय शक्त्युद्भव का उदाहरण होता है । परन्तु नवीन आचार्य ऐसे स्थलों पर उभयशक्त्युत्थता का समन्वय शब्दपरिवृत्तिसहत्व तथा शब्दपरिवृत्ति अश हत्व के आधार पर करते हैं । उनके मत से यहाँ 'केशव गोपराग हृतया' में 'केशव गोपराग' शब्दों के रहने पर ही ध्वनि की सत्ता रहती है और यदि उनको बदल कर राग के पर्याय वाचक स्नेहादि शब्द रख दें तो ध्वनि की सत्ता नहीं रह सकती इसलिये शब्दपरिवृत्तिसह होने के कारण यह ध्वनि शब्दशक्त्युत्थ है । परन्तु आगे 'स्नलितारिमि' इत्यादि में शब्द का परिवर्तन करके 'पतितारिमि' आदि रख देने पर भी व्यङ्ग्य में कोई बाधा नहीं पड़ती इसलिए उस अश के परिवृत्तिसह होने से अर्थशक्त्युत्थ व्यङ्ग्य होता है । अतः एक अश में शब्दशक्त्युत्थ और दूसरे अश में अर्थ शक्त्युत्थ होने से यह उभय शक्त्युत्थ का उदाहरण है । इस प्रकार शब्द परिवर्तन को सहन न कर सकने वाले गुण अलङ्कार ध्वनि आदि को शब्दनिष्ठ, तथा शब्दपरिवर्तन को सहन करने वाले को अर्थ निष्ठ मान कर शब्द परिवृत्ति, असह्य और शब्दपरिवृत्तिसहत्व के आधार पर ही नवीन आचार्य शब्दनिष्ठता या अर्थनिष्ठता का निर्णय करते हैं ॥२३॥

इस प्रकार सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि व शब्दशक्त्युत्थ, अर्थशक्त्युत्थ और उभयशक्त्युत्थ तीन भेद प्रदर्शित किये । उनमें से शब्दशक्त्युत्थ का मविस्तार विवेचन हो चुका । इस समय अर्थशक्त्युद्भव का विवेचन चल रहा है । इसी शीघ्र में प्रसङ्गत उभयशक्त्युद्भव का प्रदर्शन भी कर दिया है । अब अर्थशक्त्युद्भव के स्वतः सम्भवी, कवि प्रौढोक्तिसिद्ध और कविनिस्समीक्षाविवृत्तिसिद्ध इन तीन भेदों का निरूपण करते हैं ।

आय वस्तु [अलङ्कार या वस्तु] का, अभिव्यञ्जक अर्थ भी स्वतः सम्भवी तथा प्रौढोक्ति मात्र सिद्ध [इसमें कविप्रौढोक्ति सिद्ध तथा कविनिस्समीक्षाविवृत्तिसिद्ध यह दो भेद सम्मिलित हैं] इस प्रकार व दो प्रकार का [आय वस्तु में तीन प्रकार का] होता है ।

यह तीन प्रकार के व्यङ्ग्य अर्थ, वस्तु तथा अलङ्कार भेद से दो प्रकार

अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्ये ध्वनौ यो व्यञ्जनकोऽर्थं
उक्तस्तस्यापि द्वौ प्रकारौ, कवेः कविनिबद्धस्य वा वक्तु प्रौढोक्तिमात्र-
निष्पन्नशरीर एक सत सम्भवी च द्वितीय ।

कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथा—

सज्जेहि सुरहिमामो ए दाव अप्पेइ जुअइजणलम्पमुहे ।
अहिणसहआरमुहे एणपल्लवपत्तले अणङ्गस्स शरे ॥

[सज्जयति सुरनिमासो न तावदपंयति युवतिजनलक्ष्यमुखान् ।
अभिनवसहकारमुखान् नवपल्लवपत्रलाननङ्गस्य शरान् ॥]

इतिच्छाया ॥

के होकर ६ व्यञ्जक अथ और उसी प्रकार ६ व्यङ्ग्यार्थ कुल मिला कर अर्थ-
शक्त्युद्भव ने गारु भेद हो जाते हैं । इन गारु भेदों का वर्णन नवीन आचार्यों ने
सष्ट रूप से किया है ।

अर्थशक्त्युद्भव रूप मूलपर्यन्त व्यङ्ग्य ध्वनि में जो व्यञ्जक अर्थ कहा
है उसके भी दो भेद होते हैं । एक [तो] कवि या कविनिबद्धवक्ता की प्रौढो-
क्तिमात्र से सिद्ध और दूसरा स्वत सम्भवी ।

कवि प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध [का उदाहरण] जैसे—

[कामदेव का सन्वा] वसन्त मास सुरतिजनों को लक्ष्य बनाने [सिद्ध
करने] वाले सुगों [अग्रभाग फलभाग] स युक्त नवपल्लवों से पत्र [याण के
पिछले भाग में लगे पत्तों में] युक्त, सहकार प्रभृति कामदेव के वाणों का
निर्माण करता है [परन्तु] अभी [प्रहारार्थ उसको] दत्ता नहीं है ।

यहाँ वसन्त वाण बनाने वाला है कामदेव उनका प्रयोग करने वाला
ध्वनी या योद्धा है आत्र मञ्जी आदि गण्य हैं और सुरतिया उनका लक्ष्य हैं इत्यादि
अर्थ, कविप्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध है । लोक में इस प्रकार का न कोई धानुष्क
दीप्तता है न उसके वाण । इसी से कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से मदनो-
न्मथन का प्रारम्भ और उत्तरोत्तर उसका विवृम्भण रूप वस्तु व्यङ्ग्य है । इस
प्रकार यह कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से वस्तु व्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथोदाहृतमेव^१—
‘शिखरिणि’ इत्यादि^२ । यथा वा^३—

साअरविइरणजोव्वणहत्थालम्भ समुण्णमन्तेहिम् ।
अव्भुट्ठाण विअ मम्महस्स दिण्ण तुइ थणेहिम् ॥
[सादरवितीर्णयौवनहस्तावलम्बं समुन्नमद्भ्याम् ।
अभ्युत्थानमिव मन्मथस्य दत्त तव स्तनाभ्याम् ॥
इतिच्छाया ॥]

स्वत सम्भवो य औचित्येन बहिरपि सम्भाव्यमानसद्भावो न
केवलं भणितिवशेनैवाभिनिष्पन्न शरीरः । यथोदाहृतम्—‘एववादिनि’
इत्यादि ।

कविनिबद्ध वक्तृप्रौढोक्ति का उदाहरण जैसा कि पहले लिप चुके हैं
शिखरिणि इत्यादि [श्लोक] है ।

उसमें जो चमत्कारजनक व्यङ्ग्य अर्थ है उसकी प्रतीति कविनिबद्ध
साभिलाष तदण रूप वक्ता की विशेषता से ही होती है । अन्यथा उसी वाक्य को
केवल कवि के शब्द में अधर के सामान निम्नफल को तोता का रह है इस रूप में
कह दिया जाय तो उसमें कोई भी चमत्कार नहीं आता है । इसीलिए सद्बुद्धय
पुश्य कवि प्रौढोक्तिसिद्ध से कविनिबद्धवक्तृ प्रौढोक्ति सिद्ध को अधिक चमत्कार-
जनक मानते हैं और उसकी गणना कविप्रौढोक्तिसिद्ध से अलग करते हैं । कवि
में स्वत रागाद्याविष्टता नहीं होती परन्तु कविनिबद्ध में रागात्राभिष्टता होती है ।
इसी से उसका वचन अधिक चमत्कारकजनक होता है ।

आदरपूर्वक [आगे बढ़ कर] सहारा देत हुए यौवन के सहार उठने
वाले तुम्हारे स्तन [उठ कर] कामदेव को [स्वागत में] अभ्युत्थान सा प्रदान
कर रहे हैं ।

[कवि और कवि निबद्ध की कल्पना के छोर से] बाहर भी उचित रूप
में जिनके अस्तित्व की सम्भावना हो, केवल [कवि या कविनिबद्ध की] उक्ति
मात्र न हो सिद्ध न होता हो [उस अर्थ का] स्वत-सम्भवो [कहत] है । नैम
[129 पृष्ठ पर] ‘ण्यवादिनि दययी’ इत्यादि उदाहरण द चुके हैं ।

१ उदाहृतमेव यह पाठ नि० शी० में नहीं है । २ इत्यादी नि० । ३ शीर्षिक
में यथा वा और उक्त आगे उद्धृत उदाहरण नहीं दिया है ।

यथा वा—

सिंहिपिच्छकण्णपूरा जात्रा वाहस्स गव्विरी भमइ ।

मुत्ताफलरइअपसाहणाणं मज्जे सयत्तीणम् ॥

[सिंहिपिच्छकण्णपूरा जाया व्याधस्य गर्धिणी त्रमात् ।

मुक्ताफलरचितप्रमाधनानां मध्ये सपत्नीनाम् ॥ इतिच्छाया ॥२४॥

अर्थशक्तेरलङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते ।

अनुस्वानोपमव्यङ्ग्यः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥ २५ ॥

वाच्यालङ्कारव्यतिरिक्तो यत्रान्योऽलङ्कारोऽर्थसामर्थ्यात् प्रतीयमानोऽ-
वभासने सोऽर्थशक्त्युद्भवो नामानुस्वानरूपव्यङ्ग्योऽन्यो ध्वनिः ॥२५॥

अथवा जैसे—

[केवल] मोर पंख का कर्णपूर पदिने हुए व्याध की [गरीब] पत्नी मुक्ताफलों के आभूषणों से अलंकृत सपत्नियों के बीच अभिमान से फूली हुई फिरती है ।

यहां श्लोकोक्त वस्तु केवल कथित्वनासिद्ध नहीं है, अपितु वास्तव में लोक में भी उसका अस्तित्व सम्भव है, अतएव वह स्वतःसम्भवी है । गर्व का कारण यह है कि जब सपत्नियों के दिन य तत्र तो व्याध हाथी आदि मार कर लाता था जिससे मुक्ताभूषण बनते थे । परन्तु मेरे पास से तो निकलने का अवकाश ही नहीं मिलता है । यह मौभाग्यातिशय व्यङ्ग्य है । इस प्रकार स्वतःसम्भवी के 'एवमादिनि०' तथा सिंहिपिच्छ० दो, त्रिनिरडयकतुप्रोदोक्ति सिद्ध के 'सिंहिपिच्छि०' और 'सादर०' दो तथा कवि प्रोदोक्ति सिद्ध का एक 'मज्जयति०' ये कुल पांच उदाहरण दिए । इन सब में वस्तु से वस्तु व्यङ्ग्य है आगे अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य न निरूपण करते हैं ॥२४॥

जहां अर्थशक्ति में [वाच्यालङ्कार में भिन्न] दूसरा अलङ्कार प्रतीयमान होता है वह ध्वनि [वाच्य] का दूसरा संलक्ष्यक मव्यङ्ग्य [नामक] भेद है ।

जहां वाच्य अलङ्कार में भिन्न दूसरा अलङ्कार अर्थसामर्थ्य में व्यङ्ग्यरूप में प्रतीत होता है वह संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रूप अर्थगव्युद्भव ध्वनि [वा अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य रूप दूसरा भेद] अन्य है ॥२५॥

[शब्द शक्ति में तो अनेपादि अलङ्कारान्तर की प्रतीति हो सकती है । परन्तु अर्थशक्ति में अलङ्कारान्तर की प्रतीति नहीं हो सकती है यह मानकर]

तस्य प्रविरलविषयत्प्रमाशङ्क्येदमुच्यते —

रूपकादिरलङ्कारवर्गो यो वाच्यतां श्रितः ।

स सर्वो गम्यमानत्वं विभ्रद् भूमना प्रदर्शितः ॥ २६ ॥

अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्कारः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया बाहुल्येन प्रदर्शितस्तत्र भवद्भिर्भट्टोद्भटादिभिः । तथा च सन्देहादिपूषमानुपक्रातिशयोक्तीनां प्रकाशमानत्वं प्रदर्शितमित्यलङ्कारान्तरस्यालङ्कारान्तरे व्यङ्ग्यत्वं न यत्नप्रतिपाद्यम् ॥१॥२६

इयत् पुनरुच्यते एव—

अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते ।

तत्परत्वं न वाच्यस्य नामौ मार्गो धनेर्मतः ॥ २७ ॥

उस [अर्धशक्ति मूल अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य ध्वनि] का विषय बहुत ही कम होगा ऐसी आशङ्का से [ही आगे] यह कहते हैं कि—

[साधारणतः] वाच्यरूप से प्रतीत होने वाला जो रूपक आदि अलङ्कार समूह है वह [दूसरे स्थलों पर, दूसरे उदाहरणों में] सब गम्यमान रूप में [भट्टोद्भटादि ने] प्रचुर मात्रा में दियाया है ।

अन्य उदाहरणों में वाच्यरूप से प्रसिद्ध जो रूपकादि अलङ्कार समूह है वह अन्य स्थलों पर प्रतीयमान रूप से भट्टोद्भटादि ने बहुत [विस्तार से] दियाया है । इसी से सन्देहादि [अलङ्कारों] में रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि [अलङ्कारान्तरों] का प्रतीयमानत्व [व्यङ्ग्यत्व] दियाया है । इसलिये अलङ्कार का अलङ्कारान्तर में व्यङ्ग्यत्व [अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य] ही सन्तता है इसका प्रतिपादन प्रयत्न साध्य [कठिन] नहीं है ॥२६॥

[फिर भी केवल] इतनी बात [विशेष रूप से] कहते ही हैं कि—

[एक वाच्य अलङ्कार से दूसरे] अलङ्कारान्तर का प्रतीति होने पर भी जहां वाच्य [अलङ्कार] तत्पर नहीं [प्रतीयमान अलङ्कार की प्रधानतया बोधित नहीं करता] है [हमारे मत में] यह ध्वनि का विषय नहीं माना जाता ।

[दीपक आदि] दूसरे अलङ्कारों में संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [उपमादि] दूसरे अलङ्कार की प्रतीति होने पर भी जहां वाच्य [दीपक आदि अलङ्कार] की

यथा वा ममैव—

लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्
स्मरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षि ।
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये
सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः ॥

कर्म में, विशाल सेना समेत समुद्र तट पर आये हुए राजा को देखकर मथन या सेतुगन्धादि सन्देह निमित्तक भयोद्भूत वेपथु रूप कम्पतया उप्रेक्षा की गई है। इसलिये यहा सन्देह और उप्रेक्षा का अङ्गाङ्गिभाष्य सङ्करालङ्कार [कविप्रौढोत्ति-सिद्ध] वा-वालङ्कार है उससे राजा की वासुदेवरूपता अर्थात् राजा में वासुदेव का आरोप मूलक रूपक अलङ्कार व्यङ्ग्य है। इस प्रकार यह कविप्रौढोत्ति सिद्ध अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य का उदाहरण है।

यहां यह शङ्का हो सकती है कि वासुदेव की अपेक्षा राजा में प्राप्त श्रीकत्व, अनलसमनसत्व, और द्रोपनाथानुगतत्व आदि धर्मों का आधिक्य प्रतीत होने से वासुदेव भेद रूप रूपकालङ्कार नहीं अपितु व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य हो सकता है। परन्तु यह व्यतिरेक वास्तव नहीं है। वासुदेव का जो स्वरूप वर्तमान में प्रसिद्ध है उसमें उनके साथ भी प्राप्तश्री आदि यह सब धर्म विद्यमान ही हैं अतः व्यतिरेक के अवास्तव होने से, और अभेदारोप में कोई बाधक न होने से यहा रूपक धनि ही है। व्यतिरेकालङ्कार व्यङ्ग्य नहीं है।

अथवा जमे मेरा ही :—

[प्रसन्नता के कारण चञ्चलता और विकास से युक्त अतणव] हे चञ्चल और दीर्घनेत्रधारिणी [प्रिये] अथ [कोपकालुष्य के बाद प्रसादोन्मुख मुख के] लावण्य [संस्थान-सौष्टव] और कान्ति से दिग्दिगन्तर को [पूर्णिमा के चन्द्र के समान] परिपूर्ण कर देने वाले तुम्हारे मुख के मन्द मुसकान युक्त होने [स्मरे] पर भी इस [समुद्र] में तनिक भी चञ्चलता दिखाई नहीं पड़ती है इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह पयोधि [निरा] जलराशि [जाट्य पुंज तथा जलममूह मात्र] है।

यदि यह जड़ नहीं सदृश्य होता तो पूर्णचन्द्र सदृश तुम्हारे मुख की देखकर उसमें मदननिहार रूप क्षोभ और समुद्र में यदि चन्द्रमा और तुम्हारे मुख के मौन्दर्यगत तरतम्य को समझने की उदि होती तो उसमें चन्द्र में भी अधिन मुन्दर तुम्हारे मुख को देखकर जल चञ्चल्य रूप क्षोभ अवश्य होता।

इत्येवंविधे विषयेऽनुराणरूप^१रूपनाश्रयेण काव्यचारत्वव्यव-
स्थानाद् रूपरुध्वनिरिति व्यपदेशो न्याय्यः ।

उपमाध्वनिर्यथा—

वीराण रमइ घुसिणरणम्मि ए तदा पिआथगुच्छङ्गे ।

टिठी रिउगअकुम्भत्यलम्मि जह वहलसिन्दूरे ॥

[वीराणां रमते घुसृणारुणो न तथा प्रियास्तनोत्पङ्गे ।

ट्टी रिपुगजकुम्भस्थले यथा वहलसिन्दूरे ॥

[इतिच्छाया]

यथा वा ममैव विषमवाणलीलायामसुरपराक्रमणे^२ कामदेवस्य :—

यह कवि निबद्ध नायक की उक्ति है । जइराशि में श्लेषालङ्कार वाच्य है उससे नायिका के मुख पर पूर्णिमा चन्द्र का आरोप रूप रूपकालङ्कार व्यङ्ग्य है । इसलिये यह कविनिबद्ध वक्तृप्रौढोक्ति सिद्ध अलङ्कार से अलङ्कारव्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

इस प्रकार के उदाहरणों [विषय] में संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रूपक के आश्रय से ही काव्य का चारत्व व्यवस्थित होता है इसलिये [यथा] रूपक ध्वनि व्यवहार [नामकरण] ही उचित है ।

उपमाध्वनि [के उदाहरण] जैसे :—

वीरों की दृष्टि प्रियतमा के कुकुमरजित उरोजों में उतनी नहीं रमती जितनी सिन्दूर से पुते हुए शत्रु के हाथियों के कुम्भस्थलों में [रमती है ।]

यद्वा पर वीरदृष्टि के प्रिया के स्तनोत्पङ्ग में रमण की अपेक्षा रिपुगजों के कुम्भस्थल रमण करने में अतिशय प्रतिपादन से स्वतः सभी व्यतिरेकालङ्कार से गजकुम्भस्थल में [गजकुम्भ-थलानुयोगिक] प्रिया के कुच्चों के [प्रियाकुचकुम्भल-प्रतियोगिक] सादृश्यरूप उपमा व्यङ्ग्य है । उसके कारण उन कुम्भस्थलों के मर्दन में वीरों को अधिक आनन्द आता है । इस प्रकार व्यङ्ग्य उपमानूलक वीरतातिशय के चमत्कारजनक होने से यह स्वतः सभी अलङ्कार से अलङ्कारव्यङ्ग्य उपमाध्वनि का उदाहरण है ।

ध्वनया जैसे विषमवाणलीला [नामक स्वरचित काव्य] में [प्रैलोक्य

तं ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि हिअअमक्करसम् ।
विम्वाहरे पिआणां णिवेसिअ कुसुमवाणेन ॥

तत्तेपां श्रीसहोदररत्नाहरणे हृदयमेकरसम् ।

विम्वाधरे प्रियाणा निवेशितं कुसुमवाणेन ॥ [इतिच्छाया]

विजयो] कामदेव के असुरविषयक पराक्रम के वर्णन [के प्रसङ्ग] में मेरा ही [यनाया निम्न श्लोक उपमाध्वनि का दूसरा उदाहरण] है ।

लक्ष्मी के सहोदर [अन्त उल्लेख] रत्न के आहरण में तत्पर उन [असुरों] के उस [सदैव युद्धोद्यत] हृदय को कामदेव ने प्रियाओं के अधर-विम्ब [के रत्नास्नाद] में तत्पर कर दिया ।

यहा अतिशयोक्ति अलङ्कार वाच्य है और उससे प्रिया का अधरविम्ब सकलरत्नसाररूप कौस्तुभमणि के समान है यह उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है । अतः कवि प्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

काव्यप्रकाशकार ने पर्याय अलङ्कार के उदाहरण रूप में इस श्लोक को उद्धृत किया है । और उसके टीकाकारों ने इसका अर्थ भी अन्य प्रकार से किया है । 'श्रीसहोदररत्नाहरणे' के स्थान पर उन्होंने 'श्रीसहोदररत्नाभरणे' यह छायानुवाद किया है परन्तु मूल प्राकृत श्लोक में 'रअणाहरणम्मि' यही पाठ रखा है । इस प्राकृत पाठ का छायानुवाद तो रत्नाहरणे ही हो सकता है 'रत्नाभरणे' नहा । इसलिये काव्यप्रकाश के टीकाकारों का छायानुवाद ठीक नहीं है । इसीलिये, उसके आधार पर जो व्याख्या उन्होंने की है वह भी ठीक प्रतीत नहीं होती । उन्होंने श्लोक का अर्थ इस प्रकार लगाया है कि श्रीसहोदर रत्न अर्थात् कौस्तुभमणि जिनका आभरण है ऐसे विष्णु में एकरस एकाग्र दैत्यों का मन, मोहिनी रूपधारिणी प्रिया के अधर विम्ब व पान में कामदेव ने प्रवृत्त कर दिया । यह अर्थ भी ठीक नहीं है । मूल में 'प्रियाणां' यह स्पष्ट ही बहुवचन है उससे एरु मोहिनी के साथ उसकी सङ्गति नहीं हो सकती है । वह स्पष्ट ही उनकी अपनी प्रियाओं का बोधक है । मोहिनी का नहा । फिर विष्णु में असुरों के हृदय की एकाग्रता, एकरसता भी असङ्गत है । टीकाकारों ने यह सब अनर्थ पर्यायोक्त का लक्षण समन्वित करने के लिये किया है । असुरों का हृदय पहिले विष्णु में एकरस था कामदेव ने उसको प्रियाओं के अधरविम्ब में लगा दिया ! इस प्रकार 'एरुं कमेण अनेरुग त्रियते' इस पर्याय अलङ्कार के लक्षण का समन्वय करने का

आक्षेपध्वनिर्यथा —

स वक्तुमखिलान् शक्तो ह्यप्रीवाधितान् गुणान् ।

योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधे ॥

अत्रातिशयोक्त्या ह्यप्रीवगुणानामवर्णनीयताप्रतिपादनरूपस्या-
साधारणतद्विशेषप्रकाशनपरस्य आक्षेपस्य^१ प्रकाशनम् ।

अर्थान्तरन्यासध्वनिः शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्योऽर्थ-
शक्तिमूलानुरणरूपव्यङ्ग्यश्च सम्भवति । तत्राद्यस्योदाहरणम् —

द्वैव्याएत्तम्मि फले किं कौरड् एत्तिअ पुणा भण्णिमो ।

कङ्किल्लपल्लवा पल्लवार्ये अण्णाण ए सरिच्छा ॥

द्वैवायत्ते फले किं क्रियतामेतावत् पुनभण्णाम् ।

[रन्ताशोकपल्लवा पल्लवानामन्येषा न सदशाः ॥

[इतिच्छाया]

प्रयत्न उन्होंने किया है । परन्तु उनका और स्वयं काव्यप्रकाशनकार मम्मटाचार्य का यह प्रयत्न लोचनकार और इस पत्र के निम्नान् स्वयं ध्वन्यालोचकार—जिन्होंने इसे उपमाध्वनि का उदाहरण माना है—के अभिप्राय के विरुद्ध है । लोचनकार की प्रामाणिक व्याख्या सामने रहते हुए भी इन लोगों ने अपने दृष्टिकोण से इस प्रकार का भिन्न अर्थ किया है ।

आक्षेप ध्वनि [का उदाहरण] जैसे—

जो पानी के घड़ों से [नाप कर] समुद्र के परिमाण को जान सन्ता है वही ह्यप्रीव के समस्त गुणों के वर्णन करने में समर्थ हो सकता है ।

यहां अतिशयोक्ति [वाच्यालङ्कार] से ह्यप्रीव के समस्त गुणों की अवर्णनीयता प्रतिपादन रूप [गुणों की] असाधारण विशेषता प्रकाशन परक आक्षेप अलङ्कार व्यङ्ग्य है [अतः यह कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार में अलङ्कार व्यङ्ग्य आक्षेपध्वनि का उदाहरण है ।]

अर्थान्तरन्यास ध्वनि शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य और अर्थशक्ति-
मूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [दोनों तरह का] हो सकता है । उनमें से प्रथम [शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि] का उदाहरण [निम्न है] :—

पदप्रकाशश्चाय ध्वनिरिति वाक्यस्यार्थान्तरतात्पर्येऽपि सति न विरोधः ।

द्वितीयस्योदाहरणं यथा —

हिअत्रद्वानिअमरणु अदरणमुह हि म पसाअन्त ।

अत्रद्वस्स नि ए हु दे पहुजाणअ रोसिऊ सक्कम ॥

फल, भाग्य के आधीन है [इसमें हम] क्या करें । [कुछ भी नहीं कर सकते हैं] फिर भी इतना [तो] कहते हैं कि रक्ताशोक [वृत्त] के पक्षय अन्य पक्षयों के समान नहीं होते ।

यह ध्वनि पद प्रकारय भी होता है इसलिए वाक्य का अर्थान्तर [अप्रस्तुतप्रशसा] में तात्पर्य होने पर भी [अर्थान्तरन्यास के पदप्रकारय होने से] कोई विरोध नहीं होता है ।

यहां अर्थान्तरन्यास और अप्रस्तुत प्रशसा दो अलङ्कार व्यङ्ग्य हो सन्ते हैं । सामान्य और विशेष के समर्थ्य समर्थक भाव होने से अर्थान्तरन्यास और गम्य गमक भाव होने से अप्रस्तुतप्रशसा होती है ।

“सामान्य वा विशेषण विशेषस्तेन वा यदि ।

समर्थ्यते . . . सोऽर्थान्तरन्यास ”

“कश्चिद् विशेष सामान्यात् सामान्य वा विशेषतः ।

अप्रस्तुतात् प्रस्तुत चेद् गम्यते पञ्चधा तत ।

अप्रस्तुतप्रशसा स्यात् ”

यह अर्थान्तरन्यास तथा अप्रस्तुतप्रशसा के लक्षण है ।

अप्रस्तुत रक्ताशोक वृत्त के वृत्तान्त से लोकोत्तर प्रयत्न करने पर भी विफल होने वाले किसी व्यक्ति की प्रशसा रूप प्रस्तुत की प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार होता है । परन्तु फल शब्द से भाग्यप्रश होने वाली विफलता का समर्थक पहिले ही प्राप्त हो जाता है । इसलिए यहां फल रूप शब्द की शाक्त से सामान्य से विशेष समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है और उसी पद स प्रथम प्रतीति हो जाने से यह अर्थान्तरन्यास ध्वनि का ही उदाहरण है, वाक्यगम्य अप्रस्तुतप्रशसा ध्वनि का नहीं । ध्वनि के जितने भेद किये गये हैं वे पदप्रकाश्य और वाक्यप्रकाश्य होते हैं यह आगे प्रतिपादन किया जायगा—यहां अर्थान्तरन्यास ध्वनि पदप्रकाश्य और अप्रस्तुतप्रशसा वाक्यप्रकाश्य है इसलिए उनमें कोई विरोध नष्ट है ।

हृदयस्थापितमन्युमपरोपमुखीमपि मां प्रसादयन् ।

अपराधस्यापि न खलु ते बहुज्ञ रोपितुं शक्यम् ॥

[इतिच्छाया]

अत्र हि वाच्यत्रिशेषेण सापराधस्यापि बहुज्ञस्य कोप कर्तुमशक्य

इति समर्थकं 'सामान्यमन्वितमन्यत्तात्पर्येण प्रकाशते ।

व्यतिरेकध्वनिरप्युभयरूपं संभवति । तत्राद्यस्योदाहरणं प्राक्
प्रदर्शितमेव । द्वितीयस्योदाहरणं यथा —

जाएज्ज वगुहेसे खुज्ज विवअ पाअघो^२गडिअवत्तो ।

मा मागुसम्मि लोए ताएक्करसो दरिदो अ ॥

[जायेय जनोदेशे कुञ्ज एन पादपो गलितपत्र* ।

मा मानुपे लोके त्यागैकरसो दरिद्रश्च ॥ [इतिच्छाया]

अत्र हि त्यागैकरस्य दरिद्रस्य जन्मानभिनन्दनं मुटितपत्रकुञ्ज-
पादपजन्माभिनन्दनं च साक्षाच्छब्दवाच्यम् । तथाविधादपि पादपात्

दूसरे [अर्थशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य] का उदाहरण—

हृदय में क्रोध भरा होने पर भी मुख पर उसका [क्रोध का] भाव
प्रकट न करने वाला मुझ को भी तुम मना रहे हो इसलिये [प्रकट भाव से
अधिक हृदयस्थित भाव को भी जानने वाले] हे बहुज्ञ, तुम्हारे अपराधी होने
पर भी तुमसे रूठा नहीं जा सकता ।

यहां वाच्यार्थ विशेष से, बहुज्ञ के सापराध होने पर भी [उस पर]
क्रोध करना संभव नहीं है यह समर्थक, अर्थ सामान्य तात्पर्य से सम्यक् अन्य
विशेष को अभिव्यक्त करता है [अतः अर्थान्तरन्यास ध्वनि है]

व्यतिरेक ध्वनि भी [शब्दशक्त्युत्थ और अर्थशक्त्युत्थ] दोनों प्रकार
का हो सकता है । उनमें से प्रथम [शब्दशक्त्युत्थ] का उदाहरण [सं यज्यु-
ज्वलयन्ति० इत्यादि] पहिले दिखा ही चुके हैं । दूसरे [अर्थशक्त्युत्थ का]
उदाहरण जैसे—

[एकान्त निर्जन] वन में पत्र रहित सुवहा वृक्ष वन भर नले ही पैदा
ही जाऊ परन्तु वान की रुचि युक्त और दरिद्र होकर मनुष्य लोक में पैदा
न होऊँ ।

१. अपसामाय नि०, दी० । २ घटिअवत्तो = घटितपत्र नि० हो०

तादृशस्य पुंस उपमानोपमेयत्वप्रतीतिपूर्वकं शोच्यतायामाधिक्यं
तात्पर्येण प्रकाशयति ।

उत्प्रेक्षाध्वनिर्यथा—

चन्द्रनासक्तभुजगनिःश्वासानिलमूर्च्छितः ।

मूर्च्छयत्येष पथिकान् मधौ मलयमारुतः ॥

अत्र हि मधौ मलयमारुतस्य पथिकमूर्च्छाकारित्वं मन्मथोन्माथ-
दायित्वेनैव । तत्तु चन्द्रनासक्तभुजगनिश्वासानिलमूर्च्छिततत्त्वेनोत्प्रेक्षित-
मित्युत्प्रेक्षा साक्षादनुक्तापि वाक्यार्थसामर्थ्यादनुराणरूपा लक्ष्यते । न
चैवंविधे विषये इवादिशब्दप्रयोगमन्तरेणासंबद्धतैवेति^१ शक्यते^२
वक्तुम् । गमकत्वादन्यत्रापि तदप्रयोगे तदर्थविगतिदर्शनात् । यथा—

यहा दान की रचि वाले दरिद्र [पुरुष] के जन्म की निन्दा और पर-
विहीन वृद्ध वृक्ष के जन्म का अभितन्दन शब्दों से साक्षात् वाच्य है । और
वह [वाच्य] उस प्रकार के वृक्ष से भी उस प्रकार के पुरुष की शोचनीयता
के आधिक्य को वाक्य से उपमानोपमेयभाव [सादृश्य] प्रतीतिपूर्वक तात्पर्य
रूप से व्यञ्जना द्वारा प्रकाशित करता है । अतएव यहां अर्थशक्तिमूल व्यतिरेक
ध्वनि है । [यहा वाच्य कोई अलङ्कार नहीं है अतएव स्वतः संभवी वस्तु से
व्यतिरेकालङ्कार ध्वनि व्यङ्ग्य है ।

उत्प्रेक्षा ध्वनि [का उदाहरण] जैसे —

चन्द्रन [वृक्ष] में लिपटे हुए सर्पों के निश्वास वायु से [मूर्च्छित]
वृद्धिगत यह मलयानिल वसन्त ऋतु में पथिकों को मूर्च्छित करता है ।

यहा, वसन्त ऋतु में कामोद्दीपन द्वारा पीड़ाकारी होने से ही मलयान-
निल पथिकों को मूर्च्छाकारी होता है । परन्तु यह वह [मूर्च्छाकारित्व] चन्द्रन
में लिपटे हुए सर्पों के निश्वास वायु से मूर्च्छित-वृद्धिगत-होने के कारण
उत्प्रेक्षित किया गया है । [विषाक्त वायु के मिल जाने से मलयानिल मूर्च्छा-
कारी होता है । अथवा पथिकों में से एक की मूर्च्छा अन्यो को भी धैर्यधुति
द्वारा उनके मूर्च्छा का कारण बन सकती है] इस प्रकार उत्प्रेक्षा साक्षात्
[उत्प्रेक्षावाचक इत्यादि शब्दों से] कथित न, होने पर भी वाक्यार्थ सामर्थ्य
से संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रूप में प्रतीत होती है । [इस लिए यहां कवि प्रौढोक्ति-

१. अतवद्वैव नि० दो० । २. शक्यम् नि० दो० ।

ईसा कलुसस्स वि तुह मुहस्स ए एस पुण्णिमाचन्द्र^{योग}
अज्ज सरिसत्तण पाविउण्ण अज्ज विअ ए माइ ॥

ईर्ष्याकलुपस्यापि तव मुसस्य नन्वेप पूर्णिमाचन्द्र ।

अथ सदृशत्वं प्राप्य अज्ज एव न मानि ॥ [इतिच्छाया]

यथा वा —

त्रासाकुल परिपतन परितो निकेतान्,
पुम्भिनं कैश्चिदपि धन्विभिरन्वयन्धि ।
तस्यौ तथापि न मृग क्वचिद्दङ्गनाभि—
राकर्णपूर्णनयनेपुहतेक्षणाश्री ॥

सिद्ध वस्तु से 'उत्प्रेक्षा' ध्वनि व्यङ्ग्य है ।] इस प्रकार के उदाहरणों [निपय] में [उत्प्रेक्षावाचक] इव आदि शब्दों के प्रयोग के बिना [उत्प्रेक्षा] आदि का सम्बन्ध नहीं हो सकता यह नहीं कहा जा सकता है । बोद्धा की प्रतिभा के सहयोग से चन्द्रनासक्त इत्यादि विशेषण के [उत्प्रेक्षा] बोधक होने से अन्य उदाहरणों में भी उन [इवादि] के प्रयोग के बिना भी उस [उत्प्रेक्षा रूप अर्थ] की प्रतीति देखी जाती है । जैसे —

आज यह पूर्णिमा चन्द्र तुम्हारे ईर्ष्या से मलिन मुख की भी समानता पाकर मानों अपने शरीर में समाता ही नहीं है ।

यहा पूर्णिमा चन्द्र का सत्र दिशाओं को प्रकाश से भर देना जो एक स्वाभाविक कार्य है वह मुससादृश्यप्राप्तिहेतुकत्वेन उत्प्रेक्षित है । यहा प्राकृत श्लोक में 'विअ' पाठ है । उसका छायानुवाद एव किया गया है । वैसे उसका इव अनुवाद भी हो सकता है परन्तु यहा इस श्लोक को इसी रात के सिद्ध करने के लिए तो उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया है कि यहा इव शब्द का प्रयोग न होने पर भी उत्प्रेक्षा है । 'विअ' के 'एव' अनुवाद करने से अर्थ की सन्नति अधिक बलवती हो जाती है । फिर भी कोई यही कहे कि हम तो विअ का अनुवाद इव ही करेंगे इसलिए यह उदाहरण नहीं बन सकता है । उसके सन्तोष के लिए ग्रन्थकार इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण भी देते हैं —

भय से व्याकुल, घरों के चारों ओर घूमत हुए इस हिरण का किन्ही धनुषारी पुरपों ने पौदा नहीं किया फिर भी स्त्रियों के कानों तक फैले हुए नयनों के बाणों से अपनी [अपनी सर्वस्वभूत] नयनश्री के नष्ट कर दिए जाने के कारण ही मानों कहीं टहर नहीं सका ।

शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम् ।

श्लेषध्वनिर्यथा—

रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः रागं^१ विविक्ता इति वर्धयन्तीः ।
यरयामसेवन्त नमद्वलीका समं वधूभिर्वलभीयु^२वानः ॥

अत्र वधूभिः सह वलभीरसेवन्तेति वाक्यार्थप्रतीतेरनन्तरं वध्व इव लभ्य इति श्लेषप्रतीतिरशाब्दाप्यर्थसामर्थ्यान्मुरयत्येन वर्तते^३ ।

शब्द और अर्थ के व्यवहार में [सहृदयानुभव रूप] प्रसिद्धि ही [अर्थप्रतीति में] प्रमाण है ।

यहा भी इव शब्द के अभाव में हेतुप्रेक्षा प्रतीत होती है । इसलिए इवादि शब्द के अभाव में असमद्वार्थकता नहीं कही जा सकती । यहा फिर यह शङ्का की जा सकती है कि 'चन्दनासक्त०' इत्यादि श्लोक में इव शब्द के अभाव में उपप्रेक्षा की असबद्वार्थकता की जो शङ्का हमने की थी उसका खरडन करने के लिए आपने यह उदाहरण दिया । परन्तु यह उदाहरण भी तो उसी प्रकार का है इसलिए यहा असबद्वार्थकता नहीं है इसमें ही क्या विनिगमक होगा । इस शङ्का के समाधान के लिए ग्रन्थकार ने 'शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्' यह पक्ति लिखी है । इसका अभिप्राय यह है यहा इवादि के अभाव में भी सहृदय लोग उपप्रेक्षा का अनुभव करते हैं । अतएव शब्दार्थ-व्यवहार में प्रसिद्धि अर्थात् सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण है । उस अनुभव से वहा इवादि के अभाव में भी प्रतीति होने से असमद्वार्थकता नहीं हो सकती ।

श्लेषध्वनि [का उदाहरण] जैसे—

जिस [नगरी] में नवयुवकगण अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध [अमुक सुन्दर है इस प्रकार की प्रसिद्धि को प्राप्त] एकान्त अथवा शुद्ध उज्ज्वल [वेष-भूषादि] होने से अनुराग को बढ़ाने वाली, त्रिजलीयुक्त [अपनी] वधुओं के साथ, रमणीयता के कारण पताकाओं से अलङ्कृत, एकान्त होने से कामोदीपरु और मुके हुए छद्मों से युक्त अपने कूटागारों [गुप्त निजी कमरों] का सेवन करते थे ।

यहां वधुओं के साथ [वलभियों] कूटागारों का सेवन करते थे इस

यथासंख्यध्वनिर्यथा —

अंकुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च सहकारः ।

अंकुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च हृदि मदनः ॥

अत्र हि यथोद्देशमनुद्देशे यच्चारत्परमनुरणनरूपं मदनविशेषण-
भूताकुंरितादिशब्दगतं तन्मदनसहकारयोस्तुल्ययोगितासमुच्चयलक्ष-
णाद् वाच्यादतिरिच्यमानमालक्ष्यते ।

एवमन्येऽप्यलङ्कारा यथायोगं योजनीयाः ।

एवमलङ्कारध्वनिमार्गं व्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवत्ता स्थापयितु-
मिदमुच्यते :—

वाक्यार्थं प्रतीति के बाद वस्तुओं के समान वृत्तागार इस श्लेष की प्रतीति भी
अर्थसामर्थ्य से मुख्य रूप में होती है । [अतः यहा स्वतःसम्भवा वस्तु से
अलङ्कार व्यङ्ग्य रूप श्लेष ध्वनि है ।]

यथासंख्य [अलङ्कार] ध्वनि [का उदाहरण] जैसे :—

धाम के वृक्ष में जैसे पहिले [पत्तों के] अकुर निकले फिर वह
पल्लव बन गए फिर और की कली आई और वह खिल गई इसी क्रम से
[उसी के साथ साथ] हृदय में कामदेव अंकुरित, पल्लवित, मुकुलित और
विकसित हुआ ।

यहा [यथा उद्देश] प्रथम वाक्यपठित क्रम के अनुसार अंकुरित
आदि शब्दों का उसी क्रम से [अनुद्देश] द्वारा कहने से मदन विशेषण
रूप अंकुरितादि शब्दों में जो संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य चारख प्रतीत होता है
वह कामदेव और धाम वृक्ष के तुल्ययोगिता या समुच्चय लक्षण वाच्य
चारख से उत्कृष्ट दिखाई देता है । [अतएव यहा स्वतःसम्भवा अलङ्कार से
अलङ्कार व्यङ्ग्य यथासंख्य अलङ्कार ध्वनि स्पष्ट है ।]

इस प्रकार अन्य [ध्वनि रूप] अलङ्कार भी यथाचित रूप से [स्वयं]
समम लेने चाहिए ।

इस प्रकार अलङ्कार ध्वनि के मार्ग का [विस्तारपूर्वक] प्रतिपादन
कर के [अथ] उस [व्युत्पादन] की सापेक्षता सिद्ध करने के लिए यह
कहते हैं —

[कटक-कुण्डलस्थानीय] जिन अलङ्कारों की वाच्यारस्था में शरीर-

एवं ध्वनेः प्रभेदान् प्रतिपाद्य तदाभासविवेकं कर्तुमुच्यते—

यत्र प्रतीयमानोऽर्थः प्रम्लिष्टत्वेन भासते ।

वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥३१॥

द्विविधोऽपि प्रतीयमानः स्फुटोऽस्फुटश्च । तत्र य एव स्फुटः शब्द-
शक्त्यार्थशक्त्या वा प्रकाशते स एव ध्वनेमार्गो नेतरः, स्फुटोऽपि योऽभि-
धेयस्याङ्गत्वेन प्रतीयमानोऽवभासते सोऽस्यानुराणरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वने-
रगोचरः । यथा—

में से ही समझ लेना चाहिए । [हमने 'ध्यालोक दीपिका' ब्याख्या में यथास्थान वस्तुव्यङ्ग्य अलङ्कारों को प्रदर्शित कर दिया है ।] इस प्रकार वस्तु मात्र से अथवा अलङ्कारविशेष रूप अर्थ से दूसरे वस्तुमात्र अथवा अलङ्कार के प्रकाशन में चारुशब्दों के कारण प्राधान्य होने पर अर्थशक्त्युद्भव रूप संलक्ष्य-क्रम व्यङ्ग्य ध्वनि समझना चाहिए ।

यहां यह स्पष्ट कर दिया है कि वस्तु और अलङ्कार दोनों व्यङ्ग्य और दोनों व्यङ्ग्य हो सकते हैं । इसलिए १. वस्तु से वस्तु व्यङ्ग्य, २. वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य, ३. अलङ्कार से वस्तु व्यङ्ग्य और ४. अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य ये चार भेद हो जाते हैं । पहिले स्वतः सम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध और कविनिबद्धप्रौढोक्तिसिद्ध ये तीन भेद अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के किये थे । उन तीनों में से प्रत्येक भेद के १. वस्तु से वस्तु, २ वस्तु से अलङ्कार, ३. अलङ्कार से वस्तु ४ अलङ्कार से अलङ्कार व्यङ्ग्य ये चार भेद होकर [$3 \times 4 = 12$] कुल बारह भेद अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त शब्दशक्त्युत्थ के वस्तु तथा अलङ्कार रूप दो भेद, उभयशक्त्युत्थ का एक, और असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य एक, इस प्रकार ($12 + 2 + 1 + 1 = 16$) कुल सोलह भेद विनक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के हो जाते हैं । और दो भेद अत्रिवक्षितवाच्य ध्वनि के अर्थान्तर सममित वाच्य और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य किये थे । उनमें मिलाकर ध्वनि के कुल $16 + 2 = 18$ अठारह भेद यहां तक हुए ।

इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों का प्रतिपादन करके उस [ध्वनि] के आभाव [ध्वन्याभाव गुणीभूत व्यङ्ग्य] को समझाने [पृथग् ज्ञान, भेदज्ञान कराने] के लिए कहते हैं ।

जहां प्रतीयमान अर्थ अस्फुट [प्रम्लिष्ट] रूप से प्रतीत होता है अथवा वाच्य का अङ्ग बन जाता है वह इस ध्वनि का विषय नहीं होता ।

कमलाधरा ए मलित्रा हसा उड्ढावित्रा ए अ पिउच्छ्रा ।
 केण नि गामतडाए अ०भ उताणअ फलिहम् ॥
 [कमलाकरा न मलिना हसा उड्ढापिता न च पितृषस ।
 कनारि प्रामतडागे, अममुत्तानितं क्षिप्तम् ॥

[इतिच्छाया]

अत्र हि प्रतीयमानस्य मुग्धवध्ना जलधरप्रतिविम्बदर्शनस्य वाच्याङ्गत्वमेव ।

एवविधे विषयेऽन्यत्रापि यत्र व्यङ्ग्यापेक्षया वाच्यस्य चारत्वो-
 त्कर्षप्रतीत्या प्राधान्यमवसीयते, तत्र व्यङ्ग्यस्याङ्गत्वेन प्रतीतेर्ध्वनैर-
 विषयत्वम् । यथा —

याणीरकुड्ढोड डीणसउणिफोलाहल सुणन्तीए ।
 घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अद्दाइ ॥
 वानारकुओड्ढीनशकुनिमुलफोलाहलं शृणन्त्या ।
 गृहकर्मव्यापृताया रध्वा सीदन्त्यज्ञानि ॥ [इतिच्छाया]

[अत्रिवक्षित वाच्य या लक्षणांमूल और विरलितान्यपर वाच्य या अभिधामूल ध्वनि] दोनों ही प्रकार का व्यङ्ग्य अर्थ स्फुट और अस्फुट [दो प्रकार का] होता है । उनमें से श-दशक्ति अथवा अर्थशक्ति से जो स्फुट रूप से प्रतीत होता है वही ध्वनि का विषय है । दूसरा [अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाला ध्वनि का विषय] नहीं [अपितु ध्वन्याभाम] होता है । स्फुट [व्यङ्ग्य] में भी जो वाच्य के अङ्ग रूप में प्रतीत होता है वह इस संलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य ध्वनि का विषय नहीं होता । जैसे—

धरी बुधा [पितृषस] जा । [देखी तो] न तालात्र ही मैला हुआ
 और न हस ही उठे । [फिर भी] इस गाय के तालात्र में किसी ने धादल
 को उल्टा करके [रितनी सफाई से] रख दिया है ।

यहाँ भोली भाली [ग्राम] वधू का मेघ प्रतिविम्ब दर्शन रूप व्यङ्ग्य
 वाच्य का अङ्ग ही [वना हुआ गुणीभूत व्यङ्ग्य] है ।

इस प्रकार के उदाहरणों में और जगह भी जहा चारत्वोत्कर्ष के कारण
 व्यङ्ग्य की अपेक्षा वाच्य का प्राधान्य फलित होता है वहा व्यङ्ग्य की अङ्ग
 [अग्रधान] रूप में प्रतीति होने के कारण [यह] ध्वनि का विषय नहीं होता ।
 [अपितु वाच्यविद्ययङ्ग नामक गुणीभूत व्यङ्ग्य का भेद होता है ।] जैसे—

एवंविधो हि विषयः प्रायेण गुणीभूतव्यङ्ग्यस्योदाहरणत्वेन निर्देक्ष्यते ।

यत्र तु प्रकरणादिप्रतिपत्त्या निर्धारितविशेषो वाच्योऽर्थः पुनः प्रतीयमानाङ्गत्वेनैवाभानते सोऽस्यैवानुराणरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वने-
मार्गः । यथा :—

उच्चिणसु पडिअ कुमुमं मा धुण सेहालिअ हालिअसुहे ।

अह दे विसमविरावो ससुरेण सुओ वलअसहो ॥

उच्चिनु पतित कुमुमं मा धुनीहि शेफालिकां हालिकस्तुपे ।

एष ते निपमनिरामः प्रशुरेण श्रुतो वलयशब्दः ।

[इनिच्छाया]

[अपने प्रणयी से मिलने का स्थान और समय नियत करके भी समय पर नियत स्थान पर न पहुँच सकने वाली नायिका के] वेतस लता-कुञ्ज के उड़ते हुए पत्तियों के कोलाहल को सुन कर घर के काम में लगी हुई बहू के अङ्ग शिथिल हुए जाते हैं ।

काव्य प्रकाशकार तथा साहित्यदर्पणकार ने इस श्लोक को गुणीभूत व्यङ्ग्य के असुन्दर व्यङ्ग्य नामक भेद का उदाहरण दिया है । यहा दत्त संकेत पुरपलतागृह में पहुँच गया यह व्यङ्ग्य अर्थ है परन्तु उसकी श्रुति 'वध्वा-सौदन्त्यज्ञानि' यह वाच्यार्थ ही अधिक चमत्कारजनक प्रतीत होता है । अतएव यह ध्वनि का विषय नहीं, अपितु ध्वन्याभास अर्थात् असुन्दर व्यङ्ग्य रूप गुणीभूत व्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

इस प्रकार का विषय प्रायः गुणीभूत व्यङ्ग्य के उदाहरणों में दिखाया जायगा ।

जहां प्रकरण आदि की प्रतीति से विशेष अर्थ का निर्धारण करके वाच्यार्थ फिर प्रतीयमान अर्थ के अङ्ग रूप से भासता है वह इसी सलक्ष्यप्रम-व्यङ्ग्य ध्वनि का विषय होता है । जैसे—

हे कृपक [की पुत्र] बधू ! [नीचे] गिरे हुए फूलों को ही बीन, शेफालिका [हरतिंगार की बाल] को मठ हिला । जोर से बोलने वाले तेरे कण्ठ की आवाज़ स्वसुर जी ने सुन ली है ।

अत्र ह्यविनयपतिना सह रममाणा सखी वहि श्रतप्रलयकल-
कलया सख्या प्रतिबोध्यते । एतदपेक्षणीय वाच्यार्थप्रतिपत्तये । प्रतिपन्ने
च वाच्येऽर्थे^१ तस्याप्रिनयप्रन्द्वादनतात्पर्येणाभिधीयमानत्वात् पुन
व्यङ्गचाङ्गत्वमेवेत्यस्मिन्नुरणरूपव्यङ्ग्यच्यवनावन्तर्भाव ।

एव विवक्षितवाच्यस्य ध्वनेस्तदाभासप्रियके प्रस्तुते सत्यविप्र-
क्षितवाच्यस्यापि त कतुर्भाह —

अव्युत्पत्तेश्चतेर्वा निगन्धो यः स्वल्पद्गतेः ।

शब्दस्य स च न ज्ञेयः स्वरिभिप्रिययो ध्वनेः ॥३२॥

— सप्रलङ्घतेरुपचरितस्य शब्दस्य अव्युत्पत्तेश्चतेर्वा निगन्धो य
स च न ध्वनेविषय ।

यहा किसी जार [अविनयपति] के साथ सभोग [और वह भी
पुरपायित रूप] करती हुई सखी का चाहर मे उसके वलय की आगाज
सुन कर सखी सावधान करती है । यह [व्यङ्ग्यार्थ] वाच्यार्थ की प्रतीति
के लिए अपेक्षित है । [उस] वाच्यार्थ की प्रतीति हो जान पर उस
[वाच्यार्थ] के [सखी के परपुरपोपभोग रूप] अप्रिनय को छिपाने
के अभिप्राय से ही कथित होने से फिर [अप्रिनय प्रन्द्वादन रूप] व्यङ्ग्य का
अङ्ग ही हो जाता है अतएव यह संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि में ही अन्तर्भूत
हाता है ।

इस प्रकार विवक्षितवाच्य ध्वनि के ध्वन्वाभास [गुणोभूतत्व] विरेक
के प्रसङ्ग में [उसके निरूपण के बाद] अविप्रक्षित वाच्य ध्वनि का भी आभा
सता [गुणोभूत व] विवेचन करने क लिए कहत है—

प्रतिभा या शक्ति क अभाव म चा लाक्षणिक या गौण [स्वल्पद्गता
—वायित विषय—] शब्द का प्रयोग हा उमको भी विद्वानों का ध्वनि का विषय
नहीं समझना चाहिए ।

स्वल्पद्गति अर्थान् गौण शब्द का प्रतिभा या शक्ति क अभाव म चा
प्रयोग है वह भी ध्वनि का विषय नहीं हाता ।

यत' :—

सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम् ।

यद् व्यङ्ग्यस्याङ्गिभूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम् ॥३३॥

तच्चोदाहृतविषयमेव ।

इति श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके

द्वितीय उद्योतः ।



क्योंकि—

[ध्वनि के] सभी भेदों में प्रधानभूत ध्वनि की जो स्फुट रूप से प्रतीति होती है वही ध्वनि का पूर्ण लक्षण है ।

उसके विषय में उदाहरण दे ही चुके हैं ।



श्री राजानक आनन्दवर्धनाचार्य विरचित ध्वन्यालोक में
द्वितीय उद्योत समाप्त ।



इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिताया
'आलोकदीपिकाख्याया' हिन्दीव्याख्यायां
द्वितीय उद्योतः समाप्तः ।

तृतीय उद्योतः

एव व्यङ्ग्यमुपेनैव ध्वने प्रदर्शिते सप्रभेदे स्वरूपे पुनर्व्यञ्जक-
मुपेनैतत्' प्रकाश्यते .—

अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाशता ।

तदन्यस्यानुरक्षणरूपव्यङ्ग्यस्य च ध्वनेः ॥१॥

इस प्रकार [गत उद्योत में] व्यङ्ग्य द्वारा ही [व्यङ्ग्य की दृष्टि से]
भेदों सहित ध्वनि का स्वरूप निरूपण करने के बाद व्यञ्जक द्वारा [व्यञ्जक
की दृष्टि से यहाँ] फिर [उसके भेदों का] निरूपण करते हैं .—

अविवक्षित वाच्य [लक्षणा मूल ध्वनि] और उससे भिन्न [विवक्षितान्य-
परवाच्य अभिधामूल ध्वनि के भेद] संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि [अर्थात् ध्वनि
के १८ भेदों में से एक, असलक्ष्यक्रम को छोड़ कर शेष १७ भेद] पद और
वाक्य से प्रकाश्य [होने से दो अथवा $17 \times 2 = 34$ प्रकार का] होता है ।

द्वितीय उद्योत में 'आलोकदीपिका' टीका के पृष्ठ २०६ पर अविवक्षितवाच्य
अर्थात् लक्षणा मूल ध्वनि के १. अर्थान्तरसम्मित वाच्य तथा २. अत्यन्त
तिरस्कृत वाच्य यह दो भेद और विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधा मूल ध्वनि का
असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य एक + सलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य के शब्दशक्त्युत्थ २ भेद + अर्थ
शक्त्युत्थ के १२ भेद + उभय शक्त्युत्थ का १ भेद, इस प्रकार २ अविवक्षित
वाच्य + [$1 + 2 + 12 + 1$] १६ विवक्षित वाच्य कुल मिलाकर ध्वनि के १८
भेदों की गणना करा चुके हैं । इस तृतीय उद्योत में उन भेदों का और अधिक
विचार करेंगे । उसमें से एक उभय शक्त्युत्थ को छोड़कर शेष सत्रह के पदव्यङ्ग्यता
और वाक्यव्यङ्ग्यता भेद से दो प्रकार के भेद और होते हैं । अतएव ध्वनि क कुल
जो $17 \times 2 = 34$ भेद बन जाते हैं । उनमें से विवक्षितान्यपरवाच्य के अर्थ-
शक्त्युत्थ के जो बारह भेद कहें वह प्रबन्ध व्यङ्ग्य भी होते हैं । उनकी
प्रबन्ध व्यङ्ग्यता के बारह भेद और मिला कर $34 + 12 = 46$ और एक

१—अविचक्षितवान्यस्यात्यन्ततिरस्नुतवाच्ये प्रभेदे^१ पदमका-
शता यथा महर्षेर्व्यासस्य . —

‘सप्तैताः समिवः श्रिय ।’

यथा वा कालिदासस्य —

‘कः सन्नद्धे त्रिरहविधुरा त्रय्युपेक्षेत जायाम् ।’

यथा वा^२ —

‘किमिव हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम् ।’

एतेषूदाहरणेषु ‘समिव’ इति ‘सन्नद्ध’ इति ‘मधुराणामिति’
च पदानि व्यञ्जकानामिप्रायेणैव कृतानि ।

उपपशक्युत्थ जो केवल वाक्यमात्र व्यङ्ग्य हो सकता है उसको मिलाकर
४६ + १ = ४७, और असलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य के १. पदाश, २. वर्ण, ३. रचना,
और ४. प्रबन्धगत, ४ भेद और मिला कर ध्वनि के कुल ४७ + ४ = ५१ भेद
शुद्ध होते हैं। इस प्रकार ध्वनि के इक्यावन भेदों की गणना की गई है। इस
उद्योत में उन्हीं पितृले भेदों के प्रकारान्तर से पद और वाक्य व्यङ्ग्यत्व भेद से
भेद प्रदर्शित करते हैं। गत उद्योत में जो ध्वनि विभाग किया गया था वह
व्यङ्ग्य की दृष्टि से किया गया था यहाँ पद-वाक्य व्यङ्ग्यत्व के भेद से जो विभाग
इस उद्योत में किया जा रहा है वह व्यञ्जक भेद की दृष्टि से किया गया विभाग
है। इस प्रकार गत उद्योत के साथ इस उद्योत के विषय या समन्वय करते हुए
प्रबन्धकार ने नवीन उद्योत का प्रारम्भ किया है।

१—अविचक्षित वाच्य [लक्षणाभूत ध्वनि] के अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य
[नामक] भेद में पदव्यङ्ग्य [का उदाहरण] जैसे—महर्षि व्यास का—
‘सप्तैताः समिवः श्रिय’ । यह सात लक्ष्मा की समिधाएँ हैं।

अथवा जैसे—कालिदास का—

‘कः सन्नद्धे त्रिरहविधुरा त्रय्युपेक्षेत जायाम्’ ।

अथवा :—

‘किमिव मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम् ।’

‘मधुराणामिति, के. चलन, की. कीन, त्रिमूर्त्यु, नाहि’

१. स्वप्रभेद ति० । २. तस्यैव ति०, दो० में अपिच ह ।

इन उदाहरणों में 'समिध' 'सन्नद्धे' और 'मधुराणाम्' पद व्यञ्जकत्व के अभिप्राय से ही [प्रयुक्त] किए गए हैं ।

महर्षि व्यास का पूरा श्लोक निम्न प्रकार है—

धृति क्षमा दया शौच वास्यैव वागनिष्ठुरा ।

मित्राणां चानभिद्रोह सप्तैता समिध श्रिय ॥

इस श्लोक में आए 'सप्तैता समिध श्रिय' इस चरण में 'समिध' शब्द अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य है । 'समिध' शब्द मुरयत् यज्ञ की समिधाया के लिए प्रयुक्त होता है । ये समिधाए यज्ञीय अग्नि को रगाने वाली—प्रज्वलित करने वाली होती हैं । 'तन्ना समिद्धिरङ्गिरो धृतेन वर्धयामसि' इत्यादि मत्र प्रतिपादित वर्धन साधम्य से यहाँ 'समिध' शब्द लक्ष्मी की अन्यान्यपेक्ष वृद्धहतुता को बोधित करता है । अतएव अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण होता है ।

“क सन्नद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जायाम्” यह दूसरा उदाहरण कालिदास के मेघदूत से लिया गया है । पूरा श्लोक इस प्रकार है —

नामारूढ पवनपदसीमुद्गृहीतालमन्ता ,

प्रेक्षिष्यन्ते पथिकरजिता प्रत्यशदाश्नसन्धे ।

क सन्नद्धे विरहविधुरा त्वय्युपेक्षेत जायां,

न स्यादन्योऽप्यहमिय जनो य पराधीनवृत्ति ॥

अर्थात्, हे मेघ वायु मार्ग से जाते हुए तुमको पथिकों की प्रीणितमर्तृका स्त्रिया वाला को हाथ में धाम कर, अतः उनके पति आते होंगे इस विश्वास से धैर्य धारण करती हुई देखेंगी । क्योंकि मेरे समान पराधीन [शापग्रस्त वृद्ध] को छोड़कर तुम्हारे [मेघ के] आ जाने पर अपनी विरहवर्जिता पत्नी की कौन उपेक्षा करेगा ।

इस श्लोक में 'सन्नद्ध' शब्द अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण है । सन्नद्ध शब्द यह रगाने धातु से बना है । उसका मुरथार्थ कमर बन्धे हुए, कपचादि धारण किए हुए होता है । यहाँ उसका यह मुख्याय अन्वित रहा होता है अतएव यहाँ अग्ने मुरथार्थ को छोड़ कर वह उग्रतत्त्व का बोधन करता है इस प्रकार अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य है ।

तामसा उदाहरण भी कालिदास के ही शकुन्तला नाटक से लिया गया है । पूरा श्लोक निम्न प्रकार है

२—तस्यैवार्थान्तरसंक्रमितवाच्ये यथा .—

‘रामेण प्रियजीवितेन तु कृत प्रेम्ण प्रिये नोचितम् ।’

अत्र रामेण इत्येतत् पद साहसैकरसत्त्वादिव्यङ्ग्याभिसंक्रमित-
वाच्यं व्यञ्जकम् ।

सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्य,

मलिनमपि हिमाशो लक्ष्म लक्ष्मी तनोति ।

इयमधिकमनोशा वल्कलेनापि तन्वी,

किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम् ॥

कमल का फूल सिवार में लिपटा होने पर भी सुन्दर लगता है । चंद्रमा का काला कलङ्क भी उसकी शोभा बढ़ाता ही है । यह तन्वी शमुन्तला इस वल्कल वस्त्र को धारण किए हुए होने पर भी और अधिक सुन्दरी दीख पड़ती है । मधुर आनृति वालों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहा है ।

इस श्लोक में मधुर रस का वाचक मधुर शब्द अपने उस अर्थ को छोड़कर सुन्दर अर्थ का बोधक होने से अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का उदाहरण है ।

२—उसी [अविपक्षित वाच्य लक्षणा मूल ध्वनि] के अर्थान्तर-
संक्रमित वाच्य [नामक भेद के उदाहरण] में जैसे :—

हे प्रिये वैदहि ! अपने जीवन के लोभी राम ने प्रेम के अनुरूप [कार्य]
नहीं किया ।

इस [श्लोक] में ‘राम’ यह पद साहसैकरसत्त्वं [मत्सम्बन्ध] आदि
व्यङ्ग्य [विशिष्ट राम रूप अर्थान्तर में] संक्रमित वाच्य [रूप से अर्थान्तर
संक्रमित वाच्य] व्यञ्जक है ।

पूरा श्लोक इस प्रकार है .—

प्रत्याख्यानस्य. कृत समुचित, मूरण ते रक्षणा,

सोढ तच्च तथा त्वया तुलजनो, धत्ते त्रयोच्चै शिर ।

व्यर्थ सम्प्रति विभ्रता धनुरिद, त्वद्वापदः साक्षिणा,

रामेण प्रियजीवितेन तु कृत, प्रेम्ण प्रिय नो चत्म् ॥

क्रूर राक्षस रावण ने तुम्हारे अस्वीकार करने पर उस निपथजन्य क्रोध के
अनुरूप ही तुम्हारे साथ व्यवहार किया । और तुमने भी उसने क्रूर व्यवहार को
इस प्रकार वीरतापूर्वक सहन किया कि आज भी तुलसिपुत्र उसका कारण अपना

यथा वा :—

एमेथ जणो तिरस्सा देउ कवोलोपमाइ ससिविम्बम् ।
परमत्यविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराओ ॥
एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमाया शशिविम्बम् ।
परमार्थविचारे पुनश्चन्द्रश्चन्द्र इव वराक ॥ [इतिच्छाया]
अत्र द्वितीयश्चन्द्रशब्दोऽर्थान्तरसंकमितवान्य ।

३—अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे वाक्य-
प्रकाशता यथा—

या निशा सर्वभूताना, तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

अनेन वाक्येन निशार्थो न च^१ जागरणार्थः कश्चिद् विवक्षितः ।
किं तर्हि ? तत्त्वज्ञानावहितत्वं अतत्त्वपराङ्मुखत्वं च मुने प्रतिपाद्यत
इति तिरस्कृतवाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम् ।

सिर उच्चा उठाए है । इस प्रकार तुम दोनों ने अपने-अपने अनुरूप कार्य किया
परन्तु तुम्हारी विपत्ति के साक्षी बन कर भी आज व्यर्थ ही इस धनुष को धारण
करने वाले—अपने जीवन के लोभी इस राम ने हे प्रिये वैदेहि अपने प्रेम के
योग्य कार्य नहीं किया ।

अथवा जैसे :—

उसके गालों की उपमा में लोग [उपमान रूप में] चन्द्रविम्ब को यों
ही रस देते हैं । वास्तविक विचार करने पर तो विचारा 'चन्द्रमा' चन्द्रमा
ही है ।

यहाँ दूसरा चन्द्र शब्द [कथित्व, विलासशून्यत्व, मलिनत्वादि विशिष्ट
चन्द्र अर्थ में] अर्थान्तर संक्रमित वाच्य है ।

३—अविवक्षित वाच्य [लक्षणा मूल ध्वनि] के अन्यन्त तिरस्कृत
वाच्य भेद में वाक्यप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे :—

जो अन्य सब प्राणियों को रात्रि है उसमें सयमी [तत्त्वज्ञानी जितेन्द्रिय
पुरप] जागता [रहता] है । और जहा सब प्राणी जागते हैं वह तत्त्वज्ञानी
मुनिकी रात्रि है ।

४—तस्यैवार्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य वाक्यप्रकाशता यथा —

त्रिसमश्चो^१ काण वि काण त्रि बालेइ अमिअणिन्माओ^२ ।

काण त्रि विसामिअमओ काण वि अत्रिसामओ बालो ॥

[त्रिसमयित^३ केषामपि प्रयात्यमृतनिर्माण^४ ।

कषामपि त्रिसामृतमय कषामप्यत्रिसामृत काल ॥ [इतिच्छाया]

अत्र हि वाक्ये 'त्रिसामृत' शब्दाभ्यां दुःखसुखरूपसंक्रमित-
वाच्याभ्यां व्यवहार इत्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य व्यञ्जकत्वम् ।

इस वाक्य से निशा [पद] और जागरण [बोधक 'जागति' तथा 'जाग्रति' शब्द का वह] कोई अर्थ [मुख्यार्थ] विवक्षित नहीं है। तो [फिर] क्या [विवक्षित] है। [तत्पन्नानी] मुनि की तत्पन्नानल्पिता और अतएव परा-सुखता प्रतिपादित है। इसलिए अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य [निशा तथा जागति, जाग्रति आदि अनेक शब्द रूप वाक्य] की ही व्यञ्जकता है।

४—उसी [अत्रिवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात् लक्षणा मूल ध्वनि] के अधान्तरसंक्रमितवाच्य [भेद] की पद प्रकाशता [का उदाहरण] जैसे —

किन्हीं का समय त्रिसमय [दुःखमय] किन्हीं का अमृत रूप [सुखमय] किन्हीं का त्रिस और अमृतमय [सुख दुःख मिश्रित] और किन्हीं का न त्रिस और न अमृतमय [सुख दुःख रहित] व्यतीत होता है।

इस वाक्य में त्रिस और अमृत शब्द दुःख और सुख रूप अधान्तर संक्रमितवाच्य [रूप में] व्यवहार में आए हैं। इसलिए अधान्तरसंक्रमित वाच्य [अनेक पद रूप वाक्य] का ही व्यञ्जकत्व है।

'या निशा०' और 'केषामपि०' इन दोनों श्लोकों में अनेक पदों के व्यञ्जक होने से वे वाक्यगत व्यञ्जकत्व के उदाहरण हैं। त्रिसमयित 'त्रिसमयता प्राप्त' त्रिसमयित शब्द का अर्थ त्रिसरूपता को प्राप्त है। इस श्लोक में काल की चार अवस्थाएँ प्रतिपादित की हैं। एक त्रिस रूप, दूसरी अमृत रूप, तीसरी उभयात्मक अर्थात् त्रिसामृतरूप और चौथी अनुभवात्मक अत्रिसामृतरूप। पापी और अतिविधेयियों के लिए काल त्रिस रूप अर्थात् दुःखमय, किन्तु पुण्यात्माओं

१ त्रिसमश्चो चित्तम नि० । २ अमिअमओ नि० । ३ त्रिसमय इव नि० ।

४ अमृतमय नि० ।

१—विवक्षिताभिधेयस्थानुरणनरूपव्यङ्ग्याय शब्दशक्त्युद्भवे
प्रभेदे पदप्रकाशता यथा —

प्रातुं धनैरर्थिजनस्य वाञ्छां, दैवेन सृष्टो यदि नाम नास्मि ।

पथि प्रसन्नान्बुधरस्तङ्गागः, क्रूपोऽथवा किन्न जडः कृतोऽहम् ॥ ✓

अत्र हि 'जड' इति पदं निर्विण्णोणं वस्त्रात्मममानाधिकरणतया
प्रयुक्तमनुरणनरूपतया कूपसमानाधिकरणात् स्वशक्त्या प्रतिपद्यते ।

अथवा अत्यन्त अविचेकियों के लिए अमृतमय अर्थात् सुख रूप, किन्हीं मिश्र
कर्म और विवेकाविवेक रूप मिश्र ज्ञान वालों के लिए उभयात्मक सुख-दुःखरूप
और किन्हीं अत्यन्त मूढ़ अथवा योग भूमिका को प्राप्त लोगों के लिए अनुभयात्मक
अर्थात् सुख-दुःख से रहित है । प्रत्येक अवस्था के साथ उत्तमता और
निकृष्टता की चरम सीमा सबद्ध हैं । अत्यन्त पापी के लिए पापों के फल रूप
दुःख भोग के कारण काल दुःखमय है और अत्यन्त विवेकी भी पूर्ण वैराग्ययुक्त
होने से काल को दुःख रूप मानता है । यहा विप और अमृत शब्द दुःख
सुखमयता को बोधन करते हैं इसलिए अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के उदाहरण हैं ।

अविवक्षितवाच्य अर्थात् लक्षणामूल ध्वनि के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य
और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य रूप दोनों भेदों के पदप्रकाशता तथा वाक्य-
प्रकाशता भेद से कुल चार भेद हुए । उन चारों के उदाहरण देकर अब
विवक्षितवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के सलक्षणकम भेद के १५ अर्थान्तर
भेदों में से कुछ उदाहरण आगे देते हैं :—

१ — विवक्षितान्यपरवाच्य [अर्थात् अभिधामूल ध्वनि] के [अन्तर्गत]
सलक्ष्यक्रमध्यङ्ग्य के शब्द शक्त्युद्भव [नामक] भेद में पदप्रकाशता [ना
उदाहरण] जैसे :—

यदि द्रैव ने मुझे धनों से याचक जनों की इच्छा पूर्ण करने योग्य
नहीं बनाया तो दृग्छ जल से परिपूर्ण रास्ते या तालाब या जड [परदुःमान-
भिन्न, किस को किस वस्तु की आरद्र्यरता है इसके समझने की शक्ति से
रहित अतएव जड और शीतल अर्थात् निर्बुद्ध सन्नापादिरहित] कुंआ क्यों न
धना दिया ।

यहा लिख [हुए] वक्ता ने जड शब्द का प्रयोग [आत्म्यमानाधिरण-
तया, अर्थात् अपने को बोध करने वाले अहम् पद के साथ जडोऽहम् इस रूप
में समान विभक्ति, समान वचन में] अपने लिए किया था परन्तु सलक्ष्यक्रम रूप

२- तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा हर्षचरिते सिंहनादवाक्येषु—
‘वृत्तेऽस्मिन् महाप्रलये धरणीधारणायधुना त्वं शेषः !’

एतद्वि वाक्यमनुरणनरूपमर्थान्तरं शब्दशक्त्या स्फुटमेव प्रकाशयति ।

से [स्वशक्ति-शब्द शक्ति-अभिधामूल व्यञ्जना-] द्वारा वह [कूपसमानाधिकरण] कूप का विशेषण बन जाता है ।

वृत्तिकार का आशय यह है कि वक्ता ने जड़ शब्द को ‘जड़ोऽहम्’ इस प्रकार अपने को बोध कराने वाले अहम् पद के साथ समानाधिकरण-समान विभक्ति, समान वचन में प्रयुक्त किया था । समानविभक्त्यन्त-समानाधिकरण-पदों का परस्पर अभेद सम्बन्ध से ही अन्वय होता हैक्यों कि “निपातातिरिक्तस्य नामार्थद्वयस्य अभेदातिरिक्तसंबन्धेनान्वयोऽव्युत्पन्नः” इस सिद्धान्त के अनुसार विशेष्य-विशेषण का अभेदान्वय ही होता है । जैसे ‘नील उत्पलम्’ इन दोनों प्रतिपदिकार्थों का अभेद सम्बन्ध से अन्वय होकर ‘नीलाभिन्न उत्पल’ ‘नीलगुण वदभिन्नमुत्पलम्’ इस प्रकार का शब्द बोध होता है । इसी प्रकार यहा जड़ः पद का अहम् और कूप के साथ अभेदान्वय होगा । दरिद्रता के कारण याचक जनों की इच्छापूर्ति में असमर्थ अत एव लिज हुए वक्ता ने, मुझको जड़ अर्थात् याचकों की आवश्यकता समझने में असमर्थ अतएव इस निवेद सन्ताप से रहित इस अर्थ में जड़ शब्द अपने लिए प्रयुक्त किया था परन्तु शब्द शक्ति [अभिधामूल व्यञ्जना] से वह ‘जड़’ पद कुआ का विशेषण बन जाता है । और जड़ अर्थात् शीतल जल से युक्त, अतएव तृपित पथियों के हित साधक, परोपकार समर्थ, इस अर्थ को व्यक्त करता है ।

२. उसी [निश्चितान्यपरवाच्य अर्थान् अभिधामूल ध्वनि के अन्तर्गत संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के शब्दशक्त्युत्पत्ति भेद] की वाच्य प्रकाशता [का उदाहरण] जैसे [बाणभट्टहत] हर्षचरित [के पाठ उच्छ्वास] में [सेनापति] सिंहनाद के वाक्यों में :—

इस [अर्थान् तुम्हारे पिता प्रभाकरपुत्रेण और ज्येष्ठ भ्राता राज्य-वर्धन की सूर्यरूप] महाप्रलय के हो जाने पर पृथिवी [अर्थान् राज्य भार] को धारण करने के लिए अज तुम शेष [शेषनाग] ही ।

यह वाक्य [इस महाप्रलय के हो जाने पर पृथिवी के धारण करने के लिए अकेले शेषनाग के समान] संलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य [शेषनाग रूप] अर्थान्तर को स्वशक्ति से स्पष्ट ही प्रकाशित करता है ।

३—अस्यैव कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्यार्थशक्त्युद्भवे
प्रभेदे पदप्रकाशता यथा हरिविजये —

चूअकुरावअसं १ छणमप्यसरमहदधणमणहरसुरामोअम ।

असमपिअ पि गहिअ कुसुमसरेण महुमासलच्छिमुहम् ॥

चृतांशुरावतस २ णप्रसरमहार्धमनाहरसुरामोदम् ।

असमपितमपि गृहीत कुसुमशरण मधुमासलक्ष्मीमुखम् ॥

[इतिच्छाया]

अत्र ह्यसमर्पितमपि कुसुमशारेण मधुमासलक्ष्म्या मुख
गृहीतमित्यसमर्पितमपीत्येतदवस्थामिधाय पदमर्थशक्त्या कुसुमशरस्य
बलात्कार प्रकाशयति ।

विवक्षित वाच्य अथात् अभिधामूल ध्वनि के १ शब्द शक्त्युत्थ, २ अर्थ
शक्त्युत्थ और ३ उभय शक्त्युत्थ ये तीन भेद किए थे । उनमें शब्दशक्त्युत्थ
प्रथम भेद के पदप्रकाशता और वाक्यप्रकाशता के दो उदाहरण ऊपर दिया
दिए हैं । अब दूसरे अर्थशक्त्युद्भव भेद के उदाहरण दिखावेंगे । इस अर्थ
शक्त्युद्भव ध्वनि के भी १ स्वत सम्भवी, २ कवि प्रौढोक्ति सिद्ध और ३ कविनिबद्ध
प्रौढोक्तिसिद्ध ये तीन भेद होते हैं इनमें से कविनिबद्धप्रौढोक्तिसिद्ध को
कविप्रौढोक्तिसिद्ध में अन्तर्भूत मानकर उसके अलग उदाहरण नही दिए हैं ।
आगे कविप्रौढोक्तिसिद्ध की पदप्रकाशता और वाक्यप्रकाशता के उदाहरण
देते हैं —

१ इसी [विवक्षितान्यपरवाच्य अथात् अभिधामूल ध्वनि] के कवि
प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध अर्थशक्त्युद्भव भेद में पदप्रकाशता [का उदाहरण]
जैसे [प्रवरसेन कृत प्राकृत रूपक] हरिविजय में —

थाअमन्तरियो से विभूषित, ण [अथात् वसन्तोत्तर] के प्रसार मे
आयन्त मनोहर, सुर [अर्थात् कामदेव] के चमत्कार स युक्त, [पदान्तर में
अहुमूल्य सुन्दर सुरा की सुगन्धि स युक्त] वासन्तो लक्ष्मी के मुख [प्रारम्भ]
को कामदेव न बिना दिए हुए भी [बलात्कार जबरदस्ती से] पकड़ लिया ।

यहा कामदेव ने बिना दिए हुए भी वसन्तलक्ष्मी का मुख पकड़ लिया
इसमें बिना दिए हुए भी इस [नयाइ नायिका की] अरस्था

४—अत्रैव प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथोदाहृतं प्राक्—
“सज्जेहि सुरभिमासो” इत्यादि ।

अत्र सज्जयति सुरभिमासो न तावदर्पयत्यनङ्गाय शरानित्यर्थं
वाक्यार्थं कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो 'मन्मथोन्माथकदनावस्थां'
वसन्तसमयस्य सूचयति ।

५—एतत् सभविशरीरार्थशाम्त्युद्भवप्रभेदे पदप्रकाशता यथा—

त्राणिअत्र हत्तिदन्ता कुत्तो अह्मण वाघकित्ती अ ।

जाव लुलिआलअमुही घरम्मि परिसम्फ सुहा ॥

[वणिजक् हस्तिदन्ता कतोऽस्माक व्यापकृतयश्च ।

यावल्लुलितालनमुसी गृहे परिण्डन्ते स्नुपा ॥ [इतिच्छाया]

का सूचक शब्द अर्थशक्ति से कामदेव के [हठ कामुक व्यवहार रूप]
चलात्कार को प्रकाशित करता है [इसलिए यह कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु से
वस्तु व्यङ्ग्य अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि का उदाहरण है] ।

२ इसी [विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के अर्थ-
शक्त्युद्भव सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य] भेद में वाक्यप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे
“सज्जयति सुरभिमासो” इत्यादि पहिले उदाहरण दे चुके हैं ।

यहां वसन्त मास [चैत्र मास] बाणों को बनाता है परन्तु कामदेव
को दे नहीं रहा है यह कविप्रौढोक्तिमात्र सिद्ध वाक्याथ वसन्त समय की कामो-
द्दीपनातिशयजन्य [विरहिजनो की] दुरस्था को सूचित करता है ।

आगे विवक्षितवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के अर्थशक्त्युद्भव भेद
के अन्तगत स्वतः सम्भवी भेद के पदप्रकाशता और वाक्यप्रकाशता के दो
उदाहरण देते हैं ।

६ [विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के] एतत् सभवी
अर्थशक्त्युद्भव भेद में पदप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे —

हे वणिक् जब तक चञ्चल अलकों [लटों] में युक्त मुख धाखी
पुत्ररधू घर में घूमती है तब तक हमारे यहां हाथीदात और व्याघ्रचर्म कहा
से आए ।

अत्र 'लुलितालकमुखी' इत्येतत् पदं व्याधवध्वाः स्वतःसम्भावित-
शरीरार्थशक्त्या सुरतक्रीडासक्ति सूचयत्तदीयस्य भर्तुः सततसम्भोग-
क्षामता प्रकाशयति ।

६—तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा —

सिद्धिः । पिच्छकण्ठपूरा बहुधा वाहस्स गठिवरी भमइ ।

मुक्ताफलरत्नप्रसाहणार्णं मज्जे सवत्तीणम् ॥

[शिरसिपिच्छकण्ठपूरा भार्या व्याधस्य गर्भिणी भ्रमति ।

मुक्ताफलरचितप्रसाधनाना मध्ये सपत्नीनाम् ॥ [इतिच्छाया]

अनेनाप वाक्येन व्याधवध्वाः शिखपिच्छकण्ठपूराया नवपरि-
शीतायाः कस्याश्चित् सौभाग्यातिशयः प्रकाशयते ।

*तत्सम्भोगैकरतो मयूरमात्रमारणसमर्थः पतिर्जात इत्यर्थप्रकाशनात्
तदन्यासा चिरपरिशीताना मुक्ताफलरचितप्रसाधनाना दौर्भाग्यातिशयः
ख्याप्यते ।

तत्संभोगकाले स एव व्याध. वरिवरवधव्यापारसमर्थ आसी-
दित्यर्थप्रकाशनात् ।

यहा 'लुलितालकमुखी' यह पद स्वतःसम्भोगी अर्थशक्ति से व्याध
वधू [पुत्रपुत्र] की सुरत की क्रीडासक्ति को सूचित करता हुआ उसके पति
[व्याधपुत्र] की निरन्तर सम्भोग से उत्पन्न दुर्बलता को प्रकाशित करता है ।

६—इसा [संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य के अर्थशक्त्युद्भव स्वतः सम्भोगी वस्तु
से वस्तु व्यङ्ग्य] की वाक्यप्रकाशता [का उदाहरण] जैसे :—

[केवल] मोरपत्र का कर्णपूर पहिने हुए व्याध की [नवपरिशीता]
पत्नी, मुक्ताफलों के आभूषणों से अलंकृत सपत्नियों के बीच अभिमान से
फूला हुई फिरती है ।

इस वाक्य से मोरपत्र का कर्णपूर धारण किये हुए नवपरिशीता
किसी व्याध पत्नी का सौभाग्यातिशय सूचित होता है । केवल [रात्रिनि-
हर समय] उसके साथ सम्भोग में रत उसका पति [अथ] केवल मयूरमात्र
के मारने में समर्थ रह गया है । इस अर्थ के प्रकाशन से । पहिले की व्याधी
हुई मोतियों के आभूषणों से सजी अन्य पत्नियों के सम्भोग काल में तो

१. सूचयस्तदीयस्य नि० दी० वा० । २. नि०, दी० में यह अनुच्छेद नहीं है ।

ननु ध्वनि. काव्यविशेष इत्युक्तं तत्कथं तस्य पदप्रकाशता ?
काव्यविशेषो हि विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतु शब्दमन्दर्भविशेषः ।
तद्भावश्च पदप्रकाशत्वे नोपपद्यते । पदाना स्मारकत्वेनावचकत्वात् । १

उच्यते । स्यादेव दोषो यदि वाचकत्व प्रयोजकं ध्वनिव्यवहारे
स्यात् । न त्वेषम् । तस्य व्यञ्जकत्वेन व्यवस्थानात् ।

वही व्याध बढ़े बढ़े हाथियों के मारने में समर्थ था इस अर्थ के प्रकाशन से
उनका दौर्भाग्यातिशय प्रकाशित होता है ।

इस तृतीय उद्योत की प्रथम कारिका में अविवक्षित वाच्य, और विवक्षित वाच्य में सलक्षणम् व्यङ्ग्य नामक भेद के अन्तर्गत, पदप्रकाश और वाक्य-प्रकाश रूप से दो भेद किये थे और तदनुसार अविवाक्षितवाच्य के अर्थान्तर सकेमितवाच्य तथा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य दोनों भेदों के, और विवक्षित वाच्य के शब्दशक्त्युत्पत्तय भेद के, तथा अर्थशक्त्युत्पत्तय के कविप्रौढोक्तिसिद्ध तथा स्वत. सम्भवी भेदों के उदाहरण दिखा चुके हैं । अब व्यञ्जक मुल से किये गए पदप्रकाश और वाक्यप्रकाश इन दो भेदों के विषय में पूर्वपक्ष की यह शङ्का है कि ध्वनि की वाक्यप्रकाशता तो ठीक है परन्तु ध्वनि को पदप्रकाश नहीं माना जा सकता क्योंकि ध्वनि तो काव्यविशेष का नाम है । जैसा प्रथम उद्योत की "यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो । व्यक्त. काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित. ॥१-१३ ।" में कहा गया है । इसका समाधान करने के लिए पूर्व पक्ष उठाते हैं :-

[प्रश्न 'काव्यविशेषः स ध्वनि' इत्यादि कारिकांश मे] काव्य विशेष को ध्वनि कहा है तो वह [काव्यविशेष रूप ध्वनि] पद प्रकाश कैसे हो सकता है । [वाच्य और व्यङ्ग्य रूप] विशिष्ट अर्थ की प्रतीति के हेतु-भूत शब्दसमुदाय को वाच्य कहते हैं । [ध्वनि के] पदप्रकाशत्व [पक्ष] में [विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतु शब्दार्थसन्दर्भत्व रूप] काव्यत्व नहीं बन सकता । क्योंकि पदों के स्मारक होने से उनमें वाचकत्व नहीं रहता । [पद केवल पदार्थस्मृति के हेतु हो सकते हैं । इसलिये यह पदार्थसंमर्ग रूप वाक्यार्थ के वाचक नहीं होते हैं । तब ध्वनि काव्य में पदप्रकाशत्व कैसे रहेगा ।]

[उत्तर] कहते हैं । आपका कहा दोष [पदों के अवाचक होने से

किञ्च काव्यानां शरीरिणामिव संस्थानविशेषावच्छिन्नसमुदायसाध्यापि चारुत्वप्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेषु कल्प्यत इति पदानामपि व्यञ्जकत्वमुत्प्रेन व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारो न विरोधी^१ ।

अनिष्टस्य श्रुतिर्यद्वदापादयति दुष्टताम् ।
श्रुतिदुष्टादिषु व्यक्तं तद्वदिष्टस्मृतिगुणम् ॥
पदानां स्मारकत्वेऽपि पदमात्रावभासिनः ।
तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सर्वेष्वेवास्ति रम्यता ॥
विच्छिन्तितिशोभिनैकेन भूषणेनेव कामिनी ।
पदद्योत्येन सुकवेर्ध्वनिना भाति भारती ॥

इति परिकरश्लोकाः—

ध्वनि में पदप्रकाशता की अनुपपत्ति] तब आता यदि वाचकत्व को ध्वनि-व्यवहार का प्रयोजक माना जाय । परन्तु ऐसा तो है नहीं । ध्वनि व्यवहार तो व्यञ्जकत्व से व्यवस्थित होता है ।

तात्पर्य यह है कि यदि वाचकत्व के कारण ध्वनि व्यवहार होता तब तो यह कहा जा सकता था कि पदों के वाचक न होने से ध्वनि, पदप्रकाश नहीं हो सकता । परन्तु ध्वनि व्यवहार का नियामक तो वाचकत्व नहीं व्यञ्जकत्व है । इसलिए पद भले ही स्मारक मात्र रहे, वाचक न हों तो भी यह ध्वनि के व्यञ्जक तो हो ही सकते हैं । इसलिए आपका दोष ठीक नहीं है । यह यथार्थ उत्तर नहीं अपितु प्रतिबन्दी उत्तर है । लोचनकार ने इसे छलोत्तर कहा है । अतः दूसरा यथार्थ उत्तर देते हैं ।

इसके अतिरिक्त जैसे शरीरधारियों [नायक-नायिकादि] में सौन्दर्य की प्रतीति अत्यवसङ्गटनाविशेष रूप समुदायसाध्य होने पर भी अन्वय-व्यतिरेक से [सुखादि रूप] अत्यवों में मानी जाती है । इसी प्रकार व्यञ्जकत्व मुख से पदों में ध्वनि व्यवहार की व्यवस्था मानने में [कोई विरोध नहीं है ।

जैसे [पाणि पहलपेलः इत्यादि उदाहरणों में पेलव आदि शब्द के असम्भार्य के वाचक न होने पर भी व्यञ्जकमात्र होने से] श्रुतिदुष्टा [दोष स्थलों] में अनिष्ट अर्थ के अवगमात्र [अनिष्ट अर्थ की सूचनामात्र

यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिवर्णपदादिषु ।

वाक्ये सङ्घटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥ २ ॥

तत्र वर्णानामनर्थकत्वाद् द्योतकत्वमसम्भवि^१ इत्याशङ्क्येद-
मुच्यते ।

से [काव्य में] दुष्टता आजाती है । इसी प्रकार [ध्वनि स्थल में] पदों से इष्टार्थ की स्मृति भी गुण [ध्वनि व्यवहार प्रवर्तक] ही सकती है ।

इसलिए पदों के स्मारक होने पर भी एक पदमात्र से प्रतीत होने वाले ध्वनि के सभी प्रयोगों में रम्यता रह सकती है ।

[और] विशेष शोभाशाली एक [ही शब्द में धारण किए हुए] आभू-
पण से भी जैसे कामिनी शोभित होती है इसी प्रकार पदमात्र से द्योतित होने वाले ध्वनि से भी सुकवि की भारती शोभित होती है ।

यह परिकर [कारिकाकृत अर्थ से अतिरिक्त अर्थ को प्रतिपादन करने वाले] श्लोक हैं ।

अविनक्षित वाच्य ध्वनि के दोनों अचान्तर भेदों के और उसके बाद विवक्षितवाच्य ध्वनि के असलक्ष्यम व्यङ्ग्य के अचान्तर भेदों के व्यञ्जक मुख से पदप्रकाश और वाक्यप्रकाश दोनों भेद सोदाहरण प्रदर्शित कर दिए । अब विवक्षित वाच्य ध्वनि के दूसरे भेद असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के १ वर्ण पदादि, २. वाक्य ३. सङ्घटना और ४. प्रबन्धाश्रित चार भेद दिखाते हैं । यहाँ वर्णपदादिषु को एक ही भेद माना है । वैसे प्रकृति प्रत्यय आदि भेद से यह अनेक भेद हो सकते हैं । परन्तु सम्प्रदाय के अनुसार इन पदपदाश की गणना एक ही भेद में की जाती है । अतः असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के चार भेद ही परिगणित होते हैं । इस उद्योत के प्रारम्भ में ध्वनि के ५१ भेदों की गणना करते हुए हमने इन चारों को दिखा दिया था । मूल कारिकाकार इन चारों भेदों को दिखाते हैं ।

और जो असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [नामक विवक्षितान्वयपर वाच्य अभिधा-
मूल ध्वनि का भेद] यह १. वर्णपदादि, २ वाक्य ३. सङ्घटना और ४. प्रबन्ध
में भी प्रकाशित होता है ।

उनमें से वहाँ के अनर्थक होने से उनका ध्वनि द्योतकत्व असम्भव है
इस आशङ्का से [सम्भव है कोई ऐसी आशङ्का करे इसलिए] यह कहते हैं —

शषौ सरेफसंयोगौ ढकारश्चापि भ्रूयसा ।

विरोधिनः स्युः शृङ्गारे तेन वर्णा रसच्युतः ॥ ३ ॥

त एव तु निवेश्यन्ते धीभत्सादौ रसे यदा ।

तदा तं दीपयन्त्येव ते न वर्णा रसच्युतः ॥ ४ ॥

श्लोकद्वयेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां वर्णानां द्योतकत्वं दर्शितं भवति ।

पदे चालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य द्योतनं यथा :—

रेफ के संयोग से युक्त श, प और ढकार का बहुलप्रयोग रसच्युत [रसापकर्षक] होने से शृङ्गार रस में विरोधी होते हैं । [अथवा लोचन में ते न को दो पद और रसरच्युतः पाठ मान कर, वे वर्ण रस को प्रमाहित करने वाले नहीं होते, यह व्याख्या भी की है ।]

और जब वे ही वर्ण धीभत्सादि रस में प्रयुक्त किये जाते हैं तो उस रस को दीप्त करते ही हैं । वे वर्ण रस हीन नहीं होते । [अथवा तेन को एक पद और रसरच्युतः पाठ मान कर, इसलिए वह वर्ण रस के चरण करने वाले प्रमाहित करने वाले होते हैं, यह व्याख्या भी लोचन की है ।]

यहां इन दोनों श्लोकों से पदों की द्योतकता अन्वय व्यतिरेक से प्रदर्शित की है ।

इन दो श्लोकों में अन्वय-व्यतिरेक से वर्णों की द्योतकता सिद्ध है । अन्वयव्यतिरेक में साधारणतः पहिले अन्वय और पीछे व्यतिरेक का प्रदर्शन होता है परन्तु यहां प्रथम श्लोक में व्यतिरेक और दूसरे में अन्वय का प्रदर्शन किया गया है । इसलिए वृत्तिकार ने श्लोकाभ्यां न कह कर श्लोकद्वयेन कहा है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि यहां अन्वय-व्यतिरेक का यथासंख्य अन्वय न करके यथायोग्य अन्वय करना चाहिए । कारिका में 'वर्णान्दादिषु' यह निमित्त सप्तमी वर्णादि की सहकारिता द्योतन के लिए ही की है । 'वर्णैरेव रसाभिःशक्तिः' ऐसा नहीं कहा है । रसाभिःशक्तिः में वर्ण तो केवल सङ्करिमाण है । मुख्य कारण तो विभावादि हैं ।

पद में असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के द्योतन का उदाहरण] जैसे :—

[वत्सराज उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता के आग में जल कर मर जाने

उत्कम्पिनी भयपरिस्त्रलितांशुक्रान्ता,
ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती ।
क्रूरेण दारुणतया सहसैव दग्धा,
धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षिताऽसि ॥

'अत्र हि 'ते' इत्येतत् पदं रसमयत्वेन स्फुटमेवावभासते
सहृदयानाम् ।

का समाचार सुनकर विलाप कर रहे हैं, उसी प्रसङ्ग में से यह श्लोक है । राजा
कह रहे हैं] :—

[आग के डर से] कांपती हुई, भय से विगलितवसना, उन [कातर]
नेत्रों को [रक्षा की आशा में] सब दिशाओं में केंकती हुई, तुम्हको, अत्यन्त
निष्ठुर एवं धूमान्ध अग्नि ने [एक बार] देखा भी नहीं और निर्दयतापूर्वक
एकदम जला ही डाला ।

यहा 'ते' यह पद सहृदयों को स्पष्ट ही रसमय प्रतीत होता है ।

यहा 'उत्कम्पिनी' पद से वासवदत्ता के भयानुभावों का उत्प्रेक्षण है ।
'ते' पद उसके नेत्रों के स्वसवेद्य, अनिर्बचनीय, विभ्रमैकायतनत्वादि अनन्त
गुणगण की स्मृति का द्योतक होने से रसाभिव्यक्ति का असाधारण निमित्त हो
रहा है । और उसका स्मर्यमाण सौन्दर्य इस समय अतिशय शोकावेश में
निमाररूपता को प्राप्त हो रहा है । इस प्रकार 'ते' पद के विशेष रूप से रसाभि-
व्यञ्जक होने से यहा शोक रूप स्थायी भाव वाला कथन रस प्रधानतया इस 'ते'
पद से अभिव्यक्त हो रहा है । रस प्रतीति यत्रपि मुख्यतः विभावादि से ही होती है
परन्तु वे विभावादि जत्र किसी विशेष शब्द से असाधारण रूप से प्रतीत होते हैं
तत्र वह पदत्रोत्य ध्वनि कहलाता है ।

निर्णयसागरीय सस्वरण में, इसके बाद यह श्लोक भी पाया
जाता है .—

भ्रमिन्ति कनकचिने तत्र दृष्टे कुरङ्गे,
रभसप्रकसितास्ते दृष्टिपाताः त्रिशयाः ।
पत्रन यलुलितानामुत्पलाना पलाश-
प्रकग्मिनः निरन्त स्मर्यमाणा दहन्ति ॥

उस विचित्र कनकमृग को वहा दस्तते ही वेग में गिरल उठने वाले

पदानयवेन द्योतन यथा —

त्रोडयोगान्नतवदनया सन्निधाने गुरुणा,
बद्धोत्कम्प कुचकलशयोर्मन्युम तनिगृह्य ।
तिष्ठैत्युक्त किमिव न तथा यत् समुत्सृज्य वाष्प,
मय्यासक्तश्चकितहृग्णिहारिनेत्रत्रिभाग ॥

इत्यत्र 'त्रिभाग' शब्द ।

वाक्यरूपश्चालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनि शुद्धोज्ज्वलहारसङ्कीर्णश्चेति
द्विधा मत । तत्र शुद्धस्योदाहरण यथा रामाभ्युदये, "कृतककुपितै"
इत्यादि श्लोक ।

श्रौर पवनविकम्पित उत्पलों के पत्र समूह से चारों ओर विखेरते हुए प्रिया [सीता]
के चेहरे टिपात याद आकर आज जलाते हैं ।

यहाँ भी 'ते' शब्द अलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का द्योतक है । लोचनहार ने
इस श्लोक पर कोई टिप्पणी नहीं की है । अतः यह मूलपाठ नहीं जान पड़ता
इसी से हमने मूल पाठ में उसको स्थान नहीं दिया है ।

पद के अरथयव स [अस्तलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के] द्योतन [का उदा
हरण] जैसे —

गुरवर्णों [साम स्वर आदि] के समीप होने के कारण लग्ना से
सिर मुड़ाए, कुचकलशों को विकम्पित करने वाले मन्यु [सुखागे] को
हृदय में [ही] दयाकर [भी] आम् टपटात हुए चकित हरिणी [के टि
पात] के समान हृदयारुपक नेत्र त्रिभाग [स जो कटाए] जो मुँह पर फँका
सो क्या उसने तिष्ठ — यहाँ मत जाया— यह नहीं कहा ।

यहाँ त्रिभाग शब्द । [गुरवर्णों की उपेक्षा करके भी जैसे जैसे अभि
लाप, मन्यु शैल्य, गजादि त मथर जो मरी आर दया था उसके स्मरण
से, प्रथम विप्रलम्भ का उद्दीपन मुपात त्रिभाग शब्द के महयाग में हाथा
है । अतः अथ वह लग्न समस्त पद के अरथयव रूप त्रिभाग पद में चाप्य
पदानयवेनाय अस्तलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का उदाहरण है]

वाक्यरूप अस्तलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि शुद्ध और अलक्ष्यसङ्कीर्ण को
प्रकार का हाथा है । इनमें शुद्ध का उदाहरण जैसे रामाभ्युदये में 'कृतक
कुपितै' इत्यादि श्लोक ।

एतद्धि वाक्यं परस्परानुरागं परिपोषप्राप्तं प्रदर्शयन् सर्वत एव परं रसतत्त्वं प्रकाशयति ।

अलङ्कारान्तरसङ्कीर्णं यथा, “स्मरनवनदीपूरेणोढा” इत्यादि श्लोकः ।

पूर्ण श्लोक इस प्रकार है .—

कृतकमुपितैर्वाष्पाम्भोभि सदैवविलोकितै,
वनमपि गता यस्य प्रीत्या धृतापि तथाऽभवया ।
नवजलधरश्यामाः पश्यन् दिशो भवता विना,
कठिनहृदया जीवत्येव प्रिये स तव प्रियः ॥ [रामाम्बुदये]

माता [कौशल्य] के उस प्रकार रोकने पर भी जिस [राम] के प्रेम के कारण तुम [सीता] ने वन जाने का कष्ट भी उठाया । हे प्रिये ! तुम्हारा वह कठोरहृदय प्रिय [राम] अभिनव जलधरों से श्यामवर्ण दिङ्मण्डल को वनापटी क्रोधयुक्त, अश्रुपूर्ण और दीन नेत्रों से देखता हुआ जी ही रहा है ।

दीधितिकार ने प्रथम चरण के विशेषणों को ‘वनमपि गता’ के साथ जोड़ा है । अर्थात् वनापटी क्रोध आदि हेतुओं से वन की भी गई—यह अर्थ किया है ।

यह वाक्य परिपुष्टि को प्राप्त [सीता और राम के] परस्परानुराग को प्रदर्शित करता हुआ सब आर [सब शब्दों से, सम्पूर्ण वाक्य रूप] से ही रसतत्त्वं को अभिव्यक्त करता है ।

अलङ्कारान्तर से सङ्कीर्ण [मिश्रित वाक्य प्रकाश अमलपद्यम व्यङ्ग्य ध्वनि का उदाहरण] जैसे .—‘स्मरनवनदीपूरेणोढा.’ इत्यादि श्लोक ।

पूरा श्लोक इस प्रकार है :—

स्मरनवनदीपूरेणोढा. पुनर्गुहसेतुमि,
यदपि विधुत्तस्तिष्ठन्त्यारादपूर्णमनोरथाः ।
तदपि लिपितप्रखैरंङ्गै. परस्परमुन्मुखा.,
नयननलिनीनालानीत विभन्ति रस प्रियाः ॥ [अमरकशतक १०४]

‘राम’ रूप अमिनन नदी की बाढ़ में बहते हुए [परन्तु गुह अर्थात् माता पिता, सास श्वशुर आदि गुहजन और पक्षान्तर में निराल] गुहजन रूप निराल बाधों से रोके गए अदूर्यकाम प्रिय [प्रिया और प्रिय] यद्यपि दूर-दूर [अलग-अलग या पाठ-वास] आराद् दूरसमीपयो.’ आरात् पद दूर और समीन

अत्र हि रूपेण यथोक्तव्यञ्जकलक्षणानुगतेन प्रसाधितो रस सुतरामभिव्यज्यते ॥१॥

अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य सहटनाया^१ भासते ध्वनिरित्युक्त, तत्र सहटनास्वरूपमेव तावन्निरूप्यते —

असमासा, समासेन मध्यमेन च भूषिता । ✓

तथा दीर्घसमासेति त्रिधा सहटनोदिता ॥ ५ ॥

कैश्चित् ॥१॥

दोनों अर्थों का बोधक होता है ।] बैठे रहते ह परन्तु चित्रलिपित सदृश [निश्चल] अङ्गों से [उमलक्षणे तृतीया] एक दूसरे को निहारते हुए नेत्ररूप कमलनाल द्वारा लाए गए [खांचे जाते हुए] रस का पान करते हैं ।

यहा व्यञ्जन [अलङ्कार] के यथोक्त [दूसरे उद्योत की १८ वीं कारिका में कहे हुए 'प्रियशातत्परत्वे०, नाति निर्यहस्यैषिता' इत्यादि] लक्षणों से युक्त, [अनिव्यूढ] रूपक [अलङ्कार] से अलङ्कृत [विभायादि के अलङ्कृत होने से रस को भी अलङ्कृत कहा है] रस भली प्रकार अभिव्यक्त होता है ।

[यहा 'स्मरनप्रनदी' से रूपक प्रारम्भ हुआ और 'नयननलिनी-नालानोतं पियन्ति रसं' से समाप्त । परन्तु बीच में नायकयुगल पर संसादि का आरोप न होने से रूपक अनिव्यूढ रहा] ॥१॥

अरुलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि सहटना में [भी] अभिव्यक्त होता है यह [इसी उद्योत की दूसरी कारिका में] कह चुके हैं । हममें सहटना के स्वरूप का ही मसल पहिले निरूपण करते हैं —

१ [सर्वथा] समास रहित, २ मध्यम [ध्रेणी के, छोटे छोटे] समासों से अलङ्कृत, और ३. दीर्घसमासयुक्त [होन म] सहटना तीन प्रकार की मानी है ।

[वामन, उद्धट आदि] बुद्ध [विद्वानों] ने ।

'श्रीत सम्प्रदाय' साहित्य का एक विशेष सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदाय के मुख्य प्रतिष्ठापक 'वामन' हैं । उन्होंने अपने 'अव्यलङ्कार सूत्र' में 'श्रीति' का वाच्य का आभा माना है । 'श्रीतिनामा काव्यत्वं' का० अ० २, ६ ।

यह उनका प्रसिद्ध सूत्र है। 'रीति' का लक्षण 'विशिष्टपदरचना रीतिः'। का० अ० २, ७ और विशेष का अर्थ 'विशेषो गुणात्मा'। का० अ० २, ८ किया है। अर्थात् विशिष्ट पद रचना का नाम 'रीति' है। पदरचना का वैशिष्ट्य उसकी गुणात्मकता है। इस प्रकार गुणात्मक पदरचना का नाम 'रीति' है। यह 'रीति' का लक्षण हुआ।

'सा त्रिधा, वैदभा, गौडीया, पाञ्चाली चेति।' का० अ० २, ९। यह रीति तीन प्रकार की मानी गई है—१. वैदभा, २. गौडी और ३. पाञ्चाली। 'विदर्भादिपुष्टत्वात् तत्समाख्या'। का० अ० २, १० विदर्भादि प्रदेशों के कवियों में विशेष रूप से प्रचलित होने के कारण उनके वैदर्भा आदि देशसंज्ञामूलक नाम रत्न दिए गए हैं। उनमें से 'समप्रगुणा वैदभा' का० अ० २, ११। श्रोज. प्रसादादि समप्रगुणों से युक्त रचना को वैदर्भा रीति कहते हैं। 'श्रोज. कान्तिमती गौडी'। का० अ० २, १२। श्रोज और कान्ति गुणों से युक्त रीति गौडी कही जाती है। इसमें माधुर्य और सौकुमार्य का अभाव रहता है, समासबहुल उग्र पदों का प्रयोग होता है। 'माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली'। का० अ० २, १३। माधुर्य और सौकुमार्य से युक्त रीति पाञ्चाली कहलाती है। 'सात्रि समासाभवे पुद्गा वैदर्भा'। जिसमें सर्वथा समास का अभाव हो उसे विशेष रूप से शुद्ध वैदभा कहते हैं। इस प्रकार वामन ने रीतियों का विवेचन किया है।

वामन से पूर्व इस 'रीति' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। दशदी ने 'सी को 'मार्ग' नाम से व्यवहृत किया है परन्तु अधिक प्रचलित न होने से इसका लक्षण नहीं किया है। और दशदी के पूर्ववर्ती साहित्यशास्त्र के आचार्य भामह ने तो न 'मार्ग' अथवा 'रीति' शब्द का उल्लेख ही किया है और कोई लक्षण आदि। इस प्रकार 'रति सम्प्रदाय' के आदि प्रतिष्ठापक वामन ही टहरते हैं। रचना की विशेष पद्धति का नाम 'रीति' है। दशदी उसको 'मार्ग' नाम से कहते हैं। आधुनिक हिन्दी में उसको 'शैली' कहते हैं। गानन्दवर्धनाचार्य ने उसी को 'सङ्गटना' नाम से निर्दिष्ट किया है। 'वामन' तीन रीतियाँ मानी थीं। गानन्दवर्धनाचार्य ने भी १. 'असमासा' से वैदभा, 'समासेन मध्यमेन च भूषिता' से पाञ्चाली, और २. 'दीर्घसमासा' से गौडी का रूपण करते हुए तीन ही सङ्गटनाप्रकार या रीतियाँ मानी हैं। 'शजशम्बर' यद्यपि 'कूर्मसूरी' की नान्दी में 'मागधी रीति' का भी उल्लेख किया है तब भी चौथी मागधी रीति के निर्देश में उनके मने जाने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। 'भोजराज' ने उन चार में क'अवनेक रीति' का नाम और जोड़ दिया और इस प्रकार पाँच रीतियाँ

तां केवलमनूद्येदमुच्यते :—

गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती, माधुर्यादीन्, व्यनक्ति सा ।
रसान्,

मानी है। यो हर देश की रीति में कुछ वैलक्षण्य हो सकता है। उस दृष्टि से विभाग करें तो अनन्त विभाग होते जावेंगे। इसलिए अधिकांश आचार्यों ने मुख्य तीन ही रीतिया मानी हैं और तीन ही का निर्देश आनन्द-वर्धनाचार्य ने भी किया है।

यद्यपि आनन्दवर्धनाचार्य रीति सम्प्रदाय के मानने वाले नहीं ह। अपितु वे 'ध्वनि सम्प्रदाय' के संस्थापक हैं। वह 'रीति' को नहीं अपितु ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। फिर भी उन्होंने रीतियों का विवेचन बढ़े विस्तार के साथ किया है। 'रीति' का रस से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है इस तथ्य का विवेचन आनन्दवर्धन ने ही सबसे पहिले किया है। प्रकृत प्रसङ्ग में 'सङ्घटनास्वरूपमेव तावन्निरूप्यते' से सङ्घटना अथवा 'रीति' के विवेचन के आरम्भ करने की प्रतिज्ञा कर, बहुत विस्तारपूर्वक उसकी विवेचना प्रारम्भ करते हैं ॥५॥

उस [पूर्ववर्ती वामन आदि प्रतिपादित रीति अथवा सङ्घटना] का केवल अनुवाद करके यह कहते हैं :—

माधुर्यादि गुणों को आश्रय करके स्थित हुई वह [सङ्घटना] रसों को अभिव्यक्त करती है।

'गुणानाश्रित्य' कारिका के इन शब्दों से सङ्घटना और गुणों का सम्बन्ध प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध के विषय में तीन विकल्प हो सकते हैं। वामन ने 'विशिष्टपदरचना रीतिः' और 'विशेषो गुणात्मा' लिखा है। इससे 'विशिष्ट पदरचना' रूप रीति का गुणात्मकत्व अर्थात् गुणों से अभेद 'वामन' को अभिप्रेत प्रतीत होता है। इसलिए पहिला पक्ष, गुण और रीति को 'अभेद' पक्ष बनता है। इस पक्ष में कारिका के 'गुणानाश्रित्य' आदि भाग की व्याख्या इस प्रकार होगी, 'गुणान्', आत्मभूतान्, माधुर्यादीन्, गुणान्, आश्रित्य तिष्ठन्ती सङ्घटना रसादीन् व्यनक्ति। अर्थात् अपने स्वरूपभूत माधुर्यादि गुणों

१. नि० सा० संस्करण में 'रसान्' की जगह 'रस' पाठ है और पूरी कारिका एक साथ छपी है।

'सा सङ्घटना रसादीन् व्यनक्ति गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीति ।
अत्र च विकल्प्यं, गुणानां सङ्घटनायाश्चैक्यं व्यतिरेको वा ।
व्यतिरेकेऽपि द्वयी गतिः । गुणाश्रया सङ्घटना, सङ्घटनाश्रया वा गुणा
इति ।

के आश्रित स्थित सङ्घटना रसों को व्यक्त करती है । इस पक्ष में गुण और
सङ्घटना के अभिन्न होने पर भी आश्रितत्व व्यवहार 'इह वने तिलका' आदि के
समान गौण है ।

दूसरे पक्ष में गुण और रीति भिन्न-भिन्न मानी गई हैं । इन भिन्नता-
वादियों में भी दो विकल्प हो जाते हैं । एक 'सङ्घटनाश्रया गुणा' अर्थात् सङ्घटना
के आश्रित गुण रहते हैं और दूसरा 'गुणाश्रया वा सङ्घटना' सङ्घटना गुणों के
आश्रित रहती है । इन दोनों भेदों में से 'सङ्घटनाश्रया गुणा' यह पक्ष भट्टोज्ज्वल
आदि का है । उन्होंने गुणों को सङ्घटना का धर्म माना है । धर्म सदा धर्मा व
आश्रित रहता है इसलिए गुण सङ्घटना के आश्रित रहते हैं । अर्थात् गुण आश्रय
और सङ्घटना आधार रूप है । इस पक्ष में 'गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती' इस कारिका
की 'आश्रयभूतान् गुणान्, आश्रित्य' अर्थात् आश्रय रूप गुणों के आश्रय से
सहयोग से सङ्घटना रसादि को व्यक्त करती है—इस प्रकार व्याख्या होगी ।

तीसरा पक्ष 'गुणाश्रया सङ्घटना' अर्थात् 'सङ्घटना गुणों व आश्रित रहती
है' यह सिद्धान्त पक्ष है । यही आनन्दवर्धनाचार्य का अभिमत पक्ष है । इसमें
'गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ता' अर्थात् आधारभूत गुणा के आश्रित स्थित होने वाली
सङ्घटना रसादि को व्यक्त करती है । इस प्रकार यद्यपि अन्तिम पक्ष ही आलोक-
कार का अभिमत पक्ष है फिर भी उन्होंने तीनों पक्षों में कारिका की सङ्गति
लगाने और तीनों मतों के अनुसार सङ्घटना का रसाभिव्यक्ति के साथ धनिष्ठ
सम्बन्ध दिखाने का यत्न किया है । यही ऊपर की मूल पक्तियों का सारांश है ।
उनका शब्दानुवाद इस प्रकार है —

वह सङ्घटना गुणों के आश्रित होकर रसादि को अभिव्यक्त करती है ।
यहां [इस प्रकार] विकल्प करने चाहिये । गुणों का और सङ्घटना का ऐक्य
[अभेद] है अथवा भेद [व्यतिरेक] । व्यतिरेक [भेद पक्ष] में भी दो मार्ग
हैं । गुणाश्रित सङ्घटना [है] अथवा 'सङ्घटनाश्रित गुण' [है] ।

तत्रैस्यपक्षे सङ्घटनाश्रयगुणपक्षे च गुणानात्मभूतान्, आधेय-
भूतान् वाश्रित्य तिष्ठन्ती सङ्घटना रसादीन् व्यनक्तीत्ययमर्थः । यदा
तु नानात्वपक्षे^१ गुणाश्रयसङ्घटनापक्षः^२, तदा गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती
गुणपरतन्त्रस्वभावा न तु गुणरूपैवेत्यर्थः ।

किं पुनरेवं विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ?

अभिधीयते । यदि गुणाः सङ्घटना चेत्येकं तत्त्वं, सङ्घटनाश्रया वा
गुणाः, तदा सङ्घटनाया इव^३ गुणानामनियतविषयत्वप्रसङ्गः । गुणानां
हि माधुर्यप्रसादप्रकर्षः करुणविप्रलम्भशृङ्गारविषय एव । रौद्राद्भुतादि-
विषयमोजः । माधुर्यप्रसादौ रसभावतदाभासविषयाथेव । इति विषय-
नियमो व्यवस्थितः । सङ्घटनायास्तु स विघटते । तथाहि शृङ्गारेऽपि
दीर्घसमासा दृश्यते^४, रौद्रादिष्वसमासा^५ चेति ।

इनमें से [गुण और सङ्घटना के] १ 'अभेद पक्ष' में और २ 'सङ्घटनाश्रित
गुण पक्ष' [इन दो पक्षों] में आत्मभूत ['अभेद पक्ष' में] अथवा आधेयभूत
['सङ्घटनाश्रित गुण पक्ष' में] गुणों के आश्रय से स्थित होती हुई सङ्घटना रसादि
को व्यक्त करती है—यह अर्थ होता है । जब [गुण और सङ्घटना के] 'भेद
पक्ष' में 'गुणाश्रित सङ्घटना पक्ष' [सिद्धान्तपक्ष] लें तब गुणों के आश्रित स्थित
[अर्थात्] गुणों के अश्रित स्वभाव-वाली-गुणस्वरूप ही नहीं—[सङ्घटना रसों
को अभिव्यक्त करती है] यह अर्थ होगा ।

[प्रश्न] इस प्रकार विकल्प करने का क्या प्रयोजन है ?

[उत्तर] बताते हैं । यदि गुण और सङ्घटना एक तत्व हैं [इनका
अभेद है यह मानें तो] अथवा सङ्घटना के आश्रित गुण रहते हैं [यह पक्ष
मानें] तो सङ्घटना के समान गुणों का भी अनियत विषयत्व हो
जायगा । गुणों का [विषय नियत है 'विषयनियमो व्यवस्थित.'
इन आगे के शब्दों से अन्वय है] तो विषय नियम निश्चित है । जैसे, करुण
और विप्रलम्भ शृङ्गार में ही माधुर्य और प्रसाद का प्रकर्ष [होता है] ओज,
रौद्र और अद्भुत विषय में [ही प्रधानत रहता है] माधुर्य और प्रसाद, रस,
भाव और तदाभास विषयक हो होते हैं । [इस प्रकार गुणों का विषय-नियम

१. यदा तु नानात्वपक्षो नि० दी० । २. गुणाश्रय सङ्घटनापक्षश्च नि० ।

३. गुणाश्रयसङ्घटनापक्षश्च दी० । ३. गुणानामनियतविषयत्वप्रसङ्ग दी० ।

४. दृश्यन्ते नि० दी० । ५. असमासाश्चेति नि० दी० ।

तत्र शृङ्गारे दीर्घसमासा यथा,—‘मन्दारकुसुमरेणुपिञ्जरितालका’ इति ।

यथा वा—

अनवरतनयनजललवनिपतनपरिमुपितपत्रलेखं^१ ते ।

करतलनिपण्णमबले चदनमिदं कं न तापयति ॥

इत्यादौ ।

तथा रौद्रादिष्वप्यसमासा दृश्यते^२ । यथा—‘यो यः शस्त्रं विभर्ति स्वभुजगुरमद्’ इत्यादौ ।

यना हुआ है । परन्तु] सङ्घटना में वह विगड़ जाता है । क्योंकि शृङ्गार में भी दीर्घसमासा [रचना—सङ्घटना—] पाई जाती है और रौद्रादि रसों में भी समास रहित [रचना पाई जाती है ।]

उनमें से शृङ्गार में दीर्घसमास वाली [रचना सङ्घटना का उदाहरण] जैसे—‘मन्दारकुसुमरेणुपिञ्जरितालका’ यह पद । [यह उदाहरण शृङ्गार में दीर्घसमास वाली रचना का दिया है । परन्तु पूर्ण प्रकरण सामने न होने से यहाँ शृङ्गार की कोई प्रतीति नहीं होती । इसलिए यह उदाहरण ठीक नहीं है यदि कोई ऐसा आशङ्का करे तो उसके सन्तोष के लिए दूसरा उदाहरण देते हैं ।]

अथवा जैसे—

हे अथले, निरन्तर अध्रु यिन्दुओं के गिरने से मिटी हुई पत्रावली वाला और हथेली पर रखा हुआ [दुःख का अभिमुख्य जक] तुम्हारा सुर निम को सन्तप्त नहीं करता । इत्यादि में ।

और रौद्रादि में भी समामरहित [रचना सङ्घटना] पाई जाती है ।

जैसे—‘यो यः शस्त्रं—विभर्ति स्वभुजगुरमद्, इत्यादि [पूर्व उदाहरण श्लोक] में [समास रहित सङ्घटना है ।]

यदि गुणों को सङ्घटना से अभिन्न या सङ्घटना पर आश्रित माने तो जैसे असमास और दीर्घसमास रचना को विषय व्यवस्था नहीं पाई जाती है इसी प्रकार गुणों को भी विषय नियम से रहित मानना होगा । परन्तु गुणों का विषय नियम व्यवस्थित है ।

तस्मान्न सङ्घटनास्वरूपाः, न च सङ्घटनाश्रया गुणाः^१ ।

ननु यदि सङ्घटना गुणानां नाश्रयस्तत्^२ किमालम्बना एते परि-
कल्प्यन्ताम्^३ ।

उच्यते : प्रतिपादितमेवैषामालम्बनम् ।

‘तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः ।

अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत् ॥’

इसलिए गुण न तो सङ्घटनारूप हैं और न तो सङ्घटनाश्रित हैं ।

[प्रश्न] यदि सङ्घटना गुणों का आश्रय नहीं है तो फिर इन [गुणों] को किसके आश्रित मानेंगे ?

[उत्तर] इनका आश्रय [द्वितीय उद्योत की छठी कारिका में] बता ही चुके हैं । [वह कारिका नीचे फिर उद्धृत कर दी है । जैसे]

जो उस प्रधानभूत [रस] का अवलम्बन करते हैं [रस के आश्रय रहते हैं] वह गुण कहलाते हैं । और जो उसके अङ्ग [शब्द तथा अर्थ] क आश्रित रहते हैं वे कटक कुण्डल आदि के समान अलङ्कार कहलाते हैं ।

प्रश्न कर्ता का आशय यह है कि शब्द, अर्थ और सङ्घटना यह तीन ही गुणों के आश्रय हो सकते हैं । उनमें से शब्द या अर्थ को गुणों का आश्रय मानने से तो वह शब्दालङ्कार अथवा अर्थालङ्कार रूप ही हो जावेंगे । अर्थात् अलङ्कारों से भिन्न उनका अस्तित्व नहीं रहेगा । गुणों का अलङ्कारों से अलग अस्तित्व बनाने के लिए एक ही प्रकार है कि उनको सङ्घटना रूप अथवा सङ्घटनाश्रित माना जाय । यदि आप उसका भी खरडन करते हैं तो फिर गुणों का आश्रय और क्या होगा ।

इसके उत्तर का आशय यह है कि गुणों का आश्रय मुख्यतः रस है जैसा कि दूसरे उद्योत की छठी कारिका में कहा जा चुका है । और गौण रूप से उनको शब्द तथा अर्थ का धर्म भी कह सकते हैं । गौण रूप से शब्द तथा अर्थ का धर्म मानने पर भी शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार से उनका अभेद नष्ट होगा, क्योंकि अनुप्रासादि अलङ्कार अर्थापेक्षा रहित शब्द धर्म है, अर्थात् अनुप्रासादि में अर्थ विचार की आवश्यकता नष्ट होती । और गुण, व्यङ्ग्यार्थ-वभासक वाच्यसापेक्ष शब्द धर्म है । अर्थात् गुणों की स्थिति के लिए व्यङ्ग्यार्थ के विचार की आवश्यकता होती है ।

१. नि० तथा दो० में इस 'गुणाः' पद को तस्मान्न के बाद रखा है ।

२. तर्हि दो० । ३. परिवर्त्यन्ते नि० ।

अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणाः । न चैपामनुप्रासादितुल्यत्वम्^१ । यस्मादनुप्रासादयो ऽनपेक्षितार्थशब्दधर्मा^२ एव प्रतिपादिताः^३ । गुणास्तु व्यङ्ग्यविशेषावभासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थशब्दधर्मा एव^४ । शब्दधर्मत्वं चैपामन्याश्रयत्वेऽपि शरीराश्रयत्वमिव शौर्यादीनाम् ।

ननु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत् सङ्घटनारूपत्वं तदाश्रयत्वं वा तेषां प्राप्तमेव । न ह्यसङ्घटिताः शब्दा अर्थविशेषप्रतिपाद्यरसाद्याश्रितानां^५ गुणानामवाचकत्वादाश्रया भवन्ति ।

नैवम् । चर्णपदव्यङ्ग्यत्वस्य रसादीनां प्रतिपादितत्वात् ।

अथवा [उपचार से] गुण शब्दाश्रित ही [कहे जा सकते] हैं । [फिर भी] वह अनुप्रासादि [शब्दालङ्कार] के समान नहीं [समझे जा सकते] हैं । क्योंकि अनुप्रासादि, अर्थ निरपेक्ष शब्दमात्र के धर्म ही बताये गए हैं । और गुण तो [शृङ्गारादि रस रूप] व्यङ्ग्यविशेष के अभिव्यञ्जक, वाच्यार्थ के प्रतिपादन में समर्थ शब्द [अर्थसापेक्ष शब्द] के धर्म कहे गए हैं । इन [गुणों] की शब्दधर्मता [वस्तुतः] अन्य [अर्थात् आत्माका] का धर्म होते हुए भी शौर्यादि गुणों के शरीराश्रित धर्म [मानने] के समान [केवल औपचारिक, गौण व्यवहार] हैं ।

[प्रश्न] यदि [आप उपचार से ही सही] गुण शब्दाश्रय हैं [ऐसा मान लेते हैं] तो उनका सङ्घटनारूपत्व अथवा सङ्घटनाश्रितत्व [स्वयं] ही सिद्ध [प्राप्त] हो जाता है । क्योंकि सङ्घटना रहित शब्द अवाचक होने से अर्थविशेष [शृङ्गारादि रस के अभिव्यञ्जन में समर्थ वाच्य] से अभिव्यक्त रसादि के आश्रित रहने वाले गुणों के आश्रय नहीं हो सकते हैं ।

[उत्तर] यह बात मत कहो । क्योंकि [इसी उद्योत की दूसरी कारिका में अवाचक] रसादि की चर्ण पदादि [से भी] व्यङ्ग्यता-का-प्रतिपादन कर चुके हैं ।

पूर्व पत्र का आशय यह था कि जब उपचार से भी गुणों को शब्द

१. इसके बाद शङ्कनोयम् पाठ दी० में अधिक है । २. अनपेक्षितार्थविस्तारा, शब्दधर्मा एव नि० दी० । ३. नि० दी० में प्रतिपादिता, नहीं है । ४. गुणास्तु व्यङ्ग्य विशेषावभासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थशब्दधर्मा एव' नि० में नहीं है । ५. अर्थविशेष प्रतिपाद्य रसाद्याश्रितानां नि० दी० ।

का धर्म माना जाय तो उसका अर्थ यह होगा कि शृङ्गारादि रसाभिव्यञ्जक वाच्य प्रतिपादन सामर्थ्य ही शब्द का माधुर्य है। तब यह वाच्य प्रतिपादन सामर्थ्य तो प्रकृति प्रत्यय के योग से सङ्घटित शब्द में ही रह सकती है। इसलिए गुणों को जैसे उपचार से शब्द धर्म मानते हो वैसे ही उनको सङ्घटनाधर्म भी स्वयं ही माना जा सकता है। क्योंकि असङ्घटित पद तो वाचक नहीं होते। और बिना वाचक के रसादि की प्रतीति नहीं हो सकती है।

उत्तर पक्ष का आशय यह है कि अवाचक वर्ण और पदादि से भी रस प्रतीति हो सकती है। इसलिए उसको सङ्घटना धर्म मानने की आवश्यकता नही है। हा लक्षणा या गौणी वृत्ति से गुणों को शब्द धर्म तो कहा जा सकता है।

गुणों और सङ्घटना के सम्बन्ध में तीन विकल्प किए थे। उनमें से गुण और सङ्घटना अभिन्न है यह प्रथम विकल्प, 'विशिष्टपदरचना रीति' 'विशेषो गुणात्मा' कहने वाले 'वामन' का मत है। और दूसरा पक्ष, गुण और सङ्घटना अलग अलग हैं परन्तु गुण सङ्घटना में रहने वाले सङ्घटनाश्रित धर्म है यह भट्टोज्जट का मत है। इन दोनों पक्षों का खण्डन कर यहाँ तक यह स्थापित किया जा चुका है कि गुण न सङ्घटना रूप है और न सङ्घटना में रहने वाले धर्म हैं। अपितु वह मुरयत रस के धर्म हैं। परन्तु कभी कभी 'आकार एवास्य शूर' आदि व्यवहार में आत्मा के शौर्यादि धर्म का जैसे शरीराश्रितत्व भी उपचार से मान लिया जाता है इसी प्रकार गुण मुरयत रसनिष्ठ धर्म है परन्तु उपचार से रसाभिव्यञ्जक वाच्य प्रतिपादनसामर्थ्य शब्द के धर्म भी माने जा सकते हैं।

इस पर गुणों को सङ्घटनाश्रित धर्म मानने वाले भट्टोज्जटादि का कहना यह है कि जब उपचार से गुणों को शब्द धर्म मन लेते हो तो फिर सङ्घटना धर्म तो वे स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि आपने मतानुसार शृङ्गाररसाभिव्यञ्जक वाच्यप्रतिपादनक्षमता ही शब्द का माधुर्य है। इसलिए रसाभिवाच्य के लिए अर्थ की अपेक्षा है। और यह वाचकत्व, सङ्घटित शब्द रूप वाच्य में ही होता है। अकेले वर्णों या पदों में नहीं। क्योंकि केवल वर्ण तो अनर्थक हैं। और केवल पद स्मारक मात्र हैं, वाचक नहीं। इसलिए वाचकत्व केवल सङ्घटित शब्दों अर्थात् वाक्य में ही रह सकता है। और जहाँ वाचकत्व रह सकता है वहाँ उपचार से माधुर्यादि गुणों की स्थिति हो सकती है। इसलिए वाचकत्व के सङ्घटित शब्द रूप वाक्य निष्ठ होने से माधुर्यादि गुण भी उपचार से सङ्घटना धर्म ही हुए। इसलिए सङ्घटनाश्रित गुणवाद का सर्वथा खण्डन नही किया जा सकता है। यह 'भट्टोज्जट' के मत का सार है।

अभ्युपगते वा वाक्यव्यङ्ग्यत्वे रसादीना न नियता काचित्
सङ्घटना तेषामाश्रयत्वं प्रतिपद्यते इत्यनियतसङ्घटना-शब्दा एव गुणानां
व्यङ्ग्यविशेषानुगता आश्रयाः ।

इस मत के अनुसार 'भट्टोज्जट' भी पदों को अवाचक केवल स्मारक-
मान मानते हैं । इस स्मारकत्ववाद की चर्चा इसी उद्योत में हो चुकी है । परन्तु
वहा भी पदों के 'स्मारकत्व' और 'वाचकत्व' पक्ष के निर्णय को ग्रन्थकार ने
टाल दिया था । अब यही प्रश्न यहा फिर उपरिथत हो जाता है । परन्तु यहा
भी ग्रन्थकार ने उसका निर्णय करने का प्रयत्न नहीं किया है । इसका अभिप्राय
यह है कि पदों का वाचकत्व है, या द्योतकत्व, अथवा स्मारकत्व, यह एक अलग
प्रश्न है । उसके निर्णय को छोड़ कर भी गुणों के रसधर्मत्व, और उपचार से
शब्दधर्मत्व के निश्चय किये जा सकते हैं । अतएव उस लम्बे और गौण प्रश्न को
यहां भी छोड़ दिया है ।

अब रह जाता है 'भट्टोज्जट' के सङ्घटनाश्रय गुणवाद के श्रीचित्य या
अनौचित्य के निर्णय का प्रश्न । उसके विषय में ग्रन्थकार यह कहते हैं कि यदि
'दुर्जनतोप न्याय' से 'भट्टोज्जट' के अनुसार शब्दों के स्मारत्व, और केवल
वाक्य के वाचकत्व, को भी मान लिया जाय तो भी नियत सङ्घटना वाले सभी
शब्द अर्थात् वाक्य, अर्थ के वाचक हो सकते हैं । परन्तु असमासा रचना
से शृङ्गार के समान श्लोक के आश्रय रौद्रादि की भी अभिव्यक्ति हो
सकती है और समासग्रहण या दीर्घसमासा सङ्घटना से रौद्रादि के समान
शृङ्गार की भी अभिव्यक्ति हो सकती है । इसलिए शृङ्गारादि की अभिव्यक्ति
के लिए किसी नियत सङ्घटना का नियम न होने से भाष्यादि गुणों को नियत
सङ्घटनाश्रित धर्म नहीं माना जा सकता है । इसी बात को आगे कहते हैं—

[दुर्जन तोप न्याय मे] यदि रस को वाक्यव्यङ्ग्य ही मान लिया
जाय [अर्थात् वर्ण पदादि को रसाभिव्यञ्जक न माना जाय] तो भी कोई
नियत सङ्घटना [जैसे असमामा या दीर्घसमासा आदि] उन [रसों] का
आश्रय नहीं होगी इमलिपु व्यङ्ग्य विशेष से अनुगत [शृङ्गारादि] अनियत-
सङ्घटना वाले शब्द ही गुणों के आश्रय हैं । [अर्थात् गुण सङ्घटना धर्म
नहीं है ।]

[प्रश्न—अनियत सङ्घटना वाले शब्द ही गुणों के आश्रय होते हैं]
यह बात यदि आप भाष्य के विषय में कहे तो कह सकते हैं परन्तु श्लोक

ननु मोक्षुयं यदि नामैवमुच्यते तदुच्यताम् । श्लोसः पुन
कथमनियतसङ्घटनाशब्दाश्रयत्वम् । न ह्यसमासा सङ्घटना कदाचिदोजस
आश्रयता प्रतिपद्यते ।

उच्यते । यदि न प्रसिद्धिमात्रप्रहृदूपितं चेतस्तदत्रापि न न
ब्रम । श्लोस कथमसमासा सङ्घटना नाश्रयः । यतो रीत्रादीन् हि
प्रकाशयतः काव्यस्य दीप्तिरोज इति प्राक् प्रतिपादितम् । तच्चौजो यद्य-
समासायामपि सङ्घटनायां स्यात्, तत्को दोषो भवेत् । न चाचारत्यं
सङ्घटयद्दयसंवेद्यमस्ति । तस्मादनियतसङ्घटनशब्दाश्रयत्वे गुणानां न
काचित् क्षतिः । तेषां तु चक्षुरादीनामिव यथास्वं विषयनियमितस्य
स्वरूपस्य न कदाचिद् व्यभिचारः । तस्मादन्ये गुणाः, अन्या च सङ्घटना ।
न च सङ्घटनाश्रिता गुणाः, इत्येक दर्शनम् ।

तो अनियत सङ्घटनाश्रित कैसे हो सकता है । क्योंकि [श्लोस की प्रकाशक
तो दीर्घसमासा सङ्घटना नियत ही है] असमासा [अर्थात् समास रहित]
सङ्घटना कभी श्लोस का आश्रय नहीं हो सकती ।

[उत्तर] कहते हैं यदि केवल प्रसिद्धिमात्र के आग्रह से [आपका] मन
दूषित न हो तो वहा भी हम [श्लोस की प्रतीति असमासा रचना से] नहीं
[होती यह] नहीं कह सकते हैं [अर्थात् केवल प्रसिद्धि की बात छोड़ कर
विचारें तो असमासा रचना से भी श्लोस की प्रतीति होती ही है ।] असमासा
रचना श्लोस का आश्रय क्यों नहीं होती [अर्थात् अग्रह होती है] क्योंकि
रीत्रादि रसों को प्रकाशित करने वाली काव्य की दीप्ति का नाम ही तो
श्लोस है । यह बात पहिले कह चुके हैं । और वह दीप्ति रूप श्लोस यदि समान
रहित रचना में भी रहे तो क्या दोष है । [अर्थात् कोई दोष नहीं है । उस
समास रहित रचना से श्रान प्रकाशन में] किसी प्रकार का अचारत्य सङ्घटय
द्वय के अनुभव में नहीं आता । इसलिये गुणों को अनियत सङ्घटना वाले शब्दों
का धर्म यदि [उपचार से] मान लिया जाय तो कोई हानि नहीं है । और चक्षुरादि
इन्द्रियों के समान उनके अपने अपने विषयनियमित स्वरूप का कभी व्यभिचार
नहीं होता । इसलिये गुण अलग हैं, सङ्घटना अलग हैं और गुण सङ्घटना के

अथवा सङ्घटनारूपा एव गुणाः । यत्तूक्तम् 'सङ्घटनायद् गुणानामप्यनियतविषयत्वं प्राप्नोति लक्ष्ये व्यभिचारदर्शनात्' इति । तत्राप्येतदुच्यते—यत्र लक्ष्ये परिकल्पितविषयव्यभिचारस्तद् विरूपमेवास्तु ।

प्रथमचारत्वं तादृशे^१ विषये सङ्घटनानां^२ नायभातीति चेत् ? कविशक्तितिरोहितत्वात् । द्विविधो हि दोषः, कवेरव्युत्पत्तिकृतो, अशक्तिकृतश्च । तत्राव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्तितिरस्कृतत्वात् कदाचिन्नलक्ष्यते । यस्त्वशक्तिकृतो दोषः स ऋटिति प्रतीयते । परिस्तरश्लोकरात्रः :—

आश्रित नहीं रहते यह एक सिद्धान्त है । [यह स्वाभिमत सिद्धान्त पद्य का उपसंहार किया ।]

अथवा [वामन मतानुसारी प्रथम पद्य में] सङ्घटना रूप ही गुण है । [अर्थात् इस गुणों को सङ्घटना रूप मानने वाले वामन मत में भी कोई हानि नहीं है । इस पद्य में जो दोष दिया था उसका समाधान करते हैं] और जो यह कहा था कि लक्ष्य [अर्थात् 'यो यः शस्त्र' तथा 'अनवरतनयनजललव०' आदि उदाहरणों] में [सङ्घटना नियम का] व्यभिचार पाए जाने से सङ्घटना के समान गुणों में भी अनियतविषयत्व प्राप्त होगा । उसका भी समाधान यह है कि जिस उदाहरण में [सङ्घटना के] परिकल्पित विषय नियम का व्यभिचार पाया जाय उस [की सङ्घटना] को [विरूप] दूषित ही मानना चाहिए ।

[प्रश्न—यदि 'यो यः शस्त्रं विभक्तिं' इत्यादि की सङ्घटना दूषित है तो] उस प्रकार के विषयों में सङ्घटनों की अचारत्व की प्रतीति क्यों नहीं होती ? [यह शङ्का हो तो]

[उत्तर] कवि की प्रतिभा [शक्ति के बल] से दूष जाने से [तिरोहित] हो जाने से वह अचारत्व प्रतीत नहीं होता ।] दो प्रकार के दोष [काव्य में] हो सकते हैं—१. [कवि की] अव्युत्पत्तिकृत और २. [कवि की] अशक्तिकृत । [कवि की मरनरोन्नेपशालिनी वर्णनीय वस्तु के नष्ट-नष्ट ढंग से वर्णन कर सन्ने की प्रतिभा को शक्ति कहते हैं । और उसके उपयुक्त समस्त वस्तुओं के परिवर्षयं

१. तादृशविषये नि०, दी० । २. प्रतिभाति नि०, (न) प्रतिभाति, दी० । ३. यथोचित्याग नि०, दी० ।

‘अव्युत्पत्तिकृतो दोष शक्त्या सत्रियते कवे ।
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य’ स ऋटित्यवभासते ॥

तथाहि—महाकवीनामप्युत्तमदेवताविषयप्रसिद्धसम्भोगशृङ्गार-
निबन्धनाद्यनौचित्यं शक्तिरस्कृतत्वात्^१ प्राम्यत्वेन न प्रतिभासते । यथा
कुमारसम्भवे देवीसम्भोगवर्णनम् । एवमादौ च विषये^२ यथौचित्या-
त्यागस्तथा दर्शितमेवाप्रे ।

के विवेचन कौशल को व्युत्पत्ति कहते हैं । इन्हीं शक्ति या व्युत्पत्ति की
न्यूनता से काव्य में दोष आ सकते हैं] उनमें से अव्युत्पत्तिकृत दोष शक्ति
[प्रतिभा के प्रवाह] से दब जाने के कारण कभी कभी अनुभव नहीं होता ।
परन्तु जो अशक्तिकृत दोष है वह तुरन्त प्रतीत हो जाता है । इस विषय में
परिक्लेश श्लोक भी है —

अव्युत्पत्ति के कारण होने वाला दोष कवि की शक्ति के बल से छिप
जाता है । परन्तु कवि की अशक्ति के कारण जो दोष होता है वह तुरन्त
प्रतीत हो जाता है ।

जैसे कि [कालिदास आदि] महाकवियों के उत्तम देवता विषयक
प्रसिद्ध सम्भोग शृङ्गारादि के वर्णन [माता पिता के सम्भोग वर्णन के समान
अन्य अनुचित होते हुए भी] का अनौचित्य भी शक्ति से दब जाने के
कारण प्राम्यरूप से प्रतीत नहीं होता । जैसे कुमारसम्भव में देवी [पार्वती]
के सम्भोग का वर्णन ।

इस प्रकार क उदाहरणों में औचित्य के अभाव का [उपपादन] कैसे
किया जाय यह आगे [इसी उद्योत में १० से १४ कारिका तक] दिखलाया
हो है ।

यहां कवि कालिदास ने प्रतिभा बल से शिव और पार्वती के सम्भोग
शृङ्गार का वर्णन इस सुन्दरता से किया है कि पाठक का हृदय उसके रसास्वाद
में ही मग्न हो जाता है और उसके औचित्य अनौचित्य के विचार का अवसर ही
नहीं पता है । जैसे ‘मल्लयुद्ध’ या ‘रेतु’ आदि की किसी प्रतिबन्धिता में साधुवाद के
स्थान पर आशीर्वाद के योग्य किसी छोट व्यक्ति के कौशल को देखकर प्रेक्षक के

१ यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य नि० । २ शक्तिरस्कृत नि० । ३ यथौचित्य-
त्याग नि० ।

शक्तिरिस्कृतत्व चान्वयव्यतिरेकाभ्यामवसीयते । तथाहि शक्तिरहितेन कविना एवविधे विषये शृङ्गार उपनिबध्यमान स्फुटमेव दोषत्वेन प्रतिभासते ।

नन्वास्मिन् पक्षे 'यो य शस्त्रं विभति' इत्यादौ निमचारत्वम् ? अप्रतीयमानमेवारापयाम ।

मुँह से हठात् साधुवाद निकल पड़ता है और उसका अनौचित्य प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार कवि की प्रतिभावश सङ्घट्ट उस शृङ्गार में इतना तन्मय हो जाता है कि उसे औचित्य अनौचित्य की मीमासा का अवसर नहीं मिलता । यही शक्ति रत्न से दोष का तिरस्कृत हो जाना अथवा दम जना है ।

यहां वृत्तिकार लिख र ३ 'दर्शितमेवाग्रे' अर्थात् आगे दिखाया जायगा परन्तु भूताथरु च प्रत्यय का प्रयोग कर रहे ह । इसकी सङ्गति इस प्रकार लगानी चाहिये कि वृत्ति के पूर्व कारिकाओं का निर्माण हो चुका था । इसी आशय से वृत्ति में 'दर्शितम्' इस पद से भूत काल का निदर्श किया है ।

[अद्युत्पत्तिवृत्त दोष का] शक्तिरिस्कृतत्व चान्वयव्यतिरेक से सिद्ध होता है । क्योंकि शक्तिरहित कवि यदि ऐसा [उत्तम देवतादि के] विषय में शृङ्गार का वर्णन करे तो [माता पिता के सम्भागवर्णन व समान] स्पष्ट ही द्राप रूप से प्रतीत होता है । [और महाकवि कालिदास जैसे प्रतिभावाद् का विद्या हुआ पारंगती का सम्भोगवर्णन दोष रूप में प्रतीत नहीं होता अतः अन्वयव्यतिरेक से दोष का शक्तिरिस्कृतत्व सिद्ध होता है ।]

[प्रश्न—गुणों को सङ्घट्टना रूप मानने में, विषय विषम का अतिक्रमण करने वाली सङ्घट्टना को टूटित सङ्घट्टना टहरान का जो मत आपने स्थिर किया है उसके अन्तर्गत] इस पक्ष में 'यो य शस्त्रं विभति' इस उदाहरण में क्या अचाराप है ।

[उत्तर—वास्तव में कोई अचाराप अनुभव में नहीं आता कि भी] अविद्यमान अचाराप का आराप करते हैं ।

अविद्यमान प्रप्रतीयमान अचाराप व मी आरोप करने का भाव यह है कि सङ्घट्टना और गुण को अभिन्न मानने वाले वामन के पक्ष में 'यो य शस्त्रं विभति' इत्यादि उदाहरणों में रीत्रादि रस में भी समास रहित अतएव ओजो-विहीन रचना के पाए जाने के कारण सङ्घट्टना के विषयनियम की अनुपपत्ति आती है और उसके कारण 'माधुयप्रसादप्रकर्ष करणविप्रलम्भशृङ्गारविषय प्रथ ।

तस्माद् गुणव्यतिरिक्तत्वे गुणरूपत्वे च सङ्घटनाया अन्यः कश्चि-
न्नियमहेतुर्वक्तव्यः । इत्युच्यते :—

‘तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्तव्याच्ययोः ॥६॥

तत्र वक्ता, कविः, कविनिबद्धो वा^१ । कविनिबद्धश्चापि रसभाव-

रौद्राद्भुनादिनिषयमोज. ।’ इत्यादि गुणों न जो निर्धारित निषय हैं वह भी अव्यवस्थित होने लगता है तब गुणों के निषयनियम की रक्षा के लिए इस प्रकार के उदाहरणों को दोषप्रस्त मानना ही अच्छा है । इस प्रकार के अपवाद-स्थलों के हट जाने से गुण और सङ्घटना दोनों का निषयनियम व्यवस्थित हो सकता है । गुण और सङ्घटना दोनों के निषयनियम को व्यवस्थित करने का यह एक प्रकार है ।

इस प्रकार में व्यवस्था का नियामक रस तत्व को माना है । फिर भी इस प्रकार में, ‘यो य. शस्त्र विभक्ति’ इत्यादि कुछ उदाहरणों को दोष की प्रतीति न होने पर भी दूषित मानना पड़ता है । यह कुछ अच्छी रूचिपर बात नहीं है । इसीलिए अन्यकार निषयनियम के व्यवस्थापन अन्य तत्वों की चर्चा आगे कर रहे हैं जिससे उन नियामक तत्वों की दृष्टि से गुण और सङ्घटना का एक माना जान या अलग प्रत्येक दशा में निषयनियम का उपपादन किया जा सके । इसी दृष्टि से रसातिरिक्त नियामक तत्वों की चर्चा प्रारम्भ करते हैं ।

इसलिए [सङ्घटना के गुणव्यतिरिक्त मानने पर सङ्घटना नियामक कोई हेतु ही न होने और सङ्घटना रूप मानने में रस को ठीक तरह से नियामक नहीं माना जा सकता है क्योंकि ‘यो य.’ इत्यादि में उभका व्यभिचार दिखाया जा चुका है । आप्त] गुणव्यतिरिक्त्य और गुणरूपत्व [दोनों ही पक्षों] में सङ्घटना के नियमनार्थ कोई और ही हेतु पताना चाहिए । इसलिए कहते हैं —

उभ [सङ्घटना] के नियमन का हेतु वक्ता तथा वाच्य का औचित्य [ही] है ।

उनमें से वक्ता, कवि या कविनिबद्ध [दो प्रकार का] हो सकता है ।

१ नि० में इस कारिका भाग को महा वृत्ति रूप में छापा है और पहिले कारिका एक साथ रखी है । २. कश्चित् नि० बी० में छपित है ।

रहितो रसभावसमन्वितो वा । रसोऽपि कथानायकाश्रयस्तद्विपक्षा-
श्रयो वा । कथानायकश्च धीरोदात्तादिभेदभिन्नः पूर्वस्तदनन्तरो वेति
विकल्पाः ।

वाच्यं च, ध्वन्यात्मरसाङ्गं रसाभासाङ्गं वा, अभिनेयार्थमन-
भिनेयार्थं वा, उत्तमप्रकृत्याश्रयं तदितराश्रय वेति बहुप्रकारम् ।

श्रौर कविनिबद्ध [वक्ता] भी रसभाव [आदि] रहित अथवा रसभाव
[आदि] युक्त [दो प्रकार का] हो सकता है । [उसमें] रस भी कथानायक-
निष्ठ अथवा उसके विरोधी [प्रतिनायक] निष्ठ [दो प्रकार का] हो सकता
है । कथानायक भी धीरोदात्तादि [धर्मयुद्धवीरप्रधानो धीरोदात्तः । वीररौद्र-
प्रधानो धीरोद्धत । वीरशृङ्गारप्रधानो धीरललित । दानधर्मवीरशान्तप्रधानो
धीरप्रशान्तः । इति चत्वारो नायकाः क्रमेण सात्वती, आरभटी, कैशिकी,
भारतीलक्षणवृत्तिप्रधानाः ।—दशरूपक टीका] भेद से भिन्न, मुख्य नायक
अथवा उसके वाद का [उपनायक पीठमर्द] हो सकता है । इस प्रकार
[वक्ता के अनेक] विकल्प हैं ।

वाच्य [अर्थ भी] ध्वनिरूप [प्रधान] रस का अङ्ग [अभिव्यञ्जक]
अथवा रसाभास का अङ्ग [अभिव्यञ्जक], अभिनेयार्थ, या अनभिनेयार्थ, उत्तम
प्रकृति में आश्रित, अथवा उससे भिन्न [मध्यम, अधम] प्रकृति में आश्रित
इस तरह नाना प्रकार का हो सकता है ।

अभिनेयार्थ और अनभिनेयार्थ य दोनों वाच्य के भेद हैं, अतएव
यहां उसके विशेषण हैं । साधारणतः बहुव्रीहि समास 'अभिनेय- अर्थो यस्य सो
ऽभिनेयार्थः' के अनुसार अर्थ करने से 'यस्य' पद तो वाच्य का ही परामर्शक
होगा । उस दशा में वाच्य और अर्थ दोनों के एक होजाने से 'राहो शिरः' इत्यादि
प्रयोग के समान व्यपदेशिवद्भाव की कल्पना करनी होगी । अतएव इसकी
व्याख्या 'अभिनेयो वागाङ्गसत्वाहार्यैः आभिमुख्येन साक्षात्कारप्राय नेयो अर्थो
व्यङ्ग्यरूपो ध्वनिस्वभावो यस्य तदभिनेयार्थे वाच्य' इस प्रकार करनी चाहिए ।
इसका भाव यह हुआ कि वाचिक, आङ्गिक, सात्विक और आहार्य-आरोपित चेष्टादि
द्वारा आभिमुख्य अर्थात् साक्षात्कार रूपता को जिसका व्यङ्ग्य या ध्वनिरूप अर्थ
नेय हो उस वाच्य को अभिनेयार्थ वाच्य कहना चाहिए । इस प्रकार सङ्घटना के
नियामक बनता तथा वाच्य के अनेक भेद प्रदर्शित कर अथ उनके औचित्य से
सङ्घटना के नियम का निरूपण करते हैं ।

तत्र यदा कविरपगत-रसभावो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः । यदा हि कविनिबद्धो वक्ता रसभावरहितस्तदा स एव । यदा तु कविः कविनिबद्धो वा वक्ता रसभावसमन्वितो, रसश्च प्रधानाश्रितत्वाद् ध्वन्यात्मभूतस्तदा^१ नियमेनैव तत्रासमासमध्यसमासे एव सङ्घटने । करुणविप्रलम्भशृङ्गारयोस्त्वसमासैव सङ्घटना ।

कथमिति चेत्, उच्यते । रसो यत्र प्राधान्येन प्रतिपाद्यस्तदा तत्प्रतीतौ व्यवधायका द्विरोधिनश्च सर्वात्मनैव परिहार्याः । एवं च दीर्घसमासा सङ्घटना, समासानामनेकप्रकारसम्भावनाया, कदाचिद् रसप्रतीतिं व्यवधातीति तस्यां नात्यन्तमभिनवेशः शोभते । विशेषतोऽभिनेयार्थे काव्ये । ततोऽन्यत्र च विशेषतः करुणविप्रलम्भ-शृङ्गारयोः । तयोर्हि सुकुमारतरत्वात् स्वल्पायामप्यस्वच्छतायां शब्दार्थयोः प्रतीतिर्मन्थरीभवति ।

उन [अनेकरुचि-वक्ताओं] में से जब रसभावरहित कवि [शुद्ध कवि] वक्ता हो तब रचना की स्वतन्त्रता है । और जब रसभावरहित कविनिबद्ध वक्ता हो तब भी वही [कामचार] स्वतन्त्रता है । जब कि कवि अथवा कविनिबद्ध रसभाव समन्वित वक्ता हो और रस भी प्रधानाश्रित होने से ध्वन्यात्मभूत हो तब वहा नियम से ही अस्मास अथवा मध्यम समास वाली रचना ही करनी चाहिए । करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार में तो समास रहित ही सङ्घटना होनी चाहिए ।

क्यों ? यदि यह प्रश्न हो तो उत्तर यह है कि जब रस प्रधानरूप से प्रतिपाद्य है तब उसकी प्रतीति में विग्रह ढालने वाले और उसके विशेषियों का पूर्ण रूप से परिहार ही करना चाहिये । इस प्रकार [एक समस्त पद में] अनेक प्रकार के समास [विग्रह] की सम्भावना होने से दीर्घसमास वाली रचना रसप्रतीति में कदाचित् बाधक हो इसलिए उस [दीर्घसमास रचना] के विषय में अत्यन्त आग्रह शब्दा नहीं है । विशेष रूप से अभिनेयार्थक काव्य में । [क्योंकि दीर्घसमास वाले पदों को अलग किए बिना उनका अभिनेय ठीक तरह से नहीं हो सकता है । और न काव्य से द्योय अर्थ, और बीच-बीच में प्रसादार्थक हास्य गान आदि की सङ्गति ही ठीक होती है इसलिए अभिनेय

रसान्तरे पुनः प्रतिपाद्ये रौद्रादौ मध्यमसमासापि सङ्घटना कदाचिद्
धीरोद्धतनायकसम्बन्धव्यापाराश्रयेण, दीर्घसमासापि वा तदाक्षेपा-
विनाभाविरसोचितवान्यापेक्षया न विगुणा भजतीति सापि नात्यन्तं
परिहार्या ।

सर्वासु च सङ्घटनासु प्रसादाख्यो गुणो व्यापी । स हि सर्त्र-
रससाधारण सर्वसङ्घटनासाधारणश्चेत्युक्तम् । प्रसादातिक्रमे ह्यसमासापि
सङ्घटना करणत्रिप्रलम्भशृङ्गारौ न व्यनक्ति । तदपरित्यागे च
मध्यमसमासापि न न^१ प्रकाशयति । तस्मान् सर्वत्र प्रसादोऽनुसर्तव्य^१ ।

व्यङ्ग्य काव्य में भी दीर्घसमासा रचना ठीक नहीं होती] और उससे भिन्न
विशेषत करण तथा त्रिप्रलम्भ शृङ्गार में [दीर्घसमास रचना उचित नहीं है ।
क्योंकि] उनके अत्यन्त सुकमार [रस] होने से शब्द और अर्थ की तनिक
सी भी अस्पष्टता होने पर [रस का] प्रतीति शिथिल हो जाता है ।

और रौद्रादि दूसरे रसों के प्रतिपादन में वा धीरोद्धत नायक क
सम्बन्ध वा व्यापारादि के सहारे मध्यमसमासा सङ्घटना अथवा दीर्घसमासा
रचना भी उस [दीर्घसमासा रचना] के बिना प्रतात न हो सकने वाले रिन्दु
रसोचित वाच्यार्थ प्रतीति की आश्रयतापक्ष [इस पद का समास इस प्रकार
करना चाहिए, 'तस्या दीर्घसमाससङ्घटनाया य आक्षेप, तेन विना यो न भजति
व्यङ्ग्याभिव्यञ्जक, तादृशो रसोचितो रमभ्यञ्जतयोपादीयमानो वाच्यस्तस्य
याम्यापेक्षा दीर्घसमाससङ्घटना प्रति सा अत्रैगुण्ये हेतु ।] प्रतिकूल नहीं होती
है इसलिए उसका भी अत्यन्त त्याग नहीं कर देना चाहिए ।

प्रसाद नामक गुण भव सङ्घटनाओं में व्यापक है । वह समस्त रसों
और समस्त रचनाओं में समान रूप से रहने वाला साधारण गुण है यह [प्रथम
उद्योत की ११ वीं कारिका में] कहा जा चुका है । [यह कथन मात्र कदाचिद्
पर्याप्त न समझा जाय इसलिए अन्यथ व्यतिरेक स भी प्रसाद गुण की सर्वत्र
और सर्वसङ्घटना साधारणता सिद्ध करते हैं] प्रसाद के बिना समान रहित रचना
भी करण तथा त्रिप्रलम्भ शृङ्गार को अभिव्यक्त नहीं करता है [यह व्यतिरेक
हुआ । 'तदभावे तदभागे व्यतिरेक'] और उस [प्रसाद गुण] के होने पर
मध्यमसमास वाली रचना भी [करण वा त्रिप्रलम्भ शृङ्गार की] नहीं

अतएव च 'यो य शस्त्र विभर्ति' इत्यादौ यद्योजस स्थितिर्नप्यते तत् प्रसादाख्य एव गुणो, न माधुर्यम् । न चाचारत्वम् । अभिप्रेतरस-प्रकाशनात् ।

तस्माद् गुणाव्यतिरिक्तत्वे गुणाव्यतिरिक्तत्वे वा सङ्घटनाया यथोक्तादौचित्याद् विषयनियमोऽस्तीति तस्या अपि रसव्यञ्जकत्वम् । तस्याश्च रसाभि-यक्तिनिमित्तभूताया योऽयमनन्तरोक्तो नियमहेतु स एव गुणाना नियतो विषय इति गुणाश्रयेण व्यग्रस्थानमप्यविरुद्धम् ॥६॥

प्रकाशित करती है यह बात नहीं है । [अर्थात् प्रकाशित करती ही है यह अन्यय हुआ ।] इसलिए प्रसाद का सर्वत्र [सर्व रसो और सब रचनाओं में] अनुसरण करना चाहिए ।

इसलिए 'यो य शस्त्र विभर्ति' इत्यादि [उदाहरण] में [दीर्घ समासा रचना न होने के कारण] यदि ओज गुण की स्थिति अभिमत नहीं है तो [उसमें] प्रसाद गुण ही है माधुर्य नहीं । शोर [सर्वत्र साधारण उस प्रसाद गुण के होने से] किसी प्रकार का अचारत्व नहीं होता है । क्योंकि [प्रसाद गुण से भी] अभिप्रेत [रस] रस की अभिव्यक्ति ही सकती है ।

इसलिए [सङ्घटना को] गुणों में अभिन्न माने या भिन्न [दोनों अवस्थाओं में] उक्त [वक्ता तथा वाच्य के] औचित्य से सङ्घटना का विषय नियम [बन ही जाता] है इसलिए वह भी रस की अभिव्यञ्जक होती है । रस की अभिव्यक्ति में हेतुभूत उस [सङ्घटना] का नियामक जो वह [वक्ता शोर वाच्य का औचित्य रूप] हेतु अभी [ऊपर] कहा है वही गुणों का नियत विषय है । इसलिए [सङ्घटना की] गुणाश्रय रूप में व्यवस्था में भी विरोध नहीं है ।

इस प्रकार यदि गुण और सङ्घटना एक रूप अर्थात् अभिन्न है तो गुणों का जो विषय नियम है वही सङ्घटना का भी विषय नियम होगा इसलिए वामनोक्त अभेद पक्ष में कोई दोष नहीं है । इसी प्रकार गुणाधीन सङ्घटना पक्ष अर्थात् स्वाभिमत सिद्धान्त पक्ष में भी गुणों के नियामक हेतु ही सङ्घटना नियामक होने अतएव वह भी निरुद्ध पक्ष है । अन रहा तीवरा भट्टोज्य का सङ्घटनाश्रित गुण पक्ष उसमें भी वक्ता वाच्य का औचित्य सङ्घटना का नियामक बन सकता है इसलिए इस पक्ष की सङ्गति भी लग सकती है । इस प्रकार रस कारिका के

विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति ।

काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥ ७ ॥

वक्तृवाच्यगतौचित्ये सत्यपि^१ विषयाश्रयमन्यदौचित्यं सङ्घटना नियच्छति । यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्तकं^२ सस्कृतप्राकृतापभ्रंशनिबद्ध, सन्दानितक-विशेषक-कलापक-कुलकानि^३, पर्यायवन्ध., परिकथा, खण्ड-कथासकलकथे^४, सर्गवन्धो, अभिनेयार्थ, आख्यायिकाकथे,^५ इत्येव-मादयः । तदाश्रयेणापि सङ्घटना विशेषवती भवति ।

प्रारम्भ में उठाए गए तीनों विकल्पों की सङ्गति हो जाने से सङ्घटना की रसाभि-
व्यञ्जकता भी बन जाती है ॥६॥

[वक्ता तथा वाच्य के औचित्य के अतिरिक्त] विषयाश्रित औचित्य
[अर्थात् काव्य वाक्य की समुदाय रूप में स्थिति आदि, जैसे सेना रूप समुदाय
के अन्तर्गत कापुरूप भी उस सैनिक मर्यादा का पालन करता हुआ उचित रूप
में स्थित रहता है इसी प्रकार सन्दानितक आदि आगे कहे गए समुदायात्मक
काव्य वाक्य का औचित्य उसका नियामक होता है] भी उस [सङ्घटना] का
नियंत्रण करता है । काव्य के [मुक्तक आदि] भेदों से भी उस [सङ्घटना] का
भेद हो जाता है ।

वक्ता तथा वाच्य गत औचित्य के [सङ्घटना नियामक] होने पर भी
द्वारा विषयाश्रित औचित्य भी उस सङ्घटना का नियंत्रण करता है । क्योंकि
काव्य के सस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में निबद्ध मुक्तक [स्वयं में परिपूर्ण स्पुट
श्लोक जैसे अमरक शतक, गाथा सप्तशती, आर्यासप्तशती आदि के श्लोक],
सन्दानितक [दो श्लोकों में क्रिया का अन्वय होने वाले युग्म], विशेषक [तीन
श्लोकों में क्रिया समाप्त होने वाले], कलापक [चार का एक साथ अन्वय होने
वाले श्लोक], कुलक [पाच या पाच से अधिक एक साथ अन्वित होने वाले]

१ सत्यपि पाठ दो० में नहीं है ।

२ मुक्तक श्लोक एवंकश्चमत्कारक्षमः सताम् ।

३ द्वाभ्यान्तु युगमक ज्ञेय, त्रिभिः श्लोकविशेषकम् ॥

चतुर्भिस्तु कलाप स्यात्, पञ्चभिः कुलक मनम् ॥

—प्रानेप पुराण ।

४. सकलकथाखण्डकथा नि०दो० । ५. आख्यायिका कथेत्यदमात्रम् । नि०,दो० ।

तत्र मुक्तकेषु रसबन्धाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौचित्यम् ।
तच्च दर्शितमेव । अन्यत्र कामचारः । मुक्तकेषु प्रवन्देष्विव रसबन्धा-
भिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते । यथा ह्यमररुक्त्य कवेमुक्तकाः शृङ्गार-
रसस्यन्दिनः प्रवन्वायमानाः प्रसिद्धा एव । सन्दानितकादिषु तु विकट-
निबन्धनौचित्यान्मध्यमसमासादीर्घममासे एव सङ्घटने । प्रवन्धाश्रयेषु
यथोक्तप्रवन्वौचित्यमेवानुसर्तव्यम् ।

श्लोक] । पर्याय बन्ध [वसन्तादि एक त्रिषय का वर्णन करने वाला प्रकरण
पर्यायबन्ध कहलाता है], परिकथा [धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय
में से किसी एक के सम्बन्ध में बहुत सी कथाओं का संग्रह परिकथा कहलाता
है], खण्डकथा [किसी बड़ी कथा के एक देश का वर्णन करने वाली कथा],
सरल कथा [फल पर्यन्त सम्पूर्ण इतिवृत्त की कथा सरल कथा कहाती है] ।
खण्डकथा और सम्पूर्ण कथा, दोनों का प्राकृत में अधिक प्रयोग होने से द्विवचनान्त
द्वन्द्वसमास का रूप दिया है], सर्गबन्ध [महाराज्य], अभिनेयार्थ [नाटक,
प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अङ्क आदि दशविध
रूपक], आप्यायिका [उच्छ्वासादि भागों में निबद्ध वरता प्रतिवक्ता आदि
युक्तकथा आर्यायिका और उससे रहित कथा, कथा कहलाती है] और कथा
आदि अनेक प्रकार [काव्य के] हैं । इन के आश्रय से भी सङ्घटना [रचना]
में भेद हो जाता है ।

उनमें से मुक्तकों में रसनिबन्धन में आग्रहवान् कवि के लिए [जो]
रसाश्रित औचित्य [नियामक और] है उसे दिखा ही चुके हैं । अन्यत्र
रसाभिनिवेशरहित काव्य में कवि चाहे जैसी रचना करें] कामचार [स्वतन्त्रता]
है । प्रबन्ध [काव्यों] के समान मुक्तकों में भी रस का अभिनिवेश करने वाले
कवि पाए जाते हैं । जैसे अमरक कवि के शृङ्गार रस को प्रवाहित करने वाले
प्रबन्ध काव्य सदृश [विभागादि परिपूर्ण] मुक्तक प्रसिद्ध ही हैं । [हम भी पृष्ठ
२२८ पर उद्धृत कर चुके हैं] सन्दानितक आदि में तो विन्मट बन्ध के उचित
होने से मध्यमसमासा और दीर्घसमासा सङ्घटना ही [होंगी] है । प्रबन्ध
[काव्य में] आश्रितो [सन्दानितक से तुल्य पर्यन्त भेदों] में प्रबन्ध [काव्य]
के यथोक्त [पूरे वर्णित वक्ता और वाच्यादिगत] औचित्य का ही अनुसरण
करना चाहिए ।

पर्यायबन्ध पुनरसमामाभ्यसमासे एव सद्दटने । कदाचिदर्थो-
चित्याश्रयेण दीर्घनमासायामपि सद्दटनाया, परंपा ग्रान्या च वृत्ति-

यहा प्रबन्ध काव्य क अन्तर्गत मुक्तक भी समझ लेने चाहिए । प्रबन्ध काव्य के प्रबन्धनाय और मुक्तक और प्रबन्धकाव्य के महाकाव्य तथा खण्डकाव्य भेद किए जाते हैं । इनमें से प्रबन्धकाव्य और मुक्तक भेद तो रन्ध या रचना के आधार पर किये गए हैं और महाकाव्य तथा खण्डकाव्य भेद विषय के आधार पर हैं । प्रबन्ध और मुक्तक के रचना के आधार पर भेद किये जाने का आशय यह है कि मुक्तक का प्रत्येक श्लोक परिपूर्ण स्वतन्त्र होता है । अमरक शतक का प्रत्येक पत्र स्वयं में परिपूर्ण है । मिहारी क दोहे भा स्वयं में परिपूर्ण हैं । गाथासप्तशती और आर्षा सप्तशती के पत्र भी स्वतन्त्र परिपूर्ण हैं । यह सब मुक्तक काव्य है । प्रबन्ध काव्य के पत्र मुक्तक पत्रों का भाति स्वतन्त्र नहीं हैं । उनका पूर्वापर सम्बन्ध होता है । उस पूवार सन्ध के बिना जाने उनके रस की अनुभूति नहीं हो सकती । यह प्रबन्ध और मुक्तक काव्यों का भेद हुआ । अत्र रह जाते हैं महाकाव्य और खण्डकाव्य । ये दोनों पूवारत्त प्रबन्ध काव्य के अन्तर्गत हैं और उनका परस्पर भेद विषय की व्यापकता के आधार पर किया जाता है । जो जीवन के किसी एक भाग का निरूपण करे वह खण्डकाव्य कहलाता है । 'खण्डकाव्य भवत् काव्यस्यैकदेशानुसारि च' । सा० द० ३, ३६ । और महाकाव्य एक व्यक्ति अथवा एक वशाद के समस्त जीवन चित्र को प्रस्तुत करने वाला, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार भिन्न भिन्न पत्रों में निर्मित, कम से कम आठ सगों से अधिक, शृङ्गार, वीर अथवा शान्त रस में से एक रस को प्रधान बनाकर, सव्या, सूर्य, रजनी, चन्द्रमा, प्रभात, मन्वाह आदि के प्रकृतिचरणों से युक्त काव्य महाकाव्य कहलाता है । खण्डकाव्य और महाकाव्य दोनों प्रबन्धनाय क अन्तर्गत हैं । मुक्तक उनसे अलग स्वतन्त्र स्वत परिपूर्ण काव्य है । लोचनकर ने यहा प्रबन्धकाव्यों के भीतर भी 'नामालिख्य प्रणयतृपिता धातुरागौ शिलायान्' । उत्तर मैत्र ४२ को मुक्तक माना है । 'पूर्वापरनिरपेक्षेणापि द्वि येन रसचरणा निरते तन्मुक्तकम्' ।

पर्यायबन्ध [वसन्तचरणादिरेकवर्णनीयोद्देशेन प्रवृत्त पर्यायबन्ध । वसन्तादि किसी एक ही विषय के वर्णन के उद्देश्य से प्रवृत्त काव्य विशेष को पर्यायबन्ध कहते हैं । इस पर्यायबन्ध नामक काव्य भेद] में [साधारणत] असामासा तथा अभ्यसमासा सद्दटना ही होने चाहिए । [परन्तु] कभी अर्थ के औचित्य के कारण दीर्घसमासा सद्दटना होने पर भी परंपा और ग्रान्या वृत्ति को बचाना ही चाहिए । परिकथा [एक धमादिपुरपार्थमुद्दिश्य प्रकार-

परिहर्तव्या । परिक्थया कामचार । तत्रेति तृत्तमात्रोपन्यासेन नात्यन्त
रससन्वाभिनिवेशात् । खण्डकथासम्प्लकथयास्तु^१ प्राकृतप्रसिद्धयो
कुनकादिनिघण्टुधनभूयस्त्वाद् दार्ढ्यसमासायामरे न निरोधः । वृत्तौ
चित्यन्तु यथारसमनुमर्तव्यम् ।

वैचित्र्येण तद्वृत्तान्तप्रकारप्रकारा परिक्था । धम अर्थ आदि किसी एक
पुरुषार्थ को लेकर अनेक प्रकार से बहुत सी कथाओं का बखान परिक्था
कहलाता है । उस परिक्था नामक काव्यभेद] म कामचार [स्वतंत्रता] है ।
क्याकि उसमें केवल कथाश [इतिवृत्त आद्यानन्तु] का बखान [मुरय]
होने से रसगन्ध का विशेष आग्रह नही होता । प्राकृत [भषा] म
कुलकादि [तत् ऊर्ध्वं कुलम् स्मृतम् चार स अधिक श्लोका का अन्वय एक
साथ होने पर कुलम् कहाता है] का बहुल प्रयोग होने से दीघसमासा सङ्गमा
में भी निराध नही है । [परन्तु] वृत्तियों का रस क अनुसार आचित्य अनरय
अनुसरण करना चाहिए ।

इस प्रसङ्ग में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है । अलङ्कार शास्त्र में
वृत्ति नाम स अनेक का यतयो का उल्लेख मिलता है । १ शब्द की आभवा,
लक्षणा ताभ्या और व्यञ्जना शक्तियो को भी वृत्ति नाम म कहा जाता है ।
२ 'वतते अनुभासभेदा आमु इति वृत्तप' इस उपग्रह क अनुसार अनुप्रास प्रकार
को भी वृत्ति कर्ण जाता है । भट्टोद्भूत न देहा अनुप्रास प्रकारों को पर्याय, उप
नागरिका और ग्रन्था तीन वृत्तियों क रूप में माना है और उनक लक्षण इस
प्रकार किए हैं —

शप या रेफसयोगैष्टनगण च योजिता ।
पर्याय नाम वृत्ति स्यात् हृद्यैश्च समुता ॥
सरूपसयोगयुता मृद्धि वगातयोगाम ।
दर्शयता च मयते उपनागरता बुधा ॥
शेषैवैषु सायोग कथिता कोमलात्मया ।
ग्राम्या वृत्ति प्रशसन्ति ज्ञान्येष्वाहततुद्रय ॥

— उद्भूत का० १, ५, ३, ७ ।

नाम्य शास्त्र आदि में नाम्योपयोगी कै शब्दी आदि चर प्रकार की
वृत्तियों का निरूपण किया गया है ।

तद् [नायक] व्यापारात्मिका वृत्तिश्चतुर्धा तत्र कैशिकी ।
गीतनृत्यविलासाद्यैर्मृदु शृङ्गारचेष्टितैः ॥

दशरूपक २, ४७

‘निशोका सात्वती सत्वशीर्यत्यागदयार्जवैः’ ।

‘एभिरङ्गैश्चतुर्धेय सात्वती, आरभ्यी पुन ॥

मायेन्द्रजालसग्रामत्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितैः’ । द० २, ५६ ।

‘भारती संस्कृतप्रायो वाग्याहारो नगधयः’ ॥ द० ३, ५ ।

शृङ्गारे कैशिकी, वीरे सात्वत्यारभ्यी पुन ।

रसे रीद्रे च वीभक्ते, वृत्ति सर्वत्र भारती ॥ दश० २, ६२ ।

इस प्रकार साहित्य शास्त्र का ‘वृत्ति’ शब्द अनेकार्थ में परिभाषित होने से उड़ा सन्देहजनक है । उसी यह सन्देहजनकता रीति और सङ्घटना शब्दों के साथ मिल कर और भी अधिक उड़ जाती है । प्रकृत प्रसङ्ग में आनन्दवर्धनाचार्य ने जो ‘वृत्ति’ शब्द का प्रयोग किया है वह ‘मट्टेन्द्रट’ की पर्याय, उपनागरिका और ग्राम्या जिसका दूसरा नाम कोमला भी है, के लिए ही किया है यह तो स्पष्ट है । परन्तु यहाँ उसका सङ्घटना के साथ समन्वय निरूपित होने से वृत्ति, सङ्घटना और रीति इन तीनों के भेद का प्रश्न सामने आ जाता है । आलोचकार ने यहाँ पर्यायसन्ध में दीर्घसमासा रचना होने पर भी ग्राम्या वृत्ति का व्यवहार वर्जित बताया है । इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि रचना को वर्ण और पद की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । पदों की दृष्टि से रचना के असमासा, मध्यसमासा और दीर्घसमासा ये तीन भेद किये जा सकते हैं । आलोचकार ने इन्हीं तीनों भेदों को सङ्घटना शब्द से कहा है । परन्तु वर्ण के प्रयोग की दृष्टि से रचना के पर्याय, उपनागरिका और ग्राम्या या कोमला यह तीन विभाग मट्टेन्द्रट आदि ने किये हैं और उनको ‘वृत्ति’ कहा है । इसका अर्थ यह हुआ कि पदस्थिति प्रधान रचना के लिए सङ्घटना शब्द, तथा वर्णस्थिति प्रधान रचना के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है । वामन ने रचना प्रकार के प्रसङ्ग में रीति शब्द का प्रयोग किया है । उन्होंने अपनी रीतियों का समन्वय माधुर्य आदि गुणों से जोड़ा है । गुणों की अभिव्यक्ति में पद और वर्ण दोनों की विशेष उपयोगिता है । अतएव वामन की रीति में सङ्घटना तथा वृत्ति दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है । इसलिए व्याकरण के पद जो रीतियों का विवेचन किया गया है उसमें रीतियों के प्रत्येक भेद में रचना का एक वर्णगत और एक पदगत भेद स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है । जैसे रुद्रट ने रीतियों के लक्षण इस प्रकार किए हैं —

सर्गबन्ध तु रसतात्पर्ये^१ यथारसमौचित्य, अन्यथा तु कामचार ।
 द्वयोरपि मार्गयो सर्गबन्धविधायिना दर्शनाद् रसतात्पर्यं साधीय ।
 अभिनेयार्थे तु सर्वथा रसप्रन्धेऽभिनिवेश कार्ये । आख्यायिकाकथयोस्तु
 गद्यनिबन्धनबाहुल्याद्, गद्ये च^२ छन्दोबन्धभिन्नप्रस्थानत्वादिह नियम-
 हेतुरकृतपूर्वोऽपि मनाक् क्रियते ॥ ७ ॥

असमस्तैकसमस्ता युक्ता दशभिर्गुणैश्च वैदभा ।

वर्गद्वितीयबहुला स्वल्पप्राणाक्षरा च सुविधेया ॥

इसमें 'असमस्तैकसमस्ता' पद आनन्दवर्धन की सङ्घटना के प्रथम भेद असमासा का ग्राहक है और यह रचना के पदगत वैशिष्ट्य से सम्बन्ध रखता है । इस वैदभा का दूसरा भाग 'वर्गद्वितीयबहुला' स्वल्पप्राणाक्षरा है । यह मद्भोद्भट की वृत्ति का स्थानीय प्रतीत होता है । रचना के इन दोनों भागों का सम्बन्ध गुणों के स्वरूप से है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वृत्ति और सङ्घटना ये दोनों राति के अङ्ग हैं और उन दोनों की समष्टि का नाम रीति है ।

सर्गबन्ध [महाकाव्य] में रसप्रधान होने पर रस के अनुसार औचित्य होना चाहिए अन्यथा [केवल इतिवृत्तप्रधान महाकाव्य, जैसे भट्ट जयन्त का कादम्बरी कथासार, होने पर] तो कामचार [स्वतंत्रता] है । [रसप्रधान और इतिवृत्तमात्र प्रधान] दोनों प्रकार के महाकाव्य निर्माता देखे जाते हैं [उनमें से] रसप्रधान [महाकाव्य] श्रेष्ठ है । अभिनेयार्थ [नाटकादि] में तो सर्वथा रसयोजना पर पूर्ण बल देना चाहिए । आख्यायिका और कथा में तो गद्यरचना की [ही] प्रधानता रहने और गद्य में छन्दोबद्ध रचना से भिन्न मार्ग होने से उसके विषय में कोई नियामक हेतु इसके पूर्व निर्मित न होने पर भी कुछ थोड़ा सा [निर्देश] करते हैं ।

'द्वयोरपि मार्गयो' की व्याख्या कुछ लोगों ने 'संस्कृत प्राकृतयोर्द्वयो' की है । उनके अनुसार दो मार्ग से तात्पर्य संस्कृत तथा प्राकृत महाकाव्यों से है । परंतु वास्तव में यह व्याख्या उचित नहीं है क्योंकि उनमें से 'रसतात्पर्यं साधीय' रस प्रधान को श्रेष्ठ ठहराया गया है । इसकी सङ्गति तो तभी ठीक लगती है जब 'द्वया' से रस प्रधान और इतिवृत्तमात्र प्रधान इन दो भेदों का ग्रहण किया जाय । उन दोनों में तुलनात्मक दृष्टि से रसप्रधान महाकाव्य निःसन्देह अधिक

अथवा पद्यवद् गद्यबन्धेऽपि रसबन्धोक्तमौचित्य सर्वत्र सञ्चिता रचना भाति^१ तत्तु विषयापेक्ष किञ्चिद् विशेषतः भवति । न तु सर्वाकारम् । तथाहि गद्यबन्धेऽपि अतिदीर्घसमासा रचना न विप्रलम्भ-शृङ्गारकरणयोरार्याविक्रयासपि शोभते । नाटकादावप्यसमासैव सङ्घटना । रौद्रवीरादिवर्णने विषयापेक्ष त्वौचित्य प्रमाणतोऽपकृत्यते प्रकृत्यते च । तथा ह्यार्याविक्रया नात्यन्तसमासा स्वविषयेऽपि, नाटकादौ नातिदीर्घसमासा चेति सङ्घटनाया विगनुसर्तव्या ॥६॥

करने वाली रचना सर्वत्र [गद्यपद्य दोनों में] शोभित होती है । विषयगत [औचित्य] की दृष्टि से उसमें कुछ [थोड़ा] भेद हो जाता है ।

अथवा पद्य [रचना] के समान गद्य में भी रसबन्धोक्त औचित्य का सर्वत्र आश्रय लेने वाली रचना शाभित होती है । वह [औचित्य] विषय [गत औचित्य] की दृष्टि से कुछ विशेष होजाता है [परन्तु] सर्वाथा नहीं । उदाहरणार्थ गद्य रचना में भी करण और विप्रलम्भ शृङ्गार में आर्याविक्रा तक में भी अत्यन्त दीर्घ समास वाली रचना अच्छी नहीं लगती । नाटकादि में भी असमासा सङ्घटना ही होनी चाहिए । [नाटकादि में] रौद्र, वीर आदि के वर्णन में विषय की अपेक्षा करने वाला औचित्य प्रमाण [रसबन्धोक्त औचित्य रूप प्रमाण] के बल स घट बढ़ जाता है । जैसे आर्याविक्रा में स्वविषय [करण विप्रलम्भ शृङ्गार] में भी अत्यन्त समासहीन, और नाटक आदि में [स्वविषय रौद्र वीरादि में] भी अत्यन्त दीर्घसमासा रचना नहीं होनी चाहिए । सङ्घटना के इसी भाग का [सर्वत्र] अनुसरण करना चाहिए ॥६॥

निर्णयसागरीय तथा दीधितिगीका वाले संस्करण में इसके बाद निम्न लिखित एक श्लोक भी मिलता है । परन्तु लोचनकार ने उसकी व्याख्या नहीं की है अतएव उसकी प्रामाणिकता सन्देह होने से बालप्रिया युक्त वाराणसीय संस्करण में उसको मूल पाठ में नहा रखा है । इसीलिए हमने भी उस मूल पाठ में स्थान नहीं दिया है । फिर भी अन्य संस्करणों में पाया जाता है अतएव यहाँ उसकी व्याख्या कर देते हैं ।

इति कायार्थविवेको योऽयं चेतश्चमत्कृतिविधायी ।

सूरभिरनुसृतसारैस्समदुपशो न विस्मर्य ॥ इति ।

इदानीमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो ध्वनिः प्रबन्धात्मा रामायणमहा-
भारतादौ प्रकाशमानः प्रसिद्ध एव । तस्य तु यथा प्रकाशनं तत्
प्रतिपाद्यते :—

विभाव-भावा-नुभाव-सञ्चार्योचित्य-चारुणः ।

विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा ॥१०॥

इस प्रकार चित्त को चमत्कृत करने वाला, और हम [श्री आनन्दवर्धना-
चार्य] जिसके आद्य प्रवर्तक हैं ऐसा जो यह काव्यार्थ का विवेक है, सार सत्व
का अनुसरण करने वाले विद्वानों द्वारा उसको भुलाया नहीं जाना
चाहिए । इति ।

यह श्लोक स्वयं और उसके अन्त में प्रयुक्त इति शब्द वस्तुतः ग्रन्थ
समाप्ति के अन्तर पर अधिक उपयुक्त होते हैं । यहाँ भी यद्यपि एक अवान्तर
प्रकरण की समाप्ति हो रही है परन्तु फिर भी यह स्थान उनके लिए उपयुक्त
नहीं है । सम्भ्रमः इसीलिए लोचनगार ने इसे अप्रामाणिक मान कर उसकी
व्याख्या नहीं की है ॥ ६ ॥

प्रबन्धान्तर्गत रसाभिप्रेक्षित के लिए निम्न ६ बातों का ध्यान रखना
आवश्यक है । सत्र से पहिले, एक सुन्दर मूल कथा का निर्धारण । दूसरे, उस
कथा का रसानुद्गूल संस्करण । तीसरे, कथा विस्तार में अपेक्षित सन्धि तथा सन्ध्य
की रचना । चौथे, (अ) बीच में यथास्थान रस का उद्दीपन प्रशमन और (ब) प्रबन्ध
में प्रधान रस का आदि से अन्त तक अनुसन्धान अर्थात् अस्मरण । पाश्र्व में,
उचित मात्रा में ही और उचित स्थानों पर ही अलङ्कारों का सन्निवेश । इन्हीं
अङ्गों का वर्णन इन १० से १४ तक की पाच कारिकाओं में किया है और उन्हीं
का वृत्तिगार ने आगे बहुत विस्तार में विवेचन किया है

अथ, अमलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य (रसादि) ध्वनि जो रामायण, महाभारत
आदि में प्रबन्धगत रूप में प्रकाशित होता हुआ प्रसिद्ध हो है । उसका
जिस प्रकार प्रकाशन [होना चाहिए] वह [प्रकार] कहते हैं :—

१. विभाव, [स्थाप्य] भाव, अनुभाव और मञ्जाराभाव के औचित्य में
सुन्दर, [वृत्त एवं घटित-अर्थात्] ऐतिहासिक अथवा [उपेक्षित अर्थात्]
कल्पित कथा शरीर का निर्माण ।

इतिवृत्तवशायातां त्वक्त्वाऽननुगुणां स्थितिम् ।
 उत्प्रेच्याप्यन्तराभीष्ट-रसोचित-कथोन्नयः ॥११॥
 सन्धिसन्ध्यङ्गघटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया ।
 न तु कवलया शास्त्र-स्थितिसंपादनेच्छया ॥१२॥
 उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा ।
 रसस्यारब्धविश्रान्तेरनुसन्धानमङ्गिनः ॥१३॥
 अलंकृतीनां शक्तावधानुरूप्येण योजनम् ।
 प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम् ॥१४॥

प्रबन्धोऽपि रसादीनां व्यञ्जक इत्युक्त तस्य व्यञ्जकत्वे निबन्धनम् ।

प्रथमं तावत्, विभावभायानुभावसञ्चार्यौचित्यचारुण. कथा-
 शरीरस्य विधिः । यथायथं प्रतिपिपादयिपितरसभावाद्यपेक्षया य
 उचितो विभावो भावोऽनुभाव सञ्चारी या तदौचित्यचारुणः कथा-
 शरीरस्य विधिव्यञ्जकत्वे निबन्धनमेकम् ।

२. ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त होने पर भी रस के प्रतिकूल स्थिति
 [कथांशादि] को छोड़ कर, बीच में अभीष्ट रस के अनुकूल नवीन कल्पना
 करके भी कथा का संस्करण ॥११॥

३. केवल शास्त्रीय विधान के परिपालन की इच्छा से नहीं, अपितु
 [शुद्ध] रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से सन्धि और सन्ध्यङ्गों की रचना ॥१२॥

४. यथावसर [रसों के] उद्दीपन तथा प्रशमन [की योजना] और
 विश्रान्त होते हुए प्रधान रस का अनुसन्धान [स्मरण रचना] ॥१३॥

५. [अलङ्कारों के यथेच्छ प्रयोग की पूर्ण] शक्ति होने पर भी
 [रस के] अनुरूप ही [परिमित मात्रा में] अलङ्कारों की योजना ।

[यह पाच] प्रबन्धगत रस के अभिव्यञ्जन हेतु हैं ।

१—प्रबन्ध [काव्य] भी रसादि का व्यञ्जक होता है यह [इसी
 उद्योत की दूसरी कारिका में] कहा है । उसके व्यञ्जकत्व के हेतु [निम्न-
 लिखित पाच हैं] ।

सब से पहिले विभाव, [स्थायी] भाव, अनुभाव और सञ्चारी भाव

तत्र विभावौचित्यं तावत् प्रसिद्धम् । भावौचित्यं तु प्रकृत्यौ-
चित्यात् । प्रकृतिर्हि, उत्तममध्यमाधमभावेन दिव्यमानुपादिभावेन च
विभेदिनी । तां यथायथमनुसृत्यासङ्कीर्णं स्थायीभाव उपनिबध्यमान
श्रौचित्यभाग^१ भवति । अन्यथा तु केवलमानुपाश्रयेण दिव्यस्य, केवल-
दिव्याश्रयेण वा^२ केवलमानुपस्य, उत्साहादय उपनिबध्यमाना अनुचिता
भवन्ति^३ । तथा च केवलमानुपस्य राजादेर्वर्णने सप्तार्णयलङ्घनादि-
लक्षणा व्यापारा उपनिबध्यमाना सौष्ठवभृतोऽपि नीरसा एव नियमेन
भवन्ति^३ । तत्र त्वनौचित्यमेव हेतु ।

के श्रौचित्य से सुन्दर कथाशरीर का निर्माण [है] । उचित प्रकार से प्रतिपादनाभिमत रस भाव आदि की दृष्टि से जो उचित रिभाव, [स्थायी] भाव, अनुभाव, या सञ्चारीभाव उनके श्रौचित्य से सुन्दर कथाशरीर का निर्माण [रस का] अभिव्यञ्जक पहिला कारण है ।

उनमें से विभाव का श्रौचित्य तो [खोर तथा भरत नाट्यशास्त्र आदि में] प्रसिद्ध ही है । [स्थायी] भाव का श्रौचित्य प्रकृति के श्रौचित्य से होता है । प्रकृति उत्तम, मध्यम, अधम और दिव्य तथा मानुप भेद से भिन्न प्रकार की होती है । उसको यथोचित रूप से अनुसरण करते हुए असङ्कीर्ण [बिना मिलापट के, शुद्ध] रूप से उपनिबद्ध स्थायी भाव श्रौचित्य युक्त माना जाता है । नहीं तो केवल मानुप [प्रकृति] के आश्रय, दिव्य [प्रकृति] के [उत्साहादि], अधमा केवल दिव्य [प्रकृति] के आश्रय से उपनिबध्यमान केवल मानुप के उत्साहादि [स्थायीभाव] अनुचित होते हैं । इसलिए केवल मानुप [प्रकृति] राजा आदिके वर्णन में, सात समुद्र पार करने आदि के उत्साह के वर्णन सुन्दर होने पर भी निश्चित रूप से नीरस ही [प्रतीत] होते हैं । इसका कारण अनौचित्य ही है ।

यहा 'व्यापारा उपनिबध्यमाना' में व्यापार शब्द से व्यापारोचित उत्साह का ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि यहा स्थायीभाव के श्रौचित्य की चर्चा हो रही है, अनुभाव के श्रौचित्य की नहीं । व्यापार तो अनुभाव में आ सकता है स्थायीभाव में नहीं । अतएव व्यापार शब्द व्यापारोचित स्थायीभाव उत्साह का ही ग्रहण है ।

ननु नागलोकगमनादयः सातवाहनप्रभृतीनां श्रूयन्ते, तदलोक-
सामान्यप्रभावातिशयवर्णने^१ किमनौचित्यं सर्वोर्वाभरणक्षमाणां
क्षमाभुजासिति ।

नैतदस्ति । न वयं ब्रूमो यत् प्रभावातिशयवर्णनमनुचितं
राज्ञाम् । किन्तु केवलमानुपाश्रयेण योत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां
दिव्यमौचित्यं न योजनीयम् । दिव्यमानुष्यायान्तु^२ कथायामुभयौचित्य-
योजनमविरुद्धमेव । यथा पाण्डुवादिकथायाम् । सातवाहनादिषु तु येषु
यावदपदानं^३ श्रूयते तेषु तावन्मात्रमनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रति-
भासते । व्यतिरिक्तं तु तेषामेवोपनिबध्यमानमनुचितम् ।

तदयमत्र परमार्थः—

‘अनौचित्यादृते नान्यद् रसमङ्गलस्य कारणम् ।

प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिपत् परा ॥’

[प्रश्न] सातवाहन आदि राजाओं के नागलोक गमन आदि का वर्णन मिलता है तो समस्त पृथिवी के धारण में समर्थ राजाओं के अलौकिक प्रभावातिशय के वर्णन में क्या अनौचित्य है ?

[उत्तर] यह बात नहीं है । हम यह नहीं कहते कि राजाओं के प्रभावातिशय का वर्णन करना अनुचित है । किन्तु केवल मानुष [प्रकृति] के आधार पर जो कथा कल्पित की जाय उसमें दिव्य [प्रकृति] के औचित्य को नहीं जोड़ना चाहिए । दिव्य और मानुष [उभय प्रकृतिक] कथा में तो दोनों प्रकार के औचित्यों का वर्णन अविरुद्ध है । जैसे पाण्डु आदि की कथा में । सातवाहन [की कथा] आदि में तो जिन [के विषय] में जितना पूरा वृत्तान्त [दिव्य प्रकृति सम्बन्धी] सुना जाता है उन [कथाओं] में केवल उतने [अंश] का अनुसरण तो उचित प्रतीत होता है [परन्तु] उनका ही उससे अधिक का वर्णन अनुचित है । [‘यावदपदानं श्रूयते’ इस मूल में ‘अपदानं’ शब्द ध्याया है । अमरकोष में उसका अर्थ “अपदानं कर्मवृत्तम्” अर्थात् प्राचीन प्रशास्त्र धरित किया है ।]

इसलिए इस सब का सारांश यह हुआ कि—

१. प्रभावादतिशयवर्णने, नि०, दो० । २ दिव्यमानुषायाम् नि० दो० ।

३. ‘अपदानं कर्मवृत्तम्,’ अमरकोष ।

अतएव च भरते 'प्रख्यातवस्तुविषयत्वं प्रख्यातोद्दात्तनायकत्वं च नाटकस्यावश्यकव्यतयोपन्यस्तम् । तेन हि नायकौचित्यानौचित्य-विषये कविर्न व्यामुह्यति' । यस्तूपाद्यवस्तु नाटकादि कुर्यात्, तस्या-प्रसिद्धानुचितनायकस्वभाववर्णने महान् प्रमादः ।

ननु यद्युत्साहादिभाववर्णने कथञ्चिद् दिव्यमानुष्याद्यौचित्यपरीक्षा क्रियते तत् क्रियताम् । स्यादौ तु किन्तया प्रयोजनम् । रतिर्हि भारतवर्षो-चितेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः ।

नैवम् । तत्रौचित्यातिक्रमेण सुतरां दोषः । तथा ह्यधमप्रकृत्यौचित्ये-नोत्तमप्रकृते शृङ्गारोपनिबन्धने का भवेन्नोपहास्यता ।

त्रिविधं प्रकृत्यौचित्यं भारते वर्ण्यस्ति शृङ्गारविषयम् ।

अनौचित्य के अतिरिक्त रस भङ्ग का और कोई कारण नहीं है और प्रसिद्ध औचित्य का अनुसरण ही रस का परम रहस्य है ।

इसीलिए भरत [के नाट्यशास्त्र] में नाटक में प्रख्यात वस्तु [कथा] को विषय और प्रख्यात उदात्त नायक का रचना अनिर्णय [अर्थात् कर्तव्य] प्रतिपादित किया है । इससे नायक के औचित्य अनौचित्य के विषय में कवि भ्रम में नहीं पड़ता । और जो कल्पित कथा के आधार पर नाटकादि का निर्माण करता है उससे अप्रसिद्ध और अनुचित नायक स्वभावादि वर्णन में घड़ी भूल हो सकती है ।

[प्रश्न] उत्साह आदि [स्थायी] भावों के वर्णन में यदि दिव्य, मानुष आदि [प्रकृति] के औचित्य की परीक्षा करते हैं तो करें परन्तु स्यादि [स्थायीभाव के वर्णन] में उन [परीक्षा] में क्या लाभ ? रति तो भारत-वर्षोचित व्यवहार से ही [दिव्यों] देवताओं की भी वर्णन करनी चाहिये यह [भरत के नाट्यशास्त्र २०, १०१ का] सिद्धान्त है ।

[उत्तर] यह बात नहीं है । वहाँ [रतिविषय में] भा औचित्य का उल्लङ्घन करने में दोष ही है । क्योंकि उत्तमप्रकृति [के नायक-नायिका] के अधमप्रकृति के उचित शृङ्गारादि के वर्णन में वहाँ तो उपहास्यता नहीं होगी ?

यत्तु^१ दिव्यमौचित्यं तत्^२ तत्रानुपकाररुमेवेति चेत्^३ ?
 न वयं दिव्यमौचित्यं शृङ्गारविषयमन्यत्किञ्चिद् भ्रूमः ।
 किं तर्हि ?

भारतवर्षविषये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु शृङ्गारोपनिबन्धस्तथा
 दिव्याश्रयोऽपि शोभते । न च राजादिषु प्रसिद्धग्राम्यशृङ्गारोपनिबन्धनं
 प्रसिद्धं नाटकादौ, तथैव देवेषु तत् परिहर्तव्यम् ।

नाटकादेरभिनेयार्थत्वाद्भिनयस्य^४ च^५ सम्भोगशृङ्गारविषयस्या-
 सभ्यत्वात् तत्र परिहार इति चेत् ?

न । यद्यभिनयस्यैवंविषयस्यासभ्यता^५ तत् काव्यस्यैव विषयस्य सा

[प्रश्नकर्ता] भारतवर्ष में भी तीन प्रकार का शृङ्गारविषयक प्रकृति
 का औचित्य पाया जाता है । [उनसे भिन्न] जो [कोई और] दिव्य औचित्य है
 वह उस [रसाभिव्यक्ति] में अनुपकारक हो है । [क्योंकि उस दिव्य रति
 आदि विषयक संस्कार न होने से प्रेक्षक को उससे रसानुभूति नहीं होगी ।]

[उत्तर] हम शृङ्गार विषयक दिव्य औचित्य [भारतवर्षोचित औचित्य
 से] अलग कुछ और नहीं बताते हैं ।

[प्रश्न] तो फिर ? [आप क्या कहते हैं]

[उत्तर] भारतवर्ष [के] विषय में उत्तम नायक राजा आदि में जिस
 प्रकार के शृङ्गार का वर्णन होता है वह दिव्य [नायक आदि] आश्रित भी
 शोभित होता है । [और जैसे] राजा आदि [उत्तम नायकादि] में प्रसिद्ध
 ग्राम्य शृङ्गार का वर्णन नाटकादि में प्रचलित नहीं है उसी प्रकार देवों में भी
 उसको बचाना चाहिये । [यह हमारे कहने का अभिप्राय है ।]

[प्रश्नकर्ता] नाटकादि अभिनेयार्थ होते हैं । सम्भोगशृङ्गारविषयक
 अभिनय के अंशमय [ता पूर्ण] होने से नाटकादि में उसका परिहार किया
 जाता है [परन्तु काव्य में तो अभिनय न होने से उसके परिहार की
 आवश्यकता नहीं है ।] यदि ऐसा कहें तो ?

[उत्तर] उचित नहीं है । यदि इस प्रकार का [सम्भोगशृङ्गार-

१. यत्त्वग्यद् नि० । २. तदत्र नि० । ३. अभिनेयत्वाद् नि०, अभिनेयस्य
 नि० दी० । ४. सम्भोगशृङ्गारविषयत्वात् नि० दी० । ५. असह्यता नि०, दी०

केन निवार्यते । तस्मादभिनेयार्थेऽनभिनेयार्थे^१ वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तमप्रकृतिभिर्नायिकाभिः सह ग्राम्यसम्भोगवर्णनं तत् पित्रोः सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसम्भ्यम्^२ । तथैवोत्तमदेवताविषयम् ।

न च सम्भोगशृङ्गारस्य सुरतलक्षण एवैकः प्रकारः, यावदन्येऽपि प्रभेदाः परस्परप्रेमदर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रकृतिविषये न वार्यन्ते । तस्मादुत्साहवद् रतावपि प्रकृत्यौचित्यमनुसर्तव्यम् । तथैव विस्मयादिषु । यत्त्रेवविधे विषये महाकवीनामप्यसमीक्ष्यकारिता लक्ष्ये दृश्यते स दोष एव । स तु शक्तिरस्कृतत्वात् तेषां न लक्ष्यते, इत्युक्तमेव ।

अनुभावौचित्यं तु भरतादौ प्रसिद्धमेव । इयत्तुच्यते । *भरतादिविरचितां स्थितिं चानुवर्तमानेन महाकविप्रवन्धाश्च पर्यालोचयता

विषयक] अभिनय असम्भ्यतापूर्णं है तो इस प्रकार के [सम्भोग-शृङ्गारविषयक] काव्य में उस [असम्भ्यता दोष] को कौन निवारण कर सकता है । [वहा भी वह दोष होगा ही] इसलिए अभिनेयार्थ या अनभिनेयार्थ [सभी प्रकार के] काव्य में उत्तम प्रकृति राजा आदि का उत्तम प्रकृति की नायिका के साथ जो ग्राम्य सम्भोग का वर्णन [करना] है वह माता पिता के सम्भोग वर्णन के समान अश्रमन्त [अनुचित और] असम्भ्यतापूर्ण है । उसी प्रकार उत्तम देवता विषयक [सम्भोगशृङ्गार वर्णन अनुचित और असम्भ्य] है ।

सम्भोग शृङ्गार का केवल सुरत वर्णन रूप एक ही प्रकार तो नहीं है । अपितु उसके परस्पर प्रेम दर्शन आदि और भी भेद हो सकते हैं । उत्तम प्रकृति के [नायिकादि] के विषय में उनका वर्णन क्यों नहीं करते । [यथार्थ उन्हीं का वर्णन करना चाहिये] इसलिये उत्साह के समान रति में भी प्रकृत्यौचित्य का अनुसरण करना ही चाहिये । इसी प्रकार विस्मयादि में भी । इस प्रकार के विषय में जो [कालिदासादि] महाकवियों की अत्यमीक्ष्यकारिता [कुमारसम्भवादि] लक्ष्य ग्रन्थों में देखी जाती है वह दोष रूप ही है । केवल उनकी प्रतिभा से अभिभूत हो [दय] जाने से प्रतीत नहीं होनी यह कह ही चुके हैं ।

अनुभागों का औचित्य तो भरतादि [के नाट्यशास्त्रादि] में प्रसिद्ध ही

१. अभिनेयार्थे च नि०, ही० । २. असह्यम् नि० ही० । ३. भरतादि-स्थितिं नि०, ही० ।

स्वप्रतिभां धानुसरता कथिनाऽवहितचेतसा भूत्वा विभावाद्यौचित्यत्र श-
परित्यागे परः प्रयत्नो विवेय ।

श्रौचित्यवत्. कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेक्षितस्य वा ग्रहो व्यञ्जक
इत्येतेनैतत् प्रतिपादयति यदितिहासादिषु कथासु रसवतीषु ^१ विप्रिधासु
सतीष्वपि यत्तत्र विभावाद्यौचित्यवत् कथाशरीरं तदेव प्राङ् नैतरत् ।
वृत्तादपि च कथाशरीरादुत्प्रेक्षिते विशेषतः प्रयत्नवता भवितव्यम् । तत्र
ह्यनवधानात् स्पलत. कपेरव्युत्पत्तिसम्भावना महती भवति ।

परिकरश्लोकरुचात्र :—

कथाशरीरमुत्पाद्य वस्तु कार्यं तथा तथा ।
यथा रसमय ^२ सर्वमेव तत्प्रतिभासते ॥

है । केवल इतना तो [विशेष रूप से] कहना है कि भरतादि मुनियों द्वारा
निर्धारित मर्यादा का पालन करते हुए, महाकवियों के ग्रन्थों [काव्यों] का
पर्यालोचन करते हुए और अपनी प्रतिभा का अनुसरण करते हुए कवि को
सावधान होकर विभावादि के श्रौचित्य से पतित होने से बचने के लिये पूर्ण
प्रयत्न करना चाहिये ।

ऐतिहासिक अथवा कल्पित श्रौचित्ययुक्त कथाशरीर का ग्रहण करना
[रस का] अभिव्यञ्जक होता है, इससे [कारिकाकार] यह प्रतिपादन करते हैं
कि इतिहासादि में [साधारणजनों के अभिप्राय से] रसवती नाना प्रकार की
कथाओं के होने पर भी उनमें जो विभावादि के श्रौचित्य से युक्त कथावस्तु है
उसी को ग्रहण करना चाहिये, ग्रन्थों को नहीं । और ऐतिहासिक कथावस्तु से
भी अधिक कल्पित कथावस्तु में [सावधान रहने का] प्रयत्न करना चाहिये ।
यहां [कल्पित कथावस्तु में] असावधानी से भूल कर जाने पर कवि की
अव्युत्पत्ति [प्रदर्शन] की बहुत सम्भावना रहती है ।

इस विषय में साराश श्लोक [यह] है ।

कल्पित कथावस्तु को इस प्रकार निर्माण करना चाहिये । जिसमें यह
सकता सब रसमय ही प्रतीत हो ।

तत्र चाभ्युपाय. सन्यग् विभावाद्यौचित्यानुसरणम् । तच्च
दर्शितमेव ।

फिद्धः—

सन्ति सिद्धरसप्रत्या ये च रामायणादयः ।

कथाश्रया न तैर्योज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥

तेषु हि कथाश्रयेषु तावत् स्वेच्छैव न योज्या । यदुक्तम् “कथामार्गे
न चाल्पोऽप्यतिक्रमः १” स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रसविरोधिनी न योज्या ।

इदमपरं प्रबन्धस्य रसाभिव्यञ्जकत्वेऽनिवन्धनम् । इतिवृत्तवशायाता
कथञ्चिद्रसाननुगुणा स्थितिं त्यक्त्वा पुनरत्रेद्याप्यन्तराभीष्टरसोचितकथो-
न्नयो रिधेयः । यथा कालिदासप्रबन्धेषु । यथा च सर्वसेनविरचिते
हरिविजये । यथा च मदीय एवार्जुनचरिते महाकाव्ये । कविना २काव्य-
मुपनिबन्धता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितव्यम् । तत्रंतिवृत्ते यदि
रसाननुगुणा स्थितिं परयेत् ३तदेमा भङ्क्त्वापि स्वतन्त्रतया रसानुगुण
कथान्तरमुत्पादयेत् । न हि कवेरिति वृत्तमात्रनिर्वहणेन किञ्चित् प्रयोजनम्,
इतिहासादेव तत्सिद्धेः ।

उसरा उपाय विभागादि के औचित्य का भली प्रकार अनुसरण करना
[ही] है । और उसे दिखा ही चुके हैं ।

और भी [कहा है] —

सिद्ध रसों के समान [सद्य आस्वादमात्र योग्य न कि भावनीय या
परिकल्पनीय] कथाओं के आश्रय जो रामायणादि [इतिहास] हैं उनके साथ
रस विरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

पहिली बात तो यह कि उन कथाश्रयों में स्वेच्छा लगानी ही नहीं
चाहिये । जैसा कि कहा है ‘कथा में जोड़ा भी हेर-फेर न करे’ । और यदि
[प्रयोजनरश] स्वेच्छा का प्रयोग करे भी तो रसविरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग
न करे ।

२. प्रबन्ध [काव्य] के रसाभिव्यञ्जकत्व का यह भी [दूसरा] और
कारण है कि ऐतिहासिक परम्परा में प्राप्त [होने पर भी] किसी प्रकार [से भी]
रसविरोधिनी स्थिति [कथाएँ] को छोड़ कर और बीच में बदलना करके भी अभीष्ट

रसादिव्यञ्जकत्वे प्रबन्धस्य चेदमन्यन्मुख्यं निबन्धनं, यत् सन्धीनां मुद्रप्रतिमुद्रगर्भावमर्शनिर्वहणाख्याना, तदङ्गानां चोपदेपादीनां घटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया । यथा रत्नावल्याम् । न तु केवलं शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया यथा वेणोमंहारे विलासाख्यस्य प्रतिमुखसन्ध्यङ्गस्य प्रकृतरसनियन्धनाननुगुणमपि द्वितीयेऽङ्के भरतमतानुसरणमात्रेच्छया घटनम् ।

रसोचित कथा का निर्माण करना चाहिए । जैसे कालिदास की रचनाओं में [रघुवंश में अजादि राजाओं का विवाह वर्णन और 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' नाटक में शकुन्तला का प्रत्याख्यान आदि इतिहास में उस रूप में बखित नहीं है किन्तु कथा को रसानुगुण और राजा दुष्यन्त को उदात्तविरित बनाने के लिए उनकी कल्पना की गई है] और जैसे सत्रंसेनविरचित हरिविजय [महाकाव्य] में [कान्ता के अनुमय के लिए पारिजातहरण का वर्णन] और जैसे मेरे ही बनाए अर्जुनचरित महाकाव्य में [अर्जुन का पाताल विजयादि उस रूप से इतिहास में बखित न होने पर भी कथा को रसानुगुण बनाने के लिए कल्पित किया गया है] । काव्य का निर्माण करते समय कवि को पूर्ण रूप से रसपरतन्त्र बन जाना चाहिये । इसलिए यदि इतिहास में रस के विपरीत स्थिति देते तो उसको तोड़ कर स्वतन्त्र रूप से रस के अनुरूप दूसरी [प्रकार से] कथा बना ले । इतिवृत्त का निर्वाह कर देने मात्र से कवि का कोई लाभ नहीं है क्योंकि वह प्रयोजन तो इतिहास से भी सिद्ध हो सकता है ।

इसी नियम के अनुसार कालिदास ने शकुन्तला नाटक में दुर्वासा के शाप, मत्स्यावतार में श्रंगुटी का गिरना, शापप्रसन्नविस्मृतिमूलक शकुन्तलाप्रत्याख्यान आदि की कल्पना कर इतिहास [महाभारत] के 'अभरवृत्ति' दुष्यन्त को उदात्त नायक बना दिया है । और इसी के अनुसर महाकवि भर्तृहरि ने उत्तररामचरित के तृतीय अङ्क में 'ह्याया मीता' की कल्पना कर पत्थरों को रूपाय और यत्र को गलाने में समर्थ कल्प रस की सृष्टि की है—'अपि प्रावा रोदित्यपि दलनि वज्रस्य हृदयन्' ।

३. प्रबन्ध [काव्य] के रसादिव्यञ्जकत्व का यह और [तीसरा] मुख्य कारण है कि [नाट्यशास्त्रोक्त] मुद्र, प्रतिमुद्र, गर्भ, विमर्श, और निबंध्य नामक [पद्य] सन्धियों और उनके उपदेपादि [६४] अङ्गों का रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से जोड़ना । जैसे 'रत्नावली' [नाटिका] में । न कि केवल शास्त्रमर्यादा का पालन करने मात्र की दृष्टि से, जैसे 'वेणोमहार' [नाटक] में,

इदं चापरं प्रबन्धस्य रसव्यञ्जकत्वे निमित्तं यदुद्दीपनप्रशमने
यथावसरमन्तरा' रसस्य, यथा रत्नावल्यामेव । पुनरारब्धविश्रान्ते
रसस्याङ्गिनोऽनुसन्धिरच, यथा तापसवत्सराजे ।

प्रबन्धविशेषस्य नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं^१ चापरमवगन्तव्यं
यदलङ्कृतीनां शक्तावप्यानुरुप्येण योजनम् । शक्तो हि कविः कदाचित्
अलङ्कारनिबन्धने तदाङ्गिमत्तयैवानपेक्षितरसबन्धः । प्रबन्धमारभते तदु-
पदेशार्थमिदमुक्तम् । दृश्यन्ते च कवयोऽलङ्कारनिबन्धनैकरसा अत्रपेक्षित-
रसाः प्रबन्धेषु ॥१४॥

‘प्रतिमुखा’ सन्धि के ‘त्रिलास’ नामक श्रद्ध को प्रकृतरस [वीर रस] के विरुद्ध होने पर भी भरत मत के अनुसरण मात्र की इच्छा से द्वितीय श्रद्ध में [दुर्योधन और भानुमती के शृङ्गार वर्णन के रूप में] जोड़ना है ।

४ प्रबन्ध [काव्य] के रसाभिव्यञ्जकत्व का यह और [चौथा] कारण है कि बीच बीच में यथावसर रस का उद्दीपन और प्रशमन करना । जैसे ‘रत्नावली’ में ही । और प्रधान रस के विश्रान्त [विच्छिन्न सा] होने लगने पर उसको फिर संभाल लेना । जैसे ‘तापसवत्सराज’ में । [तापसवत्सराज नाम का कोई नाटक इस समय उपलब्ध नहीं है] ।

२. प्रबन्धविशेष नाटकादि की रसाभिव्यक्ति का यह और [पाँचवाँ] निमित्त समझना चाहिए कि [अलङ्कारों के यथेष्ट प्रयोग की पूर्ण] शक्ति रहने पर भी [रस के] अनुरूप ही अलङ्कारों की योजना करना । [अलङ्कार रचना में] समर्थ कवि कभी-कभी अलङ्कार रचना में ही मग्न होकर रसबन्ध की पर्वाह न करके ही प्रबन्ध रचना करने लगता है । उसके उपदेश के लिए यह [पक्षम हेतु] कहा है । काव्यों में रस की चिन्ता न कर अलङ्कार-निरूपण में ही आनन्द लेने वाले कवि भी पाए जाते हैं ॥१४॥

इस १५ वीं कारिका के पूर्व यहाँ तक भी असलक्ष्यत्रय व्यङ्ग्य ध्वनि का प्रकरण चल रहा है और आगे १६ वीं कारिका में भी असलक्ष्यत्रय व्यङ्ग्य का ही वर्णन है परन्तु बीच की १५ वीं कारिका में अनुस्त्वानोपम

१ निर्णय सा० स०—ये यथावसर ...रसस्य के बीच में पाठ छूटा हुआ है । दीर्घतिकार ने ‘निबन्धेयार्ता’ लिख कर उसकी पूर्ति की है । या० प्रि० में ‘अन्तरा’ पाठ रखा है । २ आवगन्तव्यम् नि०, दो० ।

किञ्च :—

अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः ।

ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित् ॥१५॥

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुराणरूपव्यङ्ग्योऽपि यः प्रभेद उदाहृतो द्विप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिद् द्योतते । तथा-

अर्थात् सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का वर्णन प्रतीत होता है । यदि इस कारिका की सीधी व्याख्या करें तो बीच में इस सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य की चर्चा अप्राकर-णिक और असङ्गत प्रतीत होगी । अतएव इस कारिका और उसकी वृत्ति में 'व्यङ्ग्यतया' और 'व्यञ्जकतया' पदों का अध्याहार करके कारिका के पदों का अन्यत्र 'अनुस्वानोपमात्मा यो ध्वने. प्रभेद उदाहृत. केषुचित् प्रबन्धेषु [व्यञ्ज-केषु सत्सु] व्यङ्ग्यतया स्थितो भवति सोऽपि, अस्य असलक्ष्यक्रमस्य रसादिध्वने. व्यञ्जकतया भासते' अर्थात् जो सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का जो भेद, प्रबन्ध में साक्षात् व्यङ्ग्य प्रतीत होता है वह भी इस असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य का व्यञ्जक होता है— इस प्रकार करना चाहिए । अर्थात् प्रबन्ध से साक्षात् तो सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि अभिव्यक्त होता है परन्तु पीछे उसीसा प्रकृत रसादि रूप असलक्ष्यक्रम-व्यङ्ग्य ध्वनि के रूप में पर्यवसान हो जाता है ।

अथवा 'अनुस्वानोपमात्मा ध्वनेरुदाहृतो य. प्रभेद. केषुचित् प्रबन्धेषु भासते' इन प्रकार का अन्यत्र करके अन्त में कारिकास्य 'अस्य' पद का सम्बन्ध अगली १६ वा कारिका के 'द्योत्योऽलक्ष्यक्रमः क्वचित्' के साथ करके 'अस्य सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्यापि द्योत्यो असलक्ष्यक्रम. क्वचिद् भवति' वही वही इस सलक्ष्य-क्रम का भी द्योत्य असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य होता है इस प्रकार सङ्गति लगानी चाहिए । तदनुसार इस कारिका की व्याख्या निम्न लिखित दो प्रकार होगी—

१. सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रूप ध्वनि का जो प्रभेद किन्हीं काव्यों में [साक्षात्] व्यङ्ग्यरूप से स्थित [वर्णित] होता है वह भी [पर्यवसान में] इस असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के व्यञ्जक रूप में भासता है ।

२. अथवा, अनुस्वानोपमा सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि का जो उदाहृत भेद किन्हीं काव्यों में प्रतीत होता है, उस सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का भी द्योत्य असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य वही-वही होता है ।

इस विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वने का [सत्प्रशङ्कयुक्त्य और व्यङ्ग्ययुक्त्य भेद में] दो प्रकार का जो सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य भेद वर्णित किया

मधुमथनविजये पाञ्चजन्योक्तिपु । यथा वा ममैव कामदेवस्य सहचर-
समागमे विपमवाणलीलायाम् । यथा च गृध्रगोमायुसधादादौ महाभारते ।

हे वह भी किन्हीं काव्यों में व्यङ्ग्य होता है [और असलचयक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि का व्यञ्जक भी होता है] जैसे 'मधुमथन विजय' [नामक महाकाव्य] में 'पाञ्चजन्य' की उक्तियों में । अथवा जैसे मेरे ही 'विपमवाणलीला' [नामक महाकाव्य] में कामदेव के सहचर [यौवन] के समागम [के प्रसङ्ग] में । और जैसे महाभारत में 'गिद्ध और शृगाल के सम्वाद' आदि में ।

'मधुमथनविजय' की पाञ्चजन्योक्ति में —

लीलादादाशुभ्रूट्टासञ्जलमहिमण्डलसश्चिञ्च अञ्ज ।

कीर्मसुणालाहर तुञ्जआइ अङ्गमि ॥

लीलादध्नाप्रोद्धृतसकलमहीमण्डलस्यैराय ।

कस्मान्मृणालाभरणमपि तव गुरु भवत्यङ्गे ॥ इतिच्छाया ।

वासुदेव के प्रति यह 'पाञ्चजन्य' की उक्ति है । इसका अभिप्राय यह है कि यराहावतार के समय जिन वासुदेव ने अपनी दाढ के अग्रभाग पर सारी पृथ्वी का भार उठा लिया था, आज [रुक्मिणी के वियोग में] मृणाल के आभरण धारण कर सना भी उनके लिए क्यों भारी हो गया है । यहा रुक्मिणी के विरह में रुक्मिणी के प्रति वासुदेव का अभिलाष रूप अभिप्राय सलक्ष्यक्रम रूप से व्यङ्ग्य होकर विप्रलम्भ शृङ्गार रूप असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य का अभिव्यक्त करता है ।

२ 'विपमवाणलीला' में कामदेव के सहचर यौवन के समागम प्रसङ्ग में—

हुम्मि अयहस्तिअर होणिरकुसो अह विथअरहिओवि ।

शिविणेवि तुमम्मि पुणा भन्ति ण पमुमरामि ॥

भवम्परहस्तितरेत्तो निरकुशोऽथ विचकरहितोऽपि ।

स्वप्नेऽपि तप पुनभक्ति न प्रस्मरामि ॥ इतिच्छाया ।

यह कामदेव के प्रति यौवन की उक्ति है । इसका आशय यह है कि मैं मर्यादा का अतिव्रमण करने वाला [अयहस्तितरेत्ता मर्यादा यन स । रेत्ता अर्थात् मर्यादा का विगडने वाला] भले ही हूँ । लाग चाहे भले ही कहें कि वह यौवन निरकुश है या विचक रहित है । परन्तु मैं [यौवन] स्वप्न में भी तुम्हारी [कामदेव का] भक्ति को नहीं भूलना हूँ । इस यौवन की उक्ति में यौवन

का कामोपासक स्वभाव व्यक्त होता है और उसका पर्यवसान प्रकृत शृङ्गार रस रूप असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि में होता है ।

३ महाभारत के 'गृध्र गोमायु सनाद' में कुछ लोग मरे हुए बालक को लेकर श्मशान में आते हैं । श्मशानचारी गिद्ध और शृगाल दोनों उस समय वहाँ उपस्थित हैं । लगभग सन्ध्या का समय है । गिद्ध चाहता है कि यह लोग इसे मरे बालक को छोड़ कर अभी चले जाय तो मुझ खाने को मिले । शृगाल चाहता है कि यह लोग जग देर और रू, जिससे सूर्यास्त हो जाय तो फिर रात में गिद्ध तो चला जायगा हम निर्दिष्ट रूप से उसका भक्षण करेंगे । इस प्रकार दोनों की इच्छा एक दूसरे से भिन्न है । वह दोनों मरे बालक को लाने वालों को अपने अपने स्वाध से समझाते हैं । यही सनाद 'गृध्रगोमायु सनाद' नाम से प्रसिद्ध है । उसके श्लोक निम्न प्रकार हैं —

गृध्र उवाच —

अल स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन् गृध्रगोमायुसजुले ।
कङ्कालवदले घोरे सर्वप्राणिभयङ्करे ॥
न चेद् जीवित करिचन् कालधर्ममुपागत ।
प्रियो वा यदि वा द्वेष्य प्राणिना गतिरीदृशी ॥

गिद्ध बोला—गिद्ध और शृगालों से व्याप्त, कङ्कालों से भरे हुए, सब प्राणियों को भयभीत करने वाले इस भयङ्कर श्मशान में बैठने से क्या लाभ । जो मर गया वह जी तो सकता नह । फिर चाह वह अपना प्रिय हो अथवा शत्रु हो । जो मर गया सो तो मर ही गया । सब प्राणियों की यही हलत होनी है । इसलिए अब आप लोग अपने घर जाओ । यही गिद्ध का अभिप्राय असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य है । और उससे प्रकृत शान्तरस रूप असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि अभिव्यक्त होता है ।

तत्र शृगाल बोला —

आदित्योऽय स्थितो मूढा स्नेह कुरुत सम्प्रतम् ।
रदुविघ्नो मुहूर्तोऽय जीवेदपि कदाचन ॥
श्रमु कनकवर्णाभि बालमप्राप्तयौवनम् ।
गृध्रवान्पात् कथं मूढास्त्यजन्मविशङ्किता ॥

अरे अभी सूर्य निकल रहा है इस अच्छे को ध्यान करो । यह मुहूर्त बढ़ा विघ्नमय है सम्भव है यह बालक जी ही उठे । अरे मूर्ख, सोने जैसे रंग व और

सुप्-तिङ्-वचन-सम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः ।

कृत्-तद्धित-समासैश्च द्योत्योऽलक्ष्यक्रमः क्वचित् ॥१६॥

अलक्ष्यक्रमो ध्वनेरात्मा रसादिः^१ सुद्विशेषैः, तिङ्-विशेषैः, वचन-

अप्राप्त यौवन इस सुन्दर बालक को इस गिद्ध के कहने से बिना किसी शङ्का के छोड़ कर कैसे चले जाना चाहते हो ।

रात्रि में अपना काम साध सकने वाले शृगाल की यह उक्ति उसके अभिप्राय को व्यक्त करती है और उसका भी पर्यवसान प्रकृत शान्तरस रूप असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य की अभिव्यक्ति में होता है ।

इस प्रकार 'मधुमधनविजय', 'विषम वाण लीला' और 'महाभारत' के इन तीनों उदाहरणों में प्रबन्ध से साक्षात् तो सलक्ष्यक्रम वस्तु ध्वनि व्यक्त होता है परन्तु उसका पर्यवसान प्रकृत रस रूप असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के रूप में होता है । अतः सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि भी असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि का अभिव्यङ्ग्य होता है । यह अभिप्राय हुआ ॥१५॥

आगे उस असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के और अभिव्यङ्ग्य गिनाते हैं ।

सुप् [अर्थात् प्रथमा आदि विभक्तिषा], तिङ् [अर्थात् क्रिया विभक्तिषा], वचन [एक, द्वि, बहुवचन], सम्बन्ध [पट्टी विभक्ति], कारक शक्ति, कृत् [धातु से रिहित तिङ् भिन्न प्रत्यय], तद्धित [मातिपदिक से रिहित सुप् भिन्न प्रत्यय] और समास से [अभिव्यक्त जो सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य उस से भी] कहीं-कहीं असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि अभिव्यक्त होता है ।

पूर्वकारिका में दिखाई इस कारिका के साथ सङ्गति को ध्यान में रखते हुए यहां भी लोचनकार ने "मुखादिभि योऽनुष्ठानोपमो भासते वक्त्रभिप्रायादिरूपोऽस्यापि मुखादिभिर्व्यक्तस्यानुष्ठानोरसस्य असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो द्योत्य कर चिदिति पूर्वकारिकया सह सम्भोत्य सङ्गतिरिति" यह पक्ष लिखी है । अर्थात् मुखादि स अभिव्यक्त जो सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य वक्ता का अभिप्रायादि रूप ध्वनि है उससे भी असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि अभिव्यक्त होता है इस प्रकार पूर्व कारिका के साथ मिला कर इस की सङ्गति लगानी चाहिए । तदनुसार ही हमने यहां इस कारिका की और पूर्व कारिका के उदाहरण रूप से दिये हुए श्लोकों के व्यङ्ग्यार्थ की सङ्गति लगाई है ।

ध्वनि का आत्मभूत [प्रधानभूत] असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रगादि, सुप्

विशेषैः, सम्बन्धविशेषैः, कारकशक्तिभिः, कृद्विशेषैः, तद्धितविशेषैः, समासैश्चेति । च शब्दान्निपातोपसर्गकालादिभिः प्रयुक्तैरभिव्यज्यमानो दृश्यते । यथा—

न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः,
सोऽप्यत्रैव, निहन्ति राक्षसकुलं, जीवत्यहो रावण ।
धिग् धिक् शक्यजितं प्रयोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा,
स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ॥

विशेष, तिङ् विशेष, वचनविशेष, सम्बन्धविशेष, कारक शक्तियों, कृत् विशेष, तद्धित विशेष और समासविशेष से [व्यक्त होता है] । च शब्द से [सगृहीत] निपात, उपसर्ग कालादि के प्रयोग से [अभिव्यक्त होने वाले संज्ञकप्रक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि से भी] अभिव्यक्त होता देखा जाता है । जैसे—

मेरे शत्रु हों यही [बड़ा भारी] अपमान है उनमें भी यह [विचारा भिक्षुक] तापस । वह भी यहा [लङ्का में मेरी नाक के नीचे] ही राक्षस कुल का नाश कर रहा है और [यह देख कर भी] रावण जी रहा है । यह बड़ा आश्चर्य है । इन्द्र को विजय करने वाले मेरुनाद को धिक्कार है । कुम्भकर्ण को जमाने से भी क्या लाभ हुआ और [दूसरों की बात छोड़ो] स्वर्ग की उस छोटी सी गडटिया को लूट कर अभिमान से व्यर्थ ही फूली हुई मेरी इन भुजाओं से ही क्या लाभ है ?

जब रामचन्द्र जी लङ्का में राक्षसों का नाश कर रहे थे उस समय अपने चीरों को भर्त्सना करने और शत्रु की तुच्छता आदि सूचित करते हुए अपने सैनियों को उत्तेजित करने के लिये यह रावण की गर्वपूर्ण प्रोद्योक्ति है । जो प्रतिरुद्ध व्यङ्ग्य से परिपूर्ण है । पहिले तो शत्रुओं का होना ही मेरे लिए अपमानजनक है । जिसने इन्द्र जैसे देवों को भी कैद कर लिया हो, यमराज भी जिससे कास्ते हों उसके शत्रु हों और जीने रहें । कितना आश्चर्य और अनौचित्य है । यह भाव 'मे' पद से व्यक्त होता है । अस्मद् शब्द से बनता रावण के पूर्वकृत इन्द्रविजयादि लोकोत्तर चरित, तथा सम्बन्ध बोधक ५५ठी विभक्ति से शत्रुओं के साथ अपने सम्बन्ध का अनौचित्य द्योतित होता है । और उससे रावण के हृदय का क्रोध अभिव्यक्त होता है । 'अरय.' का बहुवचन उसी सम्बन्धानौचित्य के अतिशय को बोधन करता है । उसमें भी यह तापस, तपस्वी नहीं । 'तत्रापि' इस

अत्र हि श्लोके भूयसा सर्वेषामप्येषां स्फुटमेव व्यञ्जकत्वं
 दृश्यते । तत्र 'मे यदरय.' इत्यनेन सुप्तसन्धवचनानामभि-
 व्यञ्जकत्वम् । 'तत्राप्यसौ तापस' इत्यत्र तद्धितनिपातयोः । 'सोऽप्यत्रैव
 निदन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण.' इत्यत्र तिङ्प्रकारशक्तीनाम् ।
 'धिग् धिक शक्रजितं', इत्याद्यौ श्लोकार्थे कृतद्वितसमासोपसर्गाणाम् ।

एयविधस्य व्यञ्जकभूयस्त्वे च घटमाने काव्यस्य सर्वातिशयिनी
बन्धच्छाया समुन्मीलति । यत्र हि व्यङ्ग्यावभासिनः पदस्यैकस्यैव
तावदाविर्भावस्तत्रापि काव्ये कापि बन्धच्छाया किमुत यत्र तेषां बहूनां
समवायः । यथात्रानन्तरोदितश्लोके । अत्र हि 'रावण' इत्यस्मिन् पदे,
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्येन ध्वनिप्रभेदेनालकृतेऽपि पुनरनन्तरोक्तानां
व्यञ्जकप्रकाराणामुद्भासनम् ।

दृश्यन्ते च महात्मनां प्रतिभाविशेषभाजा बाहुल्येनैवविधा
बन्धप्रकाराः । यथा महर्षेर्व्यासस्य :—

अतिक्रान्तसुखाः कालाः प्रत्युपस्थितदारुणाः ।

श्वःश्वः पापीयडिवसा पृथिवी गतयौवना ॥

अत्र हि कृत्तद्धितवचनैरलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यं, 'पृथिवी गतयौवना'
इत्यनेन चात्यन्ततिरस्कृतवाच्यो ध्वनिः प्रकाशितः ।

और इस प्रकार का व्यञ्जक बाहुल्य हो जाने पर काव्य का सर्वोत्कृष्ट
रचना सौन्दर्य अभिव्यक्त होता है । जहा व्यङ्ग्य से प्रकाशमान एक भी पद का
आविर्भाव हो सके उस काव्य में भी कुछ अनिर्वचनीय सौन्दर्य आ जाता है
तो फिर जहा ऐसे बहुत से पदों का एकत्र सम्मिश्रण हो जाय उसका तो कहना
ही क्या । जैसे इसी ऊपर कहे श्लोक में । इस में 'रावण' इस पद के अर्थान्तर-
संक्रमित वाच्य [लक्षणा मूल] ध्वनि भेद से अलङ्कृत होने पर भी [उसमें]
अनन्तरोक्त व्यञ्जक प्रकारों का [भी] उद्भासन होता है ।

विशेष प्रतिभाशाली महात्माओं [महाकवियों] की इस प्रकार की
रचना शैलियां बहुतायत से पाई जाती हैं । जैसे महर्षि व्यास का —

[अथ] समय सुख विरहित और दुःख परिपूरित हो गए हैं और
गतयौवना पृथिवी के उच्चरोत्तर बुरे दिन आ रहे हैं ।

इस [उदाहरण] में [अतिक्रान्त और प्रत्युपस्थित पदों में 'वत' प्रत्यय
रूप] कृत, [पापीय में 'ड' प्रत्यय रूप] तद्धित, [और काला का बहुवचनरूप]
वचन [इन सब] से [निर्वेद को सूचित करते हुए] शान्त रस रूप] अमलक्ष्यक्रम-
व्यङ्ग्य [रसध्वनि], और 'पृथिवी गतयौवना' इस [में गतयौवना पद] से
अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य [अविशितवाच्य] ध्वनि प्रकाशित होता है ।

अणत्त वच्च वालक अन्हाअन्ति किं मं पुलोएसिएअम् ।
हो जाआभीरुआणं तड विअ ण होई ॥

[अन्यत्र ब्रज बालक स्नान्ती किं मा प्रलोकयस्येतत् ।

भो जायाभीरुकाणा तटमेव न भवति ॥ इतिच्छाया]

कृत-‘क’-प्रयोगेषु प्राकृतेषु तद्धितविषये व्यञ्जकत्वमावेद्यत एव ।
अवज्ञातिशये क^२ । समासाना च घृत्त्यौचित्येन विनियोजने ।

निपाताना व्यञ्जकत्व यथा —

अयमेकपदे तथा वियोग प्रियया चोपनत सुदुःसहो मे ।

नववारिधरोदयादहोभिर्भवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः ॥

अरे लडके तुम वहीं और जाओ नहाती हुई मुझ को [सस्पृह] क्यों
देख रहे हो । [अपनी] पत्नी से डरने वालों के मतलब का यह तट नहीं है ।

यहाँ जलाशय के तट पर नहाती हुई किसी स्वेरिणी को सस्पृह नेत्रों से
देखने वाले विवाहित युवक के प्रति उसको चाहने वाली स्वेरिणी की यह उक्ति
है । उसमें ‘जायाभीरुकाणा’ इस सम्बन्ध पट्टी से उस प्रच्छन्न कामुकी का ईर्ष्या-
तिशय सूचित होता है । और वह ईर्ष्या, विप्रलम्भ शृङ्गार को अभिव्यक्त करती
है । साथ ही भीरु पद में जो अवशार्थक ‘क’ प्रत्यय तद्धित का है वह भी अवज्ञा
तिशय द्वारा ईर्ष्याविप्रलम्भ को परिपुष्ट करता है ।

‘क’ प्रत्यय के प्रयोग से युक्त प्राकृत पदों में तद्धित विषयक व्यञ्जनत्व
भी सूचित होता ही है । [जैसे यहाँ] अज्ञातिशय में क प्रत्यय [ईर्ष्या विप्र-
लम्भ का व्यञ्जक] है । वृत्ति के अनुरूप [समासों की] योजना होने पर
समासों का [व्यञ्जनत्व होता है । उसके उदाहरण यहाँ नहीं दिए हैं] ।

निपातों का व्यञ्जकत्व [का उदाहरण] जैसे :—

एक साथ ही उस [हृदयेस्वरी] प्रिया के साथ यह असह्य वियोग
आ पड़ा और उस पर नए बादलों के उमड़ आने से आतपरहित मनोहर [वर्षा
के], दिन होने लगे । [अब यह सब कैसे रहा जायगा] ।

१. अन्यत्र ब्रज बालक तुष्णापमान ध्वन्यालोकस्येतत् ।

भो जायाभीरुकाणां युष्माकं सम्बन्ध एव न भवति ॥ टी०

२. अज्ञातिशय क यह पाठ नि० टी० में नहीं है ।

इत्यत्र च शब्दः ।

यथा वा :—

मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठं प्रतिपेधाक्षरविक्लवाभिरामम् ।
मुग्गमसविधतिं पद्मलाक्ष्या कथमप्युन्नमितं न चुम्बित तु ॥

अत्र तु शब्दः ।

निपातानां प्रसिद्धमपीह द्योतकत्वं रसापेक्षयोक्तमिति द्रष्टव्यम् ।

यहाँ च शब्द [व्यञ्जक है] ।

यहाँ दो गार च का प्रयोग किया गया है। वह इस बात को सूचित करता है कि उसके प्रयोग के साथ काकतालीय न्याय से जो ये वर्णों के दिन या पड़े वह जूले पर नमक के समान प्राणहरण के लिए पर्याप्त हैं। अतएव 'रम्य' पद से उद्दीपन विभावत्व सूचित होता है। इस प्रकार निपातद्वय का प्रयोग विप्रलम्भ शृङ्गार को अभिव्यक्त करता है। यह 'विक्रमोर्वशीय' नाटक में पुरुरवा की उक्ति है।

अथवा [निपात के व्यञ्जकत्व का दूसरा उदाहरण] जैसे—

[मेरे ज्वरदस्ती चुम्बन का प्रयत्न करने पर] बार बार अगुलियों से ढके हुए अधरोष्ठ वाला और [मान जाओ, जाने दो, इत्यादि] निपेधपरक शब्दों की विकलता से मनोहर तथा कन्धे की ओर मुड़ा हुआ सुन्दर पलकों वाली [प्रियतमा शकुन्तला का] का मुख किसी प्रकार ऊपर उठा तो लिया परन्तु चूम उहीं पाया ।

यहाँ 'तु' यह शब्द [परचात्ताप व्यञ्जक और उस चुम्बनमात्र से कृत-कृत्यता का सूचक होने से शृङ्गार रस को अभिव्यक्त करता है ।]

निपातों का द्योतकत्व [हमारे उपजीव्य वैयाकरण मत में] प्रसिद्ध होने पर भी यहाँ रस की दृष्टि से [फिर से] कहा है यह समझना चाहिये ।

वैयाकरण सिद्धान्त में निपात अर्थ के द्योतक ही होते हैं वाचक नहीं। 'द्योतका प्रादयो येन निपाताश्चादयो यथा ।' वै० भू० । उनको वाचक न मान कर केवल द्योतक मानने का कारण यह है कि उनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार द्योतकत्व प्रसिद्ध होने पर भी वह द्योतकत्व केवल अर्थों के प्रति विवक्षित है। इसलिए यहाँ विशेष रूप से रसों के प्रति द्योतकत्व प्रतिपादन किया गया है।

उपसर्गाणा व्यञ्जकत्वं यथा —

नीवारा शुक्रगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणामव,
प्रस्निग्धा क्वचिर्दिगुद्रीफलभिद् सूच्यन्त एवोपला ।
विश्वासोपगमाद्भिन्नगतय शब्द सहन्तं मृगा,
तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिप्यन्दरखाङ्किता ॥

इत्यादौ ।

द्वित्राणा चोपसर्गाणामेकत्र पदे य प्रयोग सोऽपि रसव्यक्त्यनु-
गुणतयैव निर्दोष । यथा—

“प्रभ्रश्यत्युत्तरीयत्रिपि तमसि समुद्रोद्य वीतावृतीन् द्राग्
जन्तून्” ।

उपसर्गों का व्यञ्जकत्व [का उदाहरण] जैसे —

शुक्र युक्त कोटरों के मुख से गिरे हुए नीवार कण वृक्षों के नीचे
बिखरे पड़े हैं। वहाँ वहाँ चिकने पथर हैं जो इस बात की सूचना देते हैं
कि उनसे इगुद्रीफल छोड़ने का काम लिया जाता है। सर्वथा आश्रय
होन से, आने वालों के शब्द को सुन कर भी मृगों की गति में कोई
परिवर्तन नहीं होता है और जलाशयों के मार्ग [स्नानोत्तर गीले] वल्कल
वस्त्रों से टपकती हुई वृक्षों की रेखाओं से अङ्कित है।

इत्यादि में ।

यहाँ 'प्रस्निग्धा' में 'प्र' उपसर्ग 'प्रकर्षेण स्निग्धा प्रस्निग्धा' इस प्रकार
प्रकर्ष को सूचित करता हुआ इगुद्रीफलों की सरसता का द्योतक होकर आश्रम के
सौन्दर्यातिशय को व्यक्त करता है। कोई-कोई यहाँ 'तापसस्य फलविषयो
श्रमिलापातिरको ध्वन्यते' तापस का फलविषयक श्रमिलाप का अतिशय यहाँ
ध्वनित होता है यह व्याख्या करते हैं। परन्तु उनकी यह व्याख्या सङ्गत नहीं
है क्योंकि श्रमिजानराजु-नल नाटक में यह राजा दुष्यन्त की उक्ति है। तापस
की नश। आलोककार ने यहाँ 'शुक्रगर्भकोटरमुखभ्रष्ट' यह पाठ रक्खा है।
परन्तु दूसरी जगह 'शुक्रकोटरभ्रष्टमुखभ्रष्ट' पाठ पाया जाता है। यह पाठ अधिक
श्रद्धा जान पड़ता है।

दो तीन उपसर्गों का जो एक पद में प्रयोग होता है वह भी रसा
भिव्यक्ति के अनुकूल होने में ही निर्दोष है। जैसे—

उत्तरीय [हुपट्टा] के समान अन्धकार क निरजाने [रात्रि के अन्ध

इत्यादौ ।

यथा वा—

‘मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तम्’ ।

इत्यादौ ।’

कार के दूर हो जाने] पर आवरण रहित जन्तुओं को देखकर [सूर्यशतक] ।

इत्यादि में [‘समुद्रीच्य’ पद से एक साथ ‘सम् उत् रि’ इन तीन उपसर्गों का प्रयोग सूर्यदेव की कृपा के अतिशय का व्यञ्जक और रसानुबल होने से निर्दोष है ।]

अथवा जैसे—

मनुष्यरूप से आचरण करते हुए को ।

इत्यादि में ।

[‘मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तम्’ । यहा सम् उप और आट् इन तीन उपसर्गों का प्रयोग भगवान् के लोकानुग्रहेच्छा के अतिशय का अभिव्यञ्जक है] ।

निर्णयसागरीय तथा दीधिति युक्त सत्करण में इस श्लोक के बाद एक श्लोक और दिया है । परन्तु लोचन में उसका उल्लेख नहा है । अतएव वालप्रिया वाले सत्करण में उसे मूल पाठ में नहीं रखा है । इसीलिए हमने भी उसे यहा मूल पाठ में नहीं रखा है । फिर भी उसकी व्याख्या टिप्पणी रूप में कर रहे हैं ।

भद्रमुखरऋपोतमुन्मयूर प्रविरलवामनवृत्तसन्निवेशम् ।

वनमिदमवगाहमानभीम व्यसनमिवोपरि दास्यत्वमेति ॥

इत्यादौ प्रशंसत्य, औप-छन्दसिकस्य च व्यञ्जनत्वमधिक द्योत्यते ।

भद्र मुखर कर्णों और ऊपर की मुख उटाए मयूरो अथवा उन्मत्त मयूरो से युक्त बहुत छोटे छंटे और विरल वृक्षों से युक्त यह वन आपत्ति के समान या रोग के समान प्रवेश करते समय [प्रारम्भ में] भयानक [लगता है] और आगे चल कर दास्य दुरदायक बन जाता है ।

१ नि० सा० स० में ‘य स्वप्ने सद्रूपानतस्य इत्यादौ च ।’ इतना अधिक पाठ है ।

निपातानामपि तथैव । यथा .—

‘अहो वतासि स्पृहणीयवीर्यं ।’

इत्यादौ ।

इत्यादि में [प्रविरल का] प्र शब्द [उपसर्ग] का और ‘अपिपच्छन्दसिक’ [वृत्त] का व्यञ्जकत्व अधिक सूचित होता है । ‘पर्यन्ते यौ तथैव शेष त्वपिपच्छन्दसिक सुधीभिरुक्तम्’ यह ‘अपिपच्छन्दसिक’ छन्द का लक्षण है । यहाँ वस्तु व्यञ्जन द्वारा वह भयानक रस का व्यञ्जक होता है ।

इनमें से पहिला उदाहरण मयूरभट्ट के ‘सूर्यशतक’ से लिया गया है । पूरा श्लोक इस प्रकार है —

प्रभ्रश्यत्युत्तरीयत्विति तमसि समुद्वीचय धीतावृतीन् द्राक्,
जन्तूस्तन्तून् यथा यानतनु वितनुते तिग्मरोचिर्मरीचीन् ॥
ते सान्द्रीभूय सद्यः क्रमविशददशाशादशालीविशालम्,
शश्यत् सम्भादयन्तोऽम्बरममलमल मङ्गल वो दिशन्तु ॥

दूसरे उदाहरण का पूरा श्लोक निम्न प्रकार है :—

मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्त, स्वमुद्विसामान्यकृतानुमाना ।
योगीश्वरैरप्यसुगोधमीश, त्वा बोद्धुमिच्छन्त्यनुधा कुतर्न ॥

तीसरा ‘य स्वप्ने सदुपानतस्य’ इत्यादि उदाहरण लोचनकार ने नहीं दिया है । अतएव वह पाठ प्रामाणिक नहा है । फिर भी कुछ पुस्तकों में पाया जाता है । परन्तु उसका पूरा पाठ नहा मिलता है ।

निपातो के विषय में भी वैसा ही है । [अर्थात् दो तीन निपातों के एक साथ प्रयोग होने पर भी रसव्यक्ति के अनुरूप होने से कोई दोष नहीं होता] । जैसे —

ओहो ! तुम बड़े स्पृहणीय पराक्रम वाले हो ।

इत्यादि में ।

‘अहो वतासि स्पृहणीयवीर्यं’ इत्यादि में क्रम से आश्चर्य और रोद आदि के बोधक अहो और ‘न’ यह दोनों निपात मदन के पराक्रम के अलौकिकत्व-सूचन द्वारा रस को प्रकाशित करते हैं अतः निदुष्ट हैं । यह उद्धरण ‘कुमारसम्भन’ के तृतीय सर्ग से लिया गया है । कामदेव के प्रोत्साहनार्थ इन्द्र की उक्ति है । पूरा श्लोक इस प्रकार है .—

यथा वा —

ये जावन्ति न मान्ति ये स्वप्नपुंषि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति ये^१,
प्रस्यन्दिप्रमदाश्रुव पुलकित्वा दृष्टे गुणिन्युजिते ।
हा धिक् कष्टमहो क्व यामि शरणं तेषा जनाना कृते ,
नीताना प्रलय शठेन विधिना साधुद्विप पुष्यता ॥

इत्यादौ ।

सुरा समम्यथयितार एते, कार्ये त्रयाणामपि विष्णानाम् ।

चापेन ते कम, न चातिर्हिंस्र , अहो वतासि स्पृहणीयवीर्यं ॥

—कु० सं० ३, २० ।

अथवा [अनेक निपातों के रसानुगुण सह प्रयोग का दूसरा उदाहरण]

जैसे —

गुणी जना की वृद्धि देखकर, जो जीते हैं, जो अपने शरीर में फूले नहीं समाते, और जो आनन्द से नाचने लगते हैं, जिनके आनन्दाश्रु बहने लगते हैं, और जिनका शरीर [आनन्द से] रोमाञ्चित हो उठता है हा धिक्कार है, सज्जन पुरुषों के द्वेषियों का पोषण करने वाले दुष्ट दैव ने उनका आयन्त विनाश कर दिया यह बड़े दुःख की बात है, उनके [प्राप्त करने के] लिए मैं किस की शरण में जाऊँ ।

इत्यादि में —

यहां 'हा धिक्' इस निपातद्वय से गुणियों की अभिवृद्धि से प्रसन्नता अनुभव करने वाले महापुरुषों का श्लाघातिशय और दैव की असमीक्ष्यकारिता के कारण, निवदातिशय ध्वनित होता है ।

इस स्थल की लोचन टीका का पाठ निर्णयसागरीय और वाराणसीय दोनों सस्करणों में भ्रष्ट है । निर्णयसागरीय सस्करण में तो 'हा धिक्' के बाद कुछ पाठ छूटे होने का सूचक बिन्दिया दी हुई हैं । वहां का पाठ इस प्रकार छपा है । 'हा धिगिति तिशयो निवदातिशयश्च ध्वनते ।' वाराणसीय सस्करण में पाठ इस प्रकार छपा है—'श्लाघातिशयो निवदातिशयश्च अहो त्तेति हाधिगिति च ध्वनते' । यह पाठ भी भ्रष्ट है । इसमें अहो वत यह अश्रु इससे पूर्व व उदाहरण 'अहो वतासि स्पृहणा' से संबंध रखता है । उस उदाहरण के

पदपौनरुक्त्य च व्यञ्जकत्वापेक्षयेव कदाचित् प्रयुज्यमान शोभा
भावहति । यथा —

यद् यच्चनाहितमतिर्जहुचाटुगर्भं ,
कार्योन्मुख सलचन कृतक व्रतीति ।
तत् साधवो न न विदन्ति, विदन्ति क्रिन्तु ,
क्तु वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥
इत्यादौ ।

नीचे दिए हुए 'इत्यादी' की व्याख्या में 'अहो वतेति' लिखा गया है । जिसका अभिप्राय यह है कि उस उदाहरण में 'अहो वत' इन दो निपातों का प्रयोग व्यञ्जक है । इस प्रकार सबसे पहिले 'अहो वत पाठ, और उसके अन्त में विराम चिह्न स्थापना चाहिये था । उसके बाद 'हा धिमिति च श्लाघातिशयो निवेदातिशयश्च ध्वन्यते' यह पाठ देना चाहिये । इस अर्थ का सन्ध प्रकृत उदाहरण से है । अर्थात् इस उदाहरण में हा और धिन् यह निपात नमश श्लाघातिशय और निवेदातिशय को व्यक्त करते हैं । इस प्रकार सशोधित पाठ इस प्रकार होना चाहिये ।

अहो वतेति । हा धिमिति च श्लाघातिशयो निवेदातिशयश्च ध्वन्यते । यह सशोधन दोना सस्वरणों के पाठ की सुटिया को पूर्ण कर देता है ।

कभी कभी व्यञ्जक्य की दृष्टि से ही प्रयुक्त पदों की पुनरुक्ति भी शोभाजनक होती है । जैसे —

[दूसरों को] धोपा देन वाला [और अपना] काम निकालने वाला दुष्ट पुरप जो खुशामद की बनावट वालें करता है उसको सज्जन पुरप नहीं समझत यह [बात] नहीं है, रून समझते हैं किन्तु उसक प्राग्रह को अस्वीकार करन में समर्थ नहीं हाते ।

इत्यादि म ।

यहा पहिले 'न न विदन्ति' नहीं जानते हैं ऐसी बात नहा है अर्थात् जानते ही हैं । इस नञ् द्वय की वक्रोक्ति से 'विदन्ति' इस अर्थ का सूचन किया । और दुबारा फिर साक्षात् 'विदन्ति' का प्रयोग किया है । यह 'न न विदन्ति' की वक्रोक्ति, और उससे प्राप्त 'विदन्ति' पद की पुनरुक्ति उनके ज्ञानातिशय को अभिव्यक्त करती है ।

यहाँ पर 'पदग्रहण च वाक्यादेरपि यथासम्भनमुपलक्षणम्' लिख कर लोचनकार ने पद को वाक्य का भी उपलक्षण माना है । अर्थात् वाक्य की

कालस्य व्यञ्जकत्वं यथा —

सम विसम लिङ्गिसेसा समन्तञ्चो मन्दमन्दसञ्चारा ।
 अद्भ्यो होहन्ति पदा मणोरहाण पि दुल्लघा ॥
 [समविषमनिर्विशेषा समन्ततो मन्दमन्दसञ्चारा ।
 अचिराद् भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुर्लङ्घ्या ॥

—इतिच्छाया

अत्र ह्यचिराद् भविष्यन्ति पन्थान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यस्मिन्
 पदे प्रत्यय कालविशेषाभिधायी रसपरिपोषहेतु प्रकाशते । अयं हि
 गार्थार्थ प्रवासविप्रलम्भशृङ्गारविभावतया विभाव्यमानो रसज्ञान् ।

पुनरुक्ति भी व्यञ्जक होती है । इसका उदाहरण 'र नावली' नाटिका का निम्न
 श्लोक दिया है —

द्वीपादन्यस्मादपि, मयदाप नलनिधेदिशाऽप्य तात् ।
 आनीय भ्रुति घटयति विधिरभिमतमभिमुखाभूत् ॥

क उद्देश । द्वीपादन्यस्मादपि इत्यादि ।

यदा इस श्लोक की आवृत्ति इष्ट लाभ की अवश्यम्भारिता को व्यक्त
 करती है ।

काल का व्यञ्जकत्वं [का उदाहरण] नैस —

[वर्षाकाल में सब रास्तों में पानी भर जाने से] सम विषम [ऊँच
 रातों] की विशेषता से रहित, से अत्यन्त मन्द सञ्चार युक्त [अत्यन्त न्यून
 सञ्चारा और मन्दगति के सञ्चार युक्त] सार मार्ग शीघ्र ही मनारथ से भा
 वगम्य हो जावेगा ।

यथात्र प्रत्ययांशो व्यञ्जकस्तथा क्वचित् प्रकृत्यंशोऽपि दृश्यते ।
यथा :—

तद् गेहं नतभित्ति, मन्दिरमिदं लब्धावकाशं दिवः,
सा धेनुर्जरती, चरन्ति करिणामेता घनाभा घटाः ।
स जुद्रो मुसलध्वनिः, कलमिदं सङ्गीतकं योपिता-
मारचर्यं दिवसैर्द्विजोऽयमियती भूमिं समारोपितः ॥

अत्र श्लोके 'दिवसै' रित्यस्मिन् पदे प्रकृत्यंशोऽपि द्योतकः ।

सर्वनाम्नां च व्यञ्जकत्व यथानन्तरोक्ते^१ श्लोके । अत्र च सर्वनाम्नामेव व्यञ्जकत्वं हृदि व्यवस्थाप्य कविना क्वेत्यादि शब्दप्रयोगो न कृतः ।

जैसे यहा प्रत्यय अश व्यञ्जक है ऐसे ही प्रकृति भाग भी [व्यञ्जक रूप मे] देखा जाता है । जैसे :—

[कहा] वह टूटी-फूटी दीवारों का घर, और [कहां आज] यह आकाश-
चुम्बी महल, [कहां इसकी] वह बुझिया गाय [और कहां आज] ये मेघों के
समान [काली-काली और अंची] हाथियों की पंक्तियां मूम रही हैं । [कहां]
वह मूसल की जुद्र ध्वनि, और [कहां आज सुनाई देने वाला] यह सुन्दरियों
का मनोहर सङ्गीत । आरचर्यं है इन [थोड़े से] दिनों में ही इस [दरिद्र]
प्राकरण [सुदामा] की इतनी अच्छी हालत होगई ।

इस श्लोक मे 'दिवसै' इस पदमें प्रकृत्यंश [दिवस शब्द] भी [इस प्रतिपादित अर्थ की अत्यन्त असम्भाव्यमानता का] अभिव्यञ्जक है ।

सर्वनाम भी अभिव्यञ्जक होते हैं जैसे अभी कहे गए [तद् गेहं] श्लोक मे । यहां सर्वनामों के व्यञ्जकत्व को मन में रख कर ही कवि ने 'क्व' इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया है ।

यहा 'तद् गेह नतभित्ति' में तत् यह सर्वनाम 'नतभित्ति' के प्रकृत्यशके साथ मिलकर घर की अत्यन्त दरिद्रता का सूचक, मूपकावाचीर्ण दुर्दशा को व्यक्त करता है । यहा केवल 'तत्' सर्वनाम ही व्यञ्जक नहीं है । क्योंकि अकेले सर्वनाम से तो घर का उत्कर्ष भी प्रकट हो सकता था । परन्तु 'नतभित्ति' के सहकार से वह, घर की हीन अवस्था का अभिव्यञ्जक होता है । इसी प्रकार 'सा धेनुर्जरती'

अनया दिशा सहृदयैरन्येऽपि व्यञ्जकनिशेपा स्वयमुत्प्रेक्षणीया ।
एतच्च सर्वं पदजाभ्यरचनाद्योतनोक्त्यैव गतार्थमपि वैचित्र्येण व्युत्पत्तये
पुनरुक्तम् ।

ननु* चार्थसामर्थ्यात्तेष्या रसादय इत्युस्त, तथा च सुनादीना

*व्यञ्जकत्ववैचित्र्यरुच्यनमनन्वितमेव ।

उक्तमत्र पदाना व्यञ्जकोक्त्यवसरे ।

इत्याद में भी प्रकृत सहृदय सनाम को ही व्यञ्जक मानना चाहिए । केवल सर्वनाम को नहा । यहा 'तत्' शब्द अनुभूताधस्मारकवेन व्यञ्जक है । इसलिए क्रमशः स्मृति और अनुभव के सूचक 'तत्' और 'इद' शब्द के द्वारा स्मृति और अनुभव की अत्यन्त विरुद्ध विषयता के सूचनस आश्चर्य का उद्दीपक प्रतीत होता है । 'तत्' और 'इद' शब्द के अभाव में यह विशेष अर्थ प्रतीत नहा हो सकता है इसलिए वे सवनाम पद ही प्रधानतया व्यञ्जक हैं ।

इसी प्रकार से अन्य व्यञ्जकों को भी सहृदय पुरप स्वय समझ लें । यह सब [सुप , ति, आदि की व्यञ्जकता जो १६ वीं कारिका में कही है, दूसरी कारिका में कहे हुए] पद वाक्य रचना आदि की द्योतनाक्ति से ही गतार्थ हो सकता है फिर भी भिन्न प्रकार स व्युत्पत्ति [ज्ञानवृद्धि या बुद्धि वैशय] के लिए ही दुबारा कहा है ।

[प्ररन] अर्थ की सामर्थ्य स ही रसादि का आक्षेप हो सकता है यह पहले कहा ना चुना है । उस दशा में [केवल सुबादि के वाचक न होने से] सुबादि का नानाप्रकार से व्यञ्जकत्व वर्णन करना असम्भव हो है ।

[उत्तर] पदों की व्यञ्जकता के प्रतिपादन के अवसर पर इस विषय में [उत्तर] कह चुके हैं ।

पृष्ठ २२२ पर इसका यह उत्तर दे चुके हैं कि ध्वनि व्यवहार में वाचक-व प्रयोजक नहा है आपतु व्यञ्जकत्व प्रयोजक है । पदों की व्यञ्जकता के प्रसङ्ग में यह शङ्का उठाई थी कि पद तो केवल अर्थस्मारक हैं वाचक नहा तत्र अर्थ चक पदों स व्यञ्जक की प्रतीति कैस होगी । वहा उसका समाधान यह किया था कि व्यञ्जकता का प्रयोजक वाचक नहा है इसलिए अवाचक पदों में भी व्यञ्जकता राने में कोई बाधा नही है । इस प्रकार एक बार इस विषय का निरूपण हो चुना था परन्तु विशेष महत्वपूर्ण बात होने के कारण उसको स्थूणानिगमन वाय स दृढ करने के लिए फिर दुबारा यहा कहा है ।

रिञ्च, अर्थविशेषाच्चेप्यत्वेऽपि रसादीनां तेषामर्थविशेषाणां व्यञ्जकशब्दाविनाभावित्याद् यथा प्रदर्शितं व्यञ्जकरूपपरिज्ञानं विभज्योपयुज्यत एव । शब्दविशेषाणां चान्यत्र^१ च चारुत्वं यद् विभागेनोपदर्शितं तदपि तेषां व्यञ्जकत्वेनैवावस्थितमित्यवगन्तव्यम् ।

यत्रापि तत् सम्प्रति न प्रतिभासते तत्रापि व्यञ्जके रचनान्तरे यद् दृष्टं सौष्ठवं तेषां प्रवाहपतितानां, तदेवाभ्यासादपोद्घृतानामप्यवभासत इत्यवसातव्यम्^२ । फोऽन्यथा तुल्ये वाचकत्वे शब्दानां चारुत्वविषयो विशेषः स्यात् ।

साथ ही [यह हेतु भी है] अर्थ विशेष से ही रस की अभिव्यक्ति मानने पर भी, उनकी अर्थ विशेष के [व्यञ्जक शब्दों के बिना प्रतीति नहीं हो सकती है । अतएव जैसा कि दिखाया गया है [उस प्रकार] व्यञ्जक के स्वरूप का अलग-अलग करके ज्ञान [रसादि की प्रतीति में] उपयोगी है ही । और अन्यत्र [भामहविवरण में भट्टोद्भट ने] शब्दविशेषों का जो चारुत्व अलग अलग प्रदर्शित किया है वह भी उनके अर्थव्यञ्जकत्व के कारण ही व्यवस्थित होता है यह समझना चाहिए ।

और जहाँ [जिस शब्द में] वह [चारुत्व] इस समय [शृङ्गारादि ध्यतिरिक्त स्थल में प्रयोग काल में] प्रतीत नहीं होता वहाँ [उस शब्द में] भी व्यञ्जक दूसरी रचना में समुदाय में प्रयुक्त उन शब्दों का जो सौष्ठव [चारुत्व] देला था उन शब्दों के उस [व्यञ्जक] समुदाय से अलग हो जाने पर भी अभ्यासवश वह चारुत्व प्रतीत होता रहता है यह समझना चाहिये । अन्यथा [सभी शब्दों में] वाचकत्व के समानरूप होने से [किन्हीं विशेष शब्दों में] चारुत्व विषयक भेद वहाँ से आयेगा ।

ननु चन्दनादि शब्द शृङ्गार रस में चारुत्व व्यञ्जक होते हैं परन्तु वीभत्स आदि में वही अचारुत्व व्यञ्जक होते हैं । इस लिए वीभत्सादि रसों में प्रयुक्त होने पर यह ननु चन्दनादि शब्द शृङ्गारादि के समान चारुत्व के व्यञ्जक नहीं होते । फिर भी अनेक बार सुन्दर अर्थ के प्रतिशब्दन से अधिगमित होने के कारण उनमें उस अर्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य माननी ही चाहिए यही चारुत्व-व्यञ्जक शब्दों का अन्य शब्दों से भेद है ।

१. तत्रान्यत्र च नि० दी० । २. न तत् प्रतिभासते नि०, दी० ।

३. इत्यवसातव्यम् नि०, दी० ।

अन्य एवासौ सहृदयसंबन्ध इति चेत्, किमिदं सहृदयत्वं नाम । किं रसभावानपेक्षकाव्याश्रितसमयविशेषाभिज्ञत्वम् उत रसभावादिमयकाव्यस्वरूपपरिज्ञाननैपुण्यम् । पूर्वस्मिन् पक्षे तथाविधसहृदयव्यवस्थापितानां शब्दविशेषाणां चारुत्वनियमो न स्यात् । पुनः सम्यान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसम्भवात् । द्वितीयस्मिंस्तु पक्षे रसज्ञतैव सहृदयत्वमिति । तथाविधैः सहृदयैः संबन्धो रसादिसमर्पणसामर्थ्यमेव नैसर्गिकं शब्दानां विशेष इति व्यञ्जकत्वाश्रय्येव^१ तेषां मुख्यं चारुत्वम् । याचकत्वाश्रयाणान्तु^२ प्रसाद एवाथापेक्षया तेषां विशेषः । अथानपेक्षायां^३ त्वनुप्रासाद्विरेच ॥१६॥

यदि यह कहें कि [शब्दों के चारु-विशेष का नियामक] सहृदय-संबन्ध कोई अन्य ही [निर्णयता] है । तो [यह पूछना चाहिए कि] यह सहृदयत्व [आपके मत में] क्या है । १. क्या रस भाव की अपेक्षा के बिना ही काव्याश्रित सङ्केत विशेष का ज्ञान रचना ही सहृदयत्व है ? अथवा रसभासमय काव्य के स्वरूप परिज्ञान की कुशलता [सहृदयत्व है] ? यदि पहिला पक्ष मानें तो इस प्रकार के सहृदयों द्वारा निर्धारित शब्द विशेषों के चारुत्व का नियम नहीं बन सकता क्योंकि [दूसरी धार अन्य प्रकार से ही उन शब्दों का सङ्केत किया जा सकता है । [इसलिए पहिला पक्ष ठीक नहीं है] ।

दूसरे ['रसभावादिमय-काव्य-स्वरूप परिज्ञान नैपुण्यमेव सहृदयत्वम्' इस] पक्ष में रसज्ञता का नाम ही सहृदयत्व हुआ । इस प्रकार के सहृदयों से संबन्ध [शब्द विशेषों के चारुत्व का नियामक] शब्दों की रस समर्पण [रसाभिव्यक्ति] की स्वाभाविक सामर्थ्य ही शब्दों की [चारुत्वोत्पन्न की नियामक] विशेषता है । इसलिए मुख्यतया व्यञ्जकत्व [शक्ति] के आश्रित ही शब्दों का चारुत्व [निर्धारित होता] है ।

याचकत्वाश्रय [चारुत्व हेतु] उन [शब्दों] के अर्थ की अपेक्षा होने पर प्रसाद [गुण] ही उनका भेदक है । और अर्थ की अपेक्षा न होने पर अनुप्रासादि ही [अन्य माधुर्य शब्दों से विशेष भेदक है ।]

अर्थात् जहाँ व्यञ्जक शब्द का उपयोग नहीं होता वहाँ चारु शब्द से

१. व्यञ्जकत्वाश्रय एव नि० शी० । २. याचकत्वाश्रयस्तु नि० शी० ।

३. चर्मादिशायी नि०, चर्मा (न) पेशायी शी० ।

एवं रसादीना व्यञ्जकस्वरूपमभिधाय तेषामेव विरोधिरूपं लक्षयितुमिदमुपक्रम्यते—



प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन् बन्द्ध्युमिच्छता ।

यत्नः कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम् ॥१७॥

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसभावनिबन्धन प्रत्याहतमनाः कविर्विरोधि परिहारे परं यत्नमादधीत । अन्यथा त्वस्य रसमय, श्लोक एकोऽपि सम्यङ् न सम्पद्यते ॥१७॥

ही चारुत्व प्रतीत होता है वहा चारुत्व के बोधक शब्दों में अन्य शब्दों से जो विशेषता होती है वह वाचक के आश्रित ही रहती है । और उसके भी दो रूप होते हैं । एक जहा केवल शब्दनिष्ठ चारुता की प्रतीति हो और उस में अर्थ ज्ञान की कोई आवश्यकता न हो ऐसे शब्दनिष्ठ चारुता चोतक शब्दों का अन्य शब्द से भेद करने वाला विशेष धर्म अनुप्रासादि शब्दालङ्कार हैं । और जहा चारुत्व प्रतीति में अर्थज्ञान की सहायता भी, अपेक्षित होती है वहा 'प्रसाद गुण' चारुता चोतक शब्दों को अन्य शब्दों से भिन्न करता है ।

इस प्रकार मुवादि के वाचक न होने पर भी यह रस के अभिव्यञ्जक हो सकते हैं क्योंकि वाचक शब्द उनकी सहायता से ही अपना अर्थ बोध कर सकते हैं । अतः व्यङ्ग्य अर्थ के व्यञ्जक शब्द से अविनाभूत होने के कारण, और प्रातिपदिक के मुवादि सहयोग से ही अर्थ बोधक होने से मुवादि भी रसादि के अभिव्यञ्जक होते हैं इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हुआ ॥१६॥

इस प्रकार रसादि के अभिव्यञ्जकों के स्वरूप का प्रतिपादन कर के [अथ] उन्हीं [रसादि] के विरोधियों का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए यह [अगला प्रकरण] प्रारम्भ करते हैं ।

प्रबन्ध काव्य अथवा मुक्तक [काव्य] में रसादि के निबन्धन की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान् [कवि] को [रस के] विरोधियों के परिहार के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

प्रबन्ध [काव्य] अथवा मुक्तक [काव्य] में रसबन्ध के लिए

कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवेः परिहर्तव्यानी-
त्युच्यते :—

विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः ।

विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वर्णनम् ॥१८॥

अक्राण्ड एव त्रिच्छित्तिरक्राण्डे च प्रकाशनम् ।

परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम् ।

रसस्य स्याद् विरोधाय वृत्त्यनौचित्यमेव च ॥१९॥

समुत्सुक कवि, विरोधियों के परिहार के लिए पूर्ण प्रयत्न करे। अन्यथा उसका एक भी श्लोक रसमय नहीं हो सकता है ॥१७॥

रस के विरोधी पाच प्रकार के होते हैं। कारिका के आधे आधे भाग में एक-एक का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह ढाई कारिका इस विषय की होती है। परन्तु सख्या देते समय इन पर १८ तथा १९ दो ही कारिकाओं की सख्या दी गई है। जिससे १९ कारिका का कलेवर तीन पक्ति का हो गया है। एक विषय से सम्बद्ध होने से श्रौर आगे की कारिकाओं में गड़बड़ न हो इस लिए यह सख्या प्रम रत्ना गया है। अन्य सब सस्वरणों में ऐसा ही प्रम है।

[रसादि के] वह विरोधी त्रिनको यत्नपूर्वक कवि को बचाना चाहिए कौन से हैं, यह बतलाते हैं।

१. विरोधी रस के सम्बन्धी विभावादि का ग्रहण कर लेना।

२. [रस से] सम्बद्ध होने पर भी अन्य वस्तु का अधिक विस्तार से वर्णन करना।

३. रसमय में रस को समाप्त कर देना अपना अन्तर्मन में उमका प्रकाशन करना।

४. [रस का] पूर्ण परिपोष्य हो जाने पर भी बार-बार उमका उदीपन करना।

५. श्रौर व्यवहार का अनौचित्य।

[ये पाँचों] रस के विरोधकारों होते हैं।

प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्य सम्बन्धिनां विभावभवा-
नुभावानां परिग्रहो रसविरोधहेतुकः^१ सम्भावनीयः ।

तत्र विरोधिरसविभावपरिग्रहो यथा, शान्तरसविभाषेषु तद्-
विभाषतयैव निरूपितेष्वनन्तरमेव शृङ्गारादिविभाववर्णने^२ ।

विरोधिरसभावपरिग्रहो यथा प्रियं प्रति प्रणयकलहकुपितासु
कामिनीषु वैराग्यकथाभिरनुनये ।

विरोधिरसानुभावपरिग्रहो यथा प्रणयकुपितायां प्रियायामप्रसी-
दन्त्यां नायकस्य कोपावेशविवशस्य रौद्रानुभाववर्णने ।

रसों का विरोध तीन प्रकार से होता है । किन्हीं का आलम्बन ऐक्य में,
किन्हीं का आश्रय ऐक्य में और किन्हीं का नैरन्तर्य से ।

वीर और शृङ्गार का, हास्य, रौद्र और भीमत्स के साथ सम्भोगशृङ्गार का,
और वीर, करुण तथा रौद्रादि के साथ विप्रलम्भ शृङ्गार का विरोध आलम्बन
ऐक्य से ही होता है ।

२. आश्रय ऐक्य से वीर और भयानक का तथा

३ नैरन्तर्य तथा विभाव ऐक्य से शान्त और शृङ्गार का विरोध
होता है ।

प्रस्तुत रस की दृष्टि से जो विरोधी रस हो उससे सम्बन्ध रखने वाले
विभाष, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों का वर्णन [सब से पहिला] रसविरोधी
हेतु समझना चाहिए ।

अ. उनमें विरोधी रस के विभाव परिग्रह [का उदाहरण] जैसे
शान्तरस के विभावों का उसके विभाव रूप में ही वर्णन करने के बाद तुरन्त
ही शृङ्गार के विभाव का वर्णन करने लगना । [शान्त और शृङ्गार का नैरन्तर्य
विरोध होने से ऐसा वर्णन दोषाघायक है ।]

व. विरोधी में रस के भाव [व्यभिचारी भाव] के परिग्रह [का उदा-
हरण] जैसे, प्रिय के प्रति प्रणय-कलह में कुपित कामिनियों के वैराग्य कथा
द्वारा अनुनय वर्णन में ।

स. विरोधी रस के अनुभाव के परिग्रह [का उदाहरण] जैसे प्रणय-

अर्थ चान्यो रसभङ्गहेतुर्यत् प्रस्तुतरसापेक्षया वस्तुनोऽन्यस्य कथञ्चिदन्वितस्यापि विस्तरेण कथनम् । यथा विप्रलम्भशृङ्गारे नायकस्य कस्यचिद् वर्णयितुमुपक्रान्ते^१, कथेर्यमकाद्यलङ्कारनिबन्धन-रसिकृतया महता प्रबन्धेन पर्वतादिवर्णने ।

कलह में कुपित मामिनी के प्रसन्न न होने पर कोपाविष्ट नायक के रौद्रानुभाषों का वर्णन करना ।

यहा भाव शब्द से व्यभिचारी भाव का ही ग्रहण करना चाहिये, स्थायीभाव का नहा क्योंकि पूर्व स्थायीभाव का विच्छेद हुए बिना विरोधी स्थायी-भाव का उदय समय ही नहीं है । इसलिये 'भाव' शब्द को सामान्यवाचक होते हुए भी यहा व्यभिचारीभाव परक ही समझना चाहिये ।

इस प्रकार का उदाहरण यह है —

प्रसादे वर्तस्व, प्रकटय मुद, सन्त्यज स्व,
प्रिये शुभ्यन्त्यङ्गान्यमृतमिव ते सिञ्चतु वच ।
निधान सौस्थाना क्षणमभिमुत्त स्थापय मुत्त,
न मुग्धे प्रत्येतु प्रभवति गत कालहरिणः ॥

प्रसन्न हो जाओ, आनन्द प्रकट करो और क्रोध को छोड़ दो । प्रिये मेरे अङ्ग सूखे जा रहे हैं, उन पर अपने वचनामृत की वर्षा करो । समस्त सुखों के आधार स्वरूप अपने मुख को जरा समने करो । अग्नि सरले ! काल रूप हरिण एक बार चने जाने पर फिर नहीं लौट सकता ।

इस प्रकार वैराग्य कथा से प्रणय कलह-कुपित कामिनी का अनुनय शृङ्गार विरोधी होने से परित्याग्य है । क्योंकि वैराग्य कथा से तत्वज्ञान हो जाने पर तो फिर शृङ्गार में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती अतएव वह देय है ।

—यह [दूसरा] रसभङ्ग का हेतु और है कि, प्रस्तुत रस से किसी प्रकार सम्बद्ध हान पर भी [रस से भिन्न] किसी अन्य वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन । जैसे किसी नायक के विप्रलम्भ शृङ्गार का वर्णन प्रारम्भ कर कवि का यमदादि रचना के अनुराग से अत्यन्त विस्तार के साथ पर्वतादि का वर्णन करने लगना । [जैसे 'किराताहृत् नीय' [काव्य] में सुराहनाशिलायादि । अथवा हयमयी वध में हयमयी का अति विस्तृत वर्णन ।]

अयं चापरो रसभङ्गहेतुरवगन्तव्यो यदकाण्ड एव विच्छिन्ती^१
रसस्याकाण्ड एव च प्रकाशनम्^२ ।

तत्रानवसरे विरामो यथा नायकस्य कस्यचित् स्पृहणीयसमागमया
नायिकया कयाचित् परां परिपोषपदवीं प्राप्ते शृङ्गारे, विदिते च
परस्परानुरागे, समागमोपायचिन्तोचितं व्यवहारमुत्सृज्य स्वतन्त्रतया
व्यापारान्तरवर्णने ।

अनवसरे च प्रकाशनं रसस्य यथा प्रवृत्ते प्रवृद्धविविध-
वीरसंज्ञये कल्पसंज्ञयकल्पे सभ्रामे रामदेवप्रायस्यापि तावन्नायक-
स्यानुपक्रान्तविप्रलम्भशृङ्गारस्य निमित्तमुचितमन्तरेणैव शृङ्गारकथाया-
यमवतारवर्णने ।

नचैवविधे विषये दैवव्यामोहितत्वं कथापुरपस्य परिहारो,

३. अकाण्ड [अनवसर] में रस को विच्छिन्न कर देना अथवा
अनवसर में ही उसका विस्तार [करने लगना] यह भी और [तीसरा] रसभङ्ग
का हेतु है ।

अ. उसमें अकाण्ड में विराम [का उदाहरण] जैसे किसी नायक का
जिसके साथ समागम उसको अभीष्ट है ऐसी नायिका के साथ [किसी प्रकार]
शृङ्गार [रति] के परिपुष्ट हो जाने और [उनके] परस्पर अनुराग का पता
लग जाने पर उनके समागम के उपाय के चिन्तन योग्य व्यापार को छोड़ कर
स्वतन्त्र रूप से किसी अन्य व्यापार का वर्णन करने लगना । [जैसे 'रत्नावली'
[नाटिका] में 'वाभ्रघ्न' के आने पर सागरिका की विस्मृति ।]

ब. अनवसर में रस के प्रकाशन [का उदाहरण] जैसे नाना वीरों के
विनाशक कल्प प्रलय के सुमान भीषण संभ्राम के प्रारम्भ हो जाने पर विप्रलम्भ
शृङ्गार के प्रसङ्ग के बिना और बिना किसी उचित कारण के रामचन्द्र सरीले
देवपुरप का भी शृङ्गार कथा में पढ़ जान का वर्णन करने में [भी रसभङ्ग होता
है जैसे-बेखीमंहार के द्वितीय अङ्क में महाभारत का युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर
भी भानुमती और दुर्योधन के शृङ्गार वर्णन में ।]

इस प्रकार के विषय में [यहा दुर्योधन ने दैववश व्यामोह में पड़ कर
वह सब कुछ किया इस प्रकार] कथा नायक के दैवी व्यामोह से उस दोष का

१. विच्छिन्ति वा० प्रि० । २. प्रयनम् नि०, दी० । ३. रसस्य नि० में
नहीं है । ४. प्रयुक्त वा० प्रि० । ५. देवप्रायस्य नि०, दी० ।

यतो रसबन्ध एव कवेः प्राधान्येन 'प्रवृत्तिनिबन्धनं युक्तम् । इतिवृत्त-
वर्णनं तदुपाय एवेत्युक्तं प्राक् "आलोकार्थी यथा दीपशिखायां
यत्नवान् जनः" इत्यादिना ।

अत एव चेतिवृत्तमात्रवर्णनप्राधान्येऽङ्गाङ्गिभावरहितरसभाव-
निबन्धेन च कवीनामेवंविधानि स्वलितानि भवन्तीति रसादिरूप-
व्यङ्ग्यतात्पर्यमेवैषां युक्तमिति यत्नोऽस्माभिरारब्धो न ध्वनिप्रति-
पादनमात्राभिनिवेशेन ।

पुनश्चायमन्यो रसभङ्गहेतुरवधारणीयो यत् परिपोषं गतस्यापि
रसस्य पौनःपुन्येन दीपनम् । उपभुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलब्धपरिपोषः
पुनः पुनः परामृश्यमाणः परिम्लानकुसुमकल्पः कल्पते ।

तथावृत्तेर्व्यवहारस्य यदनौचित्यं तदपि रसभङ्गहेतुरेव । यथा
नायकं प्रति नायिकायाः कस्यारिचदुचितां 'भङ्गिमन्तरेण स्वयं
सम्भोगाभिलापकथने ।

परिहार नहीं हो सकता है क्योंकि रस बन्धन ही कवि की प्रवृत्ति का मुख्य कारण
है और इतिहास वर्णन तो उसका उपाय मात्र ही है । यह बात "आलोकार्थी
यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः" इत्यादि से [प्रथम उद्योत की नवम कारिका
में] पहिले ही [१०-२० पर] कह चुके हैं ।

इसलिए केवल इतिहास के वर्णन का प्राधान्य होने पर अन्न और
अग्नी भाव का विचार किए बिना ही रस और भाव का निबन्धन करने से कवियों
से इस प्रकार के [सच] दोष हो जाते हैं अतः रसादिरूप व्यङ्ग्य तत्परत्व ही
उनके लिए उचित है इसी दृष्टि से हमने यह [ध्वनि-निरूपण का] यत्न प्रारम्भ
किया है केवल ध्वनि के प्रतिपादन के आग्रह के कारण ही नहीं ।

४ फिर यह [चौथा] और रसभङ्ग का हेतु समझना चाहिए कि
रस के परिपुष्टि को प्राप्त हो जाने पर भी धार-धार उसको उद्योत करना ।
अपनी [विभावादि] सामग्री से परिपुष्ट और उपभुक्त रस धार-धार स्पर्श
करने से सुरम्य रूप मूल के समान मलिन हो जाता है ।

५. और [पांचवां] व्यवहार का जो अनौचित्य है वह भी रसभङ्ग का
ही हेतु होता है । जैसे नायक के प्रति किसी नायिका का उचित हाव भाव

यदि वा वृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां कैशिक्यादीनां काव्यालङ्कारान्तर-
प्रसिद्धानामुपनागरिकाद्यानां वा यदनौचित्यमविषये निबन्धन तदपि
रसभङ्गहेतुः ।

के प्रिना स्वयं [शब्दत] सम्भोगाभिज्ञाप कहने में [व्यवहार का अनौचित्य
हो जाने से रसभङ्ग होता है ।]

अथवा भरत प्रसिद्ध कैशिकी आदि वृत्तियों का अथवा दूसरे [भामह
कृत] काव्यालङ्कार [और उस पर भट्टोज्जट्ट 'भामह विवरण'] में प्रसिद्ध
उपनागरिका आदि वृत्तियों का जो अनौचित्य अर्थात् अविषय में निबन्धन है
वह भी रसभङ्ग का [पाचमा] हेतु है ।

भरत के नाट्य शास्त्र में कैशिकी, सात्वती, भारती तथा आरभटी चार
वृत्तियों का वर्णन किया गया है । उनके लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं —

कैशिकीलक्षणम् .—

या श्लक्ष्णनेपथ्यविशेषचिन्ता, स्त्रीसमुता या बहुनुत्तमीता ।
कामोपभोगप्रभवोपचारा , तां कैशिकीं वृत्तिमुदाहरन्ति ॥

सात्वतीलक्षणम् —

या सत्वनेनेह गुणेन युक्ता, न्यायेन वृत्तेन समन्विता च ।
हर्षोत्कटा सहृदयशोभभावा , सा सात्वती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥

भारतीलक्षणम् .—

या वाक् प्रधाना पुरुषप्रयोज्या, स्त्रीवर्जिता संस्कृतवाक्ययुक्ता ।
स्वनामधेयैर्भरतै प्रयुक्ता , सा भारती नाम भवेत्तु वृत्तिः ॥
आरभटीलक्षणम् शृङ्गारतिलके :—

या चित्रयुद्धभ्रमशस्त्रपातनायेन्द्रजालप्लुतिलङ्घितादया ।
श्रोत्रस्त्रिगुर्वक्षरन्धगाढा ज्ञेया दुषै. सारभटीति वृत्तिः ॥

इनकी उत्पत्ति भरत मुनि ने चारों वेदों से इस प्रकार बताई है :—

ऋग्वेदात् भारती वृत्तिः, यजुर्वेदात् सात्वती ।
कैशिकी सामवेदाच्च, शेषा चाथर्वणी तथा ॥

इन वृत्तियों के अनुचित प्रयोग से अथवा भट्टोज्जट्ट प्रतिपादित उप-
नागरिका आदि वृत्तियों—जिनका कि वर्णन हम ऊँछे पृष्ठ २५१ पर कर चुके
हैं—के अनुचित प्रयोग से भी रसभङ्ग होता है यह आगे कहते हैं ।

एवमेपां रसविरोधिनामन्येपाश्चानया दिशा स्वयमुत्प्रेक्षितानां परिहारे सत्कविभिरवहितैर्भवितव्यम् । परिकरश्लोकार्शचात्र.—

मुख्या व्यापारविषया. सुक्वीनां^१ रसादयः ।

तेषा निबन्धने भाव्य तै. सदैवाप्रमादिभि. ॥

नीरसस्तु प्रबन्धो य. सोऽपशब्दो महान् कवे. ।

स तेनाकविरेव स्यादन्येनास्मृतलक्षण. ॥

पूर्वे विश्वहृत्कविः कवयः प्राप्तकीर्तय ।

तान् समाश्रित्य न त्याज्या नीतिरेषा मनीषिणा ॥

वाल्मीकिव्यासमु^१याश्च ये प्रयाता. कवीश्चरा. ।

तदभिप्रायनाहोऽय नास्माभिर्दर्शितो नय ॥ इति ॥१६॥

इस प्रकार इन रसविरोधियों [पाचों हेतुओं] का और इसी मार्ग से स्वय उपप्रेक्षित ग्रन्थ रसभङ्ग हेतुओं का परिहार करने में सत्कवियों को सावधान रहना चाहिए । इस विषय के संग्रह श्लोक [इस प्रकार] है—

१. सुकवियों के व्यापार के मुख्य विषय रसादि हैं उनके निबन्धन में उन सत्कवियों को सदैव प्रमाद रहित [जागरूक] रहना चाहिए ।

२. कवि का जो नीरस काव्य है वह [उसके लिए] महान् अपशब्द है । उस नीरस काव्य से वह कवि ही नहीं रहता । [कविस्वप्न में] कोई उसका नाम भी याद नहीं करता ।

महाभाष्य में व्याकरण शास्त्र के प्रयोगों का प्रतिपादन करते हुए महर्षि पतञ्जलि ने 'तेऽमुग' प्रतीक से अशब्द से बचन भी एक प्रयोजन यतलाया है । 'तेऽमुग हेलयो हेलय इति कुर्यन्त पराश्रभूयुः । तस्माद् ब्रह्मणेन न भ्नेच्छतये नारमाभितये । भ्नेच्छो ह वा एष यदपशब्दः । भ्नेच्छा मा भूमेय-भ्येय व्याकरणम् ।' म० भा० पराशरान्दिक । जिस प्रकार यैयाकरण के लिए अशब्द का प्रयोग भ्नेच्छतयाशब्द होने से अत्यन्त परिचर्जनीय है इसी प्रकार कवि के लिए नीरस काव्य की रचना अशब्द सदृश होने से अत्यन्त गर्हित है । यह भाष्य यहां 'गोऽपशब्दो महान् कवे' से अभिप्राय देना है ।

३. [इन विषयों का उद्धरण करने वाले] स्वच्छन्द रचना करने वाले जो पूर्व कवि प्रसिद्ध हो गए हैं उनके [उदाहरण को] लेकर तुद्धिमान् [नरद्वि] को यह नीति नहीं छोड़नी चाहिए ।

विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम् ।

बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला ॥२०॥

स्वसामग्र्या^१ लब्धपरिपोषे तु विवक्षिते रसे विरोधिना, विरोधि-
रसाङ्गाना, बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्ताना सतामुक्तिरदोषः^२ । बाध्यत्वं
हि विरोधिना शक्याभिभवत्वे सति, नान्यथा ।^३ तथा च तेषामुक्तिः
प्रस्तुतरसपरिपोषायैव सम्पद्यते ।

४. [क्योंकि] वाल्मीकि व्यास इत्यादि जो प्रसिद्ध कवीश्वर हुए हैं उनके अभिप्राय के विरुद्ध हमने यह नीति निर्धारित नहीं की है ।

अपितु ये नियम सर्वथा उनके अभिप्राय के अनुकूल ही हैं । इसलिए यदि कोई पूर्व कवि स्वच्छन्द रचना कर के भी प्रसिद्ध हो गए हैं तो कवि बनने के इच्छुक नवकवि को उनकी इस स्वच्छन्दता का अनुकरण नहीं करना चाहिए ॥१६॥

इस प्रकार सामान्यतः विरोधियों के परिहार का निरूपण करके उस नियम के अपवाद रूप जहाँ विरोधियों का साथ साथ वर्णन भी हो सकता है उन स्थितियों का निरूपण करते हैं—

विवक्षित [प्रधान] रस के परिपुष्ट [लब्धप्रतिष्ठ— सुस्थिर] हो जाने पर तो [१] बाध्य रूप अथवा [२] अङ्गरूपता को प्राप्त विरोधियों का कथन दोष रहित है ।

प्रधान रस के अपनी [विभावादि] सामग्री के आधार पर परिपुष्ट हो जाने पर विरोधियों [अर्थात्] विरोधी रस के अङ्गों का, [१] बाध्य अथवा [२] अङ्ग-भाव को प्राप्त रूप में वर्णन करने में कोई दोष नहीं है । [क्योंकि] विरोधियों [विरोधी रसाङ्गों] का बाध्यत्व उनका अभिभव सम्भव होने पर ही हो सकता है अन्यथा नहीं । अतएव उनका [बाध्य रूप] वर्णन प्रस्तुत रस का परिपोषक ही होता है । [इसलिए विरुद्ध रसों के अङ्ग भी प्रकृत रस से अभिभूत अर्थात् बाधित होकर उस विवक्षित [प्रधान] रस के परिपोषक ही हो जाते हैं अतः ऐसी दशा में उनका वर्णन करने में कोई हानि नहीं है ।]

अङ्गभाव को प्राप्त हो जाने पर तो विरोध ही समाप्त हो जाता है । [इसलिए अङ्गभाव को प्राप्त विरोधी रस के वर्णन में भी कोई हानि नहीं है]

१. स्वसामग्री नि० दो० । २. अदोषा नि०, निर्दोषा दो० । ३. नि०, दो० में 'तथा च' नहीं है ।

अङ्गभावं प्राप्तानां च 'तेषां विरोधित्वमेव निवर्तते ।' अङ्गभाव-
प्राप्तिर्हि तेषां स्वाभाविकी समारोपकृता वा । तत्र येषां नैसर्गिकी तेषां
तावदुक्तावविरोध एव । यथा विप्रलम्भशृङ्गारे तदङ्गानां व्याध्यादीनाम् ।
'तेषां च तदङ्गानामेवादीपो नातदङ्गानाम् ।

उन [विरोधी रसाङ्गों] का अङ्गभाव भी स्वाभाविक अथवा समारोपित
[दो] रूप से हो सकता है । उनमें जिनका स्वाभाविक अङ्गभाव है उनके
घर्णन में तो अविरोध ही है । जैसे विप्रलम्भ शृङ्गार में [उसके अङ्गभूत] व्याधि
आदि का [अविरोध है] । उन [व्याधि आदि व्यभिचारी भावों] में उस
[विप्रलम्भ शृङ्गार] के अङ्गभूत [व्यभिचारियों] का घर्णन ही दोष रहित
है उससे भिन्न [जो] उस [विप्रलम्भ में शृङ्गार] के अङ्ग नहीं हैं, उनका नहीं ।

'विप्रलम्भशृङ्गारे तदङ्गानां व्याध्यादीनाम् । तेषां च तदङ्गानामेवादीपो
नातदङ्गानाम् ।' इस पंक्ति का आशय यह है कि रसों के व्यभिचारीभाव सम्मिलित
रूप से ३३ माने गए हैं । साहित्यदर्पणकार ने उनका सग्रह इस प्रकार
किया है :—

निर्वेदावेगदैन्यश्रममदजडता श्रीग्रयमोही विवोधः,
स्थप्नापरमारगवां मरणमलसतामर्पनिद्रावहिःखा ।
श्रीमुख्योन्मादशङ्काः स्मृतिमतिसहिता व्याधिसनासलज्जा,
हर्पासूयाविपादा. सधृतिचपलता ग्लानिचिन्तावितर्काः ॥

सा. द. ३, १४१ ।

अथस्त्रिशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः,

विज्ञेया व्यभिचारिणः । का. प्र. ४, ३४ ।

इनमें से उपमता, मरण, आलस्य और जुगुप्सा को छोड़ कर शेष सब
शृङ्गार रस के व्यभिचारी भाव होते हैं । 'यक्त्यौष्ण्यमरणालस्यजुगुप्सा व्यभि-
चारिणः' । सा० द० ३, १८६ । और कवच रस में निर्वेद, मोह, अरस्मार,
व्याधि, ग्लानि, स्मृति, अम, विपाद, जडता, उन्माद और चिन्ता यह व्यभिचारी
भाव होते हैं । 'निर्वेद मोहापरमारव्याधिग्लानिस्मृतिभ्रमाः । विपादजडतोन्माद-

१. तदुक्तावविरोध एव नि० । २. अङ्गभाव प्राप्तिर्हि तेषां
स्वाभाविकी समारोपकृता वा । तत्र येषां नैसर्गिकी तेषां तवदुक्ताव-
विरोध एव इतना पाठ नि० में नहीं है । ३. तेषां च नि०, दो० में नहीं है ।

तदङ्गत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न ज्यायान् । आश्रय-
विच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेदप्राप्तेः । करुणस्य तु तथाविधे विषये
परिपोषो भविष्यतीति चेत्, न । तस्याप्रस्तुतत्वात्, प्रस्तुतस्य च
विच्छेदात् । यत्र तु 'करुणरसस्यैव काव्यार्थत्वं तत्राविरोधः ।

शृङ्गारे या मरणस्यादीर्घकालप्रत्यापत्तिसम्भवे कदाचिदुपनिबन्धो
नात्यन्तविरोधी । दीर्घकालप्रत्यापत्तौ [तु] तस्यान्तरा प्रवाहविच्छेद एवे-
त्येवंविधेतित्वृत्तोपनिबन्धनं रसबन्धप्रधानेन कविना परिहर्तव्यम् ।

चिन्ताया व्यभिचारिणः' । सा०द० ३, २२५ । इस प्रकार व्याधि आदि शृङ्गार और
करुण दोनों के समान व्यभिचारीभाव हैं । करुण और विप्रलम्भशृङ्गार का आलम्ब-
नैक्येन विरोध ऊपर पृष्ठ २६० पर दिखाया जा चुका है । व्याधि आदि व्यभिचारीभाव
दोनों के अङ्गों में पठित है । अतः वह दोनों के अङ्ग हो सकते हैं और दोनों के साथ
उनका स्वाभाविक अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध है । इसलिये जो व्याधि आदि विप्रलम्भ
शृङ्गार के विरोधी करुण रस के अङ्ग हैं वह विप्रलम्भ शृङ्गार के विरोधी हैं । परन्तु
उन व्याधि आदि का शृङ्गार के साथ भी स्वाभाविक अङ्गाङ्गिभाव है । इसलिये
विप्रलम्भ शृङ्गार में भी व्याधि आदि का वर्णन करने में कोई दोष नहीं है परन्तु
आलस्य, उग्रता, जुगुप्सा, आदि जिन व्यभिचारियों का शृङ्गार में अङ्गभाव नहीं
है परन्तु करुणरस में है, उन का विप्रलम्भ शृङ्गार में वर्णन दोषाधायक ही
होगा । यह ठक पकि का अभिप्राय है । 'विप्रलम्भशृङ्गारे तदङ्गाना व्याध्या-
दीनाम् ।' का भाव यह हुआ कि व्याधि आदि करुण रस के अङ्ग होने से
विप्रलम्भ शृङ्गार के साथ उनका विरोध हो सकता है परन्तु वह शृङ्गार के भी
अङ्ग हैं इसलिये 'तदङ्गाना अर्थाद् विप्रलम्भशृङ्गाराङ्गाना व्याध्यादीनामविरोधः' ।
परन्तु 'व्याध्यादि' से सभी व्यभिचारी भावों का ग्रहण न कर लिया जाय इसलिये
आगे 'तेषा च तदङ्गानामेगदोषो नातदङ्गानाम् ।' लिख कर यह सूचित किया कि
जो व्याधि आदि शृङ्गार के भी अङ्ग हैं उन्हीं का वर्णन हो सकता है जो शृङ्गार
के अङ्ग नहीं केवल करुण के अङ्ग हैं उनका वर्णन तो दोषजनक ही होगा । अत-
एव उनका वर्णन नहीं करना चाहिये ।

मरण के उस [विप्रलम्भशृङ्गार] का अङ्ग हो सकने पर भी उसका
वर्णन करना उचित नहीं है । क्योंकि आश्रय [आलम्बन रिभाव] का ही

नाश हो जाने से रस का अत्यन्त विनाश हो जायगा । यदि यह कहे कि ऐसे स्थान में कर्ण रस का परिपोषण होगा [तो रस का सर्वथा नाश तो नहीं हुआ ।] यह कहना उचित नहीं है क्योंकि कर्ण रस प्रस्तुत रस नहीं है और जो [विप्रलम्भ शृङ्गार] प्रस्तुत है उसका अत्यन्त विच्छेद हो जाता है । [हा] जहा करणरस काव्य का मुख्य रस है वहा तो [मरण वर्णन में भी] विरोध नहीं है ।

अथवा शृङ्गार में जहा शीघ्र ही उनका समागम फिर हो सके ऐसे स्थान पर मरण का वर्णन भी अत्यन्त विरीधी नहीं है । [परन्तु जहां] दीर्घकाल बाद पुनः सम्मिलन हो सके वहा तो बीच में रस प्रवाह का विच्छेद ही हो जाता है अतएव रसप्रधान कवि को इस प्रकार के इतिवृत्त के वर्णन को बचना ही चाहिए ।

यहा आलोककार ने लिखा है कि मरण विप्रलम्भ शृङ्गार का अङ्ग हो सकता है परन्तु ऊपर 'त्यक्त्वौग्र्यमरणालस्यजुग्प्सा व्यभिचारिणः' । सा० ६० ३, १८६ जो उद्धृत किया है उसमें मरण को शृङ्गार का अङ्ग या व्यभिचारीभाव नहीं माना है ।

आलस्यौग्र्यजुग्प्साभिर्भावैस्तु परिवर्जिताः ।

उद्भावयन्ति शृङ्गार सर्वे भावा. स्वसहया ॥ ना० शा० १०८

भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के इस श्लोक में मरण को भी शृङ्गार में वर्जित नहीं किया है । अतः प्रतीत होता है कि नवीन आचार्यों ने नायिका या नायक में से किसी की मृत्यु होजाने पर विप्रलम्भ की सीमा समाप्त होकर कर्ण की सीमा आजाने से प्रवाह के विच्छिन्न हो जाने से मरण को विप्रलम्भ का अङ्ग नहीं माना है । परन्तु उसको यह कल्पना भरत मुनि के अभिप्राय के विरुद्ध प्रतीत होती है । आलोककार ने भरत के नाट्यशास्त्र के आधार पर ही अपना यह प्रकरण लिखा है । भरत मुनि ने जो मरण को विप्रलम्भ शृङ्गार में भी व्यभिचारीभाव माना है वह इसी अदीर्घकालीन प्रत्यापत्ति के आधार पर माना है । और उसका वर्णन भी उस रूप में कालिदास आदि के ग्रन्थों में मिलता है । कालिदास ने रघुश में लिखा है :-

तीर्थं तोयव्यतिकरभवे जह्नु कन्यासरयो.

देहन्यासादमरणानालेखमासाद्य सद्यः ।

पूर्वाकाराधिकचतुरया सङ्गतः कान्तयासौ
लीलागारेध्वरमत पुनर्नन्दनाभ्यन्तरेषु ॥

‘अत्र स्फुटैव रत्यङ्गता मरणस्य’ । लिख कर लोचनकार ने उसकी रत्यङ्गता का पोषण किया है । यह श्लोक रघुवश के आठवें सर्ग का अन्तिम श्लोक है । इन्दुमती के मर जाने के आठ वर्ष की बीमारी के बाद अज ने गङ्गा और सरयू के सङ्गम पर शरीर त्याग कर देवभाव को प्राप्त किया और उस देव लोक में पहिले ही पहुची हुई पहिले से अधिक चतुर कान्ता इन्दुमती के साथ नन्दन वन के भीतर बने लीलाभवनों में रमण किया । यह श्लोक का भाव है । यहा वर्णित मरण इसी श्लोक में वर्णित रति का अङ्ग है । इस रूप में मरण को शृङ्गार का अङ्ग माना गया है ।

परन्तु मूल प्रश्न तो विप्रलम्भ शृङ्गार से चला था । मरण विप्रलम्भ शृङ्गार का अङ्ग हो सकता है या नहीं । इस उदाहरण से उसकी विप्रलम्भ शृङ्गार के प्रति अङ्गता सिद्ध नहीं होती है । सम्भोग शृङ्गार के प्रति अङ्गता प्रतीत होती है और वह भी विलकुल काल्पनिक है ।

पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने ‘रसगङ्गाधर’ नामक ग्रन्थ में शृङ्गार के प्रसङ्ग में ‘जातप्राय’ और ‘चेतसा आकाङ्क्षित’ दो रूप से मरण के वर्णन का विधान किया है । जैसे :—

दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती शयने सम्प्रति सा विलोकितासीत् ।

अधुना खलु हन्त सा कृशाङ्गी निरमङ्गीकुरुते न भाषितापि ॥

इसमें जातप्राय मरण और निम्न श्लोक में मन से आकाङ्क्षित मरण का वर्णन किया है ।

रोलम्बाः परिपूरयन्तु हरितो ऋङ्गारकोलाहलैः ,

मन्दं मन्दमुपैतु चन्दनवनीजातो नभस्वानपि ।

माचन्त. कलयन्तु चूतशिखरे केलीपिकाः पञ्चम,

प्राणाः सत्वरमश्मसारकठिना गच्छन्तु गच्छन्त्वमी ॥

इस प्रकार जातप्राय, मरता आकाङ्क्षित तथा अचिर प्रत्यापत्ति युक्त इन तीन रूपों में शृङ्गार रस में भी मरण का वर्णन प्राचीन कविपरम्परा में पाया जाता है । और भरत मुनि को भी अभिप्रेत जान पड़ता है । परन्तु वास्तविक आत्यन्तिक मरण किसी को अभिप्रेत नहीं । अतएव साहित्यदर्पणकार आदि जिन आचार्यों ने मरण को शृङ्गार में व्यभिचारीभाव नहीं माना है उनका अभिप्राय वास्तविक या आत्यन्तिक मरण के निषेध से ही है — ऐसा समझना चाहिये ।



तत्र लब्धप्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसे विरोधिरसाङ्गानां बाध्यत्वे-
नोक्ताद्यदोषः ।

यथा :—

कत्राकार्यं शशलक्ष्मणं क्व च कुलं, भूयोऽपि दृश्येत सा;
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो, कोपेऽपि कान्तं मुखम् ।
किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा,
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा, धन्योऽधरं पास्यति ॥

Ab

इस प्रकार नैसर्गिक अङ्ग भाव का निरूपण किया । नैसर्गिक से भिन्न
अङ्गता समारोपित अङ्गता समझनी चाहिए इसलिए उसका लक्षण यहाँ नहीं
किया है । उदाहरण आगे देंगे । विरोधी रसाङ्गों के १. बाध्यरूप, तथा
अङ्गाङ्गीभाव में २. नैसर्गिक अङ्गाङ्गीभाव तथा ३. समारोपित अङ्गाङ्गीभाव इस
प्रकार तीन रूपों में निरूपण में दोष नहीं है यह ऊपर का सारांश हुआ । इन
तीनों के उदाहरण आगे देते हैं ।

उनमें प्रधान रस के लब्धप्रतिष्ठ [परिपुष्ट] हो जाने पर बाध्यरूप
से विरोधी रसाङ्गों के वर्णन में दोष नहीं होता [इसका उदाहरण]
जैसे :—

अन्य अक्षराङ्गों के साथ उर्वशी के स्वर्ग को चले जाने पर विरो-
धकण्डि राजा पुरुखा के मन में उठते हुए अनेक प्रकार के विचारों का इस पद्य
में यथाक्रम वर्णन है । अर्थ इस प्रकार है :—

१. कहा यह अनुचित कार्य और कहाँ उज्वल चन्द्रवंश ! [वितर्क]
२. क्या वह फिर कभी देखने को मिलेगी ? [औसुक्य]
३. अरे ! मैंने तो [कामादि] दोषों का दमन करने वाला शास्त्रों
का श्रवण किया है । [मति]
४. क्रोध में भी कैसा सुन्दर [उसका] मुख [लगता था] [स्मरण]
५. [मेरे इस व्यवहार को देख कर] धर्मात्मा विद्वान् लोग क्या
कहेंगे । [शङ्का]
६. वह तो अब स्वप्न में भी दुर्लभ हो गई । [दैन्य]
७. अरे वित्त धीरज धरो । [धृति]
८. न जाने कौन सौभाग्यशाली युवक उसके शधरासूत का पान
करेगा । [चिन्ता]

यथा वा पुण्डरीकस्य महाश्वेतां प्रति प्रवृत्तनिर्भरानुरागस्य
द्वितीयमुनिकुमारोपदेशवर्णने ।

स्वाभाविक्यामङ्गभाषप्राप्तावदोपो यथा :—

भ्रमिमरतिमलसद्दयतां प्रलयं मूर्छां तमः शरीरसादम् ।

मरणं च जलदभुजगजं प्रसङ्गं कुरुते विषं वियोगिनीनाम् ॥

इत्यादौ ।

यहां विषम सख्या वाले अर्थात् १ वितर्क, ३ मति, ५ शङ्का, ७ धृति यह शान्तरस के व्यभिचारी भाव हैं । और सम सख्या वाले अर्थात् २ श्रौमुख्य, ४ स्मरण, ६ दैन्य और ८ चिन्ता यह शृङ्गार रस के व्यभिचारी भाव हैं । शान्त और शृङ्गार रस का नैर्न्तर्य तथा श्यालम्बन ऐक्य में विरोध होता है । यहाँ इन दोनों का नैर्न्तर्य भी है और श्यालम्बन ऐक्य भी है । इसलिए सामान्य नियम के अनुसार उनका एकत्र वर्णन रस विरोधी होना चाहिए था । परन्तु उसमें विषम सख्या वाले शान्त रस के व्यभिचारी भावों को सम सख्या वाले शृङ्गार रस के व्यभिचारी भाव बाधने वाले हैं । अर्थात् वितर्क का श्रौमुख्य से, मति का स्मृति से, शङ्का का दैन्य से और धृति का चिन्ता से बाध हो जाता है । इस लिए बाध्यत्वेन कथन होने के कारण दोष नहीं है ।

[काव्यप्रकाश की टीकाओं में 'कमलाकर', 'भीमसेन' आदि ने इस पद्य को देवयानी को देखने पर राजा ययाति की उक्ति माना है वह ठीक नहीं है ।]

अथवा जैसे [कादम्बरी में] महारवेता के ऊपर पुण्डरीक के अत्यन्त मोहित हो जाने पर दूसरे मुनि कुमार के उपदेश वर्णन में [प्रदर्शित शान्तरस के अङ्ग, मुख्य शृङ्गार रस के अङ्गों से बाधित हो जाते हैं और अन्त में रति स्थिर रहती है] । इसलिए बाध्यत्वेन उनका प्रतिपादन दोष नहीं है] ।

[विरोधी रसाङ्गों की] स्वाभाविक अङ्गरूपता प्राप्ति में अदोषता [का उदाहरण] जैसे :—

भ्रममरति [इसकी ख्यालया पृष्ठ १६७ पर भी कर चुके हैं] ।

मेघ रूप भुजङ्ग से उत्पन्न विष [जल तथा विष] वियोगिनियों को चक्कर, बेचैनी, अलमद्दयता, प्रलय [चेतना रूप ज्ञान और चेतना का अभाव], मूर्छा, मोह, शरीरमन्त्रना और मरण उत्पन्न कर देता है ।

इत्यादि में ।

समारोपितायामप्यविरोधो यथा 'पाण्डुक्षाममित्यादौ' ।
यथा वा 'कोपात् कोमललोलनाहुलतिकापाशेन' इत्यादौ ।

[यहा करण रसोचित व्याधि क अनुभाव भ्रमि आदि का विप्रलम्भ में भी सम्भव होने से नैसर्गिकी अङ्गता होने से अविरोध ही] ।

समारोपित अङ्गता में भी अविरोध [होता है उसका उदाहरण]
जैसे—'पाण्डु क्षाम' इत्यादि में ।

अथवा जैसे 'कोपात् कोमललोलनाहुलतिकापाशेन' इत्यादि में ।
'पाण्डु क्षाम' आदि पूरा श्लोक इस प्रकार है—

पाण्डु क्षाम वदन हृदय सरस तवालय च वपु ।
आवेदयति नितान्त क्षेत्रियरोग सखि हृदन्त ॥

हे सखि तेरा पाण्डुवर्ण मुरझाया हुआ चेहरा, सरस हृदय और अलस देह तेरे हृदय में स्थित नितान्त असाध्य राग की सूचना देते हैं । [क्षेत्रिय रोग उसको कहते हैं जिसकी इस शरीर में चिकित्सा सम्भव न हो अर्थात् अत्यन्त असाध्य ।—क्षेत्रियञ्च परक्षेत्रे चिकित्स्य ।]

इस श्लोक में कर्णोचित व्याधि का वर्णन है परन्तु श्लेष वशा वहा विप्रलम्भ शृङ्गार में भी नायिका में उनका आरोप कर लिया है । अतएव उनकी शृङ्गार के प्रति समारोपित अङ्गता होने से शृङ्गार में कर्णोचित व्याधि का वर्णन दोष नहीं है ।

दूसरा 'कोपात् कोमल' इत्यादि पूरा श्लोक और उसका अर्थ पृष्ठ १६० पर दिया जा चुका है । वहा से देखो । यहा 'कोपात्', 'वदुष्वा', 'इयते' इत्यादि रौद्र रस के अनुभावों को रूपक बल से शृङ्गार में आरोपित कर और रूपक का 'नाति निवहयैपिता' के अनुसार अत्यन्त निगहन करने से ही उसके अङ्गों की शृङ्गार के प्रति समारोपित अङ्गता होती है । इस समारोपित अङ्गता के कारण ही शृङ्गार में उनका वर्णन निर्दोष है ।

एक वाध्यरूपता, और नैसर्गिक तथा समारोपित रूप से दो प्रकार की अङ्गता, इस प्रकार विरोधी रसाङ्गों के अविरोध सम्बन्धक तीन हेतु ऊपर उत । हैं । अब एक प्रधान के अन्तगत अङ्गभूत दो विरोधा रसाङ्गों क अविरोध का चौथा उपाय अथवा अङ्गरूपता का तीसरा भेद और दिखाते हैं ।

इयं चाङ्गभायप्राप्तिरन्या यदाधिकारिकत्वात्^१ प्रधान एकस्मिन् वाक्यार्थे रसयोर्भावयोर्वा परस्परविरोधिनोर्द्वयोरङ्गभावगमनं, तस्यामपि न दोषः । यथोक्तं “क्षिप्रो हस्तावलग्नः” इत्यादौ ।

कथं तत्राविरोध इति चेत् द्वयोरपि तयोऽन्यपरत्वेन व्यवस्थानात् ।^२

अन्यपरत्वेऽपि विरोधिनोः कथं विरोधनिवृत्तिरिति चेत्, उच्यते, विधौ विरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्वं^३ नानुवादे । यथा :—

एहि, गच्छ, पतोतिष्ठ वद मौनं समाचर ।

एवमाशाग्रहप्रस्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽर्थिभिः ॥

इत्यादौ ।

यह [आगे वक्ष्यमाण] अङ्गभाव प्राप्ति दूसरे प्रकार की है कि जहाँ अधिकारिक होने से एक प्रधान वाक्यार्थ में परस्पर विरोधी दो रसों या भावों की अङ्गरूपता प्राप्त हो । उस [प्रकार की अङ्गता में भी विरोधी रसाङ्गों के वर्णन] में दोष नहीं है । जैसा कि पहिले [पृष्ठ १२१ पर] ‘क्षिप्रो हस्तावलग्नः’ इत्यादि में कह चुके हैं ।

वहाँ कैसे अविरोध होता है वह पूछें, तो उत्तर यह है कि उन [ईर्ष्या विप्रलम्भ और करुण] दोनों के अन्य [शिव प्रभावातिशय मूलक भक्ति] के अङ्ग [रूप में] व्यवस्थित होने से । [अविरोध है] ।

[प्रश्न] अन्य के अङ्ग होने पर भी उन विरोधी रसों के विरोध की निवृत्ति कैसे होती है । यह पूछते हो तो समाधान यह है कि विधि अश में दो विरोधियों के समावेश करने में दोष होता है अनुवाद में नहीं ।

जैसे—

आशा रूप ग्रह के चक्कर में पड़े हुए याचकों के साथ धनी लोग आग्रो, जाग्रो, पड़ जाग्रो, खड़े हो जाग्रो, योलो, चुप रहो, इस प्रकार [कह कर] खेल करते हैं । [अर्थात् कभी लुद्ध कभी लुद्ध मनमानी बात कह कर उनसे खिलवाड़ करते हैं]

इत्यादि [उदाहरण] में ।

१. अधिकारिकत्वात् नि० । २. व्यवस्थापनात् नि०, दी० । ३. नानुवादे नि०, बालप्रिया० ।

अत्र हि विधिप्रतिषेधयोरनूद्यमानत्वेन समावेशे न विरोध-
स्तथेहापि भविष्यति । श्लोके ह्यस्मिन् ईर्ष्याविप्रलम्भश्चकारणवस्तुनो-
र्न विधीयमानत्वम् । त्रिपुरारिप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वात्, तदङ्ग-
त्वेन च तयोर्व्यवस्थानात् ।

यहां [एहि गच्छ आदि में जैसे] विधि और प्रतिषेध के केवल अनूद्य-
मान रूप में सन्निवेश करने से दोष नहीं है इसी प्रकार यहा [तिस्रो हस्ता-
वलग्न इत्यादि में] भी समझना चाहिए । इस श्लोक [तिस्रो हस्तावलग्न
इत्यादि] में ईर्ष्याविप्रलम्भ और कारण विधीयमान नहीं है । त्रिपुरारि शिव
के प्रभावातिशय के मुख्य वाक्यार्थ होने, और [ईर्ष्या विप्रलम्भ तथा कारण]
इन दोनों के उसके अङ्ग रूप में स्थित होने से [उनका परस्पर विरोध
नहीं है] ।

यहा 'एहि' और 'गच्छ' यह दोनों विरोधी है इसी प्रकार 'पत' और
'उत्तिष्ठ' तथा 'चद' और 'मौन समाचार' यह विरोधी बातें हैं । परन्तु यहा
इनका विधान नहीं किया गया है अपितु धनिकों के याचकों के साथ इस प्रकार
के व्यवहार का अनुवाद मात्र किया गया है । विधि अश में यदि इस प्रकार
विरोधियों का समावेश होता तो वह दोष होता परन्तु यहा अनुवाद अश में
उनका समावेश दोषाधायक नहीं है ।

एक प्रधानभूत अर्थ के अन्तर्गत अनेक अध्रधान अर्थात् गौण अर्थों का
परस्पर सम्बन्ध किस प्रकार होता है इसका विचार भीमासा के 'आरुण्याधिकरण'
में किया गया है । ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में 'अरुण्या पिङ्गाद्या एक-
हायन्या गवा सोम व्रीणाति' यह वाक्य आता है । इस वाक्य में ज्योतिष्टोम
याग में प्रयुक्त होने वाले सोम अर्थात् सोमलता के क्रय करने के लिए अरुण-
वर्ण की, पिङ्गलवर्ण के नेत्र वाली और एक वरं की, गौ देकर सोम क्रय करने
का विधान किया गया है । शब्दबोध की प्रक्रिया में नैयायिकों ने 'प्रथमा-
न्तार्थमुख्यविशेष्यक', वैयाकरणों ने 'धात्वर्थमुख्यविशेष्यक' और भीमासकों ने
'भावनामुख्यविशेष्यक' शब्दबोध माना है । तदनुसार यहा भीमासक मत से
भावना मुख्य विशेष्य है अतएव आरुण्यादि का प्रथम भावना के साथ अन्वय
होता है । अरुण्या, पिङ्गाद्या, एकहायन्या, इन सब में तृतीया विभक्ति करणत्व-
बोधिका है । अतएव तृतीयाभुति वलात् इन सब का क्रय करणक भावना
में प्रथम अन्वय होता है । और पीछे वाक्य मर्यादा से उनका परस्पर सम्बन्ध

होता है। इसी प्रकार 'एहि गच्छ' इत्यादि में मुख्य व्रीडार्थ के अङ्गरूप से 'एहि' 'गच्छ' आदि का अन्वय 'राजनिकटव्यवस्थित आततायिद्वय' न्याय से प्रथम मुख्यार्थ के साथ होता है। जब तक प्रधान के साथ इनका सम्बन्ध नष्ट हो जाता है तब तक उनका दूसरे के साथ सम्बन्ध का अवसर ही नहीं आता। और पीछे परस्पर सम्बन्ध होने पर भी मुख्यार्थ से प्रभावित होने के कारण उनका विरोध अकिञ्चित्कर रहता है।

इसी प्रकार 'क्षितो हस्तावलग्न' इत्यादि में कर्ण और विप्रलम्भ शृङ्गार दोनों शिव के प्रभावातिशय के अङ्ग रूप में आवृत होते हैं इसलिए उनमें विरोध नहीं आता।

विधि भाग अर्थात् प्रधान अश में विरोध होने पर तो दोष होता है। जैसे उपर्युक्त ज्योतिषोम के ही प्रकरण में 'अतिरात्रे षोडशिन गृह्णाति' और 'न तिरात्रे षोडशिन गृह्णाति' यह दो विरुद्ध वाक्य मिलते हैं। यहाँ विधि अश में ही दोनों का विरोध होने से उनका विकल्प मानना पड़ता है। यही दोष होजाता है। परन्तु गौण अश अर्थात् अनुवाद भाग में जैसे 'एहि गच्छ' इत्यादि श्लोक में अनुवाद भाग गौण अश में विरोध होने पर भी कोई दोष नष्ट होता। इसी प्रकार 'क्षितो हस्तावलग्न' इत्यादि का विरोध प्रधान अश में नहीं अपितु अङ्गभूत अर्थात् गौण अनुवाद अश में होने से दोषाधायक नहीं है।

[प्रश्न] विधि और अनुवाद मीमांसा के पारिभाषिक शब्द हैं। उनके यहाँ 'अज्ञाताथज्ञानको वेदभागो विधि अज्ञात अर्थ क चापक वेद भाग विधि कहलाता है। और उनका मत में 'आम्नायस्य नियार्थत्वादानथक्य मतदधानाम्'। मी० अ० १ पा० २ सू० १ में निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार यागादि क्रिया ही मुख्यतः विधि रूप होता है। उस दशा में रसों में तो विधि अनुवादरूपता सम्भव नहीं हो सकती है। तब फिर आपने विधि और अनुवाद की शरण लेकर सङ्गति लगाने का जो प्रयत्न किया है वह कैसे बनेगा ?

[उत्तर] इसका समाधान यह है कि यहाँ विधि और अनुवाद शब्द को [लक्षण्य] मुख्य और गौण अर्थ का बोधक समझना चाहिए। इस प्रधान और गौण के साथ भी वाच्य नष्ट जोड़ना चाहिए। अर्थात् जो प्रधानतया वाच्य हो वह विधि और जो गौणतया वाच्य हो वह अनुवाद एवम् नष्ट कहना चाहिए। क्योंकि उस दशा में रसों के वाच्य न होकर व्यङ्ग्य होने के कारण व

न च रसेषु विध्यनुवादव्यवहारो नास्तीति शक्यं वक्तुम्,
तेषां वाक्यार्थत्वेनाभ्युपगमात् । वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यौ विध्य-
नुवादौ तौ तदाक्षिप्तानां रसानां केन वार्यन्ते ।

यैर्वा साक्षात् काव्यार्थता रसादीनां नाभ्युपगम्यते तैस्तेषां
तन्निमित्तता तादृशवश्यमभ्युपगन्तव्या । तथाप्यत्र श्लोके न विरोधः ।

विधि रूप नहीं हो सके। अतएव विधि शब्द का दृश्या केवल प्रधान अर्थ को
और अनुवाद शब्द अप्रधान अर्थ को सूचित करता है। इस प्रकार का प्रधान
और गौणभाव रसों में भी हो सकता है। इसलिए विधि और अनुवाद रूप में
जो समन्वय ऊपर किया गया है उसमें कोई दोष नहीं है। यही प्रश्न और उत्तर
मूल ग्रन्थ की अगली पत्तियों में किए गए हैं।

रसों में विधि और अनुवाद व्यवहार नहीं होता है, यह नहीं कहा जा
सकता है। क्योंकि उन [रसों] को वाक्यार्थ रूप में स्वीकार किया
जाता है। वाच्य रूप वाक्यार्थ में जो विधि और अनुवाद रूपता रहती है
उसको उस [वाच्यार्थ] से आक्षिप्त [व्यङ्ग्य] रसादि में कौन रोक सकता
है। [जब वाच्यार्थ में विधि अनुवाद रूपता रह सकती है तो व्यङ्ग्य रसादि
में नहीं रह सकती है यह कैसे कहा जा सकता है। उनमें भी अन्वय रह
सकती है।]

अथवा अनुपमान रूप से विरुद्ध रसों के एकत्र समावेश की जो बात
कही है, उसे आप नहीं मानना चाहते हैं तो उसे छोड़िए। दूसरी तरह से
सहकारी रूप में भी उनके अविरोध का उपपादन किया जा सकता है। किसी
तीसरे प्रधान के साथ मिल कर दो विरुद्ध सहकारी भी काम कर सकते हैं।
जैसे जल अग्नि को बुझा देता है इसलिए ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं परन्तु
तीसरे प्रधानरूप तण्डुल चवल या दाल आदि पाक्य वस्तु के साथ सहकारी रूप
में मिल कर ये दोन पक्व ओदन, भात को सिद्ध करते हैं। अथवा शरीर में
विरुद्ध स्वभाव वाले वात, पित्त, कफ भी मिल कर शरीर धारण रूप अथत्रिया
सम्पादन करते हैं। इस प्रकार 'क्षितो हस्तावलग्न' में भी सहकारी भूत गङ्गार और
कण्ठ रस प्रधान भूत शाम्भवाशरामिज्जन्म दुरितदाह के साथ मिल कर शिव के
प्रनापातिशय रूप 'भाव' का द्योतन रूप कार्य कर सकते हैं। यह अगली पत्तियों
का भाव है।

अथवा जो रसादि को साक्षात् काव्य [काव्य वाक्यों] का अर्थ नहीं

यस्मादनूद्यमान, ज्ञानिमित्तेभयरसवस्तुसहकारिणो विधीयमानाशाद् भावविशेषप्रतीतिरुत्पद्यते ततश्च न कश्चिद् विरोधः । दृश्यते हि विरुद्धोभयसहकारिणः कारणात् कार्यविशेषोत्पत्तिः । विरुद्धफलोत्पादन-हेतुत्वं हि युगपदेकस्य कारणस्य विरुद्धं न तु विरुद्धोभयसहकारित्वम् ।

मानते उनको भी उन [रसादि] की तन्निमित्तता [वाक्यार्थ व्यङ्ग्यता] श्रवण स्वीकार करनी होगी । तब भी इस श्लोक [क्षिप्तो हस्तावलग्नः] में विरोध नहीं रहता है । क्योंकि अनूद्यमान जो अन्न [अर्थात् रसाद्भूत हस्ताक्षेपादि विभाज] तन्निमित्तक जो उभयरसवस्तु [अर्थात् उन हस्ताक्षेपादि से प्रतीत होने वाले जो उभय अर्थात् करण और विप्रलम्भ शृङ्गार रूप रसवस्तु रसजातीय तत्व] यह जिसका सहकारी है ऐसे विधीयमान अंश [शाम्भवशराम्निजन्य हुरितदाह] से भाव विशेष [रतिर्देवादित्रिपया भाव — प्रेयोलङ्कार त्रिपय — शिव के प्रतापातिशय मूलक भक्ति] की प्रतीति उत्पन्न होती है । इसलिये कोई विरोध नहीं है । दो विरुद्ध [जल और अग्नि रूप शीतोष्ण] जिसके सहकारी हे ऐसे कारण [मुख्य कारण आदि] से कार्यविशेष [श्रीदन, भाव आदि] की उत्पत्ति देखी जाती है ।

[तब तो फिर विरोध का कोई अर्थ ही नहीं रहा, वह सर्वथा अकिञ्चित्कर हो जाता है । यह नहीं समझना चाहिये क्योंकि] एक कारण का एक साथ [युगपत्] विरुद्ध फलों के उत्पादन का हेतुत्व [मानना यही] विरुद्ध है दो विरोधियों को उसका सहकारी मानने में कोई विरोध नहीं है ।

अच्छा इस प्रकार आपने वाक्य में तो करण और शृङ्गार के विरोध का परिहार कर दिया । परन्तु प्रश्न यह रह जाता है कि यदि अभिनेय नाटक में इस प्रकार का वाक्य आजाय तो उसका अभिनय करते समय इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थ का अभिनय कैसे किया जाय । इसका उत्तर यह है कि अनूद्यमान गौण वाक्यार्थ के त्रिपय में 'एहि गच्छ पत उत्तिष्ठ' आदि के अभिनय में जो प्रकार अवलम्बन किया जाय यही 'क्षिप्तो हस्तावलग्न' आदि के त्रिपय में भी अवलम्बन करना चाहिये । इसका अर्थ यह हुआ कि 'क्षिप्तो हस्तावलग्नः' इत्यादि में शिव के प्रभाव या चोतन करने में करण के अधिक उपयोगी होने से यह अधिक प्राकरणिक अर्थ है । विप्रलम्भ शृङ्गार तो 'शामीसद्रांपराधः' इत्यादि उपमा बल से आता है और प्रभावातिशय चोतन में उसका कोई उपयोग नहीं है इससे वह दूरस्थ अर्थ

‘एवविधविरुद्धपदार्थविषय कथमभिनय प्रयोक्तव्य इति चेत्
अनूद्यमानैरविधवाच्यविषये या घाता सात्रापि भविष्यति । एव,
विध्यनुवादनयाश्रयेणात्र श्लोके परिहृतस्तावद् विरोध ।

किञ्च, नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित् प्रभावातिशयवर्णने
तत्प्रतिपक्षाणां य करुणो रस स परोक्षकाणां न वैकल्यमादधाति प्रत्युत
प्रीत्यतिशयनिमित्तता प्रतिपद्यते । इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिकृत्वात् तद्-
विरोधविधायिनो न कश्चिद् दोष । तस्माद् वाक्यार्थाभूतस्य रसस्य
भावस्य वा विरोधी रसविरोधीति वक्तु न्याय्य न तद्भूतस्य
कस्यचित् ।

है । अतएव अभिनय करते समय करुण रस को प्रधान मानकर पहले ‘साश्रुनेत्रो
प्लामि’ तक का अभिनय करुणोपयोगी अग्नि से उस्त के समान भय,
घबराहट, विप्लुत दृष्टि, अश्रु आदि का प्रदर्शन करते हुए, ‘गामीशार्द्राभराध’
पर तनिक सा प्रणय कोपोचित अभिनय करके फिर ‘स दहतु दुरित’ पर उग्रतापूर्ण
साद्येय अभिनय करके महेश्वर के प्रभावातिशय के द्योतन में अभिनय का समाप्त
करना चाहिये । यही विषय अगली पंक्तियों में स्पष्ट किया है ।

इस प्रकार का विरुद्धपदार्थविषयक अभिनय कैसे करना चाहिये ? यह
प्रश्न हो तो, इस प्रकार के [विरुद्ध] अनूद्यमान वाच्य [एहि गच्छ पत उत्तिष्ठ
इत्यादि] के विषय में जो बात है वही यहा भी होगी । [अथान् एहि
गच्छ, पत, उत्तिष्ठ आदि का अभिनय जिस प्रकार किया जायगा उनी प्रकार
‘चित्तो हस्तावलग्न’ में भी करुण और शृङ्गार का अभिनय किया जा सकता
है] इस प्रकार विधि और अनुवाद को नीति का आश्रय लेकर इस श्लोक
[चित्तो हस्तावलग्न] में विरोध का परिहार हो गया ।

और किसी प्रशसनीय उरकर्मप्राप्त नायक के प्रभावातिशय के वर्णन
में उसके शत्रुओं का [शत्रुओं से सम्बन्ध रखने वाला] जो करुण रस [होता
है] वह त्रिकुण्डल प्रेक्षकों को विकल नहीं करता अपितु आनन्द्यातिशय का
कारण बनता है अतएव विरोध करने वाले उस [करुण] के कुण्ठित शक्ति
[चित्तद्रुति रूप स्थकार्यात्पादन में असमथ] होने से कोई दाप नहीं होता ।

१ एवविरुद्धपदायविषय नि० । २ यो स रस इतना पाठ नि०, दी०
में अधिक है । ६०

अथवा वाक्यार्थीभूतस्यापि कस्यचित् करुणरसविषयस्य तादृशेन शृङ्गारवस्तुना भङ्गिविशेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायैव जायते । यतः प्रकृतिमधुरा पदार्थाः शोचनीयता प्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभिः संस्मर्य-माखैर्विलासैरधिकतरं शोभावेशमुपजनयन्ति । यथा :—

अयं स रशनोत्कर्षा पीनस्तनचिमर्दन ।
नाभ्युहजघनस्पर्शा नीवीविस्रसन कर ॥

इत्यादी ।

इसलिये वाक्यार्थीभूत [प्रधान] रस अथवा भाव के विरोधी को ही रसविरोधी कहना उचित है । किसी अङ्गभूत [गौण] के [विरोधी को रसविरोधी कहना उचित] नहीं [है] ।

‘ल्लिप्तो हस्तावलग्न’ में करुण और शृङ्गार के विरोध का दो प्रकार से परिहार दिखा चुके हैं । अब तीसरे प्रकार से और उसी विरोध का परिहार दिराते हैं । पहिले समाधानों में करुण और विप्रलम्भ शृङ्गार दोनों को अन्य का अङ्ग मानकर उनके अविरोध का उपादन किया था । अब इस तीसरे समाधान में शृङ्गार को करुण का ही अङ्ग बताकर समाधान करते हैं ।

अथवा वाक्यार्थ रूप किसी करुण रस के विषय को उसी प्रकार के वाक्यार्थ रूप शृङ्गार विषय के साथ किसी सुन्दर ढग से जोड़ देने पर वह रस का परिपोषक ही हो जाता है । क्योंकि स्वभावतः सुन्दर पदार्थ शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो जाने पर पूर्व अवस्था के [अनुभूतचर] सौन्दर्य के स्मरण से और भी अधिक शोकावेग को उत्पन्न करते हैं । जैसे :—

[सम्भोगावसर में] लगड़ी को हटाने वाला, उन्नत उरोजों का मर्दन करने वाला, नाभि, जंघा और नितम्ब का स्पर्श करने वाला और नारे को खोलने वाला यह [प्रियतम] का वही हाथ है ।

इत्यादि में ।

महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा के मर जाने पर युद्ध क्षेत्र में उसके कटे हुए अलग पड़े हाथ को देखकर उसकी पत्नी के निलाप के प्रसङ्ग में यह श्लोक श्राया है । यहा भूरिश्रवा के मर चुकने से नायिकागत करुण रस प्रधान है । पूर्ववस्थानुभूत शृङ्गार का वह स्मरण कर रही है । अतः संस्मर्यन्त्या यह शृङ्गार

तदत्र त्रिपुरयुवतीनां शाम्भव शराग्निरार्द्रापुराव कामी यथा
व्यवहरति^१ तथा व्यवहृतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्येव निर्वि-
रोधत्वम् । तस्माद् यथा यथा निरूप्यते तथा तथात्र दोषाभाज ।

इत्थं च —

कामन्त्य क्षतकोमलाङ्गुलिगलद्रक्तैः सदर्भा स्थली ,
पादैः पातितयावकैरिव पतद्वाप्याम्नुधौतानना ।
भीता भर्तृकरावलम्बितकरास्त्यद्वैरिनार्याऽधुना ,
दावाग्निं परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यद्दिवाहा इव ॥

इत्येवमादीनां सर्वेषामेव निर्विरोधत्वमवगन्तव्यम् ।

यदा करुण रस का श्रौर अधिक उद्दीपक हो जाता है । इसी प्रकार 'क्षप्तो
इस्तावलम्ब' में अग्नि से त्रस्त त्रिपुर युवतियों का करुण, प्रधानरूप से वाक्यार्थ
है । परन्तु शाम्भव शराग्नि की चेष्टाओं के अवलोकन से पूर्वानुभूत प्रणयफलह
के वृत्तांत का स्मरण शोक व उद्दीपन विभाव बनकर उसको श्रौर परिपुष्
करता है ।

इसलिये यदा आर्द्रापुराव कामी जैसा व्यवहार करता है शाम्भव
शराग्नि ने त्रिपुर युवतियों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया । [अतएव
स्मर्यमाण कामी व्यवहार वर्तमान करणरस का परिपोषक होता है] इस
प्रकार से भी निर्विरोधत्व है ही । अतः इस पर जितना चिंतना अधिक विचार
करवे है उतना ही उतना अधिक दोषाभाज प्रतीत होता है ।

श्रौर इस प्रकार—

घायल हुई कोमल अंगुलियों से रक्त टपकाती हुई, अतएव मानो
महारर लगे हुए पैरों से, कुशाकर युक्त भूमि पर चलती हुई, गिरते हुए
आसुओं से मुख को धाए हुए, भयभीत होने से पतियों के हाथ में हाथ
पकड़ाए हुए, तुम्हारे शत्रुओं की स्थिरा इस समय फिर दुबारा विवाह के लिए
उद्यत सी द्वात्राग्नि के चारों ओर घूम रही है ।

इस प्रकार के सभी [उदाहरणों में विरह प्रतीत होने वाले रसादिकों]
का अविरोध समझना चाहिये ।

यदा विवाह की स्मृति शत्रु स्त्रियों के वर्तमान विरक्तिभूलक शोक रूप
रथापीभाव की उद्दीपन विभाव बन कर शोकातिशय को व्यक्त करती है । यदा

एवं तावद्रसादीनां विरोधिरसादिभिः समावेशासमावेशयोर्विषय-
विभागो दर्शितः ॥२०॥

इदानीं तेषामेकप्रबन्धविनिवेशने न्याय्यो यः क्रमस्तं प्रतिपादयि-
तुमुच्यते :—

प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनियन्धने ।

एको रसोऽङ्गीकर्त्तव्यस्तेषामुत्कर्षमिच्छता ॥ २१ ॥

प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीर्णतया अद्वाङ्गि-
भावेन 'बहवो रसा उपनिबन्ध्यन्ते इत्यत्र प्रसिद्धौ सत्यामपि यः प्रबन्धानां
द्वयातिशययोगमिच्छति' तेन तेषा रसानामन्यतम. कश्चिद् विवक्षितो
रसोऽङ्गित्वेन विनिवेशयितव्य इत्ययं युक्ततरो मार्ग ॥२१॥

'वाष्पाम्बुधौतानना' में विवाहकाल में वाष्पाम्बु का सम्बन्ध होमाग्नि के धूम से
अथवा परिवार और घर से त्याग जन्य दुःख के कारण समझना चाहिए ।

इस प्रकार रसादि का विरोधी रसादि के साथ समावेश और असमावेश
का विषय विभाग प्रदर्शित कर दिया ॥२०॥

अब उन [रसों] के एक प्रबन्ध में सन्निवेश करने के विषय में जो
उचित व्यवस्था है उसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं :—

प्रबन्धों [महाकाव्य या नाटकादि] में अनेक रसों का समावेश प्रसिद्ध
[भरतमुनि आदि से प्रतिपादित तथा प्रचलित] होने पर भी उनके उत्कर्ष
को चाहने वाले [कवि] को किसी एक रस को अङ्गी [प्रधान] रस [अवरय]
बनाना चाहिये ।

महाकाव्यादि [अनभिनेय] अथवा नाटक आदि [अभिनेय] प्रबन्धों
में, [नायक, प्रतिनायक, पताकानायक, प्रकीर्णनायक आदि निष्कत्वेन] 'विस्तरे
[विप्रकीर्ण] रूप में अद्वाङ्गिभाव से अनेक रसों का नियन्धन किया जाता है
इस प्रकार की प्रसिद्धि [परिपाटी] होने पर भी जो [कवि] प्रबन्ध के
सौन्दर्यातिशय को चाहता है उसे उन रसों में से किसी एक प्रतिपादनाभिमत
रस को ही प्रधान रूप से समापिष्ट करना चाहिये । यही अधिक उचित
मार्ग है ।

१ वा पाठ अधिक है नि०, दो० । २. पायातिशयमिच्छन्ति नि० ।

ननु रसान्तरेषु बहुषु प्राप्तपरिपोषेषु सत्सु कथमेकस्याङ्गिता न
विरुध्यत इत्याशङ्क्येदमुच्यते —

रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसग्य यः ।

नोपहन्त्यङ्गितां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिनः ॥२२॥

प्रबन्धेषु प्रथमतरं प्रस्तुतः सन् पुनः पुनरनुसन्धीयमानत्वेन
स्थायी यो रसस्तस्य सकलबन्धव्यापिनो' रसान्तरैरन्तरालवर्तिभिः
समावेशो यः स नाङ्गितामुपहन्ति ॥२२॥

एतदेवोपयादयितुमुच्यते :—

कार्यमेकं यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते ।

तथा रसस्यापि विधौ विरोधो नैव विद्यते ॥२३॥

प्रबन्ध में अनेक रस रहते हुए भी एक रस को अङ्गी बनाना चाहिए
यह ऊपर कहा है । परन्तु प्रश्न यह है कि वह अन्य रस यदि परिपोष प्राप्त हैं
तब तो वे अङ्ग नहीं हो सकते प्रधान ही होंगे । और यदि परिपोष प्राप्त नहीं हैं
तब वे रस नहीं कहे जा सकते । ऐसी दशा में रसत्व और अङ्गत्व यह दोनों
बातें विरुद्ध हैं । अतः अन्य रसों के होने पर वह अङ्ग रहें और एक रस अङ्गी
बन जावे यह कैसे हो सकेगा ! इस प्रश्न का समाधान करते हैं ॥२३॥

अन्य अनेक रसों के [एक साथ] परिपोष प्राप्त होने पर [उनमें
से किसी] एक का अङ्गी होना विरोधी क्यों नहीं होगा इस बात की आशङ्का
करके यह कहते हैं :—

[प्रधान रस का] अन्य रसों के साथ प्रस्तुत [प्रधान] रस का जो
समावेश है वह स्थायी [प्रबन्धव्यापी] रूप से प्रतीत होने वाले इस [प्रस्तुत
प्रधान रस] की अङ्गिता [प्रधान्य] का विघातक नहीं होता है ।

प्रबन्धों [काव्य या नाटकदि] में [अन्यो की अपेक्षा] प्रथम
प्रस्तुत और बार बार उपलब्ध होने से जो स्थायी रस है, सम्पूर्ण प्रबन्ध में
[आसन्न] वर्तमान, उस रस का बीच बीच में आए हुए अन्य रसों के साथ
जो समावेश है, वह [उसके] प्रधान्य [अङ्गिता] का विघातक नहीं होता
है ॥२३॥

इसी के उपपादन करने के लिए कहते हैं :—

सन्ध्यादिमयस्य प्रबन्धशरीरस्य यथा कार्यमेकमनुयायि व्यापकल्प्यते न च तत् कार्यान्तरैर्न सङ्कीर्यते, न च तैः सङ्कीर्यमाणस्यार्थितस्य प्राधान्यमपचीयते, तथैव रसस्याप्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्चित् । प्रत्युत प्रत्युदितविवेकानामनुसन्धानवतां सचेतस तथाविधे विषये प्रह्लादातिशय प्रवर्तते ॥२३॥

जैसे प्रबन्ध में [आद्योपान्त] व्यापक [प्रासङ्गिक अवान्तर कार्य अथवा आरयान वस्तु से परिपुष्ट] एक प्रधान कार्य [विषय आख्यान वस्तु] रखा जाता है [और अवान्तर अनेक कार्य उसको परिपुष्ट करते हैं] इसी प्रकार रस की विधि [एक प्रबन्धभ्यापी अद्भि रस के साथ अद्भूत अवान्तर रसों के समावेश] में भी विरोध नहीं है ।

सन्धि आदि से युक्त प्रबन्ध [मुद्र, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहण सन्धि रूप पञ्च सन्धि युक्त प्रबन्ध अथात् नाटकादि] शरीर में जैसे समस्त प्रबन्ध में व्यापक निरन्तर विद्यमान एक [आधिकारिक वस्तु] कार्य की रचना की जाती है । वह आधिकारिक वस्तु [कार्य] अन्य [प्रासङ्गिक] कार्यों से सङ्कीर्य नहीं होता हो सो बात नहीं है । [अन्य प्रासङ्गिक वस्तुओं से आधिकारिक वस्तु का सम्यन्ध अवश्य होता है] परन्तु उनसे सम्यन्ध होने पर भी उस [आधिकारिक मुख्य कथावस्तु] का प्राधान्य कम नहीं होता है । इसी प्रकार [अन्य अनेक अद्भूत रसों के साथ प्रधान भूत] एक रस का [अद्भिस्त्वेन] सन्निवेश करने में कोई विरोध नहीं होता । अपितु त्रिवेकी और पारसी सहृदयों को इस प्रकार के विषयों में और अधिक आनन्द आता है ॥२३॥

विरोध दो प्रकार का हो सकता है एक 'सहानवस्थान विरोध' और दूसरा 'व्यघातक भाव विरोध' । सहानवस्थान विरोध में दो पदार्थ समान रूप से उदात्त की स्थिति में एक जगह नहीं रह सकते हैं । और 'व्यघातक भाव' विरोध में तब तक व्यघ्र का व्यघ्र नहीं हो सकता जब तक घातक का उदय नहीं होता । अर्थात् घातक के उदय होजाने के बाद ही अगले क्षण में व्यघ्र का नाश हो सकता है । इन दोनों प्रकार के विरोधों में व्यघ्र घातक विरोध ही मुख्य विरोध है । सहानवस्थान पक्ष गौण होने से अविरोधकल्प है । रसों में भी उद्ध रसों का परस्पर सहानवस्थान मात्र में विरोध है अर्थात् वह समान स्थिति में एक साथ नहीं रह सकते हैं । और उद्ध का 'व्यघ्र घातक' विरोध है । तो जिनका केवल

न्तु येषां रसानां 'परस्परविरोधः यथा वीरशृङ्गारयोः, शृङ्गार-
हास्ययोः, रौद्रशृङ्गारयोः, वीरान्द्रुतयोः, वीररौद्रयोः, रौद्रकरुणयोः, शृङ्गारा-
द्भुतयोर्वा तत्र भवत्वङ्गाङ्गिभावः । तेषां तु स कथं भवेद् येषां परस्परं
वाध्यवाधकभावो यथा शृङ्गारवीभत्सयोः, वीरभयानरुयोः, शान्तरौद्रयोः,
शान्तशृङ्गारयोर्वा इत्याशङ्क्येदमुच्यते :—

सहानवस्थान विरोध है उनका तो परस्पर अङ्गाङ्गि भाव हो जाने में कोई मटिनाई
नहीं है परन्तु जिनका 'वध्य घातक' विरोध है उनमें परस्पर अङ्गाङ्गि भाव नहीं बन
सकता है । इस दृष्टि से यदा आशङ्का करके उसके समाधान के लिए अगली
कारिका लिखी गई है । इसी भाव को लेकर अवतरणिका करते हैं :—

जिन रसों का परस्पर अविरोध है [वध्य घातक भाव विरोध नहीं
है] जैसे वीर और शृङ्गार का [युद्ध नीति, पराक्रम आदि से, कन्यारत्न के
स्नान में], शृङ्गार और हास्य का [हास्य के स्वयं पुरपार्थ न होने और अनु-
रञ्जनात्मक होने से], रौद्र और शृङ्गार का [भरत के नाट्य शास्त्र में 'शृङ्गाररच-
नैः प्रसभं सेव्यते' में, तैः रौद्रप्रभृतिभिः रचोदानयोद्धतमनुष्यैः सेव्यते इत्य-
व्याख्या से रौद्र और शृङ्गार का कथञ्चिद् अविरोध है । केवल नायिका
रिषयक उग्रता बचानी चाहिए ।] वीर और अद्भुत का [वीरस्य चैव यत्कर्म
सोऽद्भुतः, भ० ना०], रौद्र और करुण का [रौद्रस्यैव च यत्कर्मसंश्लेषः
करणो रसः], अथवा शृङ्गार और अद्भुत का, [जैसे रत्नावली में ऐन्द्रजालिक
के वधोत्त प्रसङ्ग में] वहां अङ्गाङ्गिभाव भले ही हो जाय । परन्तु उनका वह
[अङ्गाङ्गिभाव] कैसे होगा जिनका वाध्यवाधक भाव [विरोध] है । जैसे
शृङ्गार और बोभस का [आलम्बन रूप नायिका में अनुरक्ति से रति की, और
आलम्बन से पलायमान रूप से जुगुप्सा की उत्पत्ति होती है इसलिए आलम्ब-
नैक्य में रति और जुगुप्सा दोनों का वध्य-घातक भाव विरोध है] वीर और
भयानक का [भय और उत्साह का आध्वयैक्य में 'वध्य-घातक भाव' विरोध
है] शान्त और रौद्र का [नैरन्तर्य और विभावैक्य दोनों रूप में 'वध्यघातक
भाव' विरोध है] अथवा शान्त तथा शृङ्गार का [विभावैक्य तथा नैरन्तर्य में
विरोध है इन में अङ्गाङ्गिभाव कैसे बनेगा] इन आशङ्का से यह कहते हैं ।

अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे ।

परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥२४॥

अङ्गिनि रसान्तरे शृङ्गारादौ प्रबन्धव्यङ्ग्ये सति, अविरोधी विरोधी वा रसः परिपोषं न नेतव्यः । तत्राविरोधिनो^१ रसस्याङ्गिरसापेक्षयात्यन्तमाधिक्यं न कर्तव्यमित्यर्थं प्रथमः परिपोषपरिहारः । उत्कर्षसाम्येऽपि तयोः विरोधासम्भवात् ।

यथा—

एकन्तो रुइश्च पिश्या अण्णन्तो समरतूरुणिग्घोसो ।
रोहेण रणरसेण अ भडस दोलाइअं हिअश्चम् ॥

[एकन्तो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः ।

स्नेहेन रणरसेन च भटस्य दोलायित हृदयम् ॥ इनिच्छाया]

दूसरे रस के प्रधान होने पर उसके अविरोधी अथवा विरोधी [किसी भी] रस का [अत्यन्त] परिपोष नहीं करना चाहिए । इससे उनका अविरोध हो सकता है ।

प्रधानभूत शृङ्गारादि रस के प्रबन्ध व्यङ्ग्य होने पर उसके अविरोधी अथवा विरोधी रस का परिपोषण नहीं करना चाहिए । [उस परिपोषण के तीन प्रकार के परिहार क्रम से कहते हैं] १—उनमें से अविरोधी रस का अङ्गी प्रधानभूत रस की अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिए यह प्रथम परिहार है । उन दोनों का समान उत्कर्ष हो जाने [तर्क] पर भी विरोध सम्भव नहीं है ।

जैसे—

एक और प्रियतमा रो रही है और दूसरी और युद्ध के बाजे का घोष हो रहा है । अतः स्नेह और युद्धोत्साह से घोर का हृदय दोलायमान हो रहा है ।

[यहां घोर और शृङ्गार का साम्य होने पर भी अविरोध है ।]

अथवा [दो रसों में साम्य होने पर भी अविरोध का दूसरा उदाहरण]

१. तत्राविरोपि रसस्य नि०, दो० ।

यथा वा—

कण्ठान्छिन्नपत्रामालावलयमिव करे हारमावर्तयन्ती,
कृत्वा पर्यङ्कबन्ध विपधरपतिना मेखलाया गुणेन ।
मिथ्यामन्त्राभिजापस्फुरदधरपुटव्यञ्जिताव्यक्तहासा
देवी सन्ध्याभ्यसूयाहसितपशुपतिस्तत्र दृष्टा तु धोऽव्यात् ॥

इत्यत्र ।

अङ्गिरसत्रिरद्वाना व्यभिचारिणा प्राचुर्येणानिवेशनम्, ' निवेशने
वा क्षिप्रमेवाङ्गिरसव्यभिचार्यनुवृत्तिरिति द्वितीय ।

जैसे —

गले में से हार को तोड़ [निकाल] कर हाथ में त्रपमाला के समान
उसको फेरती हुई, नागराज के स्थान पर मेखला सूत्र से पर्यङ्क बन्ध आसन
चाप कर झूठमूठ मन्त्र जप के कारण हिलते हुए अधरपुट से अभिव्यक्त हास
को प्रकट करती हुई, सन्ध्या नामक [सपत्नी] के प्रति ईर्ष्यावश, महादेव का
उपहास करती हुई देखा गई, देवी पार्वती तो तुम्हारी रक्षा करें ।

इसमें [प्रकृत ईर्ष्या क्षिप्रलम्भ और तद्विरोधी मन्त्र जपादि से व्यङ्ग्य
शान्त इन दोनों रसों का साम्य होने पर भी विरोध नहीं है] ।

२—अङ्गिरस के विरुद्ध, व्यभिचारी भागों का अधिक निवेश न करना,
अथवा निवेश करने पर शीघ्र ही अङ्गिरस के व्यभिचारी रूप में परिणत कर
देना यह [परिपोष के परिहार का] दूसरा [प्रकार] है ।

विरोधी रस के व्यभिचारीभागों का यदि निवेश न किया जाय तो उसका
परिपोष ही नष्ट होगा और न यह रस कहा जा सकेगा । अतएव 'वा' से दूसरे विकल्प
की प्रबलता सूचित होती है और यह दोनों विकल्प अलग अलग नहीं हैं यह भी
सूचित होता है । अन्यथा तीन के स्थान पर चार परिहार पक्ष बन जावेंगे । दूसरा
पक्ष यह है कि विरोधी रस के व्यभिचारीभाव का निवेश करने पर भी उसको शीघ्र
ही अङ्गिरस के व्यभिचारी भावरूप में परिणत कर देना चाहिये । जैसे पृष्ठ १६०
पर दिए हुए "कोपात् कोमलबाहुललिकापाशेन" इत्यादि श्लोक में अङ्गीभूत
रति में अङ्ग रूप से जो रौद्र के स्थायीभाव क्रोध का निवेश किया है उसमें 'उद्व्या
हृद' इस पद से उपनिबद्ध रौद्र रस के व्यभिचारीभाव [क्रोध] का, 'हृदया' और

बहूनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद् बहु ।

स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः सञ्चारिणो मताः ॥

भ० ना० ७, ११६ ।

उक्त दोनों मत वाले इस श्लोक की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं । रसों में अङ्गाङ्गिभाव या स्थायी सञ्चारीभाव मानने वालों के मत में इसका अर्थ इस प्रकार होता है कि, चित्तवृत्ति रूप अनेक भावों में से जिसका रूप बहु अर्थात् अधिक प्रबन्ध-यापक हो उसको स्थायी रस मानना चाहिए और शेष को व्यभिचारी । इस मत में 'रसः स्थायी' यह अलग-अलग पद हैं । वह रस स्थायी अर्थात् अङ्गी रस होता है शेष रस सञ्चारी अथवा अङ्गरस होते हैं । किसी किसी जगह 'रसः स्थायी' इस प्रकार के विसर्गयुक्त पाठ के स्थान पर 'रसः स्थायी' ऐसा विसर्ग रहित पाठ है उस दशा में इस मत वाले 'खर्परं शरि' इस वार्तिक से विसर्ग का वैकल्पिक लोप मानकर सङ्गति लगते हैं । इस प्रकार इस मत से भरत मुनि ने रसों के स्थायी अर्थात् अङ्गी रूप और सञ्चारी अर्थात् अङ्ग रूप दोनों रूप स्वीकार किये हैं । लोचनकार ने भागुरि मुनि को रसों के स्थायी सञ्चारी मानने वाले पक्ष का समर्थक बताते हुए लिखा है कि "तथा च भागुरिरपि, किं रसानामपि स्थायीसञ्चारितास्तीति आक्षिप्याभ्युपगमेनैवोत्तरमनोचद् बाढमिति ।" अतः रसों का स्थायी सञ्चारी भाव अर्थात् अङ्गाङ्गिभाव होता है यह भागुरि मुनि को भी अभिमत है । अतएव इस मत को ही प्रधान मानकर आलोककार ने भी विस्तारपूर्वक उसके उपपादन का प्रयत्न किया है ।

दूसरे मत वाले रसस्थायी को एक समस्त पद मानते हैं और उसमें 'द्वितीय-ध्रितातीनवतिनगतात्यस्तप्राप्तपन्नैः" इस पाणिनि सूत्र में स्थित "गमिगम्यादीनामुपसख्यानम्" वार्तिक से समास मानकर 'रसानां रसेषु वा स्थायी रसस्थायी' ऐसा विग्रह करते हैं । यह रसों का नहा उनके स्थायीभाव या अङ्गाङ्गिभाव अथवा स्थायी सञ्चारीभाव मानते हैं । एक रस में स्थायीभाव होने पर भी वह दूसरे रस का सञ्चारी भाव हो सकता है । जैसे क्रोध रोद्र रस का स्थायीभाव होने पर भी वार रस में व्यभिचारीभाव होता है । अथवा एक रस में जो व्यभिचारीभाव है वही दूसरे रस में स्थायीभाव हो सकता है जैसे तत्वज्ञान विषयक निबद्ध शान्तरस में स्थायीभाव होता है यद्यपि अन्य जगह वह व्यभिचारी भाव ही है । अथवा वहा एक व्यभिचारी भाव भी दूसरे व्यभिचारी भाव की अपेक्षा स्थायी हो जाता है जैसे 'बिभ्रमोर्वशां' नाटक में चतुर्थ अङ्क में उन्माद । इस प्रकार भावों की स्थायिना और सञ्चारिता को प्रतिपादन करने के लिए भरत मुनि ने यह श्लोक लिखा है यह इस मत वाले

एवमपिरोधिना पिरोधिना च प्रबन्धस्थेनाङ्गिना रसेन समावेशे
साधारणमविरोधोपाय प्रतिपाद्येदानीं विरोधिप्रियमेतत् प्रतिपाद
यितुमिदमुच्यते —

विरुद्धैकाश्रयो यस्तु पिरोधी स्थायिनो भवेत् ।

स पिभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता ॥२५॥

एकाधिकरस्यविरोधी नैरन्तर्यविरोधी चेति द्विविधो पिरोधी ।

तत्र प्रबन्धस्थेन स्थायिनाङ्गिना रसेनौचित्यापेक्षया विरुद्धैकाश्रयो यो

का कहना है । वे श्लोक के पदों का समन्वय इस प्रकार करते हैं कि चित्तवृत्ति रूप
अनेक भावों में स जिसका अधिक विस्तृत रूप उपलब्ध होता है वह स्थायी भाव
होता है और वही रसीकरण योग्य होता है इसी स उसको रसस्थायी कहते हैं ।
शेष सब व्याभिचारी होते हैं । इसी लिये एक रस का स्थायीभाव दूसरी जगह
व्याभिचारी अथवा एक रस का व्याभिचारी भाव दूसरी जगह स्थायी भाव हो
जाता है ।

इस प्रकार पहले मत में साक्षात् रसों का, और दूसरे मत में उनके
स्थायी भावों का साक्षात्, और परम्परा या लक्षणा से रसों का अङ्गाङ्गिभाव
या उपकार्यापकारक भाव हा सकता है । इसलिये दोनों ही मतों में विरोधा रसों के
अविराध का उपपादन किया जा सकता है ॥२५॥

इस प्रकार प्रबन्धस्थ प्रधान रस के साथ उसके अविरोधी तथा विरोधी
रसों के समावेश में साधारण अविरोधोपाय का प्रतिपादन करके श्रय [शिष्य
रूप स] विरोधी रस के ही उस [अविराधापादक उपाय] का प्रतिपादन करने
के लिए यह कहते हैं—

स्थायी [प्रधान] रस का जो विराधी एकाधिकरस्य रूप स विराधा हो
उसको पिभिन्नाश्रय कर दना चाहिए [फिर] उसके परिपोष म भी कोई दोष
नहीं है ।

विरोधी [रस] दो प्रकार के होते हैं, १ एकाधिकरस्य विरोधी और
२ नैरन्तर्य विरोधी । [एकाधिकरस्य विरोधी के भी फिर दो भेद हा जाते हैं
आलम्बन के [एव्य में विरोधी और आश्रय के एव्य में विरोधी] इन में से

विरोधी यथा वीरेण भयानकः स विभिन्नाश्रयः कार्यः । तस्य वीरस्य य
 आश्रयः कथानायकस्तद्विपक्षविषये सन्निवेशयितव्यः । तथा सति
 च तस्य विरोधिनोऽपि य परिपोषः^१ स निर्दोषः । विपक्षविषये हि भया-
 तिशयवर्णने नायकस्य नयपराक्रमादिसम्पत् सुतरामुद्योतिता भवति ।
 एतच्च मदीयेऽजुंनचरितेऽजुंनस्य पातालारतरणप्रसङ्गे वैशग्येन
 प्रदर्शितम् ॥२५॥

एवमैकाधिकरण्यविरोधिनः प्रथमवस्थेन स्थायिना रसेनाङ्गभाव-
 गमने निर्विरोधित्वं यथा तथा दर्शितम् । द्वितीयस्य तु तत्प्रतिपादयितु-
 मुच्यते :—

प्रथम के प्रधान रस की दृष्टि से जो एकाधिकरण विरोधी रस हो, जैसे वीर से
 भयानक, उसकी भिन्न आश्रय में करटना चाहिए । [अर्थात्] उस वीर का
 जो आश्रय कथानायक उसके विपक्ष [प्रतिनायक] में [उस भयानक रस]
 का सन्निवेश करना चाहिए । ऐसा होने पर उस विरोधी [भयानक] का
 परिपोषण भी निर्दोष है । [क्योंकि] विपक्ष [शत्रु] विषयक भय के अतिशय
 के वर्णन से नायक की नीति और पराक्रम आदि का बाहुल्य प्रकाशित होता
 है । यह बात नरे 'अजुंनचरित' [नामक काव्य] में अजुंन के पातालगमन के
 प्रसङ्ग में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई है ।

एकाधिकरण्य विरोधी का अर्थ यह है कि समान अधिकरण या आश्रय में
 दोनों रस न रह सकें । जैसे वीर और भयानक ये दोनों रस एक आश्रय अर्थात्
 एक नायक में एक साथ नहीं रह सकते हैं । वीर का स्थायीभाव 'उत्साह' और
 भयानक का स्थायीभाव 'भय' यह दोनों एक जगह सम्भ्रन न होने से इन दोनों का
आश्रय एकत्र में विरोध है । इसका परिहार करने का सीधा उपाय यह है कि वीर
 को नायक निष्ठ और भयानक को प्रतिनायक-निष्ठ रूप से उन्नियद्ध किया जाय ।
 ऐसा करने से उन वीर विरोधी भयानक ना परिपोष न केवल निर्दोष होगा
 अर्थात् वीर रस का उत्कर्षापायन होगा । और उसको अधिक चमकार सुन-
 यना देगा ॥२५॥

प्रथमवस्थे प्रधान रस के साथ एकाधिकरण्य रूप विरोधी का, अङ्गभाव
 होकर जिस प्रकार अविरोध हो सकता है वह प्रकार दिखला दिया । अथ

एकाश्रयत्वे निर्दोषो नैरन्तर्ये विरोधमान् ।

रसान्तग्व्ययधिना रसो व्यङ्ग्यो सुमेधसा ॥२६॥

य पुनरेकाधिकरणत्वे निविरोधो नैरन्तर्ये तु विरोधी स रसान्तर-
व्यवधानेन प्रबन्धे निवेशयितव्य यथा शान्तशृङ्गारौ नागानन्दे
निवेशितौ ।

दूसरे [अर्थात् चिनक निरन्तर समावेश में विरोध होता है उन नैरन्तर्य विरो-
धियों] के भी उम [अत्रिराधोपपादक प्रसार] को दिखाने के लिए यह
कहते हैं -

निस [रस] के एक आश्रय म नियन्त्रण में दोष नहीं है [परन्तु]
निरन्तर [पास पास अव्यवहित रूप से] समावेश में विरोध आता है, उसकी
[दानों के] बीच म अविरोधी रस के वर्णन से व्यवहित करके बुद्धिमान्
कवि को वर्णन करना चाहिए ।

और जा [रस] एक अधिकरण में अविरोधी है परन्तु नैरन्तर्य में
विरोधी है उमना दूसरे रस के व्यवधान से प्रबन्ध में समावेश करना चाहिए ।
जैसे नागानन्द में शान्त और शृङ्गार [बीच में दानों क अविरोधी अद्भुत
रस के समावेश से व्यवहित करके] का समावेश किया गया है ।

नागानन्द में “रागस्थास्यदमित्यवैमि न च मे ध्वसीति न प्रत्यय” इत्यादि
से लेकर परार्थशरीरवितरणरूप निर्वहण पयन्त शान्त रस है । और उसका
विरोधी मलयती विपयक शृङ्गार है । इन दोनों के बीच में दोनों के अविरोधी
अद्भुत रस का “अहो गीतमहो वादिनम्” आदि से समावेश और उसी की
पुष्टि के लिए “व्यक्ति-पञ्जनभातुना” आदि का समावेश किया गया है । इस
प्रकार नैरन्तर्य विरोधी रसों क बीच में अविरोधी रस का समावेश कर देने से
उनका अत्रिराध हो सका है ।

यहाँ ग्रन्थकार न नागानन्द के शान्त और शृङ्गार रस का उदाहरण
दिया है । परन्तु कुछ लोग शान्त रस को अलग रस ही नश मानते हैं । और
न नागानन्द को शान्त प्रधान नाटक मानते हैं, अत्रितु उसका मुख्य रस दय वीर
मानते हैं । इस विषय का विचार कर से उपपादन भी ‘धनञ्जय’ के ‘दशरूपक’ और

उसकी 'धनिक' विरचित टीका में पाया जाता है। यहा आलोककार ने इस मत का खण्डन करके शान्त रस को अलग रस सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। शान्त रस को न मानने वालों की श्रौर से धनिक ने जो कुछ लिखा है उसका साराश यह है कि—

कुछ लोग कहते हैं कि भरत मनि ने शान्त रस के विभावादि का प्रतिपादन नहीं किया है अतएव शान्त रस नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि अनादिकालीन रागद्वेष के प्रवाह का सर्वथा उच्छेद असम्भव होने से रागद्वेषोच्छेदात्मक शान्त रस सम्भव नहीं है। तीसरे लोग वीर आदि रस में शान्त रस का अन्तर्भाव करते हैं। इनमें से कोई पक्ष माना जाय या न माना जाय इसमें धनिक को कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना तो यह है कि नाटक में शान्त रस की पुष्टि नहीं हो सकती है। क्योंकि शान्त की स्थिति में समस्त व्यापारों का विलय हो जाता है। उस समस्तव्यापारशून्यता रूप शान्त रस का अभिनय हो ही नहीं सकता है अतएव धनिक श्रौर धनञ्जय नाटक में शम के स्थायीभावपर का निरोध करते हैं।—“शममपि केचित् प्राहुः पुष्टिर्नतस्य नाट्येषु।”

निर्वेदादिरतादरूप्यादस्थायी स्वदते कथम्।

वैरस्थायैव तत्रोपरस्तेनाष्टी स्थायिनो मताः ॥ दश सू० ४, ३६।

अर्थात् स्थायीभाव का जो यह लक्षण किया गया है—

विरुद्धैरविरुद्धैर्भावावैर्विच्छिद्यन्ते न यः।

आत्मभाव नयत्यन्यान् स स्थायी लक्षणकरः ॥ दश सू० ४, २४।

यह निर्वेद में नहीं घटना है। इसलिए यह स्थायीभाव नहीं केवल व्यभिचारी भव है। श्रौर उसका सर्वव्यापारोपरतिरूप होने से उसका परिपोष भी नाटक में नहीं हो सकता है, यदि किया जाएगा तो वह नीरस ही होगा। अतः निर्वेद स्थायी भाव नहीं है श्रौर न शान्त रस ही कोई रस है। रही नागानन्द की बात सो उसमें शान्त रस बताना टीका नहीं है क्योंकि उसमें मलयती के प्रति अनुगम श्रौर अन्त में विद्याधरस्वप्नवर्तिन्य की प्राप्ति का जो वर्णन है यह शान्त रस के सर्वथा प्रतिकूल है। अतएव उसमें शान्त रस नहीं है। अपि दयवीर के अनुसृत उल्लाह उसका स्थायी भाव होने से वीर रस है। इस प्रकार शान्त रस का अन्तर्भाव वीर रस में करने हैं। इन्हीं सब पक्षों का खण्डन करके शान्त रस को सिद्ध करने के लिए आलोककार ने अमला प्रसङ्ग उठाया है।

शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयत एव । तथा चोक्तम् :—

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम् ।

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः पोडशीं क्लाम् ॥

यदि नाम सर्वजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति नैतावताऽसाव-
लोकसामान्यमहानुभावचित्तवृत्तिविशेषः^१ प्रातक्षेप्तुं शक्यः ।^२ न च
धीरे तस्यान्तर्भावः कर्तुं युक्तः । तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात् ।
अस्य चाहङ्कारप्रशमैकरूपतया स्थितेः । तयोश्चैव त्रिधविशेषसद्भावेऽपि
यद्यैक्यं परिकल्प्यते तद्वीररौद्रयोरपि तथा प्रसङ्गः । दयावीररौद्रिणां तु
चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहङ्काररहितत्वेन शान्तरसप्रभेदत्वम्,
इतरथा तु वीररसप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद् विरोधः ।
तदेवमस्ति शान्तो रसः । तस्य चाविन्द्वरसव्यवधानेन प्रबन्धे विरोधि-
रससमावेशे सत्यपि निर्विरोधत्वम् । यथा प्रदर्शिते विषये ॥२६॥

तृष्णा नाश से उत्पन्न सुख का जो परिपोष तत्स्वरूप शान्त रस प्रतीत होता ही है [अर्थात् उसका अपलाप, निषेध नहीं किया जा सकता है] इसी से कहा है—

हजार में जो काम सुख और जो धूलौट्टि महान सुख है यह दोनों तृष्णा क्षय [सन्तोष जन्य] सुख की सोलहवीं कला के धरावर भी नहीं हैं ।

यदि में [शान्त रस] सर्वसाधारण के अनुभव का निषेध नहीं है तो इससे असाधारण महापुरुषों के चित्तवृत्ति विशेष रूप शान्त रस का निषेध नहीं किया जा सकता है । और न धीर रस में उमका अन्तर्भाव करना उचित है । क्योंकि धीर रस अहङ्कारमय रूप से स्थित होता है और इस शान्त की स्थिति अहङ्कार प्रशम रूप से होनी है । उन [शान्त और धीर] दोनों में इस प्रकार का भेद होते हुए भी यदि एक्य माना जाय तो फिर धीर और रौद्र को भी एक ही मानना होगा । दयावीर चादि की चित्तवृत्ति विशेष यदि वय प्रकार के अहङ्कार से रहित हो तब तो उसको शान्त रस का भेद वह सरत है अन्यथा [अहङ्कारमय चित्तवृत्ति होने पर] धीर रस का भेद होगा, ऐसी व्यवस्था करने से उनमें कोई विरोध नहीं होगा । इस प्रकार शान्त रस है । और विरोधी रस का समावेश रहने पर भी अविन्द्वर रस के व्यवधान से प्रबन्ध

१ विशेषत् नि०, शी० । २. धीरे च तस्यान्तर्भावः कर्तुं युक्तः नि० ।

एतदेव स्थिरीकृतुमिदमुच्यते—

रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि ।

निवर्तते हि रसयोः समावेशे विरोधिता ॥२७॥

रसान्तरव्यवहितयोरेकग्रन्थस्थयोर्विरोधिता निवर्तत इत्यत्र न काचिद् भ्रान्तिः । यस्मादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरुक्त्या नीत्या विरुद्धता निवर्तते ।

यथा :—

भूरेगुदिग्धान्नवपारिजातमालारजोवासितबाहुमध्याः ।

गाढं गिवाभि. परिरन्ध्रमाणान् सुराह्वानाश्लिष्टभुजान्तरालाः ॥

मशोणितै. क्रद्व्यभुजा स्फुरद्भि. पक्षै. स्वगानामुपवीड्यमानान् ।

संयोजिताचन्द्रनवारिमैत्रै. सुगन्धिभि. कल्पलतादुकूलैः ॥

धिमान्दर्थदत्तलै निपण्णा कुनूहलाप्रिष्टतया तदानीम् ।

निद्रिश्यमान न ललनागुलीभिर्घोरा. स्वदंष्ट्रान् पतितानपश्यन् ॥

इत्यादौ । अत्र हि शृङ्गारवीभक्तयोस्तदङ्गयोर्वा वीररस-
व्यवधानेन समावेशो न विरोधी ॥२७॥

विरोधमविरोधं च सर्वत्रेत्यं निरूपयेत् ।

विशेषतस्तु शृङ्गारे सुकुमारतमो^१ ह्यसौ ॥२८॥

यथोक्तलक्षणानुसारेण विरोधाविरोधौ सर्वेषु रसेषु प्रबन्धेऽन्यत्र
च निरूपयेत् सद्द्वयः । विशेषतस्तु शृङ्गारे । स हि रतिपरिपोपात्मक-
त्वाद्, रतेरच स्वल्पेनापि निमित्तेन भङ्गसम्भवात्, सुकुमारतमः^१
सर्वेभ्यो रमेभ्यो मनागपि विरोधिसमावेशं न सहते ॥२८॥

[अप्सराओं, रवंश्याओं] द्वारा अंगुली [के संकेत] से दिखलाए जाते हुए, पृथ्वी
की धूल में सने हुए, शृंगालियों से गाढ़ आलिङ्गित और मासाहारी पक्षियों
के रक्त में सने हुए, तथा हिलते हुए पत्तों से हवा किये जाते और [बुद्धभूमि
में] पड़े हुए अपने शरीरों को देखा ।

इत्यादि में । यहा शृङ्गार और वीभक्त रस अथवा उसके अङ्गों [स्थायी-
भागों, रतिरहितवा जुगुप्सा] का वीर रस के व्यवधान से समावेश विरुद्ध नहीं है ।

यहा 'वीर.' कर्ता और 'स्वदेशन्' कर्म है । सारे वाक्य में अनुगत रूप से
उनकी प्रतीति होती है और समस्त वाक्य में ही शृङ्गार तथा वीभक्त अथवा
उनके स्थायीभाव रति और जुगुप्सा व्यापक है इसलिए वीररस के बीच में
व्यवधान की प्रतीति नहीं जान पड़ती है फिर भी 'भूरेणुदिग्धान्' इस विशेषण के
बोध से वीभक्त, और 'नवपारिजातमालारजोवासिताहुमभ्याः' इस विशेषण के
बोध से शृङ्गार, और इन दोनों के बीच विशेष्य बोध के रूप में वीर रस की प्रतीति
होती है । इस प्रकार यहा शृङ्गार तथा वीभक्त के बीच में वीर का व्यवधान होने
से उनका समावेश उचित है ॥२७॥

विरोध तथा अविरोध का सर्वत्र ह्यसौ प्रकार निरूपण करना चाहिए ।
विशेष कर शृङ्गार में, क्योंकि यह सर्वत्र अधिक सुकुमार होता है ।

उपयुक्त लक्षणों के अनुसार प्रबन्ध काव्य में और अन्यत्र [मुक्ताओं
में] सद्दश्यों की सब रसों में विरोध अथवा अविरोध को पहिचानना चाहिए ।
विरोध कर शृङ्गार में । क्योंकि यह रति के परिपोष रूप होने से, वीर रति

अवधानातिशयवान् रसे तत्रैव सत्कविः ।

भवेत् तस्मिन् प्रमादो हि भ्रष्टित्येवोपलक्ष्यते ॥२६॥

तत्रैव च रसे सर्वेभ्योऽपि रसेभ्यः सौकुमार्यातिशययोगिनि कविरवधानवान् प्रयत्नवान् स्यात् । तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्य सहृदयमध्ये द्विप्रमेदावज्ञानविषयता भवति ॥२६॥

शृङ्गाररसो हि संसारिणा नियमेनानुभवविषयत्वात् सर्वरसेभ्यः कमनीयतया प्रधानभूतः । एवं च सति :—

विनेयानुन्मुखीरुतुं काव्यशोभार्थमेव वा ।

तद्विरुद्धरसस्पर्शस्तदङ्गानां न दुष्यति ॥३०॥

के तनिक से भी कारण से, भङ्ग हो जाने से, सब रसों से अधिक सुकुमार है और विरोधी के तनिक से भी समावेश को सहन नहीं कर सकता है ॥२८॥

सत्कवि को उसी [शृङ्गार] रस में अत्यन्त साधन रहना चाहिये [क्योंकि] उसमें [तनिक सा भी] प्रमाद तुरन्त प्रतीत हो जाता है ।

सब रसों से अधिक सुकुमार उसी रस में कवि को साधन, [और] प्रयत्नशील होना चाहिये । उसमें प्रमाद करने वाले उस [कवि] की सहृदयों के बीच शीघ्र ही तिरस्कार विषयता हो जाती है ॥२६॥

शृङ्गाररस समस्त सांसारिक पुरषों के अनुभव का विषय अग्रय होता है अतः सौन्दर्य की दृष्टि से प्रधानतम है । ऐसा होने से :—

शिष्यो को [शिक्षणीय विषय में] प्रवृत्त करने की दृष्टि से अथवा काव्य की शोभा के लिए उस [शृङ्गार] के विरोधी [शान्त आदि] रसों में उस [शृङ्गार] के अङ्गों [व्यभिचारी भागादि] का स्पर्श [पुट] दूषित नहीं होता जैसे, लोचनकार निर्मित स्तोत्र में,

त्वा चन्द्रचूड सहसा सृशन्ती प्रागेश्वर मादत्रियोगतया ।

सा चन्द्रकान्तामृतिपुत्रिभेव सनिद् विलीयापि विलीयते मे ॥

इस श्लोक में चन्द्रचूड शिव की स्तुति है । शृङ्गार की पद्धति में

शृङ्गारविरुद्धरसस्पर्शः शृङ्गाराङ्गाणां' यः स न केवलमविरोध-
लक्षणयोगे सति न दुष्यति, यावद् विनेयानुन्मुखीकर्तुं काव्यशोभार्थमेव
वा क्रियमाणो न दुष्यति । शृङ्गाररसाङ्गैरुन्मुखीकृताः सन्तो हि विनेयाः
मुगं विनयोपदेशान् गृह्णन्ति । सदाचारोपदेशरूपा हि नाटकादिगोष्ठी,
विनेयजनहितार्थमेव मुनिभिरवतारिता ।

चन्द्रचूड शिव की पति, श्रीर अपनी बुद्धिवृत्ति की चन्द्रकान्त मणि से निर्मित
पुतली के समान सुन्दर अपनी अर्थात् स्तोत्र रचयिता की पुत्री तथा शिव की पत्नी
रूप माना है । वह बुद्धि वृत्ति अपने प्रियतम शिव से बहुत काल से रियुक्त होने
के कारण अत्यन्त प्रियोग सन्तप्त है । शिव के ध्यान में तनिक देर के लिए चित्त
एकाग्र होने से, चन्द्रचूड शिव का स्पर्श पाकर वह तदाकारपन्न होने से
स्वरूप विहीन, पति के आलिङ्गन में सर्वात्मना विलीन सी होकर चन्द्रचूड के स्पर्श
से द्रापित होकर विलीन हो जाने वाली चन्द्रकान्त पुत्तलिका के समान विलीन हो
जाती है ।

यहा शान्त रस के विभाव, अनुभाव आदि का भी शृङ्गाररस की पद्धति
से निरूपण किया गया है । यदि सीधी शान्त रस की शैली में इस बात को कहा
जाय तो वह, सब सदृश्यों को उतनी रुचिपर नहीं होगी जितनी इस प्रकार हो
जाती है । यहा शृङ्गार रस के निरोधी शान्त रस में भी शृङ्गार का पुट लग जाने
से काव्य में चमत्कार आगया है इसलिये काव्यशोभा इस प्रकार के पुट का एक
प्रयोजन है ।

दूसरा मुख्य प्रयोजन शिष्यों की शिक्षणीय विषय में प्रवृत्ति करना है ।
इसीलिये उपदेशप्रद वेदादि को 'शब्द प्रधान' होने से 'प्रभु शब्द', और इतिहास
पुराणदि को 'अर्थनाथ्यप्रधान' होने से 'मुद्गचूड', तथा क' य नाटकादि को
'रस तात्पर्य' प्रधान होने से 'कान्ता शब्द' के समान माना है । तिनमें 'कान्ता-
शब्द-सम्पन्न' काव्य नाटकादि से शिष्यों को रंगारंगाने पूर्वक शिक्षा प्राप्त होने
से विनेयों का उन्मुखीकरण उनका मुख्य प्रयोजन है ।

शृङ्गार के चट्टों का जो शृङ्गार विन्दु रसों के साथ स्पर्श है वह केवल
पूर्वोक्त अविरोध लक्षणों के होने पर ही निर्देय हो यह बात नहीं है अपितु
शिष्यों को उन्मुख्य करने अथवा काव्य शोभा की दृष्टि से किया जाने पर [भी]

किञ्च शृङ्गारस्य सरुलजनमनोहराभिरामत्वात्^१ तद्भ्रमसमावेशः
काव्ये शोभातिशयं पुप्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि^२ रसे शृङ्गार-
समावेशो न विरोधी । तत्र च :—

सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः ।

किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम् ॥

इत्यादिपु नास्ति रसविरोधदोषः ॥३०॥

दूषित नहीं होता है । शृङ्गार रस के अङ्गों में प्रवृत्त हुए शिष्यगण सदाचार के
उपदेशों को श्रानन्दपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं । [भरतादि] मुनियों ने शिष्यगीय
जनों के हित के लिए ही सदाचारोपदेश रूप नाटकदि गोप्त्री [मण्डली] की
अवतारणा की है ।

श्रीर शृङ्गार के सब लोगों के मन को हरण करने वाला श्रीर सुन्दर
होने से उसके अङ्गों का समावेश काव्य में सौन्दर्य के अतिशय की वृद्धि करने
वाला होता है इस प्रकार से भी विरोधी रस में शृङ्गार का समावेश विरोधी
नहीं है । इसलिये :—

यह ठीक है कि स्त्रियां बड़ी मनोरम होती हैं, यह ठीक है कि [पृथ्वी]
विभूति बड़ी सुन्दर होती है, किन्तु [उनका भोग करने वाला यह] जीवन
[तो] मत्त स्त्री के कटाक्ष के समान अत्यन्त अस्थिर है ।

इत्यादि में रस विरोध का दोष नहीं है ॥३०॥

यहां सब जगत् की अनित्यता रूप शान्त रस के विभाव का वर्णन करते
हुए 'त्वा चन्द्रचूड' इत्यादि के समान किसी विभाव का शृङ्गार पद्धति से वर्णन
नहीं किया है । किन्तु 'सत्य' शब्द से मानों पर-हृदय में प्रवेश कर कवि कहना
चाहता कि हम मिथ्या ही वैराग्य की बात नहीं करते अपितु यह 'रामाः' श्रीर 'रम्या
विभूतयः' जिसने लिए हैं वह जीवन ही दत्तना अस्थिर है । 'मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग'
शृङ्गार रस का विभावरूप अङ्ग है । मत्ताङ्गना के सर्वाभिलाषणीय कटाक्ष की
अस्थिरता से विश्व के 'विभूति' श्रीर 'रामा' आदि विषयों की अस्थिरता की उपाय
देने से वैराग्य का विषय सरलता से समझ लिया जाता है ॥३०॥

विज्ञायेत्थं रसादीनामविरोधविरोधयोः ।

विषयं मुकविः काव्यं कुर्वन् मृहति न क्वचित् ॥ ३१ ॥

इत्थमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण रसादीनां रसभावतदाभामानां परस्परं विरोधस्याविरोधस्य च त्रिषय विज्ञाय मुकविः काव्यविषये प्रतिभानिशययुक्तः काव्यं कुर्वन् न क्वचिन्मुहति ॥३१॥

एव रसादिषु विरोधाविरोधनिरूपणस्योपयोगित्त्वं प्रतिपाद्यञ्जक्रवाच्य वाचक निरूपणस्यापि तद्विषयस्य तत्प्रतिपाद्यते :—

वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम् ।

रसादिविषयेऽतत कर्म मुख्यं महाकवेः ॥ ३२ ॥

वाच्यानामिति वृत्तप्रतिशेषाणां वाचकानां च तद्विषयाणां, रसादिविषयेऽौचित्येन यद् योजनमेतन्महाकवेर्मुख्यं कर्म । अयमेव हि महाकवेर्मुख्यो व्यापारो यद्रसादीनेव मुख्यतया वाच्यार्थाकृत्य तद्व्यक्त्यनुगुणत्वेन शब्दानामर्थानां चोपनिबन्धनम् ॥३२॥

इस प्रकार रस आदि के अविरोध और विरोध के त्रिषय को समझ कर वाच्य रचना करने वाला कवि वही भ्रम में नहीं पड़ता है ।

इस प्रकार अभी कही रीति से, रस आदि अर्थान रस, भाव और तदाभासों के परस्पर विरोध और अविरोध के त्रिषय को समझ कर वाच्य के त्रिषय में अशक्य निरूपण [प्रतिभावात्] हुआ शक्य काव्य रचना करने हुए वही व्यासोह [भ्रम] में नहीं पड़ता है ॥३१॥

इस प्रकार रस आदि में विरोध और अविरोध के निरूपण की उपयोगिता प्रतिपादन करके, उक्त [रसादि] त्रिषय के व्यञ्जन, वाच्य [कथा वस्तु] तथा वाचक शब्दादि के निरूपण का भी उपयोगिता प्रतिपादन करते हैं :—

वाच्य [कथावस्तु] और [उपरं] वाचक शब्दादि की रसादि विषयक औचित्य की दृष्टि से जो योजना करना है यही महाकवि का मुख्य कर्मण्य है ।

वाच्य अर्थान् इतिवृत्त [कथावस्तु निरूपण] और उनके सम्बन्धी वाचक शब्दादि का रसादि विषयक औचित्य की दृष्टि से योजना करना है यह महाकवि का मुख्य कर्म है । रसादि का मुख्यरूप से वाच्य का त्रिषय बना कर उनके परस्पर विरोध और अविरोध का रचना करना यही महाकवि का मुख्य कर्म है ॥३२॥

एतच्च रसादितात्पर्येण काव्यनिबन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्ध-
मेवेति प्रतिपादयितुमाह' :—

रसानुगुणत्वेन

व्यवहारोऽर्थशब्दयोः ।

औचित्यवान् यस्ता एता वृत्तयो 'द्विविधाः स्थिताः ॥३३॥

व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते । तत्र रसानुगुण औचित्यवान्
वाच्याश्रयो यो व्यवहारस्ता एताः कैशिकाद्याः वृत्तयः । वाचका-
श्रयाश्रोपनागरिकाद्या वृत्तयो हि रसादितात्पर्येण सन्निवेशिताः कामपि
नाट्यस्य काव्यस्य च छायामावहन्ति । रसादयो हि द्वयोरपि तयोर्जीव-
भूताः । इतिवृत्तादि तु शरीरभूतमेव ।

रसादि के तात्पर्य से [रसादि को प्रधान मान कर] यह काव्य रचना
भरत [के नाट्यशास्त्र] आदि में भी प्रसिद्ध है यह प्रतिपादन करने के लिए
कहते हैं :—

रस आदि के अनुकूल शब्द और अर्थ का जो उचित व्यवहार है वही
ये दो प्रकार की वृत्ति मानी जाती है ।

व्यवहार को ही वृत्ति कहते हैं । उनमें रसानुगुण औचित्य युक्त जो
वाच्य अर्थ का व्यवहार है वह कैशिकी आदि वृत्तियाँ हैं । और वाचक [शब्द]
आश्रित जो व्यवहार है वह उपनागरिकादि वृत्तियाँ हैं । रसादिपरतया [रसादि
के अनुकूल, रसादि को प्रधान मान कर] प्रयुक्त की गई [कैशिकी आदि
तया उपनागरिकादि] वृत्तियाँ नाटक और काव्य में [क्रमशः] कुछ
अनिर्पचनीय सौन्दर्य उत्पन्न कर देती हैं । रसादि उन दोनों प्रकार की वृत्तियों के
आत्मभूत हैं ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है वृत्ति शब्द साहित्य में अनेक अर्थों
में प्रयुक्त होता है । यहाँ भरत के नाट्यशास्त्र की कैशिकी आदि और भट्टोज्ज
आदि की अभिमत उपनागरिका आदि वृत्तियों का अर्थव्यवहार और शब्द
व्यवहार रूप से सुन्दर और सुबोध भेद किया है । शब्द व्यवहार में भी शब्द-
रचना की दृष्टि से उपनागरिकादि और अर्थबोधानुकूल व्यापार की दृष्टि से
अभिधा-लक्षणा आदि को वृत्ति कहा जाता है । इन प्रकार की व्यवस्था में वृत्ति
शब्द के तीन अर्थ बिल्कुल अलग अलग और स्पष्ट हो जाने हैं ।

अत्र केचिदाहुः, 'गुणगुणिव्यवहारो रसादीनामितिवृत्तादिभिः सह युक्तो, न तु जीवशरीरव्यवहारः । रसादिमयं हि वाच्यं प्रतिभासते, न तु रसादिभिः पृथग्भूतम्' इति ।

अत्रोच्यते, यदि रसादिमयमेव वाच्यं यथा गौरत्वमयं शरीरं एवं सति यथा शरीरे प्रतिभासमाने नियमेनैव गौरत्व प्रतिभासते सर्वस्य, तथा वाच्येन सहैव रसादयोऽपि सहृदयस्यासहृदयस्य च प्रतिभासेरन् । न चैवम् । तथा चैतत् प्रतिपादितमेव प्रथमोद्योते ।

स्यान्मतम्, 'रत्नानामित्र जात्यत्वं प्रतिपत्तृविशेषतः' सवेद्य वाच्यानां रसादिरूपत्वमिति ।

नैवम्, यतो यथा जात्यत्वेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्नस्वरूपा-

[पूर्वपक्ष] कुछ लोगों का कहना है कि इतिवृत्त [कथानस्तु] के साथ रसादि का गुण गुणो व्यवहार ही युक्त है । जीव और शरीर व्यवहार नहीं । [क्योंकि] वाच्य [कथानस्तु] गुण, रसादि रूप गुणों से युक्त होने से [रसादिमय प्रतीत होता है [आत्मा से भिन्न शरीर के समान] रसादि से पृथक् [प्रतीत] नहीं [होता है] ।

[सिद्धान्त पक्ष] इस पर हम यह कह सकते हैं कि यदि वाच्य [कथानस्तु] गौरत्वमय शरीर के समान रसादिमय ही होता तो जैसे शरीर की प्रतीति होने पर [हर एक व्यक्ति को] गौरत्व की प्रतीति अथवा होती है इसी प्रकार वाच्य के साथ ही सहृदय, असहृदय सब को रसादि की प्रतीति भी होनी चाहिए । परन्तु ऐसा होता नहीं है, इसे हम प्रथम उद्योत में ['शब्दापेक्षासनानामाश्रयेण न येद्यते' इत्यादि कारिका ७ पृष्ठ ४६ में] प्रतिपादन कर चुके हैं ।

[पूर्वपक्ष] जिस प्रकार रत्नों का उत्कर्ष [जात्यत्वं, उत्कृष्टजात्यत्वं] विशेषण [जीवरी] ही जान सकता है [हर एक व्यक्ति को यह प्रतीत नहीं होता] इसी प्रकार वाच्य [कथानस्तु] का रसादिस्वरूप [रसादिमय रूप गुणोत्कर्ष] विशेषण [सहृदय] को ही प्रतीत होता है [सर्वमाधारण को नहीं] यदि यह अभिमत हो गी, [उत्तर पक्ष है कि] :—

[सिद्धान्त पक्ष] यह ठाक नहीं है । क्योंकि जैसे उत्कृष्टजात्यत्वं रूप

येषामपि स्वरूपविशेषप्रतीतिनिमित्तं व्यञ्जकत्व यथा गीतादि-
शब्दानां, तेषामपि स्वरूपप्रतीतेर्व्यञ्ज्यप्रतीतेश्च नियममावी^१ क्रम ।
^२तत्तु शब्दस्य क्रियापौर्वापर्यमनन्यसाध्यतत्फलघटनास्वाशुभाविनीपु
वाच्येनाविरोधिन्यभिधेयान्तरविलक्षणै रसादौ न प्रतीयते ।

काव्ये रसप्रतीतिर्न भवति तत्रोचित^२ प्रकरणावगमादि सहकारी नास्तीत्याशक्याह
यदि चेति । प्रकरणावगमो हि क उच्यते, किं वाक्यान्तरसहायत्व, अथ वाक्यान्तराणां
सम्बन्धिवाच्यम् । उभयपरिज्ञानेऽपि न भवति प्रकृतवाक्यार्थावेदने रसोदय ।
स्वयमिति । प्रकरणमात्रमेव परेण केनचित्प्रेषा व्याख्यातमिति भाव । न चान्वय
व्यतिरेक्यता वाच्यप्रतीतिमपन्हृत्य, अदृष्टसद्भावभावौ शरणात्प्रेनाश्रितौ मात्स-
र्यादधिक किञ्चित् पुष्णीत इत्यभिप्राय ।

इस व्याख्या में लोचनकार ने मूल के 'च्य' पद को भिन्नक्रम मान कर
उसे 'अवनधारितप्रकरणानां' के साथ जोड़ कर सङ्गति लगाने का प्रयत्न किया है ।
अर्थात् जिनको स्वयं काव्य शब्दों के वाच्य वाचक भाव का ज्ञान नहा है, जो काव्य
शब्दों के अर्थ को नहीं समझते और अर्थ न समझने के कारण स्वयं प्रकरण
भी नहीं समझ सकते परन्तु किसी दूसरे ने उनको प्रकरण बतला दिया है ।
'प्रकरणमात्रमेव परेण केनचिद् पेषा व्याख्यात' उनको अर्थ के न समझने पर
भी रस की प्रतीति होनी चाहिए । परन्तु होती नहीं है इसलिए रस प्रतीति में
वाच्य प्रतीति का भी उपयोग है । इस प्रकार की व्याख्या लोचनकार ने की
है । उन्हीं के अभिप्राय के अनुसार हमने अनुवाद किया है । क्योंकि अन्य सब
व्याख्याओं की अपेक्षा यह व्याख्या अधिक सरल और स्वारसिक व्याख्या है ।

^१ और [दूसरे प्रकार के शब्दां म] जहा [गीतादि में] स्वरूप विशेष
प्रतीति मूलक व्यवहार है जैसे गीतादि शब्दों म उनक यहा भी स्वरूपविशेष
की प्रतीति और ध्वन्य की प्रतीति में क्रम अवश्य रहता है । किन्तु शब्द की
[वाचकत्व और व्यञ्जकत्व रूप अथवा अभिधेय व्यञ्जनारूप] क्रियाओं का
पौर्वापर्य [क्रम] प्रकारान्तरासाध्यफलक सिद्धभाविनी रचनाओं में वाच्य व
अविरोधा तथा अन्य वाच्यों से विलक्षण रसादि [रूप ध्वन्य के बोधन] में
[वह क्रम] प्रतीत नहीं होता है ।

‘तत्तु’ से लेकर ‘प्रतीयते’ पर्यन्त इस पंक्ति की व्याख्या लोचनकार ने इस प्रकार की है। ‘ननु संज्ञेत् क्रमः किं न लक्ष्यते इत्याशङ्क्याह । तन्निति । क्रियापूर्वापर्यमित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह ।’ यदि क्रम है तो मालूम क्यों नहीं पड़ता, ऐसी शङ्का करके कहते हैं तत्तु इति । ‘क्रियापूर्वापर्य’ से क्रम का स्वरूप कहते हैं । ‘क्रियेते इति क्रिये’ वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीति, यदि वाभिभाव्यापारो, व्यञ्जनापरपर्यायो ध्वननव्यापारश्चेति क्रिये । ‘क्रियेते इति क्रिये’ यह ‘क्रिये’ इस शब्द की व्युत्पत्ति है । जो की जायें वे दोनों क्रियाएं ‘क्रिये’ हुईं । इसमें वाच्य और व्यङ्ग्य प्रतीति रूप दो क्रियाएं अथवा अभिधा व्यापार और व्यञ्जना नामरू ध्वनन व्यापार यह दो ‘क्रिये’ शब्द से ग्रहण की जा सकती हैं । ‘तयोः पूर्वापर्यं न प्रतीयते ।’ उनका पूर्वापर्य-क्रम-प्रतीत नहीं होता है । क्व । रसादी विषये । कीदृशि, अभिधेयान्तराद् अभिधेयविशेषाद् विलक्षणे सर्वथैवानभिधेये, अनेन भवितव्यं तावत् क्रमेणेत्युक्तम् । तथा वाच्येनाविरोधिनि, विरोधिनि तु लक्ष्यत एवेत्यर्थः ।’ कहां प्रतीत नहीं होता । रसादि विषय में । कैसे रसादि में । अभिधेयान्तर अर्थात् अभिधेय विशेष से भिन्न, अर्थात् सर्वथा अनभिधेय रसादि में । इससे यह सूचित किया कि क्रम अशक्य होना चाहिये । तथा वाच्य से अविरोधी रसादि में क्रम लक्षित नहीं होता । इसका अर्थ हुआ कि विरोधी में लक्षित होता है । ‘कुतो न लक्ष्यते इति निमित्त-सप्तमीनिर्दिष्टं हेत्वन्तरगर्भं हेतुमाह । आशु भाविनीष्विति ।’ क्यों नहीं लक्षित होता है इस विषय में निमित्त सप्तमी से निर्दिष्ट हेत्वन्तरगर्भं हेतु कहते हैं । ‘आशु-भाविनीषु ।’ अनन्यसाध्यतत्कलसद्वटनासु, सद्वटनाः पूर्वं माधुर्यादिलक्षणाः प्रति-पादिताः गुणनिरूपणावसरे, तारक तत्कलाः, रसादिप्रतीतिः क्व । यासां तथा अनन्यत् तदेव साध्यं यासां नहि श्रोजोबटनायाः कक्षणादिप्रतीतिः साध्या’ । घटना से माधुर्यादि का ग्रहण करना चाहिये यह बात पहिले गुण निरूपण के अक्षर पर कह चुके हैं । ‘तत्कलाः’ का अर्थ रसादि प्रतीति जिनका फल है यह करना चाहिये । ‘अनन्य साध्य’ से वही विशेष फल जिनका है अर्थात् श्रोज के अनुगुण घटना से कक्षण आदि की प्रतीति नहीं हो सकती । यह सूचित किया । ‘ननु भवत्येवं सद्वटनानां स्थितिः, क्रमस्तु किं न लक्ष्यते अत आह आशुभाविनीषु वाच्यप्रतीति-कालप्रतीक्षात्वेन विनैव भवति ता रसादीन् भावयन्ति तदार्यादं विदधनीत्यर्थः’ सद्वटनायां की स्थिति जैसे आन कहते हैं वैसी ही परन्तु क्रम क्यों नहीं मालूम होगा इसके उत्तर के लिए ‘आशुभाविनीषु’ कहा है । वाच्य प्रतीति की प्रतीक्षा किए बिना ही वह सीमा से रसादि का आरम्भ करा देती है ।

कश्चित्तु लक्ष्यत एव । यथानुराणरूपव्यङ्ग्यप्रतीतिषु । तत्रापि कथमिति चेदुच्यते । अर्थशक्तिमूलानुराणरूपव्यङ्ग्ये^१ ध्वनौ तावदभिधेयस्य तत्सामर्थ्याक्षिप्तस्य चार्थस्य, अभिधेयान्तरविलक्षणतया, अत्यन्तविलक्षणे ये प्रतीती तयोरशक्यनिन्द्वयो निमित्तनिमित्तिभाव इति स्फुटमेव तत्र पौर्वापर्यम् । यथा प्रथमोद्योते प्रतीयमानार्थसिद्धचर्थमुदाहृतासु गाथासु । तथानिधे च चिपये वाच्यव्यङ्ग्ययोरत्यन्तविलक्षणत्वाद् यैव एकस्य प्रतीतिः सैवेतरस्येति न शक्यते वक्तुम् ।

शब्दशक्तिमूलानुराणरूपव्यङ्ग्ये तु ध्वनौ :—

“गावो व पावनाना परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु ।”

इत्यादावर्थद्वयप्रतीतौ शाब्द्यामर्थद्वयस्योपमानोपमेयभावप्रतीति-

कहीं [संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के भेदों में वाच्य और व्यङ्ग्य का क्रम] दिखाई देता ही है । [संलक्ष्यक्रम और असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य दोनों में व्यङ्ग्यता समान होने पर भी एक जगह क्रम प्रतीत होता है और दूसरी जगह नहीं, इस भेद का क्या कारण है, इस आशङ्का से आगे कहते हैं] जैसे अनुराणरूप [संलक्ष्य क्रम] व्यङ्ग्य की प्रतीतियों में । यहां भी कैसे प्रतीत होता है यह प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि [संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के शब्दशक्युत्थ और अर्थशक्युत्थ दो मुख्य भेद हैं उन दोनों में क्रम लक्षित होता है यह प्रतिपादन करते हैं] अर्थशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि में अभिधेय [अर्थात् वाच्यार्थ] और उसकी सामर्थ्य से आक्षिप्त [अर्थात् व्यङ्ग्य] अर्थ के, अन्य वाच्यार्थों से विलक्षण होने से यह दोनों जो अत्यन्त विलक्षण [वाच्य और व्यङ्ग्य रूप] प्रतीतियां हैं । उनके कार्य कारण भाव को द्विपाया नहीं जा सकता है, इसलिए उनमें पौर्वापर्य [क्रम] स्पष्ट ही है । जैसे प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि के लिए उदाहृत [भ्रम धार्मिक इत्यादि] गाथाओं में । ऐसे स्थलों में वाच्य और व्यङ्ग्य के अत्यन्त भिन्न होने से जो एक [वाच्य या व्यङ्ग्य] की प्रतीति है वही दूसरे [व्यङ्ग्य या वाच्य को] प्रतीति है यह नहीं कहा जा सकता है । [अतएव अर्थशक्तिमूल संलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्य ध्वनि में क्रम ध्वरय ही मानना होगा] ।

[संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के दूसरे भेद] शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य

रूपमवाचकपदविरहे सति, अर्थसामर्थ्यादाक्षिप्तेति, तत्रापि 'सुलक्ष्मभि-
धेयव्यङ्ग्यालङ्कारप्रतीत्योः पौर्वापर्यम् ।

पदप्रकाशशब्दशक्तिमूलानुरणरप्यङ्ग्येऽपि ध्वनौ विशेषण-
पदस्योभयार्थसंबन्धयोग्यस्य योजक पदमन्तरेण योजनमशाब्दमप्यर्थाद-
वस्थितमित्यत्रापि पूर्ववदभिधेयतन्मामर्थ्याक्षिप्तालङ्कारमात्रप्रतीत्योः
सुस्थितमेव पौर्वापर्यम् । आर्थ्यपि च प्रतिपत्तिस्तथाविधे विषये उभयार्थ-
सम्बन्धयोग्यशब्दसामर्थ्यप्रसाधितेति शब्दशक्तिमूला कल्प्यते ।

ध्वनि में "गारो व पात्रनानां परमपरिमिता प्रीतिमुत्पाद्यन्तु" इत्यादि [वृष्ट
१७४ पर उदाहरण] उदाहरण में, शब्दतः दो अर्थों की [शब्दो] प्रतीति होने
पर भी, उस अर्थद्वय के उपमानोपमेय भाव की प्रतीति उपमावाचक पद के
अभाव में अर्थसामर्थ्य से व्यङ्ग्य ही होती है । इसलिये वहाँ भी अभिधेय
[वाच्य] और व्यङ्ग्य [उपमा] अलङ्कार की प्रतीति में पौर्वापर्य [क्रम] स्पष्ट
दिखाई देता] है ।

[संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के शब्दशक्तिमूल प्रभेद के अन्तर्गत वाच्य-
प्रकाशके 'गारो वः' इत्यादि उदाहरण में वाच्य और व्यङ्ग्य का क्रम स्पष्ट
होने के अतिरिक्त] पद प्रकारके शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि में
भी [जिसका उदाहरण 'प्रातु' धनैरधिजनस्य वान्द्या, वैधन एषो यदि नाम
नास्मि । पयि प्रसन्नाम्बुधरस्तदागः, वृषोऽभवा किञ्च जइ- कृतोऽहम् ।" वृष्ट
२१० पर दिया जा चुका है उसमें] दोनों अर्थों [रूप और अहम्] के साथ सम्बन्ध
योग्य विशेषण [जइ] को, जोड़ने वाले शब्द के बिना भी [दोनों ओर]
योजना अशाब्द होते हुए भी अर्थशक्ति से निश्चित होती है । इसलिये वहाँ भी
पूर्व [अर्थात् वाच्यगत शब्दशक्तिमूल के उदाहरण 'गारो वः'] के समान वाच्य
अर्थ [वहाँ जइके का दोनों ओर अव्यय होने से दीपनालङ्कार वाच्य है ।
'अत्राभिधेपालङ्कारो दीपकम् जइस्योभयत्रान्वयान् । तन्मामर्थ्याक्षिप्ता घोपमा]
और उसही सामर्थ्य से आक्षिप्त अलङ्कार की प्रतीतियों में पौर्वापर्य [क्रम]
निश्चित ही है । ऐसे स्थलों पर [व्यङ्ग्य अलङ्कारादि को] प्रतीति अर्थात् होने
पर भी दोनों ओर सम्बन्ध के योग्य शब्द की सामर्थ्य से उत्पन्न होना है
इसलिये शब्दशक्तिमूला मानी जाती है ।

१. सुमःय नि०, ही० । २. उभयार्थसम्बन्धयोग्यत्वमामर्थ्यप्रतिप्रभव-
भूतेति नि०, ही०, प्रमादिना या० प्रि० ।

अविवक्षितवाच्यस्य तु ध्वने प्रसिद्धस्त्रविषयवैमुख्यप्रतीतिपूर्वक-
मेवार्थन्तरप्रकाशनमिति नियमभावी क्रम । 'तत्रात्रिवक्षितवाच्यत्वादेव
वाच्येन सह व्यङ्ग्यस्य क्रमप्रतीतिविचारो न कृत । तस्माद्भिवाना-
भिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योर्निमित्तनिमित्तिभावान्नियमभावी
क्रम । स तूक्तयुक्त्या क्वचित्प्रलक्ष्यते क्वचिन्नलक्ष्यते ।

यहां निर्णय सागरीय सस्करण में 'शब्दसामर्थ्यप्रतिप्रसवभूता' और
वनारस के सस्करण में 'प्रसाविता' पाठ है । इनमें निर्णयसागरीय सस्करण में
'प्रति' शब्द अधिक जान पड़ता है । उससे तो अर्थ भी उल्टा हो जाता है । 'प्रसव'
का अर्थ उत्पत्ति और 'प्रति प्रसव' का अर्थ प्रलय होता है । इसलिए 'प्रतिप्रसव'
पाठ तो असङ्गत है । उससे तो प्रसवभूता पाठ ठीक हो सकता है । वाराणसीय
पाठ में 'प्रसूता' की जगह शिजन्त 'प्रसाविता' प्रयोग भी सुसङ्गत नहा है । परन्तु
'प्रतिप्रसवभूता' जैसा असङ्गत भा नहा है । 'प्रसाविता' पाठ उन दोनों से अच्छा
है अतः यहां मूल में उसी पाठ को स्थान दिया है ।

इस प्रकार विवक्षिता-पर वाच्य ध्वनि के सलक्षणम-यङ्ग्य भेद के
अयान्तर भेद शब्दशक्तिमूल तथा अर्थशक्तिमूल दोनों में क्रम सलक्षित होता है
और असलक्ष्यक्रम रसादि में नहीं यह दिखा चुके । अथ अविवक्षित वाच्य
[लक्षणांमूल] ध्वनि में भी क्रम सलक्षित होता है यह दिखाते हैं —

अविवक्षित वाच्यध्वनि [के अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के उदाहरण
'निश्वासान्ध इवादर्श' और अधान्तर संक्रमित वाच्य के 'रामाऽस्मि सर्वे सहे'
उदाहरण पहिले दिए जा चुके हैं उन] में अपने प्रसिद्ध अर्थ का प्रतीति से
विमुख होकर ही अधान्तर का प्रकाशन होता है अतएव क्रम अवरयभावी है ।
परन्तु वाच्य के अविवक्षित होने से ही वाच्य के साथ व्यङ्ग्य के क्रम की प्रतीति
का विचार नहीं किया गया है । इसलिये वाच्य और वाच्य [शब्द और अर्थ
की प्रतीतियों के समान वाच्य और व्यङ्ग्य की प्रतीतियों में कारण कार्य भाग
होने से क्रम अवरयभावी है । [किन्तु] उक्त प्रकार से वह [क्रम] कहीं लक्षित
होता है और कहीं [अर्थलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि में] सलक्षित नहीं
होता है ।

इस उद्योत के प्रारम्भ में "एव व्यङ्ग्यमुग्धनेन ध्वनेः प्रदर्शित सप्रभेदे

तदेवं व्यञ्जकमुखेन ध्वनिप्रकारेषु निरूपितेषु कश्चिद् ब्रूयात्, किमिदं व्यञ्जकत्वं नाम ? व्यङ्ग्यार्थप्रकाशनम् ? न हि व्यञ्जकत्वं व्यङ्ग्यत्वं चार्थस्य^१ । व्यञ्जकसिद्धयधीन व्यङ्ग्यत्वं, व्यङ्ग्यापेक्षया च व्यञ्जकत्वसिद्धिरित्यन्योन्यसंश्रयादव्यवस्थानम् ।

ननु वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यङ्ग्यस्य सिद्धिः प्रागेव प्रतिपादिता । तत्सिद्धयधीना च व्यञ्जकत्वसिद्धिरिति कः पर्यनुयोगावसरः ?

सत्यमेवैतत् । प्रागुक्तयुक्तिभिर्वाच्यव्यतिरिक्तस्य वस्तुन सिद्धि कृता, स त्वर्थो व्यङ्ग्यतयैव कस्माद् व्यपदिश्यते ? यत्र च प्राधान्येनावस्थानं तत्र वाच्यतयैवासौ व्यपदेष्टुं युक्तः । तत्परत्वाद् वाक्यस्य^२ ।

स्वरूपे, पुनर्व्यञ्जकमुखेन प्रकाश्यते” यह प्रतिज्ञा की थी तदनुसार यहाँ तक व्यञ्जक मुख से ध्वनि प्रभेदों का निरूपण किया । अब उपसहार करते हुए प्रथम उद्योत में समर्थित व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव को ‘स्थूणानिखनन न्याय’ से दृढ करने के लिए फिर पूर्वपक्ष करते हैं ।

[पूर्वपक्ष] इस प्रकार व्यञ्जक की दृष्टि से ध्वनि के भेदों का निरूपण करने पर कोई [भाट्ट, प्रभाकर अथवा वैयाकरण] कह सकता है कि, यह व्यञ्जकत्व क्या पदार्थ है ? व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकाशन [करना ही व्यञ्जकत्व है] ? [सो ठीक नहीं है क्योंकि] अर्थ का व्यञ्जकत्व अथवा व्यङ्ग्यत्व [सिद्ध] नहीं हो सकता । व्यञ्जक का सिद्धि के अधीन व्यङ्ग्य की और व्यङ्ग्य की दृष्टि से व्यञ्जक की सिद्धि [हो सकती] है इसलिए अन्योन्याश्रय होने से [दोनों ही] सिद्ध नहीं हो सकते हैं ।

[व्यञ्जकत्व वादी उत्तर पक्ष] वाच्य से अतिरिक्त व्यङ्ग्य की सिद्धि पहले ही [प्रथम उद्योत में] प्रतिपादित कर चुके हैं । उसकी सिद्धि के द्वारा व्यञ्जक की सिद्धि हो जायगी इस प्रकार प्रश्न करने [पर्यनुयोग] का कौन सा [अर्थान् कोई नहीं] अवसर है ?

[व्यञ्जकत्व प्रतिषेधक मीमांसक आदि का पूर्वपक्ष] ठीक है, पहिले कही हुई युक्तियों से वाच्य से भिन्न अर्थ की सिद्धि [चाप प्रथम उद्योत में] कर चुके हैं । [परन्तु प्रश्न यह है कि] उस अर्थ को व्यङ्ग्य ही

अतश्च तत्प्रकाशिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापारः, किन्तस्य व्यापारान्तरकल्पनया ? तस्मात् तात्पर्यविषयो योऽर्थः स तावन्मुख्यतया वाच्यः । या त्वन्तरा तथाविधे निषये वाच्यान्तरप्रतीतिः सा तत्प्रतीतेरुपायमात्रं, पदार्थप्रतीतिरिव वाक्यार्थप्रतीतिः ।

क्यों कहते हैं ? [वाच्य क्यों नहीं कहते या फिर वाच्य को भी व्यङ्ग्य क्यों नहीं कहते ? अर्थात् वह दोनों अर्थ समान ही हैं] जहां [वह अर्थ] प्रधान रूप से स्थित है वहां उसको वाच्य कहना ही उचित है क्योंकि वाक्य मुख्यतः उसी का प्रतिपादन करता है । इसीलिए उस [अर्थ] के प्रकाशक वाक्य का [उस अर्थ के बोधन में] अभिधा [वाचकत्व] व्यापार ही होता है । [तथ] उसके [व्यङ्ग्यत्व नामक] अलग व्यापार की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है । इसलिए [वाक्य का] तात्पर्य विषयीभूत जो अर्थ है वह मुख्यार्थ होने से वाच्य अर्थ है । और इस प्रकार के स्थलों में बीच में जो दूसरे वाक्यार्थ की प्रतीति होती है वह उस [मुख्य] प्रतीति का उपायमात्र है । जैसे पदार्थ प्रतीति, वाक्यार्थ प्रतीति की [उपाय मात्र होती है] ।

यहा कुमारिल भट्ट, तथा वैयाकरण—आदि की श्रौर से यह सामान्य पूर्वपक्ष किया जा सकता है । इस विषय में 'श्लोक वार्तिक' के 'वाक्याधिकरण' में दी हुई निम्न कारिका में 'भट्ट मत' इस प्रकार दिखाया है—

'वाक्यार्थमितये तेषा प्रवृत्तौ नान्तरीयकम् ।

पाके ज्ञालेव काष्ठाना पदार्थप्रतिपादनम्' ॥

पाक के लिए इन्धन के ज्वाला रूप अवान्तर व्यापार के समान वाक्यार्थ बोध के लिए शब्दों का पदार्थ प्रतिपादन रूप अवान्तर व्यापार भान्तरीयक उपाय-मात्र है । अर्थात् शब्दों से उपस्थित होने वाले पदार्थों से, तात्पर्य रूप से जिस अर्थ का प्रतिपादन होता है वही वाक्यार्थ है और वह वाच्य ही है । प्रभाकर के मत में भी पदार्थ और वाक्यार्थ में 'निमित्तनिमित्तिभाव' है । और "सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरो अभिधा व्यापारः" के सिद्धान्त के अनुसार एक ही अभिधा व्यापार से वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों अर्थों की प्रतीति हो जाती है । विशेष बात यह है कि प्रभाकर 'अन्विताभिधानादी' हैं इसलिए उनके मत में पदार्थ और वाक्यार्थ का निमित्तनिमित्तिभाव केवल उत्पत्ति की दृष्टि से ही है प्रतीति की दृष्टि से तो प्रथम वाक्यार्थ की ही प्रतीति होती है पदार्थ की नहीं । क्योंकि उनके अन्विता-

अत्रोच्यते—यत्र शब्दः स्वार्थमभिधानोऽर्थान्तरमवगमयति तत्र यत्तस्य स्वार्थाभिधायित्वं यच्च तदर्थान्तरावगमहेतुत्वं तयोरविशेषो विशेषो वा ? न तावदविशेषः । यत्मात्तौ द्वौ व्यापारौ भिन्नविषयौ भिन्नरूपौ च प्रतीयेते एव । तथाहि वाचकत्वलक्षणो व्यापारः शब्दस्य स्वार्थविषयः, गमकत्वलक्षणस्तु अर्थान्तरविषयः । १ न च स्वपरव्यवहारो वान्यव्यङ्ग्ययोरपहोतुं शक्यः । एकस्य सम्बन्धित्वेन प्रतीतेरपरस्य सम्बन्धिसम्बन्धित्वेन । वाच्यो ह्यर्थः साक्षाच्छब्दस्य सम्बन्धी, तदितरस्त्वभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तः सम्बन्धिसम्बन्धी । यदि च स्वसम्बन्धित्वं साक्षात्तस्य स्यात् तदर्थान्तरव्यवहार एव न स्यात् । तस्मात् विषयभेदस्तावत् तयोर्व्यापारयोः सुप्रसिद्धः ।

भिधानवाद' की सङ्गति इसी में लग सकती है । प्रमाकर जिस प्रकार उत्पत्ति में पदार्थ और वाक्यार्थ का कारणकार्यभाव मानते हैं इसी प्रकार वैयाकरण भी मानते हैं । परन्तु प्रमाकर मत का कार्यकारणभाव पारमार्थिक है और 'स्फोटवादी' वैयाकरण के यहाँ वह अपारमार्थिक है । इस प्रकार इन तीनों मतों की ओर से यह व्यङ्गकत्व विरोधी मामान्य पूर्वपक्ष किया जा सकता है । आगे इसका उत्तर देते हैं ।

[सिद्धान्त पक्ष]—इस [पूर्वपक्ष के होने] पर यह [सिद्धान्तपक्ष] कहते हैं । जहाँ शब्द अपने अर्थ को अभिधा से बोधन करके, दूसरे अर्थ का बोध कराता है, वहाँ उस [शब्द] का जो स्वार्थ का अभिधान करना और परार्थ का बोध कराना है, उन दोनों में अभेद है अथवा भेद ? अभेद तो [यह] कह नहीं सकते हैं । क्योंकि वह दोनों व्यापार विभिन्न विषयक और भिन्न रूप [अलग ही] प्रतीत होते ही हैं । जैसे कि शब्द का 'वाचकत्व' रूप व्यापार अपने अर्थ के विषय में और गमकत्व रूप व्यापार दूसरे अर्थ के विषय में होता है । वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थ के विषय में [शब्द के] स्व और पर [अर्थ विषयक] व्यवहार को द्विपाया नहीं जा सकता है । [क्योंकि] एक [वाच्यार्थ] की [शब्द के साथ साक्षात्] सम्बन्धिय रूप से प्रतीति होती है और दूसरे की [शब्द के] सम्बन्धी [अर्थ] के सम्बन्धी [परम्परा सम्बन्धित] रूप से प्रतीति होती है । वाच्यार्थ साक्षात् शब्द का सम्बन्धी है और उससे भिन्न

१. यत् स्वपरव्यवहारो वाच्यगम्ययोरपहोतुमशक्यो बो०, तत् स्वपरव्यवहारो वाच्यगम्ययोरपहोतुमशक्य नि० ।

रूपभेदोऽपि प्रसिद्ध एव । नहि यैवाभिधानशक्तिः सैवावगमन-
शक्तिः । अवाचकस्यापि गीतशब्दादे रसादिलक्षणार्थावगमदर्शनात् ।
अशब्दस्यापि चेष्टादेरर्थविशेषप्रकाशनप्रसिद्धेः । तथाहि “व्रीडायोगान्न-
तवदनया” इत्यादि श्लोके चेष्टाविशेषः सुकविनार्थप्रकाशनहेतुः प्रदर्शित
एव । तस्माद् भिन्नविषयत्वाद् भिन्नरूपत्वाच्च स्वार्थाभिधायित्व-
मथान्तरावगमहेतुत्वं च शब्दस्य यत्, तयोः स्पष्ट एव भेदः ।

विशेषश्चेत्, न तर्हीदानीमवगमनस्य^१, अभिधेयसामर्थ्यात्पित-

दूसरा अर्थ तो वाच्यार्थ की सामर्थ्य से आक्षिप्त सम्बन्धि सम्बन्धी [परम्परया
शब्द से सम्बद्ध] है । यदि उस [वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ] का [शब्द के साथ]
साक्षात् स्वसम्बन्धित्व [शब्दसम्बन्धित्व] हो तो उसमें [अर्थान्तर,
वाच्यार्थ से भिन्न] दूसरा अर्थ , यह व्यवहार ही न हो । इसलिये [स्वार्थ
विषय में वाच्य व्यवहार और परार्थ विषय में व्यङ्ग्य व्यवहार होने से] उन
दोनों व्यापारों का विषय भेद प्रसिद्ध ही है ।

[वाच्य और व्यङ्ग्य का स्वरूप भेद भी प्रसिद्ध ही है ।] जो [शब्द की]
अभिधान [वाचक] शक्ति है वही अवगमन [व्यञ्जक] शक्ति नहीं है । क्योंकि
जो गीत आदि के शब्द वाचक नहीं [अभिधा शक्ति से रहित] हैं उनमें भी
रसादि रूप अर्थ की अवगति होती है । और [न केवल अभिधा रहित अपितु]
शब्द प्रयोग रहित केवल चेष्टादि से भी अर्थविशेष का प्रकाशन प्रसिद्ध है । जैसे
“व्रीडायोगान्नतवदनया” [श्लोक २२७] इत्यादि श्लोक में सुकवि ने चेष्टा विशेष
को अर्थप्रकाशन का हेतु दिखाया ही है । इसलिये भिन्न विषय और भिन्न
स्वरूप होने से शब्द के जो ‘अर्थाभिधायित्व’ और ‘अर्थान्तरावगमहेतुत्व’ है उनका
भेद स्पष्ट ही है । [इसलिये शब्द के स्वार्थाभिधायित्व और अर्थान्तरावगमहेतुत्व
को अविशेष अभिन्न नहीं मान सकते हैं । इस प्रकार अविशेष पक्ष गण्डित हो
जाता है । दूसरा पक्ष विशेष का था । उसके सम्बन्ध में आगे कहते हैं] ।

[स्वार्थाभिधायित्व तथा परार्थावगमहेतुत्व रूप शब्द धर्म में] यदि
विशेष [भेद] है तो फिर अवगमन रूप, अभिधेय सामर्थ्य से आक्षिप्त दूसरे
अर्थ की वाच्य नाम से कहना उचित नहीं है । [उस वाच्यसामर्थ्यात्पित] अर्थ
का शब्दव्यापार का विषय होना तो हमें अभिमत ही है । परन्तु व्यङ्ग्य रूप से

स्वार्थान्तरस्य वाच्यत्वव्यपदेश्यता । शब्दव्यापारगोचरत्वं तु तस्यास्माभिरिष्यत एव, तत्तु व्यङ्ग्यत्वेनैव, न वाच्यत्वेन । प्रसिद्धाभिधानान्तरसम्बन्धयोग्यत्वेन च तस्वार्थान्तरस्य प्रतीति शब्दान्तरेण स्वार्थाभिधाना यद्विषयीकरणं तत्र प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता ।

न कि वाच्य रूप से । क्योंकि उस दूसरे [वाच्य व्यतिरिक्त] अर्थ की प्रतीति [जिस व्यञ्जक अवाचक शब्द से इस समय उसका बोध कराया गया है उस से भिन्न, अन्य] प्रसिद्ध वाचक शब्द के सम्बन्ध से भी हो सकती है । इसलिए [जिसी अर्थ को अपने वाचक शब्द से न कह कर] अभिधा शक्ति से अपने दूसरे अर्थ के वाचक [किसी] दूसरे शब्द द्वारा जो बोध का विषय बनाना है उसके लिए 'प्रकाशन' कहना ही उचित है [वाच्य या वाचक आदि कहना उचित नहीं है । इसलिए व्यङ्ग्य और व्यञ्जक शब्द का प्रयोग ही ही है] ।

अभी ऊपर पृष्ठ ३४४ पर श्लोक वार्तिक की 'वाक्यार्थमितये' इत्यादि कारिका उद्धृत करके वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थ का पदार्थ वाक्यार्थन्याय दियेलाया था । जैसे पाक के उत्पादन में आँधों का ज्वला रूप अन्तर व्यापार होता है इसी प्रकार पदों से वाक्यार्थ बोध होने में पदार्थबोध अन्तर व्यापार मात्र है । इस मत का समर्थन करते हैं ।

समर्थन में पहिली बात तो यह है कि कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, तथा वैयाकरण आदि की ओर से यह सामान्य पूर्वपक्ष किया गया था । उनमें से 'श्लोवादी' वैयाकरण तो इस पद पदार्थ और वाक्यार्थ विभाग को ही असत्य अकारमाधिक मानते हैं —

पदे न वणः विद्यन्ते वर्णव्ययना न च ।

वाक्यात् पदानामप्यत प्रविशेकी न कथन ॥ वे० भू० ।

यह सब पद पदार्थ कल्पना असत्य है फल वाक्यों के सिद्धांत के लिए ही उसका उपयोग है । असत्य 'श्लो' ही सत्य है । इसलिये वैयाकरण मत में 'पदार्थ वाक्यार्थ न्याय' नहीं बन सकता है । जो कुमारिल भट्ट आदि इस पद पदार्थ आदि व्यवहार को असत्य नहीं मानते हैं उनका मत में भी पद और उसके उत्पादन अथवा समवायिकरण का न्याय यदा स्तू रोगा । पद के उत्पादन कारण से समवायिकरण बनल है । अब पद बन जाता है तब उसके उत्पादन या समवायिकरण

न च पदार्थवाक्यार्थन्यायो वाच्यव्यङ्ग्ययोः । यतः पदार्थप्रतीति-
रसत्यैवेति' कैरिचद् विद्वद्भिरास्थितम् । यैरप्यसत्यत्वमस्या नाभ्युपेयते
तैर्वाग्यार्थपदार्थयोर्वदतदुपादानकारणन्यायोऽभ्युपगन्तव्यः । यथा हि घटे
निष्पन्ने तदुपादानकारणानां न पृथगुपलम्भस्तथैव वाक्ये तदर्थे वा
प्रतीते पदतदर्थान्ताम् । तेषां तदा विभक्तनयोपलम्भे वाक्यार्थबुद्धिरेव
दूरीभवेत् । न त्वेष वाच्यव्यङ्ग्ययोन्यायः । न हि व्यङ्ग्ये प्रतीयमाने
वाच्यबुद्धिदूरीभवति । वाच्यावभासाविनाभावेन तस्य प्रकाशनात् ।
तस्माद् घटप्रदीपन्यायस्तयोः । यथैव हि प्रदीपद्वारेण घटप्रतीताबुत्पन्नायां
न प्रदीपप्रकाशो निवर्तते तद्वद् व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यावभासः । यत्तु
प्रथमोद्योते "यथा पदार्थद्वारेण" इत्याद्युक्तं तदुपात्त्वमात्रात् साम्य-
विवक्षया ।

३५०

कपाल अलग प्रतीत नहीं होते । इसी प्रकार वाक्य बन जाने पर पदों की, और
वाक्यार्थ प्रतीति में पदार्थों की प्रतीति अलग नहीं होगी । यह भी अभीष्ट नहीं है
इसलिये भट्ट, नैयायिक, प्रभाकर आदिक मत में भी 'पदार्थ वाक्यार्थ न्याय' नहीं
बन सकता है । बौद्ध दर्शन क्षणभङ्गवादी दर्शन है । उसमें पदों का अस्तित्व ही
नहीं बनता है । और सांख्य सिद्धान्त में भी वाक्यार्थप्रतीति काल में पदार्थ तिरोहित
हो जाते हैं । इस प्रकार किसी दार्शनिक मत में 'पदार्थ वाक्यार्थ' न्याय नहीं बन
सकता है यह बात कहते हैं ।

वाच्य और व्यङ्ग्य का पदार्थ वाक्यार्थ न्याय भी नहीं है । क्योंकि बुद्ध-
विद्वान् [वैयाकरण] पदार्थ प्रतीति को असत्य ही मानते हैं । जो [भट्ट,
नैयायिक आदि] इसको असत्य नहीं मानते हैं उनकी वाक्यार्थ तथा पदार्थ में
घट और उसके उपादान [समवायिकारण] का न्याय मानना होगा । जैसे घट
के बन जाने पर उसके उपादान कारणों [समवायिकारण कपालों] की अलग
प्रतीति नहीं होती इसी प्रकार वाक्य अथवा वाक्यार्थ की प्रतीति होने पर [ममताः]
पद और पदार्थ की अलग प्रतीति नहीं होती । [तब पदार्थ वाक्यार्थ न्याय कैसे
बनेगा] उस समय [वाक्य प्रतीतिकाल में पदों और वाक्यार्थ प्रतीतिकाल में
पदार्थों की] उनकी पृथक् रूप से प्रतीति मानने पर वाक्यार्थ बुद्धि ही नहीं
रहेगी । [क्योंकि एक संपूर्ण अर्थ को बोधन करने वाले पद समुदाय को ही

नन्वेवं युगपदर्थद्वययोगित्वं वाक्यस्य 'प्राप्तं, तद्भावे च तस्य वाक्यतेव विघटते । तस्या ऐकार्थ्यलक्षणत्वात् ।

वाक्य कहते हैं । 'अर्थैकत्वादेकं वाक्यं' इत्यादि जैमिनीय सूत्र के अनुसार अर्थ का एकत्व होने पर ही वाक्यत्व होता है । इमल्लिप् पदार्थ और वाक्यार्थ की अलग प्रतीति नहीं मानी जा सकती है । और जब अलग प्रतीति नहीं होती है तब 'पदार्थ वाक्यार्थ' न्याय भी नहीं बन सकता है] वाक्य और व्यङ्ग्य में यह बात नहीं है । व्यङ्ग्य की प्रतीति होने पर वाक्य उठि दूर हो जाय गो नहीं है । व्यङ्ग्य प्रतीति वाक्य प्रतीति को अग्निनाभाग्निनी [वाक्य प्रतीति के बिना व्यङ्ग्य प्रतीति हो नहीं सकती है] रूप में प्रकाशित होती है । इसलिये उन दोनों [वाक्य और व्यङ्ग्य प्रतीतियों] में प्रदीप घट न्याय लागू होता है । [अर्थान्] जैसे प्रदीप द्वारा घट की प्रतीति हो जाने पर भी प्रदीप की प्रतीति नष्ट नहीं हो जाती [वह भी होती रहती है] इसी प्रकार व्यङ्ग्य की प्रतीति हो जाने पर भी वाक्य की प्रतीति होती रहती है । [यहां प्रश्न यह होता है कि "यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते । वाक्यार्थपूर्विहा तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुन ।" प्रथम उद्योत की इस दूसरी कारिका से वाक्य और व्यङ्ग्य में पदार्थ-वाक्यार्थ न्याय आपके मत से भी प्रतीत होता है । फिर यहा उन्मो का परण्डन कैसे किया है । इसका समाधान करते हैं] प्रथम उद्योत में जो 'यथा पदार्थद्वारेण' इत्यादि कहा है वह केवल [जैसे पदार्थ बोध, वाक्यार्थ बोध का उपाय होता है इसी प्रकार वाक्यार्थ बोध व्यङ्ग्यार्थ प्रतीति का उपाय होता है इस] उपायत्व रूप साक्ष्य को कथन करने की इच्छा में ही जिया था ।

यह 'पदार्थ-वाक्यार्थ-न्याय' का पूर्वोक्त तात्पर्योक्ति से व्यङ्ग्यबोध के निराकरण के अभिप्राय से उठाया है । इसका पूर्व अभिधा शक्ति से व्यङ्ग्य अर्थ के बोध का निराकरण किया था । पदार्थ से वाक्यार्थ बोध तात्पर्योक्ति से होता है उसके निराकरण के लिए इस पक्ष को उठाकर निम्नरूप किया है । अतः इस 'पदार्थ वाक्यार्थ न्याय' बाने पूर्वोक्त में से तात्पर्योक्ति को न मनने बने, 'अन्वित-भिधानवादी' का सम्बन्ध केवल उन्मोति की दृष्टि में सम्भन्ता चरित्र ।

[प्रश्न—पूर्वोक्त यदि घट प्रदीप-न्याय में वाक्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ दोनों की प्रतीति मानेंगे तो] इस प्रकार वाक्य के एक साथ दो अर्थ होर लगेगे और वेगा होने पर उमका वाक्यत्व ही नहीं रहेगा क्योंकि एकार्थ ही एक [वाक्य] का अर्थ है ।

नैष दोषः । गुणप्रधानभावेन तयोर्व्यवस्थानात् । व्यङ्ग्यस्य हि क्वचित् प्राधान्यं वाच्यस्योपसर्जनभावः । क्वचिद्व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुणभावः । तत्र व्यङ्ग्यप्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तमेव । वाच्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं निर्देह्यते । तस्मात् स्थितमेतत् व्यङ्ग्यपरत्वेऽपि काव्यस्य न व्यङ्ग्यस्याभिधेयत्वमपितु व्यङ्ग्यत्वमेव ।

किञ्च व्यङ्ग्यस्य प्राधान्येनाविवक्षाया वाच्यत्वं तावद् भवद्भिर्नाभ्युपगन्तव्यमतत्परत्वान्प्रवृत्तस्य । तदस्ति तावद् व्यङ्ग्य शब्दानां कश्चिद् विषय इति । यत्रापि तस्य प्राधान्यं तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमपह्नूयते । एवं तावद् वाचकत्वादन्यदेव व्यञ्जकत्वम् ।

इतश्च वाचकत्वाद् व्यञ्जकत्वस्यान्यत्वं, यद्वाचकत्वं शब्दैकाश्रय-

[उत्तर] यह दोष नहीं आता है क्योंकि उन [वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ] की गुण और प्रधान रूप से व्यवस्था है । कहीं व्यङ्ग्य का प्राधान्य और वाच्यार्थ उपसर्जन [गौण] रूप होता है और कहीं वाच्य अर्थ का प्राधान्य तथा व्यङ्ग्य अर्थ का गुणभाव होता है । उनमें से व्यङ्ग्य का प्राधान्य होने पर ध्वनि [काव्य] होता है यह कह ही चुके हैं । और वाच्य के प्राधान्य होने पर दूसरा प्रकार [गुणीभूतव्यङ्ग्य] होता है यह आगे कहेंगे । इसलिए यह सिद्ध हो गया कि काव्य के व्यङ्ग्य प्रधान होने पर भी व्यङ्ग्य अर्थ अभिधेय नहीं अपितु व्यङ्ग्य ही होता है ।

इसके अतिरिक्त जहां व्यङ्ग्य का प्राधान्य विरहित नहीं है वहां शब्द के तत्पर [गुणीभूत व्यङ्ग्य के प्रतिपादन परक] न होने से उस [गुणीभूत व्यङ्ग्य अर्थ] को आप वाच्यार्थ नहीं मानेंगे । उस दशा में [यह मानना ही होगा कि] शब्द का कोई व्यङ्ग्य अर्थ भी है [जो शब्द के तत्पर न होने, अर्थात् गुणीभूत होने से, वाच्य नहीं है अत व्यङ्ग्य है] और जहां उस [व्यङ्ग्य] का प्राधान्य है वहां उसके स्वरूप का निषेध किस लिए करते हैं । इस प्रकार वाचकत्व से व्यञ्जकत्व अलग ही है ।

इसलिए भी वाचकत्व से व्यञ्जकत्व भिन्न है क्योंकि वाचकत्व केवल शब्द के आश्रित रहता है और व्यञ्जकत्व शब्द और अर्थ दोनों में रहता है । [क्योंकि] शब्द और अर्थ दोनों का व्यञ्जकत्व प्रतिपादन किया जा चुका है ।

इस प्रकार यदा तदा यह सिद्ध किया कि अभिधा शक्ति और तत्पर्यो

मितरत्तु शब्दाभयमर्थाभयं च । शब्दार्थयोर्द्वयोरपि व्यञ्जकत्वस्य प्रतिपादितत्वात् ।

गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षणाया चोभयाश्रयापि भवति । किन्तु ततोऽपि व्यञ्जकत्व स्वरूपतो विषयतश्च भिद्यते । रूपभेदस्तावदयम्,

शक्ति से भिन्न व्यञ्जकत्व या ध्वनन व्यापार अलग ही है । आगे लक्षणा से उसके भेद का प्रतिपादन करते हैं ।

मुख्य वाचक से व्यञ्जक शब्द का भेद निरूपण कर के अब अमुख्यार्थक शब्द से भी व्यञ्जक का भेद दिखलाते हैं । अमुख्य शब्द व्यवहार, मुख्यार्थ वाधित होने पर सादृश्येतर सम्बन्ध से लक्षणा द्वारा, अथवा सादृश्य सम्बन्ध से उपचार द्वारा दो प्रकार से होता है । अतएव अमुख्य से भेद दिखाने में लक्षणा और गौणी वृत्ति से भेद दिखाना अभीष्ट है । अभिधा और तात्पर्याख्या वृत्ति से इसके पूर्व भेद दिखा चुके हैं । इस प्रकार अन्य सप्त वृत्तियों से व्यञ्जकत्व का भेद सिद्ध हो जाने से व्यञ्जकत्व को अलग मानना ही होगा यही ग्रन्थकार का अभिप्राय है ।

वाचकत्व से भेद दिखाने हुए जो अन्तिम युक्ति दी थी कि वाचकत्व केवल शब्दाश्रित रहता है और व्यञ्जकत्व शब्द तथा अर्थ दोनों में आश्रित रहता है । वहीं से गुणवृत्ति का सम्बन्ध जोड़ कर पूर्वपक्ष उठाते हैं कि गुणवृत्ति या लक्षणा तो शब्द और अर्थ दोनों में रहती है तब उस से व्यञ्जकत्व का क्या भेद है । उसका उत्तर यह कहते हैं कि उपचार तथा लक्षणा के शब्द तथा अर्थ उभय में आश्रित होने पर भी स्वरूपभेद तथा विषयभेद से व्यञ्जकत्व उनसे भिन्न ही है ।

ग्रन्थ की 'गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षणाया चोभयाश्रयापि भवति' इस पक्ति के अर्थ में थोड़ी भ्रान्ति हो सकती है । उसके अनुसार उभयाश्रया के अर्थ का उपचार और लक्षणा इन दोनों का ग्रहण उभय शब्द से किया जा सकता है । परन्तु वास्तव में उभय शब्द से 'शब्द' और 'अर्थ' का ग्रहण अभीष्ट है । इस लिए श्लोचनरत्न ने 'उभयाश्रयापि शब्दार्थाभया' लिख कर उसकी व्याख्या की है ।

गुणवृत्ति तो उपचार [सादृश्य मूलक अमुर्यार्थ में प्रयोग] तथा लक्षणा [सादृश्येतर सम्बन्ध से अमुर्यार्थ में प्रयोग] से दोनों [शब्द तथा अर्थ उभय] में आश्रित होती है, किन्तु उमसे भी स्वरूपभेद और विषयभेद स्वरूपभेद का भेद है । स्वरूप भेद तो यह है कि अमुर्यतया

यदमुख्यतया व्यापारो गुणवृत्तिः प्रसिद्धा । व्यञ्जकत्वं तु मुख्यतयैव शब्दस्य व्यापारः । नह्यर्थाद् व्यङ्ग्यत्रयप्रतीतिर्या तस्या अमुरयत्वं मनागपि लक्ष्यते ।

अयं चान्यः स्वरूपभेदः, यद् गुणवृत्तिरमुख्यत्वेन व्यवस्थितं वाचकत्वमेवोच्यते । व्यञ्जकत्वं तु वाचकत्वादत्यन्तं विभिन्नमेव । एतच्च प्रतिपादितम् ।

अयं चापरो रूपभेदो यद् गुणवृत्तौ यदार्थोऽर्थान्तरमुपलक्षयति, तदोपलक्षणीयार्थात्मना परिणत एवासी सम्पद्यते । यथा 'गङ्गायां घोषः' इत्यादौ । व्यञ्जकत्वमार्गे तु यदाऽर्थोऽर्थान्तरं द्योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयन्नेवासावन्यस्य प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवत् । यथा "लीला-कमलपत्राणि गणयामास पार्वती" इत्यादौ ।

[अर्थ का बोझ बनाने वाला] शब्द व्यापार गुणवृत्ति [नाम से] प्रसिद्ध है और व्यञ्जकत्व मुख्यतया [अर्थबोधक] व्यापार है । जो तीन प्रकार के [रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि तथा अलङ्कार ध्वनि] व्यङ्ग्यों की प्रतीति होती है उसका अर्थ [वाच्यार्थ] से किसी प्रकार तनिक भी अमुख्यत्व नहीं दिखाई देता है ।

और दूसरा स्वरूपभेद यह है कि अमुख्य रूप से स्थित वाचकत्व ही ही गुणवृत्ति है और व्यञ्जकत्व वाचकत्व से अत्यन्त भिन्न होता है । यह कह चुके हैं ।

और [तीसरा] रूपभेद यह है कि गुणवृत्ति में जब एक अर्थ [वाच्य शब्द] दूसरे अर्थ को लक्षणा द्वारा बोधित करता है तब [जहन्स्वार्था या लक्षण लक्षणा में] लक्षणीय अर्थ रूप में परिणत होकर ही लक्ष्यार्थ होता है । जैसे 'गङ्गाया घोष' में [गङ्गा पद अपने अर्थ को छोड़कर तट रूप में परिणत होकर ही तट अर्थ को बोधित करता है ।] व्यञ्जकत्व की पद्धति में जब अर्थ दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त करता है तब प्रदीप के समान वह अपने स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ ही अन्य अर्थ का प्रकाशक होता है । [अर्थात् जहन्स्वार्था लक्षणा में गङ्गा पद अपने मुख्य अर्थ को सर्वथा छोड़कर तटरूप अर्थान्तर

यदि च यत्रातिरस्कृतस्यप्रतीतिरर्थोऽर्थान्तर लक्षयति तत्र लक्षणाव्यवहारः क्रियते, तदेव सति लक्षणेन मुख्य शब्दव्यापार इति प्राप्तम् । यस्मात् प्रायेण^१ वाक्यानां वाच्यन्यतिरिक्ततात्पर्यनिपयार्थावभासित्वम् ।

ननु त्वत्पक्षेऽपि यदार्थो व्यङ्ग्यत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्य कीदृशो व्यापारः ?

का बोधक होता है व्यङ्ग्य शब्द अपने स्वार्थ को भी प्रकाशित करता हुआ अर्थान्तर का बोधक होता है यह तीसरा भेद है जिससे व्यङ्ग्यत्व गुणवृत्ति से अलग है ।] जैसे 'लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती' में [पहिले मुख्यार्थ का बोध होता है और उसके बाद वह वाच्यार्थ, व्यङ्ग्य लज्जा अथवा अवहिरया रूप शृङ्गाराङ्ग को अभिव्यक्त करता है] ।

[प्रश्न] लक्षणा में भी अजहत्स्वार्था अथवा उपादान लक्षणा नामक एक ऐसा भेद भी होता है कि जिस में शब्द अपने मुख्यार्थ का तिरस्कार या परित्याग किए बिना ही अर्थान्तर का बोधक होता है । इसलिए जहत्स्वार्था अथवा उस पर आश्रित 'अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य' ध्वनि में गुणवृत्ति और व्यङ्ग्यत्व के स्वरूप का अभेद भले ही न हो परन्तु अजहत्स्वार्था लक्षणा और उस पर आश्रित अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि में तो गुणवृत्ति और व्यङ्ग्यत्व अभिन्न या एक ही हैं । इस पूर्वपक्ष को उठाकर उसका रक्षण करते हैं ।—

और यदि जहां [अजहत्स्वार्था उपादान लक्षणा अथवा अर्थान्तर-संक्रमित वाच्य ध्वनि में] अर्थ, अपनी प्रतीति का परित्याग किए बिना अर्थान्तर को लक्षित करता है वहां लक्षणा व्यवहार [ही] करें तो तब फिर [अभिधा के भी स्थान पर] लक्षणा ही शब्द का मुख्य व्यापार है यह आ जाता है । क्योंकि अधिकृत वाच्य, [स्वार्थ का परित्याग किए बिना भी] वाच्य स भिन्न तात्पर्य निपयोभूत अर्थ के प्रकाशक होते हैं ।

[प्रश्न] आपके मत में भी जब अर्थ [रसादि, अलङ्कार तथा यस्तु रूप] व्यङ्ग्यत्रय का प्रकाशित करता है तब शब्द का किस प्रकार का व्यापार होता है ।

उच्यते—प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दपरशेनैवार्थस्य तथाविधं व्यञ्जकत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोगः [अस्वलद्गतित्वं, समयानुपयोगित्वं, पृथगवभासित्वञ्चेति त्रयं] कथमपह्नूयते ।

[उत्तर] प्रकरण आदि सहकृत शब्द की सामर्थ्य से ही अर्थ में उस प्रकार [वस्तु, अलङ्कार अथवा रसादि] का व्यञ्जकत्व होता है, इसलिए उसमें शब्द के उपयोग [अर्थात् अस्वलद्गतित्व, समय अर्थात् संकेतग्रह के अनुपयोगित्व और पृथगवभासित्व] को किस प्रकार द्विपाया नहीं जा सकता है ।

प्रश्नकर्ता का आशय है कि शब्द के अर्थ के बोधन में दो ही प्रकार के व्यापार हो सकते हैं एक तो मुख्य और दूसरा अमुख्य । आपके मत में जब अर्थ 'व्यक्त' होता है वहा भी शब्द का या तो मुख्य या अमुख्य इनमें से ही कोई एक व्यापार होगा । जब अर्थ के प्रकाशन में मुख्य व्यापार होता है उसी को वाचकत्व कहते हैं और जब अमुख्य व्यापार होता है उसी को गुणवृत्ति कहते हैं । इसलिए आपके अभिमत अर्थ के प्रकाशन में भी या तो वाचकत्व अथवा गुणवृत्ति इन दोनों में से ही कोई एक प्रकार का व्यापार मानना होगा । इनके अतिरिक्त व्यञ्जकत्वादि रूप और कोई तीसरा प्रकार नहीं हो सकता है ।

उत्तर का अभिप्राय यह है कि वह व्यापार तो मुख्य ही होता है परन्तु सामग्री भेद से वह वाचकत्व से अलग है । यहा प्रश्न जितना स्पष्ट है उत्तर उतना ही अस्पष्ट है । लोचनकार ने जो "मुख्य एवासौ व्यापारः सामग्री-भेदाच्च वाचकादतिरिच्यत इत्यभिप्रायेणाह उच्यते इति" लिख कर जो व्याख्या की है वह पूर्ण स्पष्ट समाधानकारक नहीं है । भेद को स्पष्ट करने के लिए गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व में मुख्यत्व, तीन प्रकार के रूपभेद प्रतिपादित किए हैं ।

१—अमुख्य व्यापार गुणवृत्ति और मुख्य व्यापार व्यञ्जकत्व है । यहा मुख्य अमुख्य का अभिप्राय अस्वलद्गतित्व और स्वलद्गतित्व से है । इसका आशय यह है कि गुणवृत्ति में स्वनद्गति अर्थात् वाधितार्थ होकर शब्द दूसरे अर्थ का बोधन होता है परन्तु व्यञ्जकत्व में स्वलद्गतित्व अथवा वाधितार्थ होना आवश्यक नहीं है । यह गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का पहिला रूप भेद है । गुणवृत्ति के अन्तर्गत उपचार और लक्षणा दोनों आ जाते हैं । लावण्यादि स्थलों पर शब्दाभित सादृश्यमूलक गौरव व्यवहार उपचार, और अर्थाभित अमुख्य व्यवहार लक्षणा रूप यह दोनों गुणवृत्ति हैं । इन दोनों में शब्द स्वलद्गति होता है और व्यञ्जना में नहीं इस कारण यह व्यञ्जकत्व से भिन्न है ।

विषयभेदोऽपि गुणवृत्तिव्यञ्जकत्वयो स्पष्ट एव । चतो व्यञ्जकत्वस्य रसादयो, अलङ्कारप्रतिशेषा, व्यङ्ग्यरूपावच्छिन्न वस्तु, चेति त्रय विषय । तत्र रसादिप्रतीतिगुणवृत्तिरिति न केनचिदुच्यते न च शक्यते वक्षुम् । व्यङ्ग्यालङ्कारप्रतीतिरपि तथैव । २ वस्तु चारत्वप्रतीतये स्वरवदानभिधेयत्वेन यन् ३ प्रतिपादयितुमिष्यते तद् व्यङ्ग्यम् । तच्च न सर्गुणवृत्तिर्विषय । प्रसिद्धचतुरो गम्भ्यामपि गौणाना शब्दाना प्रयोगदर्श-

२—गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का दूसरा भेद यह दिखाया है कि असुख्य रूप से स्थित याचकत्व ही गुणवृत्ति होता है । अर्थात् उसमें किसी न किसी रूप से सकेतग्रह का प्रयोग होता है । इसी से लक्षणा को 'अभिधापुच्छ-भूता' कहा है । परन्तु व्यञ्जकत्व में सकेतग्रह का उपयोग नहीं होता है ।

३—गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का तीसरा भेद यह दिखाया है कि गुणवृत्ति में शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ का अभेद प्रतीत होता है, और व्यञ्जकत्व में वाच्य और व्यङ्ग्य का अभेद नहीं, भेद होता है । दोनों की अलग अलग प्रतीति होती है ।

इस प्रकार इन तीन रूप से गुणवृत्ति तथा व्यञ्जकत्व का स्वरूप भेद प्रतिपादन कर प्रब विषय भेद से भी उन दोनों का भेद भी दिखाते हैं ।

गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का विषयभेद भी स्पष्ट ही है । क्योंकि व्यञ्जकत्व के विषय 'रसादि', 'अलङ्कार' और व्यङ्ग्यरूप 'वस्तु' यह तीन हैं । उनमें से रसादि की प्रतीति को कोई भी गुणवृत्ति नहीं कहता है, और न कह ही सकता है । व्यङ्ग्य अलङ्कार की प्रतीति भी ऐसी ही है । [अर्थात् उसको न कोई गुणवृत्ति कहता है और न कह सकता है ।] चारत्व की प्रतीति के लिए वाच्य भिन्न [स्वरवदानभिधेयत्वेन] रूप से जिसका प्रतिपादन इष्ट हो वह 'वस्तु' व्यङ्ग्य है । वह सब गुणवृत्ति का विषय नहीं है । क्योंकि प्रसिद्धि [अर्थात् रूढ़ि वश लावण्य आदि शब्द] और अनुरोध [अर्थात् व्यवहार के अनुरोध से 'वदति दिसिनीपत्राचयनम्' आदि में] से भी गौण शब्दों का प्रयोग देखा है । जैसा कि पहिले कह चुके हैं । और जहा [गङ्गाया घोष इत्यादि प्रयोजनवती लक्षणा में शैव्य

१ अलस्तद्वगतित्व सामयानुपयोगित्व पृथगवभासित्व चेति त्रय इतना पाठ नि०, टी० में अर्पित है । २ वस्तुचारत्वप्रतीतये वा० प्रि० । ३ प्रतिपादयितु वा० प्रि० ।

नात् । तथोक्तम् प्राक् । यदपि च 'गुणवृत्तेविषयस्तदपि च व्यञ्जकत्वानु-
प्रवेशेन । तस्माद् गुणवृत्तेरपि व्यञ्जकत्वस्यात्यन्तविलक्षणत्वम् ।
वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाश्रितत्वेन व्यवस्थानम् ।

पावनः का अतिशय] गुणवृत्ति का विषय होता भी है वहा व्यञ्जकत्व के अनुप्रवेश से [वस्तु व्यङ्ग्य गुणवृत्ति का विषय] होता है । इसलिए गुणवृत्ति से भी व्यञ्जकत्व अत्यन्त भिन्न है वाचकत्व तथा गुणवृत्ति से मिलक्षण [भिन्न] होने पर भी उन दोनों [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति] के आश्रय ही उस [व्यञ्जकत्व] की स्थिति होती है ।

इस अनुच्छेद में 'वस्तु चेति त्रय विषय.' इसके बाद निर्यायसागरीय सस्करण में 'अस्वनद्गतित्व, समयानुपयोगित्व, पृथगवभासित्व चेति त्रयम्' इतना पाठ और मिलता है । परन्तु उसकी सङ्गति यहाँ नहीं लगती है । इस स्थल पर यह पाठ अनावश्यक और असङ्गत है उसके बीच में आजाने से अगले वाक्य की पूर्व वाक्य से जो स्पष्ट सङ्गति है उसमें बाधा पड़ती है । 'अतएव यदा तो यह निश्चित रूप से प्रमाद पाठ है । 'लोचनकार' ने इसकी व्याख्या "उच्यते" के बाद और "विषयभेदोऽपि" इससे पूर्व करते हुए लिखा है । "एवमस्खलिद्गतित्वात्, कथञ्चिदपि समयानुपयोगात् पृथगभासमानत्वाच्चेति त्रिभिः प्रकारैः प्रकाशकत्वस्यैतद्विपरीतरूपत्रयायाश्च गुणवृत्तेः स्वल्पभेद व्याख्याय विषय-भेदम'याह । विषयभेदोऽपीति" । इससे प्रतीत होता है कि 'लोचनकार' दो वाक्य पहिले इस पाठ को मानते हैं । दीधितिकार ने यदा इस पाठ को रख कर उसकी व्याख्या की है । उनका यह प्रयत्न 'लोचनकार' के विपरीत भी है और सुसङ्गत भी नहीं । वाराणसीय दूसरे सस्करण में इस पाठ को वहाँ स्थान नहीं दिया गया है । यह बात भी लोचनकार की व्याख्या के प्रतिवृत्त होने से अनुचित है । अतएव लोचनकार की व्याख्या का ध्यान रखते हुए 'तत्रोपयोगः' के बाद और 'कथमवन्दूयते' से पूर्व इस पाठ को रखना चाहिए । तब 'उच्यते' से आगे वाक्य इस प्रकार बनेगा ।

"उच्यते, प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दयशेनैवार्थस्य तथाविधं व्यञ्जकत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोगः, अस्वनद्गतित्व समयानुपयोगित्वं पृथगवभासित्वं चेति त्रय कथमवन्दूयते ।

व्यञ्जकत्व हि क्वचिद् वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते, यथा विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ । क्वचित्तु गुणवृत्त्याश्रयेण यथा अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ । तदुभयाश्रयत्प्रतिपादनायैव च ध्वने प्रथमतर द्वौ प्रभेदावुपन्यस्तौ तदुभयाश्रितत्वाच्च तदेकरूपत्व तस्य न शक्यते वक्तुम् । यस्मान्न तद् वाचकत्वैकरूपमेव क्वचिल्लक्षणाश्रयेण वृत्ते न च लक्षणेकरूपमेव, अन्यत्र वाचकत्वाश्रयेण

इस प्रकार के पाठ की व्याख्या निम्न प्रकार होगी । इसके पूर्व प्रश्नकर्ता का प्रश्न यह था कि तुम्हारे अर्थात् व्यञ्जकवादी के मत में जब शब्द व्यङ्ग्य अर्थ को प्रकाशित करता है तब शब्द का व्यापार मुख्य या अमुख्य कैसा होगा । यदि मुख्य व्यापार होगा तो वाचकत्व के अन्तर्गत होगा और अमुख्य होगा तो गुणवृत्ति के अन्तर्गत होगा । इनके अतिरिक्त तीसरा कोई प्रकार समभवना है । इस प्रश्न का उत्तर 'उच्यते' से दिया है । उत्तर का आशय यह है कि प्रस्तरणादि सङ्घटन शब्द सामर्थ्य से ही अर्थ का उस प्रकार का व्यञ्जकत्व उन्ता है इसलिए व्यञ्जकत्वस्थल में शब्द के व्यापार को मानना ही होगा, साथ ही वही शब्द के अस्वलदगतित्व, समयानुपयोगित्व और पृथगवभासित्व को भी मानना होगा । इसके विपरीत लक्षणा या गुणवृत्ति में स्वलदगतित्व, समय अर्थात् सवेतग्रह का उपयोगित्व और वाच्य तथा लक्ष्य का पृथगवभासित्व प्रतीत होता है । अतएव व्यञ्जकत्व गुणवृत्ति से सवथा भिन्न है । इसलिए रसादि तथा अलङ्कार और वस्तु तीनों व्यङ्ग्य अर्थ शब्द व्यापार के विषय होने पर भी समयानुपयोगित्व अर्थात् सवेतग्रह का उपयोग न होने से वाचक स भिन्न, और अस्वलदगतातत्व के कारण लक्षणा से भिन्न, तथा पृथगवभासित्व के कारण उपचार से भिन्न व्यञ्जकत्व व्यापार के विषय होते हैं यह मानना होगा । इस प्रकार की व्याख्या करने से उस स्थल की पक्ति में उत्तर में जो अस्पष्टता आती है वह भी दूर हो जाता है । और इस पाठ की सङ्गत भा लग जाती है । इसलिए हमने इस पाठ को उचित स्थान पर कोष्ठक में दे दिया है ।

व्यञ्जकत्व कहां वाचकत्व के आश्रित रहता है जैसे विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधामूल] ध्वनि में, और कहीं गुणवृत्ति के आश्रय से नैस, अविवक्षित वाच्य [लक्षणांमूल] ध्वनि में । उस [व्यञ्जकत्व] के उभय [अर्थात् वाचक तथा गुणवृत्ति] में आश्रितत्व के प्रतिपादन के लिए ही समय पहिले ध्वनि के [अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपर वाच्य] का

व्यवधानात् । न चोभयधर्मवत्त्वेनैव तदेकैकरूपं न भवति, यावद्वाचकत्वतत्क्षणान्तिरपरहितशब्दधर्मत्वेनापि । तथाहि गीतध्वनीनामपि व्यञ्जकत्वमस्ति रमादितिपयम् । न च तेषां वाचकत्वं लक्षणा वा कथञ्चिन्नलक्ष्यते । शब्दादन्यत्रापि^१ विषये व्यञ्जकत्वस्य दर्शनाद्वाचकत्वादिशब्दधर्मप्रकारत्वमयुक्तं वक्तुम् । यदि च^२ वाचकत्व-लक्षणादीनां शब्दप्रकाराणां प्रसिद्धप्रकारचिलक्षणत्वेऽपि व्यञ्जकत्वं प्रकारत्वेन परिकल्प्यते तच्च शब्दस्यैव प्रकारत्वेन कस्मान्न परिकल्प्यते ।

भेद किए गए हैं । उभयाश्रित होने के कारण ही वह [व्यञ्जकत्व] उन [वाचकत्व और गुणवृत्ति] के साथ एक रूप [वाचकत्व या गुणवृत्ति रूप— उनसे अभिन्न] नहीं कहा जा सकता है । [अपितु उन दोनों में भिन्न है] क्योंकि कहीं [प्रनिरसितवाच्य लक्षणामूल ध्वनि में] लक्षणा के आश्रय भी रहने से वह [व्यञ्जकत्व] वाचकत्व रूप ही नहीं हो सकता है । और कहीं [विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में] वाचकत्वाश्रय भी रहने में लक्षणारूप भी नहीं हो सकता है । और न केवल उभय [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति] का धर्म होने से ही तदेकरूप [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति] नहीं होता । [अर्थात् व्यञ्जकत्व के वाचकत्व अथवा गुणवृत्ति रूप न होने का केवल उभयाश्रित होना यह एक ही कारण नहीं है अपितु चाहे यथाए हूए और भी कारण उसकी वाचकत्व तथा गुणवृत्ति से भिन्न करते हैं] अपितु वाचकत्व और लक्षणा आदि स्वप्नार से रहित [गीत आदि के] शब्दों का धर्म होने से भी [व्यञ्जकत्व, वाचकत्व तथा गुणवृत्ति में भिन्न है] । जैसे गीत की ध्वनि में भी रसादि विषयक व्यञ्जकत्व रहता है परन्तु उनमें वाचकत्व अथवा लक्षणा किसी प्रकार भी दिखाई नहीं देती । [इसके अतिरिक्त] शब्द से भिन्न [देष्टा आदि] विषय में भी व्यञ्जकत्व के पाए जान से उसे वाचकत्व आदि रूप शब्दधर्म विशेष कहना उचित नहीं है । और यदि प्रसिद्ध [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति रूप] भेदों से [पूर्वोक्त हेतुओं से] अतिरिक्त होने पर भी व्यञ्जकत्व को वाचकत्व और लक्षणा आदि शब्द धर्मों [प्रकार धर्म] का विशेष प्रकार मानना चाहते हैं तो उस [व्यञ्जकत्व] को शब्द का ही [प्रकार] विशेष भेद क्यों नहीं मान लेते । [जब प्रबलतर युक्तियों से वाचकत्व तथा गुणवृत्ति से व्यञ्जकत्व का भेद स्पष्ट सिद्ध हो गया है फिर भी चाप उस व्यञ्जकत्व को

तदेवं शाब्दे व्यवहारे त्रय. प्रकाराः; वाचकत्वं गुणवृत्ति-
व्यञ्जकत्वं च । तत्र व्यञ्जकत्वे यदा व्यङ्ग्यप्रधान्य तदा ध्वनिः,
तस्य चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्वौ प्रमेदा-
वनुक्रान्तौ प्रथमतः तौ सविस्तरं निर्णीतौ ।

वाचकत्व या गुणवृत्ति के भेदों में ही परिगणित करने का असङ्गत प्रयत्न कर रहे हैं तो उसको शब्द का एक अलग प्रकार मानने में आपको क्या आपत्ति है ।]

लोचनकार ने इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है “व्यञ्जकत्व वाचकत्व-
मिति यदि पत्रायो कल्प्यते तर्हि व्यञ्जकत्व शब्द इत्यपि पर्यायता कस्मान्न कल्प्यते,
इच्छाया अव्य इतत्वात् ।” अर्थात् यदि व्यञ्जकत्व और वाचकत्व को पर्याय
मानना चाहते हैं तो व्यञ्जकत्व और शब्द को भी पर्याय क्यों नहीं मान लेते ।
क्योंकि आपका इच्छा तो अप्रतिहत है, वह कहा रोक़ी नहीं जा सकती । इसका
भाव यह हुआ कि जैसे शब्द को व्यञ्जकत्व का पर्याय मानना युक्तिसङ्गत नहीं
है इसी प्रकार व्यञ्जकत्व को वाचकत्व का पर्याय मानना भी युक्ति विरुद्ध है । यह
व्याख्या हमें रुचिहर प्रतीत नहा होती । उसके स्थान पर ‘तच्छब्दस्यैव प्रसारत्वेन
कस्मान्न परिकल्प्यते’ का अर्थ उस व्यञ्जकत्व को शब्द का ही एक अलग प्रकार या
धर्म क्यों नहीं मान लेते अर्थात् व्यञ्जकत्व को शब्द का एक अलग धर्म मान लेना
अधिक युक्तिसङ्गत है । यह व्याख्या अधिक युक्तिसङ्गत प्रतीत होती है । इसका
भाव यह हुआ कि प्रबल युक्तियों से वाचकत्व और व्यञ्जकत्व का भेद सिद्ध हो
जाने पर भी उसे वाचकत्वरूप मानना तो अत्यन्त अनुचित है उसके बजाय उस
व्यञ्जकत्व को वाचकत्व और गुणवृत्ति आदि से भिन्न तीसरा शब्दधर्म मान लेना
अधिक युक्तिसङ्गत है । अतः उसके मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।
इसके अनुसार व्यञ्जकत्व को वाचकत्व से भिन्न सिद्ध करने वाले अनुमान वाक्य
का स्वरूप इस प्रकार बनेगा । “व्यञ्जकत्व अभिधालक्षणान्यतरत्वाच्छिन्नप्रति-
योगिताकभेदवत् शब्दवृत्तित्वे सति शब्देतरवृत्तित्वात् प्रमेयत्ववत् ।” इस अनुमान
में गौणी को लक्षणा के ही अन्तर्गत मान कर वाक्य में ‘अभिधालक्षणान्यतर-
त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्’ को साम्य रखा है । परन्तु मीमांसक के यहां गौणी
वृत्ति अलग है । उसके अनुसार अनुमान वाक्य बनाना हो तो “व्यञ्जकत्वं अभिधा-
लक्षणागौण्यन्यनमत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्” यह साम्य का रूप होगा ।

इस तरह शब्द व्यवहार के तीन प्रकार होते हैं । वाचकत्व, गुणवृत्ति

अन्यो व्रयात् । ननु विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ गुणवृत्तिता नास्तीति यदुच्यते तदुक्तम् । यस्माद् वाच्यवाचकप्रतीतिपूर्विका यत्रार्थान्तरप्रतिपत्तिस्तत्र कथं गुणवृत्तिव्यवहारः । नहि गुणवृत्तौ यदा निमित्तेन केनचिद् विषयान्तरे शब्द आरोप्यतेऽत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थो, यथा 'अग्निर्माणवक' इत्यादौ, यदा वा स्वार्थमंशेनापरित्यजस्तत्सम्बन्ध-

श्रौर व्यञ्जन्य उनमें से व्यञ्जकत्व [भेद] में जब व्यङ्ग्य का प्राशन्य होता है तब ध्वनि [काव्य] कहलाता है । और उस [ध्वनि] के अतिवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य यह दो भेद सिद्ध हुए हैं और पहिले ही उनका सविस्तर वर्णन किया जा चुका है ।

यद्यपि उपर्युक्त प्रकरण में अभिधा, लक्षणा और गौणी से भिन्न व्यञ्जन्य की सिद्धि का जा चुकी है फिर भी अतिवक्षित वाच्य अर्थात् लक्षणा मूल ध्वनि के अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य भेद में सादृश्यमूलक गौणी अथवा अजडत्स्वार्था उपादान लक्षणा और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि में जडत्स्वार्था रूप लक्षणलक्षणा से भेद को और स्पष्ट करने के लिए यह अगला पूर्वपक्ष उठाते हैं । पूर्वपक्ष का आशय यह है कि अभिधामूल अथवा विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में वाचकत्व और गुणवृत्ति से भेद स्पष्ट है परन्तु अतिवक्षित वाच्य अथवा लक्षणा-मूल ध्वनि, गौणी तथा लक्षणा से भिन्न नहीं हैं ।

[पूर्वपक्ष] ध्वन्य [कोई] कह सकता है कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति नहीं होती यह जो कहते हैं सो ठीक है । क्योंकि जहां [विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में] वाच्य-वाचक [अर्थ और शब्द] की प्रतीति-पूर्वक [व्यङ्ग्य रूप] अर्थान्तर की प्रतीति होती है वहां गुणवृत्ति व्यवहार हो ही कैसे सकता है । [क्योंकि वहां वाच्य और व्यङ्ग्य की अलग अलग और क्रम से प्रतीति होती है । इसलिये विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति नहीं रह सकती है । इसी प्रकार आगे कहे हेतु से गुणवृत्ति में विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि नहीं रह सकती है] गुणवृत्ति में जब किसी विशेष कारण से विषयान्तर में [उसके अवाचक] शब्द का अपने अर्थ को अत्यन्त तिरस्कृत कर आरोप [मूलक व्यवहार] किया जाता है जैसे 'अग्निर्माणवकः इत्यादि में [अग्नि शब्द का अपने अर्थ को छोड़कर तेजस्वितादि सादृश्य से बालक में आरोपित

द्वारेण विषयान्तरमात्रामिति यथा 'गङ्गाया घोष' इत्यादौ तदा विवक्षित-
वाच्यत्वमुपपद्यते । अत एव च विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ वाच्य-
वाचकयोर्द्वयोरपि स्वरूपप्रतीतिरर्थात्प्रगमन च दृश्यत इति व्यञ्जकत्व-
व्यग्रहारोयुक्त्यनुरोधी । स्वरूप प्रकाशयन्नेव परावभासको व्यञ्जक
इत्युच्यते । तथाविधे विषये वाचकत्वस्यैव व्यञ्जकत्वमिति गुणवृत्ति-
व्यग्रहारो नियमेनैव न शक्यते कर्तुम्' ।

अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिगुणवृत्ते कथं भिद्यते । तस्य प्रभेद-
द्वये गुणवृत्तिप्रभेदद्वयरूपता लक्ष्यत एव यत् २ ।

व्यवहार क्रिया जाता है तब यहाँ अयन्त तिरस्कृत वाच्य' या जहत्स्वार्था
लक्षणा तो मानी जा सन्ती है परन्तु विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि नहीं]
अथवा कुछ अर्थ में अपने अर्थ को छोड़कर [सामीप्यादि] सम्यग्ध द्वारा
[गङ्गा आदि शब्द जब] अथान्तर [तत्र आदि रूप अथ] का वाच्य करता
है जैसे 'गङ्गाया घोष' इत्यादि में । तत्र एते स्थलों पर अविवक्षित वाच्य
[लक्षणांमूल ध्वनि] हो सकता है । [परन्तु विवक्षितान्यपर वाच्य नहीं
हो सकता है । अतएव जहाँ विवक्षितान्यपर वाच्यध्वनि होता है वहाँ गुणवृत्ति न
रहने से और जहाँ गुणवृत्ति रहती है वहाँ विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि न रहने से
उन दोनों की एकविषयता नहीं हो सकती है यह कहना तो ठीक ही है]
इसीलिए विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि में वाच्य और वाचक दोनों के स्वरूप की
प्रतीति और [व्यञ्ज्य] अर्थ का ज्ञान पाया जाता है इसलिए व्यञ्जकत्व व्यवहार
युक्तिसङ्गत है । [क्योंकि] अपने रूप को प्रकाशित करते हुए [दीपकादि के
समान] पर के रूप को प्रकाशित करने वाला ही व्यञ्जक कहलाता है । ऐसे
उदाहरणों में [वाचकत्व और व्यञ्जकत्व स्पष्ट रूप से अलग अलग प्रतीत होते
हैं अतः] वाचकत्व का ही व्यञ्जकत्व रूप है इस प्रकार का गुणवृत्ति [मूलक]
व्यवहार निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है । [इसलिए विवक्षितान्यपर
वाच्य ध्वनि गुणवृत्ति रूप नहीं है यह ठीक है ।]

परन्तु अविवक्षित वाच्य [लक्षणांमूल] ध्वनि गुणवृत्ति से कैसे अलग
हो सकती है । उसके दोनों भेदों [अथान्तर सम्मिलित वाच्य तथा अयन्त

२ नि० दो० में यत् को अगले वाच्य के साथ जोड़ कर ध्वनोऽयमपि न
दोष' पाठ रखा है ।

अयमपि न दोषः । यस्माद्विचक्षितवाच्यो ध्वनिर्गुणवृत्तिमार्गा-
श्रयोऽपि भवति, न तु गुणवृत्तिरूप एव । गुणवृत्तिर्हि व्यञ्जकत्वशून्यापि
दृश्यते । व्यञ्जकत्वं च यथोक्तचारुत्वहेतुं व्यञ्ज्यं विना न व्यवतिष्ठते ।

गुणवृत्तिस्तु वान्यधर्माश्रयेण व्यङ्ग्यमात्राश्रयेण चाभेदोपचार-
रूपा सम्भवति, यथा 'तीक्ष्णत्वादग्निर्माणिक्यकः', 'आल्हादकत्वाच्चन्द्र
एवास्या मुखम्' इत्यादौ । यथा च 'प्रिये जने नास्ति पुनरुक्तम्' इत्यादौ ।

तिरस्कृत वाच्य] मे गुणवृत्ति के दोनों भेद [उपचार और लक्ष्यारूप स्पष्ट]
दिखाई देते ही हैं । [अथान्तर समर्पित वाच्य ध्वनि उपादान लक्षणा अथवा
अजहत्स्वार्था लक्षणा और अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जहत्स्वार्था अथवा
लक्ष्य लक्षणा रूप या गुणवृत्ति स्वरूप प्रतीत होती हैं । अतएव वह लक्षणा या
गुणवृत्ति से कैसे भिन्न हो सकती हैं । यह प्रश्नकर्ता का आशय है] ।

[उत्तर] यह दोष भी नहीं हो सकता है । क्योंकि अविचक्षित वाच्य
ध्वनि गुणवृत्ति लक्षणा के मार्ग का आश्रय भी लेता है किन्तु वह गुणवृत्ति
लक्षणा स्वरूप नहीं है । क्योंकि गुणवृत्ति व्यञ्जकत्व रहित भी हो सकती
[लाक्षणिक पदों में व्यङ्ग्य प्रयोजन के अभाव में भी गुणवृत्ति या केवल
रुदिमूलक लक्षणा पाई जाती है । यहाँ गुणवृत्ति है परन्तु व्यञ्जकत्व नहीं]
और व्यञ्जकत्व पूर्वोक्त चारुत्व हेतु व्यङ्ग्य के विना नहीं रहता [इसलिए गुण-
वृत्ति और अविचक्षित वाच्य ध्वनि एक नहीं है ।]

गुणवृत्ति तथा अविचक्षित वाच्य ध्वनि के भेद प्रतिपादन के लिए श्रीर
भी हेतु देते हैं ।

अभेदोपचार रूप गुणवृत्ति तो वाच्य धर्म के आश्रय से [रुद्धि
हेतुक] और व्यङ्ग्यमात्र के आश्रय से [प्रयोजनवती] हो सकती है । जैसे
तेजस्वितादि धर्मयुक्त होने से यह लड़का अग्नि है तथा आनन्ददायक होने से
इसका मुख चन्द्रमा है, इत्यादि में । और प्रिय जन में पुनरुक्ति नहीं होती,
इत्यादि में ।

ये तीन उदाहरण अभेदोपचार रूप गुणवृत्ति के दिए हैं । माणिक्य में
अग्नि का, मुख में चन्द्र का अभेदारोप मूलक उपचार व्यवहार होने से यह गौणी
के उदाहरण हैं और वाच्य धर्माश्रयेण यह उदाहरण दिए गए हैं । वाच्य धर्माश्रय
का अर्थ रुद्धि हेतुक किया गया है । परन्तु 'अग्निर्माणिक्यकः' में तेजस्वितादि
और दूसरे उदाहरण में 'आल्हादकत्वादिशय' रूप प्रयोजन व्यङ्ग्य होने से यह

यापि लक्षणा रूपा गुणवृत्तिः साप्युपलक्षणीयार्थसम्यग्धनात्राश्रयेण चारुरूपव्यङ्ग्यप्रतीतिं विनापि सम्भवत्येव, यथा 'मञ्ज्वा. क्रोशन्ति' इत्यादौ विषये ।

दोनों तो वाच्यधर्माश्रयेण के स्थान पर व्यङ्ग्यधर्माश्रयेण के उदाहरण होने चाहिए थे । इनको ग्रन्थकार ने वाच्य धर्माश्रयेण के उदाहरण रूप में कैसे प्रस्तुत किया है । यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है । इसी लिए लोचनकार ने इसकी विशेष रूप से व्याख्यान करके लिखा है कि "वाच्यविवयो यो धर्मो अभिधायापरस्तस्याश्रयेण तदुपवृ ह्यायेत्यर्थ । श्रुतार्थापत्ताविगार्थान्तरस्याभिधेयार्थोपपादन एव पर्यवसानादिति भावः" । स्वयं मूलकार ने भी उस व्यङ्ग्य प्रयोजन की आशङ्का से ही केवल 'अग्निर्माणवक' इतना उदाहरण नहा दिया है अपितु तीक्ष्णत्वादि जो व्यङ्ग्य माना जा सकता है उसकी व्यङ्ग्यता की आशङ्का को मिटाने के लिए ही उस तीक्ष्णत्वादि को भी स्वशब्द से वाच्य रूप में प्रस्तुत करते हुए 'तीक्ष्णत्वादिमिमाणवक.' यह उदाहरण दिया है । इसमें तीक्ष्णत्व धर्म शब्दत ही उपात्त है अतः वह व्यङ्ग्य नहीं हो सकता । अतः ये उदाहरण वाच्यधर्माश्रयेण ही के हैं व्यङ्ग्य धर्माश्रयेण के नहीं यह बात मूल से ही स्पष्ट हो जाती है । फिर भी यदि किसी को आग्रह हो तो उसकी दृष्टि से ही मूल में वाच्यधर्माश्रय का तासरा उदाहरण "प्रिये जने नास्ति पुनरुक्तम्" दिया है । यह उदाहरण पहिले पृष्ठ ८४ पर उदाहृत प्राकृत पद्य का छायाभाग है ।

लोचनकार का आशय यह है कि 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते' यह श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण है । देवदत्त दिन में नहीं खाता परन्तु स्थूल हो रहा है ऐसा सुनने वाला उसके रात्रिभोजन की कल्पना करता है । यहा रात्रिभोजन वाच्य न होकर अर्थापत्ति से आक्षिप्त होता है परन्तु वह केवल भ्रूयमाण पीनत्व का उपपादक मात्र होता है । चारुत्व हेतु नहा । इसी प्रकार 'अग्निर्माणवक' अथवा 'चन्द्र एव मुखम्' इत्यादि उदाहरणों में तेजस्वितादि और आह्लादकत्वादि धर्म शब्दत. उपात्त न भी हों तो भी अर्थापत्ति हो कर भी वह अग्नि और माणवक के अभेद रूप वाच्यार्थ के उपपादक मात्र होने से और चारुत्व हेतु न होने से रूढ़ि के ही उदाहरण हैं । इसलिए वाच्यधर्माश्रयेणैव के उदाहरण रूप में ये उदाहरण ठीक ही हैं । यह लोचनकार का अभिप्राय है । इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों में अभेदोपचाररूपा गुणवृत्ति का वाच्यधर्माश्रयेण प्रयोग दिखाया । अत्र लक्षणा रूपा गुणवृत्ति का वाच्यधर्माश्रयेण प्रयोग दिखाते हैं ।

और जो लक्षणा रूपा गुणवृत्ति है वह भी लक्ष्यार्थ के साथ सम्यग्ध

यत्र तु सा चारुत्वव्यङ्ग्यहेतुस्तत्रापि व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेनैव,
वाचकत्ववत् ।

असम्भ्रिना चार्थेन यत्र व्यवहारः, 'यथा सुवर्णपुष्पा पृथिवीम्'
इत्यादौ, तत्र चारुत्वरूपव्यङ्ग्यप्रतीतिरेव प्रयोजकेति तथाविधेऽपि
त्रिपये गुणवृत्तौ सत्यामपि ध्वनिन्यवहार एव युक्त्यनुरोधी । तस्माद्-

मात्र के आश्रय से, चारु व रूप व्यङ्ग्य प्रतीति के बिना भी हो सकती है । जैसे
'मञ्जा क्रोशन्ति' भवान् चिल्लाते हैं इत्यादि में ।

'मञ्जा क्रोशन्ति' में भवान् रूप अचेतन पदार्थ में चिल्लाने की सामर्थ्य न होने
से मञ्ज पद उपादान [रुटि] लक्षणा से मञ्जरथ पुरुषो का बोधक होता है । इस
प्रकार ऊपर अभेदोपचाररूपा गुणवृत्ति और 'मञ्जा क्रोशन्ति' में लक्षणा रूपा
गुणवृत्ति, व्यङ्ग्य प्रयोजन आदि के बिना रुटि से ही अन्य अर्थ का बोधन कराती
है । इसलिये व्यङ्ग्य के अभाव में भी गुणवृत्ति की स्थिति होने से अविवक्षितवाच्य
लक्षणा मूल ध्वनि के अर्थान्तरसंज्ञित वाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य दोनों
भेद गुणवृत्ति से अत्यन्त भिन्न हैं—यह सिद्ध किया । अब आगे प्रयोजनवती
लक्षणा भी अविवक्षितवाच्य लक्षणा मूल ध्वनि से भिन्न है यह प्रतिपादन
करते हैं ।

और जहाँ वह [लक्षणा] चारुत्व रूप व्यङ्ग्य की प्रतीति का हेतु
[प्रयोक्तृका] होती है वहाँ [वह, लक्षणा] भी वाचकत्व के समान व्यञ्जकत्व के
अनुप्रवेश से ही [चारुत्वरूप व्यङ्ग्य प्रतीति का हेतु] होती है ।

अभिधामूल विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व को
आप भी अलग मान चुके हैं । 'गतोऽस्तमर्ष' इत्यादि अभिधा स्थल में अभिसरण
कालादि व्यङ्ग्य की प्रतीति व्यञ्जनानुप्रवेश से ही होती है । इसी प्रकार लक्षणा
मूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि स्थल में भी यदि लक्षणा चारुत्व हेतु होती है तो
व्यञ्जना के अनुप्रवेश से ही वह चारुत्व हेतु हो सकती है, सत नहीं । इसलिये
वहाँ ध्वनि व्यवहार होता है ।

जहाँ असम्भव अर्थ [आरोपमूलक गुणवृत्ति] से व्यवहार होता है
जैसे 'सुवर्णपुष्पा पृथिवीम्' इत्यादि [१० ७८ पर उदाहरत] में, वहाँ चारुत्वरूप-
व्यङ्ग्य की प्रतीति ही उस [आरोपमूलक गुणवृत्ति व्यवहार] की हेतु है
इसलिये इस प्रकार के उदाहरणों में गुणवृत्ति होने पर भा [अनायास प्रचुर
धनोपादान रूप चतुर्कारी व्यङ्ग्य के कारण ही गुणवृत्ति व्यवहार होने से]

विवक्षितवाच्ये ध्वनौ, द्वयोरपि प्रभेदयोर्व्यञ्जकत्वविशेषाप्रिशिष्टा गुण-
वृत्तिर्न तु तदेकरूपा सहृदयहृदयाह्लादिनी । 'प्रतीयमानाप्रतीतिहेतुत्वाद्
विषयान्तरे तद्रूपशून्याया' दर्शनात् । एतच्च सर्वं प्राक् सूचितमपि स्फुटतर-
प्रतीतये पुनरुक्तम् ।

ध्वनि व्यवहार ही युक्तिसङ्गत है । इसलिए अविवक्षित वाच्य [लक्ष्यामूल]
ध्वनि में [अर्थान्तरसंश्रमित वाच्य और आयन्ततिरसृष्ट वाच्य] दोनों भेदों में
व्यञ्जकत्व विशेष से युक्त गुणवृत्ति सहृदयहृदयाह्लादिनी होती है । तदेक-
रूपा नहीं [अर्थात् गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व एक नहीं हैं] क्योंकि [गुणवृत्ति]
प्रतीयमान, [चारुत्व हेतु रूप व्यञ्जय] की प्रतीति का हेतु नहीं है । दूसरे स्थानों
पर [अग्निर्माणवकः आदि में] उस [गुणवृत्ति] को उस [व्यञ्जकत्व] से
रहित पाते हैं । [अग्निर्माणवकः, अथवा, नास्ति पुनरुक्तम्, आदि उदा-
हरणों में गुणवृत्ति व्यञ्जकत्व शून्य पाई जाती है । इसलिए 'सुवर्णपुष्पा'
आदि में भी व्यञ्जना के द्वारा ही चारुत्व रूप व्यञ्जय की प्रतीति
होती है । गुणवृत्ति रूप से नहीं । श्रवः अविवक्षित वाच्य ध्वनि से भी गुण-
वृत्ति अलग है] यह सब बातें पहले [प्रथम उद्योत में] सूचित [सूक्ष्म
रूप से] की जा चुकी हैं फिर भी अधिक स्पष्ट रूप से प्रतिपादनार्थ यहां
फिर कही हैं । [स्वरूप भेद और निमित्तभेद प्रतिपादन के कारण पुनरुक्त
नहीं है] ।

यहां निर्णयसागरीय संस्करण में प्रतीयमाना के बाद विराम लगा दिया गया
है । और शेष वाक्य को अलग रखा है । यह उचित नहीं है । लोचनकार ने
'प्रतीयमानाप्रतीतिहेतुत्वात्' को सम्मिलित मान कर ही 'नहि गुणवृत्तेश्चारुत्व-
प्रतीतिहेतुत्वमस्तीति दर्शयति' लिखा है ।

शोधितकार ने सहृदयहृदयाह्लादिनी में से न को हटा कर सहृदयहृदया-
ह्लादि को प्रतीयमान का विशेषण बना कर एक समस्त पद कर दिया है ।
उनका यह प्रयत्न भी ठीक नहीं है । व्यञ्जकत्व विशेषाप्रिशिष्टा, गुणवृत्ति
ही सहृदयहृदयाह्लादिनी हो सकती है रवय गुणवृत्ति न सहृदयहृदयाह्लादिनी
होती है और न प्रतीयमान की प्रतीति हेतु । यद् अभिप्राय है । 'लोचन'

१. प्रतीयमाना । नि०, सहृदयहृदयाह्लादिप्रतीयमानाप्रतीतिहेतुत्वात्
बी० । २. तद्रूपशून्यायाश्च नि, दी० ।

श्रीपाधिकत्व रूप से व्यञ्जकत्व का अभिधा से भेद सिद्ध कर अब 'लिङ्गत्व-न्याय' से भी अभिधा से व्यञ्जकत्व का भेद सिद्ध करते हैं। लिङ्गत्व न्याय का अभिप्राय यह है कि न्याय शास्त्र प्रतिपादित अनुमान की प्रक्रिया में धूम आदि को 'लिङ्ग' और वहि आदि को 'साध्य' कहा जाता है। 'लिङ्ग' शब्द का अर्थ होता है 'लीन अर्थ गमयति इति लिङ्गम्।' जो लीन अर्थात् छिपे हुए-प्रत्यक्ष दिखाई न देने वाले अर्थ का बोधक हो उसको 'लिङ्ग' कहते हैं। धूम पर्वत पर स्थित, परन्तु प्रत्यक्ष दिखाई न देने वाली वहि का बोध कराता है। धुवा उठता हुआ देख कर दूर से ही यह ज्ञान हो जाता है कि "पर्वतो वहिमान् धूमवत्वात्।" पर्वत पर अग्नि है क्योंकि पर्वत पर धुवा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार धूम लिङ्ग कहलाता है, वहि साध्य और पर्वत पक्ष। परन्तु पर्वत का यह 'पक्षत्व' वहि का 'साध्यत्व' और धूम का 'लिङ्गत्व' हर समय उस रूप में काम नहीं करते हैं। जिस समय अनुमान करने की इच्छा होती है उसी समय वह इस रूप में उपयोगी होते हैं। घर की रसोई में धुग भा देवते हैं और वहि भी। परन्तु वहा न रसोई पक्ष कहलाता है, न धूम को लिङ्ग कहते हैं, और नाहीं वहि साध्य है। क्योंकि वहा वहि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। उसको अनुमान से सिद्ध करने की इच्छा नहीं है। इसलिए पक्ष, लिङ्ग और साध्य व्यवहार केवल अनुमान की इच्छा 'अनुमित्ता' या सिद्धाधिकार के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार शब्द का व्यञ्जकत्व प्रयोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए व्यञ्जकत्व में लिङ्गत्व का साम्य है। इसके अतिरिक्त धूमादि लिङ्ग व्याप्तिप्रद रूप अन्य सामग्री के सहज से ही अर्थ न अनुमापक होते हैं। 'व्याप्तिरलेन अर्थगमक लिङ्गम्' यह भी लिङ्ग का लक्षण है। धूम से वहि का बोध कराने में 'यत्र यत्र धूमस्तत्र वहिः' इस व्याप्ति के अर्थ की आवश्यकता होती है। उसके बिना धूम, वहि का अनुमापक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार व्यञ्जक शब्द को व्यङ्ग्य अर्थ के बोध कराने के लिए प्रकरणादि वैशिष्ट्य रूप सामग्री की सहायता आवश्यक होती है। यह भी लिङ्गत्व और व्यञ्जकत्व की एक समानता हो सकती है। परन्तु इसको लिङ्गत्व न्याय का प्रवर्तक नहीं मानना चाहिए। क्योंकि नैपायिक अपने लिङ्गत्व को श्रीपाधिक धर्म नहा मानता है। वह उसे नियत स्वाभाविक सम्बन्ध कहता है। इसीलिए आलोककार ने यहा केवल इच्छाधीनत्व ही ही लिङ्गत्व न्याय का प्रवर्तक माना है।

और इस व्यञ्जक भाव का लिङ्गत्व न्याय [लिङ्गत्व साम्य] भी दिखाई देता है। जैसे लिङ्गत्व आश्रयों [धूमादि] में इच्छा [अनुमित्ता]

लिङ्गत्वन्यायश्चास्य व्यञ्जकभावस्य लक्ष्यते । यथा' लिङ्गत्व-
माश्रयेष्वनियतावभासम्, इच्छाधीनत्वात्, स्वविषयाव्यभिचारि च,
तथैवेदं यथा दर्शितं व्यञ्जकत्वम् ।

शब्दात्मन्यनियतत्वादेव' च तस्य वाचकत्वप्रकारता न शक्या
कल्पयितुम् । यदि हि वाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छब्दात्मनि
नियततापि स्याद् वाचकत्ववत् ।

के अधीन होने से अनियत रूप [सदा न प्रतीत होने वाला] होता है और
अपने विषय [साध्य बन्धि आदि] में अग्न्यभिचारी [सदा नियत] होता है ।
इसी प्रकार, जैसे कि ऊपर दिखाया जा चुका है, यह व्यञ्जकत्व [अपने आश्रय
शब्दों में इच्छाधीन होने से अनियत और स्वविषये अर्थात् व्यङ्ग्य अर्थ के
सोपान में नियत अग्न्यभिचारी] है ।

शब्द स्वरूप में अनियत होने से ही उस [व्यञ्जकत्व] को वाच्यत्व
का भेद नहीं माना जा सकता है । यदि वह [व्यञ्जकत्व] वाचकत्व का भेद
[प्रकार ही] होता तो वाचकत्व के समान शब्द स्वरूप में नियत भी होना
चाहिए । [परन्तु वह शब्द स्वरूप में नियत नहीं है । प्रकरणादि सहकार से
ही व्यञ्जकत्व होता है । अतः व्यञ्जकत्व वाचकत्व से भिन्न है ।]

वाचकत्व से व्यञ्जकत्व का भेद सिद्ध करने के लिए अभी
व्यञ्जकत्व को 'श्रीपाधिक' धर्म बतलाया गया है । अर्थात् शब्द और अर्थ का
व्यञ्जकत्व रूप 'श्रीपाधिक' सम्बन्ध भी होता है । यह बात मीमांसा दर्शन के
"श्रीत्वत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः" इत्यादि अ० १, पा० १ सू० ५ के विरुद्ध
है । उस सूत्र में शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध माना है । 'श्रीत्वत्तिक' का
अर्थ नित्य करते हुए सूत्र के माध्यकार शबरस्वामी ने लिखा है कि "श्रीत्वत्तिक
इति नित्यं ब्रूमः । उत्पत्तिर्हि भाव उच्यते लक्षणया । अतिसुक्तः शब्दार्थयो-
सम्बन्धः । नोत्पन्नयोः परस्परत् सम्बन्धः ।" इस शबरस्वामी के माध्य और मीमांसा
सूत्र के साथ व्यञ्जकत्व रूप शब्द अर्थ के श्रीपाधिक सम्बन्ध के विरोध का
परिहार करते हुए पौण्डरीक तथा श्रीशंभु पाक्यों में भेद मानने वाले मीमांसक

१. तथाहि लिङ्गत्वमाश्रयेषु नियतावभासम् नि०, (घ) नियतावभासम्
शी० । २. शब्दा-त्मनि नियतत्वादेव नि०, (घ) नियतत्वादेव शी० ।

श्रीवाधिकृत्य रूप से व्यञ्जकत्व का अभिधा से भेद सिद्ध कर अत्र 'लिङ्गत्व-
न्याय' से भी अभिधा से व्यञ्जकत्व का भेद सिद्ध करते हैं। लिङ्गत्व न्याय का
अभिप्राय यह है कि न्याय शास्त्र प्रातपादित अनुमान की प्रक्रिया में धूम आदि को
'लिङ्ग' और वह्नि आदि को 'साध्य' कहा जाता है। 'लिङ्ग' शब्द का अर्थ होता
है 'लीन अर्थे गमयति इति लिङ्गम्।' जो लीन अर्थात् छिपे हुए-प्रत्यक्ष दिखाई न
देने वाले अर्थ का बोधक हो उसको 'लिङ्ग' कहते हैं। धूम पर्वत पर स्थित,
परन्तु प्रयत्न दिखाई न देने वाली वह्नि का बोध कराता है। धुवा उठता हुआ
देख कर दूर से ही यह ज्ञान हो जाता है कि 'पर्वतो वह्निमान् धूमवत्त्वात्।'।
पर्वत पर अग्नि है क्योंकि पर्वत पर धुवा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार धूम
लिङ्ग कहलाता है, वह्नि साध्य और पर्वत पक्ष। परन्तु पर्वत का यह 'पक्षत्व'
वह्नि का 'साध्यत्व' और धूम का 'लिङ्गत्व' हर समय उस रूप में काम नहा करते
हैं। जिस समय अनुमान करने का इच्छा होती है उसी समय वह इस रूप में
उपयोगी होते हैं। घर की रसोई में धुवा भी देखते हैं और वह्नि भी। परन्तु
वहा न रसोई पक्ष कहलाती है, न धूम को लिङ्ग कहते हैं, और नहीं वह्नि साध्य
है। क्योंकि वहा वह्नि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। उसको अनुमान से सिद्ध करने
की इच्छा नहा है। इसलिए पक्ष, लिङ्ग और साध्य व्यवहार केवल अनुमान की
इच्छा 'अनुमिता' या सिद्धाधियोग के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार शब्द का
व्यञ्जकत्व प्रयोक्ता की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए व्यञ्जकत्व में लिङ्गत्व का
साम्य है। इसके अतिरिक्त धूमादि लिङ्ग व्याप्तिप्रद रूप अन्य सामग्री के सहकार
से ही अर्थ का अनुमापक होते हैं। 'व्याप्तिरलेन अर्थगमक लिङ्गम्' यह भी लिङ्ग
का लक्षण है। धूम से वह्नि का बोध कराने में 'यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्नि।' इस
व्याप्ति के ग्रहण की आवश्यकता होती है। उसके बिना धूम, वह्नि का अनुमापक
नहीं हो सकता है। इसी प्रकार व्यञ्जक शब्द को व्यञ्ज्य अर्थ के बोध कराने के
लिए प्रकरणादि वैशिष्ट्य रूप सामग्री की सहायता आवश्यक होती है। यह
भी लिङ्गत्व और व्यञ्जकत्व की एक समानता हो सकती है। परन्तु इसको लिङ्गत्व
न्याय का प्रवर्तक नहीं मानना चाहिए। क्योंकि नैयायिक अपने लिङ्गत्व को
श्रीवाधिकृत्य धर्म नहा मानता है। वह उसे नियत स्वाभाविक सम्बन्ध कहता है।
इसीलिए आलोककार ने यहा केवल इच्छाधीनत्व को ही लिङ्गत्व न्याय का
प्रवर्तक माना है।

और इस व्यञ्जक भाव का लिङ्गत्व न्याय [लिङ्गत्व साम्य] भी
दिखाई देता है। जैसे लिङ्गत्व आश्रयों [धूमादि] में इच्छा [अनुमिता]

स च तथात्रिध ओपाधिको धर्म शब्दानामौत्पत्तिकशब्दार्थ-सम्बन्धवादिना वाक्यतत्त्वविदा पौरुषेणपौरुषेययोर्वाक्ययोर्विशेष-मभिधत्ता नियमेनाभ्युपगन्तव्य । तदनभ्युपगमे हि तस्य शब्दार्थसम्बन्ध-नित्यत्वे सत्यप्यपौरुषेयपौरुषेययोर्वाक्ययोरर्थप्रतिपादने निविशेषत्व स्यात् । तदभ्युपगमे तु पौरुषेयाणां वाक्यानां पुरुषेच्छानुविधानसमारो-पितौपाधिकव्यापारान्तराणां सत्यपि स्त्राभिधेयसम्बन्धापरित्यागे मिथ्या-र्थतापि भवेत् ।

सम्भव हो सकता है । इसलिए पौरुषेय लौकिक वाक्यों में वक्ता के भ्रम, प्रमाद, विप्रलम्भा आदि दोष युक्त होने से मिथ्यार्थकता हो सकती है । वैदिक वाक्य किसी पुरुष [यहा पुरुष शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है] के निर्मित नहीं हैं । अतएव उनमें मिथ्यार्थकता सम्भव नहीं है । यही पौरुषेय अपौरुषेय वाक्यों का अन्तर है ।

इस प्रकार 'पौरुषेय' वाक्यों का तात्पर्यार्थ उन्हें 'अपौरुषेय' वाक्यों से भिन्न करता है । यह तात्पर्यार्थ अभिधा से प्रतीत नहा हो सकता क्योंकि वह सकेतित अर्थ नहा है । और न लक्षणा से प्रतीत हो सकता है क्योंकि वहा लक्षणा की मुख्यार्थराश आदि रूप सामग्री नहा है । अतएव इस तात्पर्यार्थ का बोध अभिधा और लक्षणा से भिन्न व्यञ्जना वृत्ति से ही हो सकता है । इसलिए मीमांसक के न चाहने पर भी उसे व्यञ्जना वृत्ति स्वीकार करनी ही होगी । इसलिए शब्द में तात्पर्य रूप 'श्रीपाधिक' धर्म उसे भी स्वीकार करना होगा । उस श्रीपाधिक धर्म के सम्बन्ध से पदार्थ के स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है । इस युक्तिक्रम से ग्रन्थकार मीमांसकों के लिए श्रीपाधिक धर्म व्यञ्जकत्व की अनिवार्यता इस प्रकारण में सिद्ध करते हैं ।

और इस प्रकार का वह [व्यञ्जकत्व रूप] श्रीपाधिक धर्म शब्द और अर्थ के नियम सम्बन्ध को मानने वाले और पौरुषेय तथा अपौरुषेय वाक्यों में भेद मानने वाले वाक्य के तत्व को जानने वाले [और वाक्य में शक्ति मानने वाले मीमांसक] को अवश्य माना पड़ेगा । उसके स्वीकार किए बिना शब्द और अर्थ का नियम सम्बन्ध होने पर भी पौरुषेय तथा अपौरुषेय वाक्यों के अर्थ-बोधन में समानता होगी । [भेद का उपपादन नहीं हो सकेगा] और उस [व्यञ्जकत्व रूप श्रीपाधिक धर्म] के स्वीकार कर लेने पर पौरुषेय वाक्यों में अपने वाच्यवाचकभाव [रूप नित्य] सम्बन्ध का परित्याग किए बिना भी पुरुष

के लिए भी औपधिक व्यञ्जकत्व की अनिवार्यता प्रतिपादन करने के लिए अगला प्रकरण प्राग्भ करते हैं ।

मीमांसा के सिद्धान्त में वेद 'अपौरुषेय' हैं और उनका स्वतःप्रामाण्य माना जाता है । लौकिक वाक्य पुरुषनिर्मित होने से पौरुषेय हैं, उनका प्रामाण्य वक्ता के प्रामाण्य की अपेक्षा रखने से परत. है । वैदिक वाक्य स्वतः प्रमाण हैं और लौकिक वाक्य परतः प्रमाण हैं । 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्व स्वतस्त्वम् ।' 'ज्ञानग्राहकातिरिक्तापेक्षत्व परतस्त्वम् ।' अर्थात् जहां ज्ञान की ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री प्रामाण्य के ग्रहण करने के लिए अपेक्षित हो वहां परतः प्रामाण्य होता है और जहां ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही प्रामाण्य का भी ग्रहण ज्ञान के ग्रहण के साथ ही हो जाता है वहां स्वतःप्रामाण्य होता है । लौकिक वाक्य पुरुषनिर्मित होते हैं । पुरुष में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोष हो सकते हैं, अतएव पुरुष के दोषों के सम्बन्ध से लौकिक या 'पौरुषेय' वाक्यों में अप्रामाण्य आ जाता है । परन्तु वेद 'अपौरुषेय' हैं, उनमें 'पुन्दोष' के संसर्ग की सम्भावना न होने से वह स्वतः प्रमाण हैं, यह मीमांसकों का सिद्धान्त है ।

मीमांसक शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध मानते हैं इसलिए उनके यहां शब्द भी नित्य है । परन्तु शब्दों के समूहरूप लौकिक वाक्य पुरुषनिर्मित और अनित्य हैं । जैसे मालाकार पुष्पों का उत्पादक नहीं होता फिर भी उनके क्रमिक सन्निवेश रूप माला का निर्माता होता है, इसी प्रकार पुरुष नित्य शब्दों का उत्पादक न होने पर भी उनके क्रमबद्ध वाक्यस्वरूप का निर्माता होता है, अतः लौकिक वाक्य 'पौरुषेय' अर्थात् पुरुषनिर्मित होते हैं ।

इस प्रकार शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध होने से उनके मत में वाक्य को कभी निरर्थक अथवा मिथ्यार्थक नहीं होना चाहिए । इसलिए लौकिक वाक्य भी वैदिक वाक्य के समान स्वतःप्रमाण ही होने चाहिए । फिर भी मीमांसक लौकिक वाक्यों में पुरुषदोष के सम्बन्ध से अप्रामाण्य मानते हैं । इस अप्रामाण्य अथवा पौरुषेय अपौरुषेय वाक्यों के भेद का उपपादन वाच्यार्थ-बोधकता के आधार पर नहीं हो सकता है क्योंकि वाच्यार्थ की बोधकता तो पौरुषेय अपौरुषेय दोनों प्रकार के वाक्यों में समान ही है । किन्तु तात्पर्यबोधकत्व के आधार पर ही उन दोनों वाक्यों का भेद सम्भव है । वाक्यनिर्माता पुरुष की इच्छा ही तात्पर्य है । पुरुष के असंबन्ध और भ्रान्ति आदि से युक्त होने के कारण उसके तात्पर्यविरयीभूत अथवा इच्छा के विपरीतभूत अर्थ में मिथ्यात्व भी

सत्यमेतत्, किन्तु वक्त्रभिप्रायप्रकाशनेन 'यद्व्यञ्जकत्व तत्सर्वे-
पामेव लौकिकानां वाक्यानामविशिष्टं', तत्तु^१ वाचकत्वान्न भिद्यते ।
व्यङ्ग्य हि तत्र नान्तरीयकतया व्यवस्थितम् । न तु विवक्षितत्वेन ।
^२यस्य तु विवक्षितत्वेन व्यङ्ग्यस्य स्थितिस्तद्व्यञ्जकत्व ध्वनिव्यवहारस्य
प्रयोजकम् ।

यत्त्वभिप्रायविशेषरूप व्यङ्ग्य शब्दार्थाभ्यां 'प्रकाशते तद्भवति
विवक्षित तात्पर्येण प्रकाशयमान सत्' । किन्तु तदेव केवलमपरिमित-
विषयस्य ध्वनिव्यवहारस्य न प्रयोजकमव्यापकत्वात्^३ । तथा^४ दक्षित-
भेदत्रयरूप तात्पर्येण द्योत्यमानमभिप्रायरूपमनभिप्रायरूप च सर्वमेव
ध्वनि-व्यवहारस्य प्रयोजकमिति यथोक्तव्यञ्जकत्वविशेषे^५ ध्वनिलक्षणो
नातिव्याप्तिर्न चाव्याप्तिः ।

व्यङ्ग्य के सम्बन्ध के कारण] ध्वनि व्यवहार हो जायगा [सभी लौकिक वाक्य
ध्वनि कहलाने लगेंगे ।]

[उत्तर] यह ठीक है । वक्ता के अभिप्राय के प्रकाशन से जो व्यञ्जकत्व
आता है वह तो सब लौकिक वाक्यों में समान है । किन्तु वह वाचकत्व से भिन्न
नहीं है । क्योंकि उनमें व्यङ्ग्य, वाच्य के अविनाभूत रूप में स्थित है, विवक्षित
रूप में नहीं । [व्यङ्ग्य के विवक्षित न होने से उसमें ध्वनि व्यवहार नहीं किया
जाता है] और जिस व्यङ्ग्य की स्थिति तो [प्रधान रूप से] विवक्षित रूप में
है वही व्यञ्जकत्व ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक होता है । [अतः सब लौकिक
वाक्य ध्वनि नहीं है] ।

जो अभिप्राय विशेष रूप व्यङ्ग्य शब्द और अर्थ से प्रकाशित होता है
वह तात्पर्य रूप [प्रधान रूप] से प्रकाशन हो तो विवक्षित [व्यङ्ग्य] कहलाता
है । किन्तु केवल वह ही, अपरिमित [स्थलों पर होने वाले] ध्वनि व्यवहार
का कारण नहीं है [ध्वनि व्यवहार की अपेक्षा] अव्यापक होने से । जैसे कि ऊपर

१ यदि व्यञ्जकत्व नि०, यदिद व्यञ्जकत्व दी० । २. ननु नि० ।

३ यस्य तु यह पाठ नि० में नहीं है । न तु विवक्षितत्वेन व्यङ्ग्यस्य व्यवस्थितिः ।

तद व्यञ्जकत्व ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम् ऐसा पाठ रसा है नि० ।

४ शब्दार्थाभ्यामेव दी० । ५ यत नि० । ६ न प्रयोजकम् व्यापकत्वात्

दी०, नि० में प्रयोजकम् के बाद विराम है । ७. तत्तु दी० । ८. प्रयोजकत्वस्य

कत्वविशेषध्वनिलक्षणो नि०, दी० ।

दृश्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामग्र्यन्तरसम्पात-
सम्पदितौपाधिकव्यापारान्तराणां विरुद्धक्रियत्वम् । तथा हि हिममयूर-
प्रभृतीनां निर्वापितसकलजीवलोकं शीतलत्वमुद्बद्धतामेव प्रियाविरहदहन-
दह्यमानमानसैर्जनैरालोक्यमानानां सतां सन्तापकारित्वं प्रसिद्धमेव ।
तस्मात् पौरुषेयाणां वाक्यानां सत्यपि नैसर्गिकेऽर्थसम्बन्धे मिध्यार्थत्वं
समर्थयितुमिच्छता वाचकत्वव्यतिरिक्तं किञ्चिद्रूपमौपाधिकं व्यक्त-
मेवाभिधानीयम् । तच्च व्यञ्जकत्वादृते नान्यत् । व्यङ्ग्यत्वप्रकाशानं हि
व्यञ्जकत्वम् । पौरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन पुरुषाभिप्रायमेव
प्रकाशयन्ति । स च व्यङ्ग्य एव न त्वभिधेयः । तेन सहाभिधानस्य
वाच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्धाभावात् ।

नन्वनेन न्यायेन सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानां ध्वनिव्यवहारः
प्रसक्तः । सर्वेषामप्यनेन न्यायेन व्यञ्जकत्वात् ।

की इच्छा [तात्पर्य] के अनुसरण करने वाले दूसरे औपाधिक [व्यञ्जकत्व रूप]
व्यापार युक्त वाक्यों की मिध्यार्थकता भी हो सकती है ।

अपने स्वभाव का परित्याग किए बिना भी अन्य कारण सामग्री के
संयोग से औपाधिक अन्य व्यापारों को प्राप्त करने वाले पदार्थों में विपरीत
क्रियाकारित्व देखा जाता है । जैसे समस्त संसार को शान्ति प्रदान करने वाले
शीतल स्वभाव से युक्त होने पर भी, प्रिया के विरहानल से सन्तप्त चित्त वाले
पुरुषों के दर्शनगोचर चन्द्रमा आदि [शीतल] पदार्थों का सन्तापकारित्व
प्रसिद्ध ही है । इसलिए [शब्द और अर्थ का] स्वाभाविक [नित्य] सम्बन्ध
होने पर भी पौरुषेय वाक्यों की मिध्यार्थकता का समर्थन करने की इच्छा रखने
वाले [मीमांसक] को वाचकत्व से अतिरिक्त [वाक्यों में] कुछ औपाधिक रूप
अवश्य ही मानना पड़ेगा । और वह [औपाधिक रूप] व्यञ्जकत्व के सिवाय
और कुछ नहीं [हो सकता] है । व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकारान करना ही व्यञ्जकत्व
है । पौरुषेय वाक्य मुख्य रूप से [वक्ता] पुरुष के अभिप्राय को ही [व्यङ्ग्य
रूप से] प्रकाशित करते हैं । और वह [पुरुषाभिप्राय] व्यङ्ग्य ही होता है,
वाच्य नहीं । [क्योंकि] उस [पुरुषाभिप्राय] के साथ वाचक वाक्य का
वाच्य वाचकभाव सम्बन्ध [संकेतग्रह] नहीं होता है । [इसलिए मीमांसक को
वक्ता के अभिप्राय रूप औपाधिक अर्थ के बोध के लिए वाक्य में व्यञ्जकत्व
अवश्य मानना होगा ।]

[प्रश्न] इस प्रकार तो सभी लौकिक वाक्यों का [पुरुषाभिप्राय रूप

परिनिश्चितनिरपभ्रंशशब्दब्रह्मणां विपरिचितां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तो-
ऽयं ध्वनिव्यवहार इति तैः^१ सह किं विरोधाविरोधौ चिन्त्येते ।

कृत्रिमशब्दार्थसम्बन्धवादिना तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवायं
व्यञ्जकभावः शब्दानामर्थान्तराणामिवाविरोधश्चेति न प्रतिज्ञेयपदवी-
भवतरति ।

वाचकत्वे हि तार्किकारणा विप्रतिपत्तयः प्रवर्तन्ताम्, किमिदं
स्वाभाविकं शब्दानामाहोस्वित् सामयिकमित्याद्याः । व्यञ्जकत्वे तु
तत्पृष्ठभाविनि भावान्तरसाधारणे लोकप्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को
विमतीनामवसर ।

अलौकिके ह्यर्थे तार्किकारणां विमतयो निरखिलाः^३ प्रवर्तन्ते न
तु लौकिके । न हि नीलमधुरादिध्वशेषलोकेन्द्रियगोचरे वाधारहिते

['निरपभ्रंश गलितभेदप्रपञ्चतया अविद्यासंस्काररहितम्' इति
लौचनकार] अविद्यासंस्काररहित शब्दब्रह्म का निश्चय करने वाले [चैया-
करण] विद्वानों के मत का आश्रय लेकर ही [हमारे शास्त्र में] यह ध्वनि
व्यवहार प्रचलित हुआ है इसलिये उनके साथ विरोध अविरोध को चिन्ता की
आवश्यकता ही क्या है । [अर्थात् उनके साथ विरोध हो ही नहीं सकता है ।
अतः उसके परिहार की चिन्ता भी व्यर्थ है ।]

शब्द और अर्थ का कृत्रिम [अनित्य] सम्बन्ध [संकेतकृत वाच्य-
वाचकत्व रूप] मानने वाले प्रमाणविदों [नैयायिकों] के मत में तो [दीपक
आदि] अन्य अर्थों के [व्यञ्जकत्व के] समान शब्दों का व्यञ्जकत्व अनुभव
सिद्ध और निर्विरोध [ही] है, अतः [नैयायिक मत में व्यञ्जकता] निराकरण
[खण्डन] करने योग्य नहीं है ।

तार्किकों [नैयायिकों] की वाचकत्व के विषय में, क्या शब्दों का
वाचकत्व स्वाभाविक है अथवा संकेतकृत इत्यादि प्रकार की विप्रतिपत्तियां
भले ही हों परन्तु उस [वाचकत्व] के बाद आने वाले, और [दीपक आदि]
अन्य पदार्थों के समान लोकप्रसिद्ध अनुभूयमान व्यञ्जकत्व के विषय में तो
मतभेद का अवसर ही कहां है ।

१. चं. घा० प्रि० । २. भावान्तरसाधारणे नि० । ३. विमतयो
नखिला के स्थान पर नि०, दी० में अतिनिवेदा पाठ है ।

तरमाद्वाक्यतत्त्वाविदां मतेन 'तावद् व्यञ्जकत्वलक्षणः शाब्दो व्यापारो न विरोधी प्रत्युत्तानुगुण एव लक्ष्यते ।

दिखाए हुए भेदत्रय [रसादि, वस्तु, अलङ्कार] रूप, तात्पर्य से धोत्यमान अभिप्राय रूप [रसादि] और अनभिप्राय रूप [वस्तु तथा अलङ्कार रूप] सभी ध्वनि व्यवहार के प्रयोजक हैं । अतएव [यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थो व्यङ्क्त वाक्यविशेष स ध्वनिरिति सूत्रिभिः कथितः । १, १३ । इत्यादि कारिका में] पूर्वोक्त व्यञ्जकत्व विशेष रूप ध्वनि लक्षण मानने में न अतिव्याप्ति होती है और न अव्याप्ति ।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि सभी लौकिक वाक्य वक्ता के अभिप्राय के व्यञ्जक होने से ध्वनि ऊहलाने लगेंगे यह जो अतिव्याप्ति अभी दिखाई थी, और उसी के आधार पर अभिप्राय रूप जो नहीं है ऐसे वस्तु या अलङ्कार के व्यञ्जक में ध्वनि व्यवहार नहीं हो सकेगा यह अव्याप्ति बनती है । यह दोनों दोष तब तो हो सकते हैं जब सामान्यत अभिप्रायव्यञ्जकत्व को ध्वनि का लक्षण मानें । परन्तु अभिप्रायव्यञ्जकत्व सामान्य को ध्वनि लक्षण न मान कर अभिप्राय विशेष रूप और कहीं वस्तु आदि रूप चमत्कारी व्यङ्ग्य के प्राधान्य में ध्वनि व्यवहार माना गया है अतएव उक्त कारिका में कहे ध्वनि लक्षण में न अतिव्याप्ति है और न अव्याप्ति ।

इसलिपि वाक्यतत्त्वज्ञों [मीमांसकों] के मत में व्यञ्जकत्व रूप [वाचकत्व तथा गुणवृत्ति से भिन्न] शाब्द व्यापार का मानना विरोधी नहीं अपितु अनुकूल ही प्रतीत होता है ।

इस प्रकरण के प्रारम्भ में मीमांसक, वैयाकरण और नैयायिक आदि की ओर से एक सामान्य व्यञ्जकत्व विरोधी पूर्वपक्ष उठाया गया था । अब उसका खण्डन कर उपसंहार करते हैं । उस उपसंहार में मीमांसक मत में व्यञ्जकत्व व्यापार विरोधी नहीं अपितु अनुकूल जान पड़ता है—यह कहा । आगे वैयाकरण सिद्धान्त के साथ ध्वनि व्यवहार का अपरोध इस प्रकार दिखाते हैं कि हम आलङ्कारिकों ने तो ध्वनि शब्द ही वैयाकरणों से लिया है अतएव उनके सिद्धान्त के साथ हमारे ध्वनि सिद्धान्त के विरोध-अविरोध की चर्चा करना ही व्यर्थ है ।

परिनिश्चितनिरपभ्रंशशब्दब्रह्मणां विपरिचितां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तो-
ऽयं ध्वनिव्यवहार इति तैः^१ सह किं विरोधाविरोधौ चिन्त्येते ।

कृत्रिमशब्दार्थसम्बन्धवादिना तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध एवायं
व्यञ्जकभावः शब्दानामर्थान्तराणामिवाविरोधश्चेति न प्रतिक्षेप्यपदवी-
मवतरति ।

वाचकत्वे हि तार्किकाणां विप्रतिपत्तयः प्रवर्तन्ताम्, किमिदं
स्वाभाविकं शब्दानामाहोस्वित् सामयिकमित्याद्याः । व्यञ्जकत्वे तु
तत्पृष्ठभाविनि 'भावान्तरसाधारणे लोकप्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को
विमतीनामवसर' ।

अलौकिके ह्यर्थे तार्किकाणां विमतयो निरखिलाः^३ प्रवर्तन्ते न
तु लौकिके । न हि नीलमधुरादिष्वशेषलोकेन्द्रियगोचरे आधारहिते

['निरपभ्रंशं गलितभेदप्रपञ्चतया अविद्यासंस्काररहितम्' इति
सूचनकारः] अविद्यासंस्काररहित शब्दब्रह्म का निश्चय करने वाले [धैया-
करण] विद्वानों के मत का आश्रय लेकर ही [हमारे शास्त्र में] यह ध्वनि
व्यवहार प्रचलित हुआ है इसलिये उनके साथ विरोध-अविरोध की चिन्ता की
आवश्यकता ही क्या है । [अर्थात् उनके साथ विरोध हो ही नहीं सकता है ।
अतः उसके परिहार की चिन्ता भी व्यर्थ है ।]

शब्द और अर्थ का कृत्रिम [अनित्य] सम्बन्ध [संकेतकृत वाच्य-
वाचकत्व रूप] मानने वाले प्रमाणविदों [नैयायिकों] के मत में तो [दीपक
आदि] अन्य अर्थों के [व्यञ्जकत्व के] समान शब्दों का व्यञ्जकत्व अनुभव
सिद्ध और निर्विरोध [ही] है, अतः [नैयायिक मत में व्यञ्जकता] निराकरण
[गण्यत्व] करने योग्य नहीं है ।

तार्किकों [नैयायिकों] को वाचकत्व के विषय में, क्या शब्दों का
वाचकत्व स्वाभाविक है अथवा संकेतकृत इत्यादि प्रकार की विप्रतिपत्तियां
भले ही हों परन्तु उस [वाचकत्व] के बाद आने वाले, और [दीपक आदि]
अन्य पदार्थों के समान लोकप्रसिद्ध अनुभूयमान व्यञ्जकत्व के विषय में तो
मतभेद का अवसर ही कहा है ।

१. ये वा० प्रि० । २. भावान्तरमाधारणे नि० । ३. विमतयो
नखिला के स्थान पर नि०, की० में ध्वनिनिवेदात् पाठ है ।

तत्त्वे परस्परं विप्रतिपन्ना दृश्यन्ते । न हि बाधारहितं नीलं नीलमिति
ब्रुवन्नपरेण प्रतिपिध्यते नैतन्नीलं पीतमेतदिति । तथैव व्यञ्जकत्वं
वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामशब्दरूपाणां च
चेष्टादीनां यत्सर्वेषामनुभवसिद्धमेव^१ तत्केनापन्हूयते^२ ।

अशब्दमर्थं रमणीयं हि सूचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा
निबद्धाश्चानिबद्धाश्च^३ विदग्धपरिपत्सु विविधा विभाव्यन्ते । *तानु-
पहस्यमानतामात्मनः परिहरन् कोऽतिसन्दधीत^४ सचेताः ।

*ब्रूयात् ! असत्यतिसन्धानावसरः । व्यञ्जकत्वं शब्दानां गमकत्वं
तच्च लिङ्गत्वम्, अतश्च व्यङ्ग्यप्रतीतिर्लिङ्गिप्रतीतिरेवेति लिङ्गलिङ्गिभाव

ताकिंको [नैयायिकों] को [आत्मा आदि] अलौकिक [लोक प्रत्यक्ष
के अगोचर] अर्थों के विषय में सारी विप्रतिपत्तिया होती हैं लौकिक [प्रत्य-
क्षदिसिद्ध] अर्थ के विषय में नहीं । नील मधुर आदि [में से निर्धारणे
सप्तमी] सर्वलोक प्रत्यक्ष और अबाधित पदार्थ के विषय में परस्पर मतभेद
नहीं दिखाई देता है । बाधा रहित नील को नील कहने वाले किसी को
[दूसरा] निषेध नहीं करता है कि यह नील नहीं है, यह पीत है । इसी
प्रकार वाचक शब्दों का, अवाचक शब्दरूप गीत आदि ध्वनियों का और
[अशब्दरूप] चेष्टा आदि [तीनों] का व्यञ्जकत्व जो सबके अनुभवसिद्ध ही
है उसका अपलाप कौन कर सकता है ? विद्वानों की गोष्ठियों में शब्द से
अनभिधेय [अभिधा द्वारा शब्द से कथित न किए जा सकने वाले] सुन्दर
[चमत्कारजनक] अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले अनेक प्रकार के ध्वन्य और
व्यापार [शब्द रूप में] निबद्ध अथवा अनिबद्ध पाए जाते हैं । अपने आपको
उपहास्यता से बचाने वाला कौन बुद्धिमान् उनको स्वीकार नहीं करेगा ?

[पूर्व पक्ष] कोई कह सकता है कि [व्यञ्जकत्व को] अस्वीकार करने
का अवसर है । शब्दों के [अन्वयार्थ] बोधकत्व [गमकत्व] का नाम ही
व्यञ्जकत्व है । और वह [गमकत्व] लिङ्गत्व [रूप] है । इसलिये व्यङ्ग्य
की प्रतीति लिङ्गी की प्रतीति ही है । अतएव लिङ्ग-लिङ्गिभाव ही उन शब्दों

१. एव पद नि में नहीं है । २. तत्केनाभिभूयते [पन्हूयते ?] ऐसा
पाठ नि० में है । ३. तथा व्यापारनिबन्धाश्च नि०, दी० । ४. नानु नि० ।
५. कोऽभिसन्दधीत नि०, दी० । ६ (ब्रूयात्) असत्यभिसन्धानावसरे नि०, दी० ।

एव तेषां, व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावो नापरः करिचत् । अतरचैतदवश्यमेव चोद्धव्यं यस्माद्वक्त्रभिप्रायापेक्षया व्यञ्जकत्वमिदानीमेव त्वया प्रतिपादितम् । वक्त्रभिप्रायश्चानुमेयरूप एव ।

'अत्रोच्यते, नन्वेवमपि यदि नाम स्यात् तत्किन्नरिद्धम् । वाचकत्वगुणवृत्तिव्यतिरिक्तो व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दव्यापारोऽस्तीत्यस्माभिरभ्युपगतम् । तस्य चैवमपि न काचित् क्षतिः । तद्वि व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमस्तु अन्यद्वा । सर्वथा प्रसिद्धशाब्दप्रकारविलक्षणत्वं शब्दव्यापारविषयत्वं च तस्यास्तीति नास्त्येवावयोर्निवादः ।

का व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव है और [लिङ्ग लिङ्गिभाव से] अलग कुछ नहीं है । और इसलिपू भी ऐसा अत्रय मानना चाहिए कि वक्ता के अभिप्राय की दृष्टि से व्यञ्जकत्व का प्रतिपादन [अर्थात् व्यञ्जक और व्यङ्ग्य का लिङ्ग-लिङ्गिभाव] तुमने [व्यञ्जकत्ववादी ने] अभी [मीमांसक के खण्डन के प्रसङ्ग में] किया है और वक्ता का अभिप्राय अनुमेय रूप ही होता है । [अतएव जिसे व्यञ्जकत्ववादी व्यञ्जना व्यापार का विषय मानना चाहता है वह अनुमान का विषय है । अत व्यञ्जना अनुमिति के अन्तर्गत है यह पूर्वपक्ष का अभिप्राय है ।]

[उत्तर पक्ष] इसका उत्तर यह है कि यदि [थोड़ी देर के लिपू प्रौढ़िवाद से] ऐसा भी मान लें तो हमारी क्या हानि है । हमने तो यह स्वीकार किया है कि वाचकत्व और गुणवृत्ति से अतिरिक्त व्यञ्जकत्व रूप [अलग तीसरा] शब्द व्यापार है । उस [सिद्धान्त] की ऐसा [व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव को लिङ्गलिङ्गिभाव रूप] मानने पर भी कोई हानि नहीं [होती] । वह व्यञ्जकत्व [चाहे] लिङ्गत्व रूप हो अथवा अन्य कुछ, प्रत्येक दशा में प्रसिद्ध [अभिधा तथा गुणवृत्ति रूप] शब्द व्यापार से भिन्न, और शब्द व्यापार का विषय वह [व्यञ्जकत्व] रहता ही है, इसलिपू हमारा मुंहारा कोई झगडा नहीं है ।

यह 'प्रौढ़िवाद' से उत्तर हुआ । अपनी प्रौढ़ता या पारिश्रम्य को प्रकट करने के लिए किसी अनभिमत बात को कुछ समय के लिए स्वीकार कर लेना 'प्रौढ़िवाद' कहलाता है । यहा व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव का लिङ्ग लिङ्गी रूप होना

न पुनरयं परमार्थो यद् व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमेव सर्वत्र, व्यङ्ग्य-
प्रतीतिश्च लिङ्गिप्रतीतिरेवेति ।

यदपि स्वपक्षसिद्धयेऽस्मदुक्तमनूदितं, त्वया वक्त्रभिप्रायस्य
व्यङ्ग्यत्वेनाभ्युपगमात् तत्प्रकाशने शब्दानां लिङ्गत्वमेवेति तदेतद्यथास्मा-
भिरभिहितं तद्विभज्य प्रतिपाद्यते, श्रूयताम् ।

द्विविधो विषयः शब्दानाम् । अनुमेयः प्रतिपाद्यश्च । तत्रानुमेयो
विवक्षा लक्षणः । विवक्षा च शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छा शब्देनार्थप्रका-
शनेच्छा चेति द्विप्रकारा । तत्राद्या न शब्दव्यवहारज्ञम् । सा हि प्राणि-
स्वमात्रप्रतिपत्तिफला । द्वितीया तु शब्दविशेषावधारणावसितव्यव-
हितापि 'शब्दकरणव्यवहारनिबन्धनम् । ते तु द्वे अप्यनुमेयो विषयः
शब्दानाम् ।

16-12 1966

सिद्धान्त पक्ष को वास्तव में इष्ट नहीं है । फिर भी प्रौढता प्रदर्शन के लिए थोड़ी
देर के लिए मान लिया है । अतः यह उत्तर 'प्रौढवाद' का उत्तर है । वास्तव
उत्तर आगे देते हैं ।

वास्तव में तो यह बात ठीक नहीं है कि व्यञ्जकत्व सब जगह लिङ्गत्व
रूप और व्यङ्ग्य की प्रतीति सर्वत्र [अनुमिति] लिङ्गिप्रतीति रूप ही हो ।

और अपने पक्ष की सिद्धि करने के लिए जो हमारे कथन का अनुवाद
क्रिया है कि तुमने [व्यञ्जकत्ववादी ने] वक्ता के अभिप्राय को व्यङ्ग्य माना है
और उस [वक्ता के अभिप्राय] के प्रकाशन में शब्दों का लिङ्गत्व ही है । सो
इस विषय में जो हमने कहा है उसको अलग-अलग खोल कर कहते हैं
[अच्छी तरह] सुनो ।

शब्दों का विषय दो प्रकार का होता है, एक अनुमेय और [दूसरा]
प्रतिपाद्य । उनमें से [अर्थ को कहने की इच्छा] विवक्षा अनुमेय है । विवक्षा
भी शब्द के [आनुपूर्वी] स्वरूप के प्रकाशन की इच्छा, और शब्द से अर्थ
प्रकाशन की इच्छा रूप दो प्रकार की होती है । उनमें से पहिली [शब्द के
स्वरूप प्रकाशन की इच्छा] शब्द व्यवहार [शब्द बोध] का अङ्ग [उप-
कारिणी] नहीं है । केवल प्राणित्र मात्र की प्रतीति ही उसका फल
है । [शब्द का स्वरूपमात्र अर्थात् अर्थहीन व्यक्त या अव्यक्त ध्वनि कोई
प्राणी कर सकता है, अचेतन नहीं । इसलिए शब्द के स्वरूप मात्र प्रकाशन से

प्रतिपाद्यस्तु प्रयोक्तुरर्थप्रतिपादनसमीक्षाविषयीकृतोऽर्थः । स च द्विविधो, वाच्यो व्यङ्ग्यश्च । प्रयोक्ता हि कदाचित् स्वशब्देनार्थं प्रकाशयितुं समीहिते, कदाचित् स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया कदाचित् । स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गितया स्वरूपेण प्रकाशते, अपितु कृत्रिमेणाकृत्रिमेण वा सम्बन्धान्तरेण । निवृत्ताविषयत्व हि तस्यार्थस्य शब्दैर्लिङ्गितया प्रतीयते न तु स्वरूपम् ।

प्राणी का ज्ञान तो अदृश्य हो सकता है परन्तु उससे किसी प्रकार के अर्थ का ज्ञान न हो सज्ने से वह शब्द बोध या शब्द व्यवहार में अनुपयोगी है] दूसरी [अर्थ प्रकाशनेच्छा रूप] शब्द विशेष [वाचकादि] के अवधारण से व्यवहित होने पर भी शब्दकारणक व्यवहार अर्थात् शब्द बोध व्यवहार का अङ्ग होती है । ये दोनों [शब्द सम्बन्धी इच्छाएँ] शब्दों का अनुमेय विषय हैं । [विशेष प्रकार के शब्द को सुन कर शब्द स्वरूप प्रकाशन की इच्छा अथवा शब्द द्वारा अर्थ प्रकाशन की इच्छा का अनुमान होता है । इसलिए यह दोनों इच्छाएँ शब्दों का अनुमेय विषय हैं ।]

[शब्द] प्रयोक्ता की अर्थ प्रतिपादन की इच्छा का विषयीभूत अर्थ [शब्द का] प्रतिपाद्य विषय होता है । और वह वाच्य तथा व्यङ्ग्य दो प्रकार का है । प्रयोक्ता कभी अपने [वाचक] शब्द से अर्थ को प्रकाशित करना चाहता है और कभी किसी प्रयोजन विशेष [गोपनकृत सौन्दर्यातिशय लाभादि के बोधन] की दृष्टि से स्व शब्द [वाचक शब्द] से अनभिधेय रूप से । [इनमें से पहिला स्वशब्दाभिधेय अर्थ वाच्य और दूसरा स्वशब्दानभिधेय अर्थ व्यङ्ग्य अर्थ होता है] शब्दों का यह दोनों प्रकार का प्रतिपाद्य [विषय अनुमेय रूप से स्वरूपतः प्रकाशित नहीं होता अपितु [नैयायिक मत म संकेतादि रूप] कृत्रिम [अनित्य] अथवा [मीमांसक मत में नित्य शब्दार्थ सम्बन्ध] अकृत्रिम [अभिधा व्यञ्जना रूप] अन्य सम्बन्ध से [प्रकाशित होता है] । [वक्ता के शब्दों को सुन कर, लिङ्ग रूप उन] शब्दों से उस अर्थ का विवक्षा विषयत्व [वक्ता अनुक्त अर्थ कहना चाहता है यह बात] तो अनुमेय रूप में प्रतीत हो सकता है परन्तु [अर्थ का] स्वरूप [अनुमेय रूप से] नहीं [प्रतीत होता] ।

यदि हि लिङ्गितया तत्र शब्दानां व्यापारः स्यात् तच्छब्दार्थे सम्यङ् मिथ्यात्वादिविवादा एव न प्रवर्तन्, धूमादिलिङ्गानुमितानुमेयान्तरवत् ।

यहाँ अनुमान का स्वरूप यह होगा—‘अयमर्थो अस्य विवक्षाविषय-एतदुचरितशब्दबोधत्वात् ।’ इस अनुमान से विवक्षाविषयता ही साध्य है, अर्थ का स्वरूप नहीं। अर्थ का स्वरूप तो ‘पक्ष’ रूप होने से ‘साध्य’ नहीं हो सकता। अतएव अनुमान से विवक्षाविषयत्व ही की सिद्धि होने से वही उसका विषय हो सकता है। और अर्थ का स्वरूप ‘पक्ष’ होने से अनुमिति विषय नहीं हो सकता है। ‘पक्ष’ का लक्षण ‘सन्दिग्ध साध्यवान् पक्ष’ है—जिसमें साध्य की सिद्धि की जाय उसको ‘पक्ष’ कहते हैं। यहाँ ‘अयमर्थ’ में ‘विवक्षाविषय’ विवक्षाविषयत्व सिद्ध किया जा रहा है। अतः अर्थ का स्वरूप यहा पक्ष है, अनुमेय नहा।

यदि उस [अर्थ] के विषय में लिङ्गी रूप से शब्द का व्यापार हो [अर्थात् शब्द से अनुमान द्वारा अर्थ की सिद्धि हो] तो धूम आदि लिङ्गों से अनुमित दूसरे [वह्नि आदि] अनुमेयों के समान शब्द के अर्थ के विषय में भी यह ठीक है अथवा मिथ्या इस प्रकार के विवाद न उठें।

‘नानुपलब्धे न निष्पत्तिऽर्थे न्याय प्रवर्तते किन्तर्हि सशयिनेऽर्थे’—इस न्याय सिद्धान्त के अनुसार सन्देह होने पर ही अनुमान की प्रवृत्ति होती है और अर्थ के अव्यभिचारी व्याप्तियुक्त हेतु से साध्य की सिद्धि की जाती है। अतएव शुद्ध हेतु से अनुमान द्वारा जो अर्थ की सिद्धि होती है वह प्रायः यथार्थ ही होती है, उसमें न सन्देह का अवसर होता है और न मिथ्यात्व की सम्भावना। इसी प्रकार यदि शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अनुमिति रूप हो तो उस अर्थ के विषय में भी सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व के विषय में विवाद नहीं हो।

वैशेषिक दर्शन में शब्द का अन्तर्भाव अनुमान में किया गया है और उसका हेतु ‘समानविधित्व’ दिया गया है। ‘शब्दादीनामप्यनुमानेऽन्तर्भावः समानविधित्वात् ।’ अर्थात् जिस प्रकार अनुमान में पहिले १ व्याप्तप्रह, २ लिङ्गदर्शन, ३ व्याप्तिस्मृति, और उसके बाद ४ अनुमिति होती है, ठीक इसी प्रकार शब्द में पहिले १ सकेतप्रह, २ पदज्ञान, ३ पदार्थस्मृति के बाद ४ शब्द बोध होता है। इस प्रकार दोनों की विधि समान होने से शब्द अनुमान ही है यः वैशेषिक का

व्यङ्ग्यचरचार्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्ततया वाच्यवच्छब्दस्य सम्बन्धी भवत्येव । साक्षात्साक्षाद्भावो हि सम्बन्धस्याप्रयोजकः । वाच्यवाचक-भावाश्रयत्वं च व्यञ्जकत्वस्य प्रागेव दर्शितम् । तस्माद्व्यञ्ज्यमिन्द्रियरूप एव^१ व्यङ्ग्ये लिङ्गतया शब्दानां व्यापारः । तद्विपर्ययकृते तु प्रतिपाद्यतया । प्रतीयमाने तस्मिन्नभिप्रायरूपेऽनभिप्रायरूपे^२ च वाचकत्वेनैव व्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा । न तावद्वाचकत्वेन यथोक्तं प्राक् । सम्बन्धान्तरेण व्यञ्जकत्वमेव ।

मत है । न्याय आदि]में इसका खण्डन अन्य प्रकार से किया गया है । परन्तु यदा श्रालोककार ने जो युक्ति दी है वह उनसे बिल्कुल भिन्न नई युक्ति है ।

[यहां व्यङ्ग्य अर्थ के शब्द द्वारा बोध होने के विषय में यह शङ्का हो सकती है कि व्यङ्ग्य अर्थ शब्द से कोई साक्षात् सम्बन्ध नहीं है इसलिए शब्द से उसकी प्रतीति नहीं हो सकती है । इस शङ्का को मन में रख कर अगली पक्ति लिखी गई है] और व्यङ्ग्य अर्थ वाच्य अर्थ की सामर्थ्य से आश्रित होने से वाच्य के समान शब्द का सम्बन्धी होता ही है । साक्षाद्भाव अथवा असाक्षाद्भाव सम्बन्ध का प्रयोजक नहीं है । [अर्थात् साक्षात् सम्बन्ध भी हो सकता है और असाक्षात् परम्परा से भी सम्बन्ध हो सकता है । इसी लिए न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान में अपेक्षित इन्द्रिय तथा अर्थ का द्वय प्रकार का सम्बन्ध माना गया है । उन द्वय सम्बन्धों में संयोग और समवाय सम्बन्ध तो साक्षात् सम्बन्ध होते हैं और शेष संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवेत समवाय और विशेष्य विशेषण भाव आदि परम्परा सम्बन्ध माने गए हैं ।] व्यञ्जकत्व का वाच्यवाचकभाव पर आश्रितत्व पहिले ही [पृष्ठ पर] दिया चुके है । इसलिए वक्ता के अभिप्राय रूप व्यङ्ग्य के विषय में ही शब्दों का लिङ्ग रूप से व्यापार होता है और उसके विषयभूत [अर्थ के] विषय में तो प्रतिपाद्य रूप से [शब्द व्यापार होता है] यहां वक्ता के अभिप्राय को व्यङ्ग्य कहा है तो केवल स्थूल रूप से चल रहे व्यङ्ग्य शब्द की दृष्टि से कह दिया है । वास्तव में तो परेच्छारूप अभिप्राय के केवल अनुमानसाध्य होने से अभिप्राय अनुमेय ही होता है [व्यङ्ग्य नहीं] उस प्रतीयमान [व्यङ्ग्य] अनभिप्राय रूप [वस्तु] और अभिप्राय रूप [जैसे, 'उमामुले विम्ब-

१. एव पाठ नि०, यी० में नहीं है । २. अनभिप्रायरूपे पाठ नि० में नहीं है ।

न च व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वरूपमेव, आलोकादिष्वन्यथा दृष्टत्वात् । तस्मात् प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गत्वेन सम्बन्धी वाच्यवत् । यो हि लिङ्गित्वेन^१ तेषां^२ सम्बन्धी यथा दशितो विषयः, स न वाच्यत्वेन प्रतीयते, अपितूपाधित्वेन^३ । प्रतिपाद्यस्य च विषयस्य लिङ्गित्वे तद्विषयाणां विप्रतिपत्तीनां लौकिकैरेव क्रियमाणानामभावः प्रसज्येतेति । एतच्चोक्तमेव ।

फलापरोक्षे व्यापारयामास निलोचनानि' इत्यादि में चुम्बनाभिप्राय रूप] में या तो वाचकत्व से ही व्यापार हो सक्ता है अथवा अन्य [व्यञ्जकत्व] सम्बन्ध से । [अभिप्राय को अभी ऊपर की पंक्ति में अनुमेय कहा है, और यहां उसको व्यङ्ग्य कह रहे हैं, इसमें 'वदतो-याघात' की शङ्का नहीं करनी चाहिए । जहां अभिप्राय को अनुमेय कहा है वहां वक्ता के अभिप्राय से मतलब है । वक्ता का अभिप्राय अनुमेय ही है । और जहां उसको व्यङ्ग्य कहा है वहां 'उमामुले' जैसे उदाहरणों में शिव के अभिप्राय आदि का ग्रहण है । इस वाक्य में शिव का चुम्बनाभिलाष व्यङ्ग्य ही है । वाच्य या अनुमेय नहीं । इस प्रकार विषय-भेद से विरोध का परिहार हो जाता है] उनमें वाचकत्व से तो धनता नहीं जैसा कि पहिले कह चुके हैं [क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ के साथ सकेतग्रह नहीं है] और सम्बन्धान्तर [मानने] से व्यञ्जकत्व ही होता है ।

[दीपक के] आलोक आदि में अन्यथा [अर्थात् लिङ्गत्व के अभाव में भी घटादि का व्यञ्जकत्व] देये जाने से, व्यञ्जकत्व [सदा] लिङ्गत्व रूप ही नहीं होता है । [प्रशश घटादि का अभिव्यञ्जक तो होता है, परन्तु वह घटादि का अनुमिति हेतु न होने से लिङ्ग नहीं होता । इसलिए व्यञ्जक का लिङ्ग ही होना आवश्यक नहीं है] इस लिए प्रतिपाद्य [व्यङ्ग्य] विषय वाच्य की तरह ही लिङ्गित्वेन शब्द से सम्बद्ध नहीं है । [अर्थात् जैसे वाच्य अर्थ शब्द से अनुमेय नहीं है इसी प्रकार व्यङ्ग्य अर्थ भी शब्द से अनुमेय नहीं है] और जो लिङ्गी रूप से उन [शब्दों] का सम्बन्धी [शब्दों से अनुमेय] है जैसा कि [ऊपर] दिखाया हुआ [वक्ता का अभिप्राय या प्रियता रूप] विषय, वह वाच्य रूप से प्रतीत नहीं होता है, अपितु औपाधिक [वाच्यादि अर्थ में विशेषार्थभूत] रूप से प्रतीत होता है । प्रतिपाद्य विषय

१. लिङ्गित्वेन नि०, दी० । २. तेषां पाठ नि०, से नहीं है । ३. औपाधिकत्व नि०, दी० ।

को निहो [अनुमेय] मानने पर उसके विषय में लौकिक पुरुषों द्वारा ही की जाने वाली विप्रतिपत्तियों का अभाव प्राप्त होगा। यह कह ही चुके हैं। [पृष्ठ ३८० पर कह चुके हैं कि अनुमेय अर्थ निश्चित ही होता है, उसमें सम्यक् मिथ्यात्व आदि विप्रतिपत्तियों का अस्तर नहीं है।]

ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में दो प्रकार के दार्शनिक मत हैं। एक भीमासक का 'स्वतः प्रामाण्यवाद' और दूसरा नैयायिक का 'परतः प्रामाण्यवाद'। 'स्वतः प्रामाण्य' का अर्थ है 'ज्ञानप्राहकतिरिक्तानपेक्ष्य स्वतस्त्वम्'। अर्थात् ज्ञानप्राहक और प्रामाण्यप्राहक सामग्री यदि एक ही हो तो स्वतः प्रामाण्य होता है। भीमासक मत में ज्ञान और प्रामाण्य दोनों का प्रदण 'ज्ञातान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थावृत्ति' से होता है इसलिए स्वतः प्रामाण्य है। 'ज्ञातान्यथानुपपत्ति' का आशय यह है कि पहिले 'अयं घटः' यद् ज्ञान होता है। इस ज्ञान से घट में ज्ञातता नाम का एक धर्म उत्पन्न होता है। इस धर्म को भीमासक 'ज्ञातता' धर्म कहता है। यह 'ज्ञातता' धर्म 'अयं घटः' इस ज्ञान से पहिले नहीं था, 'अयं घटः' इस ज्ञान के बाद घट में उत्पन्न हुआ है। इस लिए वह ज्ञानजन्य ही होता है। अर्थात् उसका कारण ज्ञान ही होता है। 'ज्ञातता' धर्म की प्रतीति बाद में होने वाले 'ज्ञातो मया घटः' इत्यदि रूप में होती है। इस 'ज्ञातो मया घटः' में घट में रहने वाली ज्ञातता प्रतीत होती है। यद् 'ज्ञातता' अपने कारण ज्ञान के बिना घट में नहीं आ सकती थी। इसलिए अन्यथा अर्थात् अपने कारण रूप ज्ञान के अभाव में अनुपपन्न होकर अपने उपपन्नक अर्थ ज्ञान की कल्पना कराती है। इसीको 'ज्ञातता अन्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थावृत्ति' कहते हैं। इस प्रकार 'ज्ञातान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थावृत्ति' से ज्ञान का और उसके साथ ही ज्ञान में रहने वाले 'प्रामाण्य' दोनों का प्रदण एक ही सामग्री से हो जाने और 'ज्ञानप्राहकतिरिक्तानपेक्ष्य रूप' स्वतस्त्व बन जाने से ज्ञान को 'स्वतः प्रामाण्य' ही मानना चाहिए, यह भीमासक का मत है।

नैयायिक इस स्वतः प्रामाण्यवाद की आधारभूत 'ज्ञातता' को ही नहीं मानता है। उसका कहना है कि यदि 'ज्ञातो मया घटः' इस प्रतीति के बल पर घट में आर एक 'ज्ञातता' धर्म मानते हैं तो फिर 'दृष्टो मया घटः' के आधार पर 'दृष्टता' धर्म, 'ज्ञतो मया घटः' के आधार पर 'ज्ञतता' धर्म, 'दृष्टो घटः' के आधार पर 'दृष्टता' आदि धर्म भी मानने चाहिये। इस प्रकार नए-नए धर्मों की कल्पना की जाय तो बड़ा गौरव होगा, इस लिए 'ज्ञातता' नाम का कोई धर्म नहीं है। भीमासक यदि यह करे कि विरल नियम के उत्पन्न के लिए ज्ञातता का मानना

आवश्यक है तो उसका उत्तर यह है कि विषय नियम का उपपादन शतता के आधार पर नहीं होता है अपितु घट और शान का 'विषय-विषयि-भाव' स्वाभाविक है ।

विषय नियम के उपपादन में शतता का उपयोग मीमांसक इस प्रकार मानता है कि 'अय घट' इस शान का विषय घट ही होता है पट नहीं होता । इसका क्या कारण है ? नैयायिक यदि यह कहे कि 'अय घट' यह शान 'घट' से पैदा होता है इसलिए इस शान का विषय घट ही होता है पट नहीं, तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि 'अय घट.' शान जैसे घट-से पैदा होता है इसी प्रकार आलोक और चतु भी तो उसकी उत्पत्ति के कारण होते हैं । तब फिर घट के ही समान आलोक तथा चतु को भी 'अय घट' इस शान का विषय मानना चाहिए । इसलिए नैयायिक के पास विषय नियम के उपपादन का कोई मार्ग नहीं है । हम मीमांसकों के मत में शतता ही इस विषय नियम का उपपादन करती है । 'अय घट' इस शान से उत्पन्न होने वाली शतता घट में ही रहती है, इसलिए 'अय घट' इस शान का विषय घट ही होता है पट नहीं । इस प्रकार विषय नियम का उपपादन करने के लिए 'शतता' का मानना आवश्यक है । उसी 'शतता' के द्वारा उसके कारणभूत शान का, और शानगत धर्म 'प्रामाण्य' का एक साथ ही ग्रहण होने से शान का स्वतः प्रामाण्य मानना ही उचित है । यह मीमांसक मत है ।

इस पर नैयायिक का कहना है कि 'शतता' के आधार पर विषय नियम मानने में दो दोष आ जावेंगे । एक तो 'अतीतानगतयोर्विषयत्वं न स्यात्' और दूसरा 'अनवस्था च स्यात्' । इसका अभिप्राय यह है कि मीमांसक के कहने के अनुसार घटादि पदार्थ शान का विषय इसलिए होते हैं कि उनमें शतता धर्म रहता है । धर्म उसी पदार्थ में रह सकता है जो विद्यमान हो । यदि धर्मों पदार्थ ही विद्यमान न हो तो 'शतता' धर्म कहा रहेगा ? परन्तु अतीत इतिहास आदि के पढ़ने से चाणक्य, चन्द्रगुप्त आदि अतीत व्यक्तियों का और ज्योतिष आदि से भावी सूर्यग्रहण आदि का ज्ञान हमको होता है । अर्थात् वह अतीत और अनागत पदार्थ हमारे ज्ञान के विषय होते हैं । यह अतीत और अनागत पदार्थ विद्यमान नहीं हैं इसलिए उनमें शतता धर्म नहीं रह सकता है । यदि शतता धर्म के रहने से ही विषय माना जाय तो फिर अतीत और अनागत पदार्थ विषय नहीं हो सकेंगे । यह एक दोष होगा ।

दूसरा दोष अनवस्था है। उसका आशय यह है कि ज्ञातता का भी हमको ज्ञान होता है तो ज्ञातता उस ज्ञान का विषय होती है। इसलिए ज्ञातता में ज्ञातता माननी होगी। और वह दूसरी ज्ञातता भी ज्ञान का विषय होती है इसलिए उसमें तीसरी, इसी प्रकार चौथी आदि अनन्त ज्ञातताएँ माननी होंगी और इस प्रकार अनवस्था होगी। इसलिए इन दो महा दोषों के कारण ज्ञातता के आधार पर नियम नियम मानना उचित नहीं है। अर्थात् घट और ज्ञान का नियम विषयिभाव स्वाभाविक है। अतः ज्ञातता के मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यह ज्ञातता ही मीमांसक के स्वतः प्रामाण्यवाद का मूल आधार थी। जब उसका ही खण्डन हो गया तब 'द्विजने मूले नैव पर न शाखा' न्याय के अनुसार स्वतः प्रामाण्यवाद का खण्डन ही-खण्डन हो जाता है। इस प्रकार मीमांसक के स्वतः प्रामाण्यवाद का खण्डन कर नैयायिक अपने परत प्रामाण्यवाद को निम्न प्रकार स्थापित करा है।

परत प्रामाण्य का लक्षण 'ज्ञानग्राहकतिरिक्तापेक्षत्वं परतस्त्वम्' है। अर्थात् ज्ञान ग्राहक और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री एक न होकर अलग अलग होने पर परत प्रामाण्य होता है। नैयायिक मत में ज्ञान ग्राहक सामग्री तो 'अनुव्यवसाय' है और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री 'प्रवृत्तिसाधन्यमूलक अनुमान' है। ज्ञान विषयक ज्ञान का 'अनुव्यवसाय' कहते हैं। 'अयं घट' ज्ञान के बाद 'घटमद् जानामि' यह ज्ञान होता है। 'अयं घट' इस प्रथम ज्ञान का विषय घट होता है और उसके बाद 'घटज्ञानवान् अहम्' या 'घटमद् जानामि' आदि द्वितीय ज्ञान का विषय 'घटज्ञान' होता है। इस ज्ञान विषयक द्वितीय ज्ञान 'अनुव्यवसाय' कहता है। इसकी उत्पत्ति, प्रथम 'अयं घट' इस ज्ञान से ही होती है। मीमांसक की 'ज्ञातता' भी 'अयं घट' इस ज्ञान से ही उत्पन्न होती है और नैयायिक का 'अनुव्यवसाय' भी उसी से उत्पन्न होता है। परन्तु उन दोनों में भेद यह है कि मीमांसक की 'ज्ञातता' घट में रहने वाला धर्म है, और नैयायिक का 'अनुव्यवसाय' आत्मा में रहने वाला धर्म है।

नैयायिक के मत में ज्ञान का अर्थ तो इस 'अनुव्यवसाय' से होता है। और उसके प्रामाण्य का अर्थ पीछे 'प्रवृत्तिसाधन्यमूलक अनुमान' से होता है। प्रवृत्तिसाधन्यमूलक अनुमान का अभिप्राय यह है कि यदि मनुष्य को जल आदि किसी पदार्थ का ज्ञान होगा तो उसके बाद यह उसके अर्थ आदि के लिए प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्ति के होने पर यदि उसकी प्रवृत्ति सफल होगी तो वह अपने ज्ञान के प्रमाण समझता है। और मरुमरीचिका आदि में प्रवृत्ति के

यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीती
क्वचित् क्रियमाणाया तस्य प्रमाणान्तरविषयत्वे सत्यपि न शब्द-
व्यापारविषयताहानिस्तद्वद् व्यङ्ग्यस्यापि ।

बाद जल की उपलब्धि न होने से प्रवृत्ति विफल होने पर अप्रामाण्य का ग्रहण होता है । इस प्रकार प्रवृत्तिसाफल्यमूलक अनुमान से प्रामाण्य और प्रवृत्ति वैफल्य मूलक अनुमान से अप्रामाण्य का ग्रहण होता है । अतः ज्ञान और प्रामाण्य की ग्राहक सामग्री अलग-अलग होने से प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों परत, हैं । मीमांसक प्रामाण्य को स्वतः और अप्रामाण्य को परतः मानता है । नैयायिक का कहना है कि यह 'अर्धजरतीय'-'आधी तीतर आधी बटेर' वाला न्याय ठीक नहीं है । अतः या तो प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों को स्वतः मानो या फिर दोनों को परतः ही मानो । और इन दोनों पक्षों में से दोनों को परतः मानना ही ठीक है ।

इस प्रकार प्रामाण्य और अप्रामाण्य के निर्णय में मीमांसक जिस अर्थापत्ति को प्रमाण कहता है वह भी नैयायिक के मन में अनुमान ही मानी जाती है । इसलिए दोनों के ग्रहण में अनुमान का सम्बन्ध आता है । अतः प्रामाण्य और अप्रामाण्य सत्यत्व और असत्यत्व के अनुमान साध्य होने से व्यङ्ग्य अर्थ के सत्यत्व असत्यत्व ग्रहण के लिए भी अनुमान की आवश्यकता होगी ही । अतः व्यङ्ग्य अर्थ भी अनुमान का विषय होता ही है । फिर सिद्धान्त पक्ष की ओर से उस व्यङ्ग्य अर्थ की अनुमानविषयता का जो खण्डन किया गया है वह उचित नहीं है । इस शङ्का को मन में रख कर अगला प्रकरण आरम्भ करते हैं ।

जैसे वाच्य [अर्थ] के विषय में अन्य [अर्थापत्ति, अथवा अनुमान आदि] प्रमाणों के सम्बन्ध से प्रामाण्य का ग्रहण होने पर कहीं उस [वाच्य अर्थ] के प्रमाणान्तर [अर्थापत्ति अनुमान आदि] का विषय होने पर भी शब्द व्यापार के विषयत्व की हानि नहीं होती है [उसे शब्द व्यापार शब्दबोध का विषय माना ही जाता है] । इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थ में भी [प्रामाण्य और अप्रामाण्य के निश्चय में अर्थापत्ति अथवा अनुमान आदि प्रमाणों का उपयोग होने पर भी उसे व्यङ्ग्यना रूप शब्द व्यापार का विषय मानने में कोई हानि नहीं है] समझना चाहिए ।

[अन्य लौकिक तथा वैदिक वाक्यों के अनुष्ठान आदि परक होने से उनमें प्रामाण्य या अप्रामाण्य ज्ञान का उपयोग है परन्तु काव्य वाक्यों का उपयोग तो केवल सामकारिक प्रतीति कराना ही है । उस में

काव्यविषये च व्यङ्ग्यप्रतीतीना सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्वमेवेति तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरीक्षोपहासायैव सम्पद्यते । तस्माल्लिङ्गि प्रतीतिरेव सर्वत्र व्यङ्ग्यप्रतीतिरिति न शक्यते वक्तुम् ।

'यत्त्वनुमेयरूपव्यङ्ग्यविषय शब्दाना व्यञ्जकत्व, तद् ध्वनिव्यवहारस्याप्रयोजकम् । अपि तु व्यञ्जकत्वलक्षणं शब्दाना व्यापार औत्पत्तिकशब्दार्थसम्बन्धवादिनाप्यभ्युपगन्तव्य इति प्रदर्शनार्थमुपन्यस्तम् । तद्वि व्यञ्जकत्व कदाचिल्लिङ्गत्वेन कदाचिद्रूपान्तरेण शब्दानां वाचकानामवाचकाना च सर्ववादिभिरप्रतिज्ञेप्यमित्ययमस्माभिर्यत्न आरब्धः ।

प्रामाण्य—अप्रामाण्य के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है इसलिए वहा इस दृष्टि से अनुमान का प्रवेश मानने की भी आवश्यकता नहीं है] काव्य के विषय में व्यङ्ग्य प्रतीति के सत्यत्व और असत्यत्व के निरूपण का अप्रयोजकत्व होने से उनमें प्रमाणान्तर के व्यापार का विचार [यह केवल शुष्क तर्कवादी है रसिक नहीं इस प्रकार] उपहासजनक ही होगा । इसलिए सर्वत्र अनुमिति [लिङ्गि-प्रतीति] ही व्यङ्ग्य प्रतीति होती है यह नहीं कहा जा सकता है ।

औरीजो अनुमेय रूप व्यङ्ग्य [वक्ता का अभिप्राय आदि] के विषय में शब्दों का व्यञ्जकत्व है वह ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक नहीं है । अपितु शब्द अर्थ का निश्चय सम्बन्ध मानने वाले [मीमांसक] को भी [वक्ता के अभिप्राय आदि में] शब्दों का [वाचकत्व से भिन्न] व्यञ्जकत्व रूप व्यापार स्वीकार करना ही होगा इस बात के दिखलाने के लिए ही [वास्तव में अनुमेय परन्तु अभिधादि विलक्षण व्यापार के कारण व्यङ्ग्य रूप से निर्दिष्ट वक्ता के अभिप्राय के विषय में शब्दों का व्यञ्जकत्व व्यापार] यह [मीमांसक के मत के प्रसङ्ग में] दिखाया था । वह व्यञ्जकत्व कहीं अनुमान रूप से [वक्ता के अभिप्राय रूप व्यङ्ग्य के बोधन में] और कहीं अन्य रूप से [घटादि की अभिव्यक्ति में दीयादि की प्रत्यक्ष रूप से व्यञ्जकता, अवाचक गीत ध्वनि आदि की रसादि के विषय में स्वरूपप्रत्यक्षेण व्यञ्जकता, विवक्षितान्यपर वाच्य ध्वनि में अभिधा सहकार से व्यञ्जकता, अविवक्षित वाच्य ध्वनि में गुणवृत्ति के सहयोग से व्यञ्जकता इत्यादि किसी रूप में]

तदेवं गुणवृत्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्यो नियमेनैव तावद्विलक्षणं व्यञ्जकत्वम् । तदन्तःपातित्वेऽपि तस्य 'हठादभिधीयमाने तद्विशेषस्य ध्वनेर्यत्प्रकाशनं विप्रतिपत्तिनिरासाय सहृदयव्युत्पत्तये वा तत्क्रियमाणमनतिसन्धेयमेव' । नहि सामान्यमात्रलक्षणो-
नोपयोगिविशेषलक्षणानां प्रतिक्षेपः शक्यः कर्तुम् । एवं हि सति सत्ता-
मात्रलक्षणे कृते सकलसद्द्रस्तुलक्षणानां पौनरुक्त्यप्रसङ्गः ॥३३॥

तदेवम्—

विमतिविषयो य आसीन्मनीषिणां भततमविदितसतत्वः ।

ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम् ॥३४॥

वाचक-अवाचक [सभी प्रकार के] शब्दों का, सभी वादियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा इसीलिए हमने यह यत्न प्रारम्भ किया है ।

इस प्रकार गुणवृत्ति और वाचकत्व आदि शब्द प्रकारों से व्यञ्जकत्व अचरय ही भिन्न है । हठपूर्वक उस [व्यञ्जकत्व] को उस [अभिधा अथवा गुणवृत्ति] के अन्तर्गत मानने पर भी, उसके विशेष प्रकार ध्वनि का विप्रतिपत्तियों के निराकरण करने के लिए अथवा सहृदयों की व्युत्पत्ति [परिज्ञान] के लिए जो प्रकाशन [ग्रन्थकार के द्वारा] किया जा रहा है उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । [किसी पदार्थ के] सामान्य लक्षण मात्र से [उसके अवान्तर] उपयोगी विशेष लक्षणों का निषेध नहीं हो जाता है । यदि ऐसा [निषेध] हो तब भी [वैशेषिक मत में द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहने वाली जाति] सामान्य मात्र का लक्षण कर देने पर [उसके अन्तर्गत शृथिभ्यादि नौ द्रव्य, रूप-रस आदि २४ गुण, और उत्प्रेषणादि पञ्चविध कर्म आदि] सब सद् वस्तुओं के लक्षण ही स्थयं [पुनरन्त] हो जावेंगे । [इसलिये लक्षणा और गुणवृत्ति से भिन्न व्यञ्जक प्रधान ध्वनि के बोध के लिए व्यञ्जना को अलग धृषि मानना ही होगा] ॥३३॥

इस प्रकार,

ध्वनि नाम का जो काव्य भेद [तात्त्विक आदि] विद्वानों की विमति [मतभेद] का विषय [अतएव अथ सः] निरन्तर अधिदित सदस्य रहा उसको हमने इस प्रकार प्रकाशित किया ॥३४॥

१. न प्रहादभिधीयमानस्येतद्विनोव्यस्य नि०, दी० । २. अनभिसन्धयमेव दी० ।

प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्ग्यः काव्यस्य दृश्यते ।

यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात् प्रकर्षवत् ॥३५॥

व्यङ्ग्योऽर्थो ललनालावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तम् । तस्य^१ तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकर्षं गुणीभूत-
व्यङ्ग्यो नाम काव्यप्रभेदः प्रकल्प्यते । तत्र वस्तुमात्रस्य व्यङ्ग्यस्य
तिरस्कृतवाच्येभ्यः^२ प्रतीयमानस्य कदाचिद्वाच्यरूपवाक्यार्थापेक्षया
गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्ग्यता ।

गुणीभूत व्यङ्ग्य का निरूपण—

इस प्रकार ध्वनि नामक प्रधान काव्यभेद का सविस्तर और सप्रभेद
निरूपण करके अब गुणीभूत व्यङ्ग्य का दूसरे काव्य भेद का निरूपण प्रारम्भ
करते हैं । जहाँ व्यङ्ग्य अर्थ से वाच्य अर्थ अधिक चमत्कारी हो जावे उसे
गुणीभूत व्यङ्ग्य कहते हैं । गुणीभूत व्यङ्ग्य के आठ भेद माने गए हैं ।
१. इतराङ्ग व्यङ्ग्य, २. काकु से आक्षिप्त व्यङ्ग्य, ३. वाच्य सिद्धि का अङ्गभूत
व्यङ्ग्य, ४. सन्दिग्धप्राधान्यव्यङ्ग्य, ५. तुल्यप्राधान्यव्यङ्ग्य, ६. अस्फुट व्यङ्ग्य,
७. अग्रगूढ व्यङ्ग्य और ८. अतुन्दर व्यङ्ग्य, इन्हीं का निरूपण आगे करेंगे ।

जहाँ व्यङ्ग्य के सम्बन्ध होने पर वाच्य का चारुत्व अधिक प्रकर्ष युक्त
हो जाता है वह गुणीभूत व्यङ्ग्य नाम का काव्य का दूसरा भेद होता है ।

[प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम् । यत्तन्
प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥ १,४ इत्यादि कारिका में]
ललनार्थों के लावण्य के समान जिस व्यङ्ग्य अर्थ का प्रतिपादन किया है
उसका प्राधान्य होने पर ध्वनि [काव्य] होता है यह कह चुके हैं । उस
[व्यङ्ग्य] के गुणीभाव हो जाने से वाच्य [अर्थ] के चारुत्व की वृद्धि हो
जाने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य नाम का काव्य भेद माना जाता है । उनमें [अति-
वर्धित वाच्य, लक्षणा मूल ध्वनि के अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य प्रभेद में] तिरस्कृत
वाच्य [वाले] शब्दों से प्रतीयमान वस्तु मात्र व्यङ्ग्य के कभी वाच्य रूप
वाक्यार्थ की अपेक्षा गुणीभाव [अप्राधान्य] होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य [काव्य]
होता है । जैसे :—

१. तस्यैव नि०, दी० । २. शब्देभ्यः पाठ नि०, दी० में अधिक है ।

यथा :—

लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते ।
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः ॥

अतिरस्कृतवाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्ग्यस्य कदाचिद्वाच्यप्राधान्येन 'काव्यचारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूत-
व्यङ्ग्यता । यथोदाहृतं, 'अनुरागवती मन्ध्या' इत्येवमादि ।

[नदी के किनारे स्नानार्थ आई हुई किन्हीं तरणी को देख कर किसी रसिक जन को यह उक्ति है । इसमें युवती को स्वयं नदी रूप में वर्णन किया है ।] यहाँ [नदी तट पर] यह नई कौन सी लावण्य की नदी घागई है जिसमें चन्द्रमा के साथ कमल तैरते हैं, जिसमें हाथी की गण्डस्थली उभर रही है, और जहाँ कुछ और ही प्रकार के कदली काण्ड तथा मृणाल दण्ड दिखाई देते हैं ।

यहाँ सिन्धु शब्द से परिपूर्णता, उत्पल शब्द से कदाचिच्छ्रुता, शशि शब्द से मुग्ध, द्विरदकुम्भतटी शब्द से स्ननयुगल, कदलीकाण्ड शब्द से ऊरुयुगल और मृणाल दण्ड शब्द से भुजा रूप अर्थ अभिव्यक्त होता है । इन सब शब्दों का मुख्य अर्थ यहाँ संबंध अनुराग होने से 'निश्चयान्ध इवादशचन्द्रमा न प्रकाशते' इत्यादि उदाहरण के समान उनका अत्यन्त तिरस्कार हो जाने से, वह व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकाशन करते हैं । इसलिए अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य यद्युक्ति है । परन्तु उक्त 'लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र' में वाच्य, अथा की शोभ वृद्धि में ही उपयोग होता है अतएव यह चरमगदयद्गुण गुणीभूत व्यङ्ग्य है ।

कभी अतिरस्कृत वाच्य शब्दों में प्रतीयमान व्यङ्ग्य का वाच्य के वाच्य की अपेक्षा में वाच्य का प्राधान्य होने में गुणीभाव हो जाने पर गुणीभूत व्यङ्ग्यता हो जाती है जैसे, अनुरागवती मन्ध्या इत्यादि उदाहरण [शृष्ट १० पर] देखें ।

यहाँ अनुरागवती मन्ध्या आदि श्लोक में अतिरस्कृत वाच्य, मन्ध्या दिवस शब्द में चन्द्रय नामक लक्षिक व्यवहार की प्रतीति व वाच्य के ही चमत्कार का हेतु होने में इतना व्यङ्ग्य नामक गुणीभूत व्यङ्ग्य है ।

१. वाच्य पर नि०, शी० में नहीं है ।

तस्यैव स्वयमुक्त्या प्रकाशीकृतत्वेन गुणीभावो^१ यथोदाहृतम्, 'सकेतकालमनसम्' इत्यादि । रसादिरूपव्यङ्ग्यस्य गुणीभावो रसवदलङ्कारे^२ दर्शित । तत्र च तेषामाधिकारिकजाक्यापेक्षया गुणीभावो^३ निवहनप्रवृत्तभृत्यानुयायिरालवत् ।

व्यङ्ग्यचालङ्कारस्य गुणीभावे दीपकादिरिपय ॥३५॥

उसी [व्यङ्ग्य वस्तु] के स्वय [अपने वचन द्वारा] प्रकाशित कर देने से [वाच्यसिद्धयङ्ग व्यङ्ग्य] गुणीभाव होता है । जैसे 'सकेत कालमनस' इत्यादि उदाहरण [पृ० १८३ पर] दिया जा चुका है ।

रसादि रूप व्यङ्ग्य का गुणीभाव रसवत् अलङ्कार [के प्रसङ्ग] में दिखा चुके हैं । वहा [रसवदलङ्कार में] उन [रसादि] का आधिकारिक [मुख्य] वाक्य की अपेक्षा से विग्रह में प्रवृत्त [वर रूप] भृत्य के अनुयायी राजा के समान गुणीभाव होता है ।

इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि व्यङ्ग्य होने से रस ही सब प्रधान होता है । 'परन्तु जैसे राजा यदि कभी अपने किसी कृपापात्र सेवक के विवाह में सम्मिलित हो तो वहा वर रूप होने से सेवक का प्राधान्य होगा और राजा उसका अनुयायी होने से गौण ही होगा । इसी प्रकार रसवदलङ्कार आदि की स्थिति में रस के प्रधान होते हुए भी उस समय मुर्यता किसी अन्य की ही होने से रसादि उसके अङ्ग अर्थात् गुणीभूत होते हैं ।

'आधिकारिक' शब्द का लक्षण दशरूपक में इस प्रकार किया गया है ।

अधिकार फलस्वाम्यमधिकारी च तत्पशु ।

तत्रिर्द्वर्त्यमभिव्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकम् ॥

दशरूप० १, १२ ।

फल के स्वामित्व को अधिकार और उस फल के भोक्ता को अधिकारी कहते हैं । उस अधिकारी द्वारा सम्पादित व्यापक वृत्त को 'आधिकारिक' वस्तु कहते हैं ।

व्यङ्ग्य अलङ्कार के गुणीभाव का रिपय दीपक आदि [अलङ्कार] हैं ।

प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म का सम्बन्ध होने पर दीपकालङ्कार

१ गुणीभाव नि० दी० । २ गुणीभाव रसवदलङ्कारविषय प्राक । दर्शित दी० गुणीभावे रसवदलङ्कारो दर्शित नि० । ३ विवाह नि० ।

तथा :—

प्रसन्नगम्भीरपदाः काव्यबन्धाः सुखावहाः ।

ये च तेषु प्रकारोऽयमेव' योज्यः सुमेधसा ॥३६॥

ये चैते^१ऽपरिमितस्वरूपा अपि प्रकाशमानास्तथाविधार्थरमणीयाः^२ सन्तो विवेकिना सुखावहा. काव्यबन्धास्तेषु सर्वेष्वेवायं प्रकारो गुणीभूतव्यङ्ग्यो नाम योजनीयः । यथा :—

होता है । 'प्रस्तुताप्रस्तुतयोदात्तान्तु निगद्यते' । द्वितीय उद्योत में पृष्ठ १६२ पर 'चन्द्रमऊएदि णिसा' इत्यादि श्लोक उद्धृत करके यह दिखाया है कि उसमें चन्द्रमयूले, कमलैः, कुसुमगुच्छै, और 'सञ्जनै' में तथा निशा, नलिनी, लता और काव्यगोभा में सादृश्य व्यङ्ग्य है परन्तु यह सादृश्य या उपमा चमत्कारजनक नहीं है अपितु दीपक अर्थात् एरुधर्माभिसम्बन्ध के ही चमत्कार जनक होने से दीपक नाम से ही अलङ्कार व्यवहार होता है । उपमा नाम से नहीं । अर्थात् उपमा व्यङ्ग्य होने पर भी वाच्य दीपकालङ्कार का अङ्ग है । अतएव गुणीभूत व्यङ्ग्य है । दीपकादि में 'अ' दि पद से उसी प्रकार के रूपक, परिणाम आदि अलङ्कारों का भी ग्रहण कर लेना चाहिये । इस प्रकार व्यङ्ग्य के वस्तु अलङ्कार तथा रसादि यह तीना भेद गुणीभूत हो सकते हैं ॥३५॥

प्रसन्न [प्रसाद गुण युक्त] और गम्भीर [व्यङ्ग्य सम्बन्ध से अर्थ-गाम्भीर्य युक्त] जो आनन्ददायक काव्य रचनाएँ, [हों] उनमें पुष्टिमान् करि वो इसी प्रकार का उपयोग करना चाहिये । [ध्वनि के सम्भव न होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य की योजना से भी कवि को कविपद की प्राप्ति हो सकती है । अन्यथा तो फिर कविता उपहासयोग्य ही होती है ।]

और जो यह नाना प्रकार [अपरिमितस्वरूपा] की उस [अलौकिक व्यङ्ग्य के सस्पर्श] प्रकार के अर्थ से रमणीय प्रकाशमान रचनाएँ विद्वानों के लिए आनन्ददायक होती हैं उन सभी काव्य रचनाओं में गुणीभूत व्यङ्ग्य नाम का यह प्रकार उपयोग में लाना चाहिए । जैसे :—

१. प्रकारोऽयमेव नि०, दी० । २ परिमितस्वरूपा नि०, दी० । ३ तथा रमणीया नि०, दी० ।

लक्ष्मी दुहिता जामातश्चो हरी तम धरिणिश्चा गङ्गा ।
 अमिअमिअङ्गा च सुआ अहो कुटुम्ब महोअहिणो ॥
 [लक्ष्मीदुहिता जामाता हरिस्तस्य वृहिणा गङ्गा ।
 अमृतमृगाङ्गो च सुतायहो कुटुम्ब महोदधे ॥

—इतिच्छाया ॥३६॥]

वाच्यालङ्कारवर्गोऽय व्यङ्ग्यांशानुगमे सति ।
 प्रायेणैव परां छायां विभ्रल्लक्षणे निरीक्ष्यते ॥३७॥

वाच्यालङ्कारवर्गोऽय व्यङ्ग्याशस्यालङ्कारस्य वस्तुमात्रस्य वा^१
 यथायोगानुगमे सति च्छायातिशय विभ्रल्लक्षणकारैरेकदेशेन दर्शित ।
 स तु तयारूप प्रायेण सर्व एव परिक्ष्यमाणो लक्ष्ये निरीक्ष्यते ।

लक्ष्मी [समुद्र की] पुत्री है, विष्णु जामाता हैं, गङ्गा उसकी पत्नी है,
 अमृत और चन्द्रमा [सरीखे] उसके पुत्र हैं । अहा महोदधि वा णसा [उत्तम]
 परिवार है ।

यद्य 'लक्ष्मी' पद से सर्वस्पृहणीयता, 'विष्णु' पद से परमैश्वर्य, 'गङ्गा'
 पद से परमपावनत्व तथा सकलमनोरथपूरणत्वमत्व, 'अमृत' पद से मरणभयो
 पशमकत्व, और मृगाङ्ग पद से लोकोत्तराह्लादजनकत्वादि रूप व्यज्यमान वस्तु
 व्यङ्ग्य है, और यह 'अहो कुटुम्ब' से वाच्य विस्मय का पोषक होकर गुणीभूत
 व्यङ्ग्य रूप से चमत्कारजनक होती है ।

लोचनकार ने यद्य 'अमृतपद' का अर्थ वासुकी क्रिया है और उससे
 गङ्गा स्नान तथा हरिचरणाराधन आदि शतश उपायों से उपलब्ध लक्ष्मी का
 चन्द्रोदय पानगोष्ठी आदि रूप में उपयोग ही मुख्य फल है । इसलिए वह लक्ष्मी
 त्रैलोक्यसारभूत प्रतीत होकर 'अहो' शब्द वाच्य विस्मय का अङ्ग होकर गुणीभूत
 व्यङ्ग्यता का उपपादन करती है । इस प्रकार की व्याख्या की है । यह व्याख्या
 पाशुपत सम्प्रदाय के अनुकूल प्रतीत होती है ॥३६॥

यह [प्रसिद्ध] वाच्य अलङ्कारों का वर्ग व्यङ्ग्य अंश के सस्पर्श से
 वाच्यों में प्राय अल्पन्त शोभातिशय को प्राप्त होता हुआ पाया जाता है ।

यह [प्रसिद्ध] वाच्य अलङ्कारों का समुदाय व्यङ्ग्य अंश रूप अलङ्कार अपवा

तत्रातिशयोक्तिर्यमलङ्कारमधितिष्ठति कविप्रतिभावशात्तस्य
 चारुत्प्रातिशययोगोऽन्यस्य त्वलङ्कारमात्रतैवेति सर्वालङ्कारशरीरस्वीकरण
 योग्यत्वेनाभेदोपचारात् सैव सर्वालङ्काररूपा, इत्ययमेवाथोऽवगन्तव्य ।

तस्याश्चालङ्कारान्तरसकीर्णत्व कदाचिद्वाच्यत्वेन, कदाचिद्
 व्यङ्ग्यत्वेन । व्यङ्ग्यत्वमपि कदाचित् प्राधान्येन कदाचिद् गुणभावेन ।
 तत्राद्ये पक्षे वाच्यालङ्कारमार्ग । द्वितीये तु ध्वनावन्तभाव । तृतीये
 तु गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपता ।

उस में कवि की प्रतिभावश्रुतिशयोक्ति जिस अलङ्कार को प्रभावित
 करती है उसको [ही] शोभातिशय प्राप्त होता है । अ य तो [चमत्काराति
 शयरहित केवल] अलङ्कार ही रह जाते हैं । इसी से सब अलङ्कारों का रूप
 धारण कर सकने की क्षमता के कारण अभेदापचार से वही सर्वालङ्कार रूप है,
 यही अर्थ समझना चाहिए । [भामह ने जो कहा है उसका यह अर्थ समझना
 चाहिये इस प्रकार यहाँ बड़ा लम्बा अन्वय होता है] ।

निर्णयसागरीय संस्करण में 'सर्वैव वक्रोक्ति' के स्थान पर 'सर्वत्र वक्रोक्ति'
 पाठ है । परन्तु यहाँ वृत्तिकार ने जो सैव सर्वालङ्काररूपा' व्याख्या की है उससे
 'सर्वैव वक्रोक्ति' यही पाठ उचित प्रतीत होता है । परन्तु भामह के काव्यालङ्कार
 के मुद्रित संस्करण में 'सर्वत्र' पाठ ही पाया जाता है । और अत्र प्राचीन ग्रंथों
 में भी जहाँ जहाँ भामह की यह कारिका उद्धृत हुई है उनमें 'सर्वत्र' पाठ ही
 रखा गया है । इससे भामह का मूल पाठ तो 'सर्वत्र' ही जान पड़ता है परन्तु
 ध्वन्यालोककार ने उसके स्थान पर 'सर्वैव' पाठ उद्धृत किया है और तन्नुसार
 ही उसकी वृत्ति में व्याख्या की गई है । इसलिए यहाँ ध्वन्यालोककार का अभिमत
 पाठ ही मूल में रखा गया है । भामह का वास्तविक पाठ नही ।

उस [अतिशयोक्ति] का अन्य अलङ्कारों के साथ सङ्कर कभी वाच्यत्वेन
 और कभी व्यङ्ग्यत्वेन [हाता है] । व्यङ्ग्यत्व भी कभी प्रधान रूप स और
 कभी गौणरूप से [होता है] । उनमें से पहिले [वाच्य रूप] पक्ष में वाच्या
 लङ्कार का मार्ग है । दूसरे [प्राधान्येन व्यङ्ग्य] पक्ष में ध्वनि में अन्तर्भाव होता
 है । और तीसरे [व्यङ्ग्य के अप्राधान्य पक्ष] में गुणीभूत व्यङ्ग्यता हाती है ।

तत्र च गुणीभूतव्यङ्ग्यतायामलङ्काराणां केषाञ्चिदलङ्कारविशेष

जैसे —

असमाप्तजिगीपस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्विन ।

अनाक्रम्य जगत्सर्वं नो सन्ध्या भजते रविः ॥

यहां रवि और सन्ध्या में नायक-नायिका के व्यवहार का आरोप गम्यमान है । परन्तु यह वाच्य समासोक्ति का अविनाभूत है । उसके बिना समासोक्ति बन ही नहीं सकती है अतएव यह गुणीभूत होने से गुणीभूत व्यङ्ग्य है ।

५ — पर्यायोक्त यदा भङ्गा गम्यमेवाभिधीयते ॥ सा० द० १०, ६० ।

जैसे —

सृष्ट्यास्ता नन्दने शच्या केशसम्भोगलालिता ।

सावज्ञ पारिजातस्य मञ्जुर्यो यस्य सेनिकैः ॥

यहा हयग्रीव ने स्वर्ग को विजय कर लिया है यह व्यङ्ग्य अश है परन्तु उसके बिना पर्यायोक्त का स्वरूप ही नहीं बनता है अतएव पर्यायोक्त का अविनाभूत होने से व्यङ्ग्य गुणीभूत होता है ।

६ — वस्तुनो वस्तुमिदस्य विशेषप्रतिपत्तये ।

निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा ॥

—सा० द० १०, ६४ ।

जैसे —

तव विरहे हरिणाही निरीक्ष्य नवमालिका दलिताम् ।

हन्त नितान्तमिदाना आ कि इतजल्पितैरथवा ॥

यहा व्यङ्ग्य अर्थ है 'मरिभ्यति ।' परन्तु यह वाच्य आक्षेप का अविनाभूत है । उसके बिना आक्षेप अलङ्कार का स्वरूप ही नहीं बन सकता है अतएव यह गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है ।

१ — उस गुणीभूत व्यङ्ग्यता में किन्हीं अलङ्कारों का अलङ्कार विशेष गर्भित होने का नियम है । जैसे श्याम स्तुति के प्रयोऽलङ्कारगर्भत्व [के विषय] में ।

उक्ता व्याजस्तुति पुन ।

निन्दास्तुतिग्या वाच्याभ्यां गम्यत्ये स्तुतिनिन्दयोः ॥

—सा० द० १०, ५६ ।

गर्भतायां नियमः । यथा व्याजस्तुतेः प्रेयोऽलङ्कारगर्भत्वे । केपाञ्चिदलङ्कार-
मात्रगर्भतायां नियमः । यथा सन्देहादीनामुपमागर्भत्वे ।

केपाञ्चिदलङ्काराणां परस्परगर्भतापि सम्भवति, यथा दीपकोपमयोः ।

व्याजस्तुति में वाच्य निन्दा से प्रतीयमान राजा या देवादि विषयक रति रूप 'भाव' व्यङ्ग्य होता है । और वह स्तावरुनिष्ठ स्तयनीयविषयक प्रेम रूप व्यङ्ग्य 'भाव', वाच्य व्याजस्तुति के गर्भ में अवश्य रहेगा । अन्यथा व्याजस्तुति बन ही नहीं सकती । अतएव गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है । यह राजा या देवादि विषयक रति, 'भाव' कहलाती है । और भाव के अन्याङ्ग होने पर प्रेयोऽलङ्कार होता है । इसलिए व्याजस्तुति में प्रेयोऽलङ्कार का होना आवश्यक है ।

२—किन्हीं अलङ्कारों में अलङ्कार मात्र गर्भित होने का नियम है । जैसे सन्देहादि के उपमा गर्भ होने में । [उपमा शब्द यहां सादरय मूलक अलङ्कारों का प्रादक है ।]

सन्देह अलङ्कार का लक्षण निम्न है .—

सन्देहः प्रकृतेऽन्यस्य सशय. प्रतिभोत्थितः ।

शुद्धो निश्चयगर्भोऽसौ निश्चयान्त इति त्रिधा ॥

—सा० द० १०, ३५ ।

जैसे :—

अयं मार्तण्डः किं, स खलु तुरगैः सप्तभिरितः ।

पृथानुः किं सर्वाः प्रसरति दिशो नैव नियतन् ॥

कृतान्तः किं साक्षान्महिषरहनोऽभाविनि पुनः,

समालोकयाजौ त्वां विदधति विकल्मान् प्रतिमयाः ॥

इत्यादि सन्देहालङ्कार के उदाहरणों में उपमा नियमनः गर्भ में रहती है । जैसे तो उपमा भी एक अलङ्कार विशेष का ही नाम है । अतएव इसको भी अलङ्कार विशेष गर्भता के नियम वाले वर्ग में ही रखना चाहिए था । परन्तु उपमा में नाना अलङ्कारों का रूप धारण करने की सामर्थ्य है इसलिए उन्हें अलङ्कार समान्य मान कर ही अलङ्कारमात्र गर्भता का उदाहरण माना है ।

३—किन्हीं अलङ्कारों में परस्पर गर्भता भी हो सकती है । जैसे

तत्र दीपकमुपमागर्भत्वेन प्रसिद्धम् । उपमापि कदाचिद्दीपकच्छाया-
नुयायिनी । यथा मालोपमा । तथा हि 'प्रभामहत्या शिखयेव दीपः' इत्यादौ
स्तुतैव दीपकच्छाया लक्ष्यते ।

तदेवं व्यङ्ग्यं चांशसंस्पर्शे सति चारुत्वातिशययोगिनो रूपकादयो
ऽलङ्काराः सर्व एव गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य मार्गः । गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं च
तेषां तथाजातीयानां सर्वेषामेवोक्तानामनुक्तानां सामान्यम् । तल्लक्षणै
सर्व एवैते सुलक्षिता भवन्ति ।

दीपक और उपमा में । उनमें से उपमागर्भ दीपक प्रसिद्ध ही है परन्तु कभी-
कभी उपमा भी दीपक ही छाया अनुयायिनी होती है । जैसे मालोपमा में
इसी से 'प्रभामहत्या शिखयेव दीप' इत्यादि में दीपक की छाया स्पष्ट ही
प्रतीत होती है ।

प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्त्रिमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्गः ।

संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तथा स पूतश्च विभूषितश्च ॥ कुमार स० १, २८

यह कुमारसम्भन का श्लोक है । इसमें मालोपमा अलङ्कार है । मालो-
पमा का लक्षण है—'मालोपमा यदेकस्योत्तमान बहु दृश्यते' । यदि एक उपमेय
के अनेक उपमान हों तो मालोपमा अलङ्कार होता है । यथा पार्वती के जन्म से
हिमालय ऐसे पवित्र और सुरोन्नत हुआ जैसे प्रभायुक्त दीप शिखर से दीपक,
अथवा जैसे त्रिमार्गंगा गङ्गा से ~~व्यङ्ग्य~~ अथवा जैसे सरस्वती वाणी से
विद्वान् पुरुष पवित्र और अलङ्कृत होता है । यहाँ एक उपमेय के तीन उपमान
होने से मालोपमा है । परन्तु मालोपमा के गर्भ में दीपक अलङ्कार है 'प्रस्तुता-
प्रस्तुयोदापि तु निगद्यते' । प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थों में एक धर्माभिन्नबन्ध
होने से दीपक अलङ्कार होता है । यहाँ पार्वती के सम्बन्ध से हिमालय का
पवित्र होना प्रस्तुत है और उसके उपमानभूत तीनों अर्थ अप्रस्तुत हैं । उन
चारों में 'पूतत्व' और 'विभूषितत्व' रूप एक धर्म का सम्बन्ध होने से दीपक-
अलङ्कार हुआ । अतएव यह दीपकगर्भ उपमा का उदाहरण हुआ ।

इस प्रकार व्यङ्ग्य के संस्पर्श होने पर शोभातिशय को प्राप्त होने
वाले रूपक आदि सब ही अलङ्कार गुणीभूत व्यङ्ग्य के मार्ग हैं । और गुणी-
भूत व्यङ्ग्य उस प्रकार के [व्यङ्ग्य संस्पर्श से ध्वन्यव्यांगी] कहे गए
[दीपक तुल्ययोगिता आदि] या न कहे हुए [सन्देह आदि] उन सभी
अलङ्कारों में सामान्य रूप में रहता है । उन [गुणीभूत व्यङ्ग्य] के लक्ष्य

एकैकस्य स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्यलक्षणरहितेन प्रति-
पदपाठेनेव^१ शब्दा न शक्यन्ते तद्वतो निर्द्धारणम् । आनन्त्यात् ।
अनन्ता हि वाग्विकल्पास्तत्प्रकारा एव चालङ्कारा ।

हो जाने पर [या समझ लेने में] यह सब ही [अलङ्कार] सुलक्षित हो
जाते हैं ।

इस का अभिप्राय यह है कि विच्छित्ति विशेष के आधायक व्यङ्ग्य-
सम्पर्श के अभाव में, 'गौरिव गवय' यहा उपमा, 'आदित्यो यूष' इत्यादि में
रूपक, 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इत्यादि में सन्देह, शुक्ति में 'इद रजतम्' इत्यादि
में अन्तिमान्, उसी शुक्ति में 'नेध शुक्ति' इद रजतम्' इत्यादि में अपन्दुति,
इसके विपरीत उसी शुक्ति में 'नेद रजत इय शुक्ति' इत्यादि में निश्चय,
'आद्य-तौटकितौ' इत्यादि में यथासख्य, 'अक्षा भव्यन्ताम् भुज्यन्ताम् दीव्यन्ताम्'
इत्यादि में श्लेष, 'वीनो देवदत्त दिवा न भुक्ते' इत्यादि में अर्थापत्ति, 'स्थाण्वोरिच्च'
इत्यादि में तुल्ययोगिता, 'गामश्च पुरुष पशु' इत्यादि में पुरुष के प्रस्तुत होने पर
दीपक, 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इत्यादि में अतिशयोक्ति अलङ्कार नहा हैं ।
इसलिए व्यङ्ग्य के अभाव में अलङ्कारत्व का अभाव होने से 'तदभावे तदभावो
व्यतिरेक' इत्यादि रूप व्यतिरेक, तथा चन्द्र इव मुखम् । मुख चन्द्र इत्यादि में आ-
लक्षदकत्व आदि व्यङ्ग्य का सम्बन्ध होने पर अलङ्कारत्व होने से 'तत्सत्त्वे तत्सत्ता-
न्यय' रूप अन्वय का ग्रहण होने से, अन्वय व्यतिरेक से यह निर्णय होता है कि
व्यङ्ग्य सम्बन्ध ही अलङ्कारता का प्रयोजक है । जैसे ईपनिगूढ कामिनी के मुच-
कलश अपने से सम्बद्ध हार आदि अलङ्कारों के शोभाजनक होते हैं इसी प्रकार
यह गुणीभूत व्यङ्ग्य, उपमादि अलङ्कारों को चारुवातिशय प्रदान करता है । यह
गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व सभी अलङ्कारों का साधारण घर्म है । गुणीभूत व्यङ्ग्य के
लक्षण होने से ही अलङ्कारों का लक्षण पूर्ण हो जाता है । इसी से अलङ्कार
सुलक्षित, पूर्णतया लक्षित होते हैं, अन्यथा 'गौरिव गवय' आदि के समान उनमें
अव्याप्ति आदि आना अनिवार्य है ।

सामान्य लक्षण रहित प्रत्येक अलङ्कार के अलग अलग स्वरूप कथन
में तो प्रतिपद पाठ से [अनन्त] शब्दों के [ज्ञान] के समान उन [अलङ्कारों]
का, अनन्त होने से, पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता । कथन की अनन्त शक्तियाँ
हैं और वही अनन्त अलङ्कार के प्रकार हैं ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च प्रकारान्तरेणापि व्यङ्ग्यार्थानुगमलक्षणो
विषयत्वमस्त्येव । तदयं ध्वनिनिप्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकवि-
विषयोऽतिरमणीयो लक्षणीयः सहृदयैः । सर्वथा नारत्येव सहृदयहृदय-
हारिणः काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पर्शेन सौभाग्यम् ।
तदिदं काव्यरहस्य परमिति सुरिभिर्निभावनीयम् ॥३७॥

सामान्य लक्षण द्वारा ही उनका ज्ञान हो सकता है । अलग-अलग प्रत्येक
अलङ्कार के समस्त भेदोपभेद आदि का ज्ञान सम्भव नहीं है । जैसे प्रतिपद पाठ
से शब्दों का ज्ञान असम्भव है । यह 'प्रतिपदपाठ' शब्द महाभाष्य में आए हुए
प्रकरण की ओर संकेत करता है । महाभाष्य में शब्दानुशासन की पद्धति का
निर्धारण करते हुए लिखा है —

“अथैतस्मिन् शब्दोपदेशे कर्त्तव्ये सति । क शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठ
कर्त्तव्यः, गौरश्च पुरुषो हस्ती शत्रुर्निर्मृगो ब्राह्मण इत्येवमादयः शब्दा पठितव्याः ?
नेत्याह । अनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । एव हि ध्रुयते वृहस्पतिरिन्द्राय
दिव्य वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारयणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम ।
वृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्च श्रुत्वा, दिव्य वर्षसहस्रमभ्ययनकालो न चान्तं
जगाम । किं पुनरश्रुत्वा सर्वथा चिरजीवति स वर्षशतं जीवति ।

और गुणीभूत व्यङ्ग्य का विषय [केवल एक अलङ्कार में दूसरे व्यङ्ग्य
अलङ्कार के सम्बन्ध से ही नहीं अपितु धरतु अथवा रसादि रूप अन्य]
व्यङ्ग्य अर्थ के सम्बन्ध से अन्य प्रकार से भी होता ही है । इसलिए अति
रमणीय महाकवि विषयक यह दूसरा ध्वनि प्रवाह भी सहृदयों को समझ लेना
चाहिए । सहृदयों के हृदय को मुग्ध करने वाले काव्य का ऐसा कोई भेद
नहीं है, जिसमें व्यङ्ग्य अर्थ के सम्बन्ध से सौन्दर्य न ध्याता हो । इसलिए
विद्वानों को यह समझ लेना चाहिए कि यह [व्यङ्ग्य, और केवल व्यङ्ग्य परस्पर्श
ही] काव्य का परम रहस्य है ।

यदि गुणीभूत व्यङ्ग्य को ध्वनि का निप्यन्द कहा है । उसका अर्थ उमरी
दूसरी धरा या उससे उत्पन्न दूसरा प्रवाह ही हो सकता है । उसका सार नहीं
समझना चाहिए । दधि का सार नगनीत है । इस प्रकार गुणीभूत व्यङ्ग्य को
ध्वनि का सार कहा जा सकता है । उसे अधक से अधिक 'आमिदा' छुना
के जल का स्थान दिया जा सकता है । गर्म दूध में दही डाल देने से यह पट जाता
है उसका जो जलीय अंश है उसे 'आमिदा' कहते हैं—'तप्ते पयसि दव्यनय,

सुख्या महाकत्रिगिरामलंकृतिभृतामपि ।

प्रतीयमानच्छायैषा भूषा लज्जेव योपिताम् ॥३८॥

अनया सुप्रसिद्धोऽप्यर्थः किमपि कामनीयकमानीयते । तद्यथा—
विस्मम्भोत्था मन्मथाज्ञाविधाने ये मुग्धाद्याः केऽपि लीलाविशेषाः^१ ।
अनुगुण्यणास्ते चेतसा केवलेन, स्थित्वैकान्ते सन्ततं भावनीयाः ॥

. इत्यत्र, केऽपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टमभिदधता प्रतीयमानं
‘वस्त्वक्लिष्टमनन्तमर्पयता का छाया नोपपादिता ॥३८॥

सा घैश्वदेव्यामिदा’ । गुणीभूतव्यङ्ग्य अधिक से अधिक आभिज्ञा स्थानीय ही हो
सकता है नरनीन स्थानीय नहीं । इसी प्रकार उस गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य में
अतिरमणीयता ध्वनि की अपेक्षा नहीं अपितु चित्रकाव्यादि की दृष्टि से ही हो सकती
है । प्रथम उद्योत में ध्वनि को ‘सकलसत्कविकाव्योपनिपद्भूत’ कहा था, उसी का
उत्सर्ग ‘काव्यरहस्य’ शब्द से यहाँ किया है । इसी बात को अगली कारिका में
उत्तमा द्वारा समर्थित करते हैं ।

अलङ्कार आदि से युक्त होने पर भी जैसे क्षत्रजा ही कुलवधुओं का
मुख्य अलङ्कार होती है, उसी प्रकार [उपमादि अलङ्कारों से भूषित होने पर भी]
यह व्यङ्ग्यार्थ की छाया ही महाकवियों की वाणी का मुख्य अलङ्कार है ।

इस [प्रतीयमान की छाया या व्यङ्ग्य के संस्पर्श] से सुप्रसिद्ध [बहुवर्णित
होने से वासीं हुए] अर्थ में भी कुछ अनिर्वचनीय [नूतन] सौन्दर्य आ जाता
है । जैसे :—

[अनुल्लङ्घ्यशामन] कामदेव की आज्ञापालन में मुग्धाही [वाम-
लोचना सुन्दरी] के विरयाम [परिचर्य, तथा मदनोत्रेकजन्य त्रया साभ्रस
आदि के श्वंस] से उत्पन्न और केवल चित्त से [भी] अनुगुण्य प्रतिक्षण नशीन
जो कोई अनिर्वचनीय हान भाव [होते] हैं, यह पृथग्गत में बैठ कर [तन्मय
होकर] चिन्तन करने योग्य होते हैं ।

इस उदाहरण में वाच्य अर्थ को स्पष्ट रूप से न कहने वाले ‘केऽपि’
इस पद ने अनन्त और अक्लिष्ट व्यङ्ग्य का बोध कराते हुए कौन सा सौन्दर्य
नहीं उत्पन्न कर दिया है ॥३८॥

आगे काव्यादिनि गुणीभूत व्यङ्ग्य का निम्नण करते हैं —

अर्थान्तरगतिः काव्या या चैषा परिदृश्यते ।

सा व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता ॥३६॥

या चैषा काव्या स्वचिदर्थान्तरप्रतीतिर्दृश्यते सा व्यङ्ग्य-
स्यार्थस्य गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्ग्यलक्षण काव्यप्रभेदमाश्रयते ।

यथा —

‘स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धर्तराष्ट्र’ ।

श्रीर काव्य द्वारा जो यह [प्रसिद्ध] अर्थान्तर [बिल्कुल भिन्न अर्थ,
अथवा उसी अर्थ का वैशिष्ट्य, अथवा उसका अभाव रूप अन्य अर्थ] की
प्रतीति दिखाई देती है वह व्यङ्ग्य के गौण होने से इसी [गुणीभूत व्यङ्ग्य]
भेद के अन्तर्गत होती है ।

श्रीर कहीं काव्य से जो यह [प्रसिद्ध] अन्य [वाच्य अर्थ से भिन्न
१ अर्थान्तर, अथवा उसी वाच्य अर्थ का २ अर्थान्तर संकमित विशेष, अथवा
३ तद्भावरूप त्रिविध] अर्थ की प्रतीति देखी जाती है वह व्यङ्ग्य अर्थ के गुणी
भावे होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य नामक काव्यभेद के अन्तर्गत होती है । जैसे —

‘मर [भीमसेन के] जीवित रहते धृतराष्ट्र के पुत्र [कौरव] स्वस्थ रहें ।’
यह ‘वैशीसदार’ नाटक में भीमसेन की उक्ति का अन्तिम चरण है । पूरा
श्लोक इस प्रकार है —

लाक्षाग्रदानलविपात्र सभाप्रवेशे ,
प्राण्यु वित्तनिचयु च न प्रहृत्य ।
श्राद्ध्य पाण्डवधूरिधानकेशान् ,
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धर्तराष्ट्र ॥

लाक्षाग्र में आग लगाकर, निप का अन्न खिला कर श्रीर शूतसभा
द्वारा हमारे प्राणों श्रीर धन सम्पत्ति पर प्रहार कर और पाण्डवों की स्त्री द्रौपदी के
वरम खाचने की दुरवेष्टा करके भी, मुझ भीमसेन के नाते जी धृतराष्ट्र के पुत्र
निश्चित होकर बैठ जाए । यद्य ‘यद् असम्भवं ह्ये’ यह अर्थ काव्य से अभिव्यक्त
होता है ।

बोलने के दग या लहने को ‘काव्य’ कहते हैं—‘भिनकसटप्यनिर्धारे
कावुरियभिधीमने’ । काव्य शब्द ‘कक लौल्य’ धातु से बना है । साकार या
निराकार रूप में विशेष दग से बोला जाने वाला काव्य पुनः वाच्य प्रकृत वाच्यार्थ

यथा वा —

आम असइथो ओरम पइठवए ण तुए मलिण्णिअं सीलम ।
किं उण जणस्स जाअ व्व चन्दिलं त ण कामेमो ॥

[आम असत्य, उपरम पतिव्रते न तया मलिनित शीलम् ।
किं पुनर्जनस्य जायेव नापितं तं न कामयामहे ॥

— इतिच्छाया ।

शब्दशक्तिरेव हि स्वाभिधेयसामर्थ्याच्छिप्तकाकुसहाया सती, अर्थविशेषप्रतिपत्तिहेतुर्न काकुमात्रम् । विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात् काकुमात्रात् तथाविधार्थप्रतिपत्त्यसम्भवात् । स चार्थं काकुविशेषसहाय शब्दव्यापारोपाकरोऽप्यर्थलभ्य इति व्यङ्ग्यरूप एव । वाचकत्वानुगमेनैव तु यदा तद्विशिष्टान्यप्रतीतिस्तदा गुणीभूतव्यङ्ग्यतया तथाविधार्थ-

से अतिरिक्त अन्य अर्थ की भी आकाङ्क्षा करता है यही उसका लौल्य है । इसी के कारण उसे काकु कहते हैं ।

अथवा जैसे —

अच्छा ठोऊ है, हम असती हैं, पतिव्रता महारानी, पर आप चुप रहिए । आपने तो अपना चरित्र भ्रष्ट नहीं किया । हम क्या साधारण जन की स्त्रियों के समान उस नाई की कामना न करें ।

यहा स्वयं नीच नापित पर अनुरक्त होकर भी हमारे ऊपर आक्षेप करती है । इत्यादि अनेक व्यङ्ग्य, अनेक पदों में, काकु द्वारा प्रतीत होते हैं । अतएव यह गुणीभूत व्यङ्ग्य का उदाहरण है ।

[काकु के उदाहरणों में] शब्द की [अभिधा] शक्ति ही अपने वाच्यार्थ की सामर्थ्य से आच्छिप्त, काकु की सहायता से अर्थविशेष [व्यङ्ग्य] की प्रतीति का कारण होती है, अकेली काकुमात्र [ही] नहीं । क्योंकि अन्य स्थलों में स्वच्छाकृत काकुमात्र स उस प्रकार क अर्थ की प्रतीति असम्भव है । और वह [काकु से आच्छिप्त] अर्थ काकु विशेष की सहायता से शब्द व्यापार [अभिधा] में उपाकृत होने पर भी अर्थ की सामर्थ्य से लभ्य होने से व्यङ्ग्य रूप ही होता है । उस [आच्छिप्त अर्थ] से विशिष्ट वाच्यार्थ की प्रतीति जब वाचकत्व [अभिधा] की अनुगामिनी [गुणीभूत] रूप में होती है तब उस अर्थ के प्रकारक काव्य म गुणीभूत व्यङ्ग्यरूप से व्यवहार होता है । व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्य का कथन करने वाले [वाच्य] का गुणीभूत व्यङ्ग्यरूप [होता] है ।

द्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः । व्यङ्ग्यत्रिंशतिष्ववाच्याभिधायिनो हि गुणी-
भूतव्यङ्ग्यत्वम् ॥३६॥

इस उन्तालीसर्वा कारिका में 'सा व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता' पाठ आया है । उससे कुछ लोग यह अर्थ लगाते हैं कि काकु से जो अर्थान्तर की प्रतीति होती है उसके गुणीभाव होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है । अर्थात् उसका प्राधान्य होने पर ध्वनि काव्य भी हो सकता है । इस प्रकार काकु में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों प्रकार मानते हैं और उन दोनों अर्थात् 'काकु ध्वनि' और काकु गुणीभूत व्यङ्ग्य की विषय व्यवस्था इस प्रकार करते हैं कि जहा काकु से आक्षिप्त अर्थ के बिना भी वाच्यार्थ की प्रतीति पूर्ण हो जाय और प्रकरणादि की पर्यालोचना के बाद व्यङ्ग्य अर्थ का बोध हो वहा 'काकु ध्वनि' होती है और जहा काकु से आक्षिप्त अर्थ के बिना, वाच्यार्थ की प्रतीति ही समाप्त न हो वहां 'गुणीभूत व्यङ्ग्य काकु होता है । ऐसे लोगों ने —

तथाभूता दृष्ट्वा नृपसदसि पञ्चालतनयां,
वने व्याधै. सार्धे सुचिरमुपित वल्कलधरैः ।
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृत,
गुरुः रोद खिन्ने मयि भजति नाथापि कुरुषु ॥ -

इत्यादि श्लोक को 'काकु ध्वनि' का उदाहरण माना है । यह श्लोक भी पूर्व उदाहृत श्लोक के समान धेणीसहार नाटक में भीमसेन के द्वारा कहा गया है । उसका भाव यह है कि राजा धृतराष्ट्र की समा में नङ्गी की जाती हुई द्रौपदी को देख कर गुरु युधिष्ठिर को दुःख नहीं हुआ । हम वल्कल धारण कर व्याधों के साथ वनों में रहे, इससे भी उनको रोद नहीं हुआ । और विराट के यहाँ चूरन्ना तथा पञ्चक आदि का अनुचित देश धारण कर जब हम एक पाण्डव छिप कर रहे तब भी उनको शोध नहा आया । पर आज जब मैं कौरवों पर शोध करता हूँ तब वह मेरे ऊपर नाराज होते हैं ।

यह वाच्य अर्थ यहाँ व्यङ्ग्य अर्थ के बिना भी परिपूर्ण हो जाता है । परन्तु इसके बाद प्रकरण आदि की आलोचना करने पर मेरे ऊपर नाराज होना उचित नहीं है कौरवों पर ही शोध करना चाहिये । इस, वाकु से आक्षिप्त, अर्थ की प्रतीति होती है । इसलिए इसको 'काकु ध्वनि' का उदाहरण मानते हैं और पिछले 'स्यस्या भवन्ति मत्रि जीवन्ति धार्तराष्ट्रा' इत्यादि को 'गुणीभूत व्यङ्ग्य काकु' का उदाहरण मानते हैं ।

प्रभेदस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते ।

विधातव्या सहृदयैर्न तत्र ध्वनियोजना ॥ ४० ॥

सङ्कीर्णो हि रुश्चिद् ध्वनेर्गुणोभूतव्यङ्ग्यस्य च लक्ष्ये दृश्यते मार्गः । तत्र यस्य युक्तिसहायना तत्र तेन व्यपदेशः कर्तव्यः । न सर्वत्र ध्वनिरागिणा भवितव्यम् । यथा :—

पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम् ।

सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं लघान ॥

परन्तु लोचनकार काकु में ध्वनि मानने के लिए तैयार नहीं हैं । वे काकु को सदैव गुणीभूत व्यङ्ग्य ही मानते हैं । 'काकुप्रयोगे सर्वत्र शब्दस्पृश्वेन व्यङ्ग्यस्योन्मीलितस्यापि गुणीभावात्' । काकु के प्रयोग में प्रतीयमान व्यङ्ग्य भी सदा शब्द से स्पृष्ट होने से गुणीभूत ही रहता है । अतएव 'काकुध्वनि' मानना उचित नहीं है । इस मत के अनुसार कारिका में 'गुणीभावे' पद की सप्तमी, 'सति सप्तमी' नहीं, अपितु 'निमित्ते सप्तमी' है ॥ ३६ ॥

और जो [काव्य] तर्क से [युक्त्या] इस [गुणीभूत व्यङ्ग्य] भेद का विषय प्रतीत होता है, सहृदय पुरुषों को उसमें ध्वनि को नहीं जोड़ना चाहिए ।

ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के सङ्कर का भी कोई मार्ग उदाहरणों में दिखाई देता है । उनमें जो [पद्य] तर्क से समर्थित होता है उसी के अनुसार नामकरण [व्यग्रहार] करना चाहिए । सब जगह ध्वनि का अनुरागी नहीं होना चाहिए । [बिना युक्ति के ध्वनि के अनुराग में गुणीभूत व्यङ्ग्य को भी ध्वनि नहीं कहने लगना चाहिए] ।

जैसे —

[यह कुमारसम्भव के सत्रहवें सर्ग का १६ वां श्लोक है । सखी ने पार्वती के] चरणों को [लाचाराग से] रञ्जित कर [यह आशीर्वाद दिया] [] इस चरण से [सुरत के किसी दन्ध विशेष में, अथवा सपत्नी होने से] पति [शिव] के तिर पर स्थित चन्द्रकला का स्पर्श करना इस प्रकार परिहासपूर्वक आशीर्वाद प्राप्त पार्वती ने दिना दुष्ट योद्धे माला से उस [सखी] को माता ।

यथा च :—

प्रयच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन लम्बिता ।

न किञ्चिद्दूचे चरणेन केवलं लिलेख वाष्पाकुललोचना भुवम् ॥

इत्यत्र 'निर्वचनं जघान', 'न किञ्चिद्दूचे', इति प्रतिषेधमुखेन व्यङ्ग्यस्यार्थस्योक्त्या किञ्चिद् विपयीकृतत्वाद् गुणीभाव एव शोभते । 'यदा वक्रोक्तिं विना व्यङ्ग्योऽर्थस्तात्पर्येण प्रतीयते' तदा तस्य प्राधान्यम् । यथा 'एवंवादिनि देवपौ' इत्यादौ । इह पुनरुक्तिभङ्ग्यास्तीति वाच्यस्यापि प्राधान्यम् । तस्मान्नात्रानुराणरूपव्यङ्ग्यध्वनिव्यपदेशो विधेयः ॥४०॥

और जैसे —

[यह विरात के अष्टम सर्ग में अर्जुन के तपोभङ्ग के लिए आई हुई अप्सराओं के वर्णन प्रसङ्ग में किसी अप्सरा के वर्णन का श्लोक है] ।

ऊँचे [उस अप्सरा की पहुँच से अधिक ऊँचाई पर लगे हुए, अथवा उत्कृष्ट] फूलों को [तोड़ कर] देते हुए प्रिय के द्वारा अन्य अप्सरा [विपक्ष] के नाम से संबोधित की गई मानिनी अप्सरा उछ खोली नहीं आँसुओं में आँसु भर कर केवल पैर से जमीन को छुरेदती रही ।

यहां [इन दोनों श्लोकों में क्रमशः] 'निर्वचनं जघान' विना उछ कहे मारा और 'न किञ्चिद्दूचे' उछ कहा नहीं इस प्रतिषेध द्वारा, व्यङ्ग्य अर्थ [प्रथम श्लोक में लज्जा, अग्रहिस्था, हर्ष, ईर्ष्या, सौभाग्य, अभिमान आदि और दूसरे श्लोक में सानिध्य मन्थु सम्भार] शिथी अंश में अभिधा [उक्ति] का ही विषय हो गया है अतः [उसका] गुणीभाव ही उचित प्रतीत होता है । और जब उक्ति के विना तात्पर्य रूप में व्यङ्ग्य अर्थ प्रतीत होता है तब उस [व्यङ्ग्य] का प्राधान्य होता है । जैसे 'एवंवादिनि देवपौ' [४० १८१] इत्यादि में । यहां [पद्युः 'शिरश्चन्द्रजला' तथा 'प्रयच्छतोच्चैः' इत्यादि दोनों श्लोकों में] तो कथन को मूर्खों से [व्यङ्ग्य की प्रतीति] है, इसलिए वाच्य का भी प्राधान्य है । इसलिए यहां संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि व्यवहार उचित नहीं है । [अर्थात् यह दोनों गुणीभूत व्यङ्ग्य ही के उदाहरण हैं । संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य ध्वनि के उदाहरण नहीं हैं] ॥४०॥

१. तस्माद् वक्रोक्तिं विना दो० । २. तत्र दो० । ३. अग्नि नि०

प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम् ।

धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥ ४१ ॥

गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि काव्यप्रकारो रसभावादितात्पर्यालोचने पुनर्ध्वनिरेव सम्पद्यते । यथात्रैवानन्तरोदाहृते श्लोकद्वये ।

यथा च :—

दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि मृजत-
स्तवैतत्प्राणेशाजघनरसनेनाश्रु पतितम् ।
कठोरं स्त्रीचेतस्तदलमुपचारैर्विरम हे,
क्रियात्कल्याण्यो हरिरनुनयेष्वेवमुदितम् ॥

यह गुणीभूत व्यङ्ग्य का प्रकार भी रस आदि तात्पर्य का विचार करने से फिर ध्वनि [काव्य] हो जाता है । [संक्षेपक्रम व्यङ्ग्य की दृष्टि से गुणीभूत होने पर भी रसादि के विचारसे वह ध्वनि रूप में परिगणित हो सकता है] ।

गुणीभूत व्यङ्ग्य नामक काव्य का भेद रस आदि के तात्पर्य के विचार करने से फिर ध्वनि रूप ही हो जाता है । जैसे ऊपर उदाहृत [पद्यः 'शिरश्चन्द्र-कला' तथा 'प्रयच्छतोष्वै'] दोनों श्लोकों में । [गुणीभूत व्यङ्ग्य का उपपादन कर चुके हैं । फिर भी उन दोनों में श्रद्धार रस के प्राधान्य होने से ध्वनि काव्यत्व उचित ही है] ।

और [दूसरा उदाहरण] जैसे .—

हे सुभग [कृष्ण मुझसे भिन्न अपनी किसी और] प्राणेश्वरी को [सुरतोत्तरकाष्ठ में भूल से स्वयं धारण की हुई] इस गायी से [मेरे] गिरते हुए आसुओं को पोंछने पर भी [सौन्दर्य-सौभाग्यादि अभिमानशालिनी यह रूपभानुसुता] राधा तुम से प्रसन्न होने वाली नहीं [दुराराधा] है । स्त्री का चित्त [सपरमो सम्मोहादि रूप अपमान को सहन न कर सकने वाला वद] कठोर होता है, इसलिये तुम्हारे यह सप [मानापमोहन के क्षिप्त की जाने वाली चाटु रूप], इपाय व्यर्थ हैं, उनको रहने दें । मनामे के अपसरों [अतनुवेषु] पर [राधा द्वारा] इस प्रकार कहे जाने वाले कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें ।

१. दयात्रैवोदाहृतेऽनन्तरश्लोकद्वये । यथा च वी० । २. हरिरनुनयेष्वेव-मुदित नि० ।

एवं स्थिते च 'न्यकारो ह्ययमेव' इत्यादि श्लोकनिर्दिष्टानां पदानां व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्यप्रतिपादनेऽप्येतद्वाक्यार्थभूतरसापेक्षया व्यञ्जकत्वमुक्तम् । न तेषां पदार्थानामर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिभ्रमो विधातव्यः । विवक्षितवाच्यत्वात् तेषाम् । तेषु हि व्यङ्ग्यविशिष्टत्वं वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यङ्ग्यरूपपरिणतत्वम् । तस्माद्वाक्यं तत्र ध्वनिः, पदानि तु गुणीभूतव्यङ्ग्यानि ।

यहा सुभग विशेषण से बहुवल्लभत्व और उन अनेक स्त्रियों से अमुक्तत्व, ग्रन्थ स्त्री की साड़ी [जवनवसन] के प्रत्यक्ष होने से उसका अनपह्वनीयत्व तथा सप्रेम धारणीयत्व, विपक्षनायिका के प्रति कोप का औचित्य, उसके छिपाने के प्रयत्न से उसके प्रति आदराधिक्य, राधा इस अग्ने नाम के उच्चारण से परिभवासहिष्णुत्व, दुराराधा पद से मान की दृढता और अपराध की उग्रता, चित्त की कठोरता से स्वाभाविक सौकुमार्य का परित्याग सहज और प्रसादनानर्हत्व, 'उपचारै' के बहुवचन से नायक का चाटुकारपाटवत्व, 'अनुनयेपु' के बहुवचन से नायक की इस प्रकार की अवस्था की बहुलता और नायिका का सौभाग्यातिराग आदि, व्यङ्ग्य होने पर भी, वाच्य के ही उपनारी होते हैं इसलिये उसकी दृष्टि से यह गुणीभूत व्यङ्ग्य काव्य है । परन्तु इस में ईर्ष्या विप्रलम्भ की प्रधान रूप से अभिव्यञ्जना हो रही है इसलिये उसकी दृष्टि से यह ध्वनि काव्य है । इसलिये यहा भी पूर्ववत् ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों का योग है ।

इस प्रकार [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के विषय विभाग की व्यवस्था हो जाने से], 'न्यकारो ह्ययमेव' इत्यादि श्लोक में निर्दिष्ट पदों के व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्य के प्रतिपादक [उस दृष्टि से गुणीभूत व्यङ्ग्य होने] पर भी समस्त श्लोक के प्रधान व्यङ्ग्य [ध्वनि] रस की दृष्टि से [उससे] ध्वनि [व्यञ्जकत्व,] कहा है । उन [श्लोकों के व्यञ्जक पदों] में अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि का भ्रम नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें वाच्य विवक्षित है । [अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि, लक्षणाःमूल अविवक्षित वाच्य का भेद होना है । यहा श्लोकस्थ व्यञ्जक पदों में वाच्य अविवक्षित नहीं विवक्षित है । अतः अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि उनमें नहीं समझना चाहिए] उनमें वाच्य अर्थ का व्यङ्ग्य विशिष्टत्व प्रतीत होता है । व्यङ्ग्य रूप में परिणतत्व

न च केवलं गुणीभूतव्यङ्गयान्येव पदान्यलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वने-
र्व्यञ्जकानि, यावदथान्तरसंक्रमितवाच्यानि ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि ।
यथात्रैव श्लोके 'रावण' इत्यस्य' प्रभेदान्तररूपव्यञ्जकत्वम् । यत्र तु वाक्ये
रसादितात्पर्यं नास्ति गुणीभूतव्यङ्गयैः पदैरुद्भासितेऽपि तत्र गुणीभूत-
व्यङ्गयतैव समुदायधर्मः ।

यथा :—

राजानमपि सेवन्ते विपमप्युपभुञ्जते ।
रमन्ते च सह स्त्रीभिः कुशलाः खलु मानवाः ॥ १

इत्यादौ ।

नहीं [अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के "कदली कदली, करमः करमः, करिराजकर-
करिराजकर." इत्यादि उदाहरणों में वाच्यार्थ व्यङ्गयरूपतया परिणत हो जाता
है] इसलिए उस ['न्यक्कार.' आदि] में वाक्य [सम्पूर्ण श्लोक] ध्वनिरूप है
और पद 'तो गुणीभूत व्यङ्गयरूप है ।

और केवल गुणीभूतव्यङ्गय पद ही असंलक्ष्यक्रम व्यङ्गय [रसादि] ध्वनि
के व्यञ्जक नहीं होते हैं अपितु अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि स्वरूप वाले पद
भी [रसादि ध्वनि के अर्थ व्यञ्जक होते हैं] जैसे इसी श्लोक में 'रावण' इस
[पद] का ध्वनि के दूसरे प्रभेद [अर्थान्तर संक्रमित वाच्य] का [वीर रस का]
व्यञ्जक है । जहां गुणीभूत व्यङ्गय पदों से [रसादि के] प्रकाशित होने पर
भी, वाक्य रसादिपर नहीं होता वहां गुणीभूत व्यङ्गयता ही समुदाय [वाक्य]
का भी धर्म होती है । जैसे :—

चतुर मनुष्य [अग्र्यन्त दु साध्य] राजा की सेवा भी कर सकते हैं,
[सद्य प्राण विनाशक] विप भी ग्य सकते हैं, और [त्रिपाचरित वाला] स्त्रियों
के साथ रमण भी कर सकते हैं ।

इत्यादि में ।

यहां 'राज' की सेवा, विप का मत्स्य, और स्त्रियों के साथ मित्र अत्यन्त
कष्ट साध्य और विपरीत परिणामजनक होते हैं । इत्यादि व्यङ्गय से रिशित
वाक्य अर्थ चमत्कार सुन्न हो जाता है । अतः यहाँ गुणीभूत व्यङ्गयन दे ।
वाप ही शान्त रस के अग्र निर्वेद रसधी मध्य की भी अभिव्यक्ति उन से होती

वाच्यव्यङ्ग्ययोश्च प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रयत्नो त्रिधा-
तव्यः । येन ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोरलङ्काराणां चासङ्कीर्णो विषय-
सुज्ञातो भवति । अन्यथा तु प्रसिद्दालङ्कारविषय एव व्यामोहः प्रवर्तते ।
यथा' —

लावण्यद्रिणव्ययो न गणित' क्लेशो महान् स्वीकृतः^१ ;
'स्वच्छन्दस्य सुरं जनस्य वसतश्चिन्तानलो दीपितः ।
एपापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्वराकी हता,
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनु' तन्वता ॥

इत्यत्र 'व्याजस्तुतिरलङ्कार इति व्याख्यायि केनचित्, तन्न चतुरस्रम् ।
यतोऽस्याभिधेयस्य, एतदलङ्कारस्वरूपमात्रपर्यवसायित्वे 'न सुश्लिष्टता ।

है । परन्तु उसका प्राधान्य विवक्षित न होने से पद और वाक्य दोनों ही गुणीभूत
व्यङ्ग्य हैं ।

वाच्य और व्यङ्ग्य के प्राधान्य अप्राधान्य के परिज्ञान के लिए अत्यन्त
ध्यान करना चाहिए जिससे ध्वनि, गुणीभूत व्यङ्ग्य और अलङ्कारों का सङ्कर
रहित विषय भली प्रकार से समझ में आ जाये । [अन्यथा तु] उसके बिना
तो प्रसिद्ध [वाच्य] अलङ्कारों के विषय में ही भ्रम हो जाता है । जैसे—

[इसके शरीर निर्माण में विधाता ने] लावण्य सम्पत्ति के व्यय की
चिन्ता भी नहीं की, [स्वयं] महान् कष्ट उठाया, स्वच्छन्द और सुखपूर्वक
बैठे हुए [सम्बन्धी] लोगों के लिए चिन्ताग्नि प्रदीप्त कर बिधा और अनुरूप
वर के अभाव में यह विचारी भी मारी गई । मालूम नहीं विधाता ने इस
सुन्दरी के शरीर की रचना करने में कौन लाभ सोचा था ।

इसमें व्याजस्तुति अलङ्कार है ऐसी व्याख्या किसी ने की है, वह ठीक
नहीं है । इसके अर्थ को केवल व्याजस्तुति के स्वरूप पर्यवसाया मानने में
वह [इसका वाच्यार्थ] सुसङ्गत नहीं होता । क्योंकि यह किसी रागी [उस
सुन्दरी में अनुरक्त, अथवा मक्षिण वाग्मना वाले पुरुष] का वितर्क [विचार-

१ तपाटि नि०, दी० । २ अजित नि० । ३. स्वच्छन्द भरतो जनस्य
द्वयमे चिन्ताज्वरो निर्मिन नि० ससोजनस्य दी० । ४. इति । अत्र दी० ।
५ पर्यवसायित्वेन नि० ।

यतो न तावदयं रागिण वस्यचिद्विकल्प । तस्य 'एवापि रजयमेव तुल्य
रमणाभावाद्भारकी हता' इत्येवंविधोक्त्यनुपपत्ते । नापि नीरागस्य ।
तस्यैवंविधविकल्पपरिहारैक-यापारत्वात् ।

न चायं श्लोक कश्चित् प्रबन्ध इति श्रूयते, येन तत्प्रकरणानु-
गतार्थतास्य परिकल्प्यते ।

तस्मादप्रस्तुतप्रशसेयम् । यस्मादनेन वाक्येन गुणीभूतात्मना
नि सामान्यगुणावलेपाध्मातस्य निजमहिमोत्कर्षजनित समत्सरजनञ्जरस्य

धारा] नहीं है । उस [अनुरागयुक्त अथवा मलिन वासना युक्त] की [और
से] अनुरूप पति के न मिलने से यह विचारी भी भारी गई इस प्रकार का
कथन सद्गत नहीं जान सकता । [क्योंकि अनुरक्त पुरुष तो अपने को ही
उसके योग्य समझता है । उसके मुँह से यही अपनी निन्दा अनुपपन्न है । और
मलिन वासना वाले पुरुष की और से यह कारणयुक्त सम्भव नहीं हो
सकती] और न किसी राग रहित पुरुष की [यह उक्ति है] क्योंकि उस
[वीतराग पुरुष] का इस प्रकार के [रागजन्य] विशेषों का परिहार ही
प्रधान व्यापार है । [वीतराग पुरुष जगत् से अत्यन्त उदासीन होता है वह
इस प्रकार के विषय का विचार भी नहीं कर सकता है] ।

यहां निम्नलिखित और असङ्गत कार्य करने वाले विधाता की निन्दा वाच्य
है । उससे अनन्यसामान्य सौन्दर्यशालिनी रमणी के निर्माण कौशल की सम्पत्ति
द्वारा, व्यङ्ग्य रूप से विधाता की स्तुति सूचित होने से, व्याजस्तुति दो सकती
है । यह व्याजस्तुति मानने वाले का आशय है । एतद्दन करने का आशय
यह है कि इसमें असाधारण सौन्दर्यशालिनी रमणी के निर्माण से जो विधाता की
स्तुति गम्य मानी जा सकती है, वह तभी, जब कि यह किसी अनुरक्त पुरुष की
उक्ति हो । परन्तु अनुरक्त पुरुष कुरूप होने पर भी कश्चित् में अपने को ही
उसके अनुरूप समझता है उसके मुँह से 'तुल्यरमणाभावाद्भारकी हता' यह उक्ति
उचित नहीं प्रतीत होती । इसलिए यहाँ विधाता की स्तुति गम्य न होने से यह
व्याजस्तुति अलङ्कार नहीं है ।

और यह श्लोक किमी प्रबन्ध [काव्य] में है, यह भी नहीं सु ॥ है
जिसमें उस के प्रकार के अनुकूल कार्य की कल्पना की जा सके [और टमक
आधार पर व्याजस्तुति अलङ्कार की सङ्गति लगाने जाय] ।

इसलिए यह अनुरक्त प्रथमा [अलङ्कार] है । क्योंकि इस [गुणी-

विशेषज्ञमात्मनो न कञ्चिद्देवापर पश्यत परिदेवितमेतदिति प्रकाशयते ।
तथा चायं धर्मकीर्तिं श्लोक इति प्रसिद्धिः । सम्भाव्यते च तस्यैव ।
यस्मात्—

अनध्यवसितावगाहनमनल्पधीशचिना-
प्यहृत्परमार्यतत्वमधिकाभियोगैरपि ।

मतं मम जगत्पल्लवसदृशप्रतिप्राहर्कं,
प्रयास्यति पयोनिधे पय इत्र स्वदेहे जराम् ॥

इत्यनेनापि श्लोकेनैवंविधोऽभिप्राय प्रकाशित एव ।

भूत स्वरूप] अस्तुत वाच्य [अर्थ] से अलोकसामान्य [लोकोत्तर ज्ञानादि]
गुणों के दर्प से गमित, अपन [पाण्डित्य आदि] महिमा के उत्कर्ष से,
ईर्ष्यालु प्रतिपक्षियों के मन में ईर्ष्या श्वर उत्पन्न कर देने वाले और किसी को
अपने [ग्रन्थादि का] विशेषज्ञ न समझने वाले, किसी [धर्मकीर्ति सरोखे महा-
विद्वान्] का यह निर्वेद सूचक वचन है । ऐसा प्रतीत होता है । जैसा कि यह
धर्मकीर्ति का श्लोक है । यह प्रसिद्ध भी है । [छेमेन्द्र ने अपनी औचित्य
विचार अर्था में लिखा है कि लावण्यद्रविण व्ययो न गणित इत्यादि 'धर्म
कीर्ति'] और उस ही का हो भी सकता है । क्योंकि—

अनल्प-प्रचुर धीशक्ति [बुद्धि] वाले पुरुष भी जिसमेरे दार्शनिक मत को
[अवगाहन] पूर्णतया समझ नहीं सकते हैं और अधिक ध्यान देने पर भी
उसके रहस्य तक नहीं पहुँच पाते हैं ऐसा मेरा मत [दार्शनिक सिद्धान्त] संसार
में योग्य गृहीता के अभाव के कारण, अनल्पशक्ति युक्त पुरुष भी जिस [समुद्र-
जल] के अवगाहन का साहस न कर सकें, और अत्यन्त ध्यान देने पर भी जिस
के रानों को न देख सके, ऐसे समुद्र के जल के समान अपने [धर्मकीर्ति अथवा
समुद्र के] शरीर में ही जीर्ण हो जावेगा ।

इस श्लोक में भी इसी प्रकार [अपने अनन्य सदृश पाण्डित्य का गर्व
और योग्य गृहीता न मिलने से अपने ज्ञान के निःशक्य से उत्पन्न निर्वेद रूप]
हा अभिप्राय प्रकट किया ही गया है ।

यहाँ परिले श्लोक में प्रथम चरण व वाच्य लावण्यद्रविणव्यय के गणना
भाव और क्लेशातिशय स्वीकार से परिदेवक, धर्मकीर्ति अथवा उसकी कृति के
[अशुभगुणमरिदत्तव, द्वितीय चरण के वाच्य अस्तुत स्व-द्वन्द्व जनों व चिन्तानलो-
पादन से अपने अथवा अपनी कृति व उत्कर्ष के कारण अनिर्घर्ष विद्वानों में

अप्रस्तुतप्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्विवक्षितत्वं, कदाचिद्विवक्षितत्वं, कदाचिद्विवक्षिताविवक्षितत्वमिति त्रयी बन्धच्छाया । तत्र विवक्षितत्वं यथा—

परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो,
यद्रीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः ।
न संप्राप्तोऽर्थाद्धि यदि स भृशमक्षेत्रपतितः,
किमिच्छोर्दोषोऽसौ न पुनरगुणायाः मरुभुवः ॥

‘ईष्योद्भावन रूप और तृतीय चरण के वाच्य अप्रस्तुत तुल्यरमणामागद्वरणी हता आदि से सर्वाधिकम्मन्यत्व और विधाता के तन्वीनिर्माण निष्फलत्व रूप, चतुर्थ चरण के अप्रस्तुत वाच्य से अपने अथवा अपनी कृति के निर्माण के निष्फलत्व से निर्वेद रूप प्रस्तुत की प्रतीति होने से ‘अप्रस्तुताप्रस्तुतं चेद् गम्यते’ इत्यादि रूप अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है ।

अगला अनध्वनवितावगाहन आदि श्लोक भी धर्मकीर्ति का श्लोक है । उसमें भी इसी प्रकार का निर्वेद अभिव्यक्त होता है । ‘धर्मकीर्ति बौद्ध दार्शनिक हुए हैं । उनके ‘प्रमाण वार्तिक’ और ‘न्याय विन्दु’ ग्रन्थ बौद्ध न्याय के उत्कृष्ट ग्रन्थ है और अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस श्लोक में उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया है कि उनके मत को यथार्थ रूप में समझने वाला कोई नहीं मिलता है । योग्य समझ सकने वाले विद्वान् के अभाव में उनका मत समुद्र के पानी के समान उनके भीतर ही पड़ा-पड़ा जड़ को प्राप्त हो जायगा । इस श्लोक के समानार्थ ही पूर्वोक्त लावण्यादि श्लोक भी धर्मकीर्ति का ही श्लोक प्रतीत होता है और उसमें अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार ही मानना उचित है । व्याजस्तुति मानना ठीक नहीं है ।

अप्रस्तुत प्रशंसा में जो वाच्य होता है वह कहीं [उपपद्यमान होने से] विवक्षित, कहीं [अनुपपद्यमान होने से] अविवक्षित और कहीं [अंततः उपपद्यमान होने से] विवक्षिताविवक्षित होता है । इस प्रकार तीन प्रकार की रचना-सौखी होती है । [अप्रस्तुतप्रशंसा के पांच भेदों में से अग्रिम मुख्य अप्रस्तुत में मुख्य प्रस्तुत की प्रतीति रूप जो प्रथम भेद है उसके ही यह तीन भेद होते हैं । शेष चारों के नहीं] उनमें से [वाच्य अप्रस्तुत] के विवक्षितत्व का [वशाहरण] जैसे—

[‘परार्थे वः पांशुः’ इत्यादि श्लोक प्रथम उद्योत में १५८ व. पर का

यथा वा ममैव—

अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपा, सफलता
भवत्येषा यन्म्य क्षणमुपगताना विषयताम् ।
निरालोके लोके कथमिदमहो चक्षुरधुना,
सम ज्ञातं सर्वैर्न समन्थवान्यैरवयवैः ॥

अनयोहि द्वयोः श्लोकयोरित्तु चक्षुषी विवक्षितस्वरूपे एव, न च प्रस्तुते । महागुणस्याविषयपतितत्त्वात्प्राप्तपरभागस्य कस्यचित्त्वरूपमुपवर्णयितु द्वयोरपि श्लोकयोस्तात्पर्येण प्रस्तुतत्वात् ।

अविवक्षितत्वं यथा—

चुका है । वहा स उसका अर्थ देखो । यहा अत्रस्तुत विवक्षित वाच्य इत्तु पद से प्रस्तुत महापुरुष की प्रतीति होने से अत्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार है और वाच्यार्थ भी उपपद्यमान होने से विवक्षित है ।]

अथवा जैसे मरा ही—

यह जो सुन्दर आकृति वाले [मनुष्यों के हाथ, पैर, मुख आदि अवयव] दिखाई देते हैं इन [अर्हों] की सफलता जिस [चक्षु] के क्षणमात्र को विषय होने [दिखाई देने के] कारण होती है, आश्चर्य है कि [इस समय] इस अन्धकारमय जगत् में वह चक्षु भी कैसे अन्य सब अवयवों के समान [व्यर्थ] अथवा समान भी नहीं [अपितु उन से भी गई होती] हो गई है । [क्योंकि अन्धकार में भी हाथ, पैर आदि अवयवों से काम लिया जा सकता है परन्तु चक्षु हां यिल्कुल ही बेकार है । यहाँ अत्रस्तुत चक्षु से किसी अत्यन्त बुरा महापुरुष की, निरालोक विवेकहीन स्वामी आदि के सम्बन्ध से अन्य अवयवों के साम्य से कार्यात्मत्वं आदि प्रस्तुत की प्रतीति होने से अत्रस्तुत प्रशसा है और उममें वाच्यार्थ, उपपन्न होने से विवक्षित है ।]

इन दोनों ['परार्थे य पीडा०' इत्यादि तथा 'अमी ये०' इत्यादि श्लोकों] में इत्तु और चक्षु दोनों विवक्षित स्वरूप और अत्रस्तुत है । अस्थान [निगुण स्वामी आदि] के सम्बन्ध से उरुर्कर्म की प्राप्त न हो सकने वाले

कस्त्वं भोः । कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं,
वैराग्यादिव वक्षि, साधु विदितं, कस्मादिदं कथ्यते ।
वामेनात्र वदस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते,
न च्छायाऽपि - परोपकारकरणे मार्गस्थितस्यापि मे ॥

न हि वृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युत्ती सम्भवत इत्यविवक्षिता-
भिधेयेनैवानेन श्लोकेन समृद्धासत्पुरुषसमीपवर्तिनो निर्धनस्य कस्यचिन्म-
नस्विनः परिदेवितं तात्पर्येण वाक्यार्थाकृतमिति प्रतीयते ।

विवक्षितत्वाविवक्षितत्वं यथा—

उप्पहजाआए असोहिणीएँ फलतुसुमपत्तरहिआए ।
वेरीएँ चइं देन्तो पामर हो ओइसिजिजहांस ।

किसी महा गुणवान् पुण्य के स्वरूप की प्रशंसा के लिए ही दोनों श्लोक तात्पर्य
रूप से प्रस्तुत हैं । [अप्रस्तुत इच्छ तथा चक्षु से प्रस्तुत महापुरुष की प्रशंसा
करना ही दोनों श्लोकों का तात्पर्य है अत यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार है
और इच्छु, चक्षु दोनों विवक्षित हैं] ।

अविवक्षित वाच्य [का उदाहरण] जैसे—

अरे तुम कौन हो ? बताता हूँ, मुझे भाग्य का मारा [अमागा]
शाखोट [सिहोरा नामक वृक्ष विशेष] जानो । कुछ वैराग्य से कह रहे हो ऐसा
जान पड़ता है । ठीक समझे । ऐसे क्यों कह रहे हो [क्या बात है] । यहाँ से
घाई [रास्ते से हट कर उखटी] घोर बड़ा बड़ का वृक्ष है । पथिक लोग [उसके
नीचे लेटने, बैठने, रोटी बनाने, सोने आदि में] सब प्रकार से उसका सहारा लेते
हैं और ठीक रास्ते में खड़ा होने पर भी मेरी छाया से भी किसी का उपकार
नहीं होता । [इसी बात का मुझे दुःख है] ।

वृक्ष विशेष [शाखोट] के साथ प्रश्नोत्तर नहीं हो सकते हैं इसलिए
अविवक्षित वाच्य [असत्का वाच्य अप्रस्तुत अर्थ शाखोट और प्रश्नकर्ता पथिक आदि
अर्थविवक्षित नहीं हैं] इस श्लोक में समृद्ध दुष्ट पुण्य के समीप रहने वाले किसी
निर्धन मनस्वी पुरुष के दुःखोद्गार ही को तात्पर्य रूप से वाक्यार्थ बनाया है ऐसा
प्रतीत होता है ।

विवक्षिताविवक्षित [वाच्य अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण] जैसे—

बुमार्ग [हमारे पक्ष में नीच सुख] में आपन्न हुई, कुरूप [वृक्ष पक्षमें

[उत्पथजाताया अशोभनायाः फलकुसुमपत्ररहितायाः ।
 वदर्या वृत्ति ददत् पामर भो अबहसिष्यसे-॥ इतिच्छाया]
 अत्र हि वाच्यार्थो नात्यन्तं सम्भवी न चासम्भवी* ।
 तस्माद्वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्याप्राधान्ये यत्नतो निरूपणीये ॥४१॥
 गुणप्रधानभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते ।
 काव्ये उभे ततोऽन्यद्यत् तच्चित्रमभिधीयते ॥४२॥
 चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम् ।
 तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम् ॥४३॥

कंटीली और स्त्री पत्र में बसूरत], फल, फूल और पत्रों से रहित [स्त्री पत्र में सन्तान आदि से रहित], बेरी [दूसरे पत्र में ऐसी किसी स्त्री] की बाड़ लगाते हुए [स्त्रीपत्र में उसकी रक्षा करते या घर में बसाते हुए] अरे मूर्ख तेरा सब लोग उपहास करेंगे ।

यहाँ [अप्रस्तुत बेरी की बाड़ लगाना अनुचित होने से वाच्य विवक्षित, और प्रस्तुत स्त्री पत्र में किसी प्रकार वृत्ति शरण-देना या घर में बसाना आदि रूप से उपयोगी होने से वाच्य विवक्षित हो सकता है । इस प्रकार विवक्षितानिवक्षित वाच्य अप्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण है] वाच्य न सर्वथा सम्भवी है और न अत्यन्त असम्भवी है ।

इसलिए वाच्य और व्यङ्ग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य का यत्नपूर्वक निरोक्षण करना चाहिए ॥४१॥

इस प्रकार ध्वनि और गुणीभू। व्यङ्ग्य के निरूपण का उपसंहार कर अब आगे काव्य के तीसरे भेद चित्र काव्य का निरूपण प्रारम्भ करते हैं ।

चित्रकाव्य निरूपण—

इस प्रकार व्यङ्ग्य के प्रधान और गुणभाव से स्थित होने पर वह ध्वनों [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य] काव्य होते हैं । और उन से भिन्न जो [काव्य रह जाता] है उसे [चित्र के समान काव्य के तात्त्विक व्यङ्ग्यरूप से विहीन छन्दोबद्ध काव्य की प्रतिवृत्ति के समान होने से] चित्र [काव्य] कहते हैं ।

१. नि०, दी० में 'न चासम्भवी' इतना पाठ नहीं है ।

व्यङ्ग्यस्यार्थस्य प्राधान्ये 'ध्वनिसञ्ज्ञितकाव्यप्रकार, गुणभावे तु गुणीभूतव्यङ्ग्यता । ततोऽन्यद्रसभावादितात्पर्यरहित व्यङ्ग्यार्थविशेषप्रकाशनशक्तिशून्य च काव्य केवलवाच्यवाचकचैचित्र्यमात्राश्रेयेषोपनिबद्धमालेख्यप्रख्य यदाभासते तच्चित्रम् । न तन्मुख्य काव्यम् । काव्यानुकारो ह्यसौ । तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं यथा दुष्करयमकादि । वान्यचित्रं तत शब्दचित्रादन्यद् व्यङ्ग्यार्थसस्पर्शरहित, प्राधान्येन वाक्यार्थतया स्थित रसादितात्पर्यरहितमुत्प्रेक्षादि ।

शब्द और अर्थ के भेद से चित्र [काव्य] का प्रकार का होता है । इनमें से कुछ शब्द चित्र होते हैं और उन [शब्द चित्र] से भिन्न अर्थचित्र [कहलाते] हैं ।

व्यङ्ग्य अर्थ का प्राधान्य होने पर ध्वनि नाम का काव्य भेद [हाता है] और गौण होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्यत्व होता है । उन [ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों] से भिन्न रस भाव आदि में तात्पर्य स रहित और व्यङ्ग्यार्थ विशेष के प्रकाशन की शक्ति से रहित, केवल वाच्य वाचक [अर्थ और शब्द] के चैचित्र्य के आधार पर निमित्त जो काव्य आनेरय [चित्र] के समान [तात्पर्य रूप रहित प्रतिकृति मात्र] प्रतीत होता है उस को चित्र [काव्य] कहते हैं । वह मुख्य रूप से [यथार्थ] काव्य नही है अपितु काव्य की अनुकृति [नकल] मात्र है । उनमें से कुछ शब्द चित्र होते हैं जैसे दुष्कर यमक आदि । और अर्थ चित्र शब्दचित्र से भिन्न, व्यङ्ग्य सस्पर्श रहित रसादि तात्पर्य स शून्य, प्रधान वाक्यार्थ रूप से स्थित उत्प्रेक्षा आदि [अर्थचित्र या वाच्यचित्र] हाते हैं ।

'चित्र काव्य' को रसादि तात्पर्य रहित और व्यङ्ग्यार्थविशेष के प्रकाशन की शक्ति से शून्य कहा है । यह दोनों विशेषण रसादि के अविद्यतत्व और व्यङ्ग्यार्थ विशेष के अविद्यतत्व को मान कर ही सङ्गत होंगे । वैसे तो प्रत्येक पदार्थ का काव्य में किसी न किसी रस से कुछ न कुछ सम्बन्ध होता ही है । क्योंकि अतन्त विभावत्व तो सभी पदार्थों में आ सकता है । इसलिये उनका सर्वथा रसादि रहित होना सम्भव नही है । इसलिये रसादि तात्पर्य रहित का अर्थ यही है कि व्यङ्ग्य अर्थ होने पर भी यदि वह विद्यत नहीं है तो 'चित्र काव्य' होगा । इसी प्रकार व्यङ्ग्यार्थविशेषप्रकाशन शक्ति शून्यता भी व्यङ्ग्य वस्तु आदि के अविद्यत होने पर ही सम्भवनी चाहिये ।

अथकिमिदं चित्रं नाम ? यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पर्शः । प्रतीयमानो ह्यर्थस्त्रिभेदः प्राक् प्रदर्शितः । तत्र, यत्र वस्तुलङ्कारान्तरं वा व्यङ्ग्यं नास्ति स नाम चित्रस्य कल्प्यतां विषयः । यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो न सम्भवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्पर्शिता काव्यस्य नोपपद्यते । वस्तु च सर्वमेव जगद्गतमवश्यं कस्यचिद् रसस्य भावस्य वाङ्मत्वं प्रतिपद्यते, अन्ततो विभावत्येन । चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादयः । न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद् यत्र चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति । तदनुत्पादने या कविविषयतैव तस्य न स्यात् । कविविषयश्च चित्रतया कश्चिन्निरूप्यते ।

[पूर्वपक्ष] अच्छा यह 'चित्र काव्य' क्या है ? जिस में प्रतीयमान [व्यङ्ग्य] अर्थ का सम्बन्ध न हो ? [उसी को चित्र काव्य कहते हैं, न ?] प्रतीयमान अर्थ [वस्तु, अलङ्कार और रसादि रूप] तीन प्रकार का होता है यह बात पहिले प्रतिपादन कर चुके हैं । उनमें से जहां वस्तु अथवा अलङ्कारादि व्यङ्ग्य न हो उसको उसे 'चित्र काव्य' का विषय भले ही मान लो । [परन्तु] जो रसादि का विषय न हो ऐसा कोई काव्य भेद सम्भव नहीं है । क्योंकि काव्य में किसी वस्तु का संस्पर्श [पदार्थ योजकत्व] न हो यह युक्तिसङ्गत नहीं है । और संसार की सभी वस्तुएं किमी रस या भाव का अङ्ग अवश्य ही बन जाती हैं [अन्य रूप से रस सम्बन्ध न सम्भव हो सके तो भी] अन्ततः विभाव रूप से [प्रत्येक वस्तु का किसी न किसी रस से सम्बन्ध हो हो जाता है] रसादि [के अनुभवात्मक होने से और अनुभव के चित्तवृत्ति रूप होने से] चित्तवृत्ति विशेष रूप ही है । और [संसार में] ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किमी प्रकार की चित्तवृत्ति को उत्पन्न न करे । अथवा यदि वह [वस्तु] उस [चित्तवृत्ति] को उत्पन्न नहीं करती है तो वह कवि का विषय ही नहीं हो सकती है । [क्योंकि सांख्य, योग आदि दर्शनों के सिद्धान्त में इन्द्रिय प्रणालिका अर्थात् श्रोत्र आदि द्वारा चित्त का विषय के साथ सम्बन्ध होने पर चित्त का अर्थात्कार जो परिणाम होता है उसी को चित्तवृत्ति कहते हैं । और उनी में पुरुष को बोध होता है । चित्तवृत्ति प्रमाण अर्थात् प्रभा का सात्त्विक रूप होती है और उससे पुरुष को जो बोध होता है वही प्रमा या उगका फल कहलाता है । इसी को ज्ञान कहते हैं । इसलिए यदि चित्तवृत्ति उत्पन्न न हो तो उस

अत्रोच्यते । सत्यं न तादृक् काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः १ । किन्तु यदा रसभावादिविवक्षाशून्यं कचिदशब्दालङ्कारमर्थालङ्कारव्योपनिर्भूयते तदा तद्विवक्षापेक्षया रसादिशून्यतार्थस्य परिकल्प्यते । त्रिप्रज्ञोपाख्ये एव हि काव्ये शब्दानामर्थः । वान्यसामर्थ्यं च शोभनं च कचिविवक्षाविरहेऽपि तथाविधे त्रिप्रज्ञे रसादिप्रतीतिर्भवन्तीपरिदुर्बला भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसत्वपरिकल्प्यं चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । तदिदमुक्तम्—

रसभावादिविषयविवक्षाविरहे सति ।
अलङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः ॥
रसादिषु विप्रज्ञा तु स्यात्तात्पर्यवती यदा ।
तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेर्यत्र २ न गोचरः ॥

एतच्च चित्रकवीनां विशृङ्खलगिरा रसादितात्पर्यमनपेक्षयैश्च काव्यं

पदार्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकता है । अतः वह कवि का ज्ञान का त्रिप्रज्ञ नहीं हो सकती है ।] कवि का त्रिप्रज्ञ [भूत] कोई पदार्थ ही चित्र [काव्य, कवि कर्म] कहलाता है ।

[सिद्धान्त पत्र] ठाक है, ऐसा कोई काव्य प्रकार नहीं है जिसमें रसादि की प्रतीति न हो । किन्तु रस, भाव आदि की विवक्षा से रहित कवि, जब अर्थालङ्कार अथवा शब्दालङ्कार की रचना करता है तब उसकी त्रिप्रज्ञ की दृष्टि से [काव्य में] रसादिशून्यता का कल्पना करते हैं । काव्य में विवक्षित अर्थ ही शब्द का अर्थ होता है । उस प्रकार के [चित्र काव्य] के त्रिप्रज्ञ में कवि की [रसादि विषय] त्रिप्रज्ञा न होने पर भी यदि रसादि की प्रतीति होती है तो वह दुर्बल होती है इसलिये भी उसको नीरस मान कर चित्र काव्य का त्रिप्रज्ञ माना है । सो ऐसा कहा भी है—

रस, भाव आदि की विवक्षा के अभाव में जो अलङ्कारों का रचना है वह चित्र [काव्य] का विषय माना गया है ।

और जब रस भाव आदि की तात्पर्य रूप [प्रधान रूप] में विवक्षा हो तब ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता है जो ध्वनि का त्रिप्रज्ञ न हो ।

विशृङ्खल वाणी वाले कवियों को, रसादि में तात्पर्य की अपेक्षा किए बिना

प्रवृत्तिदर्शनादस्माभिः परिकल्पितम् । इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काव्य-
नयव्यवस्थापने क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काव्यप्रकारः ।
यतः परिपाकवता कवीना रसादितात्पर्यविरहे व्यापार एव न शोभते ।
रसादितात्पर्यं च नास्त्येव तद्वस्तु यदभिमत रसाङ्गता नीयमानं न प्रगुणी
भवति । अचेतना अपि हि भावा यथायथमुचितरसविभावतया' चेतन-
वृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाङ्गताम् । तथा
चेदमुच्यते—

अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापति ।
यथास्मै रोचते विश्व तथेदं परिवर्तते ॥
शृङ्गारी चेत्कविः काव्ये जात रसमयं जगत् ।
स एव धीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत् ॥
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत् ।
व्यवहारयति यथेष्ट मुक्त्वा काव्ये स्रजन्त्रतया ॥

ही काव्य [रचना की] प्रवृत्ति देता । से ही हमन इस चित्र [काव्य] की कल्पना
की है । उचित काव्यमार्ग का निधारण कर दिष्ट जाने पर [ध्वनि प्रस्थापन
के बाद के] आधुनिक कवियों के लिए तो ध्वनि में भिन्न और कोई काव्य प्रकार
है ही नहीं । रसादि तात्पर्य के बिना परिपाकवान् कवियों का व्यापार ही
शोभित नहीं होता । [पद्यदानि त्यजन्त्येव परितृप्तिमहिष्णुताम् । तं शब्दन्यास-
निष्णाताः शब्दपाकं प्रचक्षते ॥ रसादि की दृष्टि से उचित शब्द और अर्थ की,
जिसमें एक भी शब्द को इधर उधर अथवा परिवर्तन करने का आशय न
हो—इस प्रकार की रचना का जिनसे अभ्यास हो गया है वह कवि परिपाक-
युक्त कवि होते हैं] । रसादि [में] तात्पर्य होना पर तो कोई ध्वनि ऐसी
नहीं है जो अभिमत रस का अङ्ग बनाना पर अमर न उठे । [प्रशस्तगुण युक्त
न हो जाय] । अचेतन पदार्थ भी कोई एम् नहीं है जा कि रंग में, उचित रस
के विभाय रूप से अथवा [उनके साथ] चेतन व्यवहार के सम्बन्ध द्वारा रस का
अङ्ग न बन सकें । जैसा कि उहा भी है—

अनन्त काव्य जगत् में [उमरा निर्मात्रा] केवल कवि ही एव प्रजापति
[महता] हैं । उसे जैसा अङ्ग लगा दे वह विश्व उमा प्रकार बदल जाता है ।

तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यत्सर्वात्मनारसतात्पर्यत्रत कवेस्तदिच्छया
तदभिमतरसाङ्गता न वत्ते । तथोपनिबध्यमान वा न चारुत्यानिशयं
पुष्पाति सर्पमेतच्च महाकवीनां काव्येषु दृश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्य
प्रबन्धेषु यथायथ दर्शितमेव । स्थिते चैव सर्व एव काव्यप्रकारो न ध्वनि
धर्मतामतिपतति । रसाद्यपेक्षाया कवेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यचलक्षणोऽपि प्रकार
स्तदङ्गतामत्रलम्बते, इत्युक्तं^१ प्राक् ।

यदा तु चाडुपु देवतास्तुतिषु वा रसादीनामङ्गतया व्यग्रथानं,
हृदयवतीषु च सप्रज्ञरुगाथासु कासुचिद् व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्ये^२
प्राधान्य तदपि गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य ध्वनिरिष्यन्दभूतत्वमेवेत्युक्तं प्राक् ।
तदेवमिदानीन्तनरुविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासा
र्थिना यदि पर चित्रेण व्यवहार । प्राप्तपरिणतीनान्तु ध्वनिरेव काव्य-
मिति स्थितमेतत् ।

यदि कवि रसिक [शृङ्गार प्रधान] है तो यह सारा जगत् रसमय
[शृङ्गारमय] हो जाता है और यदि वह वैरागी है तो यह वह सब ही नीरस हो
जाता है ।

सुकवि [अपने] काव्य में अचेतन पदार्थों को भी चेतन के समान और
चेतन पदार्थों को भी अचेतन के समान जैसा चाहता है वैसा व्यवहार करता
है ।

पूर्ण रूप से रस में तत्पर कवि की ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती है
जो उसकी इच्छा से उसके अभिमत रस का अङ्ग न बन जाय अथवा इस प्रकार
[रसाङ्गतया] उपनिबद्ध हो कर चारुत्यानिशय को पोषित न करे । यह सब
कुछ महाकवियों के काव्यों में दृष्टिगोचर होता है । हमने भी अपने काव्य
प्रबन्धों [विषमबाणलीला अर्जुनचरित और देवीशतक आदि] में उचित रूप
से दिखाया है । इस प्रकार [सब पदार्थों का रस के साथ सम्बन्ध] स्थित हो
जाने पर [सर्व एव] कोई भी काव्य प्रकार ध्वनिरूपता का अतिरमण नहीं
करता । कवि को रसादि की अपेक्षा होने पर गुणीभूतव्यङ्ग्य रूप भेद भी इस
[ध्वनि] का अङ्ग बन जाता है, यह पहिले कह चुके हैं ।

अथ राजा आदि की स्तुतियों [चाडु, खुरामद, राजादि की स्तुति]

१ इत्युक्तं नि० में नहीं ह । २ यदप्रज्ञादिगाथासु नि०, यदप्रज्ञादि
गाथासु दी० ३ व्यङ्ग्यविशिष्टवाच्यता नि०, दी० ।

तदयमत्र संग्रहः—

यस्मिन् रसो वा भावो वा तात्पर्येण प्रकाशते ।

संवृत्याभिहित^१ वस्तु यत्रालङ्कार एव वा ॥

काव्याध्वनि ध्वनिर्व्यङ्ग्यप्राधान्यैकनिबन्धन^२ ।

सर्वत्र तत्र विषयी ज्ञेयः सहृदयैर्जनैः ॥४३॥

सगुणीभूतव्यङ्ग्यैः सालङ्कारैः सह प्रभेदैः स्वैः ।

सङ्करसंसृष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥४४॥

अथवा देवताओं की स्तुतियों में रसादि की अङ्गरूप से [भावरूप से] स्थिति हो, और [प्राकृत कवियों की गोष्ठी में द्वित्रयललिया नाम से प्रसिद्ध विशेष प्रकार की] हृदयवती [अमक] सहृदयों ['सप्रज्ञका सहृदया उच्यन्ते' इति लोचनम्] की जिन्हीं गाथाओं में व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्य में प्राधान्य हो तब भी गुणीभूतव्यङ्ग्य, ध्वनि की विशेष धारा रूप ही होता है यह बात पहिले कह आए हैं । [दीधितिकार ने सप्रज्ञक की जगह पट्प्रज्ञक पाठ माना है—वर्माभिकाममोक्षेषु लोक्तत्वार्थयोरपि । पट्सु प्रज्ञास्ति यस्योच्चै पट्प्रज्ञ इति संस्मृत. ॥ इति त्रिकाण्ड शेषः ।] इस प्रकार [ध्वनि के ही प्रधान होने पर] आधुनिक कवियों के लिए काव्यनीति का उपदेश [शिक्षण] करने में [स्थिति इस प्रकार है कि] यदि [आवरयकता हो तो], केवल अन्वयासार्थी भले ही 'चित्र काव्य' का व्यवहार कर लें, परन्तु परिपक्व [सिद्धहस्त] कवियों के लिए तो ध्वनि ही [एकमात्र] काव्य है यह सिद्ध हो गया ।

इसलिए इस विषय में यह [सारांश] संग्रह हुआ —

जिस काव्य मार्ग में रस अथवा भाव, तात्पर्य [प्रधान] रूप से प्रकाशित हों अथवा जिसमें गोप्यमान रूप [कामिनी लुच कलशयन् सौन्दर्यातिशय हेतु से] से वस्तु अथवा अलङ्कार प्रकाशित हों, उन सब में केवल व्यङ्ग्य के प्राधान्य के कारण सहृदयजन, ध्वनि को विषयी [तीनों प्रकार की ध्वनि जिसका विषय है ऐसा] अथवा प्रधान समझें ॥४३॥

अलङ्कारों सहित गुणीभूत व्यङ्ग्यों के साथ, और अपने भेदों के साथ सङ्कर तथा संसृष्टि से [ध्वनि] फिर अनेक प्रकार का प्रकाशित होता है ।

१ संवृत्याभिहितौ वा० प्रि० । २ ध्वनेर्व्यङ्ग्य प्राधान्यैकनिबन्धन नि०, दी० ।

तस्य च ध्वने स्वप्रभेदै, गुणीभूतव्यङ्ग्येन, वाच्यालङ्कारैश्च सङ्करसंस्पृष्टिव्यवस्थायां क्रियमाणाया बहुप्रभेदता लक्ष्ये दृश्यते । तथाहि स्वप्रभेदसङ्कीर्ण, स्वप्रभेदसंस्पृष्टो, गुणीभूतव्यङ्ग्यसङ्कीर्णो, गुणीभूतव्यङ्ग्यसंस्पृष्टो, वाच्यालङ्कारान्तरसङ्कीर्णो, वाच्यालङ्कारान्तरसंस्पृष्ट, संस्पृष्टालङ्कारसङ्कीर्ण, संस्पृष्टालङ्कारसंस्पृष्टश्चेति बहुधा ध्वनि प्रकाशते ।

उस ध्वनि के अपने भेदों के साथ, गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ, और वाच्यालङ्कारों के साथ, सङ्कर और संस्पृष्ट [दो या अधिक भेदों की परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्र रूप से एक जगह स्थिति को संस्पृष्ट कहते हैं । और अद्वाङ्गि-भाव आदि रूप में स्थिति होने पर सङ्कर होता है । सङ्कर के 'अद्वाङ्गिभाव सङ्कर', 'एकाग्रयानुप्रवेश सङ्कर' और 'सन्देहसङ्कर' यह तीन भेद होते हैं] की व्यवस्था करने पर लक्ष्य [काव्यों] में बहुत भेद दिखाई देते हैं । इस प्रकार १—अपने भेदों [ध्वनि के मुख्य भेदों] के साथ सङ्कीर्ण [त्रिविधसङ्कर युक्त] २—अपने भेदों के साथ संस्पृष्ट, [अनपेक्षतया स्थित] ३—गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कीर्ण, ४—गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ संस्पृष्ट, ५—वाच्य अन्य अलङ्कारों के साथ सङ्कीर्ण, ६—वाच्य अन्य अलङ्कारों के साथ संस्पृष्ट, ७—संस्पृष्ट अलङ्कारों के साथ सङ्कीर्ण, ८—संस्पृष्ट अलङ्कारों के साथ संस्पृष्ट इस रूप में बहुत प्रकार का ध्वनि प्रकाशित होता है ।

लोचनकार के अनुसार ध्वनि के ३५ भेदों की गणना .—

लोचनकार ने द्वितीय उद्योत की ३१ वीं कारिका तथा तृतीय उद्योत की इस तैत्तलीसर्वी कारिका की व्याख्या करते हुए दो जगह ध्वनि के प्रभेदों की गणना की है । पहिली जगह 'एव ध्वने प्रभेदान् प्रतिपात्र' इस मूल ग्रन्थ की व्याख्या करते हुए ध्वनि के वैंतीस भेदों की गणना इस प्रकार की है .—

'अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्वौ मलभेदौ । आद्यस्य द्वौ भेदौ, अत्यन्ततिरस्कृतवाच्योऽर्थांतरसन्नमितवाच्यश्च । द्वितीयस्य द्वौ भेदौ, अलक्ष्यक्रमोऽनुरणनरूपश्च । प्रथमोऽजन्तभेद । द्वितीयो द्विविध, शब्दशक्ति-मूलोऽर्थशक्तिमूलश्च । पश्चिमस्त्रिविध कविप्रौढोत्कृष्टशरीर, कविनिरद्वक्त्र प्रौढोत्कृष्टशरीर, स्वत सम्पदी च । ते च प्रत्येक व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोस्त-भेदनयेन चतुर्धेते द्वादशनिधोऽर्थशक्तिमूल । आद्याश्चत्वारो भेदा इति षोडश मुख्यभेदाः । ते च पदवाक्यप्रकाशत्वेन प्रत्येक द्विविधा वदन्ते । अलक्ष्यक्रमस्य तु वर्षपदवाक्यसङ्गनाप्रबन्धप्रकाश्यत्वेन पञ्चत्रिंशद् भेदा ।'

अर्थात् ध्वनि के अविवक्षितवाच्य [लक्षणामूल] और विवक्षितान्य-

परवाच्य [अभिधामूल] यह दो मूल भेद हैं । उनमें से प्रथम अर्थात् अविवक्षित वाच्य के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य यह दो भेद होते हैं । द्वितीय अर्थात् विवक्षितान्यपरवाच्य [अभिधा मूल] ध्वनि के असंक्षयक्रम-व्यङ्ग्य और संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य यह दो भेद होते हैं । इनमें से प्रथम असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [रसादि ध्वनि] के अनन्त भेद हैं । इसलिए वह सब मिला कर एक ही माना जाता है । दूसरे अर्थात् संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल इस प्रकार दो भेद होते हैं । इनमें से अन्तिम अर्थात् अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के स्वतःसम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध तथा कविनिबद्ध-वक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध यह तीन भेद होते हैं । इन तीनों भेदों में से प्रत्येक, व्यङ्ग्य और व्यञ्जक दोनों में उच्चभेद [वस्तु और अलङ्कार] नीति से चार भेद होकर कुल बारह प्रकार का अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि होता है । इन बारह भेदों में से पहिले चार भेद अर्थात् अविवक्षित वाच्य के दो भेद तीसरा असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य और चौथा शब्दशक्त्युत्पन्न भेद मिला देने से बारह और चार मिल कर सोलह भेद हुए । यह सब पदगत और वाक्यगत होने से दो प्रकार के होकर ३२ भेद हुए । असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य पद और वाक्य के अतिरिक्त वर्ण, सङ्घटना तथा प्रबन्ध में भी प्रकाश्य होने से उसके तीन भेद और जुड़ कर ध्वनि के कुल ३५ भेद हो जाते हैं । इनमें जहाँ 'व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोश्च भेदनेन चतुर्थेति' लिखा है वहाँ कुछ पाठ भ्रष्ट हो गया जान पड़ता है ।

काव्यप्रकारा कृत २१ ध्वनिभेदः—

जहाँ लोचनकार ने ध्वनि के कुल ३५ भेद माने हैं, वहाँ काव्य-प्रकाश ने ५१ शुद्ध भेदों की गणना की है । उनकी गणना की शैली इस प्रकार है :—

अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भेदे ध्वनौ ।

अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम् ॥ २४ ॥

विवक्षितं चान्यभरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः ।

कोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो लक्ष्यन्यङ्ग्यक्रमः परः ॥ २५ ॥

रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः ।

मिन्नो रसाद्यलङ्कारादलङ्कार्यतया स्थितः ॥ २६ ॥

अनुस्वानामसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्थितिस्तु यः ।

शब्दार्थोभयशक्त्युत्पत्तिघास कथितो ध्वनिः ॥ २७ ॥

अलङ्कारोऽथ वस्त्वेन शब्दाद्यत्रावभासते ।
 प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युद्भवो द्विधा ॥ २८ ॥
 अर्थशक्त्युद्भवोऽप्यर्थो व्यञ्जकः सम्भवी स्वतः ।
 प्रौढोक्तिमात्रासिद्धो वा कवेस्तेनोग्मितस्य वा ॥ २९ ॥
 वस्तु बालकृतिर्वेति पद्भेदोऽथै व्यनक्ति यत् ।
 वस्त्वलङ्कारमथवा तेनाथ द्वादशात्मकः ॥
 शब्दार्थोभयभूरेकः, भेदा अष्टादशास्य तत् ।
 रसादीनामनन्तत्वाद् भेद एको हि गण्यते ॥

अर्थात् अत्रिविधितन्वाच्य में अर्थान्तरसकमित वाच्य तथा अत्यन्त-
 तिरस्कृत वाच्य यह दो भेद और विवक्षितान्यपर वाच्य में शब्दशक्त्युत्प के
 वस्तु, अलङ्कार रूप दो भेद, अर्थशक्त्युत्प के बारह भेद, उभय शक्त्युत्प का
 एक भेद और असलक्ष्य क्रम व्यञ्ज्य का एक भेद इस प्रकार विवक्षितान्यपर
 वाच्य के २+१२+१+१=१६, तथा अत्रिविधितन्वाच्य के दो कुल मिलाकर
 १६+२=१८ अठारह भेद हुए ।

वाक्ये द्व्युत्पः, पदेऽप्यन्ये, प्रबन्धेऽप्यर्थशक्तिभूः ।
 पदैकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः ॥ ।
 भेदास्तदेकपञ्चाशत् ॥

अर्थात् ऊपर जो १८ भेद दिखाए थे उनमें से उभयशक्त्युत्प भेद
 केवल पद में होने से एक, और शेष सत्रह भेद पद तथा वाक्य में होने से ३४
 और अर्थशक्त्युद्भव के बारह भेद प्रबन्धगत भी होने से बारह और मिल कर
 १+३४+१२=४७ और रसादि असलक्ष्यक्रम के १. पदैकदेश, २. रचना,
 ३. वर्ण, तथा अपि शब्द से ४. प्रबन्धगत चार भेद और मिला कर
 ४७+४=५१ भेद होते हैं । साहित्यदर्पणादि में भी यही ५१ भेद प्रकारान्तर से
 दिखाए हैं । साहित्यदर्पण के भेदों का यह प्रकार हम इस उद्योत के प्रारम्भ में
 पृ० २११ पर दिखा चुके हैं ।

‘लोचन’ तथा ‘काव्यप्रकाश’ के भेदों की तुलना—

ऊपर दिए हुए विवरण के अनुसार ‘लोचन’ में ज्वनि के शुद्ध ३५ भेद
 दिखाए हैं और ‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘साहित्यदर्पण’ आदि में उनके स्थान पर ५१
 भेद दिखाए गए हैं । इस प्रकार ‘लोचन’ तथा ‘काव्यप्रकाश’ आदि के भेदों में १६

भेदों का अन्तर है। अर्थात् काव्यप्रकाश आदि में लोचन से सोलह भेद अधिक दिखाए गए हैं। यह सोलहों भेदों का अन्तर विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात् अभिधामूल ध्वनि के भेदों में ही हुआ है। जिनमें मुख्य भेद तो अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के भेदों में है। लोचनकार ने अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के बारह भेद दिखा कर फिर उनके पद और वाक्य गत भेद दिखाए हैं। इस प्रकार अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि के २४ भेद हो जाते हैं। 'काव्यप्रकाशकार' ने पद और वाक्य के अतिरिक्त प्रबन्ध में भी अर्थशक्त्युद्भव के बारह भेद माने हैं। जो लोचनकार ने नहीं दिखाए। इस प्रकार लोचन के मत में अर्थशक्त्युद्भव के २४ भेद और काव्यप्रकाश के अनुसार ३६ भेद होते हैं। अर्थात् बारह भेदों का अन्तर तो इस में है। इसके अतिरिक्त शब्दशक्त्युत्थ ध्वनि के लोचनकार ने केवल पदगत तथा वाक्यगत यह दो भेद किए हैं। वस्तु और अलङ्कार के भेद से भेद नहीं किए हैं। काव्यप्रकाश में शब्दशक्त्युत्थ के वस्तु और अलङ्कार व्यङ्ग्य के भेद से दो भेद करके फिर उनके पदगत तथा वाक्यगत भेद किए हैं। अतः काव्यप्रकाश में शब्दशक्त्युत्थ के चार भेद होते हैं और लोचन में केवल दो भेद। अतः दो भेदों का अन्तर यहाँ आता है। इसके अतिरिक्त लोचन में उभयशक्त्युत्थ नाम का कोई भेद परिगणित नहीं किया है। काव्यप्रकाश में उभयशक्त्युत्थ को भी एक भेद माना गया है। इस लिए काव्यप्रकाश में एक भेद यह गूँठ जाता है। इस प्रकार शब्दशक्त्युत्थ में वस्तु तथा अलङ्कार के दो भेद, अर्थशक्त्युत्थ में प्रबन्धगत बारह भेद, और उभयशक्त्युत्थ का एक भेद यह सब मिलकर १५ भेद तो असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के अन्तर्गत काव्यप्रकाश में अधिक दिखाए हैं। और सोलहवा भेद असलक्ष्यक्रम की गणना में अधिक है। असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि का जैसे तो 'लोचन' तथा काव्यप्रकाश दोनों जगह एक ही भेद माना है। परन्तु लोचन में उस असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के १ पद, २ वाक्य, ३ उर्ण, ४ सङ्घटना तथा ५ प्रबन्ध में व्यङ्ग्य होने से पाँच भेद माने हैं। काव्यप्रकाश में इन पाँचों के अतिरिक्त पदैकदेश अर्थात् प्रकृति प्रत्ययादि गत एक भेद और माना है। अतः काव्यप्रकाश में असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के भेदों में भी एक भेद अधिक होने से 'लोचन' की अपेक्षा कुल सोलह भेद अधिक हो जाते हैं। इसलिए जहाँ लोचन में ध्वनि के शुद्ध ३५ भेद दिखाए हैं, वहाँ काव्यप्रकाश में ध्वनि के शुद्ध ५१ भेद दिखाए गए हैं।

समृष्टि तथा सङ्कर भेद में लोचनकार की गणना—

१ केवल इन शुद्ध भेद की गणना में ही यह अन्तर पाया जाता है अर्थात्

उन शुद्ध भेदों का संसृष्टि तथा सङ्कर भेद से जब आगे विस्तार किया जाता है तो उस विस्तार में भी साहित्यशास्त्र के विविध ग्रन्थों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद पाया जाता है। लोचनकार ने गुणीभूतव्यङ्ग्य, अलङ्कार तथा ध्वनि के अपने भेदों के साथ संसृष्टि तथा सङ्कर से ध्वनि के ७४२० भेद दिखाए हैं। काव्य-प्रकाशकार ने केवल ध्वनि के इक्यावन शुद्ध भेदों की संसृष्टि तथा सङ्कर से १०४०४ और उनमें ५१ शुद्ध भेदों को जोड़ कर १०४५५ भेद दिखाए हैं। और साहित्य-दर्पणकार ने सङ्कर तथा संसृष्टि कृत ५३०४ तथा ५१ शुद्ध भेदों को जोड़ कर ५३५५ भेद दिखाए हैं।

पूर्वे ये पञ्चत्रिंशद्भेदा उक्तास्ते गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि मन्तव्याः। स्वप्रभेदा-
स्तावन्तः। अलङ्कार इत्येकसप्ततिः। तत्र सङ्करत्रयेण संसृष्ट्या च गुणने द्वे शते
चतुरशीत्यधिके [२८४]। तावता पञ्चत्रिंशतो मुख्यभेदानां गुणने सप्त सहस्राणि
चत्वारि शतानि विंशत्यधिकानि [७४२०] भवन्ति।

लोचन० उद्योत ३, का० ४३

भेदास्तदेकपञ्चाशत् तेषां चान्योन्ययोजने।

सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ॥

वेदखाग्निधियच्चन्द्राः [१०४०४], शरेयुयुगलेन्दवः। [१०४५५]

काव्यप्रकाश चतुर्थोऽध्याय ६२, ६५।

तदेवमेकपञ्चाशद्भेदास्तस्य ध्वनेर्मताः।

सङ्करेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया।

वेदखाग्निशराः [५३०४], शुद्धैरिपुशरणाग्निशायकाः। [५३५५]

साहित्यदर्पण चतुर्थ परिच्छेद १२।

इन तीनों में यद्यपि लोचनकार सबसे अधिक प्राचीन और सबसे अधिक प्रामाणिक हैं, परन्तु इस विषय में उनकी गणना सबसे अधिक चिन्त्य है। उन्होंने ध्वनि के शुद्ध ३५ भेद, उतने ही [३५ ही] गुणीभूत व्यङ्ग्य के, और अलङ्कारों का मिला कर एक भेद, इस प्रकार कुल ७१ भेदों की संसृष्टि तथा सङ्कर दिखाने के लिए ७१ को चार से गुणा कर $७१ \times ४ = २८४$ भेद किए। और उनको फिर शुद्ध पैंतीस भेदों से गुणा कर $२८४ \times ३५ = ७४२०$ भेद दिखाए हैं। इस में सबसे बड़ी त्रुटि तो यही दिखाई देती है कि २८४ और ३५ का गुणा करने से गुणनफल ६६४० होता है परन्तु लोचनकार उसक स्थान पर केवल

७४२० लिख रहे हैं। यह गणना की प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली त्रुटि है। इसके अतिरिक्त और भी विशेष बात इस प्रसङ्ग में चिन्तनीय है।

‘लोचन’ की एक और चिन्त्य गणना —

लोचनकार ने ‘पूर्व ये पञ्चविंशद्भेदा उक्तास्ते गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि मन्तव्या ।’ लिख कर जितने ध्वनि के भेद होते हैं उतने ही गुणीभूत व्यङ्ग्य के भी भेद माने हैं। परन्तु काव्यप्रकाश ने इस विषय का प्रतिपादन कुछ भिन्न प्रकार से किया है। वह लिखते हैं —

‘एषा भेदा यथायोग वेदितव्याश्च पूर्ववत् ।

यथायोगमिति :—

व्यव्यन्ते वस्तुमानेण यदालङ्कृतयस्तदा ।

ध्रुव ध्वन्यङ्गता तासा काव्यवृत्तेस्तदाध्रयात् ॥ [ध्व० २, २६]

इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमानेण यत्रालङ्कारो व्यव्यते न तत्र गुणीभूत व्यङ्ग्यत्वम् ।

का० प्र० ५, ४६ ।

‘तथा हि स्वतः सम्भवि कविप्रौढोक्तिसिद्ध-कविनिबद्धवस्तुप्रौढोक्तिसिद्ध-वस्तुव्यङ्ग्यालङ्काराणां पदवाक्यप्रसंगान्त्वेन वस्तुव्यङ्ग्यालङ्कारस्य नवविधत्वमिति ध्वनिप्रभेदसंख्यैकपञ्चाशत्तो नान्युनेन [५१ - ६ = ४२] अष्टाना भेदानां प्रत्येक द्विचत्वारिंशत् [४२] विधत्तमिति मिलित्तः ४२ × ८ = ३३६ । गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य पञ्चविंशदधि त्रिंशत्भेदाः [३३६]’ काव्यप्रकाश टीका ।

इसके अनुसार काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि के अर्धशक्युद्भव भेद के अन्तर्गत वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य के स्वतः सम्भवी, कविप्रौढोक्तिसिद्ध, तथा कविनिबद्धवस्तुप्रौढोक्तिसिद्ध यह तीन भेद और उनमें से प्रत्येक के पद, वाक्य तथा प्रबन्धगत होने से ३ × ३ = ९ वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य के कुल नौ भेद दिखाए थे। इन नौ प्रकारों में कवन ध्वनि ही होता है गुणीभूत व्यङ्ग्य नहीं जसा कि ध्वन्यालोक की ऊपर उद्धृत कारिका से सिद्ध होता है। अतः ध्वनि के २१ भेदों में से इन नौ को कम करके ५१ - ९ = ४२ भेद होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर ४२ × ८ = ३३६ गुणीभूत व्यङ्ग्य के शुद्ध भेद होते हैं। यह काव्यप्रकाशकार का आशय है।

इसका अभिप्राय यह हुआ कि काव्यप्रकाश ने ध्वन्यालोक की ऊपर उद्धृत की हुई [२, २६] कारिका के आधार पर वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य के

नी भेदों को कम करके गुणीभूत व्यङ्ग्य के भेद माने हैं। क्योंकि जहा वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य होता है, वहा ध्वन्यालोक की उक्त कारिका के अनुसार 'ध्रुव ध्वन्यङ्गता' ध्वनि ही होती है। गुणीभूत व्यङ्ग्य नहीं। लोचनकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। न केवल इस गणना में अपितु वस्तु तथा अलङ्कार व्यङ्ग्य के भेद से गणना करने का ध्यान भी उनको नहीं रहा है। इसलिए अर्थशक्त्युद्भव के जो बारह भेद उन्होंने दिखाए हैं, उसमें भी नुटे रह गई है। उभयशक्त्युद्भव को भी जो लोचनकार छोड़ गए हैं वह सब चिन्त्य है।

‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘साहित्यदर्पण’ की गणना :—

जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है ‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘साहित्यदर्पण’ दोनों में ध्वनि के शुद्ध ५१ भेद माने गए हैं। परन्तु इनकी सृष्टि और सङ्कर प्रक्रिया से जो भेद सख्या दोनों ग्रन्थों में निकाली गई है उसमें दोनों ग्रन्थों में बहुत भेद है। ‘काव्यप्रकाश’ में सृष्टि सङ्कर कृत भेदों की सख्या १०४०४ तथा साहित्य दर्पण में ५३०४ सख्या दी गई है। इस सख्या भेद का कारण वस्तुतः गणना शैलियों का भेद है। ‘साहित्यदर्पण’ ने ‘सङ्कलनप्रक्रिया’ से और ‘काव्य प्रकाश’ ने ‘गुणनप्रक्रिया’ से भेदों की गणना की है। इसलिए इन दोनों में सख्या का इतना भेद आता है।

गुणन प्रक्रिया :—

इसका अभिप्राय यह है कि ध्वनि के ५१ भेदों का एक दूसरे के साथ मिश्रण करने से प्रत्येक भेद का एक अपने सजातीय और पचास विजातीय भेदों के साथ मिश्रण हो सकता है। उदाहरण के लिए अर्थान्तरसम्मितवाच्यध्वनि के उसी उदाहरण में दूसरे अर्थान्तरसम्मितवाच्य ध्वनि की भी निरपेक्षतया स्थिति हो सकती है। उस दशा में ‘मिथोऽनपेक्षतयैषा स्थितिः सृष्टिरुच्यते।’ एक उदाहरण में दो जगह अर्थान्तरसम्मितवाच्य ध्वनि के रहने से उनकी सृष्टि हो सकती है। यह तो सजातीय भेद के साथ सृष्टि हुई। इसी प्रकार उसकी पचास अन्य भेदों के साथ जो सृष्टि होगी, वह विजातीय भेदों से सृष्टि कहलावेगी। इस प्रकार एक भेद के सृष्टि जन्य इक्यावन भेद हो सकते हैं।

ध्वनि के शुद्ध इक्यावन भेदों में से प्रत्येक के यह इक्यावन भेद हो सकते हैं। परन्तु उन सब का योग क्या होगा। इस प्रश्न पर जब विचार करते हैं तब वहीं सङ्कलन और गुणन की प्रक्रियाओं का भेद उपस्थित होता है। साधारणतः इक्यावन भेदों में से प्रत्येक के इक्यावन भेद होते हैं इस लिए इक्यावन को इक्यावन

से गुणा कर देने पर $५१४५१ = २६०१$ भेद सृष्टि जन्य हो सकते हैं। यह परिणाम 'गुणनप्रक्रिया' से निकल सकता है। इसी को यहाँ हमने 'गुणनप्रक्रिया' कहा है। इस सृष्टि के अतिरिक्त १. 'श्रद्धाङ्गिमान सङ्कर', २. 'सन्देह सङ्कर' और ३. एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर यह तीन प्रकार का सङ्कर भी हो सकता है। इसलिए इससे तिगुने अर्थात् $२६०१ \times ३ = ७८०३$ सङ्कर कृत भेद हो सकते हैं। सृष्टि तथा सङ्कर कृत इन कुल भेदों को जोड़ देने से $२६०१ + ७८०३ = १०४०४$ भेद होते हैं। यही संख्या काव्यप्रकाश में ध्वनि भेदों की दी है। इसमें ५१ शुद्ध भेदों को और जोड़ देने से १०४५५ भेद काव्यप्रकाश के अनुसार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सृष्टि के भेद मालूम करने के लिए इक्यावन इक्यावन का गुणा क्रिया गया है इसलिए हमने इस प्रक्रिया को 'गुणनप्रक्रिया' कहा है। और काव्यप्रकाश ने इस गुणनप्रक्रिया को ही यहाँ अपनाया है।

सङ्कलन प्रक्रिया —

यहाँ ध्वनि भेदों की गणना में काव्यप्रकाशकार ने 'गुणनप्रक्रिया' का अवलम्बन किया है। परन्तु काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में विरोधालङ्कार के प्रकरण में उन्होंने इससे भिन्न प्रक्रिया का अवलम्बन किया है।

जातिश्चतुर्भिर्जात्याद्यैर्विरुद्धा स्याद्गुणरिभिः ।

त्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्य द्रव्येणैवेति ते दश ॥

इसका अभिप्राय यह है कि १. जाति, २. गुण, ३. क्रिया और ४. द्रव्य इन चारों का परस्पर विरोध वर्णन करने पर विरोधालङ्कार होता है। और उसके दस भेद होते हैं। साधारणतः जाति का जाति आदि चारों के साथ विरोध हो सकता है। इसलिए उसके विरोध के चार भेद हुए, एक सजातीय के साथ और तीन विजातीयों के साथ। इसी प्रकार गुण का भी एक सजातीय और तीन विजातीयों के साथ विरोध हो कर चार भेद हो सकते हैं। इसी प्रकार क्रिया और द्रव्य के भी चार-चार भेद हो सकते हैं। इसलिए यदि ध्वनि स्थल वाली 'गुणन-प्रक्रिया' का अवलम्बन किया जाय तो यहाँ भी चार और चार का गुणा करके विरोध के सोलह भेद होने चाहिए। परन्तु काव्यप्रकाशकार ने यहाँ केवल दस भेद माने हैं। और उनका परिगणन इस प्रकार किया है कि यद्यपि चारों के चार-चार भेद ही होते हैं परन्तु जाति का गुण के साथ जो विरोध है उसकी गणना जाति विरोध वाले चार भेदों में आ चुकी है। इसलिए गुण के जाति के साथ भेद की गणना में विद्यमान उस भेद को सबका हिसाब करते समय कम कर

देना चाहिए । अन्यथा वह एक भेद दो जगह जुड़ जाने से सख्या ठीक नहीं रहेगी । इसलिए जाति के विरोध के चार भेद होंगे परन्तु गुण के विरोध में तीन ही भेद रह जायेंगे । क्योंकि एक भेद की गणना पहिले आ चुकी है । इसी प्रकार क्रिया विरोध के भेदों में एक और कम होकर दो और द्रव्य के विरोध के भेदों में कमश. एक और कम होकर केवल एक ही भेद गणना योग्य रह जायगा । इसलिए विरोध की कुल सख्या जानने के लिए चार और चार का गुणा नहीं करना चाहिए अपितु एक से लेकर चार तक की सख्याओं को जोड़ना चाहिए । क्योंकि जाति के ४, गुण के ३, क्रिया के २ और द्रव्य का १ भेद ही गणना में सम्मिलित होने योग्य रह जाता है । अतएव एक से लेकर चार तक जोड़ देने से विरोध के १० भेद होते हैं । इस प्रकार विरोध अलङ्कार के दस भेद होते हैं । इस प्रक्रिया में एक से लेकर चार तक का सङ्कलन या जोड़ किया गया है । इसलिए इस प्रकार को हमने 'सङ्कलन प्रक्रिया' कहा है ।

साहित्यदर्पण की 'सङ्कलन प्रक्रिया' की शैली—

साहित्यदर्पणकार ने ध्वनि प्रभेदों की गणना में इसी 'सङ्कलन प्रक्रिया' वाली शैली का अवलम्बन किया है । ध्वनि के शुद्ध भेद तो काव्यप्रकाश तथा 'साहित्यदर्पण' दोनों में इक्यावन ही माने गए हैं । परन्तु उनके ससृष्टि तथा सङ्कर कृत भेदों की सख्या में बहुत अधिक अन्तर हो गया है । इसका कारण यही गुणन तथा सङ्कलन प्रक्रिया वाली शैलियों का भेद है । काव्यप्रकाशकार ने विरोधालङ्कार के स्थल में जिस शैली वा अवलम्बन किया है, साहित्यदर्पणकार ने ध्वान भेदों की गणना में उसी शैली वा अवलम्बन किया है । इस प्रक्रिया के अनुसार ध्वनि के प्रथम भेद की एक सजातीय और पचास विजातीय भेदों के साथ मिल सकने से ५१ प्रकार की ससृष्टि होगी । इसी प्रकार दूसरे भेद की भी ५१ प्रकार की ससृष्टि होगी । परन्तु उनमें से एक की गणना पहिले भेद के साथ हो चुकी है इसलिए दूसरे भेद की केवल ५० प्रकार की ससृष्टि परिगणनीय रह जायगी । इसी प्रकार तीसरे भेद की ४९, चौथे भेद की ४८, इत्यादि क्रम से एक-एक घटते घटते अन्तिम भेद की केवल एक प्रकार की ससृष्टि गणना योग्य रह जायगी । इसलिए ससृष्टि के कुल भेदों की सख्या जानने के लिए इक्यावन को इक्यावन से गुणा न करके एक से लेकर इक्यावन तक की सख्याओं को जोड़ना उचित है । साहित्यदर्पणकार ने एक से इक्यावन तक की सख्याओं को जोड़ कर ही १३२६ प्रकार की ससृष्टि और उससे तिगुने $१३२६ \times ३ = ३९७८$ सङ्कर

भेदों को जोड़ कर यह $१३२६ + ३६७८ = ५३०४$ संख्या निकाली है। इसलिए साहित्यदर्पण की शैली को हमने सङ्कलन प्रक्रिया की शैली कहा है।

सङ्कलन की लघु प्रक्रिया—

सङ्कलन प्रक्रिया के अनुसार एक से लेकर इक्यावन तक की संख्याओं के जोड़ने के लिए गणित शास्त्र की प्राचीन संस्कृत पुस्तक 'लीलावती' में एक विशेष प्रकार दिया है—

एको राशिर्द्विधा स्थाप्य एकमेकाधिकं कुरु ।

समाधेनासमो गुणय एतत्सङ्कलित लघु ॥

अर्थात् एक से लेकर जहाँ तक जोड़ करना हो उस अन्तिम राशि को दो जगह लिख लो, और उनमें से एक संख्या में एक और जोड़ दो। ऐसा करने से एक संख्या सम हो जायगी और एक विषम। इनमें जो सम संख्या हो उसका आधा करके उससे विषम संख्या को गुणा कर दो। जैसे यहाँ एक से लेकर इक्यावन तक जोड़ना है तो एक जगह इक्यावन और दूसरी जगह उसमें एक जोड़ कर बावन लिखा जाय। इसमें बावन संख्या सम है इसलिए उसका आधा कर छद्मीस से विषम संख्या इक्यावन को गुणा कर देने से $५१ \times २६ = १३२६$ संख्या आती है। यही एक से लेकर इक्यावन तक जोड़ होगा। इसको चौगुना कर देने से ५३०४ संसृष्ट तथा सङ्कर कृत भेद हुए और उनमें ५१ शुद्ध भेदों को मिला देने से साहित्यदर्पण की [सङ्कलन] प्रक्रिया के अनुसार ध्वनि ५ ५३५५ भेद होते हैं।

इस प्रकार काव्यप्रकाश तथा साहित्यदर्पण में ध्वनि भेदों की गणना में जो यह भेद पाया जाता है इसका कारण दोनों जगह अपनाई गई गुणन प्रक्रिया और सङ्कलन प्रक्रिया वाली शैलियों का भेद है यह स्पष्ट हो गया।

काव्यप्रकाश की द्विविध शैली का कारण—

'काव्यप्रकाश' और 'साहित्यदर्पण' में ध्वनि के भेदों की संख्या में जो अन्तर पाया जाता है उसका कारण शत हो जाने पर भी एक प्रश्न यह रह जाता है कि काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि तथा विरोधालङ्कार की गणना के प्रसङ्ग में अलग अलग शैलियों का अवलम्बन क्यों किया। साधारणतः विरोधालङ्कार के स्थल में उन्होंने जो 'सङ्कलनप्रक्रिया' का अवलम्बन किया है वही उचित प्रकृत होता है। उसी के अनुसार ध्वनिभेदों की भी गणना वैसे ही करनी चाहिए थी जसे साहित्यदर्पण में की गई है। परन्तु काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि के प्रसङ्ग में उस

शैली का अवलम्बन नहीं किया है। यद्यपि उन्होंने इस भेद का कोई कारण स्वयं नहीं दिया है परन्तु उनके टीकाकारों ने उसकी सङ्गति लगाने का प्रयत्न किया है।

ऊपर यह दिखाया था कि ध्वनि के ५१ शुद्ध भेदों में से प्रत्येक की इक्यावन प्रकार की संसृष्टि हो सकती है। परन्तु गणना का योग करते समय प्रथम भेद के इक्यावन प्रकार के बाद दूसरे भेद के ५० प्रकार ही गिने जावेंगे क्योंकि दूसरे भेद के साथ प्रथम भेद की जो संसृष्टि होगी उसकी गणना तो प्रथम भेद की गणना में ही आ चुकी है। इसी प्रकार अगले भेदों में एक-एक संख्या घटते-घटते अन्तिम भेद की केवल एक ही प्रकार की संसृष्टि गणना योग्य रह जायगी। इसलिए 'सङ्कलनप्रक्रिया' वाली शैली में एक से लेकर इक्यावन तक का जोड़ किया जाता है। परन्तु 'गुणनप्रक्रिया' वाली शैली में एक एक भेद घटाने वाला क्रम नहीं रहता है। उसमें प्रत्येक भेद की इक्यावन प्रकार की ही संसृष्टि होती है। इसलिये ५१ × ५१ का गुणा ही किया जाता है। गुणन प्रक्रिया में जो एक-एक भेद को घटाया नहीं जाता है इसका कारण उन संसृष्टियों में वैजात्य की कल्पना है। अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के साथ जो संसृष्टि है वह इन दोनों के भेद में आवेगी। इसलिए 'सङ्कलनप्रक्रिया' में उसको केवल एक ही जगह सम्मिलित किया जाता है। परन्तु यह भी हो सकता है कि अर्थान्तर संक्रमित वाच्य की अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के साथ जो संसृष्टि हो वह, अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य के साथ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की संसृष्टि भिन्न प्रकार की हो। एक में अर्थान्तर संक्रमित का और दूसरे में अत्यन्त तिरस्कृत का प्राधान्य होने से वह दोनों संसृष्टियाँ अलग-अलग ही हों। इसलिए उन दोनों की ही गणना होना आवश्यक है। अतः उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मान कर ही कदाचित् काव्यप्रकाशकार ने ध्वनि भेदों में से प्रत्येक के ५१, ५१ ही संसृष्टि प्रकार माने हैं। और उनका गुणा कर $५१ \times ५१ = २६०१$ संसृष्टि के तथा उससे तिगुने $२६०१ \times ३ = ७८०३$ सङ्कर भेदों को मिला कर $२६०१ + ७८०३ = १०४०४$ संसृष्टि सङ्कर कृत भेद माने हैं।

टीकाकारों ने काव्यप्रकाश की गुणन प्रक्रिया के समर्थन के लिए यह एक प्रकार दिखाया है। उससे यहाँ पर की गुणन प्रक्रिया वाली शैली का समर्थन तो कथञ्चु हो जाता है। परन्तु विरोधालङ्कार काने स्थल में भी इसी प्रकार का वैजात्य क्यों नहीं माना इसका कोई विनिगमक देना नहीं दिया है। इसलिए मूल शब्दा का निराकरण नहीं हो पाता है।

तत्र स्वप्रभेदसङ्कीर्णत्वं कदाचिदनुप्राह्यानुप्राहकभावेन, यथा, 'एवं-
वादिनि देवपौ' इत्यादौ । अत्र ह्यर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यध्वनि-
प्रभेदेनालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिप्रभेदोऽनुगृह्यमाणः प्रतीयते ।

एव कदाचित्प्रभेदद्वयसम्पातसन्देहेन यथा :—

सणपाहुणिआ देअर एसा जाआए किंपि ते भणिदा ।

रुअइ पडोहरवलहीघराम्म अणुणिअउ वराई ॥

[सणप्राघुणिका देव एसा जायया किमपि ते भणिता ।

रोदिनि शून्यवलभीगृहेऽनुनीयता वराकी ॥ इतिच्छाया]

अत्र ह्यनुनीयतामित्येतत् पदमर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वेन विव-
क्षितान्यपरवाच्यत्वेन च सम्भाव्यते । न चान्यतरपक्षनिर्णये प्रमाण-
मस्ति ।

उनमें से अपने भेदों के साथ सङ्कर [तीन प्रकार से होता है जिसमें पहिला प्रकार] कभी अनुप्राह्य-अनुप्राहक भाव से [होता है] जैसे, 'एवं-
वादिनि देवपौ' [पृष्ठ १८१] इत्यादि में । यहां अर्थशक्त्युद्भव 'संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य
[लज्जा अथवा अरहित्या] भेद से असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [अभिलापहेतुक
विप्रलम्भ शृङ्गार] अनुगृह्यमाण [पोष्यमाण] प्रतीत होता है । [लज्जा यहां
व्यभिचारीभाव रूप से प्रतीत हो रही है इसलिए भाव रूप न होने से
संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य है । और वह अभिलापहेतुक विप्रलम्भ शृङ्गार को पोषण
कर रही है । इस प्रकार यहां अज्ञानिभाव सङ्कर है ।]

कभी दो भेदों के आजाने से सन्देह से [सन्देह सङ्कर हो जाता है]
जैसे :—

हे देवर तुम्हारी पत्नी ने [क्षण] उत्सव की पाहुनी [अतिथि,
उत्सव में आई हुई] इससे कुछ कह दिया है [जिससे] वह शून्य वलभी गृह
में रो रही है । उस विचारी को मना लेना चाहिए ।

यहां 'अनुनीयताम्' यह पद [उपभोग प्रकर्ष सूचन रूप प्रयोजन से,
सावधान्यनुपपत्ति मूलक लक्षणा द्वारा] अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य [रूप अवि-
चित वाच्य, तथा रोदन निवृत्तिजनक व्यापार रूप अनुनय अभिधा द्वारा
बोधित होने से] और विप्रक्षितान्यपर वाच्य [ध्वनि दोनों] रूप से सम्भव है ।
और [दोनों ही पक्षों में उपभोग व्यङ्ग्य होने से] किसी पक्ष में निर्णय करने में
कोई [विनिगमक] प्रमाण नहीं है । [अतः यहां सन्देह सङ्कर है] ।

एकव्यञ्जकानुप्रवेशेन तु व्यङ्ग्यत्वं मलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यचरय स्त्रप्रभेदान्तरापेक्षया बाहुल्येन सम्भवति । यथा 'स्निग्धश्यामल' इत्यादी । स्व-
प्रभेदसंसृष्टत्व च यथा पूर्वोदाहरण एव । अत्र ह्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-
स्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य च संसर्ग ।

गुणीभूतव्यङ्ग्यसङ्कीर्णत्व यथा 'न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरय'
इत्यादी । यथा वा —

असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [रसादि ध्वनि] का अपने अन्य प्रभेदों के साथ
[अन्यप्रभेदापेक्षया] एकाश्रयानुप्रवेश [रूप सङ्कर] बहुत अधिक हो
सकता है । [क्योंकि काव्यों में एक ही पद से अनेक रसादि भावादि की
अभिव्यक्ति पाई जाती है ।] जैसे 'स्निग्धश्यामल' इत्यादि में । [यहा
स्निग्धश्यामल इत्यादि से त्रिप्रलम्भ शृङ्गार और उसके व्यभिचारी भाग शोका
वेग दोनों की अभिव्यक्ति होने से एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर है ।] अपने भेद के
साथ संसृष्ट जैसे पूर्वोक्त [स्निग्धश्यामल] उदाहरण में ही । यहा [राम पद
के अत्यन्त दु खसहिष्णु राम परक होने से] अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि
और [लिप्त तथा सुहृत् शब्द से व्यङ्ग्य] अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का
[निरपेक्षतया स्थिति रूप] संसर्ग [होने से संसृष्ट] है ।

इस प्रकार ध्वनि के अपने भेदों के साथ सङ्कर तथा संसृष्टि को दिखा
सुकने के बाद अब गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कर के दो उदाहरण देते हैं । इन
उदाहरणों में तीनों प्रकार के सङ्कर आजाते हैं ।

गुणीभूत व्यङ्ग्य का [ध्वनि के साथ] सङ्कर [का उदाहरण] जैसे —
'न्यक्कारो ह्ययमेव यदरय' इत्यादि [श्लोक] में ।

इस श्लोक की व्याख्या पीछे हो चुकी है । इसमें अलग अलग पदों से
प्रकाशित गुणीभूत व्यङ्ग्य का समस्त श्लोक से प्रकाशित असलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य रस
ध्वनि के साथ अङ्गाङ्गीभाव सङ्कर होता है । यहा समस्त वाक्य से प्रकाश्य अस-
लक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य रसादि ध्वनि मौन सी है इस विषय में व्याख्याकारों में प्राय
तीन प्रकार के मत दिखाई देते हैं —

१—लोचनकार ने इस श्लोक की व्याख्या में लिखा है—“तथादि म

पार्श्वसूतदलाना जनुमयशरणोदीपन. मोऽभिमानी,
 वृष्णारेणोत्तरीययननपट्ट पाण्डवा यस्य दास्ताः ।
 राजा दुःशामनादेर्गुर्नुजशतम्याद्गराजस्य मित्रं,
 कपारंते दुर्याजोऽसौ कथयत न स्या द्रष्टुमभ्यागतौ स्यः ॥

यदस्य इत्यादिभिः सर्वैरेव पदार्थैर्विभक्त्यदिरूपतया रीद्र एवानुश्रुते ।” अर्थात् उनके मत में रीद्रस्य इस श्लोक का प्रधान ध्वनि है ।

२—गादि उदपण क टाकाकार तरागीश जी ने इस श्लोक में शान्तस्य क स्थार्थीभाव निवद को यज्ञन माना है । उन्होंने लिखा है—“जीस्यशे रायणु.” इत्यादिना व्ययमानेन स्थानीजस्यरूपदेनेनानुभावेन सर्वालत स्वावमानन निर्व्यदास्य भावरूपोऽसलक्ष्यमभ्यङ्गो ध्वनि ।

यद् दोना मत एक दूसर स विरुद्ध ध्वनि मान रह हैं ।

३—तीक्ष्ण गरीन मत यह है कि रावण क मोध श्रीर निर्वेद आदि से पोषित रावण का युद्धोत्साह ही आस्यद पदवा से प्राप्त होता है । अतः वीर स ही इस श्लोक का प्रधान व्यङ्ग्य है ।

धन्यालोकर न स्वयं इसका खोला नहा है । उन्होंने असलक्ष्यमभ्यङ्ग्य को वाक्याभाभूत मात्रापर व्यङ्ग्यविशिष्ट वाच्यार्थ का अभिधया बोधन करने वाले पदों स श्रोतव्य, गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ सङ्कर दिखा दिया है । परन्तु वाक्याभाभूत असलक्ष्यमभ्यङ्ग्य, रीद्र, वीर, अथवा निर्वेद कौन सा है इस विषय पर उन्होंने कोई प्रकाश नहा डाला है ।

[इसी गुणीभूतम्यङ्ग्य के साथ सङ्कर का दूसरा उदाहरण देते हैं] । अथवा जैस :—

[बेणीसहार नाटक के पञ्चम अङ्क में कौरवों का विध्वंस करने के बाद, भागे हुए दुर्योधन को खोजते हुए भीम और अर्जुन की यह उक्ति है] जुए के छल्लों [पाण्डवों का राज्यापहरण करने के लिये जुए के शठता पूर्ण छल प्रपञ्च] का करने वाला, [पाण्डवों के विनाश के लिए धारणावत में बनपाए हुए] लाख के घर में आग लगाने वाला, द्रौपदी के केश और वस्त्र खींचने में चतुर, पाण्डव जिसके दास हैं [अर्थात् पाण्डवों को अपना दास बताने वाला] दुःशासन आदि का राजा, सौ अनुजों का गुरु [अपने से छोटे सय कौरवों का ज्येष्ठ या पूज्य] अद्रराज [कर्ण] का मित्र, वह अभिमानी दुर्योधन कहा है ? बताओ, हम

अत्र ह्यलक्ष्यप्रमव्यङ्ग्यस्य वाक्यार्थभूतस्य न्यङ्ग्यविशिष्टवाच्या-
भिवायिभि पदै सम्मिश्रता ।

* [भीम ओर अजुन] क्रोध से [उसे मारने] नहीं, [इस समय तो केवल]
देखने आए हैं ।

यहां [अर्थान् 'न्यङ्कारो' और 'कर्ता छूतच्छलाना' इन दोनों श्लोकों
में] वाक्यार्थभूत [समस्त श्लोक से प्रशंसित] असलक्ष्यप्रमव्यङ्ग्य [रौद्र,
धीर या निर्वेद आदि किसी का नामत उल्लेख नहीं किया है] का, व्यङ्ग्य
विशिष्ट वाच्यार्थ [गुणीभूत व्यङ्ग्य] को अभिधा से बोधत करने वाले पदों
[से चोख्य गुणीभूत व्यङ्ग्य] के साथ सङ्कर [अज्ञाङ्गिभाव रूप] है । [पदे
सम्मिश्रता में 'पदै' से पद चोख्य गुणीभूत व्यङ्ग्य अर्थ ही लेना चाहिए ।
क्योंकि साक्षात् पदों के साथ ध्वनि का सङ्कर सम्भव नहीं है ।]

इन दो उदाहरणों में गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ ध्वनि के तीनों प्रकार
के सङ्कर आ जाते हैं । ग्रन्थकार ने वाक्यार्थभूत असलक्ष्यप्रमव्यङ्ग्य रमादिध्वनि
के साथ पदप्रकाश्य गुणीभूतव्यङ्ग्य का 'अज्ञाङ्गिभाव' रूप एक ही सङ्कर दिखाया
है । दूसरा 'सन्देह सङ्कर' इस प्रकार होता है कि दूसरे श्लोक में 'पाण्डवा यस्य
दासा' इस अंश से व्यङ्ग्य विशिष्ट वाच्यार्थ ही क्रोधोदीयक हो सकता है इसलिए
यहां गुणीभूत व्यङ्ग्य हो सकता है । अथवा 'कृतकृत्य' उस को जाकर राजा की
दर्शन आशय करना चाहिए' इस प्रकार का अर्थशक्त्युद्भवध्वनि भी हो सकता
है । यह दोनों ही चमत्कारजनक हैं अतएव साधक-बाधक प्रमाण के अभाव में
उन दोनों का 'सन्देह-सङ्कर' भी हो सकता है । और वाचकपदों में ही गुणीभूत
व्यङ्ग्य के साथ रसध्वनि भी रहता है इसलिए उन दोनों का एकाग्रयानुपवेश
सङ्कर भी हो सकता है, अतएव इन दो उदाहरणों से ही गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ
त्रिविध सङ्कर का निरूपण हो जाता है ।

इन श्लोकों में गुणीभूतव्यङ्ग्य और ध्वनि अर्थात् प्रधानव्यङ्ग्य का
[त्रिविध] सङ्कर दिखाया है । इसमें यह शङ्का हो सकती है कि एक ही श्लोक
में अभिव्यक्त होने वाले व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान ध्वनि रूप भी रहे, और गुणीभूत
व्यङ्ग्य भी बन जाय यह नैस हो सकता है । आगे इसका समाधान करते हैं ।
समाधान का आशय यह है कि गुणीभूत व्यङ्ग्य पदों में रहता है और ध्वनि या

अतएव च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य, वाक्यार्थाश्रयत्वे च ध्वनेः सङ्कीर्णतायामपि^१ न विरोधः स्वप्रभेदान्तरवत् । यथा हि ध्वनिप्रभेदान्तराणि परस्पर सङ्कीर्यन्ते, पदार्थावाक्यार्थाश्रयत्वेन च न विरुद्धानि ।

प्रधान व्यङ्ग्य वाक्य में रहता है । अतः उन दोनों का आश्रय भेद हो जाने से उसमें कोई विरोध नहीं होता ।

इसीलिए [उदाहरणों में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य, दोनों के एक साथ पाए जाने से] ध्वनि के अपने प्रभेदों के समान, गुणीभूत व्यङ्ग्य को पदार्थ में आश्रित और ध्वनि को वाक्यार्थ में आश्रित मानने पर [उनका] सङ्कर होने पर भी कोई विरोध नहीं आता । जैसे ध्वनि के अन्य भेदों का परस्पर सङ्कर होता है और [एक के] पदार्थ [और दूसरे के] वाक्यार्थ में आश्रित होने से विरोध नहीं होता [इसी प्रकार ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य को भी क्रमशः वाक्यार्थ और पदार्थ आश्रित मानने से उनके सङ्कर में कोई विरोध नहीं होता ।]

यहाँ किसी पुस्तक में 'तथाहि' पाठ मिलता है और किसी में 'यथाहि' । यह पाठ भेद लोचनकार के समय में भी था । और वह स्वयं भी ठीक पाठ का निश्चय नहीं कर सके इसलिए उन्होंने 'तदेव व्याचष्टे यथाहीति । तथाऽनापीत्यध्याहारोऽप्र कर्तव्यः । तथाहि इति वा पाठः' । यह लिखा है । अर्थात् यदि 'यथाहि' यह पाठ माना जाय तब तो 'तथा अत्रापि' इतने पद का अध्याहार करना चाहिए । तब अर्थ ठीक होगा । अथवा फिर तथाहि यह पाठ होना चाहिए । इससे प्रतीत होता है कि लोचनकार को 'यथाहि' यही पाठ ही मिला था । और 'तथाहि' पाठ का उनका सुभाव है । कदाचित् इसीलिए आगे दोनों पाठ मिलने लगे हैं ।

ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य को क्रमशः वाक्याश्रित और पदाश्रित मान कर उन दोनों के सङ्कर का जो उपपादन ऊपर किया है वह 'अज्ञान्निभाव सङ्कर' और 'सन्देह सङ्कर' में तो ठीक हो जाता है परन्तु 'एकाश्रयानुपवेश सङ्कर' में तो दोनों का एक ही आश्रय होगा अतएव आश्रय भेद से ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य की स्थिति का जो अवरोध निर्णय किया था, वह वहा लागू नहीं हो सकेगा । क्योंकि एकाश्रय में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों कैसे रह सकेगे । यह शङ्का है, इसका

किञ्चैकव्यङ्ग्याश्रयत्वे तु प्रधानगुणभागे विन्द्यते न तु व्यङ्ग्यभेदापेक्षया, ततोऽप्यस्य न विरोधः ।

अथ च सङ्करसप्तष्टिव्यवहारो बहुनामेकत्र वाच्यवाचकभाव इव व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽपि निर्विरोध एव मन्तव्यः ।

यत्र तु पदानि कानिचिद्विचक्षितवाच्यान्यनुरणनरूपव्यङ्ग्यवाच्यानि वा, तत्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः समष्टित्वम् । यथा 'तेषां गोपवधूविलाससुहृदाम्' इत्यादौ । अत्र हि 'विलाससुहृदा' 'राधारहसाक्षिणा' इत्येते पदे ध्वनिप्रभेदरूपे । 'ते', 'जाने' इत्येते च पदे गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपे ।

समाधान आगे करते हैं । समाधान का आशय यह है कि पहिला परिहार व्यञ्जकभेद से किया था, उसी प्रकार यहा व्यङ्ग्यभेद से परिहार हो सकता है । अर्थात् एकाश्रय में रहने वाले दो अलग अलग व्यङ्ग्यच है, एक प्रधान या ध्वनि रूप, और दूसरा गुणीभूत । यह दोनों भिन्न भिन्न व्यङ्ग्य एक जगह रह सकते हैं । इसमें कोई विरोध नहा है । यद एक ही व्यङ्ग्य को ध्वनि और उसी को गुणीभूत कहा जाय, तब तो विरोध हाता । परन्तु दोनों व्यङ्ग्य क भिन्न होने से विरोध नहीं है । यह समाधान 'एकाश्रयानुपवेश सङ्कर' में प्रतीत होने वाले विरोध का परिहार ता करता ही है उसके साथ 'अज्ञानिभाव' और 'सन्देह सङ्कर' में भी लागू हो सकता है । क्योंकि उन दोनों भेदों में भी व्यङ्ग्य अलग अलग होने से ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य क 'अज्ञानिभाव' अथवा 'सन्देह सङ्कर' में कोई विरोध नहीं आता है । इसी बात को सूचित करने क लिए मूल में 'ततोऽप्यस्य न विरोधः' कहा है । यहा अत्रि शब्द पूर्व परिहार को अपेक्षा इसका 'सवतोमुलत्व' सूचित करता है ।

और एक ही व्यङ्ग्य में चाक्षिप्त प्रधान और गुणभाव तो विरुद्ध हो सकते हैं परन्तु व्यङ्ग्यभेद की अपेक्षा से [भिन्न भिन्न व्यङ्ग्यों में म्पित प्रधान गुणभाव विरोधी] नहीं । इसलिये भी इस [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य के सङ्कर] का विरोध नहीं है । [सङ्कर और समष्टि प्रायः वाच्य अलङ्कारों में ही प्रसिद्ध हैं, परन्तु वह व्यङ्ग्य अपों में भी हा सकते हैं इसका उपपादन करत हैं] वाच्य वाचक भाव [वाच्यालङ्कार रूप] में बहुत से [अलङ्कारों] का सङ्कर और समष्टि व्यवहार त्रिस प्रकार हाता है उन्नी प्रकार व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव [व्यङ्ग्य रूप अनेक ध्वनि प्रभेदों अथवा ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य] में भी उन्म निर्विरोध समझना चाहिये ।

[ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य क सङ्कर का प्रदर्शन कर अथ उनही

वाच्यालङ्कारसङ्कीर्णत्वमलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यापेक्षया रसवति सालङ्कारे' काव्ये सर्वत्र सुव्यवस्थितम् । प्रभेदान्तराणामपि कदाचित्सङ्कीर्णत्वं भवत्येव । यथा ममैव—

संस्पृष्टि का उपपादन करते हुए उदाहरण देते हैं] जहाँ कुछ पद अविश्लिष्ट वाच्य [लक्षणामूल ध्वनि परक] और कुछ पद [कानिचित् पद दोनों की निरपेक्षता का सूचक है । जिससे सङ्कर का श्रवकाश नहीं रहता ।] सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य परक हों वहाँ [वाक्य से व्यङ्ग्य] ध्वनि और [उस प्रधान वाक्यार्थभूत ध्वनि की अपेक्षा से गुणीभूत अविश्लिष्ट वाच्य अथवा सलक्ष्यक्रम रूप] गुणीभूत व्यङ्ग्य की संस्पृष्टि है । जैसे 'तेषा गोपत्रभूविलाससुहृदाम्' इत्यादि में । यहाँ 'विलाससुहृदाम्' और 'राधारह साक्षिणाम्' यह दोनों पद [लतागृहों के विशेषण रूप हैं । परन्तु अचेतन लतागृहों में 'मैत्री' और 'साक्षिण्य' जो कि वस्तुतः चेतन धर्म हैं नहीं रह सकते हैं । अतएव उनमें अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि होने से] ध्वनि [अविश्लिष्ट वाच्य ध्वनि के भेद] रूप है । और 'ते' तथा 'जाने' यह दोनों पद [वाच्य के उपकारक अनुभवैकगोचरत्व और उत्प्रेक्षाविषयीभूतत्व रूप] गुणीभूत व्यङ्ग्य [के] रूप हैं । [इस प्रकार वाक्यार्थ-भूत, प्रवासहेतुक विप्रलम्भ शृङ्गार के साथ 'विलाससुहृदाम्' और 'राधारह साक्षिणाम्' पदों से द्योत्य अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि के यहाँ गुणीभूत हो जाने से गुणीभूत व्यङ्ग्य की निरपेक्षतया स्थिति होने के कारण ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य दोनों की संस्पृष्टि है ।]

इस प्रकार गुणीभूत व्यङ्ग्य के साथ ध्वनि की संस्पृष्टि और सङ्कर का उपपादन कर आगे वाच्यालङ्कारों के साथ भी उनका उपपादन करते हैं ।

रसध्वनि युक्त और [रसवत्] अलङ्कार युक्त सभी काव्यों में असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य [रसादि व्यङ्ग्य की अपेक्षा के साथ से] वाच्य अलङ्कारों का [अर्थात् व्यङ्ग्य अलङ्कार नहीं । अलङ्कार के व्यङ्ग्य होने पर तो यदि वह अलङ्कार प्रधान है तो अलङ्कार ध्वनि का और अप्रधान होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्य का सङ्कर हो जायगा । अतएव वाच्य विशेषण रसादि] सङ्कर सुनिश्चित ही है [रसादि ध्वनि से भिन्न वस्तुध्वनि तथा अलङ्कार ध्वनि रूप] अन्य प्रभेदों का भी कभी [वाच्य अलङ्कारों के साथ] सङ्कर हो ही जाता है । जैसे मेरे ही [निम्न श्लोक में]—

या व्यापारवती रसान् रसयितुं काचित् कवीना नवा,
दृष्टिर्या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वैपरिच्यती ।
ते द्वे अप्यलम्ब्य विश्वमनिशं निर्गुण्यन्तो घयं,
श्रान्ता, नैव च लब्धमन्विशयनं त्वद्भक्तितुल्यं सुखम् ॥

इत्यत्र विरोधालङ्कारेणार्थान्तरसकमितवाच्यस्य ध्वनिप्रभेदस्य
सङ्कीर्णत्वम् ।

वाच्यालङ्कारसमृष्टत्वं च पदापेक्षयैव । यत्र हि कानिचित्पदानि
वाच्यालङ्कारभाञ्जि कानिचिच्च ध्वनिप्रभेदयुक्तानि । यथा—

हे समुद्रशापी [विष्णु भगवाद्] रसों के आस्वाद के लिए [शब्द
योजना में] प्रयत्नशील कवियों की [प्रतिफल नवोन्मेषशालिनी] जो कुछ
अपूर्व दृष्टि है, और प्रमाणसिद्ध अर्थों को प्रकाशित करने वाली जो विद्वानों की
'वैपरिच्यती' दृष्टि है, उन दोनों के द्वारा इस विरस को रात दिन देखते देखते
हम थक गए, परन्तु आपकी भक्ति के समान सुख [अन्वय] कहीं नहीं मिला ।

यहा विरोधालङ्कार के साथ अर्थान्तरसकमित वाच्य ध्वनि भेद का
सङ्कर है ।

यहां कवि की प्रतिभा और दार्शनिक की परिणत बुद्धि से 'निर्गुण' अर्थात् 'चानुप ज्ञान' या देखना सम्भव नहा है, अतएव विरोध उपस्थित होता है । परन्तु 'निर्गुण' पद वा 'सामान्य ज्ञान' अर्थ करने से उस विरोध का परिहार हो जाता है । इस प्रकार त्रिधाभास अलङ्कार होता है । और 'निर्गुण' पदार्थ अर्थात् चानुप ज्ञान के सामान्य ज्ञान रूप अर्थान्तर में सकमित हो जाने से अर्थान्तर सकमित वाच्य ध्वनि भी होता है, ऐसा मानकर विरोधालङ्कार तथा अर्थान्तर सकमित वाच्य ध्वनि का घटाभयानुप्रवेश रूप सङ्कर होता है ।

वाच्य अलङ्कारों का [ध्वनि के साथ] समृष्टि [निरपेक्षतया स्थिति] पदों की दृष्टि में ही होती है [वाच्य से प्रकाशित समामोक्षित आदि अलङ्कार तो ध्वनि रूप प्रधान स्वभाव के परिपोषक हा हों हैं, निरपेक्ष नहीं । अतएव उनका सङ्कर ही बन सकता है । समृष्टि नहीं ।] जहा कुछ पद वाच्य अलङ्कार से युक्त हों और कुछ ध्वनि के प्रभेद से युक्त हों [वही ध्वनि और वाच्या अलङ्कार की समृष्टि होती है] जैव—

[यह कालिदास के मेघदूत का श्लोक है । विशाखा, उन्नयिनी]
नगरी का वर्णन करते हुए यह मेघ ग कहना दे ।] जहा [निय विशाखा

दीर्घाकुर्वन् पटु मदकलं कृजितं सारसानां,
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकपाय ।
यत्र स्त्रीणा हरति सुरतग्लानिमद्भानुकूलः,
शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः ॥

अत्र हि मैत्रीपदमनिवक्षितवान्यो ध्वनि, पदान्तरेष्व-
लङ्कारान्तराणि ।

उज्जयिनी नगरी में] प्रातः काल सारसों के रमणीय और मद के कारण
अत्यन्त मधुर शब्द को फैलाने वाला, खिले हुए कमलों की सुगन्धि के सम्पर्क
से सुगन्धित और श्रद्धों को श्रद्धा लगने वाला, शिप्रा नदी का वायु तव-
निधुवन की] प्रार्थना में [खुशामद करने वाले] चाटुकार प्रियतम के
समान, स्त्रियों की सुरत जन्य भ्रान्ति को हरण करता है ।

यहा मैत्री पद में अविप्रक्षित वाच्य ध्वनि और अन्य पदों में अन्य
[पटु, दीर्घाकुर्वन् में गम्भोष्प्रेक्षा, प्रत्यूषेषु में स्वभावोक्ति, प्रियतम इव में
उपमा आदि] अलङ्कार हैं । [अतः ध्वनि की वाच्यालङ्कारों के साथ संवृष्टि है ।]

लोचनकार ने लिखा है 'शिप्रापरिचिन्तोऽपी वात इति नागरिको, न
एविदग्धो ग्राम्यप्राय इत्यर्थः । यत्र च परनाऽपि तथा नागरिकः स तत्र-
वश्यमभिगन्तव्यो देश इति मेरुदूते मेघ प्रति कामिन इयमुक्तिः' । इसके नागरिक
पद क प्रयोग पर टिप्पणी करते हुए लोचन तथा बालप्रिया ठाका सहित मुद्रित
वाराणसीय सङ्करण ने टिप्पणीकार ने लिखा है—

'अयं शब्दो 'नगरात्कुलनप्रावीण्ययोः' इति वाणिर्नाययूरेण ठका
निधन् । तत्र भरता भट्टोजशब्दितेन तु नागरिकशब्दश्चौरशिल्पिनोऽदाहृतो न तु
सामान्यतो निपुण्ये ।'

टिप्पणीकार का यह लेख एतदम प्रमाद विजग्मित जान पड़ता है ।
'नगरात्कुलनप्रावीण्ययोः' सूत्र से ठक् प्रत्यय नदा 'बुन्' प्रत्यय होता है । नगर
शब्द से बुन् प्रत्यय करके 'नगरन्' शब्द बनता है, 'नागरिक' नदी । भट्टोज-
दीक्षित ने भी कामुदा में इस सूत्र की वृत्त में 'बुन्' प्रत्यय का ही विधान किया
है । 'नगरशब्दाद् बुन् स्यात् कुलन प्रावीण्ये च गम्य । नगरकश्चौरः शिल्पी
वा । कुलन इति किम्, नागरात् प्रादाणा ।' जान पड़ता है कि टिप्पणीकार ने
कीमुदी याद करते समय इस सूत्र में 'नागरक' क स्थान पर 'नागरिक' यह

संसृष्टालङ्कारसङ्कीर्णो ध्वनिर्यथा :—

दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि,
प्रोङ्गिन्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे ।
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा,
जातमृहैर्मुनिभिरप्यवलोफितानि ॥

अत्र हि समासोक्तिसंसृष्टेन विरोधालङ्कारेण सङ्कीर्णस्यालक्ष्य क्रमव्यङ्ग्यस्य ध्वने' प्रकाशनम्, दयावीरस्य परमार्थतो वाक्यार्थी-भूतत्वात् ।

अशुद्ध उदाहरण याद कर लिया है । उसी अशुद्ध स्मृति के आधार पर यह टिप्पणी लिख दी है । और 'नगरात्कुत्सनप्रावीण्ययो.' सूत्र की वृत्ति के देखने का भी कष्ट उठाए बिना ही इस सूत्र से ठक् प्रत्यय का विधान कर डाला है । इस प्रकार भट्टोजिदीक्षित के लेख की भी दुर्गति कर डाली है ।

संसृष्ट अलङ्कार के साथ सङ्कीर्ण ध्वनि का [उदाहरण] जैसे :—

अत्यधिक भूख न कारण अपने ही बच्चे को खा जाने के लिए उग्रत किसी सिंहिनी को देखकर उस बच्चे को बचाने के लिए अपना शरीर भक्षणार्थ सिंहिनी को दे देने वाले 'बोधिसत्व' की प्रशंसा करते हुए कोई कहता है ।

[कारुण्यवश और दूसरे पक्ष में शृङ्गारवश] सघन रोमाञ्चयुक्त आपके शरीर पर, रक्तपान की इच्छा वाली और दूसरे पक्ष में अनुरक्त मन वाली, मृगराजवधू [सिंहिनी, पश्चान्तर में किसी राजवधू] ने जो दन्तक्षत और नरक्षत किए उन्हें मुनियों ने भी संसृष्ट [दूसरों की प्राणरक्षा में अपने शरीर का उपहार दे देने का यह सौभाग्य हमको भी प्राप्त होता इस भावना से, और दूसरे शृङ्गार पक्ष में अनुरक्त मन वाली राजवधू के दन्तक्षत और नरक्षत प्राप्त करने की इच्छा से युक्त] होकर देखा ।

यद्वा, [सिंहिनी, में, रक्तपान, के व्यवहार का, समारोप होने से,] समासोक्ति से संसृष्ट ['मुनिभिरपि संसृष्टैः' से सूचित] विरोध अलङ्कार के साथ सङ्कीर्ण [रोमाञ्चादि अनुभाव द्वारा परिपोषित बोधिसत्व के दयावीर रस का स्थायीभास दयासाह रूप अभिष्यज्यमान] अस्लक्ष्यव्यङ्ग्य ध्वनि का प्रकाशन होता है । क्योंकि वास्तव में दयावीर [रस] ही [मुख्य] वाक्यार्थीभूत है ।

संस्पृष्टालङ्कारसंस्पृष्टत्वं ध्वनेर्यथा —

अहिणअपओअरसिएसु पहिअसामाइएसु दिअहेसु ।

सोहइ पसारिअगिआणं णच्चिअं मोरवन्दाणम् ॥

[अभिनवपयोदरसितेपु पथिकश्यामायितेपु [सामाजिकेपु] दिवसेपु ।

शोभते प्रसारितप्रीवाणा [गीताना] नृत्त . यूरवृन्दानाम् ॥

इतिच्छाया]

अत्र ह्युपमारूपकाभ्या शब्दशक्त्युद्भवानुराणरूपव्यङ्ग्यस्य ध्वनेः
संस्पृष्टत्वम् ॥४४॥

संस्पृष्टालङ्कार के साथ ध्वनि की संस्पृष्टि [का उदाहरण] जैसे :—

[यह गाथा सप्तशती का पद्य है] अभिनव मेघों का गर्जन जिनमें हो रहा है और पथिक रूप सामाजिकों से युक्त, अथवा पथिकों को श्याम से मालूम होते हुए, [वर्षा के] दिनों में गर्दन फैलाकर अथवा गान करते हुए मोरों का नृत्य [बड़ा] सुन्दर लगता है ।

यहां उपमा और रूपक [की संस्पृष्टि] के साथ शब्दशक्त्युद्भव सलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य [वस्तुध्वनि] की संस्पृष्टि है ।

यहां 'पहिअसामाइएसु' इस प्राकृत पद की संस्कृत छाया दो प्रकार की हो सकती है । एक तो 'पथिकश्यामायितेपु' और दूसरी 'पथिकसामाजिकेपु' । इनमें से पहिली छाया अर्थात् 'पथिकश्यामायितेपु' के मानने पर श्यामा अधेरी रात के समान आचरण वाले इस अर्थ में 'कर्तुः क्यङ् सलोपश्च' ३, १, ११ इस सूत्र से उपमान वाची श्यामा शब्द से क्यन् प्रत्यय होने के कारण उपमा अलङ्कार, और 'पथिकसामाजिकेपु' ऐसी छाया मानने पर 'पथिका एव सामाजिका.' इस प्रकार रूपक हो सकता है । इन दोनों के परस्पर सापेक्ष न होने से दोनों की संस्पृष्टि है । और उसके साथ 'सामाइएसु' इस शब्द के परिचृत्यसह होने के कारण शब्दशक्तिमूल, उद्दीप्ततातिशय रूप वस्तुध्वनि की संस्पृष्टि होती है । आलोककार ने यहां उपमा और रूपक की संस्पृष्टि भानी है परन्तु साहित्यदर्पणकार ने 'पहिअसामाइएसु' इस एक पद में ही दोनों अलङ्कारों के होने से 'एकअथ नुप्रवेश सङ्कर' माना है ।

यहां संस्पृष्टालङ्कार सङ्कीर्णत्व तथा संस्पृष्टालङ्कार संस्पृष्टत्व इन दो के उदाहरण दिये हैं । इनके साथ ही सङ्कीर्णालङ्कार सङ्कीर्णत्व और सङ्कीर्णालङ्कार संस्पृष्टत्व यह दो भेद और भी हो सकते हैं परन्तु उनका उदाहरण इन्हीं के अन्तर्गत आ गए हैं इस लिए अलग नहीं दिए गए हैं । जसा कि अभी या हय-

एवं ध्वनेः प्रभेदाः प्रभेदभेदाश्च केन शक्यन्ते ।

संख्यातुं, दिङ्मात्रं तेषामिदमुक्तमस्माभिः ॥४५॥

अनन्ता हि ध्वने. प्रकाराः । सहृदयाना व्युत्पत्तये तेषा दिङ्मात्रं कथितम् ॥४५॥

इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयत्नतः सद्भिः ।

सत्काव्यं कतुं वा ज्ञातुं वा सम्यग्भियुक्तैः ॥४६॥

उक्तस्वरूपध्वनिनिरूपणनिपुणा हि सत्कवयः सहृदयाश्च नियतमेव काव्यविषये परा प्रकर्षपदवीमासादयन्ति ॥४६॥

अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद्यथोदितम् ।

अशक्नुवद्भिर्व्याकृतुं रीतयः सम्प्रवर्तिताः ॥४७॥

दर्पणकार का मत दिखाया है उसके अनुसार 'पहिग्रसामाइएसु' पद में उपमा और रूफ का सङ्कर होता है । उस दशा में यही सङ्कीर्णालङ्कार ससृष्टत्व का उदाहरण बन जाता है । उसमें उपमा और रूपक के सङ्कर के साथ वस्तु ध्वनि की ससृष्टि है । और उन्हीं के साथ रसध्वनि का अङ्गाङ्गिभावसङ्कर मानने से वही सङ्कीर्णालङ्कार सङ्कीर्णत्व का उदाहरण बन सकता है । अतः इन दो भेदों के अलग उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं रही ॥४४॥

इस प्रकार ध्वनि के प्रभेद और उन प्रभेदों के अवान्तर भेदों की गणना कौन कर सकता है । हमने उनका यह दिङ्मात्र प्रदर्शन किया है ।

ध्वनि के अनन्त प्रकार हैं । सहृदयों के ज्ञान के लिए उनमें से थोड़े से दिङ्मात्र [ही हमने] कहे हैं ॥४५॥

उत्तम काव्ये को बनाने अथवा समझने के लिए प्रस्तुत सज्जनों को इस प्रकार जिस ध्वनि का लक्षण किया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक विवेचन करना चाहिए ।

उक्त स्वरूप ध्वनि के निरूपण में निपुण सत्कवि और सहृदय निश्चय ही काव्य के विषय में अत्यन्त उत्कृष्ट पदवी को प्राप्त करते हैं । [यह प्रकर्ष-लाम ही ध्वनि विवेचना का फल है] ॥४६॥

अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाले इस पूर्वोक्त काव्य तत्व की व्याख्या कर सकने में असमर्थ [वामन आदि] ने रीतिया प्रचलित कीं ।

एतद्ध्वनिप्रवर्तनेन^१ निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरितं रु-
शकनुवद्भिः प्रतिपादयितुं वैदर्भी गौड़ी पाञ्चाली चेति रीतयः प्रवर्तितः।
रीतिलक्षणविधायिनां हि काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतया मनाक् स्फुरितमार-
दिति लक्ष्यते^२ । तदत्र स्फुटतया सम्प्रदर्शितमित्यन्येन^३ रीतिलक्षणेन
किञ्चित् ॥४७॥

इस ध्वनि के प्रतिपादन से [अथ स्पष्ट रूप से] निर्णीत [परन्तु रीति
प्रवर्तक वामन आदि के समय में] अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाले इस
[ध्वनि रूप] काव्य तत्व को प्रतिपादन कर सन्ने में असमर्थ [वामन आदि
आचार्यों] ने वैदर्भी गौड़ी, और पाञ्चाली आदि रीतियां प्रचलित कीं।
रीतिकारों को यह [ध्वनि रूप] काव्य तत्व अस्पष्ट रूप से कुछ थोड़ा थोड़ा
भासता [अवश्य] था ऐसा प्रतीत होता है। उसको [अथ हमने] यहां स्पष्ट रूप
से प्रतिपादन कर दिया इसलिये अब [ध्वनि से भिन्न] अन्य रीति लक्षणों
की कोई आवश्यकता नहीं है।

जब ध्वनि का कोई स्पष्ट चित्र लोगों के सामने नहीं था केवल एक
अस्पष्ट धु धली छाया प्रतीत होती थी और उस समय के आचार्यों में ध्वनि की
उस अस्पष्ट रूप रेखा को स्पष्ट रूप से चित्रित करने की प्रतिभा का अभाव था,
उस समय काव्य सौन्दर्य के उस मूल तत्व को उन्होंने रीति रूप में प्रतिपादन
करने का प्रयत्न किया। अब हमने काव्य के आत्मभूत उस मूल ध्वनि तत्व को
अत्यन्त स्पष्ट और विस्तृत रूप में प्रतिपादन कर दिया है इस लिए उन रीतियों
के लक्षण आदि करने की आवश्यकता नहीं है। ध्वनि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है।
रीतियों का बहुत परिमित। इस लिए रीतियों में ध्वनि का नहीं अगिस्तु ध्वनि
में रीतियों का अन्तर्भाव हो सकता है। इस लिए रीतियों के लक्षण की
आवश्यकता नहीं है। यह ग्रन्थवार का अभिप्राय है ॥४७॥

रीतियों के अतिरिक्त शब्द और अर्थ के उचित व्यञ्जक की प्रवर्तक दो
प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख प्राचीन साहित्य में पाया जाता है। भरत के नाट्य
शास्त्र में 'वृत्तयो नाच्यमातरः' तथा 'सर्वेषामेव काव्यानां वृत्तयो मातृकाः
स्मृताः।' इत्यादि वचन मिलते हैं। नाट्य शास्त्र में मुख्यतः नाट्योपयोगी भरती,
सात्वती, नैशिकी और आरभटी इन चार प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया

१. वर्णनेन नि० दी० । २. लक्ष्यते पाठ नि०, दी० में नहीं है।

३. सम्प्रदर्शितेनान्येन वा० प्रि० ।

‘शब्दतत्त्वाश्रयाः कारिचदर्थतत्वयुजोऽपराः ।

वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे ॥४८॥

अस्मिन् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावत्रिवेचनामये काव्यलक्षणे ज्ञाते सति या. कारिचत्प्रसिद्धा उपनागरिकाद्याः शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो याश्चार्यतत्त्व-सम्बद्धा कैशिक्यादयस्ताः सम्यग् रीतिपद्वीमत्रतरन्ति । अन्यथा तु तासामदृष्टार्थानामिव वृत्तीनामश्रद्धेत्यत्रमेध स्यान्नानुभवसिद्धत्वम् । एवं स्फुटतयैव लक्षणीय स्वरूपमस्य ध्वनेः ।

है । दशरूपक ने ‘तद्व्यापारमिका वृत्तिः’ कह कर नायकादि के व्यग्रहार को ही वृत्ति बताया है । ध्वन्यालोककार ने भी ‘व्यग्रहारो हि वृत्तिरित्युच्यते’ [३,३३] लिख कर व्यग्रहार को ही वृत्ति बताया है । वृत्तियों का निरूपण हम पहिले कर चुके हैं ।

भरत की चारों वृत्तियों का सम्बन्ध रसों से है और यह व्यग्रहार रूप है इसलिए ध्वन्यालोककार ने उनको ‘अर्थाश्रित वृत्ति’ कहा है । इनके अतिरिक्त उद्भट आदि ने जिन उपनागरिका आदि चार वृत्तियों का प्रतिपादन किया है । उनका वर्णन भी हम कर आए हैं । इन उपनागरिका आदि वृत्तियों का सम्बन्ध मुख्यतः शब्दों से है इसलिए आलोककार ने इनको ‘शब्दाश्रित वृत्ति’ माना है । इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का प्रयोजन सद्बुद्धानुभवगोचर चमत्कार विशेष को उत्पन्न करना ही है । और ध्वनि का प्रयोजन भी यही है । इसलिए जब तक ध्वनि के सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से आविर्भाव नहीं हुआ था तब तक इन वृत्तियों की सत्ता अलग बनी रही सो ठीक है । परन्तु ध्वनि सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के बाद जैसे ‘रीति’ की अलग आवश्यकता नहीं रही, इसी प्रकार ‘वृत्तियों’ की भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है । यह ध्वनिकार का कथन है । इसी बात का उपपादन आगे के प्रकरण में किया गया है ।

इस [ध्वनि रूप] काव्य स्वरूप के जान लेने पर कुछ शब्द तत्व में आश्रित [भट्टोद्भटादि की अभिमत उपनागरिकादि] और दूसरी अर्थतत्व पर आश्रित [भरताभिमत कैशिकी आदि] जा कोई वृत्तियाँ हैं वह भी [रात्रियों के समान व्यापक रूप ध्वनि के अन्तर्गत] प्रकाशित हो जाता है । [कारिका के उत्तरार्द्ध में कुछ अपवादों के बिना वाक्य अधूरे रह जाता है । वृत्तिहार

एतद्ध्वनिप्रवर्तनेन^१ निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरितं सद्-
शक्नुवद्भिः प्रतिपादयितुं वैदर्भी गौड़ी पाञ्चाली चेति रीतयः प्रवर्तिताः ।
रीतिलक्षणविधायिना हि काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतया मनाक् स्फुरितमासी-
दिति लक्ष्यते^२ । तदत्र स्फुटतया सम्प्रदर्शितमित्यन्येन^३ रीतिलक्षणेन न
किञ्चित् ॥४७॥

इस ध्वनि के प्रतिपादन से [अथ स्पष्ट रूप से] निर्णीत [परन्तु रीति
प्रवर्तक वामन आदि के समय में] अस्फुट रूप से प्रतीत होने वाले इस
[ध्वनि रूप] काव्य तत्त्व को प्रतिपादन कर सकने में असमर्थ [वामन आदि
आचार्यों] ने वैदर्भी गौड़ी, और पाञ्चाली आदि रीतियां प्रचलित कीं ।
रीतिकारों को यह [ध्वनि रूप] काव्य तत्त्व अस्पष्ट रूप से बुझ थोड़ा थोड़ा
भासता [अवश्य] था ऐसा प्रतीत होता है । उसको [अथ हमने] यहा स्पष्ट रूप
से प्रतिपादन कर दिया इसलिये अथ [ध्वनि से भिन्न] अन्य रीति लक्षणों
की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जब ध्वनि का कोई स्पष्ट चित्र लोगों के सामने नहीं था केवल एक
अस्पष्ट धु धली छाया प्रतीत होती थी और उस समय के आचार्यों में ध्वनि की
उस अस्पष्ट रूप रेखा को स्पष्ट रूप से चित्रित करने की प्रतिभा का अभाव था,
उस समय काव्य सौन्दर्य के उस मूल तत्त्व को उन्होंने रीति रूप में प्रतिपादन
करने का प्रयत्न किया । अथ हमने काव्य के आत्मभूत उस मूल ध्वनि तत्त्व को
अत्यन्त स्पष्ट और विस्तृत रूप में प्रतिपादन कर दिया है इस लिए उन रीतियों
के लक्षण आदि करने की आवश्यकता नहीं है । ध्वनि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है ।
रीतियों का बहुत परिमित । इस लिए रीतियों में ध्वनि का नहीं अर्थात् ध्वनि
में रीतियों का अन्तर्भाव हो सकता है । इस लिए रीतियों के लक्षण की
आवश्यकता नहीं है । यह ग्रन्थकार का अभिप्राय है । ४७॥

रीतियों के अतिरिक्त शब्द और अर्थ के उच्चिन्न व्यन्धन की प्रवर्तक दो
प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख प्राचीन साहित्य में पाया जाता है । भरत के नाट्य
शास्त्र में 'वृत्तयो नाट्यमातरः' तथा 'सर्वेषामेव काव्यानां वृत्तया मातृकाः
स्मृताः ।' इत्यादि वचन मिलते हैं । नाट्य शास्त्र में मुख्यतः नाट्योपयोगी भारती,
सावती, वैशिकी और आरभटी इन चार प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया

१. वर्णनेन नि० दी० । २. लक्ष्यते पाठ नि०, दी० में नहीं है ।

३. सम्प्रदर्शितेनान्येन वा० प्रि० ।

‘शब्दतत्त्वाश्रयाः कारिचदर्थतत्वयुजोऽपराः ।

वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन् काव्यलक्षणे ॥४८॥

अस्मिन् व्यवहृत्यव्यञ्जकभावनिरेचनामये काव्यलक्षणे ज्ञाते मति या. कारिचत्प्रसिद्धा उपनागरिकाद्या शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो याश्चार्थतत्व-सम्बद्धा कैशिक्यादयस्ता. सम्यग् रीतिपदवीभवतरन्ति । अन्यथा तु तासामदृष्टार्थानामिव वृत्तीनामश्रद्धेयत्वमेव स्यान्नानुभवनिद्वयत्वम् । एवं स्फुटतयैव लक्षणीय स्वरूपमस्य ध्वने ।

है । दशरूपक ने ‘तद्व्यापारात्मिका वृत्ति’ कह कर नायकादि के व्यवहार को ही वृत्ति बताया है । ध्वन्यालोककार ने भी ‘व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते’ [३, ३३] लिख कर व्यवहार को ही वृत्ति बताया है । वृत्तियों का निरूपण हम पहिले कर चुके हैं ।

भरत की चारों वृत्तियों का सम्बन्ध रसों से है और वह व्यवहार रूप हैं इसलिए ध्वन्यालोककार ने उनको ‘श्रुतिश्रित वृत्ति’ कहा है । इनके अतिरिक्त उद्भट आदि ने जिन उपनागरिका आदि चार वृत्तियों का प्रतिपादन किया है । उनका वर्णन भी हम कर आए हैं । इन उपनागरिका आदि वृत्तियों का सम्बन्ध मुख्यतः शब्दों से है इसलिए आलोककार ने इनको ‘शब्दाश्रित वृत्ति’ माना है । इन दोनों प्रकार की वृत्तियों का प्रयोजन सहृदयानुभवागोचर चमत्कार विशेष को उत्पन्न करना ही है । और ध्वनि का प्रयोजन भी यही है । इसलिए जब तक ध्वनि के सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से आविर्भाव नहीं हुआ था तब तक इन वृत्तियों की सत्ता अलग बनी रही सो ठीक है । परन्तु ध्वनि सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के बाद जैसे ‘रीति’ की अलग आवश्यकता नहीं रही, इसी प्रकार ‘वृत्तियों’ की भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है । यह ध्वनिकार का कथन है । इसी बात का उपादान आगे के प्रकरण में किया गया है ।

इस [ध्वनि रूप] काव्य स्वरूप के ज्ञान लक्ष्य पर बुद्ध शब्द तत्व में आश्रित [भट्टोद्भटादि की अभिमत उपनागरिकादि] और दूसरी अर्थतत्त्व पर आश्रित [भरतभिमत् कैशिकी आदि] जो कोई वृत्तियाँ हैं वह भी [रीतियों के समान व्यापक रूप ध्वनि के अन्तर्गत] प्रकाशित हो जाती हैं । [कारिका के उत्तरार्द्ध में बुद्ध अप्याहार किए बिना वाक्य अपूर्ण रह जाता है । वृत्तिकार

यत्र शब्दानामर्थानां च केपाञ्चित्प्रतिपत्तुविशेषसंवेद्यं जात्यत्वमिव
रत्नविशेषाणां चारुत्वमनाख्येयमवभासते कान्ये तत्र ध्वनिव्यवहार इति
यल्लक्षणं ध्वनेरुच्यते केनचित्तदयुक्तमिति 'नाभिधेयतामर्हति । यतः
शब्दानां 'स्वरूपाश्रयस्तावदक्लिष्टत्वे सत्यप्रयुक्तप्रयोग', वाचकाश्रयन्तु
प्रसादो व्यञ्जकत्वं चेति विशेषः । अर्थानां च स्फुटत्वेनावभासनं व्यङ्ग्य-
परत्वं 'व्यङ्ग्य-वाशविशिष्टत्वं' चेति विशेषः । तौ च विशेषौ व्याख्यातुं
'शक्येते व्याख्यातौ च बहु प्रकारम् ।

ने भी उसकी व्याख्या में 'ता सम्यग् रीतिपद्धीमवतरन्ति' लिख कर उसकी
व्याख्या की है । प्रधान वह वृत्तिया भी रीतियों के समान ध्वनि में अन्तर्भूत
हो जाती हैं ।

इस व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभाव के विवेचनामय काव्य लक्षण के विदित हो
हो जाने पर जो प्रसिद्ध उपनागरिकादि शब्दतत्त्वाश्रित वृत्तिया और जो अर्थ-
तत्त्वं से सम्बद्ध कैशिकी आदि वृत्तिया हैं वह पूर्णरूप से रीति मार्ग का
अप्रलभ्यन करती हैं । [अर्थात् जैसे व्यापक रूप ध्वनि में रीतियों का अन्तर्भाव
हो जाता है, इसी प्रकार दोनों प्रकार की वृत्तियों का अन्तर्भाव भी व्यापक
ध्वनि में हो जाता है । उनके अलग लक्षण आदि की आवश्यकता नहीं रहती]
अन्यथा [यदि सहृदयानुभवगोचर चमत्कार विशेष जनक ध्वनि के साथ
वृत्तियों का तादात्म्य अभेद न माने तो सहृदयानुभवगोचर चमत्कार विशेष
जनक्य के अतिरिक्त वृत्तियों का और कोई दृष्ट प्रयोजन बन ही नहीं सकता
है इसलिए] अदृष्ट पदार्थों के समान वृत्तियाँ, अध्रद्देय हो जावेंगी, अनुभव
सिद्ध नहीं रहेगी ।

इस प्रकार इस ध्वनि का स्पष्ट रूप में लक्षण किया जा सकता है ।

'जहाँ किन्हीं शब्दों और अर्थों का चाम्प्य विशेष, रत्नों के जाग्यत्व
[उत्कृष्ट जातीयत्व] के समान विशेषज्ञ संवेद्य और अवर्णनीय रूप में
प्रतीत होता है उस काव्य में ध्वनि व्यवहार होता है' किमी ने यह जो ध्वनि
का लक्षण किया है वह अयुक्त और इसलिए कहने योग्य नहीं है । [टीधिति-
कार ने 'अभिधेयता' की जगह 'अवधेयता' पाठ रखा है । इसके अनुसार प्यान

१. नावधेयतामर्हति नि०, दी० । २. स्वरूपभदास्तावत् नि० । ३. व्यङ्ग्य-
विशिष्टत्व नि० । ४. व्याख्यातुमशक्यो व्याख्यातौ बहुप्रकारम् नि०, दी० ।

तद्व्यतिरिक्तानाख्येयविशेषसम्भावना तु विवेकावसादभाव-
मूलैव^१ । यस्मादनाख्येयत्वं^२ सर्वशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित्सम्भवति ।
अन्ततोऽनाख्येयशब्देन तस्याभिधानसम्भवात् ।^३

सामान्यसंस्पर्शविकल्पशब्दागोचरत्वे सति प्रकाशमानत्वं तु
‘तदनाख्येयत्वमुच्यते क्वचित् तदपि काव्यविशेषाणां रत्नविशेषाणामिव
न सम्भवति । तेषां लक्षणकारैर्व्याकृतत्वरूपत्वात् । रत्नविशेषाणां च

देने योग्य नहीं है । यह अर्थ होगा] क्योंकि शब्दों का स्वरूपगत विशेष
अविलक्षण [श्रुतिकण्डू आदि दोषराहित्य] होकर अपुनरुक्तत्व, तथा [शब्दों का
ही दूसरा] वाचकाव [बोधकाव] गत विशेष प्रसाद [गुण] तथा व्यञ्जकत्व,
[यह दो शब्द के विशेष धर्म ही सकते हैं इसी प्रकार] और अर्थों की स्पष्ट
प्रतीति, व्यङ्ग्यपरता, तथा व्यङ्ग्यविशिष्टता यह विशेष [धर्म] हो सकते हैं ।
वह दोनों [शब्दगत तथा अर्थगत] विशेष [धर्म] व्याख्या करने योग्य है ।
और [उनकी हमने] अनेक प्रकार से व्याख्या की [भी] है । [दीधितिकार
ने ‘व्याख्यातुमशक्यौ’ पाठ माना है और, ‘किन्हीं की दृष्टि में उनका व्याख्यान
असम्भव होने पर भी’ यह अर्थ किया है] इन [शब्द और अर्थ निष्ठ विशेष
चाहते हेतुओं] के अतिरिक्त किसी अवर्णनय विशेष की सम्भावना [कल्पना]
विवेक के अत्यन्तभाव से [अर्थात् मूलतावश] ही हो सकती है ।

क्योंकि अनाख्येयत्व [अवर्णनीयत्व] का अर्थ समस्त शब्दों का
अविषयत्व ही है । [और] वह [सर्वशब्दागोचरत्व रूप अनाख्येयत्व] किसी
[भी पदार्थ] का सम्भव नहीं है । [क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का कोई न कोई
नाम होगा ही उसी नाम से वह आख्येय होगा । और दुर्जनतोप न्याय से ऐसा
कोई संशारहित पदार्थ मान भी लें तो भी] अन्ततः ‘अनाख्येय’ इस शब्द से
तो उसका अभिधान [कथन] सम्भव होगा ही । [इसलिए किसी पदार्थ की
अनाख्येय नहीं कहा जा सकता । अतएव ध्वनि को अनाख्येय कहना उचित
नहीं है ।]

सामान्य [जाल्यादि] को ग्रहण करने वाला जो सविकल्पक ज्ञान
[नामवाक्यादियोजनासहितं सविकल्पकम्] उसका विषय न होकर [अर्थात्

१ विवेकावसादादगर्भरजममूलैव नि०, दी० । २. शब्दागोचरत्वेन दी० ।

३ तदभिधानान् दी० । ४. तदनाख्येयत्वमुच्यते नि० ।

सामान्यसम्भावनयैव मूल्यस्थितिपरिकल्पनादर्शनाच्च । उभयेपामपि तेषां प्रतिपत्तृविशेषसंवेद्यत्वमस्त्येव । वैकटिका एव हि रत्नतत्त्वविदः, सहृदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः ।

यत्त्वनिर्देश्यत्वं सर्वलक्षणविषयं बौद्धानां प्रसिद्धं तत् तन्मतपरीक्षायां ग्रन्थान्तरे निरूपयिष्यामः । इह तु ग्रन्थान्तरध्वन्यालवप्रकाशनं सहृदय-वैमनस्यप्रदायीति न प्रक्रियते । बौद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणं तथाऽऽत्माकं ध्वनिलक्षणं भविष्यति ।

निर्विकल्पक ज्ञान के रूप में] प्रत्यक्षमानता रूप जो अनारयेयत्व [का लक्षण] कहीं बताया गया है वह भी रत्न विशेषों के समान काव्य विशेषों में सम्भव नहीं है । क्योंकि लक्षणकारों ने उनकी व्याख्या कर दी है । [अत एव रत्न और काव्य दोनों ही विकल्प ज्ञान के अविषये नहीं अपितु विषय होने से अनारयेय नहीं हो सकते हैं] और रत्नों में तो सामान्य [रत्नत्व] सम्भारना से ही मूल्य स्थिति की कल्पना देखी जाती है । और वह दोनों [रत्न और काव्य] विशेषज्ञों द्वारा संवेद्य है । क्योंकि [वैकटिक] जोहरा रत्नों के तत्त्व को समझते हैं । और सहृदय काव्य के रमजु होते हैं । इसमें किस का मतभेद हो सकता है ।

बौद्ध दर्शन लक्षणभङ्गवादी दर्शन है । उसके मत में सभी पदार्थ क्षणिक हैं । इसलिए उनमें लक्षण नहीं किये जा सकते हैं । अतएव ध्वनि पदार्थ में भी लक्षण सम्भव नहीं है । और वह अनारयेय ही है । यह पूर्वोक्त होने पर उत्तर देते हैं ।

बौद्धों के मत में समस्त पदार्थों का जो अलक्षणीयत्व [अनिर्वचनीयत्व] प्रसिद्ध है उसका विरोध हम अपने दूसरे ग्रन्थ ['विनिश्चय' नामक बौद्ध ग्रन्थ की 'धर्मोत्तमा' नामक विवृति ग्रन्थ] में उनके मत की परीक्षा के अन्तर्गत्त करेगे । [जिसका सार यह होगा कि बौद्धों का लक्षणभङ्गवाद का सिद्धान्त ही ठीक नहीं है । अतएव उसके आधार पर अलक्षणीयत्व का सिद्धान्त भी नहीं बन सकता है] ।

यहां तो [उस अत्यन्त शुष्क और कठिन] दूसरे ग्रन्थ के विषय की तनिक सी चर्चा [प्रकाशन] भी सहृदयों के लिए वैमनस्य दायक होगी इसलिए [हम उसको इस समय] नहीं कर रहे हैं । [फिर भी इतना कह देना तो उचित होगा कि बौद्ध लोग सब ध्वनियों को क्षणिक और अलक्षणीय

‘तस्मात्लक्षणान्तरस्याघटनादशब्दार्थत्वाच्च तस्योक्तमेव ध्वनि-
लक्षणं साधीयः ।

तदिदमुक्तम् :—

अनाख्येयांशभासित्वं निर्वाच्यार्थतया ध्वनेः ।

न लक्षणं, लक्षणं तु साधीयोऽस्य यथोदितम् ॥

इति श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके

तृतीय उद्योतः



मानते हुए भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के लक्षण करते हैं अतएव] बौद्धों के मत में [क्षणिकत्व और अलक्षणीयत्व होते हुए भी] प्रत्यक्षादि के लक्षण के समान हमारा ध्वनि लक्षण भी हो सकता है ।

इसलिप् [हमारे लक्षण के अतिरिक्त] अन्य कोई लक्षण न किए जाने और उस [ध्वनि] के वाच्य अर्थ न [अ-शब्दार्थ] होने से पूर्वोक्त [हमारा किया हुआ] ध्वनि लक्षण ही ठीक है ।

इसी को [संग्रह रूप में] इस प्रकार कहा है :—

ध्वनि के निर्वाचनीय अर्थ होने से अनाख्येयांशभासित्व उसका लक्षण नहीं है । उसका ठीक लक्षण जैसा हमने कहा है वही है ।

श्री राजानकानन्दवर्धनाचार्य विरचित ध्वन्यालोक में

तृतीय उद्योत समाप्त हुआ



इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरनिदान्तशिरोमणिविरचितायां

‘आलोचनादीनिकाख्याया’ हिन्दीव्याख्यायां

तृतीय उद्योतः समाप्तः

चतुर्थ उद्योतः



एवं ध्वनि सप्रपञ्चं विप्रतिपत्तिनिरासार्थं व्युत्पाद्य, तद्व्युत्पादने प्रयोजनान्तरमुच्यते :—

ध्वनेययो गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याध्वा प्रदर्शितः ।

अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥१॥

य एष ध्वनेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च मार्गं प्रकाशितस्तस्य फलान्तरं कविप्रतिभान्त्यम् ॥१॥

अथ 'शालोऽदीपिकाया' चतुर्थ उद्योत

इस प्रकार विप्रतिपत्तियों के निराकरण के लिए भेदोपभेद सहित ध्वनि का निरूपण करके, उसका प्रतिपादन का दूसरा प्रयोजन [भी] बताने हैं ।

गुणीभूतव्यङ्ग्य सहित ध्वनि का जो मार्ग प्रदर्शित किया है इस [मार्ग का अवलम्बन करने] में कवियों की प्रतिभा शक्ति अनन्तता को प्राप्त कर लेती है ।

यह जो ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य का पथ प्रदर्शित किया है उसका दूसरा फल कवि की प्रतिभा [काव्योत्कर्ष जनक शक्ति] का आनन्द [अविच्छिन्नत्व] है ॥१॥

[प्रश्न] ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य यदि दोनों काव्यनिष्ठ धर्म हैं । प्रतिभा गुण कविनिष्ठ धर्म है । अतः यह दोनों व्यधिकरण धर्म हैं । अर्थात् इन दोनों के अधिकरण-आधार अलग अलग हैं । कार्य-कारणभाव समानाधिकरण धर्मों में ही हो सकता है । व्यधिकरण धर्मों में कार्यकारणभाव मानने से तो देवदत्त का कर्म यज्ञदत्त के फलभोग का अथवा देवदत्त का ज्ञान यज्ञदत्त की स्मृति का कारण होने लगेगा । अतः व्यधिकरण धर्मों में कार्यकारण भाव नहीं हो सकता । ऐसी दशा में ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य, भिन्न अधिकरण में रहने वाली, [व्यधिकरण] कविप्रतिभा के आनन्द के हृद्य उद्देश्य हो सकेंगे । यह प्रश्न कर्ता का आशय है । इसके उत्तररत्न का आशय यह है कि ध्वनि और गुणी-

कथमिति चेत्—

अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता ।

वाणी नत्प्रमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि ॥२॥

अतो^१ ध्वनेरुक्तप्रभेदमध्यादन्यतमेनापि • प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातनकृत्रिनिप्रद्वार्थसस्पर्शवत्यपि नवत्वमायाति । तथाह्यविवक्षितान्यस्य ध्वने प्रकारद्वयसमाश्रयणेन नवत्व पूर्वार्था नुगमेऽपि यथा—

स्मित किञ्चिन्मुग्ध तरलमधुरो दृष्टिविभव,
परिस्पन्दो गञ्जामभिनवत्रिलासोर्मिसरस ।^२

भूत व्यङ्ग्य नहा अपितु उनका 'ज्ञान' कावप्रतिभा के आनन्त्य का हेतु होता है । 'ज्ञान' और 'प्रातभा' दोनों कावनिष्ठ धमे हैं । अतएव 'ज्ञानद्वारक सामानाधिकरण्य' को लेकर काय कारण भाव मानने में कोई दोष नहीं है । इसी आशय से पूर्वपक्ष उठाकर अगली कारिका में उसका उत्तर दिया है ।

यदि कोई पूछ कि [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य करि प्रतिभा के आन-य क हेतु] कैसे [होंग] तो [उत्तर यह है कि] —

उन [ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य] में स किसी एक से भी विभूषित [करि] की वाणी [वाल्माकि, व्यास आदि अन्य कवियों द्वारा प्रतिपादित अतएव] पुरान धर्थों स युक्त [वाच्य वाचक भाव स सम्यक्] होन पर भी नवीनता [अभिनव चारु] को प्राप्त हा जाती है ।

इन ध्वनि के उक्त भेदों [ध्वनि और गुणीभूत व्यङ्ग्य] में स किसी एक भी भेद स युक्त [करि की] पुरातन कवि निप्रद्व अर्थों का वर्णन करने वाली वाणी [भा] नवीनता [अभिनव चारु] को प्राप्त हो जाती है । पूर्व [कविवक्षित] अथ का समबन्ध होन पर भी अत्रिनिक्षित वाच्य [लक्षणा मूल] ध्वनि के दोनों [अर्थान्तरसंज्ञमित वाच्य तथा अन्यन्ततिरस्कृत वाच्य] प्रकारों के आधय स नवीनता [का उदाहरण] जैम —

नत्र धीरन का स्पश करन वाली [वय सन्धि में वर्तमान] मृगनयनी

गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिमलः^१,
स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं मृगदृशः ॥

इत्यस्य—

सविभ्रमस्मितोद्भेदा लोलाक्ष्यः प्रखलद्गिरः ।

नितम्बालसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः ॥

इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि तिरस्कृतवाच्यध्वनिममाश्रयेणा-
पूर्वत्वमेव प्रतिभासते ।

की तनिक सी मधुर मुस्कान, खञ्जल और सुलक्षण मीठी दृष्टि का सौन्दर्य,
नमीन [विलास] पूर्ण उन्मिषों से सरस वाणी का प्रयोग, त्रिविध हावभावों
को प्रकृत करने वाली गतियों का उपनम, [इत्यादि में से] कीन सी चीज
मनोहर नहीं है । [सभी कुछ सुन्दर और रमणीय है] ।

इस [श्लोक] का—

विभ्रम [शब्दात् चेष्टा विशेष] से युक्त, जिनकी मन्द मुस्कान खिल
रही है, आँखें खञ्जल और वाणी लड़खड़ा रही है, और नितम्बों [के अति
भार] के कारण जो धीरे-धीरे चलने वाली कामिनियाँ हैं, वह किसीको प्रिय नहीं
लगती हैं ।

तथा—

·यः प्रथमः, प्रथमः स तु तथा हि हतहस्तिवहलपललारी ।
श्वापदगणेषु सिंहः, सिंहः केनाधरीक्रियते ॥

इत्यस्य, -

स्वतेजःक्रीनमहिमा केनान्येनातिराज्यते ।
महद्भिरपि मातङ्गैः सिंहः किमभिभूयते ॥

इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्त्वप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिसमा-
श्रयेण नवत्वम् ।

तथा—

जो प्रथम है वह तो प्रथम [ही] है, जैसे हिंस्र प्राणियों में, मारे हुए हाथियों के प्रचुर मांस को खाने वाला सिंह, सिंह ही है, उसे कौन नीचा [तिरस्कृत] कर सकता है ।

इसका,

अपने प्रताप से गौरव प्राप्त करने वाले [महापुरुष] से बढ़ कर कौन हो सकता है । क्या बड़े-बड़े [विशालकाय] हाथी भी सिंह को दबा सकते हैं ?

इत्यादि [प्राचीन] श्लोकों के होते हुए भी ['यः प्रथम' इत्यादि नवीन श्लोक में द्वितीय बार प्रयुक्त 'सिंहः' तथा 'प्रथमः' पदों में] अर्थान्तर-संक्रमित वाच्य ध्वनि के आश्रय से नवीनता आ गई है ।

यहां 'यः प्रथमः' इत्यादि श्लोक के पूर्वार्द्ध में दूसरी बार प्रयुक्त 'प्रथमः' पद, और उत्तरार्द्ध में दूसरी बार प्रयुक्त 'सिंहः' पद पुनरुक्त होने से, यथाश्रुत, अन्वित न हो सकने के कारण अजहत्स्वार्था लक्षणा के द्वारा असाधारण्य, परानभिभवन-वत्त्व, आदि विशिष्ट 'प्रथम' तथा 'सिंह' अर्थ के बोधक होते हैं । अतः उनमें अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि के सम्बन्ध से यह नवीनता प्रतीत होने लगती है ।

विवक्षितान्यपरवान्यस्यापि, उक्तप्रकारसमाश्रयेण नवत्वं *यथा—
 निद्राकैतविनः प्रियस्य वदने विन्यस्य वक्त्रं वधूः,
 बोधत्रासनिरुद्धचुम्बनरसाऽप्याभोगलोलं स्थिता ।
 वैलक्ष्याद्विमुखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्भिणः,
 साकाञ्चप्रतिपत्ति नाम हृदयं यातं तु पारं रतेः ॥

*इत्यादेः श्लोकस्य—

शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छून्यै-
 निर्द्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम् ।

श्रविवक्षित वाच्यध्वनि के सम्पर्क से नूतन चारुत्व की प्राप्ति के उदाहरण
 दिखा कर श्रव विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य भेद के
 सस्पर्श से नवीन चारुत्व की प्राप्ति का उदाहरण देते हैं ।

विवक्षितान्यपर वाच्य [अभिधामूल ध्वनि] के भी पूर्वोक्त [सलक्ष्य-
 क्रम व्यङ्ग्य तथा असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य] प्रकारों [में से असलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य
 ध्वनि रूप प्रकार] के समाश्रय से नवीनता [प्राप्ति] का [उदाहरण] जैसे—

[नय परिणीता] वधु नींद का बहाना करके लेटे हुए, पति के मुख
 पर अपना मुख रख कर, उनके जग जाने के डर से अपनी चुम्बन की इच्छा को
 रोक कर भी [आभोग] चुम्बनेच्छा व प्रतिक्षण वदने के कारण चञ्चल
 [अथवा बार बार निद्रा की परीक्षा करते हुए चञ्चल] खड़ी है । और [में
 चुम्बन कर लेने से] लज्जा के कारण यह कहीं त्रिमुग्य न हो जाय, यह सोच
 कर [चुम्बन व्यापार का] आरम्भ न कर सकने वाले उस [नायक] का भी
 हृदय [मनोरथ पूर्ति न हो पाने से साक्षात् भले ही हो, परन्तु] रति
 [रगास्वाद] के पार पहुच गया ।

इत्यादि श्लोकः,

वास गृह [अपने सोने के कमरे] को [अन्य सगरी आदि में] शून्य
 [प्राली, एकान्त] देख कर, धीरे से पलंग पर से थोड़ा सा उठकर, नींद का
 बहाना किए हुए पति के मुख को बहुत देर तक [कहीं जाग तो नहीं रहे है

१ तत्रासलक्ष्यक्रमप्रकारसमाश्रयेणान्यथात्वम् नि०, दी० में यथा के पूर्व
 इतना पाठ अधिक है । २. इत्याद्य नि० ।

विस्त्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थली,
लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥

इत्यादिपु श्लोकेषु सत्त्वपि नयत्वम् ।

यथा वा 'तरङ्गभ्रूभङ्गा' इत्यादि श्लोकस्य 'नानाभङ्गिभ्रमद्भ्रूः' ।

इत्यादि श्लोकापेक्षयाऽन्यत्वम् ॥२॥

'युक्त्यानयानुसर्तव्यो रसादिवहुविस्तरः' १ ।

३मितोऽप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमार्गो यदाश्रयात् ॥३॥

इस दृष्टि से] देखने के बाद [वास्तव में सो रहे हैं ऐसा समझ कर] विश्वास पूर्वक चुम्बन कर के, उनके कपोलों को [चुम्बन के कारण] रोमाञ्च युक्त देख कर, लज्जा से नम्रमुखी उम्र नवोद्गा वधु को हंसते हुए पति ने बहुत देर तक चुम्बन किया ।

इत्यादि श्लोकों के रहते हुए भी [-'निद्राकैतविनः' इत्यादि नवीन श्लोक में] नूतनता प्रतीत होती है ।

'शून्य वासगृह' इत्यादि श्लोक में बाला रूप आलम्बन, शून्य वास-गृहादि उद्दीप्त विभाव, लज्जा आदि व्यभिचारीभाव, उमयारब्ध परिचुम्बन रूप अनुभाव आदि से यद्यपि शृङ्गार रस चर्चणा गोचर होता है परन्तु फिर भी लज्जा, व्यभिचारीभाव के रसशब्दवाच्यत्व तथा 'निर्वर्ण्य' पद में श्रुतिकटुत्व आदि दोषों के कारण रसापकर्ष होना अनिवार्य है । उसकी अपेक्षा प्रायः उसी अर्थ के शेष 'निद्राकैतविनः' इत्यादि श्लोक में दोनों की परस्पर चुम्बनाभिलाषधारा अद्भुत रूप से परिपोष को प्राप्त होकर आस्वाद का विषय बनती है । और उस रस के आस्वाद में कोई प्रतिबन्धक नहीं है । अतएव असलक्ष्यनमन्यङ्गय च्वनि के साम्राज्य के कारण इसमें अपूर्वता प्रतीत होती है ।

अथवा जैसे 'तरङ्गभ्रूभङ्गा' इत्यादि [पृ० १२८ पर दिए हुए] श्लोक की 'नानाभङ्गिभ्रमद्भ्रूः' इत्यादि [प्राचीन] श्लोक की अपेक्षा [अमलक्ष्य-कमन्यङ्गय च्वनि के प्रभाव में] अपूर्वता प्रतीत होती है ॥२॥

इसी प्रकार अत्यन्त विस्तृत रसादि का अनुसरण करना चाहिए ।

इत्यादिषु सत्त्वपि ।

तस्यैवार्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यसमाश्रयेण नवत्वम्, यथा—
‘एवंवादिनि देवपौ’ इत्यादि श्लोकस्य,

कृते वरकथालापे कुमार्यः पुलकोद्गमैः ।

सूचयन्ति स्पृहामन्तर्लज्जयावनताननाः ॥

इत्यादिषु सत्सु^१ ।

अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य कविप्रौढोक्तिनिर्मितशरीर-
त्वेन नवत्वम्, यथा—

“सज्जइ सुरहिमासो” इत्यादेः,

सुरभिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रादुर्भवन्ति रमणीयाः ।

रागवतामुत्कलिकाः सहैव सहकारकलिकाभिः ॥

[कम्पायमान और सामाजिक मर्यादा से च्युत होती हुई] पृथ्वी को धारण
[धारण तथा पालन] करते हैं ।

इत्यादि के होने पर भी [पूर्वोक्त ‘धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः’
इत्यादि उदाहरण में नूतनता प्रतीत होती है क्योंकि उसमें शब्दशक्त्युद्भव
अलङ्कार ध्वनि के कारण अभिन्न धारण आ गया है ।]

उसी [विवक्षितान्यपरवाच्य] के अर्थशक्त्युद्भव रूप संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य
[भेद] के आश्रय से नवीनता [का उदाहरण] जैसे—‘एवंवादिनि देवपौ’
इत्यादि [पृष्ठ १८१ पर दिए हुए श्लोक] की,

वर की चर्चा के अन्तर पर लज्जा ने मुझ नीचा किए हुए कुमारियों
पुलकों के उद्गम से ही आन्तरिक इच्छा को अभिव्यक्त करती हैं ।

इत्यादि के रहने पर भी । [इस श्लोक में लज्जा और स्पृहा वाच्य रूप
में कथित होने से उतनी चमत्कार जनक नहीं प्रतीत होती है । ‘एवंवादिनि’
इत्यादि श्लोक में वही अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि रूप व्यङ्ग्य के सम्बन्ध से, विशेष
चमत्कारजनक होने से, अपूर्ण प्रतीत होती है ।]

अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रम के कविप्रौढोक्तिविद् भेद से नवीनता ।
जैसे—‘सज्जयति सुरभिमामो’ इत्यादि [पृष्ठ १८८ पर उद्धृत] श्लोक की-

इत्यादिषु सत्स्वप्यपूर्वत्वमेव ।

अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ति-
निष्पन्नशरीरत्वे सति, नवत्प्र यथा—

‘वाणिञ्च हस्तिदन्ता इत्यादि गाथार्थस्य,

करिणी वेह्वञ्चरो मह पुत्रो एककण्ठविणिपार्थे ।

ह्यसोन्हाएँ तह कहो जह कण्ठकरण्डक वहइ ॥

[करिणी वैषव्यञ्चरो मम पुत्रः एककण्ठविनिपाती ।

हनस्तुपया तथा वृतो यथा कण्ठकरण्डक वहति ॥ इति द्याया]

एत्रमादिप्रथेषु सत्स्वप्यनालीढतैः ।

वसन्त ऋतु के आने पर आन्त्र मन्त्रियों के साथ ही प्रणयी जनों की
रम्य उत्कण्ठाएँ सहसा आविर्भूत होने लगती हैं ।

इत्यादि के हाने पर भी अपूषव ही होता है । [यहाँ कविप्रौढोक्ति-
सिद्धवस्तु से मदन विनृम्भण रूप वस्तु व्यङ्ग्य होन के कारण नवीन चारता
आ जाती है ।]

अर्थशक्त्युद्भव सलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य के कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध
रूप होने पर अभिनवव [चारता प्रतीति का उदाहरण] जैसे—

‘वाणिजक हस्तिदन्ता’ [पृष्ठ २२० पर उदाहृत] इत्यादि गाथा के
अर्थ की—

[केवल] एक ही वाण के प्रयोग से [मद्मत्त हाथियों को मार कर]
हथिनियों को विधवा करने वाले मरे पुत्र को उस अमाग्निनी पुत्रवधू ने
[निरन्तर सम्भोग द्वारा] णसा [क्षीणवीर्य] कर दिया है कि [अब वह
सारा] तूणीर लादे घूमता है ।

इत्यादि अर्थों [समानार्थक श्लोक] क रहते हुए भी [‘वाणिजक
हस्तिदन्ता’ इत्यादि श्लोक में कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ति सिद्ध व्यङ्ग्य के प्रभाव
से] नूतनता ही है ।

जैसे ध्वनि के व्यङ्ग्य भेद के आश्रय से काव्यार्थों में नूतनता आ जाती

यथा व्यङ्ग्यभेदसमाश्रयेण ध्वनेः काव्यार्थानां नवत्वमुत्पद्यते,
तथा व्यञ्जकभेदसमाश्रयेणापि । तत्तु ग्रन्थविस्तरभयान्न लिख्यते ।
स्वयमेव सहृदयैरभ्यूह्यम् ॥४॥

है उसी प्रकार व्यञ्जक भेद के आश्रय से भी [ही सफ़ती है] ग्रन्थ विस्तार
के भय से उसे नहीं लिख रहे हैं । सहृदय [पाठक] उसको स्वयं ही
समझ लें ।

निर्णयसागरीय तथा दाधिति टीका वाले सस्करण में 'धणिजक' इत्यादि
उदाहरण के पूव निम्न पाठ और दिया है—

“साअरविइरणजोवणहृत्थालम्ब समुण्णमन्तेहिं ।
अव्भुइण्णाभिमव मम्महस्स दिरण तुह थणेहि ॥

अस्य हि गाथार्थस्य,

उदित्तर कआमोआ जह जह थणआ विण्णन्ति वालानाम् ।
तह लद्धावासो व्व मम्महो हिअश्रमाविसइ ॥

[उदित्तरकचाभोगा यथा यथा स्तनना वर्धन्ते वालानाम् ।
तथा तथा लद्धावास इव मन्मथो हृदयमाविशति ॥ इतिच्छाया]
एतद्गाथार्थेन न पोन्दक्यम् ।”

[साअर इत्यादि गाथा की छाया तथा व्याख्या पहिले पृष्ठ १६६ पर
दी जा चुकी हैं ।] इस गाथा के अर्थ की—

केशपाश से शोभायमान बालिकाओं के स्तन ज्यों ज्यों बढ़ते हैं ज्यों-ज्यों
अवसर प्राप्त कामदेव हृदय में प्रविष्ट हो जाता है ।

इस गाथा के अर्थ के साथ पुनरुक्ति नहीं होती है । यहाँ द्वितीय
श्लोक में वाच्योत्प्रेक्षा द्वारा यौवनारम्भ में बालिकाओं के हृदय में मदन के
प्रवेश का वर्णन है । परन्तु प्रथम श्लोक में वही अर्थ कविनिबद्धवक्तृप्रीटोच
सिद्ध व्यङ्ग्य रूप से प्रतीत होने से अधिक चमत्कारजनक प्रतीत होता है ।
काशी के बालप्रिया टीकापुत्र सस्करण में 'साअर' इत्यादि और 'उदित्तर'
इत्यादि दोनों उदाहरण नहीं दिए हैं । निर्णयसागरीय सस्करण में उदिह . . .
के आगे कुछ पाठ छुटा हुआ है । दीधितिकार ने उस पाठ की उदित्तर मान
कर उसे पूर्ण कर दिया है ।

अत्र च पुन पुनरुक्तमपि सारतयेदमुच्यते —

व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावेऽस्मिन्विप्रिधे सम्भवत्यपि ।

रसादिमय एकस्मिन्कविः स्यादवधानवान् ॥५॥

अस्मिन्नर्थानन्त्यहेतौ व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे 'विचित्रे शब्दाना'^१ सम्भवत्यपि कविरपूर्वार्थलाभार्थी^२ रसादिमय एकस्मिन् व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावे यत्नादवदधीत । रसभावतदाभासरूपे हि व्यङ्ग्यतद्व्यञ्जकेषु च यथानिर्दिष्टेषु वर्णपदवाक्यरचनाप्रबन्धोपबन्धहितमनस कवे सर्वमपूर्वकाव्य सम्पद्यते । तथा च रामायणमहाभारतान्पि सङ्ग्रामादय पुन पुनरभिहिता अपि नवनया प्रकाशन्ते ।

प्रबन्धे चाङ्गी रम एक एवोपनिबध्यमानोऽर्थविशेषलाभं ध्यायातिशय च पुष्पाति । कस्मिन्निति चेत्, यथा रामायणे यथा वा महाभारते । रामायणे हि कहणो रम स्वयमादिकविना सूत्रित "शोक

इस त्रिपय में बार बार कहे हुए होने पर भी, सार रूप होने से [फिर] यह कहते हैं—

इस व्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव के नाना प्रकार सम्भव होने पर भी काव्य केवल एक रसादिमय भेद में [ही] ध्यान लगावे ।

अर्थों की अनन्तता के हेतु इस व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव के नाना रूप सम्भव होने पर भी अपूर्व [लोकात्तर चमत्कार पूर्ण काव्य] अर्थ की सिद्धि के लिए, कवि केवल एक रसादिमय व्यङ्ग्यव्यञ्जक भाव में प्रयत्नपूर्वक ध्यान दे । रस, भाव और तदाभास [रसाभास तथा भावाभास] रूप व्यङ्ग्य और उसके व्यञ्जक पूर्वोक्त वर्ण, पद, वाक्य, रचना तथा प्रबन्ध में सावधान कवि का सारा ही काव्य अपूर्व बन जाता है । इसीलिए रामायण, महाभारत आदि में सप्राम आदि अनेक बार वर्णित होने पर भी [सब जगह] नए नए से प्रतीत होते हैं ।

प्रबन्ध [काव्य] में एक ही प्रधान रस उपनिबद्ध होकर अर्थ विशेष की सिद्धि तथा सौन्दर्यातिशय की पुष्टि करता है । जैसे कहा ? यह पूछो तो

१ विचित्र बा० प्रि० । २ शब्दानां पाठ नि०, दी० में नहीं है ।

३ साभाये नि०, दी० ।

। श्लोकत्रयागत " इत्येववादिना । नि-यूढश्च स एव सीतात्यन्तवियोग पर्यन्तमेव स्त्रप्रबन्धमुपरचयता ।

महाभारतेऽपि शास्त्रकाव्यरूपबन्धायान्वायनि वृष्टिपाण्डवविर सावसानवैमनस्यदायिनी समाप्तिमुपनिबन्धता महामुनिना वैराग्यजनन तात्पर्य प्राधान्येन स्त्रप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षण पुरुषार्थ शान्तो रसश्च मुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचित । एतच्चाशेन विवृत मेवान्यैर्व्याख्यात्रिधायिभिः । स्वयं चोद्गीर्णं तेनोद्गीर्णमहामोहमग्न मुञ्जिहीर्षता लोभमतिविमलज्ञानालोकदायिना लोकनाथेन—

यथा यथा विपर्येति लोकतन्त्रमसारवत् ।

तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशयः ॥

इत्यादि बहुश कथयता । ततश्च शान्तो रसो रसान्तरैः, मोक्ष लक्षण पुरुषार्थं पुरुषार्थान्तरैस्तदुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गित्वेन विवक्षाविषय इति महाभारततात्पर्यं सुव्यक्तमेवावभासते ।

[उत्तर यह है कि] जैसे रामायण में अथवा जैसे महाभारत में । रामायण में 'शोक श्लोक त्रयागत' कहने वाले आदि कवि [वाल्मीकि] ने स्वयं ही करण रस [का अङ्गित्व प्राधान्य] सूचित किया है और सीता के अत्यन्त वियोग पर्यन्त ही काव्य की रचना करके उसका निर्वाह भी किया है ।

शास्त्र और काव्य रूप [दोनों] की छाया से युक्त महाभारत में भी यादवों और पाण्डवों के निरस विनाश के कारण वैमनस्यजनक समाप्ति की रचना कर महामुनि [व्यास] ने अथवा काव्य के वैराग्योत्पादन रूप तात्पर्य को मुख्यतया प्रदर्शित करते हुए मोक्ष रूप पुरुषार्थ तथा शान्त रस मुख्य रूप से [इस महाभारत काव्य का] विवक्षा का विषय है यह सूचित किया । अन्य व्याख्याकारों ने भी किसी अंश में यही व्याख्या की है । और उमड़ते हुए घोर अज्ञानान्धकार में निमग्न ससार का उद्धार करने की इच्छा से उज्ज्वल ज्ञान रूप प्रकाश को प्रदान करने वाले विश्वजाता [व्यासदेव] ने स्वयं भी,

जैसे जैसे इस निश्च प्रपञ्च की असारता और मिथ्यारूपता की प्रतीति होती है, वैसे वैसे इसके विषय में वैराग्य होता जाता है इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

अनेक स्थानों पर इस प्रकार कह कर प्रकट किया है । इसलिए गुणीभूत अन्य

अङ्गाङ्गिभावश्च यथा रसानां तथा प्रतिपादितमेव । पारमार्थिकान्त-
स्तत्त्वानपेक्षया शरीरस्येवाङ्गभूतस्य रसस्य च स्वप्राधान्येन चारुत्व-
मप्यविरुद्धम् ।

ननु महाभारते यावान्विवक्षाविषयः सोऽनुक्रमण्यं सर्व एवानु-
क्रान्तो न चैतत्तत्र दृश्यते, प्रत्युत सर्वपुरुषार्थप्रबोधहेतुत्वं सर्वरसगर्भत्वं
च महाभारतस्य तस्मिन्नुद्देशे स्वशब्दानिवेदितत्वेन प्रतीयते ।

अत्रोन्यते—सत्यं, शान्तस्यैव रसस्याङ्गित्वं महाभारते, मोक्षस्य
च सर्वपुरुषार्थेभ्यः प्राधान्यमित्येतन्न स्वशब्दाभिधेयत्वेनानुक्रमण्यं
दर्शितम्, दर्शितं तु व्यङ्ग्यत्वेन—

‘भगवान्वासुदेवश्च कीर्त्तितेऽत्र सनातनः ।’

रसों से अनुगत शान्त रस, तथा गुणीभूत अन्य पुरुषार्थों [धर्म, अर्थ, काम] से अनुगत मोक्ष रूप पुरुषार्थ ही मुख्यतया वर्णनीय है यह महाभारत का तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है ।

[प्रधान रस के साथ अन्य] रसों का अङ्गाङ्गिभाव जैसे होता है वह प्रतिपादन कर ही चुके हैं । वास्तविक शान्त रस [आत्मा] की उपेक्षा करके [गौण] शरीर के प्राधान्य के समान [महाभारत में वास्तविक प्रधान-भूत शान्त रस तथा मोक्ष रूप पुरुषार्थ की उपेक्षा करके, अन्य धीर आदि रस तथा धर्म आदि पुरुषार्थ] रस तथा पुरुषार्थ के अपने प्राधान्य से भी चारुत्व मानने में भी कोई विरोध नहीं है । [परन्तु पारमार्थिक रूप में, वह मूढ़ विचार के सदृश ही होगा] ।

[प्रश्न] महाभारत में जितना प्रतिपाद्य विषय है वह सब ही [उसकी] अनुक्रमणी में क्रम से [स्वयं ही] लिख दिया गया है । परन्तु वहाँ यह [शान्त रस तथा मोक्ष पुरुषार्थ का प्राधान्य] दिखाई नहीं देता है । इसके विपरीत महाभारत का सब पुरुषार्थों के ज्ञान का हेतुत्व और सर्व रस-युक्तत्व उस स्थान [अनुक्रमणी] में स्वयं शब्द से सूचित प्रतीत होता है ।

[उत्तर] इस विषय में हम यह कहते हैं कि यह ठीक है महाभारत में शान्त रस का ही मुख्यत्व, और [अन्य] सब पुरुषार्थों की उपेक्षा मोक्ष का प्राधान्य, यह [दोनों] अनुक्रमणी में अपने वाचक शब्दों से नहीं दिखाए हैं, परन्तु व्यङ्ग्य रूप से दिखाए हैं ।

इस [महाभारत] में निम्न वासुदेव भगवान् की कीर्ति गाई गई है ।

इत्यस्मिन् वाक्ये ।

अनेन ह्ययमर्थो व्यङ्गयत्वेन विवक्षितो यदत्र महाभारते
 पण्डवादिचरितं यत्कीर्त्यते 'तत्सर्वमवसानविरसमत्रिद्याप्रपञ्चरूपञ्च,
 परमार्थसत्यस्वरूपस्तु भगवान् वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते । तस्मात्^१
 तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति भवत भावित्चेतसो, मा भूत विभूतिपु
 निःसारासु रागिणो गुणेषु वा नयविनयपराक्रमादिष्वभीषु केवलेषु
 केषुचित्सर्वात्मना प्रतिनिविष्टधिय । तथा चाग्रे—पश्यत नि सारता
 संसारस्येत्यमुमेवार्थं द्योतयन्^२ स्फुटमेवावभासते व्यञ्जकशक्त्यनु-
 गृहीतश्च शब्द । एवविधमेवार्थं गर्भीकृतं सन्दर्शयन्तोऽनन्तरश्लोका
 लक्ष्यन्ते । 'स हि सत्यम्' इत्यादय ।

इस वाक्य में ।

इस [वाक्य] से यह अर्थ व्यङ्ग्य रूप से विवक्षित है कि इस महाभारत
 में पाण्डव आदि के चरित्र का वर्णन जो किया जा रहा है वह सत्य विरसा
वसान और त्रिद्या प्रपञ्च रूप है । परमार्थ सत्य स्वरूप भगवान् वासुदेव की
 ही यहाँ कीर्ति गाई गई है । इसलिए उस परम पेश्वर्यशाली भगवान् में ही
 अपना मन लगाओ । नि सार विभूतियों में अनुरक्त मत हो । अथवा नीति
विनय, पराक्रम आदि केवल इन किन्हीं गुणों में पूर्ण रूप से अपने मन को मत
लगाओ । और आगे — 'संसार की नि सारता को देखो' इसी अर्थ को व्यङ्ग्य-
 व्यञ्जक शक्ति से युक्त शब्द अभिव्यक्त करते हुए प्रतीत होते हैं । इसी प्रकार
 के अन्तर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले आगे के 'स हि सत्यम्' इत्यादि श्लोक
 दिखाई देते हैं ।

अनुक्रमणी के यह श्लोक जिनका निर्देश यहाँ किया गया है इस
 प्रकार है—

वेद योग सविज्ञान धर्मोऽर्थः काम एव च ।

धर्मार्थकामशास्त्राणि शास्त्राणि विविधानि च ॥

१ 'तत्सर्वमवसानविरसमत्रिद्याप्रपञ्चरूपञ्च, परमार्थसत्यस्वरूपस्तु भगवान्
 वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते' । इतना पाठ नि० में नहीं है । २ तत् नि० । ३. द्योत-
 यत् नि० ।

अयं च निगूढरमणीयोऽर्थो महाभारतावसाने हरिवंशवर्णनेन समाप्तिं विदधता तेनैव कविवेधसा कृष्णद्वैपायनेन सम्यक्सुस्तीकृतः । अनेन चार्थेन संसारातीते, तत्त्वान्तरे भक्त्यतिशयं प्रवर्तयता सकल एव सांसारिको व्यवहारः पूर्वपक्षीकृतोऽध्यक्षेण' ऽकाशते । देवतातीर्थ-तपःप्रभृतीनां च प्रभावातिशयवर्णनं तस्यैव परब्रह्मणः प्राप्स्युपायत्वेन तद्विभूतित्वेनैव देवताविशेषाणामन्येषां च । पाण्डवादिचरितवर्णनस्यापि वैराग्यजननतात्पर्याद्वैराग्यस्य च मोक्षमूलत्वान्मोक्षस्य च भगवत्प्राप्स्यु-पायत्वेन मुख्यतया गीतादिषु प्रदर्शितत्वात्परब्रह्मप्राप्स्युपायत्वमेव परम्परया ।

लोकयात्राविधानं च सम्भूतं दृष्टवान् ऋषिः ।

इतिहासाः सवैयाख्या विनिधाः श्रुतयोऽपि च ।

इह सर्वमनुमान्तमुक्तग्रन्थस्य लक्षणम् ॥

इत्यादि में सर्वपुस्तकार्थ के प्रतिपादन का वर्णन है । यह प्रश्नकर्ता के अभिमत श्लोक हैं । उत्तर पक्ष की ओर से निर्दिष्ट श्लोक निम्न हैं—

भगवान् वामुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः ।

स हि सत्यमृत चैव पवित्र पुण्यमेव च ॥

शाश्वत ब्रह्म परमं ध्रुव ज्योतिः सनातनम् ।

यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥

इस निगूढ और रमणीय अर्थ को महाभारत के अन्त में हरिवंश के वर्णन से समाप्ति की रचना करते हुए उन्हीं कवि प्रजापति कृष्ण द्वैपायन [व्यास] ने ही भली प्रकार स्पष्ट कर दिया है । और इस अर्थ से लोकोत्तर भगवद् ताव में प्रगाढ़ भक्ति को प्रवृत्त करते हुए [महाकवि व्यास] ने समस्त सांसारिक व्यवहार को ही पूर्वपक्ष रूप [बाधित त्रिपय] बना दिया है यह बात प्रत्यक्ष प्रतीत होनी है । देवता, तीर्थ और तप आदि के अतिशय के प्रभाव का वर्णन उम्मी परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय होने से ही, और उसकी विभूति रूप होने से अन्य देवता त्रिपयों का वर्णन [महाभारत में किया गया] है । पाण्डव आदि के चरित्र का वर्णन का भी वैराग्योपादन में तात्पर्य होने से और वैराग्य के मोक्ष हेतु तथा मोक्ष के मुख्यतः परब्रह्म की

वासुदेवादिसंज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितशक्त्यास्पद परं ब्रह्म गीतादि-
प्रदेशान्तरेषु तदभिधानत्वेन लक्ष्यप्रसिद्धि माथुरप्रादुर्भावाऽनुकृतसमल-
स्वरूपं त्रिवक्षितं न तु माथुरप्रादुर्भावा एव, सनातनशब्दविशेषितत्वात् ।
रामायणादिषु चानया सज्ञया भगवन्मूर्त्यन्तरे व्यवहारदर्शनात् । निर्णय-
तश्चायमर्थः शब्दतत्त्वविद्धिरेव ।

तदेवमनुक्रमणीनिर्दिष्टेन वाक्येन भगवद्ब्यतिरेकिण सर्वस्या-
न्यस्थानित्यता प्रकाशयता मोक्षलक्षण एवैक परं पुरुषार्थं शास्त्रनये,
नायनये च तृष्णाक्षयसुखपरिपोलपणक्षय शान्तो रसो महाभारतस्या-
ङ्गित्वेन विरचित इति सुप्रतिपादितम् ।

प्राप्ति का उपाय रूप से गीतादि में प्रतिपादन होने से परम्परया [पाण्डवादि
चरित वर्णन भी] परब्रह्म की प्राप्ति क उपाय रूप में ही है ।

‘वासुदेव’ आदि इन सज्ञाओं का वाच्यार्थ गीतादि अन्य स्थलों में इस
नाम से प्रसिद्ध, अपरिमित शक्ति युक्त, मथुरा में प्रादुर्भूत [कृष्णावतार]
द्वारा धारण त्रिष्ट [रामादि] समस्त रूप युक्त, परब्रह्म ही अभिप्रेत है ।
केवल मथुरा में प्रादुर्भूत [वसुदेव के पुत्र कृष्ण] अशमात्र नहीं । क्योंकि
उसके साथ सनातन विशेषण दिया हुआ है । और रामायण आदि में इस
[वासुदेव] नाम से भगवान् के अन्य स्वरूपों का भी व्यवहार दिखाई देता
है । शब्द तत्त्व के विशेषणों [वैधावरणों] ने इस त्रिपय का निर्णय भी कर
दिया है ।

‘ऋध्वन्धकवृभिर्गुरुभ्यश्च’ इस पाणिनि सूत्र क ‘भाष्य’ पर ‘महाभाष्य के
टीकाकार ‘कैयट’ ने लिखा है—

“कथं पुनर्नित्यानां शब्दानामनित्यान्धकादिधराश्रयणान्वारयान्मुच्यते ?
अत्र समाधि । त्रिपुराणानु नाम कथं दिनि न्यायान्धकादिवशा अपि निया एव ।
अथवाऽनित्योपाश्रयेणापि नित्यान्वारयान् दृश्यते । यथा शक्राश्रयण कालम्ब” ।

इसी सूत्र पर काशिकाकार ने लिखा है कि—

“शब्दा हि नित्या एव मनोऽनन्तर काकतालीयशशात् तथा सनेतित ।”

इस प्रकार भगवान् को छोड़ कर अन्य सब वस्तुओं की अनित्यता
प्रकाशित करने वाले अनुक्रमणी निर्दिष्ट वाच्य म, शास्त्र दृष्टि से केवल मोक्षरूप
परम पुरुषार्थ [ही महाभारत का मुख्य पुरुषार्थ] और काव्य दृष्टि से कृष्णा

अत्यन्तसारभूतत्वाच्चायमर्थो व्यङ्ग्यत्वेनैव दर्शितो, न तु वाच्यत्वेन । सारभूतो ह्यर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभामाद्यहति । प्रसिद्धिरचेयमस्त्येव विदग्धविद्वत्परिपत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेनैव । तस्मात्स्थितमेतत्—अङ्गीभूतरसासाद्याश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवनवार्थलाभो भवति बन्धच्छाया च महती सम्पद्यत इति ।

अतएव च रसानुगुणार्थविशेषोपनिबन्धमनङ्कारान्तरविरहेऽपि ध्यायातिशययोगि लक्ष्ये दृश्यते । यथा :—

मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः ।

येनैकचुलके दृष्टी दिव्यौ ती मलयमन्डपौ ॥

इत्यादौ । अत्र दृढतरमानुगुणमेकचुलके मलयमन्डपदर्शनं ध्यायातिशयं पुष्पाति । तत्र ह्येकचुलके सकलजलनिधिसन्निधानादपि

के क्षण से जन्म सन्तोष सुख के परिपोष रूप शान्त रस ही महाभारत का प्रधान रस अभिप्रेत है यह भली प्रकार प्रतिपादन कर दिया गया ।

अत्यन्त सार रूप होने से यह अर्थ [महाभारत में शान्तरम और मोक्ष पुरुषार्थ का प्राधान्य] व्यङ्ग्य [ध्वनि] रूप से ही प्रदर्शित किया है वाच्य रूप से नहीं । सारभूत अर्थ अपने वाचक शब्द से वाच्य रूप में उपस्थित न होकर [व्यङ्ग्य रूप से] प्रकाशित होता है तो अत्यन्त शोभा को प्राप्त होता है । चतुर विद्वानों की मण्डली में यह प्रसिद्ध है ही कि अधिक अभिमत वस्तु व्यङ्ग्य रूप से ही प्रकाशित की जाती है साक्षात् वाच्य रूप से नहीं । इसलिए यह सिद्ध हुआ कि प्रधानभूत रस के आश्रय से वाच्य को रचना करने पर नवीन अर्थ की प्राप्ति होता है और रचना का सौन्दर्य बहुत अधिक बढ़ जाता है ।

इसीलिए अन्य चलद्वारों के अभाव में भी रस के अरुण अर्थ विशेष की रचना काव्यों में सौन्दर्यातिशयगतिनी दिग्गद् देती है । जैसे :—

योगिराज् महात्मा अमरव्य मुनि [की जय हो] मरौंष्ट है । जिन्होंने एक ही चुल्लू में उन दिव्य मत्स्य और कच्छप [अजरातों] का दर्शन कर लिया ।

इत्यादि में । यहाँ अद्भुत रस के अद्भुत एक चुल्लू में मत्स्य और कच्छप का दर्शन [अद्भुत रस के] सौन्दर्य को अत्यन्त बढ़ाता है । उनमें

दिव्यमत्स्यकच्छपदर्शनमञ्जुएणत्वादद्भुतरसानुगुणतरम् । क्षुण्णं हि वस्तु लोकप्रसिद्धाद्भुतमपि नाश्चर्यकारि भवति । न चानुष्णं वस्तु-पनिबध्यमानमद्भुतरसस्यैवानुगुणं यागद्रसान्तरस्यापि । तद्यथा :—

सिञ्जइ रोमश्चिञ्जइ वेवइ रञ्छातुलग्नपडिलगो ।

सोपासो अज्ज वि' सुहअ तीइ जेणासि बोलीणो ॥

[स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते रथानुलामप्रनिलग्नः ।

स पार्वोऽद्यापि सुभग येनास्यतिक्रान्तः ॥ इतिच्छाया]

एतद् गाथार्थाद्भाव्यमानाद्या रसप्रतीतिर्भवति, सा त्वां दृष्ट्वा स्विद्यति रोमाञ्चते वेपते इत्येवंविधादर्थान् प्रतीयमानान्मनागपि ना जायते ।

तदेवं ध्वनिप्रभेदसमाश्रयेण यथा काव्यार्थानां नवत्वं जायते तथा प्रतिपादितम् । गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यापि त्रिभेदव्यङ्ग्यापेक्षया ये

एक वृत्त में सम्पूर्ण समुद्र के समा जाने से भी अधिक दिव्य मत्स्य और कच्छप का दर्शन विस्तृत अर्थात् होने से अद्भुत रस, के अधिक अनुकूल है । लोक प्रसिद्धि में अत्यन्त अद्भुत होने पर भी अनेक बार की देखी हुई वस्तु आश्चर्योत्पादक नहीं होती । अर्थात् वस्तु का वर्णन न केवल अद्भुत रस के अपितु अन्य रसों के भी अनुकूल होता है । जैसे —

हे सुभग, उस संकरी गली में [तुलाप्रेष, काकतालीयेन], अकरमार उर्वे [मेरी सखी, नायिका] के गिम् पारवं से लग कर तुम निकल गए थे वह पारवं अब भी स्वेदयुक्त, रोमाञ्चित और कम्पित हो रहा है ।

इस गाथा के अर्थ की भावना करने से जो रस की प्रतीति होती है वह, 'तुमको देख कर [स्तब्धा पाठ भी है, दृक्कर] वह [नायिका] स्वेदयुक्त पुलकित और कम्पित होती है' इस प्रकार के प्रतीयमान अर्थ से विस्तृत नहीं होती है । [त्वां दृष्ट्वा स्विद्यति इत्यादि अर्थ विरपरिचित है और] उस के व्यङ्ग्य होने पर भी उतना चमत्कार नहीं प्रतीत होता जितना ऊपर के श्लोक में घण्टित नदीन कल्पना युक्त अर्थ के व्यङ्ग्य होने पर प्रतीत होता है] ।

इस प्रकार ध्वनि भेदों के आश्रय से जिस प्रकार काव्यार्थों में नगानता आ जाती है वह प्रतिपादन कर दिया । तीन प्रकार के व्यङ्ग्य [रसादि, वस्तु

प्रकारास्तत्समाश्रयेणापि काव्यवस्तुनां नवत्वं भवत्येव । तत्त्वति
विस्तारकारीति नोदाहृतं, सहृदयैः स्वयमुत्प्रेक्षणीयम् ॥५॥

ध्वनेरित्थं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च समाश्रयात् ।

न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्प्रतिभागुणः ॥६॥

सत्त्वपि पुरातनकविप्रवन्धेषु यदि स्यात्प्रतिभागुणः । तस्मिन्-
स्त्वसति न किञ्चिदेव कवेरैस्त्वस्ति । वन्वन्द्वायाप्यर्थद्वयानुरूपशब्द-
सन्निवेशोऽर्थप्रतिमानाभावे कथमुपपद्यते । अनपेक्षितार्थविशेषात्तर-
रचनैव वन्धच्छायेति नैदं नैदीयः सहृदयानाम् । एवं हि सत्यर्थानपेक्ष-
चतुरमधुरवचनरचनायामपि काव्यव्यपदेशः प्रवर्तेत^१ । शब्दार्थयोः

तथा अलङ्कार की] दृष्टि से गुणीभूत व्यङ्ग्य के भी जो भेद होते हैं उनके
आश्रय से भी काव्य वस्तुओं में नवीनता प्रा जाती है । यह [उदाहरण देने
पर] अत्यन्त विस्तार जनक है इसलिए उसके उदाहरण नहीं दिए ।
सहृदयों को स्वयं समझ लेने चाहिए ॥५॥

यदि [कवि में] प्रतिभा गुण हो तो इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूत
व्यङ्ग्य के आश्रय से काव्य के [वर्णनीय रमणीय] अर्थों की कभी समाप्ति ही
नहीं हो सकती है ।

प्राचीन कवियों के प्रवन्धों [काव्यों] के रहते हुए भी, यदि [कवि
में] प्रतिभा गुण है [तो नवीन वर्णनीय अर्थों की समाप्ति नहीं हो सकती
है] । और उस [प्रतिभा] के न होने पर तो कवि के [पास] कोई वस्तु
नहीं है [जिनमें वह अर्थ चमकारयुक्त काव्य वा निर्माण कर सके] । दोनों
अर्थों [ध्वनि तथा गुणीभूत व्यङ्ग्य] के अनुरूप शब्दों के सन्निवेश रूप,
रचना का सौन्दर्य भां [आररपक] अर्थ की प्रतिभा [प्रतिमान, प्रतिभा] के
अभाव में कैसे प्रा सकता है । [ध्वनि अथवा गुणीभूत व्यङ्ग्य] अर्थ की
अपेक्षा के बिना ही अर्थों की रचनामात्र ही रचना का सौन्दर्य [रचना
सौन्दर्य जनक] है यह बात सहृदयों के [हृदय के] समीप नहीं पहुँच
सकती । ऐसा होने पर [ध्वनि अथवा गुणीभूत व्यङ्ग्य के बिना भी अर्थ
रचनामात्र से रचना में सौन्दर्य मानने से] तो अर्थहीन [ध्वनि, गुणीभूत

साहित्येन काव्यत्वे कथं तथात्रिधे विषये काव्यव्यवस्थेति चेत्, परोप-
निबद्धार्थविरचने यथा 'तत्काव्यत्वव्यवहारस्तथा तथाविधानां काव्य-
सन्दर्भणाम् ॥६॥

न चाथानन्त्यं व्यङ्ग्यार्थपिच्छयैव, यावद्वाच्यार्थपिच्छयापीति प्रति-
पादयिमुच्यते—

अवस्थादेशकालादिविशेषैरपि जायते ।

आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावतः ॥७॥

शुद्धस्वानपेक्षितव्यङ्ग्यस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः ।
स्वभावो ह्ययं वाच्यानां चेतनानामचेतनानां च^२ यदवस्थाभेदा-
देशभेदात्कालभेदात्वालक्षण्यभेदाज्ञानन्तता भवति तैश्च तथा व्यवस्थितैः

व्यङ्ग्य अर्थ से रहित] चतुर [समास आदि रूप से सङ्गठित] और मधुर
[मृदु कोमल अक्षरों से परिपूर्ण] रचना में भी काव्य व्यवहार होने लगेगा ।
शब्द और अर्थ दोनों के सहभाग [साहित्य] में ही काव्यत्व होता है इसलिए
उस प्रकार के [अर्थहीन, चतुर, मधुर रचना] विषय में काव्यत्व की व्यवस्था
कैसे होगी [अर्थात् काव्य व्यवहार प्राप्त नहीं होगा] यह कहें तो [उत्तर यह
है कि] दूसरे के [मत में] उपनिबद्ध [शब्द निरपेक्ष उत्कृष्ट ध्वनि रूप]
अर्थ [से युक्त] रचना में जैसे [केवल अर्थ के वैशिष्ट्य से] काव्य व्यवहार
[वह करता] है इसी प्रकार इस प्रकार के [अर्थनिरपेक्ष शब्द रचना मात्र]
काव्य सन्दर्भों में भी [काव्य व्यवहार] होने लगेगा । [अतएव अर्थनिरपेक्ष
अक्षर रचनामात्र रचना सौन्दर्य का हेतु नहीं है] ॥६॥

केवल व्यङ्ग्य अर्थ के कारण ही अर्थों में अनन्तता [विचित्रता,
नूतनता] नहीं आती है अपितु वाच्य अर्थ विशेष की अपेक्षा से भी [अर्थ की
अनन्तता, नूतनता] हो सकती है । इसी को प्रतिपादन करने के लिये
कहते हैं :—

शुद्ध [व्यङ्ग्य निरपेक्ष] वाच्य अर्थ की भी अवस्था, देश, काल आदि
के वैशिष्ट्य से स्वभावतः अनन्तता हो ही जाती है ।

शुद्ध अर्थात् व्यङ्ग्य निरपेक्ष वाच्य [अर्थ] का भी स्वभावतः आनन्त्य
हो ही जाता है । चेतन और अचेतन वाच्य अर्थों का यह स्वभाव है कि

सद्भिः प्रसिद्धानेकस्वभावाणुसंख्यारूपया स्वभावोक्त्यापि नावदुपनिबन्ध-
मानैर्निरवधि काव्यार्थः सम्पद्यते । तथा ह्यवस्थाभेदान्नवत्वं यथा—

भगवती पार्वती कुमारसम्भवे 'सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादि-
भिरुक्तिभिः प्रथममेव परिसमापितरूपवर्णनापि पुनर्भगवतः शम्भोर्लोचन-
गोचरमायान्ती 'वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती' मन्मथोपकरणभूतेन भङ्ग-
न्तरेणोपवर्णिता । सैव च पुनर्नग्रेद्वाहसमये प्रसाध्यमाना 'ता प्राङ्-
मुखां तत्र निवेशय तन्वीम्' इत्याद्युक्तिभिर्नवेनैव प्रकारेण निरूपितरूप-
सौष्टव्याः । न च ते तस्य करेकरैः प्राप्तकृता वर्णनप्रकारा अपुनरुक्त-
त्वेन वा नवनार्थनिर्भरत्वेन वा प्रतिभासन्ते ।

अत्रस्था भेद, देशभेद, कालभेद और स्वरूप भेद से [उनकी] अनन्तता हो
जाती है । उन [वाच्यार्थों] के उस प्रकार [देश, काल, अत्रस्थादि भेद से नए-
नए अर्थों के प्रकाशन रूप में] व्यवस्थित होने पर अत्र प्रकार के प्रसिद्ध
स्वभावों के वर्णन रूप स्वभावोक्ति से भी [वाच्यार्थों को] रचना करने पर
काव्यार्थ अन्त रूप हो जाता है । इनमें से अत्रस्था भेद के कारण नवीनता
जैसे —

कुमारसम्भव में 'सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादि उक्तियों से पहिले
[एक बार] भगवती पार्वती के रूप वर्णन के समाप्त हो जाने पर भी फिर
शङ्कर भगवान् के सामने आती हुई पार्वती को 'वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती'
इत्यादि से कामदेव के साधन रूप में प्रकारान्तर से फिर [दुबारा] वर्णन
किया गया है । और फिर नवीन विवाह के समय [सती रूप में विवाह के
बाद फिर दूसरे जन्म में पार्वती रूप में शिव के साथ विवाह, नवीन विवाह
शब्द से अभिप्रेत है] अलङ्कृत की जाती हुई पार्वती के सौन्दर्य का 'ता प्राङ्-
मुखां तत्र निवेशय तन्वीम्' इत्यादि उक्तियों से फिर [तीसरी बार] नए ढंग
से वर्णन किया है । [अत्रस्था भेद से किए यह वर्णन तो सुन्दर प्रतात होते
हैं ।] परन्तु कवि के एक ही जगह अनेक बार किए हुए वे वर्णन अपुनरुक्त
रूप अथवा अभिप्राय परिपूर्ण रूप नहीं प्रतात होत हैं । [उसका ध्यान
रचना चाहिए] ।

'न च ते तस्य करेकरैः प्राप्तकृता वर्णनप्रकारा अपुनरुक्तत्वेन वा नव-

दशितमेव चैतद्विपमवाणलीलायाम्—

ए अ ताए घडइ ओही ए अ ते दीसन्ति कह वि पुनरुक्ता ।

जे विरुभमा पिआण अत्या वा सुकइवाणीणम् ॥—

[न च तेषा घटतेऽनधिर्न च ते दृश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ता' ।

ये विभ्रमा. प्रियाणामर्था वा सुकविवाणीनाम् ॥ इतिच्छाया]

नवार्थनिर्भरत्वेन प्रतिभासन्ते ।' यह पाठ आपातत कुछ अटपटा-सा दीखता है । क्योंकि इसके पूर्व वाक्य में यह दिखाया है कि पार्वती के रूप का तीन बार वर्णन करने पर भी वह नवीन ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार इस वाक्य के बाद के वाक्य द्वारा विपमवाणलीला का जो श्लोक उद्धृत किया है वह भी इस प्रकार की कवि वाणी की अपुनरुक्ता का ही प्रतिपादन करता है । इसलिए सामान्यता से वर्णन पुनरुक्त अथवा नवनवार्थशून्य प्रतीत नहीं होते हैं । इस प्रकार के अभिप्राय को प्रकट करने वाला वाक्य होना चाहिए । अर्थात् अपुनरुक्त्वेन के स्थान पर पुनरुक्त्वेन और नवनवार्थनिर्भरत्वेन के नवनवार्थशून्यत्वेन ऐसा पाठ होना चाहिए था । तब इस वाक्य की सङ्गति ठीक लगती । परन्तु सभी संस्करणों में 'अपुनरुक्त्वेन' और 'नवनवार्थनिर्भरत्वेन' यही पाठ पाया जाता है । अतएव इसको प्रमाद पाठ न मान कर, 'स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया' के अनुसार हमने इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया है ।

इस पाठ के अनुसार इस पक्ति का भाव यह है कि यद्यपि एक पदार्थ वा अनेक बार वर्णन होने पर भी इसमें नवीनता आ जाती है । परन्तु वह सब वर्णन एक स्थान पर नहीं अपितु अलग अलग होने चाहिए । एक ही स्थान पर किए हुए ऐसे वर्णनों में तो पुनरुक्ति ही होती है । वे अपुनरुक्ति अथवा नवनवार्थनिर्भरत्वेन नहीं प्रतीत होते । अतएव कवि को इन बात ध्यान रखना चाहिए ।

यह एक विशेष बात बीच में इस वाक्य द्वारा प्रतिपादन कर दी है । इसके बाद जो विपमवाणलीला का उदाहरण दिया है उसका सम्बन्ध इस वाक्य से नहीं अपितु पूर्व वाक्य से है, यह समझना चाहिए । तभी उसकी सङ्गति ठीक होगी । इसी लिए हमने उसे अलग अलग अनुच्छेद के रूप में रखा है । पहिले अनुच्छेद का भाव मिलाकर पाठ नहीं रखा है ।

यह हम विपमवाणलीला में दिया ही चुके हैं :—

प्रियतमाद्यो [अथवा प्रियजनों] के जो हाव भाव और सुकवियों की वाणी के जो अर्थ हैं इनकी न कोई सीमा हो बन सकती है और न वे [किसी भी दशा में] पुनरुक्त प्रतीत होते हैं ।

अयमपरश्चावस्थाभेदप्रकारो यदचेतनानां सर्वेषां चेतनं द्वितीयं रूपमभिमानित्वप्रसिद्धं हिमवद्गङ्गादीनाम् । तच्चोचितचेतनविषयस्वरूप-
योजनयोपनिबन्धमानमन्यदेव सम्पद्यते । यथा कुमारमम्भव एव पर्वत-
स्वरूपस्य हिमवतो वर्णनं, पुनः सप्तर्षिप्रियोक्तिषु चेतनतत्स्वरूपापेक्षया
प्रदर्शित तदपूर्वमेव प्रतिभाति । प्रसिद्धश्चायं सत्करीना मार्गः । इदं
च प्रस्थानं कविन्युत्पत्तये विषमबाणलीलायां सप्रपञ्चं दर्शितम् । चेत-
नानां च बाल्याद्यवस्थाभिरन्यत्वं सत्करीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानाम-
स्थाभेदेऽप्यवान्तरावस्थाभेदान्नानात्वम् । यथा कुमारीणां कुमुमशर-
भिन्नहृदयानामन्यासां च । तत्रापि विनीनानामविनीनाना च ।

अचेतनानां च भावानामारम्भाद्यवस्थाभेदभिन्नानामेकैकरा
स्वरूपमुपनिबन्धमानमानन्त्यमेवोपयाति । यथा :—

अवस्था भेद का यह और [दूसरा] प्रकार भी है कि हिमालय गङ्गा
आदि सभी अचेतन पदार्थों का अभिमानी [अभिमानी देवता] रूप में दूसरा
चेतन रूप भी प्रसिद्ध है । और वह उचित चेतन विषय के स्वरूप योजना से
उपनिबद्ध [ग्रथित] होकर [अचेतन रूप से भिन्न] बुद्ध और ही हो जाता
है । जैसे कुमारसम्भव में ही [आरम्भ में] पर्वत रूप से हिमालय का वर्णन
[है] फिर सप्तर्षियों के प्रिय वचनों [चाटुक्तियों] में उस [हिमालय] के
चेतन स्वरूप की दृष्टि से प्रदर्शित वह [हिमालय का दुबारा किया हुआ वर्णन]
अपूर्व सा प्रतीत होता है । और सत्करीनों में यह मार्ग [अचेतनों के चेतनपद-
वर्णन का मार्ग] प्रसिद्ध ही है । कर्षियों की व्युत्पत्ति के लिए विषमबाणलीला
में इस मार्ग को हमने विस्तारपूर्वक प्रदर्शित किया है ।

चेतनों का बाल्य आदि अवस्था भेद से भेद सत्करीनों में प्रसिद्ध ही है ।
चेतनों के अवस्थाभेद [के वर्णन] में अवान्तर अवस्था भेद से भी भेद ही
सकता है । जैसे काम के बाण से विद्ध हृदयवाली तथा अन्य [स्वस्य]
कुमारियों का [अवान्तर अवस्था भेद से] भेद होता है । उनमें भी विनीत
[नम्र] और उच्छृङ्खल [कन्याओं] का [अवान्तर अवस्था आदि के भेद से
नानात्व ही जाता है] ।

आरम्भ आदि अवस्था भेद से भिन्न अचेतन पदार्थों का स्वरूप [भी]
अलग-अलग वर्णन से अनन्तता की प्राप्ति ही ही जाता है । जैसे :—

हंसानां निन्देषु यैः कवलितैरासज्यते कृजता-
मन्यः कोऽपि कपायकण्ठलुठनाद्राघर्घरो विभ्रमः ।
ते गम्प्रत्यकठोरवारणवधूदन्ताडकुरस्पधिनी
निर्याताः कमलाकरेषु तिसिनीकन्दाग्रिमग्रन्थयः ॥

एवमन्यत्रापि दिशानयानुसर्तव्यम् ।

देशभेदान्नानान्वमचेतनानां तावत्, यथा वायूनां नानादिग्देश-
चारिणामन्येषामपि मल्लिककुसुमादीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामपि मानुष-
पशुपक्षिप्रभृतीनां प्राप्तरण्यसलिलाद्रिसमेधितानां परस्परं महाव्निशेषः
समुपलक्ष्यत एव । स च विविच्य यथायथमुपनिबध्यमानरतयैवानन्त्य-
मायाति । तथा हि—मानुषाणामेव तावद्दिग्देशादिभिन्नानां ये व्यवहार-
व्यापारादिषु विचित्रा विशेषास्तेषां केनान्त शक्यते गन्तुम्, विशेषतो
योपिताम् । उपनिबध्यते च तत्सर्वमेव सुकविभिर्यथाप्रतिभम् ।

जिन के खाने से कूजने हुए हंसों के निन्दाओं में, मधुर कण्ठ के संयोग
से घर्घर ध्वनि युक्त कुछ नया ही [अपूर्व ही] विभ्रम उत्पन्न हो जाता है,
वरिणी के नष्ट कोमल दन्ताडकुरों से स्पर्धा करने वाली मृगाल की वह नवीन
ग्रन्थियां इस समय तालाबों में बाहर निकल आई हैं ।

यद्य मृगाल की नवीन ग्रन्थियों के आरम्भ का वर्णन होने से अवरथाभेद
मूलव चमत्कार प्रतीत होता है ।

इस प्रकार और जगह भी इस मार्ग का अनुसरण किया जाना
चाहिए ।

देश भेद से पहिले अचेतनों का भेद जैसे, [मलय आदि देश और
दक्षिण दिशाओं] विभिन्न दिशाओं और स्थानों में संचरण करने वाले पवनों
का, और अन्य जल तथा पुष्प आदि का भी भेद प्रसिद्ध हो है । चेतनों में
भी ग्राम, अरण्य, जल आदि में पले हुए मनुष्य, पशु, पक्षी प्रभृति में परस्पर
भेद दिखाई ही देता है । वह भी विचारपूर्वक ठीक ढंग से वर्णित होने पर
उसी प्रकार अनन्त हो जाता है । जैसे नाना दिग् देश आदि से भिन्न मनुष्यों
के ही व्यवहार और व्यापार आदि में जो नाना प्रकार के भेद पाए जाते हैं उन
सब का पार कौन पा सकता है । विशेषकर स्त्रियों के [विषय में पार पाना
असम्भव ही है] । सुकवि लोग अपनी प्रतिभु के अनुसार उस सबका वर्णन
करते ही हैं ।

कालभेदाच्च नानात्वम् । यथर्तुभेदादिव्योमसलिलादीनामचेतना-
नाम् । चेतनानां चोत्सुक्यादयः कालत्रिशोपाश्रयिणः प्रसिद्धा एव ।
स्वालक्षण्यप्रभेदाच्च सरुजजगद्गतानां वस्तूनां विनिवचनं प्रसिद्धमेव ।
तच्च यथावस्थितमपि तावदुपनिबध्यमानमनन्ततामेव काव्यार्थस्यापाद-
यति ।

अत्र केचिदाचक्षीरन् । यथा सामान्यात्मना वस्तूनि वाच्यतां
प्रतिपद्यन्ते, न विशेषात्मना । तानि हि स्वयमनुभूतानां सुखादीनां
तन्निमित्तानां च स्वरूपमन्यत्रारोपर्याद्धिः । स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्रा-
श्रयेणोपनिबध्यन्ते कविभिः । न हि तैरतीतमनागतं वर्तमानं च परि-
चित्तादिस्वलक्षणं योगिभिरिव प्रत्यक्षीक्रियते । तच्चानुभाव्यानुभव-
सामान्यं सर्वप्रतिपत्तिसाधारणं परिमितत्वात्पुरातनानामेव गोचरीभूतम् ।
तस्य विषयत्वानुपपत्तेः । अतएव स प्रकारविशेषो वैरद्यतनैरभिनवत्वेन
प्रतीयते तेषां भ्रममात्रमेव, भणितिकृतं वैचित्र्यमात्रमत्रास्तीति ।

काल भेद से भी भेद [होता है] जैसे ऋतुओं के भेद से दिग् आकाश
जल आदि अचेतन [का भेद होता है] और काल [वसन्तादि] विशेष के
आश्रय से चेतनों के औत्सुक्य आदि प्रसिद्ध ही हैं । समस्त संसार की वस्तुओं
की अपने स्वरूप [स्वालक्षण्य] भेद से विशेष [काव्य में] प्रसिद्ध ही है ।
और वह [स्वरूप] जैसा कुछ है उसी रूप में उपनिबद्ध होकर भी काव्य के
विषय की अनन्तता को उत्पन्न करता है ।

[पूर्व पद्य] यहाँ [स्वालक्षण्यकृत भेद के विषय में] कुछ लोग कह
सकते हैं कि वस्तुएँ सामान्य रूप से ही वाच्य होती हैं, विशेष रूप से नहीं ।
कवि लोग उन स्वयं अनुभूत सुखादि वस्तुओं और उन [सुखादि] के
साधनों [स्रक्, चन्दन, वनिता आदि] के स्वरूप को अन्यत्र [नायकादि में]
आरोपित करके अपने और दूसरों [नायकादि] के अनुभूत सामान्यमात्र के
आश्रय से उन [नायकादि के सुखादि और उसके साधनों] का वर्णन करते हैं ।
वे [कवि लोग] योगियों के समान अतीत, अनागत, वर्तमान दूसरों
के चित्त [ग्यक्तियों] और उनमें रहने जाने सुख दुःख] आदि का प्रत्यक्ष
नहीं कर सकते हैं । और वह अनुभाव्य [सुखादि] तथा अनुभाषक [उस

तत्रोच्यते । यत्तुक्तं सामान्यमात्राश्रयेण काव्यप्रवृत्तिः, तस्य च परिमितत्वेन प्रागेव गोचरीकृतत्वान्नास्ति नवत्वं काव्यवस्तुनामिति । तदयुक्तम् । यतो यदि सामान्यमात्रमाश्रित्य काव्यं प्रवर्तते किं कुनस्तर्हि महाकविनिवृत्तमानानां काव्यार्थानामतिशयः । वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्यान्यस्य 'कविव्यपदेश एव वा । सामान्यव्यतिरिक्तस्यान्यस्य काव्यार्थस्याभावात् । सामान्यस्य चादिकविनैव प्रदर्शितत्वात् ।

उक्तिवैचित्र्यान्नैव दोष इति चेत् ।

सुखादि के साधन सक्, चन्दन वनितादि] सामान्य समस्त अनुभवकर्ताओं के लिए एकरूप [हैं और] परिमित होने से प्राचीनों [कवियों] को ही ज्ञात हो चुके हैं । वह उनको ज्ञात न हुआ हो यह सम्भव नहीं है । इसलिए उस [स्वालक्षण्य रूप] प्रकार विशेष की जो आजकल के लोग अभिनव रूप में अनुभव करते हैं, वह उनका अभिमान मात्र ही है । केवल उक्ति वैचित्र्य ही है [वस्तु में नवीनता नहीं है, उक्ति वैचित्र्य के कारण ही नवीनता का भ्रम या अभिम न होने लगा है । यह पूर्वपक्ष का आशय है ।]

[उत्तर पक्ष] उस विषय में हमारा कहना है कि [आपने] जो यह कहा है कि सामान्य मात्र के आश्रय से काव्य रचना होती है और उस [सामान्य] का ज्ञान पहिले ही [कवियों] को हो चुका है अथवा काव्य-वस्तुओं में नवीनता नहीं हो सकती है । यह [कहना] उचित नहीं है । क्योंकि यदि सामान्यमात्र के आश्रय से काव्य की रचना होती है तो महाकवियों द्वारा वर्णित काव्य पद्यों में विशेष तात्पर्य किस [कारण] से होता है । अथवा वाग्मोकि [आदिकवि] को छोड़ कर अन्य किसी को कवि ही किस आधार पर कहा जाता है । क्योंकि [आपके मत में] सामान्य के अतिरिक्त और कोई काव्य का वर्य विषय नहीं हो सकता है और सामान्य का प्रदर्शन आदिकवि [वाग्मोकि] ही कर चुके हैं । [इसलिए अन्य किसी के पास वर्य नवीन विषय न होने से अन्य कोई कवि न कवि हो सकता है और न वाग्मोकि से भिन्न उसकी रचना में कोई नवीनता ही आ सकती है ।]

[यह सिद्धान्त पक्ष की ओर से पूर्वपक्ष पर प्ररन है । पूर्वपक्षी उक्ति-वैचित्र्य के आधार पर इसका उत्तर देता है] उक्ति के वैचित्र्य के कारण यह दोष नहीं आ सकता है । [अर्थात् उक्ति कथनशैली के विचित्र होने से महा-

किमिन्मुक्तिरैचि-यम् ? उक्तिर्हि वाच्यविशेषप्रतिपादि 'वचनम् । तद्वैचि-ये^१ कथं न वाच्यरैचि-यम् ? वाच्यवाचकयोरभिनाभावेन प्रवृत्ते । वाच्यानां च काव्ये प्रतिभासमानानां यद्रूपं तच्चु^२ प्राण्यविशेषा भेदेनैव प्रतीयते । तेनोक्तिरैचि-यरादिना वाच्यरैचि-यमनिन्द्यताप्य वश्यमेवाभ्युपगन्तव्यम् ।

तदयमत्र सक्षेप —

वाच्यमीदृशव्यतिरिक्तस्य यद्येकस्यापि कस्यचित् ।
इष्यते प्रतिभार्थपुं^३ तत्तदानन्त्यमक्षयम् ॥

कवियों की रचनाओं में तारतम्य होता है और इसी उक्ति वैचित्र्य के आधार पर अन्य कवियों को कवि कहा जा सकता है] ।

[आगे सिद्धांत पक्ष की ओर से इसी का अपने नवीनता पक्ष का साधक बनाया जाता है] यह कहो तो यह उक्ति वैचित्र्य क्या [पदार्थ] है । वाच्यविशेष की प्रतिपादन करने वाले वचन का नाम ही उक्ति है । उस [वचन] के वैचित्र्य मानने पर [उसके] प्राण्य^२ में वैचित्र्य क्यों नहीं होगा ? वाच्य और वाचक की तो अभिनाभास सम्बन्ध से प्रवृत्ति होती है । [इसलिये वाचक उक्ति में वैचित्र्य होने से प्राण्य में भी वैचित्र्य होना आवश्यक है] काव्य में प्रतप्त होने वाले वाच्यों का जो स्वरूप है वह [कवि के स्वयं अनुभूत] प्राण्य विशेष [प्राण्य प्रमाण से कवि द्वारा स्वयं गृहीत सुखादि तथा उसके साधनादि] से अभिन्न रूप में ही प्रतीत होता है । [इसलिये केवल सामान्यमात्र के आश्रय से ही नहीं अपितु स्वयं अनुभूत विशेष के भी आश्रय से काव्य रचना होती है । अतएव उसमें अनन्तता होना अनिवार्य है ।] इसलिये उक्तिरैचि-य मानने वाले को इच्छा न रहते हुए भी वाच्य का वैचित्र्य अवश्य ही मानना होगा ।

अतएव इस विषय का सारांश यह हुआ कि —

यदि वाच्यमीदृश के व्यतिरिक्त किसी एक भी कवि के पदार्थों में प्रतिभा [का सम्बन्ध] मानना अभीष्ट है तो वह आनन्त्य [सत्यं] अक्षय है ।

१ वाच्यविशेषप्रतिपादनवचनम् नि० । २ वैचित्र्येण नि० । ३ प्राण्य नि० । ४ प्रतिभानन्त्य नि० ।

किञ्च, उक्तिवैचित्र्यं यत्काव्यनवत्ये^१ निबन्धनमुच्यते तदस्मत्पञ्चानुगुणमेव । यतो यावानयं काव्यार्थानन्त्यभेदहेतुः प्रकारः प्राग्दर्शितः स सर्व एव पुनरुक्तिवैचित्र्याद्द्विगुणतामापद्यते । यश्चायमुपमाश्लेषादिरत्नङ्कारवर्गः^२ प्रभिन्नः स भणितिवैचित्र्यादुपनिबध्यमानः स्वयमेवानवविर्वर्षत्ते पुनः शतशाखताम् । भणितिशच^३ स्वभावाभेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियतभावागोचरार्थवैचित्र्यनिबन्धनं पुनरपरं काव्यार्थानामानन्त्यमापादयति । यथा ममैव—

*महमह इति भणन्त उ वज्जदि कालो जणस्स ।

तोइ ण देउ जणदण गोश्वरी भोदि मणसो ॥

[मम मम इति भणतो व्रजति कालो जनस्य ।

तथापि न देवो जनार्दनो गोचरीभवति मनसः ॥ इतिच्छाया]

और उक्ति वैचित्र्य को जो काव्य में नवोनता खाने का हेतु कहते हैं वह तो हमारे पद्य के अनुकूल ही है । क्योंकि काव्यार्थ के आनन्त्य के हेतु रूप में यह [अवस्था, काल देश आदि] जितने प्रकार पहिले दिखाए हैं वह रुच उक्ति के वैचित्र्य से फिर द्विगुण [अनन्त] हो जाते हैं । और जो यह उपमा श्लेष आदि वाच्य अलङ्कार वर्ग प्रसिद्ध हैं वह स्वयं ही अपरिमित होने पर भी उक्ति वैचित्र्य से उपनिबद्ध हो कर फिर सैकड़ों शाखाओं से युक्त हो जाता है । और अपनी भाषाओं के भेद से व्यवस्थित [प्रभिन्न] उक्ति [भणिति] भी विशेष भाषा [प्रतिनियत, उस विशेष भाषा] विषयक श्रयों के वैचित्र्य के कारण काव्यार्थों में फिर और भी आनन्त्य उत्पन्न कर देती है । जैसे मेरा ही—

[यह] मेरा [वह] मेरा कहते-कहते ही मनुष्य [के जीवन] का [सारा] समय निरस्त जाता है परन्तु मन में जनार्दन भगवान् का साक्षात्कार नहीं हो पाता ।

यहाँ प्रतिक्षण जनार्दन को मेरा-मेरा कहने वाले को भी जनार्दन प्रत्यक्ष नहीं होते यह विरोधच्छाया 'मह मह' इस मैथिल्य भाषामयी भणिति से चित्रता युक्त हो जाती है ।

१. काव्यनवत्येन नि० । २. अलङ्कारमार्गः नि० । ३. कथाभेदेन नि० । ४. बहुमह इति भणित्त उ वं जोई कतिजणस्स ते इण्दे । एो जाण्-इणुमोगो अरिमो तिमिणं.....सा इत्यम् ॥ नि० में यह पाठ दिया है और उसका छान्दानुवाद नहीं दिया है । नि० ।

इत्थं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न लक्ष्यतेऽन्त काव्या
र्थानाम् ॥७॥

इदन्तूच्यते,

अप्रस्थादिविभिन्नानां वाच्यानां त्रिनिबन्धनम् ।

यत्प्रशितं प्राकं ,

भूमनैव दृश्यते लक्ष्ये,

*न तच्छब्दक्यमपोहितम् ।

तत्तु भाति रसाश्रयात् ॥८॥

तदिदमत्र सत्त्वेपेणाभिव्ययते सत्कवीनामुपदेशाय —

रसमात्रादिसम्बद्धा यद्यौचित्यानुसारिणी ।

अन्वीयते रस्तुगतिर्देशकालादिभेदिनी ॥९॥

इस प्रकार जितना ही जितना [इस पर] विचार करते हैं उतना
उतना ही काव्यार्थों का अन्त नहीं मिलता है । [उतनी ही काव्यार्थ में
अनन्तता प्रतीत होती है] ॥७॥

[अथ] यह तो कहना है कि —

अवस्था आदि के भेद से वाच्यार्थों की रचना,

जो पहिले [सातवीं कारिका ८] कही जा चुकी है ।

काव्यों [लक्ष्य] में बहुतायत से दिखाई देती है,

उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है ।

वह रस के आश्रय से [ही] शोभित होती है ॥८॥

इसलिए सत्कवियों [सत्कवि बनने के इच्छुक नवीन कवियों] के
उपदेश के लिए इस विषय में सत्त्वे से यह कहना है कि —

यदि औचित्य के अनुसार रस, भाव आदि से सम्बद्ध और देशकाल
आदि के भेद से युक्त वस्तु रचना का अनुसरण किया जाय ॥९॥

१ इत्थं पद नहीं है नि० । २ नि० सत्करण में 'भूमनैव दृश्यते लक्ष्ये न
तच्छब्दक्यमपोहितम्' को कारिका के उत्तरार्द्ध का पाठ रखा है और 'तत्तु भाति
रसाश्रयात्' को वृत्ति माना है ।

तत्का गणना कवीनामन्येषा परिमितशक्तीनाम् ।

वाचस्पतिसहस्राणां सहस्रैरपि यत्नतः ।

निबद्धापि क्षयं नैति प्रकृतिर्जगतामिव ॥१०॥

यथाहि जगत्प्रकृतिरतीतरुन्पपरम्पराविभूर्तविचित्रवस्तुप्रपञ्चा सती पुनरिदानीं 'परिष्ठीणापरपदार्थनिर्माणशक्तिरिति न शक्यतेऽभिधा- तुम् । तद्वदेवेयं काव्यस्थितिरनन्ताभि कविमतिभिरुपभुक्तापि नेदानीं परिहीयते प्रत्युत नवनवाभिर्व्युत्पत्तिभिः परिवर्धते ॥१०॥

इत्थं स्थितेऽपि,

सम्वादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम् ।

स्थितं ह्येतत् संवादिन्य^१ एव मेधाविनां बुद्धयः । किं तु,

नैकरूपतया सर्वे ते मन्तव्या विपश्चिता ॥११॥

तो परिमित शक्ति वाले अन्य [साधारण] कर्तियों को तो यात ही क्या, वाचस्पति सहस्रों के सहस्र भी [हजारों लाखों वृद्धस्पति भी मिलकर] यत्नपूर्वक उसका वर्णन करें तो भी जगत् की प्रकृति [उपादान कारण] के समान उसकी समाप्ति नहीं हो सक्ती है ।

जैसे विगत कल्प कल्पान्तरों में विविध वस्तुमय प्रपञ्च की रचना करने वालो जगत् की प्रकृति [मूल कारण] होने पर भी अथ अन्य पदार्थों के निर्माण में शक्तिहीन हो गई है, यह नहीं कहा जा सकता है । इसी प्रकार यह काव्य स्थिति, अनन्त [असंख्य] कवि बुद्धियों से उपभुक्त [वर्णित] होने पर भी इस समय शक्तिहीन नहीं है अपितु [उन कर्तियों के वर्णनों से] नयी-नयी व्युत्पत्ति [प्राप्त करने] से और बुद्धि को प्राप्त हो रही है ॥१०॥

ऐसा [देश काल अरस्था आदि भेद से ध्यानन्वय] होने पर भी, प्रतिभाशालियों में सम्वाद [समान उक्तिया] तो बहुतायत से होते ही हैं ।

यह तो सिद्ध ही है कि प्रतिभाशालियों की बुद्धियां एक दूसरी से मिलती हुई होती हैं ।

परन्तु,

विद्वान् पुण्ये उन सय [सम्वादों] को एक रूप न समकें ॥११॥

१. परिष्ठीणापरपदार्थनिर्माणशक्तिरिति नि० । २. सम्वादिन्यो मेधाविनां नि० ।

कथमिति चेत्,

सम्वादो ह्यन्यसादृश्यं तत्पुनः प्रतिबिम्बवत् ।

आलेख्याकारवत्तुल्यदेहिवच्च शरीरिणाम् ॥१२॥

सम्वादो हि काव्यार्थस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना सादृश्यम् । तत्पुन शरीरिणां प्रतिबिम्बवदालेख्याकारवत्तुल्यदेहिवच्च त्रिधा व्यवस्थितम् । किञ्चिद्धि काव्यवस्तु वस्तुन्तरस्य शरीरिणः प्रतिबिम्बकल्पम्, अन्यदालेख्यप्रख्यम्, अन्यतुल्येन शरीरिणा सदृशम् ॥१२॥

तत्र पूर्वमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम् ।

तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेत्कविः ॥१३॥

तत्र पूर्वं प्रतिबिम्बकल्पं काव्यवस्तु परिहर्तव्यं सुमतिना । यतस्तदनन्यात्म, तात्त्रिकशरीरशून्यम् । तदनन्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाम्यं

क्यों [उन समके] यह [प्रश्न] हो तो [उत्तर यह है कि],

अन्य के साथ सादृश्य को ही सम्वाद कहते हैं । और वह [सादृश्य] प्राणियों के प्रतिबिम्ब के समान, चित्र के आकार के समान और दूसरे देहधारी [प्राणी] के समान [तीन प्रकार का] होता है ।

दूसरी काव्य वस्तु के साथ काव्यार्थ का सादृश्य ही सम्वाद कहा जाता है । फिर वह [सादृश्य] प्राणियों के प्रतिबिम्ब के समान, अथवा चित्रगत आकार के समान, और तुल्य देहों के समान तीन प्रकार से होता है । कोई काव्य वस्तु, अन्य शरीरी [काव्य वस्तु] के प्रतिबिम्ब के सदृश [होती है], दूसरी चित्र के समान और तीसरी तुल्य देहों के समान [दूसरी काव्य वस्तु के सदृश होती] है ॥१२॥

उनमें से पहिला [प्रतिबिम्बकल्प सादृश्य पूर्ववर्णित स्वरूप से भिन्न] अपने अलग स्वरूप से रहित है [अतः त्याग्य है] । उसके बाद का [दूसरा चित्राकारतुल्य सादृश्य] तुच्छ स्वरूप [होने से यह भी परित्याज्य] है । और तीसरा [तुल्यदेहिवत्] तो प्रसिद्ध स्वरूप है [अतः] अन्य वस्तु के साथ [इस तृतीय प्रकार के] साम्य को कवि परित्याग न करे ।

उन में से पहिले प्रतिबिम्ब रूप काव्य वस्तु को बुद्धिमान् को छोड़ देना चाहिए । क्योंकि वह अनन्यात्म अर्थात् तात्त्रिक स्वरूप से रहित है । उसके बाद चित्र तुल्य साम्य, शरीरान्तर [स्वरूपान्तर] से युक्त होने पर

शरीरान्तरयुक्तमपि तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम् । तृतीयन्तु 'विभिन्न-
कमनीयशरीरसद्भावे सति ससम्प्रादमपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्यं कविना ।
न हि शरीरी शरीरिणान्येन सदृशोऽप्येक एवेति शक्यते वक्तुम् ॥१३॥

एतदेवोपपादयितुमुच्यते—

'आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि ।

वस्तु भातितरां तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम् ॥१४॥

तत्रस्य सारभूतस्यात्मन सद्भावेऽन्यस्य पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि
वस्तु भातितराम् । पुराणरमणीयच्छायानुगृहीतं हि वस्तु शरीरवत्परां
शोभा पुष्यति । न तु पुनरुक्तत्वेनावभासते । तन्व्या शशिच्छायमि-
वाननम् ॥१४॥

भी तुच्छ रूप होने से परित्याज्य ही है । [सदृश होने पर भी] भिन्न, [और]
सुन्दर शरीर से युक्त तीसरे [प्रकार] की काव्य वस्तु अन्य से मिलती हुई
होने पर भी कवि को नहीं छोड़ने चाहिए । एक देहधारी [मनुष्य या प्राणी]
दूसरे देहधारी के समान होने पर भी एक [अभिन्न] ही है ऐसा नहीं कहा
जा सकता है ॥१३॥

इसी का उपपादन करने के लिए कहते हैं—

[प्रसिद्ध वाच्यादि से मिलक्षण व्यङ्ग्य रसादि रूप] अन्य आत्मा के
होने पर, पूर्व स्थिति [प्राचीन कविवर्णित पदार्थों] का अनुसरण करने वाली
वस्तु भी चन्द्रमा की आभा से युक्त कामिनी के मुखमण्डल के समान अधिक
शोभित होती है ।

सार [रसादि रूप व्यङ्ग्य] आत्मभूत अन्य तत्त्व के होने पर भी, पूर्व
स्थिति का अनुसरण करने वाली [प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित] वस्तु भी
अधिक शोभित होती है । पुरातन रमणीय छाया से युक्त [अन्य कवियों द्वारा
पूर्ववर्णित] वस्तु [तुल्य] शरीर के समान अत्यन्त शोभा को प्राप्त होती है ।
पुनरुक्त सी प्रतीत नहीं होती । जैसे शशी की [पुरातन रमणीय] छाया से
युक्त कामिनी का मुखमण्डल [पुनरुक्त सा प्रतीत नहीं होता अपितु अत्यन्त]
सुन्दर लगता है । [इसी प्रकार काव्य में भी समझना चाहिए] ॥१४॥

१. 'विभिन्न' पद नि० में नहीं है । २. तत्त्वस्यान्यस्य नि० ।

एवं तावत्सम्प्रादानां 'समुदायरूपाणां वाक्यार्थानां विभक्ता सीमानः । पदार्थरूपाणां च वस्त्वन्तःसदृशानां काव्यवस्तूनां नास्त्येव दोष इति प्रतिपादयितुमिदमुच्यते —

अक्षरादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी ।

नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति ॥१५॥

न हि वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानिचिदपूर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते । तानि 'तु तान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवता विरुद्ध्यन्ति । तथैव पदार्थरूपाणि श्लेषादिमयान्यर्थतत्त्वानि ॥१५॥

तस्मात् —

इस प्रकार [अथ तरु] समुदाय रूप [अर्थात्] वाक्यों द्वारा प्रतिपादित सादृश्य युक्त [काव्यार्थों] की सीमा का विभाग किया गया । [अथ आगे] अन्य [पुराने पदार्थ रूप] वस्तुआ से मिलती हुई 'पदार्थ रूप' काव्य वस्तुओं [की रचना] में कोई दोष है ही नहीं इसका प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं —

जहां [जिस काव्य में] नवीन स्फुरण होने वाले काव्यार्थ [काव्य वस्तु] में पुरानी [प्राचीन कवि निबद्ध कोई] वस्तु, अक्षर आदि [आदि पद से पद का ग्रहण] की [पुरातनी] रचना के समान निबद्ध की जाती है वह निश्चित रूप से वृषित नहीं होती यह स्पष्ट ही है ।

[स्वयं] वाचस्पति भी नवीन अक्षर अथवा पदों की रचना नहीं कर सकते । और काव्य आदि में बार बार उन्हीं उन्हीं को उपनिबद्ध करने पर भी [जैसे वह] नवीनता के विरुद्ध नहीं होते, इसी प्रकार पदार्थ रूप या श्लेषादि मय अर्थ तरु । [भी नवीन नहा बनाए जा सकते हैं और अक्षरादि योजना के समान उनको उपनिबद्ध करने से नवीनता का विरोध नहीं होता । अर्थात् नवीनता आ ही जाती है] ॥१५॥

इसलिए —

१ वाक्यवेदिताना काव्यार्थानां विभक्ता सीमान नि० । २ 'तु' नि० में नहीं है ।

यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य क्विञ्चित्,
स्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरभ्युज्जिहीते ।

'स्फुरणोय काचिदिति सहृदयानां चमत्कृतिरत्यद्यते —

अनुगतमपि पूर्वच्छ्रायया वस्तु तादृक्,
सुक्रिणिरुपनिबन्धनचिन्धतां नोपयाति ॥१६॥

जहा [जिस वस्तु के विषय] लोगों [सहृदयों] को यह कोई नई सूक्त [स्फुरणा] है इस प्रकार की अनुभूति होती है [नई या पुरानी] जो भी हो वही वस्तु रम्य [कहलाती] है ।

जिसके विषय में यह कोई नई सूक्त [स्फुरणा] है इस प्रकार की चमत्कृति सहृदयों को उत्पन्न होती है —

पूषं [वृत्रियों के वर्धन] की छाया से युक्त होने पर भी उस प्रकार की वस्तु का वर्धन करने वाला कवि निन्दनीयता को प्राप्त नहीं होता ।

१ इस कारिका के पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध के बीच में वृत्ति की एक पंक्ति जैसी कि हमने मूल पाठ में दी है बालप्रिया वाले सस्वरण में पाई जाती है परन्तु दीर्घिति तथा नि० सा० सस्वरण में नहीं पाई जाती । लोचनकार के 'इति कारिका खण्डीकृत्य वृत्तौ पठिता' इस लेख के अनुसार दोनों भागों को अलग करने वाली यह पंक्ति बीच में होनी ही चाहिए । इसलिए हमने मूल पाठ में रखी है ।

इसी प्रकार इसी उदात्त की धातुओं कारिका के पूर्वार्द्ध के धातु, 'पत्प्रदीगित् प्राक्' यह वृत्ति, तथा उत्तरार्द्ध के दोनों चरणों के बीच में 'न तच्छृष्य व्यपोहितु' यह वृत्ति पद्य है । अन्य सस्वरणों में इस पाठ की अगुड छाया है । इसी प्रकार ग्दारहवीं कारिका के पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध के बीच में भी गद्य भाग वृत्ति का है । सोलहवीं कारिका के अन्त की वृत्ति में भी दीर्घिति तथा नि० सा० सस्वरण का पाठ जैसा कि टिप्पणी में दिखाया है, बहुत भिन्न है । इसी प्रकार अगली १७ वीं कारिका के बीच में भी एक पंक्ति वृत्ति रूप में है । यह सब बीच बीच के वृत्ति भाग लोचन सम्मन होने से ही यहाँ मूल में रखे गए हैं ।

'तदनुगतमपि पूर्वच्छायाया वस्तु तादृक् तादृचं मुकविविधद्वित-
व्यङ्ग्ययाच्यार्थसमर्पणसमर्थशब्दरचनरूपया वन्वच्छायायोपनिबध्न-
न्नियतां नैव याति ॥१६॥

तदित्य स्थितम्^२ :—

प्रतायन्तां^१ वाचो निर्मितविविधार्थामृतरसा,
न सादः^३ कर्तव्यः कविमिरनवद्ये स्वविषये ।

सन्ति नद्याः काव्यार्था, परोपनिबद्धार्थविरचने न कश्चित्
कवेर्गुण इति भावयित्वा :—

परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः,
सरस्वत्येवैषा घटयति यथेष्टं भगवती ॥१७॥

परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुकवे. सरस्वत्येषा भगवती यथेष्टं
घटयति वस्तु । येषां सुकवीनां प्राक्तनपुर्याभ्यासपरिपाकवशेन प्रवृत्ति-

पूर्व [कवियों के वर्णित विषयों की] छाया से युक्त होने पर भी उस
प्रकार की वस्तु को, जिसमें व्यङ्ग्य विवक्षित हो ऐसे वाच्यार्थ के समर्पण में
समर्थ सन्निवेश रूप रचना सौष्ठव से उपनिबद्ध करने वाला कवि कभी निन्दा
को प्राप्त नहीं होता ॥१६॥

इस प्रकार यह निर्णय हुआ कि :—

[कविगण] विविध अर्थों के अमृत रस से परिपूर्ण वाणियों का प्रसार
करें । अपने [कल्पना से प्रसूत] विषय में कवियों को किसी प्रकार का संकोच
या प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

नवान काव्यार्थ हैं, दूसरों के वर्णित अर्थों की रचना में कवि का कोई
[प्रशंसा] लाभ नहीं होता ऐसा सोचकर :—

दूसरे के अर्थ को ग्रहण करने की इच्छा से रहित सुकवि के लिए
सरस्वती देवी स्वयं ही यथेष्ट वस्तु उपस्थित कर देती है ।

दूसरे [कवि] के अर्थ को ग्रहण करने की इच्छा से विरत मन वाले

१. "यदपि तदपि रम्य काव्यशरीर यत्लोकस्य किञ्चित्स्फुरित-
मिशमितीय बुद्धिरभ्युज्जिहते स्फुरण्ये वाचिदिति सहृदयानां चमत्कृतितल्पघने"
इतना पाठ वाच्यारम्भ में अधिक है नि० । २. स्थिते नि० । ३. घाद नि० ।

स्तेषां परोपरचितार्थपरिग्रहनिःस्पृहाणां स्पृह्यापारो न कचिदुपयुज्यते । सैव भगवती सरस्वती स्पृयमभिमतमर्थमाविर्भावयति । एतदेव हि महाकवित्वं महाकवीनामित्योम् ।

१ इत्यक्तिप्रसाश्रयोचितगुणालङ्कारशोभाभृतो^२,
यस्माद्वस्तु समीहितं सुकृतिभिः सर्वं समासाद्यते ॥

काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्दर्शितः
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम् ॥

सुकवि के लिए यह भगवती सरस्वती यथेष्ट वस्तु सङ्घटित कर देती है । पूर्व जन्मों के पुण्य और अम्वास के परिपाकवश जिन सुकवियों की [काव्य-निर्माण में] प्रवृत्ति होती है दूसरों के विरचित अर्थ ग्रहण में निःस्पृह उन [सुकवियों] की [काव्य-निर्माण में] शयना प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती । वही भगवती सरस्वती अभिवान्छित अर्थ को स्वयं ही प्रकट कर देती है । यही महाकवियों का महाकवित्व [महत्त्व] है ।

इत्योम्

—'०.—

यह 'इत्योम्' शब्द वृत्तिग्रन्थ की समाप्ति का सूचक प्रतीत होता है । अतः आगे के उभयशारात्मक दोनों श्लोक कारिका ग्रन्थ के अंश समझने चाहिएं, परन्तु उनका अर्थ स्पष्ट होने से उन पर कोई वृत्ति लिखने की आवश्यकता न समझ कर ही वृत्ति नहीं लिखी गई है और वृत्ति-भाग को यहाँ समाप्त कर दिया गया है । सभी सङ्करणों में उनको वृत्तिभाग वाले अक्षर में दृष्टा है । उसी परम्परा के अनुसार हम भी उनको वृत्ति वाले अक्षर में दे रहे हैं । इन श्लोकों में ग्रन्थ के विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन आदि का पुनः प्रदर्शन करते हुए ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ की समाप्ति कर रहे हैं ।

इस प्रकार सुन्दर [अक्लिष्ट] और रस के आश्रय से उचित गुण तथा अलङ्कारों की शोभा से युक्त जिस [ध्वनि रूप कल्पतरु] में सौभाग्यशाली कविजन मनोयान्छित सब वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं, सर्वानन्द परिपूरित त्रिदशजनों के काव्य नामक उद्यान में कल्प वृक्ष के समान महिमाशाली यह ध्वनि [हमने यहाँ] प्रदर्शित किया यह [सौभाग्यशाली] सद्दश्यों के लिए [भोग्य] ध्यानन्ददायक हो ।

सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्मचिरप्रसुप्त-
कल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत् ।
तद्व्याकरोत्सहृदयोदयलाभहेतो-
रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः ॥

इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके

चतुर्थ उद्योतः ॥

समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

उत्तम काव्य [रचना] का तत्व और नीति का जो मार्ग परिपक्व बुद्धि वाले [सहृदय विद्वानों] के मनों में चिर काल से प्रसुप्त के समान [अव्यक्त रूप में] स्थित था, सहृदयों की अभिवृद्धि और लाभ के लिए, आनन्दवर्धन इस नाम से प्रसिद्ध मैंने उसको प्रकाशित किया ।

—:०:—

श्री राजानक आनन्दवर्धनाचार्यविरचित ध्वन्यालोके
चतुर्थ उद्योत समाप्त हुआ ।

प्रीष्मावकाशमासाभ्यां, द्विसहस्रे ऽष्टकोत्तरे ॥
ध्वन्यालोकस्य व्याख्येयं, पूरितालोकदीपिका ॥

—:०:—

उत्तरप्रदेशस्थ 'पीलीभीत' मण्डलान्तर्गत 'मङ्गल' ग्रामनिवासिना
श्री शिवलालवर्मा महोदयानां तनुजनुया,
वृन्दावनस्थगुरुकुलविश्वविद्यालयाधीतविद्येन, तत्रत्याचार्यपदमाधितिष्ठता,
एम० ए० इत्युपपदधारिणा, श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसद्धान्तशिरोमणिना
विरचिताया 'आलोकदीपिकाख्याया' हिन्दीव्याख्याया

चतुर्थ उद्योतः समाप्तः ।

—:०:—

समाप्तश्चायं ग्रन्थः ।

परिशिष्ट १

(ध्वन्यालोक मी कारिकासूची)

[अ]

१ अकारण एव त्रिवृत्तिः	२८६
२ अद्वाश्रितास्वल्ङ्काराः	१३०
३ अक्षरादिरचनेष योज्यते	४८७
४ अतिव्याप्लेरथाव्याप्लेः	८३
५ अतो ह्यन्यतमेनापि	४५५
६ अनुगतमपि पूर्वच्छ्रायया	४८८
७ अनुस्वानोपमन्यद्भवः	१६०
८ अनुस्वानोपमात्मापि	२६७
९ अनेनानन्त्यमायाति	४५४
१० अन्वीयते यस्तुगति	४८३
११ अपृथग्यत्ननिर्वहणः	१४५
१२ अयंशक्तेरब्जकारः	१६०
१३ अयंशक्तेरुद्भवस्वरन्यः	१८०
१४ अर्थान्तरगतिः काव्यां	४०४
१५ अर्थान्तरे सङ्क्रमितं	६६
१६ अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयः	१८७
१७ अलङ्कारान्तरव्यङ्ग्य	२०५
१८ अलङ्कारान्तरस्यापि	१६१
१९ असंज्ञानीनां शक्ताऽपि	२१७
२० अल्लोहसामान्यमभिव्यजन्ति	४५
२१ अक्षयानातिशयवान्	३२८
२२ अपरथादिविभिन्नानां	४८३
२३ अक्षयदेशकालादि	४७४
२४ अविरोधी विरोधी वा	३१६

२५ अत्रिवक्षितवाच्यस्य ध्वने	१६
२६ अत्रिवक्षितवाच्यस्य पदवाच्य	२११
२७ अच्युत्पत्तेरशक्तेर्वा	२०६
२८ अशक्नुवद्भिव्यक्तिर्	४४७
२९ असंलक्षयममोद्योत	१०३
३० असमासा समासेन	२२६
३१ अस्फुटस्फुरितं काव्य	४४७

[आ]

३२ आक्षिप्त एवालङ्कारः	१६३
३३ आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे	४८६
३४ आनन्त्यमेव वाच्यस्य	४७४
३५ आलेख्याकारवत्तुल्य	४८५
३६ आलोकार्थी यथा दीप	५०

[इ]

३७ इतिवृत्तपद्यायाता	२५७
३८ इत्यविलम्बे रसा०	४६०
३९ इत्युक्तलक्षणे य.	४४७

[उ]

४० उक्त्यन्तरेणाशयं यत्	८६
४१ उपप्रेषयाप्यन्तराभीष्ट	२५७
४२ उदीपनप्रशमने	२५७

[ए]

४३ एकाग्रपद्ये निर्दोष	३२३
४४ एको रमोऽप्योक्तस्य	३१२

४५ एतद्व्यथोक्तमौचित्यं	२५४	७० तथा रसस्यापि विधौ	३१३
४६ एवं ध्वनेः प्रभेदा	४४७	७१ तदस्यानुरागनरूप	२११
[औ]		७२ तदा तं दीपयन्त्येव	२२५
४७ औचित्यवान् यस्ता एताः	३३२	७३ तथा दीर्घसमासेति	२२६
[क]		७४ तदुपायतया तद्वत्	५०
४८ कस्यचिद् ध्वनिभेदस्य	६४	७५ तद्वत्सचेतसां सोऽर्थः	५२
४९ कार्यमेकं यथा व्यापि	३१३	७६ तद्विरुद्धरसस्पर्शः	३२८
५० काले च ग्रहणस्यागौ	१५०	७७ तद्व्यतिहेतु शब्दार्थौ	१३६
५१ काव्यप्रभेदाश्रयतः	२४८	७८ तन्मयं काव्यमाश्रित्य	१३०
५२ काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति युधे,	५	७९ तद् व्याकरोत् सहृदय	४६१
५३ काव्यस्यात्मा स एवार्थः	४३	८० तमर्थमवलम्बन्ते	१३०
५४ काव्याद्येऽस्मिन्	४६०	८१ तस्याद्धानां प्रभेदा ये	१४०
५५ काव्ये उभे ततोऽन्यत्	४१८	८२ तृतीयन्तु प्रतिदात्म	४८५
५६ काव्ये तस्मिन्मूलकारः	११६	८३ तेऽलङ्काराः परां ज्ञायां	२०४
५७ कृतद्वितसमासैरथ	२७०	८४ तेषामानन्वयमन्योन्य	१४०
५८ केचिद् धावां स्थितमविषये	५	[ढ]	
५९ क्रमेण प्रतिभात्यात्मा	१६२	८५ दिङ्मात्रं सूच्यते येन	१४१
६० क्रीडाद्भन्वियोगोऽथः	४३	८६ दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः	४६१
[ग]		[ध]	
६१ गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती	२३१	८७ घत्ते रसादितात्पर्यं	४०६
६२ गुणप्रधानभावाभ्यां	४१८	८८ ध्रुवं ध्वन्यद्गता तावां	२०४
[च]		८९ ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु	२६७
६३ चारुवोक्तपंक्तौ व्यङ्ग्यः	२०५	९० ध्वनेरात्माङ्गिभावेन	१०४
६४ विप्रं शब्दार्थभेदेन	४१८	९१ ध्वनेरिदं गुणोभूत्	४७३
[त]		९२ ध्वनेर्यः स गुणोभूत्	४५४
६५ त एव तु निवेश्यन्ते	२२२	९३ ध्वन्यात्मन्त्येव शब्दारे	१३६
६६ तत्परत्वं न वाप्यस्य	१३१	९४ ध्वन्यात्मभूते शब्दारे यमकादि	१४२
६७ तत्र किञ्चित्पदस्यै	४१८	९५ ध्वन्यात्मभूते शब्दारे समीप्य	१४६
६८ तत्र पूर्वमनन्यात्म	४८५	[न]	
६९ तत्र वाप्यः प्रसिद्धो यः	१८	९६ न वाप्यार्थविरामोऽत्र	४७३
		९७ न तु केवलया शास्त्र	२५७

६८	निश्चया सा स्यं नैति	४८४
६९	निव्यूंदावपि चाङ्गरे	१५०
१००	निवर्तते हि रसयोः	३२६
१०१	नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि	४८७
१०२	नैकरूपतया सर्वे	४८४
१०३	नोपहन्त्यङ्गितां सोऽस्य	३१३

[प]

१०४	परस्वादानेच्छाविरतमगसः	४८६
१०५	परिपोषं गतस्यापि	२८६
१०६	परिपोषं न नैतद्व्यः	३१६
१०७	प्रकारोऽन्यो गुणीभूत	३८६
१०८	प्रकारोऽयं गुणीभूत	४०६
१०९	प्रतायन्तां वाचो निमित्त	४८६
११०	प्रतीयमान पुनरन्यदेव	१६
१११	प्रतीयमानच्छायेषा	४०३
११२	प्रधानगुणभावाभ्यां	४१८
११३	प्रधानेऽन्यत्र धारणार्थे	११६
११४	प्रयन्धस्य रसादीनां	२५७
११५	प्रयन्धे मुक्तके वापि	२८८
११६	प्रभेदस्यास्य निययो	४०७
११७	प्रसङ्गात्प्रतीरपदाः	३६२
११८	प्रसिद्धेऽपि प्रथम्यानां	३१२
११९	प्रायेणैव परां प्रायां	३६३
१२०	प्रौढोक्तिमात्रनिपद्य	१८७

[य]

१२१	बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः	१८
१२२	वाच्यानामङ्गभावं वा	२६६
१२३	गुह्यिणामादिकाञ्चोक्ता	१४१
१२४	दुर्वा तत्पार्थङ्गिभ्यां	५२

[म]

१२५	भारवा विभक्ति नैक्यं	८१
-----	----------------------	----

१२६	भवेत्तस्मिन् प्रमादो हि	३२८
१२७	भूमनैव दृश्यते लक्ष्ये	४८३
	[म]	
१२८	माधुर्यंमार्द्रतां याति	१३४
१२९	मितोऽप्यनन्ततां प्रातः	४५६
१३०	मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य	८७
१३१	मुख्या महाकविगिरौ	४०३

[य]

१३२	यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त	१६
१३३	यत्नः कार्यः सुमतिना	२८८
१३४	यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयां	४७
१३५	यत्र प्रतीयमानोऽर्थः	२०६
१३६	यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्य	३८६
१३७	यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थ	५३
१३८	यत्रातिरिक्त्यते स्वोक्त्या	१८४
१३९	यथा पदार्थद्वारेण	५१
१४०	यथा व्यापारनिपत्तौ	५२
१४१	यदपि तदपि रम्यं यत्र	४८८
१४२	यदुद्दिश्य कलं तत्र	८७
१४३	यद्व्यङ्ग्यस्वाङ्गिभूतस्य	२१०
१४४	यस्मात्पदैश्च यस्त्वन्यद्	१८०
१४५	यस्यलक्ष्यप्रथमव्यङ्ग्यः	२२४
१४६	यस्मिन्नुक्तः शब्देन	१६३
१४७	पुर्यान्नेवानुसर्तव्यः	४५६
१४८	ये च तेषु प्रकारोऽयं	३६२
१४९	योऽर्थः महद्दुपरिहास्यः	१७

[र]

१५०	रज्ज्वा विपर्ययं	२५५
१५१	रसभावतदाभास	१०४
१५२	रसवन्धोऽप्यधीच्यं	२५४
१५३	रसरसाव्यभिधानेः	२५

[ई]

२७ ईसाकलुसस्त प्रित २०१

[उ]

२८ उच्चिणसु पडिष कुसुमं २०८

२९ उत्कम्पिनी भय० २२६

३० उहामो कबिकां [रत्ना०] १६४

३१ उन्नतः प्रोलसद्धारः १७१

३२ उपोदरागेण [पाणिनि.] २६

३३ उष्यहजआपुं असोदिनीपुं ४१७

[ए]

३४ एकन्तो रुधइ विधा ३१६

३५ एमेघ जयो तिस्ता २१५

३६ पर्ववादिनि [कु० सं०] १८१

३७ एहि मन्त्र पतोतिष्ठ [व्यास] ३०४

[क]

३८ कष्टाच्छिवापमाला ३१७

३९ कयाशरीरमुत्पाद्य [परि०] २६३

४० कपोले पत्रालो १४६

४१ कमलाधराय मलिआ २०७

४२ करिणी वेदभ्यधरो ४६३

४३ कर्ता सत्पद्माना [वेणीसं०] ४३८

४४ कस्तव भो. कथयामि ४१७

४५ कः सप्तदे [मेघ०] २१२

४६ करस य या होइ [गा०सं०] २५

४७ काश्याधनि [संग्रहः] ४२४

४८ क्रिमिप हि मधुराणा [शाकु०] २१२

४९ किं हास्येन न मे प्रयास्यमि १२०

५० कुत्रिआधो पलचाधो ८४

५१ कुत्रे वरक्याजावे ४६२

५२ कोयात्कोमल [चमर०] १६० ३०३

५३ कामन्यः सतकोमलाद् द्वि ३११

५४ कवाकार्यं शश० [विक्रमो०४] ३०१

५५ पितो हस्तायजमनः [चमरक] १२१

[ख]

५६ खं येऽत्युज्वल्यन्ति १७

५७ खणपाहुणिया देशर ४३१

[ग]

५८ गयणं च मत्तमेह [गौडपट्टो] १०९

५९ गागो वः पावनानां ३४०

[च]

६० चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव १५२

६१ चञ्चद्भुजभ्रमित [वेणीसं०] १३६

६२ चन्दनासक्तभुजग २००

६३ चन्दमऊ एदि शिला १६२

६४ चमदिघ माणस १६७

६५ चलापाद्गां ददि [शाकु०] १५१

६६ चुम्बिज्जइ सघहुच ८४

६७ चूषंकुरावधंसं [हरिजिजय] २१६

[ज]

६८ जा एज वणुदेसे [गा०सं०] १६६

[ण]

६९ ण थ ताथ घट्टई भोही ४७६

[त]

७० सं ताण सिरिमही [वि०या०] १६६

७१ तद्गेतं नतभिति २८४

७२ तन्त्री मेघजलाद् [विक्रमो०] १२६

७३ तत्परात्रेय शशधर्मो [परि०] ७३

७४ तमयंमवजग्धन्ते [धन्या०] २३५

७५ तद्गद्गद्भद्रा [विक्रमो०] १२८

७६ तस्या विनाग्द्वारण १६५

७७ तां प्रादुर्भूतीं तत्र [कु०सं०] ४७५

७८ ताना भोग्गन्ति मुग्धा [विक्रम] १००

७९ तालैः शिफद्द्वय [मेघ०] २७४

८० तसेपां भोग्गोदर १६६

८१ तेषां गोपशुभ्रिजाममुद्गदां १२६

८२ त्रामाकूलः परिवतन् [माघ] २०१

१४० रसभावादित्यावर्य [सं०]	१२२	१७० शेषो हिमगिरिरत्नं [भामह]	४६
१४१ रसादिषु विवक्षा तु	४२१	१७१ शोकः श्लोकव्य [रामा०]	४६
१४२ रसवन्ति हि वस्तुनि [संग्रह]	१४८	१७२ शृङ्गारी चेत् कविः काव्ये	४२६
१४३ राजानमपि सेवन्ते	४११	१७३ श्यामास्वङ्गं चकित [मेघ०]	१६०
१४४ रसाभासाद्भव [संग्रह]	१४६	१७४ श्लाघ्याशेषतनु*	१६६
१४५ रामेण प्रियजीवितेन तु	२१४	[स]	
[ल]		१७५ संवृत्याभिहितं [ध्या०व०]	४२४
१४६ लब्धो दुहिदा जाश्राडयो	३१३	१७६ सकेतकालमनसं	१८३
१४७ लावण्य कान्ति [जयवर्धन]	१६४	१७७ सप्तेह सुरहिमासो	१८८-२२०
१४८ लावण्यद्रविणव्यथो न	४१२	१७८ सरकाव्यतावनय [ध्या०व०]	४६१
१४९ लावण्यसि-धुरपरैव	३६०	१७९ सत्यं मनोरमा रामाः	३३०
१५० लीलाकमलपत्राणि [कु० सं०]	३५२	१८० सन्ति सिद्धरसप्रख्याः	२६४
[व]		१८१ सप्तैताः समिध [ध्यास]	११२
१५१ वचन मह चिद्य [सा०]	२३	१८२ समविसर्गाण्यन्वितेसा	२८३
१५२ वासे मा गा विपाद्	१८५	१८३ सर्वैकशरणासुख्यं	१७८
१५३ वसन्तपुष्पाभरण [कु० सं०]	४७५	१८४ सर्वोपमाद्रव्य [कु० सं०]	४७५
१५४ वणिग्रथ हरिदन्ता	२२०	१८५ स वस्तुमखिलान् शक्त.	१६७
१५५ वाणीर कुट्टोद्वीण	२०७	१८६ सविभ्रमस्मितोद्भेदा	४५६
१५६ वासमीकिव्यास [परि०]	२६५	१८७ सशोणितै ऋष्यभुजा	३२६
१५७ वासमीकिव्यतिरिक्तस्य	४८१	१८८ स हरिर्नाम्ना देवः	१५६
१५८ विच्छित्तिशोभि० [परि०]	२२३	१८९ सागरविह्वलणजोव्यथ	१८६
१५९ विमानपर्यङ्गतले निपथयाः	३२६	१९० सिद्धह रोमानिचन्द्र	४७२
१६० विसमद्वयो काण्वि	२१६	१९१ सिद्धिपिच्छकण्यऊर	१६०-२२१
१६१ विसम्भोल्या मन्मथाज्ञा	४०३	१९२ सुरभिसमये प्रवृत्ते	४६२
१६२ वीराणं रमद् धुसिण	१६५	१९३ सुवर्णपुष्पां पृथिवीं	७८
१६३ वृत्तेऽस्मिन् महा [हर्ष]	२१८	१९४ सैषा सर्वत्र वक्रोक्ति [भामह]	३६४
१६४ व्रीडायोगान्त [शाङ्ग०प०]	२२७	१९५ स्निग्धश्यामक [महानाटक]	६६
१६५ व्यङ्ग्यव्यञ्जक [परि०]	५५	१९६ स्मरनवनदी पूर्योदा	२२८
१६६ व्यङ्ग्यस्य यत्रा [परि०]	७३	१९७ स्मितं किञ्चिन्मुग्ध	४५५
१६७ व्यङ्ग्यस्य प्रीतिभा [परि०]	७२	१९८ स्वतेज क्रीतमहिमा	४५७
[श]		१९९ स्वस्था भवन्ति [विशी०]	४०४
१६८ शिलरिणि वव तु नाम	७३	[ह]	
१६९ शून्यं धामगृह [धम०]	४५६	२०० हंसानां निनदेषु	४७८
		२०१ दिग्घट्टाविद्यमण्यु*	१६८